

vol

2

0613

सहीह मुस्लिम

हदीस नं.

1731

صَحِيحُ مُسْلِمٍ

تالیف: امام بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुशशैख़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक्ररीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारुल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जवलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफिज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुरहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सूनह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारुल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अल्फहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

صحيح مسلم

تالیف: امام بن حجاج نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ

सहीह मुस्लिम

तालीफ

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दु तर्जुमा

फ़ज़ीलतुशशैख मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी

तखरीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तकरीज

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

2

हदीस नं. 613 से 1731 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज खर्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	सहीह मुस्लिम	
तालीफ़	इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)	
उर्दू तर्जुमा	फ़ज़ीलतुशशैख़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी	
हिन्दी तर्जुमा	दारुत-तर्जुमा, शोबा नशरो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)	
तख़रीज	मौलाना अदनान दुर्वेश	
तक़रीज	मौलाना इरशादुल हक़ असरी	
तस्हीह व नज़रे सानी	मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)	
लेज़र टाइपसेटिंग	मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी	
मेनेज़िंग डायरेक्टर	अली हम्जा, (82338-55857)	
प्रिण्टिंग	आदर्श आफ़सेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741	
बाइंडिंग	कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615	
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	मुहर्रम 1441 हिजरी (सितम्बर 2019 इस्वी)	
तादादा कॉपी : 500	तादादा पेज: 624	क्रीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक

मर्कज़ी अन्जुमन खुदामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

ज़ेरे निगरानी

शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारुल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफिज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुरहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सूनह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारुल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शौफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शौख सुहैल सलफ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मजामीन

मजमून	सफा नं.
❁ किताबुत्तहारत (तहारत का बयान) हदीस नम्बर 6 13 से 678 तक इस किताब के कुल 34 बाब और 145 हदीसों हैं	17
बाब 19 : दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत (मनाही)	18
बाब 20 : तहारत व पाकीज़गी वगैरह में दायें तरफ से आगाज़ करना	19
बाब 21 : रास्ते और साये में क़ज़ाए हाजत से मुमानिअत	19
बाब 22 : क़ज़ाए हाजत की सूरत में पानी से इस्तिन्जा करना	20
बाब 23 : मोज़ों पर मसह	22
बाब 24 : पेशानी और पगड़ी पर मसह	27
बाब 25 : मोज़ों पर मसह के लिये मुद्त की तहदीद	30
बाब 26 : एक वुजू से सब नमाज़ें अदा करना (यानी पाँचों नमाज़ों का जवाज़)	31
बाब 27 : वुजू करने वाले या दूसरे इंसान के लिये जाइज़ नहीं है कि वो अपने हाथ को, जबकि उसके पलीद होने का शुब्हा हो, तीन बार धोये बगैर बर्तन में डाले	32
बाब 28 : कुत्ते के बर्तन में मुँह डालने का हुक्म	34
बाब 29 : ठहरे हुए पानी में पेशाब करने की मुमानिअत (मनाही)	37
बाब 30 : ठहरे पानी में गुस्ल करने की मुमानिअत	38
बाब 31 : मस्जिद में पेशाब या कोई और नजासत पड़ी हो तो उसका धोना ज़रूरी है और ज़मीन पानी से पाक हो जाती है उसके खोदने की ज़रूरत नहीं है	39
बाब 32 : शीरख़वार (दूध पीते) बच्चे के बोल (पेशाब) का हुक्म और उसको धोने की कैफ़ियत	41
बाब 33 : मनी का हुक्म	44
बाब 34 : खून की नजासत और उसके धोने की कैफ़ियत	48
बाब 35 : बोल (पेशाब) के नजिस होने की दलील और उससे बचाव और तहफ़ूज़ का ज़रूरी होना	49

मज़मून	सफ़ा नं.
❁ इस किताब के कुल 33 बाब और 158 हदीसों हैं किताबुल हैज़ (हैज़ का बयान) हदीस नम्बर 679 से 836 तक	52
❁ हैज़ का मानी व मफ़हूम	53
बाब 1 : तहबंद के ऊपर हाइज़ा औरत से मुबाशरत	55
बाब 2 : हाइज़ा के साथ एक लिहाफ़ में लेटना	57
बाब 3 : हाइज़ा औरत के लिये जाइज़ है कि वो अपने खाविन्द का सर धोये, उसे कंधी करे और उसका झूठा पाक है, उसकी गोद में सर रखना और कुरआन पढ़ना दुरुस्त है	58
बाब 4 : मज़ी का हुक्म	62
बाब 5 : नींद से बेदार होकर चेहरा और दोनों हाथ धोना	64
बाब 6 : जुन्बी के लिये सोना जाइज़ है लेकिन अगर वो खाना, पीना, सोना या दोबारा ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो बेहतर ये है कि वो शर्मगाह को धोकर वुजू कर ले	64
बाब 7 : औरत की मनी (एहतिलाम) निकलने की सूरत में उस पर नहाना लाज़िम है	67
बाब 8 : मर्द और औरत की मनी की कैफ़ियत है और ये कि बच्चा दोनों के पानी के मिलाप से पैदा होता है	71
बाब 9 : गुस्ले जनाबत की कैफ़ियत	74
बाब 10 : गुस्ले जनाबत के लिये पानी की मुस्तहब मिक्दार (मात्रा) मर्द व औरत का एक बर्तन से इकट्ठे गुस्ल करना और मियाँ-बीवी का एक-दूसरे के बचे हुए पानी से नहाना	77
बाब 11 : सर और जिस्म के दूसरे हिस्से पर तीन बार पानी बहाना पसन्दीदा अमल है	82
बाब 12 : गुस्ल में सर के गून्दे हुए बालों (चोटी, जुल्फ़) का हुक्म	84
बाब 13 : गुस्ले हैज़ करने वाली औरत के लिये मुस्तहब है कि वो खून की जगह पर खुशबू में मुअत्तर कपड़ा या रूई इस्तेमाल करे	86
बाब 14 : मुस्तहाज़ा का गुस्ल और उसकी नमाज़	89
बाब 15 : हाइज़ा (हैज़ वाली औरत) के लिये रोज़े की क़ज़ा है, नमाज़ की नहीं	93

मजमून	सफा नं.
बाब 16 : गुस्ल करने वाले का कपड़े वगैरह से पर्दा करना	95
बाब 17 : दूसरे की शर्मगाह देखने की मुमानिअत (मनाही)	97
बाब 18 : तन्हाई में बरहना नहाना जाइज है	98
बाब 19 : शर्मगाह की हिफाज़त पर तवज्जह देना	99
बाब 20 : क़ज़ाए हाजत के लिये कैसे पर्दा किया जायेगा?	101
बाब 21 : पाकिस्तानी नुस्खे की रू से तर्जुमा आगाज़े इस्लाम में जब तक मनी न निकलती जिमाअ करने से गुस्ल लाज़िम नहीं था, इस हुकम के नस्ख का बयान और गुस्ल जिमाअ से लाज़िम हो जाता है' अरबी नुस्खे में इन अहादीस को दो बाबों में तकसीम कर दिया गया है, पहला बाब है बाब 21 गुस्ल मनी के निकलने से वाजिब होता है	101
बाब 22 : पानी, पानी से (गुस्ल, इन्ज़ाल से) मन्सूख है और मर्द व औरत का अज़्व मिलने से गुस्ल ज़रूरी हो जाता है	105
बाब 23 : आग पर पकी चीज़ (खाने) से वुजू करना	108
बाब 24 : आग पर पकी चीज़ से वुजू करना मन्सूख हो चुका है (हुकम उठ चुका है)	109
बाब 25 : ऊँट के गोश्त (खाने) से वुजू	112
बाब 26 : यक़ीनी तहारत के बाद बेवुजू हो जाने के शक की सूत में पहली यक़ीनी तहारत ही से नमाज़ पढ़ ली जायेगी	113
बाब 27 : मुर्दार जानवर के चमड़े के रंगने से पाक हो जाना	114
बाब 28 : तयम्मूम का बयान	119
बाब 29 : मुसलमान के पलीद (नापाक) न होने की दलील	126
बाब 30 : जनाबत वगैरह की सूत में अल्लाह का ज़िक्र करना	127
बाब 31 : बेवुजू खाना खाना बिला कराहत जाइज है और वुजू का फ़ौरी तौर पर करना लाज़िम नहीं है	128
बाब 32 : जब बैतुल ख़ला में जाने का इरादा हो तो इंसान कौनसी दुआ पढ़ेगा?	129
बाब 33 : बैठे-बैठे सोने वाले की नींद से वुजू नहीं टूटता	130

मजमून	सफ़ा नं.
✽ इस किताब के कुल 52 बाब और 324 हदीसों हैं।	132
✽ किताबुस्सलात (नमाज़ का बयान) हदीस नम्बर 837 से 1160 तक	137
बाब 1 : अज़ान की शुरूआत	137
बाब 2 : अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा और तकबीर इकहरी कहने का हुकम	138
बाब 3 : अज़ान की हैयत व कैफ़ियत	140
बाब 4 : एक मस्जिद के लिये दो मुअज़्ज़िन रखना पसन्दीदा है	142
बाब 5 : अन्धे के साथ जब बीना हो तो उसका अज़ान देना जाइज़ है	142
बाब 6 : दारुल कुफ़्र के लोगों से अज़ान सुनने की सूत में हमला करने से रुक जाना	143
बाब 7 : अज़ान सुनकर, अज़ान देने वाले के कलिमात ही कहना मुस्तहब है, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) पर दरूद पढ़ेगा, फिर आपके लिये वसीले की दरख्वास्त करेगा	144
बाब 8 : अज़ान की फ़ज़ीलत और शैतान का अज़ान सुनकर भाग खड़े होना	149
बाब 9 : तकबीरे तहरीमा, रूकूअ में जाते और रूकूअ से उठते वक़्त कन्धों के बराबर हाथ उठाना मुस्तहब है और सज्दा से उठते वक़्त हाथ नहीं उठाये जायेंगे	153
बाब 10 : नमाज़ में झुकते और उठते वक़्त हर जगह तकबीर कही जायेगी, मगर रूकूअ से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा जायेगा	156
बाब 11 : हर रकअत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर सूरह फ़ातिहा अच्छी तरह न पढ़ सकता हो और न ही उसके लिये उसका सीखना मुम्किन हो तो सूरह फ़ातिहा के सिवा जो पढ़ना मुम्किन हो, पढ़ ले	159
बाब 12 : मुक़तदी को इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से क़िरअत करने की मुमानिअत	166
बाब 13 : उन लोगों की दलील जो कहते हैं बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ी जायेगी	168
बाब 14 : उन लोगों की दलील जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरह बराअत के सिवा हर सूरह का जुज़ (हिस्सा) है	170
बाब 15 : तकबीरे तहरीमा के बाद दायीं हाथ बायें पर सीने के नीचे और नाफ़ के ऊपर रखा जायेगा और (सज्दे में) दोनों हाथ ज़मीन पर कन्धों के बराबर होंगे	172

मजमून	सफ़ा नं.
बाब 16 : नमाज़ में तशहहुद	173
बाब 17 : तशहहुद के बाद नबी (ﷺ) पर दरूद भेजना	182
बाब 18 : समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द और आमीन कहना	187
बाब 19 : मुक्तदी का इमाम की इक़्तिदा करना	190
बाब 20 : तकबीर वगैरह में इमाम से सबक़त ले जाना नाजाइज़ है	195
बाब 21 : जब मर्ज़, सफ़र या किसी और वजह से इमाम को इज़र पेश आ जाये तो उसका लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिये किसी को अपना जॉनशीन (खलीफ़ा) बनाना और जो इमाम के क्रियाम से आजिज़ होने की बिना पर उसकी बैठने की सूत में उसकी इक़्तिदा करेगा, वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा, और बैठकर नमाज़ पढ़ाने वाले के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त रखने वाले के लिये बैठकर नमाज़ पढ़ना मन्सूख़ है	197
बाब 22 : जब इमाम की आमद में ताख़ीर हो जाये और किसी को आगे करने में फ़िल्ना व फ़साद का ख़ौफ़ न हो तो लोगों का किसी को जमाअत के लिये आगे कर देना जाइज़ है	210
बाब 23 : नमाज़ में अगर कोई बात पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानअल्लाह कहें और औरत हाथ की पुश्त पर हाथ मारे	214
बाब 24 : नमाज़ को अच्छी तरह मुकम्मल और खुशूअ (आजिज़ी) से पढ़ने का हुक्म	215
बाब 25 : इमाम से पहले रूकूअ और सज्दा वगैरह करना मना है	218
बाब 26 : नमाज़ में आसमान की तरफ़ देखने की मुमानिअत (मनाही)	220
बाब 27 : नमाज़ में सुकून इख्तियार करने का हुक्म और सलाम के वक़्त हाथ से इशारा करने और उसके उठाने की मुमानिअत और पहली सफ़ों को मुकम्मल करना और उनमें आपस में मिलकर खड़े होने और इकट्ठे खड़े होने का हुक्म	221
बाब 28 : सफ़ों को बराबर और सीधा करना और सफ़ों को बतर्तीब पहली फिर उसके बाद वाली की फ़ज़ीलत और पहली सफ़ में शिरकत के लिये मुसाबिक़त करना, अस्थाबे फ़ज़्ल को मुकद्दम करके उनको इमाम के करीब करना	224
बाब 29 : मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ने वाली औरतों को हुक्म है कि वो सज्दे से उस वक़्त तक अपना सर न उठाये, जब तक मर्द सर न उठा लें	231

मज़मून	सफ़ा नं.
बाब 30 : अगर फ़ित्ने का अन्देशा या खतरा न हो तो औरतें मसाजिद में जा सकती हैं लेकिन वो खुशबू लगाकर न निकलेंगी	232
बाब 31 : जहरी नमाज़ों में जब बुलंद क़िरअत से फ़साद का अन्देशा हो तो क़िरअत जहरन और आहिस्ता के दरम्यान यानी दरम्यानी आवाज़	237
बाब 32 : क़िरअत को बग़ौर सुनना	239
बाब 33 : सुबह की नमाज़ में बुलंद आवाज़ से क़िरअत करना और जिन्नों को कुरआन सुनाना	241
बाब 34 : जुहर और अ़सर में क़िरअत	245
बाब 35 : सुबह की नमाज़ में क़िरअत	251
बाब 36 : कुछ नुस्खों में यहाँ मग़्िब की नमाज़ में क़िरअत का इन्वान मौजूद है और होना चाहिये	255
बाब 37 : इशा की नमाज़ में क़िरअत	256
बाब 38 : इमामों को नमाज़ पूरी और हल्की पढ़ाने का हुक्म	260
बाब 39 : नमाज़ के अरकान में ऐतदाल (सुकून व इत्मीनान) और उसके कमाल के साथ नमाज़ में तर्ख़्फ़ीफ़ करना	264
बाब 40 : इमाम की मुताबिअत (पैरवी) और हर काम इमाम के बाद करना	268
बाब 41 : रुकूअ से सर उठाकर नमाज़ी क्या कहेगा	270
बाब 42 : रुकूअ और सज्दे में क़िरअते कुरआन (कुरआन पढ़ना) मन्मूअ है	274
बाब 43 : रुकूअ और सज्दे में क्या कहा जायेगा	278
बाब 44 : सज्दे की फ़ज़ीलत और उसकी तरगीब	284
बाब 45 : सज्दे के आज़ा, कपड़ों और बालों के इकट्ठा करने और नमाज़ में सर पर जूड़ा बांधने की इमामानिअत (मनाही)	287
बाब 46 : सज्दे में ऐतदाल और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखना और सज्दे में दोनों कोहनियों को दोनों पहलूओं से दूर रखना और पेट को रानों से जुदा रखना	290
बाब 47 : नमाज़ की जामेअ सिफ़त और जिससे नमाज़ का इफ़्तिताह (शुरूआत) होता है और जिससे इख़िताम (ख़त्म) होता है और रुकूअ की कैफ़ियत और उसमें ऐतदाल, सज्दा और उसमें ऐतदाल, चार रकअत वाली नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशहहुद और दो सज्दों के दरम्यान बैठने और पहले तशहहुद में बैठने का तरीका व सूत	291

मज़मून	सफ़ा नं.
बाब 48 : नमाज़ी के लिये सुतरह	295
बाब 49 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को रोकना	302
बाब 50 : नमाज़ी के सुतरह के करीब खड़ा होना	305
बाब 51 : नमाज़ी के सुतरह की मिक्दार	307
बाब 52 : नमाज़ी के सामने लेटना	309
बाब 53 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना और उसके पहनने का तरीका	313
इस किताब के कुल 55 बाब और 409 हदीसों हैं।	317
❁ किताबुल मसाजिदि व मवाज़िइस्सलात (किताब मस्जिदों और नमाज़ की जगहों का बयान)	318
❁ किताबुल मसाजिद का तअरुफ़	319
बाब 1 : मस्जिदें और नमाज़ की जगहें	319
बाब 2 : मस्जिदे नबवी की तामीर	326
बाब 3 : क़िब्ले का बैतुल मक्दिस् की बजाय बैतुल्लाह (कअबा) की तरफ़ फिरना	329
बाब 4 : क़ब्रों पर मस्जिदें बनाने और उनमें तस्वीरें रखने और क़ब्रों को सज्दा करने की मुमानिअत	332
बाब 5 : मस्जिद बनाने की फ़ज़ीलत और उसकी तरा़ीब व तश्वीक़	337
बाब 6 : रूकूअ में हाथ घुटनों पर रखना पसन्दीदा है और जोड़कर दोनों घुटनों के दरम्यान रखना मन्सूख़ है	339
बाब 7 : ऐड़ियों पर सुरीन रखकर बैठना जाइज़ है	343
बाब 8 : नमाज़ में बातचीत करना हराम है और इसकी एबाहत व जवाज़ मन्सूख़ है	344
बाब 9 : नमाज़ में शैतान पर लानत भेजना और उससे पनाह जाइज़ है और नमाज़ में अमले क़लील (छोटा मोटा काम) भी जाइज़ है	352
बाब 10 : नमाज़ में बच्चों को उठाना जाइज़ है	354
बाब 11 : नमाज़ में एक-दो क़दम चलना दुरुस्त है	356

मजमून	सफा नं.
बाब 12 : नमाज़ में कमर (कोख) पर हाथ रखना नाजाइज़ है	358
बाब 13 : दौराने नमाज़ कंकरियाँ पौछना (हटाना) और मिट्टी बराबर करना मक्रूह है	359
बाब 14 : दौराने नमाज़ और उसके अलावा मस्जिद में थूकना मना है	360
बाब 15 : जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है	366
बाब 16 : मुनक्कश बेल-बूटेदार कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मक्रूह (ना पसंदीदा) है	366
बाब 17 : वो खाना जिसको इंसान फ़ौरी तौर पर खाना चाहता हो, उसकी मौजूदगी में नमाज़ मक्रूह है, इसी तरह पेशाब-पाख़ाना को रोककर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है	368
बाब 18 : जिसने लहसुन या प्याज या गन्दना या कोई बदबूदार चीज़ खाई उसको (मस्जिद में जाने से) रोकना (यहाँ तक कि ये बू ख़त्म हो जाये और उसको मस्जिद से निकालना)	371
बाब 19 : मस्जिद में गुमशुदा चीज़ की तलाश की मुमानिअत (मनाही) और तलाश करने वाले के ऐलान को सुनकर क्या कहा जायेगा	378
बाब 20 : नमाज़ में भूल और उसके लिये सज्दा करना	380
बाब 21 : तिलावत के लिये सज्दा करना या सुजूदे तिलावत (तिलावत के सज्दे)	396
बाब 22 : नमाज़ (तशहहुद) में बैठने की हैयत और दोनों रानों पर हाथ रखने की कैफ़ियत	402
बाब 23 : नमाज़ से फ़रागत के वक़्त उससे निकलने के लिये सलाम कहना और उसकी कैफ़ियत	405
बाब 24 : नमाज़ के बाद	407
बाब 25 : अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगना पसन्दीदा है	409
बाब 26 : नमाज़ में किन चीज़ों से पनाह माँगी जायेगी	411
बाब 27 : नमाज़ के बाद ज़िक्र अच्छा अमल है और उसकी कैफ़ियत व सूरत की वज़ाहत	416
बाब 28 : तकबीरे तहरीमा और क़िरअत के दरम्यान कौनसी दुआ पढ़ी जायेगी	427
बाब 29 : नमाज़ के लिये वक़ार व मतानत और सुकून व इत्मीनान से आना मुस्तहब है और दौड़कर आना मना है	431
बाब 30 : लोग नमाज़ के लिये किस वक़्त खड़े होंगे	434

मजमून	सफा नं.
बाब 31 : जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली उसने उस नमाज़ को पा लिया	437
बाब 32 : पाँच नमाज़ों के औकात	441
बाब 33 : शदीद गर्मी में (जबकि रास्ते में गर्मी हो, जमाअत के लिये जाने वालों के लिये) जुहर ठण्डे वक़्त में पढ़ना बेहतर है	451
बाब 34 : गर्मी की शिद्दत न हो तो जुहर अव्वले वक़्त पढ़ाना बेहतर है	456
बाब 35 : असर अव्वल वक़्त में पढ़ना बेहतर है	458
बाब 36 : नमाज़े असर फ़ौत करने पर तग़लीज़ व शिद्दत	462
बाब 37 : इस बात की दलील कि सलाते वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मुराद असर की नमाज़ है	464
बाब 38 : सुबह और असर की नमाज़ की फ़ज़ीलत और उनकी निगेहदाशत (पाबंदी)	469
बाब 39 : मग़िब का अव्वल वक़्त सूरज के गुरुब होने पर है	473
बाब 40 : इशा की नमाज़ का वक़्त और उसमें ताख़ीर	474
बाब 41 : नमाज़े सुबह जल्द ही उसके अव्वल वक़्त यानी ग़लस (रात की आख़िरी तारीकी) में पढ़ना और उसमें क़िरअत की मिक्दर का बयान	483
बाब 42 : वक़्ते मुख़्तार (मुतअय्यन वक़्त) से नमाज़ को मुअख़्ख़र (ताख़ीर) करना मक्रूह है और अगर इमाम नमाज़ मुअख़्ख़र करे तो मुक्तदी को क्या करना चाहिये	488
बाब 43 : नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत और उससे पीछे रहने पर शिद्दत और ये कि वो फ़र्जे किफ़ाया है	492
बाब 44 : अज़ान सुनने वाले के लिये (जमाअत के लिये) मस्जिद में आना ज़रूरी है	498
बाब 45 : जमाअत के लिये हाज़िर होना ही हिदायत की राह है	499
बाब 46 : अज़ान के बाद मस्जिद से निकलकर जाना जाइज़ नहीं	501
बाब 47 : इशा और सुबह की नमाज़ बाजमाअत अदा करने की फ़ज़ीलत	502
बाब 48 : उज़्र की सूरत में नमाज़ से पीछे रह जाने की इजाज़त	504
बाब 49 : नफ़ल नमाज़ बाजमाअत पढ़ाना और पाक चटाई, बोरिये और कपड़े वग़ैरह पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है	509

मज़मून	सफ़ा नं.
बाब 50 : बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत और उसके लिये नमाज़ का इन्तिज़ार करना	513
बाब 51 : मस्जिदों की तरफ़ जाने के लिये ज़्यादा क़दम उठाने की फ़ज़ीलत	516
बाब 52 : मस्जिद में नमाज़ के लिये चलकर आने से गुनाह मिटते हैं और दरजात बुलंद होते हैं	520
बाब 53 : सुबह की नमाज़ के बाद अपनी नमाज़गाह में बैठने की फ़ज़ीलत और मस्जिदों की फ़ज़ीलत	522
बाब 54 : इमामत का हक़दार कौन है	524
बाब 55 : जब मुसलमान किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो तमाम नमाज़ों में दुआए कुनूत पढ़ना बेहतर है	529
बाब 56 : फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ाई और क़ज़ाई में जल्दी करना बेहतर है	538
❁ किताबु सलातिल मुसाफ़िरीन व क़सरिहा (मुसाफ़िरी की नमाज़ और उसके क़स्स का बयान) हदीस नम्बर 1570 से 1731 तक (बक्रिया अहादीस अगली जिल्द में)	553
❁ 6. मुसाफ़िरी की नमाज़ और उसके क़स्स का बयान	554
बाब 1 : सफ़र पर निकलने वालों की नमाज़ और उसका क़स्स करना	554
बाब 2 : मिना में नमाज़ क़स्स पढ़ना	563
बाब 3 : बारिश में घरों में नमाज़ पढ़ना	566
बाब 4 : सफ़र में नफ़ल नमाज़ सवारी पर पढ़ना, चाहे उसका रुख़ किसी भी तरफ़ हो, जाइज़ है	570
बाब 5 : सफ़र में दो नमाज़ें जमा करना जाइज़ है	574
बाब 6 : हज़र में दो नमाज़ें जमा करना	576
बाब 7 : नमाज़ से फ़रागत के बाद दायें और बायें दोनों तरफ़ फिरना जाइज़ है	582
बाब 8 : इमाम की दायें तरफ़ (खड़ा होना) मुस्तहब (पसन्दीदा) है	583
बाब 9 : मुअज़्ज़िन की इक़ामत शुरू कर लेने के बाद नफ़ल नमाज़ का आगाज़ करना दुरुस्त नहीं है वो नफ़ल सुन्नते रातिबा जैसे सुबह और जुहर दूसरी नमाज़ों की सुन्नतें और चाहे मुक्तदी को ये इल्म (यक़ीन) हो कि वो इमाम के साथ (पहली) रक़आत पा लेगा या ये इल्म न हो	584
बाब 10 : मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त कौनसी दुआ पढ़ेगा	588

मजमून	सफ़ा नं.
बाब 11 : दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है और ये रकअतें पढ़े बग़ैर बैठना मक्रूह है और ये शरअन तमाम औक़ात में पढ़ी जा सकती हैं	589
बाब 12 : सफ़र से वापस आने वाले के लिये सफ़र से आते ही मस्जिद में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है	591
बाब 13 : नमाज़े चाशत पसन्दीदा अमल है जो कम से कम दो रकअत, मुकम्मल आठ रकआत और दरम्यानी सूरत चार या छ रकआत हैं और आपने इसकी मुहाफ़िज़त व पाबंदी की तरगीब दी है	593
बाब 14 : फ़र्र की दो सुन्नतों का मुस्तहब होना, उनकी तरगीब देना और उनको मुख्तसर पढ़ना और उनकी पाबंदी करना और उनमें क्या पढ़ना पसन्दीदा है	601
बाब 15 : फ़र्ज़ों से पहले और बाद वाली सुनने रातिबा की फ़ज़ीलत और उनकी तादाद	606
बाब 16 : नफ़ल नमाज़ खड़े होकर और बैठकर पढ़ना और रकअत की कुछ क़िरअत बैठकर और कुछ खड़े होकर करना जाइज़ है	610
बाब 17 : रात की नमाज़ और रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ की रकआत की तादाद और वित्र एक रकअत है और एक रकअत नमाज़ पढ़ना सहीह है	617

इस किताब के कुल 34 बाब और 145 हदीसों हैं



كتاب الطهارة

किताबुत्तहारत
(तहारत का बयान)

हदीस नम्बर 613 से 678 तक

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 19 : दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत (मनाही)

(613) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई पेशाब करते वक़्त अपना ज़कर (अज़्वे तनासुल/लिंग) दाहिने हाथ से न पकड़े और न दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करे और न बर्तन में (पानी पीते वक़्त) साँस ले।'

(सहीह बुखारी : 153, 154, 5630, अबू दाऊद : 15, नसाई, इब्ने माजह : 310)

(614) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई बैतुल ख़ला में दाख़िल हो तो अपना अज़्वे मइसूस (शर्मगाह) अपने दायें हाथ से न छूये (उसको हाथ न लगाये)।'

(615) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया है, 'कोई बर्तन में साँस ले या ये कि अपने ज़कर (लिंग) को अपना दायों हाथ लगाये या ये कि अपने दायें हाथ से इस्तिन्जा करे।'

फ़ायदा: पानी पीते वक़्त साँस बर्तन के अंदर नहीं लेना चाहिये बल्कि बर्तन को मुँह से दूर कर लेना चाहिये।

باب التّهْي عن الإستنجاء،
باليَمِينِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ .

बाब 20 : तहारत व पाकीजगी वगैरह में दायें तरफ़ से आगाज़ करना

(616) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वुजू में जब वुजू फ़रमाते, कंधी करने में जब कंधी करते और जूता पहनने में जब जूता पहनते, दायें तरफ़ से आगाज़ करना पसंद फ़रमाते थे।

(सहीह बुखारी : 168, 446, 5380, 5854, 5926, अबू दाऊद : 4140, तिर्मिज़ी : 608)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अत्तयम्मुनु : दायें तरफ़ से आगाज़ करना, इस काम का ताल्लुक हाथ से हो या पाँव से या किसी जानिब से। (2) तरज्जुल : कंधी करना। (3) इन्तिआल : नअल (जूता, चप्पल) से है जूता पहनना।

(617) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने तमाम कामों में दायें तरफ़ से शुरुआत करना पसंद फ़रमाते थे, अपने जूते पहनने में, अपनी कंधी करने में और अपने वुजू करने में।

फ़ायदा : वो काम जिनका ताल्लुक नज़ाफ़त व तहारत व पाकीजगी से है और उससे हुस्न व निखार या इज़ज़त व शर्फ़ का इज़हार होता है, उनमें आम तौर पर आप दायें तरफ़ से आगाज़ फ़रमाते थे। कुछ जगह आपने बायें तरफ़ से भी आगाज़ फ़रमाया है। जैसाकि जूता पहले बायाँ उतारते, मस्जिद से पहले बायाँ पाँव निकालते, बैतुल ख़ला में पहले बायाँ पाँव दाख़िल फ़रमाते थे।

बाब 21 : रास्ते और साये में क़ज़ाए हाजत से मुमानिअत

(618) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम लानत का बाइस बनने वाले दो कामों से

باب التَّيْمَنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي اتِّعَالِهِ إِذَا اتَّعَلَ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَعَالِيهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ

باب النَّهْيِ عَنِ التَّخْلِيِّ، فِي الطَّرْقِ وَالظَّلَالِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ

बचो।' लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! लानत का सबब बनने वाले दो काम कौनसे हैं? आपने फ़रमाया, 'जो इंसान लोगों की गुज़रगाह या उनके साये में क़ज़ाए हाजत करता है (लोग उसको बुरा-भला कहेंगे)।'

(अबू दाऊद : 25)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اتَّقُوا اللَّعَّاتِينَ " . قَالُوا وَمَا اللَّعَّاتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इत्तकुल्लआनैन : यानी वो काम जो लानत व तअन का बाइस बनते हैं, लोगों को बुरा-भला कहने पर आमादा करते हैं या उसकी दावत देते हैं। यानी आदतन लोग ऐसा काम करने वाले पर लानत भेजते हैं। (2) अत्तखल्ली : क़ज़ाए हाजत करना। तरीकुन्नस : लोगों की गुज़रगाह जिस जगह लोग आयें-जायें। (3) फ़ी ज़िल्लिहिम : उनके साये की जगह, जिस जगह लोग उठते-बैठते हों, ठहरते हों, पड़ाव करते हों, क़ैलूला करते हों (हर सायेदार जगह मुराद नहीं) ।

फ़ायदा : लोग जिस रास्ते पर चलते हों या साये की जिस जगह आराम करने के लिये बैठते हों, अगर कोई गंवार और नादान आदमी वहाँ क़ज़ाए हाजत करेगा तो लोगों को उससे अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचेगी जिसकी वजह से वो उसको बुरा-भला कहेंगे और लानत करेंगे इसलिये इस हरकत से बचना चाहिये। कुछ हदीसों में एक तीसरी जगह मवारिद (पानी की घाट) जहाँ लोग पानी के लिये आते-जाते हों, का ज़िक्र है। मक़सूद ये है कि अगर इंसान को घर से बाहर क़ज़ाए हाजत करना हो तो वो ऐसी जगह बैठे जहाँ लोगों का आना-जाना न हो और लोगों के लिये तकलीफ़ की वजह न बने।

बाब 22 : क़ज़ाए हाजत की सूरत में पानी से इस्तिन्जा करना

(619) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बाग़ में दाख़िल हुए और आपके पीछे एक लड़का भी चला गया, जिसके पास वुजू का बर्तन था और वो हम सबसे छोटा था। तो उसने उसे एक बेरी के दरख़त के पास रख दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ज़ाए हाजत की और पानी से इस्तिन्जा करके हमारे पास तशरीफ़ लाये।

(सहीह बुखारी: 150-152, 217, 500 अबूदाऊद : 43)

باب الإِسْتِنْبَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَاءٌ هُوَ أَصْفَرْنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हाइत : वो बाग़ जिसके गिर्द दीवार हो। (2) मीजात : वुजू करने का बर्तन (वुजू करने का आला)।

(620) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिये ख़ाली जगह जाते तो मैं और मेरे जैसा लड़का पानी का बर्तन और नेज़ा उठाते तो आप पानी से इस्तिन्जा करते।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ،
وَعُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْثَرِيِّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَعِغْلَامٌ نَحْوِي إِذَا وَءَ مِنْ
مَاءٍ وَعَتْرَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अलख़ला : ख़ाली जगह, जहाँ कोई न हो। (2) अनज़ह : डण्डा जिसके नीचे फल लगा हो, नेज़ा।

(621) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिये खुली जगह तशरीफ़ ले जाते और मैं आपके लिये पानी लाता तो आप उससे इस्तिन्जा करते।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -
وَاللَّفْظُ لِرُحَيْبٍ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي
ابْنَ عَلِيَّةَ - حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ
فَأْتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यतबरज़ : बराज़ की खुली जगह, जहाँ इंसान लोगों की नज़रों से ओझल हो सके, यानी क़ज़ाए हाजत के लिये आप आबादी से दूर तशरीफ़ ले जाते थे ताकि इस हालत में आप पर लोगों की नज़र न पड़े। (2) यतग़स्सलु बिही : पानी से इस्तिन्जा की जगह को धोते, मक़सद इस्तिन्जा करना है।

फ़ायदा : क़ज़ाए हाजत के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) नेज़ा साथ रखते थे। ताकि उसको सामने गाड़कर उस पर कपड़ा वगैरह डालकर औट कर ली जाये या उसको देखकर कोई उधर से गुज़रने का क़सद न करे या इससे सख़्त ज़मीन को नर्म कर लिया जाये ताकि छीटि न पड़े या अगर कोई मूज़ी कीड़ा-मकोड़ा सामने आ जाये उससे बचाव किया जा सके या बवक़ते ज़रूरत उसको सुतरह बनाया जा सके।

बाब 23 : मोज़ों पर मसह

(622) हम्माम बयान करते हैं हज़रत जरीर (रज़ि.) ने पेशाब किया, फिर वुजू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया, तो उनसे कहा गया, आप ये काम करते हैं? तो उसने जवाब दिया, हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने पेशाब किया, फिर वुजू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया। इब्नाहीम बयान करते हैं लोगों को ये हदीस बहुत पसंद थी, क्योंकि जरीर (रज़ि.) सूरह माइदा के नाज़िल होने के बाद मुसलमान हुए थे।

(सहीह बुखारी : 387, तिर्मिज़ी : 93, नसाई : 1/82, इब्ने माजह : 843, 3235)

फ़ायदा : मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) सूरह माइदा की आयत से पाँव धोने का हुक्म समझते थे। अगर वो इस आयत से पाँव पर मसह का हुक्म समझते तो उन्हें ये हदीस इतनी ज़्यादा पसंद न होती अगर हज़रत जरीर (रज़ि.) सूरह माइदा के नाज़िल होने से पहले मुसलमान हो चुके होते तो ये एहतिमाल पैदा हो सकता था कि मसह का हुक्म माइदा की आयत से जो धोने पर दलालत करती है मन्सूख हो चुका है। इसलिये तमाम अहले सुन्नत के नज़दीक मोज़ों पर मसह करना जाइज़ है। सिर्फ़ शीया और ख़ारजी इसके मुंकिर हैं। उनके नज़दीक मोज़ों पर मसह नहीं हो सकता। ख़ारजियों के नज़दीक पाँव धोये जायेंगे और शीया के नज़दीक पाँव पर मसह होगा।

(623) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह के शागिदों को ये हदीस बहुत पसंद थी क्योंकि जरीर सूरह माइदा के उतरने के बाद मुसलमान हुए थे।

باب المَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ هَمَّامٍ، قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلْ هَذَا . فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ تَوَلُّوهِ الْمَائِدَةَ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مِجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَمْرٍو أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَسُقْيَانٍ قَالَ فُكَّانُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزْوِلِ الْقَائِلَةِ

(624) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। आप कुछ लोगों के कूड़ा फेंकने की जगह पर पहुँचे और खड़े होकर पेशाब किया। तो मैं दूर हट गया। आपने फ़रमाया, 'क़रीब आ जा।' तो मैं क़रीब होकर आपके पीछे खड़ा हो गया। (फ़रागत के बाद) आपने वुजू किया और मोज़ों पर मसह किया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَرَسَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حَدِيقَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ فَأَتَيْتَا فَنَبَّحْتُمْ فَقَالَ " إِنَّهُ " . فَذَنَبْتُ حَتَّى قُمْتُ هَذَا عَلَيْهِ فَمَرَّضًا فَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ .

(सहीह बुखारी : 225, 224, 226, 2471, अबू दाऊद : 23, तिर्मिज़ी : 13, नसाई : 1/25, इब्ने माजह : 305, 306, 544)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है अगर बैठने के लिये मुनासिब जगह न मिले और पेशाब की ज़रूरत लाहिक हो जाये तो खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। क्योंकि बैठकर पेशाब करना तहज़ीब व शाइस्तगी की अलामत है और इसका ताल्लुक आदाब व अख़लाक से है। इसलिये कभी-कभार, ज़रूरत के तहत ऐसे करना जाइज़ है। आपकी आम आदत दूर जाने की थी और इस बार आप दूर भी तशरीफ़ नहीं ले गये और पदों के लिये हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को अपने पीछे खड़ा किया।

(625) अबू वाइल बयान करते हैं, हज़रत अबू मूसा अश्शरी (रज़ि.) बोल के सिलसिले में तशहूद करते थे और बोटल में बोल करते थे और बयान करते कि बन्नु इस्राईल के किसी आदमी के जिस्म पर पेशाब लग जाता तो वो खाल के इतने हिस्से को कैंची से काट डालता। तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा उस्ताद इस क़द्र सख़्ती इख़ितयार न करे। मैंने

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشْهَدُ فِي الْبُؤُولِ وَيُؤُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيطِ . فَقَالَ حَدِيقَةُ لَوِ دِدْتُ أَنْ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدُّ هَذَا الشَّدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي

आप (ﷺ) को देखा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जा रहा था। आप एक दीवार के पीछे कूड़े के ढेर पर पहुँचे और तुम्हारी तरह जा कर खड़े हो गये और पेशाब करना चाहा। मैं आपसे हट गया। आपने मुझे इशारा फ़रमाया तो मैं ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपके पीछे खड़ा हो गया यहाँ तक कि आप फ़ारिग हो गये।

फ़ायदा : किसी मसले में तशहूद या इन्तिहा पसन्दी मुनासिब नहीं है। इस्लाम में इंसानी ज़रूरतों और मजबूरियों का लिहाज़ रखा गया है। इसलिये कुछ मक़ामात पर आम आदत के खिलाफ़ किसी उज़र को मल्हूज़ रख कर सहूलत और रुख़सत की गुंजाइश रखी गई है और इफ़रात व तफ़रीत से बचते हुए मियाना रवी (दरम्यानी राह) को इख़ितयार किया गया है।

(626) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से परफ़ूअ रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाज़त के लिये गये, मैं पानी का बर्तन लेकर आपके पीछे गया, जब हाज़त से फ़ारिग हुए तो मुगीरह ने पानी डाला और आपने वुज़ू फ़रमाया और अपने मोज़ों पर मसह किया। इब्ने रुमह की रिवायत हुसैन की जगह 'हत्ता फ़राह है।'

(सहीह बुख़ारी : 182, 203, 26, 4421, 5799, अबू दाऊद : 82, इब्ने माजह : 545)

(627) इमाम साहब एक और सनद से बयान करते हैं कि आपने अपना चेहरा और दोनों हाथ धोये और अपने सर का मसह किया, फिर मोज़ों पर मसह किया।

أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ خَلْفِ خَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَأَتْبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى قَرَعُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ سُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ قَرَعَهُ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمَحٍ مَكَانَ حِينَ حَتَّى .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

(628) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से रिवायत है कि इसी अमना में कि मैं एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था, आप उतरे और क़ज़ाए हाजत की। फिर आये तो मैंने उस बर्तन से जो मेरे पास था, आपके आज़ा पर पानी डाला, आपने वुज़ू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया।

(629) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक सफ़र में मैं नबी (ﷺ) के साथ था, तो आपने फ़रमाया, 'ऐ मुगीरह! पानी का बर्तन लो।' मैंने बर्तन ले लिया और आपके साथ निकला। रसूलुल्लाह (ﷺ) चले, यहाँ तक कि मुझसे छिप गये। अपनी ज़रूरत पूरी की, फिर आप वापस आये और आप तंग आस्तीनों वाला शामी जुब्बा पहने हुए थे, तो आप उसकी आस्तीन से अपना हाथ निकालने लगे। वो उससे तंग निकला (हाथ न निकल सका) तो आपने अपने हाथ को नीचे से निकाल लिया, मैंने आपके आज़ा पर पानी डाला, तो आपने नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाया। फिर आपने अपने मोज़ों पर मसह किया, फिर नमाज़ पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 363, 388, 2918, 5798, नसाई : 1/82, इब्ने माज़ह : 389)

(630) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिये निकले तो जब वापस आये, मैं पानी का बर्तन लेकर आपको मिला और आपके आज़ा (वुज़ू के हिस्सों) पर पानी

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِيَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ " يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ " فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيْقَةُ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَصَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضَوَّاهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ، - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى، - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ خَرَجَ

डाला। आपने अपने दोनों हाथ धोये फिर चेहरा धोया। फिर हाथ धोने लगे, तो जुब्बा तंग निकला, तो आपने हाथ जुब्बे के नीचे से निकाल लिये और उनको धोया, सर का मसह किया और अपने मोज़ों पर मसह किया, फिर हमें नमाज़ पढ़ाई।

(631) हज़रत इरवह बिन मुगीरह (रज़ि.) अपने वालिद से बयान करते हैं कि एक रात एक सफ़र में मैं नबी (ﷺ) के साथ था। तो आपने पूछा, क्या तेरे पास पानी है? मैंने कहा, जी हाँ। तो आप अपनी सवारी से उतरे, फिर चल दिये। यहाँ तक कि रात की स्याही में मुझसे छिप गये। फिर वापस आये, तो मैंने बर्तन से पानी आप पर डाला। आपने चेहरा धोया और आप ऊन का जुब्बा पहने हुए थे। आप उससे (तंग होने की वजह से) अपने हाथ न निकाल सके। यहाँ तक कि दोनों हाथों को जुब्बे के नीचे से निकाला और अपने (कोहनियों समेत) हाथ धोये और अपने सर का मसह किया। फिर मैं झुका ताकि आपके मौज़े उतारूँ, तो आपने फ़रमाया, 'इनको छोड़िये, मैंने दोनों पाँव धोने के बाद पहने थे।' और उन पर मसह फ़रमाया।

फ़वाइद : (1) हज़रत मुगीरह बिन शोबा की रिवायत से साबित होता है, बड़ा आदमी छोटे से खिदमत ले सकता है और वो वुजू का पानी भी आज़ाए वुजू पर डाल सकता है। (2) मौज़े उस वक़्त पहनने चाहिये जब वुजू मुकम्मल हो चुका हो, अगर किसी ने दायों पाँव धोने के बाद मौज़ा पहन लिया, फिर बायों पाँव धोया और मौज़ा पहन लिया तो ये काम दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ये काम सहीह है और इस सूत्र में मौज़ों पर मसह करना दुरुस्त होगा। (शरह नववी : 1/134)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَصَاقَتِ الْجَبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ فَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي " أَصَعَكَ مَاءٌ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَتَرَلَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجَبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفَيْهِ فَقَالَ " دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ " . وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

(632) हजरत मुगीरह (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) को वुजू करवाया, आपने वुजू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया। मुगीरह ने मोज़े उतारने का इशारा किया तो आपने फ़रमाया, 'मैंने इनको पाँव धोकर पहना था।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَضَأَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ " إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "

बाब 24 : पेशानी और पगड़ी पर मसह

باب الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

(633) हजरत मुगीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पीछे रह गये और मैं भी आपके साथ पीछे रह गया। तो जब क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हुए पूछा, 'क्या तेरे पास पानी है?' तो मैं आपके पास वुजू करने का बर्तन लाया। आपने अपने दोनों हाथ और चेहरा धोया, फिर दोनों बाहें (कलाइयाँ) खोलने लगे, तो जुब्बे की आस्तीन तंग पड़ गई। आपने अपना हाथ जुब्बे के नीचे से निकाला और जुब्बा कन्धों पर डाल लिया और अपनी दोनों बाहें (कलाइयाँ) धोई और अपनी पेशानी और पगड़ी और मोज़ों पर मसह किया। फिर आप सवार हुए और मैं भी सवार हुआ और हम लोगों के पास इस हाल में पहुँचे कि वो अब्दुरहमान बिन औफ़ की इक़्तिदा में नमाज़ के लिये खड़े हो चुके थे और अब्दुरहमान ने एक रक़अत पढ़ा दी थी। जब उन्होंने नबी (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी को महसूस किया तो पीछे हटने लगे। आपने उसे इशारा किया (नमाज़ पूरी करो) तो

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَرِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ " أَمْعَكَ مَاءً " . فَاتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَالْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ رَكَبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْتُنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। जब सलाम फेरा, नबी (ﷺ) खड़े हो गये और मैं भी खड़ा हो गया और हमने वो रकअत पढ़ी जो हमसे पहले हो चुकी थी।

(अबू दाऊद : 150, तिर्मिज़ी : 100, नसाई : 1/86)

عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ
فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَمَّتْ فَرَكَعَتَا الرَّكْعَةِ الَّتِي سَبَقَتَنَا .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है कि पेशानी पर मसह करने के बाद पगड़ी के ऊपर मसह करना जाइज़ है। पगड़ी को उतारकर सर का मसह करना ज़रूरी नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ अकेली पगड़ी इमाम अहमद और कुछ हज़रात सिर्फ़ पगड़ी पर मसह के जवाज़ के काइल हैं। मगर हदीस की बात मुक़द्दम है। सर के कुछ हिस्से पर मसह करना चाहिये। (शरह नववी : 1/134) (2) नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी चाहिये क्योंकि सहाबा किराम (रज़ि.) ने नमाज़ को अव्वल वक़्त में शुरू कर दिया, आपकी आमद तक इन्तिज़ार नहीं किया। (शरह नववी : 1/134) (3) हज़रत अबू बकर (रज़ि.) नबी (ﷺ) की आमद पर पीछे हट गये थे। क्योंकि उन्होंने अभी नमाज़ का आगाज़ किया था, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान पीछे नहीं हटे क्योंकि वो सुबह की नमाज़ की एक रकअत पढ़ा चुके थे। इसलिये अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ जाये तो इमामे रातिब (रोज़ाना इमामत करने वाले) को नाराज़ नहीं होना चाहिये लेकिन मुक़तदियों को भी जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना चाहिये।

(634) हमें उमय्या बिन बिस्ताम और मुहम्मद बिन अब्दुल आला दोनों ने मुअतमिर के वास्ते से उसके बाप की बक् बिन अब्दुल्लाह से हज़रत मुगीरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मोज़ों, अपने सर के सामने के हिस्से और अपनी पगड़ी पर मसह किया।

(अबू दाऊद : 150, तिर्मिज़ी : 100, नसाई : 1/76)

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى، قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى
عِمَامَتِهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ सर के मसह का आगाज़ सर के सामने वाले हिस्से से किया जायेगा और अगर सर पर पगड़ी भी हो तो सामने के हिस्से के साथ पगड़ी पर मसह किया जायेगा।

(635) हमें मुहम्मद बिन अब्दुल आला ने मुअतमिर के वास्ते से उसके बाप की, बकर से हसन की, मुगीरह के बेटे से उसके बाप की रिवायत ऊपर की रिवायत की तरह बयान की।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

(636) हज़रत मुगीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने वुजू किया और अपनी पेशानी और पगड़ी और मोज़ों पर मसह किया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ .

(637) हज़रत बिलाल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मोज़ों और पगड़ी पर मसह किया। ईसा की हदीस में अन अल्हकम और अन बिलाल की जगह हद्सनी अल्हकम हद्सनी बिलाल है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَاءِ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ . وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ

(तिर्मिज़ी, : 101, नसाई : 1/75, इब्ने माजह : 561)

(638) और यही रिवायत मुझे सुवेद ने अली बिन मुस्हिर के वास्ते से आमश की मज़कूरा बाला सनद के साथ सुनाई, उसमें अन रसूलिल्लाह की बजाय रएतु रसूलुल्लाह (ﷺ) है। (तिर्मिज़ी: 101, नसाई : 1/75, इब्ने माजह : 561)

وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

मुफ़रदातुल हदीस : इस हदीस में पगड़ी के लिये अमामा की जगह ख़िमार (ओढ़नी) का लफ़ज़ आया है। क्योंकि पगड़ी भी ख़िमार की तरह सर को ढांप लेती है। (शरह नववी : 1/135)

**बाब 25 : मोज़ों पर मसह के लिये
मुद्दत की तहदीद**

**باب التَّوَقُّيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ**

(639) शुरैह बिन हानी बयान करते हैं कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास मोज़ों पर मसह के बारे में पूछने की ख़ातिर हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा, अली बिन अबी तालिब के पास जाओ और उनसे पूछो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र किया करते थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसाफ़िर के लिये तीन दिन-रात और मुक्कीम के लिये एक दिन-रात मुकर्रर फ़रमाया। अब्दुरज़ज़ाक़ कहते हैं, सुफ़ियान (सौरी) जब अम्र का तज़्किरा करते तो उनकी तारीफ़ करते।

(नसाई : 1/84, इब्ने माजह : 552)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَائِكِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ يَا بَنَ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلْتَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَيَلِيْلَةً لِلْمُقِيمِ . قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَتَى عَلَيْهِ .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत आइशा (रज़ि.) हज़रत अली (रज़ि.) का नाम लेने या उनका ज़िक्र ख़ैर करने में कोई इन्क़बाज़ महसूस नहीं करती थीं। इसलिये नबी (ﷺ) की मर्जुल मौत में जो दो आदमी आपको मस्जिद में सहारा दे कर ले गये उनमें से एक का नाम लेना और दूसरे का नाम न लेना इस बिना पर नहीं था कि आप उसका नाम लेना पसंद नहीं करती थीं। आगे सराहतन हज़रत अली (रज़ि.) का नाम आ रहा है। (2) इस हदीस से साबित हुआ, मुद्दते मसह (मोज़ों पर) मुसाफ़िर के लिये तीन दिन और तीन रात है और मुक्कीम के लिये एक दिन और एक रात है। हाँ! गुस्ल की सूत में मोज़े उतारने होंगे। इसलिये इमाम मालिक की तरफ़ मन्सूब क़ौल कि मसह के लिये कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, दुरुस्त नहीं है। (3) जब किसी आलिम से कोई मसला पूछा जाये और उससे बेहतर बताने वाला मौजूद हो तो उसे साइल को उससे पूछने के लिये कहना चाहिये।

(640) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) हदीस बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(641) शुरैह बिन हानी बयान करते हैं कि मैंने मोज़ों पर मसह का मसला हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने कहा, अली (रज़ि.) के पास जाओ क्योंकि वो ये मसला मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं अली (रज़ि.) की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मज़क़ूरा बाला मसला नबी (ﷺ) से बयान फ़रमाया।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَتْ أَنْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

बाब 26 : एक वुजू से सब नमाज़ें अदा करना (यानी पाँचों नमाज़ों का जवाज़)

باب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

(642) सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन सब नमाज़ें एक वुजू से पढ़ीं और अपने मोज़ों पर मसह किया, तो हज़रत इमर (रज़ि.) ने आपसे पूछा, आपने आज ऐसा काम किया जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आपने जवाब दिया, 'ऐ इमर! मैंने अम्दन (जान-बूझकर) ये काम किया है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ " عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ " .

(अबू दाऊद : 171, तिर्मिज़ी : 61, नसाई : 1/86, 510, 1928)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ जब तक इंसान बेवुजू न हो तो वो कई फ़राइज़ व नवाफ़िल एक वुजू से ही अदा कर सकता है और ये हदीसे मुबारका इज़ा कुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजू-हकुम आयत के मुनाफ़ी नहीं है। क्योंकि आयते मुबारका का मानी ये है अगर तुम्हारा वुजू न हो और तुम नमाज़ के लिये उठो तो वुजू कर लो। ताहम दूसरी रिवायात से मालूम होता है वुजू की मौजूदगी में वुजू कर लेना, नूर अला नूर है। क्योंकि आप आम तौर पर हर नमाज़ के लिये वुजू करते थे और आयत का ज़ाहिरी तक्राज़ा यही है। (शहीह नववी : 1/135)

बाब 27 : वुजू करने वाले या दूसरे इंसान के लिये जाइज़ नहीं है कि वो अपने हाथ को, जबकि उसके पलीद होने का शुब्हा हो, तीन बार धोये बगैर बर्तन में डाले

(643) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नींद से बेदार हो तो अपना हाथ उस वक़्त तक बर्तन में न डाले जब तक उसे तीन बार धो न ले क्योंकि पता नहीं है उसके हाथ ने कहीं रात गुज़ारी है।'

(644) इमाम साहब मज़कूरा बाला रिवायत अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं।

(अबू दाऊद : 103)

(645) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से अबू हुरैरह (रज़ि.) जैसी रिवायत बयान करते हैं।

باب كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ
يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي
الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ
عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ،
عَنْ خَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالَا
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي
حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَفِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّافِدِ،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنِيهِ
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، كِلَاهُمَا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(646) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई बेदार हो तो वो अपने हाथ पर तीन बार पानी डाले, पेश्तर इससे कि वो अपना हाथ अपने बर्तन में डाले। क्योंकि वो नहीं जानता उसके हाथ ने किस हालत में रात गुज़ारी।'

(647) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं, सब की रिवायत में है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से मज़कूरा बाला हदीस बयान की। सबने कहा, यहाँ तक कि हाथ को धोये, उनमें से किसी ने भी सलासा (तीन बार) का तज़िकरा नहीं किया, लेकिन जो रिवायत हम पहले जाबिर, इब्ने मुसय्यब, अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन शक्रीक, अबू सालेह और अबू रज़ीन से बयान कर चुके हैं। उन सबकी हदीस में तीन बार का ज़िक्र मौजूद है।

وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ فِي إِيَّاهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْجَزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْخُلَوَانِيُّ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي رَوَاتِبِهِمْ خَمْعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا . وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا . إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رَوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي

سَلْمَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي
رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ .

फायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि अगर इंसान सो कर उठे तो उसे पानी के बर्तन में हाथ नहीं डालना चाहिये जबकि उसे ये अन्देशा हो कि मेरा हाथ ऐसी जगह लग सकता है जहाँ हाथ लगने को इंसान तबई तौर पर अच्छा नहीं समझता और अगर किसी जगह हकीकत नजासत लगी हो, उसको तो हर सूत में तीन बार धोना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह सिर्फ अन्देशा और खतरे की बिना पर हाथ को तीन बार धोने का हुकम दिया गया है। हालांकि अगर इंसान ने पानी से इस्तिन्जा किया है तो अच्चे मखसूस पर कोई ज़ाहिरी नजासत नहीं लगी होती और ढेले से सफ़ाई की सूत में भी, नजासत का जिर्म या मवाद बाक़ी नहीं रहता, उसके बावजूद हाथ को तीन बार धोना चाहिये और इस हदीस को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि वो बर्तन क़लील पानी वाला हो या क़सीर पानी वाला, बल्कि उसमें सोकर उठने के बाद पानी के इस्तेमाल के लिये एक अदब व तहज़ीब की राह बतलाई गई है।

बाब 28 : कुत्ते के बर्तन में मुँह डालने का हुक्म

باب حُكْمِ وُلُوعِ الْكَلْبِ

(648) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह डालकर पी ले तो उस चीज़ को बहा दो फिर बर्तन को सात बार धो लो।'

(नसाई : 1/53, इब्ने माजह : 363, 14607)

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बलग़ल कल्बुल इनाअ या फ़िल्इनाइ : कुत्ते का बर्तन में मुँह डालकर चपड़-चपड़ करके पानी पीना। (2) फ़ल्युरिक्हु : उसको बहा दे, उसको गिरा दे। इहराकुल माइ : पानी गिरा देना।

(649) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़क़ूरा रिवायत बयान की। फ़ल्युरिक्हु अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرْفُهُ .

(650) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब कुत्ता तुममें से किसी के बर्तन से पी ले तो वो उसे सात बार धोये।'

(सहीह बुखारी : 172, नसाई : 1/52, इब्ने माजह : 364)

(651) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी एक के बर्तन की तहारत जब उसमें कुत्ता मुँह डाल दे ये कि वो उसे सात बार धोये, शुरू मिट्टी से करे।'

(652) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी एक के बर्तन की पाकीज़गी, जबकि उसमें कुत्ता मुँह डाल दे ये है कि वो उसे सात बार धोये।'

(653) हज़रत इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया। फिर फ़रमाया, 'उनका कुत्तों से क्या रब्त व ताल्लुक? फिर शिकारी कुत्ते और बकरियों के लिये कुत्ते की रुख़सत दी और फ़रमाया, 'जब कुत्ता बर्तन में

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا شَرَبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَهُّورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَهُّورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُعْقَلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَيَأْتِ الْكِلَابِ " : ثُمَّ رَخَّصَ

मुँह डाल दे तो उसे सात मर्तबा धोओ और आठवीं बार मिट्टी से साफ़ करो।'

(अबू दाऊद : 73, नसाई : 1/54, 1/177, इब्ने माजह : 365, 3200-3201)

(654) इमाम साहब मज़कूरा बाला रिवायत (ऊपर वाली) अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं। यहया बिन सईद की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि आपने बकरियों की हिफ़ाज़त, शिकार और खेती की रखवाली के लिये कुत्ता रखने की इजाज़त दी। यहया के सिवा ज़रअ (खेती) का ज़िक्र किसी ने नहीं किया।

فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقَرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ . "

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزُّبَاةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ يَحْيَى .

फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि अगर कुत्ता बर्तन में मुँह डालकर कोई चीज़ चाट ले, पी ले तो उसको गिरा दिया जायेगा, बर्तन को पहली बार मिट्टी से मांझा जायेगा और फिर सात बार पानी से धोया जायेगा।

अफ़िफ़रूहुस्सामिनता बितुराब का मक़सद है कि मिट्टी से सफ़ाई को शुमार करने से तादाद आठ बार हो जायेगी। ये मक़सद नहीं है कि पहले सात बार पानी से धोकर आठवीं बार मिट्टी इस्तेमाल करो। क्योंकि इस तरह तो बर्तन को बाद में फिर पानी से धोना होगा और तादाद आठ से बढ़ जायेगी और ये मानी ऊलाहुन्न बितुराब कि आगाज़ मिट्टी से करो के भी मुनाफ़ी होगा और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक बर्तन सात बार धोना ज़रूरी है और ये हुक्म सिर्फ़ कुत्ते के झूठे के लिये है क्योंकि उसके जरासीम, इन्तिहाई मुहलिक (जानलेवा) होते हैं। सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा तीन बार धोने को ज़रूरी करार देते हैं और इसके लिये हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के अमल को दलील बनाते हैं हालांकि मरफूअ रिवायत की मौजूदगी में किसी सहाबी का अमल दलील नहीं बन सकता। नीज़ हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सात बार धोने का हुक्म भी साबित है, लिहाज़ा उनका वही फ़ैअल व क़ौल राजेह होगा जो उनकी मरफूअ रिवायत के मुताबिक़ है और कुत्ता जुम्हूर के नज़दीक नजिस है। इसलिये उसका झूठा नापाक है। लोगों की सहूलत और आसानी के लिये हाजतमन्द लोगों को कुत्ता रखने की इजाज़त देने का ये मतलब नहीं है कि वो पाक है। जैसाकि इमाम मालिक (रह.) से एक क़ौल तहारत का नक़ल किया जाता है कि सात बार धोने का

हुकम तअब्बुदी है। जिसकी हिक्मत हमारी समझ से बाला है। वैसे कुत्ता नापाक है लेकिन कुछ मालिकिया कुत्ते को नजिसुल ऐन करार देते हैं।

बाब 29 : ठहरे हुए पानी में पेशाब करने की मुमानिअत (मनाही)

(655) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है।

(नसाई : 1/34, इब्ने माजह : 343)

(656) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम में से कोई हर्गिज़ ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे कि फिर उसमें नहाने लगे।'

(657) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'साकिन पानी जो चलता नहीं है, में पेशाब न करो कि फिर उससे नहाने लगे।'

(तिर्मिज़ी : 68)

باب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَبَلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ " .

फ़ायदा : ऊपर की हदीसों से साबित होता है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिये। आपने ठहरे हुए पानी के लिये क़लील या क़सीर मिक्दार (कम या ज़्यादा मात्रा) बयान नहीं फ़रमाई। बिला क़ैद फ़रमाया है कि साकिन (ठहरे हुए) पानी में पेशाब न करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहते पानी में पेशाब कर लिया करो। चूँकि आम तौर पर ये सूते हाल ठहरे हुए पानी के सिलसिले में पेश आती है इसलिये आपने इसकी तसरीह फ़रमा दी है। इस तरह पेशाब बर्तन में करने के बाद उसमें

डालना या फेंक देना भी मकसद और रूहे शरीअत के मुनाफ़ी है। इसलिये ये बात इन्तिहाई हैरानकुन है जो दाऊद ज़ाहिरी की तरफ़ मन्सूब की जाती है कि मुमानिअत पेशाब करने से खास है पाख़ाना करना या बर्तन में पेशाब करके खड़े पानी में फेंक देना मना नहीं है। (शरह नववी : 1/138)

इस हदीस का ताल्लुक भी आदाब व अख़लाक़ से है उसके तहत पानी के क़लील व क़सीर (कम और ज़्यादा) होने की बहस छेड़ना, हदीस के असल मक़सद के मुनाफ़ी है। इसलिये ठहरा हुआ पानी क़लील हो या क़सीर, दोनों सूरतों में इसमें पेशाब व पाख़ाना नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस पानी से उसको नहाने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। फिर कहाँ से नहायेगा।

इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, उसमें पेशाब करना हर सूरत में मना है, नहाना हो या न। (शरह नववी : 1/138) मक़सद तो ये है कि पानी में पेशाब करना आदाब व अख़लाक़ के मुनाफ़ी है। राकिद ठहरे हुए की तख़सीस तो सिर्फ़ इसलिये कर दी कि अगर नहाने की ज़रूरत पेश आ जाये तो फिर इंसान उससे कराहत व नफ़रत महसूस करेगा। इसलिये इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, 'बिल्इत्तिफ़ाक़ नहर के क़रीब पेशाब करना जबकि पेशाब उसमें जा सकता हो मम्नूअ और नापसन्दीदा है।' (शरह नववी : 1/138)

बाब 30 : ठहरे पानी में गुस्ल करने की मुमानिअत

(658) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई साकिन ठहरे हुए पानी में न नहाये जबकि वो जुनुबी हो।' अबू साइब ने पूछा, ऐ अबू हुरैरह! वो कैसे नहाये? तो उन्होंने जवाब दिया, पानी लेकर बाहर बैठकर नहाये।

(नसाई : 1/124, इब्ने माजह : 605)

باب النّهي عن الإغتسالِ، في الماءِ الرّاكِدِ

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ،
وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، -
قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - أَخْبَرَنِي عَمْرُو
بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ، أَنَّ أَبَا
السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ،
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ " . فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

फ़ायदा : इस हदीस का ताल्लुक भी आदाब व अख़लाक़ से है कि ये बात तहज़ीब व शाइस्तगी जिसकी इस्लाम तालीम देता है के मुनाफ़ी है कि इंसान ठहरे हुए पानी के अंदर बैठकर गुस्ले जनाबत करे। इंसान को इस गर्ज़ के लिये किसी बर्तन में अलग पानी लेकर नहाना चाहिये या अगर बर्तन न हो तो इस तरह पानी इस्तेमाल करना चाहिये कि वो दोबारा उसी पानी में शामिल न हो जाये। ज़ाहिर है थोड़े पानी के अंदर बैठकर कोई नहीं नहायेगा। पानी ज़्यादा होगा तो वो ऐसे नहायेगा। इसलिये हदीस में क़लील व क़सीर की क़ैद नहीं लगाई गई और पानी की क़लील व क़सीर तादाद के बारे में शवाफ़िअ और अहनाफ़ में बहुत इख़ितलाफ़ है। शवाफ़िअ ने एक सहीह हदीस की बुनियाद पर दो बड़े मटकों से कम पानी को क़लील करार दिया है और ज़्यादा को क़सीर। अहनाफ़ के पास चूंकि इस मसले के बारे में सहीह और सरीह रिवायत नहीं है। इसलिये उनका एक मिक्दर पर इत्तिफ़ाक़ नहीं है। हनाबिला का मौक़िफ़ इमाम शाफ़ेई वाला है। इमाम मालिक के नज़दीक क़लील व क़सीर मिक्दर का ऐतबार नहीं है। औसाफ़े सलासा (रंग, बू और ज़ायका) में से किसी एक के बदलने की सूत में (नजासत के गिरने की सूत में) पानी नजिस होगा, वरना पलीद नहीं। मुहद्दिसीन, शवाफ़िअ या इमाम मालिक के मौक़िफ़ को तरज़ीह देते हैं।

बाब 31 : मस्जिद में पेशाब या कोई और नजासत पड़ी हो तो उसका धोना ज़रूरी है और ज़मीन पानी से पाक हो जाती है उसके खोदने की ज़रूरत नहीं है

بَابُ وَجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

(659) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी तरफ़ उठकर चले (ताकि उसको रोक दें) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे छोड़ो, उसका पेशाब दरम्यान में मत रोक़ो।' जब वो फ़ारिग़ हो गया तो आपने पानी का डोल मँगवाया और उसे उस पर डाल दिया।

(सहीह बुखारी : 6025, नसाई : 1/47, 528)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَعُوهُ وَلَا تَزْرِمُوهُ " . قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : ला तुज़्ज़िमूहु : ज़रम और इज़राम का असल मानी काटना, क़तअ करना है। यहाँ मक़सद है पेशाब दरम्यान में क़तअ न करो, उसे कर लेने दो।

(660) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहाती मस्जिद के एक कोने में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। उस पर लोग चिल्लाये (उसको आवाज़ दी) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे छोड़ो।' जब वो फ़ारिग हुआ तो आपने उसके बोल पर पानी से भरे हुए डोल के डालने का हुक्म दिया।'

(सहीह बुखारी : 221, नसाई : 1/48)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَزِيِّ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبِرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعُوهُ " . فَلَمَّا فَرَعَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُنُوبٍ فَضَبَّ عَلَى بَوْلِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) साह बिही : उसको आवाज़ दी, पुकारा या डांटा। (2) सबबल माअ : पानी गिराया या डाला।

(661) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे हुए थे इस दौरान अचानक एक देहाती आया और उसने खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथियों ने कहा, रुक जा! रुक जा! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसका पेशाब दरम्यान में मत काटो, उसे छोड़ो।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने पेशाब कर लिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बुलाया और फ़रमाया, 'ये

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، - وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ " . فَتَرَكَوهُ

मसाजिद पेशाब या किसी और गन्दगी के लिये मुनासिब नहीं, ये तो बस अल्लाह तआला के ज़िक्र, नमाज़, तिलावते कुरआन के लिये हैं।' या ऐसे ही अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाये, फिर आपने सहाबा में से एक आदमी को हुक्म दिया वो पानी का डोल लाया और उसे उस पर बहा दिया।

حَتَّى بَالَ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ " . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

फ़वाइद : (1) हदीस से मालूम हुआ आदमी का बोल (पेशाब) पलीद (नापाक) है और अगर मस्जिद नापाक हो जाये तो उसे फ़ौरन धोकर पाक कर लेना चाहिये। (2) नावाकिफ़ और जाहिल के साथ नर्म खैया इख्तियार करना चाहिये, नीज़ दो ख़राबियों में से एक को इख्तियार करते वक़्त कम दर्जे वाली ख़राबी को कुबूल करना चाहिये। (3) ज़मीन पर अगर नजासत पड़ी हो तो उसके इज़ाले (ख़त्म करने) के लिये उस पर पानी बहाना काफ़ी है, ज़मीन को खोदने की ज़रूरत नहीं है। (4) दूसरी हदीस से मालूम हुआ जाहिल को मसला नमी और प्यार से समझा देना चाहिये। (5) मसाजिद बनाने का असल मक़सद अल्लाह का ज़िक्र, नमाज़, वअज़ व नसीहत, दीन की तालीम और तिलावते कुरआन है और उनको हर उस काम से बचाना चाहिये जो मसाजिद की अज़मत व तक्दुस के मुनाफ़ी है।

बाब 32 : शीरख़वार (दूध पीते) बच्चे के बोल (पेशाब) का हुक्म और उसको धोने की कैफ़ियत

باب حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

(662) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बच्चों को लाया जाता था। आप उनके लिये बरकत की दुआ फ़रमाते और उनको घुट्टी देते, आपके पास एक बच्चा लाया गया। उसने आप पर पेशाब कर दिया, तो आपने पानी मँगवाया और उसके बोल (पेशाब) पर डाल दिया और उसे धोया नहीं।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأَتَيْتُ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) युबरिकु अलैहिम : उनके लिये दुआ करते और उन पर हाथ फेरते, बरकत का असल मानी कसरत और बढ़ोतरी है। (2) युहन्निकुहुम : तहनीक का मानी होता है खजूर वगैरह चबाकर बच्चे के मुँह में तालू पर मल देना। (शरह नववी : 1/139)

फ़ायदा : बच्चे की पैदाइश पर किसी अच्छे और नेक इंसान से घुट्टी दिलवानी चाहिये और उससे उसके लिये दुआ करवानी चाहिये। अच्छे और नेक लोगों को भी तवाज़ोअ व इन्किसारी से काम लेते हुए बच्चों के साथ मुहब्बत व प्यार करते हुए उनको ख़ैर व बरकत की दुआ देने में हिजाब महसूस नहीं करना चाहिये और बच्चे को घुट्टी देनी चाहिये। बच्चे के पेशाब का हुक्म आगे बयान होगा।

(663) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में एक शीरख़वार बच्चा लाया गया, उसने आपकी गोद में पेशाब कर दिया। आपने पानी मँगवाकर उसे उस पर डाल दिया।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यरज़ज़ : दूध पीता बच्चा। (2) हिज्र : गोद, झोली।

(664) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

(665) हज़रत उम्मे कैस बिनते मिहसन (रज़ि.) बयान करती हैं कि वो अपने बच्चे को जिसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया था, लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उसे आपकी गोद में रख दिया। यानी बिठा दिया, उसने पेशाब कर दिया, आपने पानी छिड़कने से ज़्यादा कुछ नहीं किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ - قَالَ - فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَعَ بِالْمَاءِ .

(सहीह बुख़ारी : 223, अबू दारूद : 374, तिर्मिज़ी : 71, इब्ने माज़ह : 522)

मुफ़रदातुल हदीस : नज़ह बिल्माइ : पानी के छीटे मारे, पानी छिड़का। कहते हैं, नज़हल बैत बिल्माअ घर में पानी छिड़का।

(666) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि आपने पानी मँगवाया और उसे छिड़का (यानी नज़ह की जगह रश्श का लफ़्ज़ है)।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : रश्शाल माअ : पानी छिड़का, पानी बिखेरा, आसमान फुवार बरसाये तो कहते हैं रश्शस्समाअ और यही मानी सन्नल माअ के हैं।

(667) हज़रत उम्मे क़ैस बिनते मिहसन (रज़ि.) (जो सबसे पहले हिज्रत करने वाली उन औरतों में से है जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की थी और ये इक्काशा इब्ने मिहसन जो बनू असद बिन ख़ुज़ैमा के एक फ़र्द हैं, की बहन हैं) बयान करती हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में अपना वो बेटा लेकर हाज़िर हुई जो अभी खाना खाने की उम्र को नहीं पहुँचा था। उबैदुल्लाह कहते हैं, उसने मुझे बताया मेरे उस बेटे ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की गोद में बोल (पेशाब) कर दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पानी मँगवाया और उसे अपने कपड़े पर छिड़क दिया और उसे अच्छी तरह धोया नहीं।

وَحَدَّثَنِيهِ حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّائِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِخْصَنٍ أَخْدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ حُرَيْمَةَ - قَالَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ - قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ - أَخْبَرْتَنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا .

फ़वाइद : (1) इन अहादीस में सिर्फ़ उन शीरख़वार (दूध पीते) बच्चों के पेशाब का ज़िक्र है जो खाना नहीं खाते, बच्चियों और उन बच्चों के पेशाब का ज़िक्र नहीं जो खाना खाते हैं। (2) इन अहादीस से मालूम होता है कि आपने शीरख़वार बच्चा जो खाना नहीं खाता था, के पेशाब पर छींटे मारे हैं, उसको अच्छी तरह धोया नहीं है। लिहाज़ा ऐसे बच्चे के पेशाब पर जब वो किसी कपड़े पर कर दे, पानी छिड़क देना काफ़ी है। आम नजासत की तरह धोने की ज़रूरत नहीं है। शीरख़वार बच्चों के सिलसिले में अइम्मा का मौक़िफ़ मुन्दरजा ज़ैल है :

1. शीरख्वार बच्चा हो या बच्ची दोनों के पेशाब को धोना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा और मालिकिया का यही नज़रिया है।
2. शीरख्वार बच्चा हो या बच्ची दोनों के पेशाब पर छीटे मारना काफ़ी है। इमाम औज़ाई की राय यही है और इमाम शाफ़ेई और इमाम मालिक का एक क़ौल भी यही है।
3. शीरख्वार बच्चे के बोल पर पानी छिड़कना काफ़ी है और शीरख्वार बच्चे के बोल को धोना पड़ेगा। इमाम अहमद, इस्हाक़ और इमाम शाफ़ेई का मशहूर क़ौल यही है और शाफ़ेई इस क़ौल को इख़्तियार करते हैं। मज़क़ूर बाला हदीस से इसकी ताईद होती है।

अगर शीरख्वार बच्चा रोटी खाने लगे तो फिर बिल्इत्तिफ़ाक़ उसके बोल को धोना होगा।
(सहीह मुस्लिम मअ नववी, जिल्द 1, पेज नम्बर 139)

बाब 33 : मनी का हुक्म

(668) अल्क़मा और अस्वद बयान करते हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ एक मेहमान ठहरा। सुबह वो अपना कपड़ा धो रहा था, तो आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'तेरे लिये काफ़ी था कि अगर तूने उसे देखा था तो उसकी जगह को धो देता और अगर तूने उसे नहीं देखा, तो उसके इर्द-गिर्द पानी छिड़क देता। मैंने अपने आपको इस हाल में देखा कि मनी रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से अच्छी तरह खुरच देती (क्योंकि वो खुश्क हो चुकी थी) फिर आप उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे।'

मुफ़रदातुल हदीस : अप्फ़ुकुह फ़रका : मैं उसको खुरच देती। कहा जाता है, फ़रक़शाय अनिस्सौब का मानी होता है, किसी चीज़ को रगड़ या खुरच से ज़ाइल (ख़त्म) कर देना और ये तभी मुम्किन है जब वो चीज़ एक जगह जमी हो।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ अगर मनी कपड़े पर लग जाये तो सारे कपड़े को धोना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ उतनी जगह धो डालना जहाँ मनी लगी हो काफ़ी है। अगर मनी नज़र न आये, सिर्फ़ शक पड़ जाये तो कपड़े पर छीटे मार देना ही काफ़ी है।

باب حُكْمِ الْمَنِيِّ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مَعَشَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا، نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْرِتُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُكًا فَيُصَلِّي فِيهِ .

(669) हज़रत आइशा (रज़ि.) मनी के बारे में हदीस बयान करती हैं कि मैं उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से खुरच देती थी।

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(670) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं और सब हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से मनी खुरचने की रिवायत सबसे पहली रिवायत की तरह बयान करते हैं।

(नसाई: 1/157, इब्ने माजह : 539, 15976, 16004)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ، ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ .

(671) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(अबू दाऊद: 371, नसाई : 1/156, इब्ने माजह : 537)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(672) अम्र बिन मैमून (रह.) का क़ौल है कि मैंने सुलैमान बिन यसार से इंसान के कपड़े को लग जाने वाली मनी के बारे में पूछा

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَأَلْتُ

कि क्या इंसान उसको धोयेगा या कपड़े को धोयेगा? तो उसने कहा, मुझे आइशा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मनी धुलवाते। फिर उस कपड़े में नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते और मुझे उसमें धोने का निशान नज़र आ रहा होता।

(सहीह बुखारी: 229-230, 231-232, अबू दाऊद: 373, तिर्मिज़ी :117, नसाई:1/171, इब्ने माजह: 536, 16135)

(673) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से रिवायत करते हैं। इब्ने अबी ज़ाइद कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मनी धोते थे लेकिन इब्ने मुबारक और अब्दुल वाहिद की हदीस में है। आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, मैं उसे नबी (ﷺ) के कपड़े से धोती थी।

(674) अब्दुल्लाह बिन शिहाब ख़ौलानी (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) का मेहमान था। मुझे अपने कपड़ों में एहतिलाम आ गया, तो मैंने अपने दोनों कपड़े पानी में डुबो दिये। मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) की एक कनीज़ (लौण्डी) ने देख लिया और उन्हें बता दिया। तो आइशा (रज़ि.) ने मेरी तरफ़ पैग़ाम भेजा और फ़रमाया, 'तुझे अपने कपड़ों के साथ ये

سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ، يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، كُلُّهُمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْخَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عُرْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي فَغَسَسْتُهَا فِي الْمَاءِ فَرَأَيْتَنِي جَارِيَةً لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرْتَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ

मामला करने पर किस बात ने उभारा? मैंने जवाब दिया, मैंने नींद में वो चीज़ देखी जो सोने वाला अपनी नींद में देखता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें उनमें कुछ नज़र आया? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने फ़रमाया, अगर तुम कुछ देखते तो उसे धो लेते, मैंने अपने आपको इस हाल में पाया कि मैं उसे ख़ुश्क होने की सूत में अपने नाखून से रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से खुरच देती थी।

फ़ायदा : इन अहादीस से साबित होता है अगर मनी गीली (तर) हो तो उसे धो दिया जायेगा और अगर ख़ुश्क हो तो सिर्फ़ खुरच देना ही काफ़ी है, धोना ज़रूरी नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही नज़रिया है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक मनी ख़ुश्क हो या तर हर सूत में उसे धोया जायेगा। लेकिन मनी की तहारत या नजासत के बारे में अइम्मा में इख़ितलाफ़ है। हज़रत अली, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास (रज़ि.), हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.), हज़रत आइशा (रज़ि.), इमाम शाफ़ेई (रह.), इमाम अहमद (रह.) से सहीतर रिवायत की रू से मनी पाक है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक पलीद है। (शरह नववी : 1/140) जाहिर है ये सिर्फ़ एक इल्मी और फ़िक़्री बहस है, वरना इसके तर होने की सूत में इसके धोने में कोई इख़ितलाफ़ नहीं और इंसान तबई तौर पर इंसानी फुज़लात अगर कपड़े को लगे हों तो उनसे कराहत महसूस करता है। वो नाक की बीनी और थूक हो या खून और मनी।

तम्बीह : रसूलुल्लाह (ﷺ) बशर थे। अगरचे अफ़ज़लुल बशर और सय्यिदुल बशर थे और आप भी इंसानी हाजतों और ज़रूरतों के इस तरह मोहताज थे जिस तरह दूसरे इंसान। आप खाते-पीते थे, सोते-जागते थे, पेशाब और पाख़ाना करते थे। आपके जिस्म में भी दूसरे इंसानों की तरह खून गर्दिश करता था और आपके लिये भी इन सब चीज़ों के अहकाम दूसरे इंसानों जैसे थे। आप अगर पेशाब, पाख़ाना करते थे तो दूसरों की तरह इस्तिन्जा करते और वुजू फ़रमाते। अज़्वाजे मुतहहरात के पास जाने की सूत में गुस्ल फ़रमाते। आपके जिस्म को खून लग जाता तो उसे धोते। अगर आपके ये सब फुज़लात पाक थे और ये आपका ख़ास्सह है तो इन चीज़ों के अहकाम आपके लिये अलग क्यों नहीं थे? अहनाफ़ के उसूल के मुताबिक़ कसीरुल वुकूअ मामलात के लिये ख़बरे वाहिद हुज्जत नहीं है। ऐसे मामले के लिये हदीसे मुतवातिर या मशहूर होना ज़रूरी है, इसकी बिना पर उन्होंने सहीह अहादीस को भी नज़र

عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا
يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ . قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا
شَيْئًا . قُلْتُ لَا . قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ
لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لِأَحْكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفْرِي .

अन्दाज़ कर दिया है और बहाना ये पेश किया है कि ये आम उसूल और ज़ाबते के खिलाफ़ है। फुज़लात के एख़राज की तो इंसान को आम तौर पर ज़रूरत लाहिक़ होती है और आप हमेशा खाते-पीते और पेशाब व पाख़ाना करते थे। बीवियों के पास जाते थे। अगर आपके ये फुज़लात पाक थे तो फिर ये चीज़ आम उसूल और ज़ाबते के खिलाफ़ है। इसके लिये हनफ़ी उसूल के मुताबिक़ ख़बरे मुतवातिर या ख़बरे मशहूर की ज़रूरत है। नबी (ﷺ) के फुज़लात, मुतबरक़ और पाक थे, तो आप उनसे छिपकर क्यों फ़रागत हासिल करते थे। लोगों को उनसे फ़ायदा उठाने देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके इस्तेमाल से दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद हासिल होते।

कितनी हैरानक़ुन बात है कि आपके पेशाब की बरक़त से आपके घर के कुंआँ का पानी, मदीना के तमाम कुंआँ से शीरीं था, लेकिन आप पानी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के बाग़ से पीते थे और हज़रत इस्मान (रज़ि.) को मुहासिरा के दरम्यान वहाँ से पानी मुयस्सर न आ सका और अब वो कुंआँ कहाँ गया और आपको मुसलमानों के लिये मीठा कुंआँ ख़रीदने की क्यों ज़रूरत पेश आई।

बाब 34 : ख़ून की नजासत और उसके धोने की कैफ़ियत

باب نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

(675) हज़रत असमा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत नबी (ﷺ) के पास आई और पूछा, हममें से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाता है तो वो उसके बारे में क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे खुरच डाले, फिर पानी डालकर उसे (रगड़े) फिर उस पर पानी बहा दे (धो ले) फिर उसमें नमाज़ पढ़ ले।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ " تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " .

(सहीह बुखारी : 227, 307, अबू दाऊद : 361-362, तिर्मिज़ी : 138, नसाई : 1/155, इब्ने माजह : 629)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) तहुत्तुह : उसको खुरच डाले। (2) तव्ररुसुहू : उसको उंगलियों से मले, रगड़े, साथ-साथ पानी डाले ताकि उसका जर्म और मादा ज़ाइल (ख़त्म) हो जाये।

(676) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

फ़ायदा : हैज़ का खून पलीद (नापाक) है और उसका धोना और साफ करना ज़रूरी है और नजिस चीज़ को पानी से धोया जायेगा। उसके लिये गिनती (अदद) शर्त नहीं है। नजिस चीज़ का इज़ाला और सफ़ाई ज़रूरी है।

बाब 35 : बोल (पेशाब) के नजिस होने की दलील और उससे बचाव और तहफ़फ़ुज़ का ज़रूरी होना

**باب الدليل على نجاسة البول
ووجوب الاستبراء منه**

(677) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का दो क़ब्रों पर गुज़र हुआ, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! इन दोनों को अज़ाब हो रहा है ओर किसी ऐसी चीज़ की बिना पर अज़ाब नहीं हो रहा जिससे बचना दुश्वार हो रहा, उनमें से एक तो वो लगाई-बझाई (चुगली) करता था और दूसरा तो वो अपने बोल से नहीं बचता था।' तो आप (ﷺ) ने एक ताज़ा खजूर की छड़ी मँगवाई और उसको चीर कर दो कर दिया। फिर एक, एक क़ब्र पर गाड़ दिया और दूसरा, दूसरी क़ब्र पर। फिर आपने फ़रमाया, 'उम्मीद है जब तक ये दो टहनियाँ सूखेंगी नहीं, उनका अज़ाब हल्का रहेगा।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَخَذَهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " . قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِأَنْثَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُتَا " .

(सहीह बुखारी : 218, 1361, 1378, 6052, अबू दाऊद : 20, तिर्मिज़ी:70, नसाई : 1/20-28, 1/106, इब्ने माजह : 347)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़ी कबीर : उस गुनाह का छोड़ना मुश्किल या दुश्वार नहीं था या उनके गुमान में वो बड़ा गुनाह न था। वो कबीर तो था लेकिन अकबरुल कबाइर में से न था। (शरह नववी : 1/141) क़ाज़ी अयाज़ ने यही तावील की है। (2) नमीमह : लोगों के दरम्यान फ़साद व बिगाड़ पैदा करने के लिये उनकी बातें एक-दूसरे तक पहुँचाना, यानी चुगली करता-फिरना। (3) ला यस्तनिरु : अगली रिवायत में है। ला यस्तन्ज़िहू : मानी है बचना, परहेज़ करना अपने जिस्म और कपड़ों को अपने बोल (पेशाब) से महफूज़ रखने की कोशिश करना। (4) असीब : खजूर की शाख़। (5) रत्ब : तर।

(678) इमाम साहब एक और सनद से बयान करते हैं जिसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि दूसरा ला यस्तन्ज़िहू अनिल बौल औ मिनल बौल, बौल से एहतियात और परहेज़ नहीं करता था। पहली हदीस में ला यस्तनिरु मिम्बोलिही का लफ़ज़ है।

حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ سَلِيمَانَ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَكَانَ الْآخِرَ لَا يَسْتَتِرُهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ " .

फ़ायदा : (1) चुगली खाना और अपने पेशाब के छोटों से अपने आपको बचाने की कोशिश न करना, ऐसा जुर्म है जो इंसान के लिये अज़ाबे क़ब्र का बाइस बनेगा। इसलिये हमें पेशाब वगैरह नजासत से अपने जिस्म और कपड़ों को महफूज़ रखने की पूरी कोशिश और फ़िक्र करनी चाहिये और चुगलखोरी की आदत से बाज़ रहने का एहतियाम करना चाहिये। (2) खजूर की तर शाख़ की तस्बीह को मदारे तख़फ़ीफ़े अज़ाब बनाकर, कुछ हज़रत ने क़ब्र के पास कुरआन मजीद की तिलावत को मुस्तहब करार दिया है और ये बिनाए फ़ासिदा अलल फ़ासिद है। अगर यही बात है तो फिर आपने कुरआन मजीद की तिलावत क्यों नहीं फ़रमाई और आपके सहाबा किराम (रज़ि.) और ताबेईने इज़ाम (रह.) ने आपके इस काम से ये मानी क्यों नहीं निकाला, वो हमेशा इस अमल से क्यों महरूम रहे। (3) कुछ हज़रत ने इस हदीस से क़ब्र पर फूलों और दरख़्त की शाख़ों के रखने का जवाज़ निकाला है और दलील में हज़रत बुरैदा अस्लमी का काम पेश किया है। सवाल ये है कि अगर तख़फ़ीफ़े अज़ाब का बाइस शाख़े तर का तस्बीह कहना है तो उसके चीरने की क्या ज़रूरत थी। चीरने के बाइस तो वो जल्द खुश्क हो गई। इस सूत में तो आपको उन क़ब्रों पर कोई पौधा लगवाना चाहिये था। जो बरसों-बरस तक हरा-भरा रहता। नीज़ आपका ये मन्शा और नुक़्तए नज़र सहाबा किराम (रज़ि.) ने क्यों नहीं समझा। अगर आपका यही मक़सद था कि तख़फ़ीफ़े का बाइस तर शाख़ की तस्बीह है तो वो सब ऐसा ही करते और हर क़ब्र पर शाख़ नसब करते बल्कि दरख़्त लगवाते और इमका उस दौर में आम रिवाज होता। इसको सिर्फ़ बुरैदा अस्लमी ही क्यों समझे और उन्होंने भी अपनी क़ब्र के अंदर दो खजूर की शाख़ें रखने की वसियत कि क़ब्र पर गाड़ने की तल्कीन नहीं की। आपने तो एक शाख़ के दो टुकड़े किये थे और उन्होंने दो शाख़ें रखवाईं। एक हनफ़ी

इसकी हिक्मत ये बयान करते हैं, 'खजूर के दरख्त में बरकत है क्योंकि अल्लाह तआला ने इसको शजरए तय्यिबा करार दिया है।' ये तो फिर खजूर के दरख्त के लिये खास हुआ। फूलों और आम शाखों में ये बरकत कहाँ से आ गई। आपने तो खजूर की शाख के टुकड़े गाड़े थे और वो भी सिर्फ़ दो क़ब्रों पर, अगर ये अमल आम मुसलमानों के लिये अज़ाब में कमी का बाइज़ है और मुकर्रबीन के लिये तरक़िकये दर्जात का सबब, तो आपने दूसरे लोगों को इससे क्यों महरूम रखा? उनकी क़ब्रों पर शाख़ का टुकड़ा नसब करने की तल्कीन और हिदायत नहीं फ़रमाई और न ही इस राज़ को जलीलुल क़द्र सहाबा किराम (रज़ि.) पा सके। असल हकीकत ये है कि आपने अल्लाह तआला से उनके लिये अज़ाब में कमी की दुआ फ़रमाई। तो अल्लाह तआला की तरफ़ से आपको बताया गया कि आप एक हरी शाख़ के दो हिस्से करके उन क़ब्रों पर एक-एक गाड़ दें। जब तक उनमें तरी रहेगी, उस वक़्त तक उनके अज़ाब में कमी कर दी जायेगी। तो तौजीह की सेहत व ताईद के लिये हज़रत जाबिर (रज़ि.) की सहीह मुस्लिम के आख़िर में आने वाली एक हदीस मौजूद है, जिसमें इस किस्म का एक और वाक़िया बयान किया गया है और हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पूछने पर आपने यही तौजीह बयान फ़रमाई है। (शरह नववी : 1/141) (4) कुरआन मजीद ने एक उसूल और ज़ाबता बयान फ़रमाया है, लैसा लिल्डिन्सानि इल्ला मा सआ इंसान को वही चीज़ हासिल होती है, जिसके लिये उसने मेहनत व कोशिश की है। इस ज़ाबते से इस्तिन्सार के लिये हनफ़ी उसूल के मुताबिक़, हदीसे मुतवातिर या मशहूर की ज़रूरत है। ख़बरे वाहिद से भी ये काम नहीं चलेगा, तो ये किस क़द्र तअज्जुब अंगेज़ बात है कि इस तर शाख़ को दलील बनाया जाता है। या ज़ईफ़ अहादीस पेश की जाती हैं।

तम्बीह : अजीब बात है कि मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ने आख़िर में ग़ैर शऊरी तौर पर ये लिख दिया है, ये वाक़िया दो मर्तबा हुआ, हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में है, उन दो क़ब्र वालों को अज़ाब हो रहा था और इस रिवायत में अज़ाब का सबब नहीं बयान फ़रमाया और इस रिवायत में ये है कि आपने उनकी शफ़ाअत की और आपकी शफ़ाअत उनके हक़ में मक्बूल हुई और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत में ये बयान है कि एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के क़तरों से नहीं बचता था और इसमें शफ़ाअत का ज़िक्र नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/988)

एक अजीब इस्तिदलाल : कुछ हज़रात ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि आप बरज़ख़ के हालात से आगाह हैं, अज़ाब, सबबे अज़ाब से आगाह हैं, अज़ाब दूर कर सकते हैं। सवाल ये है अगर आप सब कुछ जानते थे तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि आप (ﷺ) बक़ीअ से गुजरे और पूछा, आज यहाँ तुमने किसको दफ़न किया है? और कुछ के बक़ौल इस हदीस का ताल्लुक़ इस वाक़िये से है जैसाकि इब्ने हजर ने लिखा है। (फ़तहुल मुल्हिम : 1/455)

और जो मर्द मस्जिद में सफ़ाई करता था वों फ़ौत हो गया आपको पता न चला, फिर पूछने के बाद पता चला तो आपने फ़रमाया, 'मुझे उसकी क़ब्र से आगाह करो।'

इस किताब के कुल 33 बाब और 158 हदीसों हैं



کتاب الحيض

किताबुल हैज़
(हैज़ का बयान)

हदीस नम्बर 679 से 836 तक

हैज़ का मानी व मफ़हूम

हैज़ वो ख़ून है जो बुलूग़त से लेकर सिन्ने यास (माहवारी रुकने) तक औरत को तक़रीबन चार हफ़्ते के वक़फ़े से हर माह आता है और दौराने हमल और उमूमन रज़ाअत के ज़माने में बंद हो जाता है। एक हैज़ से लेकर दूसरे हैज़ तक के अर्से को शरीअत में 'तुहर' कहते हैं।

इस्लाम से पहले ज़्यादातर इंसानी मुआशरे इस हवाले से जहालत और तबह्हुमात का शिकार थे। यहूद इन दिनों में औरत को इन्तिहाई नजिस और ग़लीज़ समझते। जिस चीज़ को उसका हाथ लगता उसे भी पलीद समझते। इसे सोने के कमरों और बावर्ची ख़ाने (किचन) वग़ैरह से दूर रहना पड़ता। नसारा भी मज़हबी तौर पर यहूदियों से मुत्तफ़िक़ थे। उनके यहाँ भी हैज़ के दौरान में औरत इन्तिहाई नजिस थी और जो कोई उसको छू लेता वो भी नजिस समझा जाता था। (बाइबिल, अहबार, अहदनामा क़दीम, बाब 15, फ़िक्करह : 19-23) लेकिन उनकी अक्सरियत अमलन अहदनामे क़दीम के अहकामात पर अमल न करती थी बल्कि वो दूसरी इन्तिहा पर थी। आम ईसाई इस दौरान में भी औरतों से मुकारबत (हम बिस्तरी) कर लेते थे।

सहाबा किराम ने इस हवाले से रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया। उसके जवाब में कुरआन मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, 'और (लोग) आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। बता दीजिये कि ये अज़ियत (का ज़माना) है, इसलिये महीज़ (ज़मान-ए-हैज़ या जहाँ से हैज़ का ख़ून निकलता है उस मक़ाम) में औरतों से (जिमाअ करने से) दूर रहो और उनसे मुकारबत न करो यहाँ तक कि वो हालते तुहर में आ जायें (हैज़ के दिन ख़त्म हो जायें) फिर जब वो पाक-साफ़ हो जायें तो उनके पास जाओ, जहाँ से अल्लाह तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह (अपनी तरफ़) रज़ूअ करने वालों और पाकीज़गी इख़्तियार करने वालों से मुहब्बत करता है।' (सूरह बक़रह 2 : 222)

इस आयत में अल्लाह तआला ने महीज़ का लफ़ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। ये मस्दर भी है और इस्मे ज़र्फ़ भी। मस्दर हो तो वही मानी है जो हैज़ के हैं, यानी मख़सूस दिनों में औरतों को ख़ून आना, यानी इसके दौरान एहतिराज़ करो। इस्मे ज़र्फ़ हो तो ज़र्फ़ ज़मानी की हैसियत से मानी होंगे हैज़ का ज़माना। मफ़हूम ये होगा कि हैज़ के दिनों में बीवियों के साथ जिन्सी मुकारबत मन्ज़ूअ है। ज़र्फ़े मकान की हैसियत से महीज़ से मुराद वो जगह होगी जहाँ से हैज़ का ख़ून निकलता है। ज़र्फ़े मकान मुराद लेते हुए लिसानुल अरब में इस आयत का मफ़हूम ये बयान किया गया है, 'इस आयत में महीज़ से औरत (के जिस्म) का वो हिस्सा मुराद है जहाँ मुजामिअत की जाती है क्योंकि यही हैज़ (के निकलने) की (भी) जगह है। गोया ये फ़रमाया, हैज़ (के निकलने) की जगह में औरतों (के साथ मुबाशिरत) से दूर रहो, इस जगह उनके साथ जिमाअ न करो।' (लिसानुल अरब, मादह, हैज़)

महीज़ का जो भी मानी लें मफ़हूम यही है कि उन दिनों में बीवियों से जिस्मानी ताल्लुकात से परहेज़ किया जाये लेकिन इस बाब की अहादीस से ज़ाहिर होता है कि उनको साथ रखा जाये, उनकी तरफ़ इल्तिफ़ात और तवज्जह को बरकरार रखा जाये ।

कुरआन ने औरतों की इस फ़ितरी हालत के बारे में तमाम जाहिलाना अफ़कार की तर्दीद कर दी । रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके फ़ितरी मामला होने के बारे में ये इरशाद फ़रमाया, 'ये ऐसी चीज़ है कि आदम की बेटियों के बारे में अल्लाह ने इसका फ़ैसला फ़रमाया है ।' (सहीह बुखारी, किताबुल हैज़, बाब कैफ़ा काना बदउल हैज़ : 294)

कुरआन के अल्फ़ाज़ हुवा अज़न के मानी हैं ये अदना अज़ियत (कम दर्जे की तकलीफ़ का ज़माना है । औरत को ये अज़ियत जिस्मानी तब्दीलियों, नफ़सयाती कैफ़ियत, नापाक खून और उसकी बदबू की वजह से पहुँचती है । इस्लाम ने इस फ़ितरी तकलीफ़ के ज़माने में औरतों को सहूलत देते हुए नमाज़ माफ़ कर दी और रमज़ान के रोज़े के लिये वही सहूलत दी जो मरीज़ को दी जाती है, यानी इन दिनों में वो रोज़ा न रखे और बाद में अपने रोज़े पूरे कर ले ।

मौजूदा मेडिकल साइंस ने भी अब इसी बात की शहादत मुहैया कर दी है कि इन दिनों में ख़वातीन बेआरामी, इज़्तिराब और हल्की तकलीफ़ का शिकार रहती हैं । सन्जीदा किस्म के फ़राइज़ अदा करने में उन्हें दिक्कत पेश आती है, इसलिये जहाँ वो मुलाज़िमत करती हैं उन इदारों का फ़र्ज़ है कि इन दिनों में औरतों के फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत मुहैया करें । वो सहूलत क्या हो? रोशन ख़याली और हुकूके निसवाँ का लिहाज़ करने के दावों के बावजूद मग्गिबी तहजीब अभी तक ऐसी किसी सहूलत के बारे में सोचने से मअज़ूर है जबकि इस्लाम ने, जो दीने फ़ितरत है, पहले ही उनके फ़राइज़ में कमी कर दी ।

तकलीफ़ और इज़्तिराब की इस हालत में घर के दूसरे अफ़राद बिल्खुसूस ख़ाविन्द की तरफ़ से कराहत और नफ़रत का इज़हार नफ़सयाती तौर पर औरत के लिये शदीद तकलीफ़ और परेशानी का बाइस बन जाता है, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों के ख़िलाफ़ यहूदियों और दीगर जाहिल मुआशरों के ज़ालिमाना रवैये का इज़ाला किया और ये एहतिमाम फ़रमाया कि ख़ाविन्द के साथ उसके जिन्सी ताल्लुकात तो मुन्क़तअ हो (कट) जायें, क्योंकि वो औरत के लिये मज़ीद तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं, लेकिन औरत इस दौरान में बाकी मामलात में घर वालों बिल्खुसूस ख़ाविन्द की भरपूर तवज्जह और मुहब्बत का मर्कज़ रहे । सहीह मुस्लिम की किताबुल हैज़ के आगाज़ के अबवाब में इस एहतिमाम का तफ़सीलात मज़कूर है ।

आगे के अबवाब में मर्दों और औरतों के निजी ज़िन्दगी के अलग-अलग हालात के दौरान में इबादत के मसाइल बयान हुए हैं । औरतों के खुसूसी दिनों के साथ मुत्तसिल या मिलती-जुलती बीमारियों और विलादत के अर्से के दौरान में तहारत के मसाइल भी किताबुल हैज़ का हिस्सा हैं ।

3. किताबुल हैज (हैज का बयान)

बाब 1 : तहबंद के ऊपर हाइजा औरत से मुबाशरत

(679) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हममें से किसी एक को हैज आ जाता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) चादर बांधने का हुक्म देते, वो चादर बांध लेती तो फिर आपके साथ लेट जाती।

(सहीह बुखारी : 300, 2031, अबू दाऊद : 268, तिर्मिज़ी : 132, नसाई : 1/151, 1/189, इब्ने माजह : 636)

باب مَبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يَبَاشِرُهَا .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ता-तज़िरु : चादर बांध लेती, क्योंकि इज़ार तहबंद को कहते हैं। (2) युबाशिर : जिस्म का जिस्म के साथ मिला लेना, किसी के साथ लेट जाना।

(680) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हममें से कोई एक जब हाइजा होती तो आप उसे हैज के जोश व क़सरत के दिनों में तहबंद बांधने का हुक्म देते। फिर उसके साथ लेट जाते और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'तुममें से कौन है जो अपनी ज़रूरत व ख़्वाहिश पर इस क़द्र ज़ब्त और कंटोल

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ

रखता हो जिस कद्र रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने अज़्व (जज़्बात) पर क़ाबू और कुदरत रखते थे। (सहीह बुखारी : 302, अबू दाऊद : 273, इब्ने माजह : 635)

ﷺ أَنْ تَأْتِرَ فِي قَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا .
قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِزْنَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَمْلِكُ إِزْنَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इरब : अगर हमज़ह पर ज़ेर और रा साकिन हो तो मानी अज़्वे तनासुल होगा और अगर हमज़ह और रा दोनों पर ज़बर हो तो मानी ख़्वाहिश और शहवत होगा। (2) फ़ौर : जोश व क़सरत, जब ख़ून ज़्यादा आ रहा हो।

(681) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों से, जबकि वो हाइज़ा होतीं, तहबंद बांधने की सूरत में मुबाशरत करते।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ،
عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حَيْضٌ .

(सहीह बुखारी : 303, अबू दाऊद : 2167)

फ़वाइद : (1) हैज़ का असल मानी सैलान यानी बहना है। कहते हैं, हाज़ल वादी, वादी बह पड़ी और शरई तौर पर हैज़ वो ख़ून है, जो औरत के बालिगा होने पर रहम छोड़ता है और ये मालूम व मुतअव्यन दिनों में आम तौर पर 6 या 7 दिन आता है। लेकिन मौसम, हालात ख़ुराक और मिज़ाज व तबीयत के इख़्तिलाफ़ की बिना पर कुछ औरतों को कम या ज़्यादा भी आ जाता है। जब औरत हामिला हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से यही ख़ून बच्चे की ग़िज़ा का काम देता है और औरत को इस सूरत में हैज़ नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह जब वज़अे हमल हो जाता है तो अल्लाह तआला की हिक्मते बालिगा के तहत यही ख़ून, दूध की शक्ल में बच्चे की ग़िज़ा बनता है। इसलिये आम तौर पर दूध पिलाने के दिनों में हैज़ नहीं आता, मगर हैज़ आना शुरू हो जाये तो फिर जल्द हमल ठहर जाता है। (2) हैज़ के दिनों में औरत से जिमाअ करना, कुरआन व हदीस की रू से नाजाइज़ है, हाँ! इसके अलावा साथ लेटना या बोस व किनार जाइज़ है। अगर कोई जहालत और नादानी की बिना पर ये हरकत कर बैठा है तो उस पर कोई कफ़्रारा नहीं है, वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। अगर जान-बूझकर ये हरकत करता है, लेकिन इस हरकत को नाजाइज़ ही तसव्वुर करता है, हलाल नहीं समझता तो उसके कफ़्रारे के बारे में इख़्तिलाफ़ है। लेकिन उसके गुनाहे कबीरा होने में कोई शक नहीं है, उसके लिये तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। सुनन नसाई की रिवायत, पेज नम्बर 370 में दीनार और निस्फ़ दीनार सदका करने का ज़िक्र है। अगर इंसान को साथ लेटने से ये ख़तरा हो कि वो अपने ऊपर क़ाबू नहीं पा सकेगा और मामला ताल्लुकात के क्रियाम तक पहुँच जायेगा, तो फिर उसे मुबाशरत यानी इकट्ठे लेटने या बोस व किनार से परहेज़ करना चाहिये।

बाब 2 : हाइज़ा के साथ एक लिहाफ़ में लेटना

(682) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे साथ, जबकि मैं हाइज़ा होती तो लेट जाते, मेरे और आपके दरम्यान कपड़ा हाइल होता था।

(683) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चादर में लेटी हुई थी, इस दौरान में मुझे हैज़ आ गया और मैं खिसक गई और मैंने अपने हालते हैज़ वाले कपड़े ले लिये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'क्या तुम्हें हैज़ आना शुरू हो गया है।' मैंने कहा, जी हाँ! आपने मुझे बुलाया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बताया मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) इकट्ठे एक बर्तन से गुस्ले जनाबत कर लेते थे।

(सहीह बुखारी : 298, 322, 232, 1929, नसाई : 1/149-150, 282, 1/188)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) खमीलह : डोरों वाला कपड़ा, चादर। (2) हीज़ह : हालते हैज़। (3) नफ़िस्त : नफ़िस खून को कहते हैं। इसलिये ये लफ़्ज़ हैज़ और विलादत दोनों के खून के लिये इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ हैज़ मुराद है, विलादत के लिये नुफ़िस्त नून के ज़म्मा और हैज़ के लिये नून के फ़तहा से।

باب الإِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبِ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَبْنِي وَيَبْنِيهِ تَوْبٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنْفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَانِي فَاطَطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

फ़ायदा : हाइज़ा औरत के साथ एक कपड़े में लेटना या सोना जाइज़ है। सिर्फ़ ख़ास ताल्लुकात कायम करना मना है।

बाब 3 : हाइज़ा औरत के लिये जाइज़ है कि वो अपने ख़ाविन्द का सर धोये, उसे कंघी करे और उसका झूठा पाक है, उसकी गोद में सर रखना और कुरआन पढ़ना दुरुस्त है

باب جَوَازِ غَسْلِ الْخَائِضِ رَأْسِ
زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُورِهَا
وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ فِيهِ

(684) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐतकाफ़ बैठते तो अपना सर मेरे करीब कर देते, मैं उसमें कंघी कर देती और आप घर में सिवाय क़ज़ाए हाजत के, तशरीफ़ नहीं लाते थे।

(अबू दाऊद : 2467, 2468)

(685) इरवह और अमर बिन अब्दुरहमान बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिये घर में दाख़िल होती, उसमें बीमार मौजूद होता तो मैं उससे गुज़रते-गुज़रते पूछ लेती और रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद से मेरे पास (हुज़े) में सर दाख़िल फ़रमाते, मैं उसमें कंघी कर देती और आप जब ऐतकाफ़ बैठते तो घर में सिर्फ़ क़ज़ाए हाजत के लिये आते। इब्ने रुमह ने इज़ा काना मुअतकिफ़ा (जब आप ऐतकाफ़ बैठते) की बजाए इज़ा कानू मुअतकिफ़ीन, जब सहाबा के साथ ऐतकाफ़ बैठते, कहा।

(सहीह बुखारी : 2029, अबू दाऊद : 2468,

तिर्मिज़ी : 804, इब्ने माजह : 1776)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَفَ يَدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجَلُهُ
وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ
فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ وَإِنْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ عَلَيَّ
رَأْسُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ
الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا . وَقَالَ ابْنُ
رُمْحٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ .

(686) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हालते ऐतकाफ़ में मस्जिद से मेरी तरफ़ सर निकालते तो मैं हैज की हालत में उसको धो देती।

(नसाई : 275)

(687) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे करीब अपना सर कर देते थे जबकि मैं अपने हुजे में होती थी और मैं हैज की हालत में आपके सर में कंघी कर देती थी।

(688) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं हालते हैज में रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर धो देती थी।

(सहीह बुखारी: 301, 2031, नसाई : 274, 234)

(689) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया जबकि आप मस्जिद में थे, 'मुझे जाए नमाज़ पकड़ा दो।' मैंने अर्ज़ किया, 'मैं हाइज़ा हूँ। आपने फ़रमाया, 'तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है।'

(अबूदाऊद:261,तिर्मिज़ी:134,नसाई : 1/146)

(690) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद से हुक्म दिया कि आपको जाए नमाज़ पकड़ाऊँ। मैंने

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، عَنْ هِشَامِ، أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ " .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَابْنِ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ،

अर्ज किया, मैं हाइज़ा हूँ। आपने फ़रमाया, 'उसे ले आ! हैज तेरे हाथ में नहीं है।'

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَاولَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ
الْمَسْجِدِ . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ "
تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ " .

(691) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में मौजूद थे। इस दौरान मैं आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मुझे कपड़ा पकड़ाओ।' तो मैंने कहा, मैं हाइज़ा हूँ। आपने फ़रमाया, 'तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है।' तो मैंने आपको कपड़ा पकड़ा दिया। (नसाई : 1/192)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، - قَالَ زُهَيْرٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى، - عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ " يَا
عَائِشَةُ نَاولِينِي الثَّوْبَ " . فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ .
فَقَالَ " إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ " فَنَاوَلْتَهُ .

(692) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं हैज की हालत में पानी पी कर नबी (ﷺ) को पकड़ा देती, तो आप अपना मुँह मेरे मुँह की जगह पर रखकर पानी पीते और मैं हड्डी से गोश्त चूँडती जबकि मैं हाइज़ा होती, फिर उसे नबी (ﷺ) को दे देती, तो आप मेरे मुँह वाली जगह पर अपना मुँह रखते। जुहैर ने फ़य़शरबु का लफ़ज़ नहीं बयान किया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُقْيَانَ، عَنْ
الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ
فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرِّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ
أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ
عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ .

(अबू दाऊद : 259, नसाई : 1/56, 1/190, 1/178, इब्ने माजह : 643)

मुफ़रदातुल हदीस : अर्क़ : हड्डी, जिस पर कुछ गोश्त हो।

(693) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी गोद में टेक लगाते, जबकि मैं हाइज़ा होती और आप कुरआन पढ़ते। (सहीह बुखारी : 287, 7549, अबू दाऊद : 260, नसाई : 1/147, 1/149, इब्ने माजह : 634)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَتَكَيُّ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

(694) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि यहूदी जब उनकी कोई औरत हाइज़ा होती तो वो न उसके साथ खाना खाते और न उनके साथ घरों में इकट्ठे रहते। तो नबी (ﷺ) के सहाबा ने आपसे इसके बारे में पूछा, इस पर अल्लाह तआला ने आयत उतारी, 'ये आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप फ़रमा दीजिये! हैज़ पलीदी है, तो हैज़ के दिनों में उनसे अलग रहो..।' (आख़िर तक) (सूह बकरा : 222) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिमाअ के सिवा (हर चीज़) सब कुछ करो।' यहूदियों तक ये बात पहुँची तो कहने लगे, ये शख्स हर बात में हमारी मुखालिफ़त करना चाहता है। (ये सुनकर) उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन बिश्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! यहूद ऐसा-ऐसा कहते हैं, तो क्या हम उनसे जिमाअ भी न करें? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरे का रंग बदल गया, यहाँ तक कि हमने समझा कि आप दोनों पर नाराज़ हो गये हैं। तो वो दोनों निकल गये, आगे से रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये दूध का तोहफ़ा आ रहा था। आपने उनके पीछे बुलावा भेजा (और उनको बुलवाकर) दोनों को दूध पिलाया, तो वो समझ गये। आप उन पर नाराज़ नहीं हैं।

(अब्दुकरुद: 258, 2165, तिर्मिज़ी : 2977, 2978 नसाई : 1/152, 1/187, इब्ने माजह : 644)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَصَادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا خَاصَّتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النُّكَاحَ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا : فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

फ़वाइद : (1) मुअतकिफ़ मस्जिद से ज़रूरत के तहत हाथ, पैर या सर निकाल सकता है। (2) अगर मस्जिद में क़ज़ाए हाजत का इन्तिज़ाम न हो और बाहर दूर जाना पड़ता हो, घर करीब हो तो क़ज़ाए हाजत के लिये घर जा सकता है। (3) रास्ते से गुज़रते-गुज़रते बीमार की बीमारपुर्सी कर सकता है। (4) औरत का हैज़ की हालत में सारा जिस्म पलीद नहीं हो जाता, इसलिये वो घर का काम-काज कर सकती है। ख़ाविन्द का सर धोकर उसमें कंधी कर सकती है, मस्जिद से बाहर खड़े होकर, मस्जिद में खड़े हुए महरम को कोई चीज़ पकड़ा सकती है। (5) हाइज़ा की गोद में सर रखकर कुरआन मजीद की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार करने में कोई हर्ज नहीं है। (6) बीवी से मुहब्बत व प्यार के इज़हार के लिये उसके खाने पीने की जगह से खाया पिया जा सकता है और उसका हैज़ की सूत में मुँह पलीद नहीं होता। (7) ख़ास ताल्लुकात के सिवा, मियाँ-बीवी के बाक़ी मामलात हैज़ से मुतास्मिर नहीं होते। (8) अहले किताब की मुखालिफ़त शरई हुदूद के अंदर रहते हुए होगी, मुखालिफ़त के जोश में शरई हुदूद से तजावुज़ नहीं किया जायेगा।

फ़अतज़िलुन्निसाअ : का मक़सद ताल्लुकाते ज़न व शौहर (हम बिस्तरी) से बचना है। उनसे बिल्कुल अलग-थलग हो जाना मुराद नहीं है कि इंसान बीवी के साथ उठ-बैठ भी न सके और न उसके हाथ का पका हुआ खाना खा सके और कमरे अलग-अलग हो जायें।

बाब 4 : मज़ी का हुक्म

(695) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे बहुत मज़ी आती थी और मैं आपकी लख्ते जिगर के अपनी बीवी होने के बाइस, आपसे बराहे रास्त पूछने से शरमाता था। तो मैंने मिक्दाद बिन अस्वद को कहा, उसने आपसे पूछा, तो आपने फ़रमाया, '(इसमें मुब्तला आदमी) अपना अज़्वे मइसूस (शर्मगाह) धो ले और वुजू कर ले।' (सहीह बुखारी : 132, 178, नसाई : 1/197)

मुफ़रदातुल हदीस : मज़ी : वो सफ़ेद और बारीक (पतला) मादा जो बीवी से मुलाअबत हँसी-मज़ाक़ करते वक़्त कई बार ग़ैर शऊरी तौर पर ही निकल जाता है।

باب المذی

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَشِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى، - وَيُكْنَى أَبُو يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .

(696) हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत है कि मैंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के बाइस नबी (ﷺ) से मज़ी के बारे में पूछने से शर्म महसूस की तो मैंने मिक्दाद को कहा, उसने आपसे पूछा। आपने फ़रमाया, 'उससे वुज़ू करना होगा।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مِنْهُ الْوُضُوءُ " .

(697) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने मिक्दाद बिन अस्वद को रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में भेजा, तो उसने आपसे इंसान से निकलने वाली मज़ी के बारे में पूछा कि वो उसका क्या करे? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वुज़ू कर और शर्मगाह को धो ले।'

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ بِنْتُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأُ وَانْضَعُ فَرْجَكَ " .

(नसाई : 1/214-215)

फ़वाइद : (1) ससुराल वालों से बीवी से इस्तिन्ताअ की बातें करना मुनासिब नहीं है और जब बराहे रास्त बातचीत करने में कोई मानेअ (रुकावट) मौजूद हो तो बात बिल्वास्ता हो सकती है और दूसरों के ज़रिये फ़तवा या मसला पूछा जा सकता है। (2) मज़ी से वुज़ू टूट जाता है और मज़ी निकलने की सूरत में अज़्वे मख़सूस (शर्मगाह) को धो लेना काफ़ी है, उसके लिये गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, बोल व बराज़ से इस्तिन्जा के लिये पत्थर या ढेला काफ़ी है। लेकिन मज़ी निकलने की सूरत में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है।

बाब 5 : नींद से बेदार होकर चेहरा और दोनों हाथ धोना

(698) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात को उठे और क़ज़ाए हाज़त की, फिर अपना चेहरा और दोनों हाथ धोये, फिर सो गये।

(सहीह बुख़ारी : 6316, अबू दाऊद : 5043, नसाई : 1/218, इब्ने माजह : 508)

फ़ायदा : रात को इंसान अगर बहुत जल्द बेदार हो जाये तो वो दोबारा सो सकता है। जिन हज़रात ने इसको मक्रूह करार दिया है उनका मक़सद ये है कि दोबारा सो जाने की सूरत में ये खतरा होता है कि वो अपने रात के मामूलात और सुबह की नमाज़ से महरूम हो सकता है, इसलिये उसको नहीं सोना चाहिये, अगर ये अन्देशा न हो तो फिर सो सकता है।

बाब 6 : जुन्बी के लिये सोना जाइज़ है लेकिन अगर वो खाना, पीना, सोना या दोबारा ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो बेहतर ये है कि वो शर्मगाह को धोकर वुज़ू कर ले

(699) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब जनाबत की हालत में सोना चाहते, तो सोने से पहले नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमा लेते।

(अबू दाऊद : 222,223, नसाई : 1/139, इब्ने माजह : 593, 574)

باب غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ .

باب جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَعَسَلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

(700) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब जुनुबी होते और खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो नमाज़ वाला वुजू फ़रमाते।

(अबू दाऊद : 224, नसाई : 1/139, इब्ने माजह : 591, 467)

(701) इमाम साहब मज़कूरा बाला (ऊपर वाली) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं।

(702) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हममें से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? आपने फ़रमाया, 'हाँ! जब वो वुजू कर ले।'

(नसाई : 1/139, तिर्मिज़ी : 120)

(703) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है आपने फ़रमाया, 'हाँ! वो वुजू कर ले, फिर सो जाये ताकि फिर उठकर जब चाहे गुस्ल कर ले।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَوَكَيْعٌ، وَعَنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِيقُدُّ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .

(704) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि उमर (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताया कि वो रात को जनाबत से दोचार हो जाते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'अपना अज़्वे मख़सूस (शर्मगाह) धोकर वुजू करके सो जाओ।'

(सहीह बुख़ारी:290, अबू दाऊद:221, नसाई:1-139)

(705) अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्र के बारे में पूछा, उसके बारे में हदीस बयान की। फिर मैंने पूछा, जनाबत की सूरत में क्या करते थे? क्या सोने से पहले गुस्ल फ़रमाते थे या गुस्ल से पहले सो जाते थे? उन्होंने जवाब दिया, दोनों तरह कर लेते थे। कई बार नहाकर सोते और कई बार वुजू फ़रमाकर सो जाते। मैंने कहा, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने दीन में वुस्लत रखी है।

(अबू दाऊद : 1437, तिर्मिज़ी : 449, 2294)

(706) इमाम साहब मज़क़ूरा रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

(707) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी ने बीवी से ताल्लुकात कायम कर लिये, फिर दोबारा ताल्लुकात

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَصَيَّبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأُ وَاغْتَسِلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمَ "

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ . قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ،

कायम करना चाहे तो वो वुजू कर ले।' अबू बकर ने अपनी हदीस में ये इजाफ़ा किया, 'उनके दरम्यान वुजू कर ले।' और कहा, फिर दोबारा यही इरादा किया (दूसरों ने यज़ूदु कहा और उसने युआबिदु कहा)।

(अबू दाऊद : 220, तिर्मिज़ी : 141, नसाई : 1/140, इब्ने माजह : 587, 1640)

(708) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी तमाम बीवियों के पास जाते और आख़िर में एक गुस्ल फ़रमा लेते।

نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ .

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْخَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْخَدَاءَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ .

फ़वाइद : (1) मज़कूरा बाला (ऊपर वाली) अहादीस से मालूम हुआ कि जनाबत की सूत में फ़ौरी तौर पर गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। खाना-पीना, सोना और ताल्लुकात कायम करना, गुस्ल से पहले दुरुस्त है। अइम्माए अरबआ और जुम्हूर के नज़दीक उमूरे मज़कूरा से पहले वुजू कर लेना बेहतर है और वुजू के बग़ैर ख़िलाफ़े अदब व तहज़ीब यानी मक्रूहे तन्ज़ीही है। लेकिन इब्ने हबीब मालिकी और दाऊद जाहिरी के नज़दीक वुजू करना लाज़िम है। (2) एक से ज़्यादा बीवियों की सूत में अगर इंसान किसी रात एक से ज़्यादा बीवियों के पास यके बाद दीगरे जाये, तो दरम्यान में नहाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक बीवी के पास दोबारा जाने के लिये नहाना ज़रूरी नहीं है, दरम्यान में वुजू कर लेना बेहतर है।

बाब 7 : औरत की मनी (एहतिलाम) निकलने की सूत में उस पर नहाना लाज़िम है

(709) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मे सुलैम (जो इस्हाक़ की दादी हैं) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और हज़रत आइशा (रज़ि.) की मौजूदगी में आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के

باب وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَقْفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ، قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ - إِلَى

रसूल! औरत नींद में वही चीज़ देखती है जो मर्द अपने बारे में देखता है (तो वो क्या करे?) तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ उम्मे सुलैम! तूने औरतों को रुस्वा कर दिया, तेरा दायीं हाथ खाक आलूद हो। तो आपने आइशा से फ़रमाया, 'बल्कि तेरा हाथ खाक आलूद हो! हौं ऐ उम्मे सुलैम! जब वो ये मन्ज़र देखे तो गुस्ल करे।'

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ . فَقَالَ لِعَائِشَةَ " بَلْ أَنْتِ فَتَرَبَّتْ يَمِينُكَ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़ज़्हितन्निसाअ : (तूने ऐसी बात करके जिसके इज़हार में शर्म महसूस की जाती है) उन्हें रुस्वा कर दिया है। क्योंकि इससे ये साबित होता है उनके अंदर, मर्द के पास जाने की शदीद ख्वाहिश है। (2) तरिबत यमीनुकि : अरबी मुहावरे की रू से ये कलिमा ऐसे वक़्त बोलते हैं जब किसी की बात पसंद न हो या उस पर नाराज़ हो और नागवारी का इज़हार करना मक़सूद हो या उस बात का इंकार और उस पर ज़जर व तौबीख़ करनी हो या हैरत व तअज्जुब का इज़हार मक़सूद हो। लफ़्ज़ी मानी या बहुआ मक़सूद नहीं होती। इसलिये आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) के लिये उन्हीं अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल फ़रमाया कि तेरी बात क़ाबिले इंकार है। उसने तो एक ऐसा दीनी मसला पूछा है जो पूछना ही चाहिये था।

फ़ायदा : जिस तरह एहतिलाम की सूत में मर्द के लिये गुस्ल लाज़िम है अगर कभी औरत को एहतिलाम हो जाये तो उसे भी नहाना पड़ेगा। सिर्फ़ मरख़सूस जगह के धोने और वुजू करने पर किफ़ायत नहीं कर सकेगी।

(710) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि उम्मे सुलैम ने बताया, उसने नबी (ﷺ) से ऐसी औरत के बारे में पूछा जो नींद में वही चीज़ देखती है जो मर्द देखता है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब वो ये सूत देखे तो गुस्ल करे।' उम्मे सुलैम ने बताया, मैं इस पर शर्मा गई। पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हौं! तो मुशाबिहत कैसे पैदा हो जाती है, मर्द का

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا، سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . فَقَالَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ

पानी गाढ़ा सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला और ज़र्द होता है। तो जिसका भी ग़ालिब आ जाये या रहम में पहले चला जाये, बच्चा उसके मुशाबेह (हम शक़्ल) होता है।'

(नसाई : 1/112, 1/115-116, इब्ने माजह : 601)

(711) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस औरत के बारे में पूछा, जो नींद में वही चीज़ देखती है जो मर्द अपनी नींद में देखता है तो आपने फ़रमाया, 'जब उसको वो सूरत पेश आये जो मर्द को पेश आती है तो वो गुस्ल करे।'

(712) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि उम्मे सुलैम (रज़ि.) नबी (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ के बयान करने में हया महसूस नहीं करता, तो क्या जब औरत को एहतिलाम हो जाये तो वो नहायेगी? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! जब मनी का पानी देखे।' तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! औरत को भी एहतिलाम हो जाता है? आपने फ़रमाया, 'तेरा दायाँ हाथ खाक आलूद हो उसका बच्चा उसके मुशाबेह (हम शक़्ल) कैसे हो जाता है।'

(सहीह बुखारी : 130, 282, 3328, 6091, 6121, तिर्मिज़ी : 122, इब्ने माजह : 600)

ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيضٌ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رقيقٌ أَصْفَرٌ فَمِنْ أَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ "

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ "

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اخْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ " . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ " تَرَبَّتْ يَدَاكَ فِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَدَهَا "

(713) इमाम साहब एक और सनद से रिवायत करते हैं, इसमें ये इज़ाफ़ा है, उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा, तूने औरतों को रुस्वा कर दिया।

(714) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मे सुलैम (अबू तलहा की औलाद की माँ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई, आगे हिशाम की रिवायत जैसी रिवायत सुनाई। हाँ! इतना फ़र्क है कि इरवह ने कहा, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, तुझ पर अफ़सोस, क्या औरत को भी ये नज़र आता है?

(अबू दाऊद : 237, नसाई : 1/112)

(715) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, क्या औरत को जब एहतिलाम हो जाये और वो मनी देखे तो गुस्ल करे? आपने फ़रमाया, हाँ! आइशा (रज़ि.) ने उस औरत से कहा, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों और उन्हें ज़ख़म पहुँचे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, हाँ! इस औरत से कहो, उसे छोड़, मुशाबिहत तो इस बिना पर होती है जब उसका पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाता है तो बच्चा अपने मामू के मुशाबेह होता है और जब मर्द का पानी ग़ालिब आता है तो बच्चा अपने चाचाओं के मुशाबेह होता है।

मुफ़रदातुल हदीस : उल्लत : इसे उल्लत यानी नेज़ा लगे, ज़ख़मी हो।

फ़ायदा : बच्चा मर्द और औरत दोनों के नुत्फ़े के इम्तिज़ाज (मिलने) से पैदा होता है और मुशाबिहत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ أُمَّ بِنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ غَيْرَ أَنْ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَتُكْرَهُ لَكَ أَمْرِي الْمَرْأَةُ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا اخْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ " نَعَمْ " . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرَيْتَ يَدَاكَ وَالَّتِ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَحْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءَ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ " .

का दारो-मदार कसरत व ग़लबे पर है। जिसका माद्दा ग़ालिब होगा दूसरे को अपने अंदर दबायेगा, बच्चा उसके मुशाबेह होगा।

बाब 8 : मर्द और औरत की मनी की कैफ़ियत है और ये कि बच्चा दोनों के पानी के मिलाप से पैदा होता है

باب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ
مَائِهِمَا

(716) नबी (ﷺ) के मौला सौबान (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास खड़ा हुआ था तो एक यहूदी आलिम आपके पास आया और कहा, अस्सलामु अलैक! ऐ मुहम्मद! मैंने इसको इस क़द्र ज़ोर से धक्का दिया कि वो गिरते-गिरते बचा। तो उसने कहा, मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तू ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं कहता? यहूदी ने कहा, हम तो आपको उस नाम से पुकारते हैं, जो उसका उसके घर वालों ने रखा है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा नाम मुहम्मद है, जो मेरे घर वालों ने रखा है।' यहूदी बोला, मैं आपसे पूछने आया हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो तुझे उससे फ़ायदा होगा?' तो उसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से सुनूँगा (यानी तवज्जह से सुनूँगा)। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक छड़ी से जो आपके पास थी, ज़मीन पर लकीर खींची और फ़रमाया, पूछ। यहूदी ने कहा, जब ज़मीन व आसमान दूसरी ज़मीन और आसमानों से बदल दिये जायेंगे तो लोग उस वक़्त कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي " . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُكَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيَنْفَعُكَ

फ़रमाया, 'वो पुल सिरात से करीब अन्धेरे में होंगे।' उसने कहा, सबसे पहले कौन लोग गुज़रेंगे? आपने कहा, 'फ़कीर मुहाजिरीन।' यहूदी ने कहा, उनको क्या तोहफ़ा मिलेगा जब वो जन्नत में दाखिल होंगे? आपने फ़रमाया, 'मछली के जिगर का टुकड़ा।' उसने कहा, उसके बाद उनकी ख़ुराक क्या होगी? आपने फ़रमाया, 'उनके लिये जन्नत का वो बैल जिन्हें किया जायेगा जो उसके अतराफ़ में चरता था।' उसने कहा, उसके बाद उनका मशरूब क्या होगा? आपने फ़रमाया, 'जन्नत का चश्मा, जिसका नाम सल्सबील है (से पियेंगे)।' उसने कहा, आपने सच फ़रमाया। फिर कहा, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछने आया हूँ, जिसे अहले ज़मीन से नबी या एक दो आदमियों के सिवा कोई नहीं जानता। आपने फ़रमाया, 'अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुझे फ़ायदा होगा?' उसने कहा, ग़ौर से सुनूँगा। उसने कहा, मैं आपसे औलाद के बारे में पूछने आया हूँ? आपने फ़रमाया, 'मर्द का पानी (मनी) सफ़ेद होता है और औरत का पानी ज़र्द, जब दोनों मिल जाते हैं और मर्द का पानी औरत की मनी पर ग़ालिब आ जाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से मुज़क्कर (लड़का) पैदा होता है और जब औरत की मनी, मर्द की मनी पर ग़ालिब आती है तो वो अल्लाह के हुक्म से मुअन्नस (लड़की) बनती है।' यहूदी ने कहा, आपने वाक़ेई सहीह फ़रमाया और आप नबी हैं फिर वापस पलटकर चला गया, तो

شَيْءٌ إِنْ حَدَّثَكَ " . قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي فَكَتَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ .
فَقَالَ " سَلْ " . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ
النَّاسُ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحِجْرِ " . قَالَ
فَمَنْ أَوْلَى النَّاسِ إِجَازَةً قَالَ " فُقَرَاءُ
الْمُهَاجِرِينَ " . قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحَفَّتُهُمْ حِينَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ " زِيَادَةٌ كَيْدِ التُّونِ " قَالَ
فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ " يَنْحَرُّ لَهُمْ ثَوْرُ
الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا " . قَالَ
فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ " مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى
سَلْسِيلًا " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ وَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ
عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا
نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ . قَالَ " يَنْفَعُكَ إِنْ
حَدَّثْتُكَ " . قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي . قَالَ جِئْتُكَ
أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ " مَاءُ الرَّجُلِ أَيْضُ وَمَاءُ
الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَغَلَا مَنِي الرَّجُلِ
مَنِي الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا غَلَا مَنِي
الْمَرْأَةِ مَنِي الرَّجُلِ آتْنَا بِإِذْنِ اللَّهِ " . قَالَ
الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसने मुझे ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया कि मैं सवाल के वक़्त उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे उसके बारे में बताया।'

(717) यही रिवायत मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने यहया बिन हस्सान के वास्ते से मुआविया बिन सलाम की मज़क़ूरा बाला सनद से इसी तरह सुनाई। सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि ऊपर वाली रिवायत में क़ाइमन (खड़ा था) है और इसमें क़ाइदन (बैठा था) ऊपर लफ़ज़ (ज़्यादा) और यहाँ ज़ाइद है और यहाँ अज़्कर और आनसा की जगह ज़कर व आनस है। पानी एक ही है। अज़्करा, अज़्कर मुजबकर होना। आनसा, आनस, मुअन्नस होना।

फ़वाइद : (1) अगर साइल की निख्यत मसले की हकीकत को समझना हो, सिर्फ़ सवाल बराए सवाल या मक़सद पूरा होने के लिये न हो तो बात समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। जैसाकि यहूदी सवालात के नतीजे में असल हकीकत को समझ गया। लेकिन अगर निख्यत में फुतूर हो तो फिर बात समझ नहीं आती, कोई न कोई राहें फ़रार तलाश कर ली जाती है। जैसाकि इस हदीस में सरीह अल्फ़ाज़ में है कि मा ली इल्मुन बिशैइम् मिन्हु, हत्ता आतानियल्लाहु बिही मुझे सवालात के वक़्त, उनके जवाबत मालूम नहीं थे, अल्लाह तआला ने बता दिये। जिससे मालूम हुआ आपको इल्मे ग़ैब नहीं है। हाँ! ज़रूरत की हर चीज़ से मौक़े और महल पर अल्लाह तआला आगाह फ़रमाता है। लेकिन कुछ फुज़ला इसका मानी ये करते हैं, मैं उनकी तरफ़ मुतवज्जह नहीं था, फिर अल्लाह तआला ने मुझे उन चीज़ों की तरफ़ मुतवज्जह कर दिया। अगर मक़सद समझना हो तो इस मानवी तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। (2) हिसाबो-किताब के वक़्त मौजूदा आसमान व ज़मीन बदल जायेंगे और उनकी जगह नये आसमान व ज़मीन का जुहूर होगा और उस वक़्त लोग पुल सिरात के करीब खड़े होंगे। इसलिये कुर्ब की बिना पर कुछ हदीसों में अला जिस्ते जहन्नम या अला मतनि जहन्नम के अल्फ़ाज़ आये हैं। (3) पानी का रहम में पहले भेजना, तज़कीर व तानीस का सबब बनता है और ग़ल्बा व क़सरते मुशाबिहत का। (4) फ़ुकरा व मुहाजिरीन को जन्नत में पहले जाने का शर्फ़ हासिल होगा। हालांकि उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़

فَذَهَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي اللَّهُ بِهِ .

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ الثُّونِ . وَقَالَ أَذْكَرُ وَأَنْثَ . وَلَمْ يَقُلْ أَذْكَرًا وَأَنْثًا .

जैसे मालदार दर्जे और मर्तबे में उनसे बुलंद व बाला और अफ़ज़ल हैं। मक़सद सिर्फ़ ये है कि जिन दीनदार और मोमिन लोगों के पास माल व दौलत कम है, उनके हिसाबो-किताब पर वक़्त कम लगेगा और उससे जल्द फ़ारिश हो जायेंगे।

बाब 9 : गुस्ले जनाबत की कैफ़ियत

(718) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो पहले अपने हाथ धोते। फिर दायें हाथ से पानी डालकर बायें हाथ से शर्मगाह धोते। फिर नमाज़ वाला वुजू फ़रमाते। फिर पानी लेकर उंगलियों को बालों की जड़ों में दाख़िल करके उनको धोते, जब आप समझते कि बाल तर (गीले) हो गये हैं तो अपने सर पर दोनों हाथों से तीन चुल्लू डालते। फिर सारे जिस्म पर पानी बहाते। फिर अपने दोनों पाँव धो लेते।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इस्तबरअ : तमाम बालों को तर कर दिया। (2) हफ़न : दोनों हाथों से पानी लिया। (3) हफ़नातिन : हफ़नह की जमा है, लपा।

(719) इमाम साहब मज़क़ूरा बाला (ऊपर वाली) हदीस अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, लेकिन उनकी रिवायत में पाँव धोने का ज़िक्र नहीं है।

(720) हमें अबू बक्र बिन अबी शैबा ने वकीअ के वास्ते से हिशाम की अपने बाप से हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि

باب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرَغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ

नबी (ﷺ) ने गुस्ले जनाबत फ़रमाया। पहले अपनी हथेलियों को तीन बार धोया। फिर अबू मुआविया की तरह हदीस बयान की, लेकिन पाँव धोने का तज़क़िरा नहीं किया।

(721) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते, बर्तन में दाख़िल करने से पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर अपने नमाज़ के वुजू की तरह वुजू फ़रमाते।

(722) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे मेरी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुस्ले जनाबत के लिये पानी आपके करीब रखा तो आपने अपनी दोनों हथेलियों को दो या तीन बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन में दाख़िल किया और उसके ज़रिये अपनी शर्मगाह पर पानी डाला और उसे अपने बायें हाथ से धोया। फिर अपने बायें हाथ को ज़मीन पर मारकर अच्छी तरह रगड़ा और अपना नमाज़ वाला वुजू फ़रमाया। फिर अपना चुल्लू भर कर सर पर तीन लप पानी डाला। फिर अपने सारे जिस्म को धोया। फिर अपनी उस जगह से हट गये और अपने दोनों पैर धोये। फिर मैं आपके पास तौलिया लाई और आपने उसे वापस कर दिया। (सहीह बुखारी: 260, 249, 257, 259, 265, 266, 274, 276, 281, अबूदाऊद : 245, तिर्मिज़ी : 03, नसाई : 1/137, 138, 1/240, इब्ने माजह : 467)

صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة
فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً ثم ذكر نحو حديث أبي
معاوية ولم يذكر غسل الرجلين .

وَحَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو النَّاقِدِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو،
حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ
مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ
فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنِي
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ
بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ،
قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي، مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَذْيَبْتُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ
الْجَنَابَةِ فغَسَلَ كَفَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ
يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أْفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ
بِشِمَالِهِ ثُمَّ صَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلَكُهَا
ذَلِكَا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوئَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أْفْرَغَ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِهِ ثُمَّ غَسَلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فغَسَلَ
رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ .

(723) (वकीअ और अबू मुआविया) ने आमश की मज़कूरा बाला सनद से हदीस सुनाई। लेकिन उन दोनों की हदीस में सर पर तीन लप डालने का ज़िक्र नहीं है और वकीअ की हदीस में पूरे वुजू की कैफ़ियत का बयान है और उसमें कुल्ली और नाक में पानी डालने का ज़िक्र है और अबू मुआविया की हदीस में तोलिये का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشْجَعُ وَإِسْحَاقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكَيْعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاقٌ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ وَصَفَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ يَذْكُرُ الْمَضْمُضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمُنْدِيلِ .

(724) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत मैमूना (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि नबी (ﷺ) के पास तोलिया लाया गया, तो आपने नहीं लिया और इस तरह पानी को झाड़ने लगे, यकूल यफ़अलु के मानी में है यन्फुजुहु का मानी है। आपने उसे झाड़ा।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُنْدِيلٍ فَلَمْ يَمْسُهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ .

(725) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो दूध दुहने जितना बर्तन मंगवाते, चुल्लू से पानी लेते और सर के दायें हिस्से से आगाज़ फ़रमाते। फिर बायें तरफ़ पानी डालते, फिर लप भरकर दोनों हाथों से सर पर पानी डालते।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْجِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .

(सहीह बुखारी : 258, अबू दाऊद : 240, नसाई : 1/206-207)

फ़ायदा : अहादीसे मज़कूरा बाला (पिछली हदीसों) की रोशनी में गुस्ले जनाबत का तरीक़ा अगर पानी बर्तन में हो और उसमें हाथ डालने की ज़रूरत हो तो फिर बर्तन में हाथ डालने से पहले उन्हें तीन बार धोया जायेगा। फिर बदन के जिस हिस्से पर मनी लगी हो उसे धोया जायेगा। पानी दायें हाथ से

डालेंगे और शर्मगाह को धोने के लिये बायाँ हाथ इस्तेमाल करेंगे। फिर बायें हाथ को मिट्टी पर अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करेंगे या साबुन से धो लेंगे। फिर नमाज़ वाला मुकम्मल वुजू करेंगे। पाँव वुजू के साथ धो लेंगे। फिर आखिर में ज़रूरत के तहत दोबारा धो लेंगे या उनका धोना मुअख़्खर (ताख़ीर) कर लेंगे। फिर तीन लप पानी सर पर डालेंगे। एक दायें जानिब, दूसरी बायें जानिब और तीसरा सर पर और बालों को उंगलियों के ज़रिये अच्छी तरह तर करेंगे। (और उसके साथ दाढ़ी के बाल भी अच्छी तरह तर करने चाहिये) और फिर पूरे जिस्म को अच्छी तरह धोयेंगे। गुस्ल से फ़रागत के बाद जिस्म से पानी को झाड़ा जायेगा और इससे मालूम होता है तोलिये के इस्तेमाल में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है।

बाब 10 : गुस्ले जनाबत के लिये पानी की मुस्तहब मिक्दार (मात्रा) मर्द व औरत का एक बर्तन से इकट्ठे गुस्ल करना और मियाँ-बीवी का एक-दूसरे के बचे हुए पानी से नहाना

باب الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ

(726) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक फ़रक़ के बर्तन से गुस्ले जनाबत फ़रमाया करते थे।

(अबू दाऊद : 238)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنْاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस : फ़रक़ : तीन साअ।

(727) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक प्याले से जो एक फ़रक़ की मिक्दार का था गुस्ल फ़रमाते, मैं और आप एक बर्तन से गुस्ल करते थे। सुफ़ियान की हदीस में अल इनाउल वाहिद की बजाय इनाउन वाहिद है। कुतैबा ने कहा,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا

मुफ़ियान ने बताया, फ़रक़ तीन साअ का होता है। साअ में पानी की मिक्दार ज़्यादा होती है और ग़ल्ले की कम। इसलिये कुछ ने पानी के तीन साअ की मिक्दार साढ़े तेरह लीटर निकाली है। ग़ल्ले की मिक्दार एक साअ 5 रत्ल और मुलुस रत्ल और पानी की मिक्दार 8 रत्ल है।

(इब्ने माजह : 376)

(728) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से रिवायत है कि मैं और हज़रत आइशा (रज़ि.) का रज़ाई भाई उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो उसने उनसे नबी (ﷺ) के गुस्ले जनाबत के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने एक साअ के बक्रद बर्तन मँगवाया और उससे गुस्ल किया। हमारे और उनके दरम्यान पर्दा हाइल था और अपने सर पर तीन बार पानी डाला। अबू सलमा ने बताया कि नबी (ﷺ) की बीवियाँ अपने सर के बालों को वफ़रह की तरह बना लेती थीं।

(सहीह बुखारी : 251, नसाई : 1/208)

عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكَانَتْ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْع .

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَلْصِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخْوَاهَا، مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدَرِ الصَّاعِ فَأَغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَعْتُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا . قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यअखुज्ज रुऊसहुन्न : अपने सर के बाल वफ़रह की तरह बना लेतीं। औरतें जब गुस्ल करती हैं अगर उनके बाल खुले हों तो वो उनको इकट्ठा करके, सर या गुद्दी पर रख लेती हैं। ताकि जिस्म पर पानी बहाना आसान हो जाये। अगर बाल खुले हों और पुश्त पर पड़ रहे हों तो उनके नीचे से जिस्म को धोना दिक्कत और कुल्फ़त का बाइस बनता है, इसलिये अख़ज़ का मानी पकड़ना है, काटना नहीं है। (2) वफ़रह : आम अहले लुगत के नज़दीक कानों तक के बाल और इमाम अस्मई के नज़दीक कन्धों पर पड़ने वाले बाल को कहते हैं।

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने रज़ाई भाई अब्दुल्लाह बिन यज़ीद और रज़ाई भान्जे अबू सलमा को गुस्ल करके दिखाया ताकि उन्हें गुस्ल के लिये पानी की मिक्दार और गुस्ल की कैफ़ियत

दोनों का इल्म हो सके। नीज़ इससे ये भी मालूम हुआ कि महरम के लिये औरत के बदन का ऊपर वाला हिस्सा देखना जाइज़ है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सर के धोने का तरीका दिखलाया था और बाक़ी बदन मस्तूर था। अबू सलमा को हज़रत आइशा (रज़ि.) की बहन उम्मे कुल्सूम ने दूध पिलाया। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नम्बर : 472)

(729) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से रिवायत है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ल फ़रमाते तो दायें हाथ से आगाज़ फ़रमाते। उस पर पानी डालकर उसे धोते, फिर जहाँ मनी लगी होती उसे दायें हाथ से पानी डालकर, बायें हाथ से धोते। जब इससे फ़ारिग हो जाते तो सर पर पानी डालते। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन से नहाते, जबकि हम दोनों जुन्बी होते।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَيْدِي بِهِ يَمِينِهِ وَعَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا قَرَعَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانٍ .

फ़ायदा : मिथाँ-बीवी का एक बर्तन से इकट्ठे नहाना बिल्इतिफ़ाक़ जाइज़ है, गुस्ल का मुकम्मल तरीका ऊपर गुज़र चुका है।

(730) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया कि वो (आइशा) और नबी (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल करते, जिसमें तीन मुद्द या उसके करीब पानी आता था।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، - وَكَانَتْ تَحْتِ الْمُنْدَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ - أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ .

फ़ायदा : एक मुद्द में पानी दो रत्ल आता है, जो एक साअ का चौथाई है। इस तरह पानी एक लीटर से कुछ ज़्यादा होगा और तीन मुद्द में साढ़े तीन लीटर से कम पानी होगा। इससे मालूम हुआ कि आपने कुछ बार तीन साअ की बजाय तीन मुद्द पानी पर गुज़ारा फ़रमाया है या उस सूरत में इकट्ठे गुस्ल नहीं फ़रमाया होगा, बल्कि बर्तन के छोटा होने की वजह से यके बाद दीगरे गुस्ल किया होगा और बक़ौल कुछ मुद्द यहाँ साअ के मानी में है।

(731) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ले जनाबत एक बर्तन से करते और उससे हमारे हाथ बारी-बारी पानी लेते।

(सहीह बुखारी : 261)

(732) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल करते जो मेरे और आपके दरम्यान होता, आप मुझसे पहले पानी लेते यहाँ तक कि मैं अर्ज़ करती, मेरे लिये छोड़िये, मेरे लिये छोड़िये और हम दोनों जुन्बी होते थे।

(नसाई : 1/128, 1/202)

(733) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत मैमूना (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि वो और नबी (ﷺ) एक बर्तन से नहाते थे।

(तिर्मिज़ी : 62, नसाई : 1/129, इब्ने माजह : 377)

(734) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मैमूना (रज़ि.) के बचे हुए पानी से नहाते थे।

(सहीह बुखारी : 253)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَخْتَلِفُ أَيِّدِنَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ فَيَبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي . قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ أَكْبَرُ عَلَمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعَثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि मर्द, औरत के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उलमा (रह.) का यही नज़रिया है।

इमाम अहमद और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक औरत के बचे हुए पानी से जबकि उसने अकेले गुस्ल किया हो, मर्द के लिये गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। इमाम अहमद का एक क़ौल, दूसरे अइम्मा के मुवाफ़िक़ है। सहीह अहादीस का तकाज़ा यही है कि गुस्ल करना दुरुस्त है। मगर ये कि औरत गुस्ल करते वक़्त हज़म व एहतियात से काम न लेती हो और इस्तेमाल किया हुआ पानी बर्तन में गिराती हो तो ऐसी सूरत में इंसान तबई तौर पर ऐसे पानी के इस्तेमाल से कराहत महसूस करता है।

(735) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि वो और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ले जनाबत करते थे।

(सहीह बुख़ारी : 322, 1929, इब्ने माजह : 380)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

(736) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) 5 मकूक से गुस्ल फ़रमाते और एक मकूक से वुजू फ़रमाते। इब्ने मुसन्ना ने मकाकीक की जगह मकाकी लफ़्ज़ बोला, मकूक का वज़न एक मुद्द से ज़्यादा है।

(सहीह बुख़ारी : 201, अबू दाऊद : 95, तिर्मिज़ी : 609, नसाई : 1/127, 344)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَكِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ جَبْرِ .

फ़ायदा : अलग-अलग रिवायतों में नहाने के पानी और वुजू के पानी के लिये अलग-अलग वक़्तों में, अलग-अलग बर्तनों का ज़िक्र आया है। जिससे मालूम होता है ज़रूरत और अहवाल व ज़रूफ़ के मुताबिक़ पानी में कमी-बेशी हो सकती है। बिला ज़रूरत पानी का ज़्यादा इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इमाम नववी ने मकूक से मुराद मुद्द लिया है। क्योंकि अगली रिवायत में ये आ रहा है कि आप मुद्द से वुजू करते और एक साअ से पाँच मुद्द तक गुस्ल फ़रमाते।

(737) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुद्द से वुजू करते और एक साअ से पाँच मुद्द तक से गुस्ल करते।

(738) हज़रत सफ़ीना (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक साअ पानी से गुस्ल फ़रमा लेते और एक मुद्द से वुजू कर लेते।
(तिर्मिज़ी : 56, इब्ने माजह : 267)

(739) हज़रत सफ़ीना (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक साअ पानी से गुस्ल फ़रमाते और एक मुद्द पानी से वुजू फ़रमा लेते। इब्ने हुज्ज (रह.) ने कहा, यततहहरु बिल्मुद्दि कहा या युतहहरुह्ल मुद्दु कहा। अबू रेहाना ने कहा, सफ़ीना (रज़ि.) उम्र रसीदा हो गये थे इसलिये मुझे उनकी हदीस पर ऐतमाद व वसूक नहीं है।

बाब 11 : सर और जिस्म के दूसरे हिस्से पर तीन बार पानी बहाना पसन्दीदा अमल है

(740) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) से रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने गुस्ल के बारे में झगड़ा किया। कुछ ने कहा, मैं तो बस इतनी-इतनी बार सर धो लेता हूँ। तो रसूलुल्लाह

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَعْدَرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بَشْرٌ، - حَدَّثَنَا أَبُو رِخَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسَلُهُ الصَّاعَ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضِّئُهُ الْمُدَّ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي رِخَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ - صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيُطَهَّرُهُ الْمُدُّ . وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِيرًا وَمَا كُنْتُ أَتَى بِحَدِيثِهِ .

باب اسْتِحْبَابِ إِفَاصَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ

(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तो सर पर तीन चुल्लू डालता हूँ।'

(बुखारी : 254, अबू दाऊद : 239, नसाई : 1/135, 1/207, 1/279, इब्ने माजह : 570)

تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَعْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ . "

मुफ़रदातुल हदीस : तमारौ : आपस में इख़ितालाफ़ और झगड़ा किया। अकुफ़, कफ़ की जमा है, हथेली को कहते हैं और यहाँ मुराद चुल्लू है।

(741) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपके सामने गुस्ले जनाबत का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया, 'मैं तो सर पर तीन बार पानी डालता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ " أَمَا أَنَا فَأَفْرُغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا . "

(742) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि सक्कीफ़ के आने वाले लोगों ने नबी (ﷺ) से अज़्र किया कि हमारा इलाक़ा बहुत ठण्डी जगह है तो हम गुस्ल कैसे करें? तो आपने फ़रमाया, 'मैं तो सर पर तीन बार पानी डालता हूँ।' इब्ने सालिम की हुशैम की रिवायत में है, सक्कीफ़ के वफ़द ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ وَقْدًا، تَقِيْفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ " أَمَا أَنَا فَأَفْرُغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا . " قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رَوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَقْدًا تَقِيْفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

(743) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत करते सर पर पानी के तीन चुल्लू डालते तो हसन बिन मुहम्मद ने जाबिर से कहा, मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा हैं। जाबिर

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيُّ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ

ने उससे कहा, ऐ भतीजे! रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल तुझसे ज़्यादा और पाकीज़ा थे (अगर आपके लिये तीन चुल्लू सर के लिये काफ़ी थे तो तेरे लिये काफ़ी क्यों नहीं?)

(इब्ने माजह : 577)

جَنَابَةٌ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ . فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ . قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ

फ़ायदा : अहादीसे मज़कूरा बाला (पिछली हदीसों) में सिर्फ़ सर पर तीन चुल्लू डालने का ज़िक्र है। कुछ अइम्मा ने इससे तीन बार धोना मुराद लिया है और सर पर कियास करते हुए नीज़ वुजू में आज़ा के तीन बार धोने का मल्हूज़ रखते हुए गुस्ल में भी तीन बार पानी बहाना मुस्तहब करार दिया है और इमाम नववी ने इस नुक्ते नज़र की बिना पर ये बाब कायम किया है।

बाब 12 : गुस्ल में सर के गून्दे हुए बालों (चोटी, जुल्फ़) का हुक्म

باب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُعْتَسِلَةِ

(744) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं औरत होने के नाते सर के बाल गूंदती हूँ तो क्या गुस्ले जनाबत के लिये उनको खोलूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं! तेरे लिये बस इतना काफ़ी है कि बस सर पर तीन चुल्लू भर कर पानी डालो, फिर अपने जिस्म पर पानी बहा लो तो तुम पाक हो जाओगी।'

(अबू दाऊद : 251, तिर्मिज़ी : 105, नसाई : 1/131, इब्ने माजह : 603)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِبْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ إِثْمًا يَكْفِيكَ أَنْ تَخْنِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تَقْبِضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ .

फ़ायदा : सर के बालों की जड़ों तक अगर पानी पहुँच जाये तो फिर गून्दे हुए बालों को खोलना ज़रूरी नहीं है। जुम्हूर फुक्हहा का यही मौक़िफ़ है। इमाम नख़ई (रह.) के नज़दीक हर हालत में बाल खोलने होंगे। हसन बसरी और ताऊस के नज़दीक गुस्ले हैज के लिये बाल खोलना ज़रूरी हैं, गुस्ले जनाबत के लिये ज़रूरी नहीं।

(745) इमाम साहब एक दूसरी सनद से रिवायत करते हैं और अब्दुर्रज़ाक की हदीस में है, क्या मैं हैज व जनाबत के लिये बालों को खोलूँ? तो आपने फ़रमाया, 'नहीं!' आगे मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत है।

(746) इमाम साहब एक दूसरी सनद से रिवायत करते हैं कि उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा, क्या मैं उन्हें खोलकर गुस्ले जनाबत करूँ? हैज का तज़क़िरा नहीं किया।

(747) हज़रत आइशा (रज़ि.) को ये बात पहुँची कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) औरतों को ये हुक्म देते हैं कि वो गुस्ल करते वक़्त सर के बाल खोला करें, तो आइशा (रज़ि.) ने कहा, इब्ने उमर के इस हुक्म पर तअज्जुब है। वो औरतों को हुक्म देते हैं कि वो जब गुस्ल करें तो सर के बाल खोलें। उन्हें हुक्म क्यों नहीं देते कि वो अपने सर के बाल मुण्डवा लें। मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी कि अपने सर पर तीन बार पानी डाल लेती।

(नसाई : 1/203, इब्ने माजह : 604)

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का ख़याल था कि बाल खोले बग़ैर, बाल अच्छी तरह नहीं धुलते। जबकि बालों का तर होना ज़रूरी है और उन्हें उम्मे सलमा और हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस का इल्म नहीं था या वो ये हुक्म इस्तिहबाब व एहतियात के तौर पर देते होंगे।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقَضَهُ لِلْحَيْضَةِ
وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ "لَا" ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ
عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ
رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفْأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .
وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَلِيَّةَ، قَالَ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
الرُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ
يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا
يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ
أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ
أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرَغَ عَلَى
رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ .

बाब 13 : गुस्ले हैज करने वाली औरत के लिये मुस्तहब है कि वो खून की जगह पर खुशबू में मुअत्तर कपड़ा या रूई इस्तेमाल करे

باب اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِّ

(748) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं एक औरत ने नबी (ﷺ) से पूछा, वो गुस्ले हैज कैसे करे? आइशा (रज़ि.) ने बताया कि आपने उसे गुस्ल का तरीका सिखाया। फिर फ़रमाया, 'गुस्ल के बाद वो एक मुश्क से मुअत्तर कपड़ा ले कर उससे पाकीज़गी हासिल करे।' औरत ने पूछा, मैं उससे कैसे पाकीज़गी हासिल करूँ? आपने फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! उससे तहारत हासिल कर' और आपने हया से चेहरा छिपा लिया। (सुफ़ियान ने हमें हाथ के इशारे से मुँह छिपाकर दिखाया) आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, मैंने उस औरत को अपनी तरफ़ खींच लिया और मैं नबी (ﷺ) की मुराद को समझ गई थी तो मैंने कहा, उस मुअत्तर कपड़े को खून के निशान पर लगाकर साफ़ कर। इब्ने अबी अम्र की रिवायत में अस्सरहम की जगह आस्सरहम है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنِ أُمِّهِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرُ بِهَا . قَالَتْ كَيْفَ أَنْتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ " تَطَهَّرِي بِهَا . سُبْحَانَ اللَّهِ " . وَاسْتَرَّ - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِّ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَارَ الدَّمِّ .

(नसाई : 314, 315, 7357, नसाई : 251, 1/135, 136, 137, 425)

फ़ायदा : आपने सुब्हानअल्लाह इसलिये फ़रमाया कि वो एक वाज़ेह और खुली बात को भी समझ नहीं रही थी और आप शर्म व हया की बिना पर शर्मगाह का नाम लेना नहीं चाहते थे।

(749) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से पूछा कि मैं पाकीज़गी के हुसूल के वक़्त गुस्ल कैसे करूँ? तो आपने फ़रमाया, '(ख़ुश्बू व कस्तूरी) से मुअत्तर टुकड़ा लेकर उससे तहारत हासिल करा।' फिर सुफ़ियान की तरह रिवायत बयान की।

(750) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि असमा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से गुस्ले हैज के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'तुम में से हर एक अपना पानी और बेरी के पत्ते लेकर अच्छी तरह तहारत करे (ख़ून को अच्छी तरह साफ़ करे) फिर सर पर पानी डालकर उसको अच्छी तरह मले। यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाये। फिर अपने ऊपर पानी डाले। फिर कस्तूरी से मुअत्तर कपड़े का टुकड़ा लेकर, उससे सफ़ाई करे (ख़ून की जगह पर ख़ुश्बू लगाये) तो असमा (रज़ि.) ने पूछा, उससे पाकीज़गी कैसे हासिल करे? आपने फ़रमाया, 'सुबहानअल्लाह! उससे पाकीज़गी हासिल करा।' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने (आहिस्तगी) से कहा, ख़ून के निशान पर लगाकर और उसने आपसे गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया, 'पानी लेकर उससे अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर वुज़ू करे, फिर सर पर पानी डालकर उसे मले। यहाँ तक कि सर के बालों की जड़ों तक पहुँच जाये।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا جَبَّانُ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَعْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ " خُذِي فِرْصَةَ مُمْسَكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنْ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطْهَرُ فَتَحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ . ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَطْهَرُ بِهَا " . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطْهَرُ بِهَا فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِينَ بِهَا " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَبَعِينَ أَثَرِ الدَّمِ . وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ " تَأْخُذُ مَاءً فَتَطْهَرُ فَتَحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تَبْلُغُ الطُّهُورَ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ

फिर अपने जिस्म पर पानी डाले तो आइशा (रज़ि.) ने कहा, अन्सार की औरतों किस कद्र अच्छी हैं कि हया व शर्म उन्हें दीन की सूझ-बूझ हासिल करने से नहीं रोकती।

(अबू दाऊद : 314, 315, 316, इब्ने माजह : 642)

(751) इमाम साहब एक दूसरी सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं आपने फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! उससे पाकीज़गी हासिल कर' और आपने चेहरा छिपा लिया।

(752) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि असमा बिनते शकल रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! जब हममें से कोई औरत गुस्ले हैज़ करे (हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के लिये) तो कैसे नहाये? और ऊपर वाली हदीस बयान की और उसमें गुस्ले जनाबत का तज़्किरा नहीं किया।

النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَّفَقْنَ فِي الدِّينِ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا " . وَاسْتَرَّ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَغْتَسِلُ إِخْدَانًا إِذَا طَهَّرْتُ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़िरसह : रूई का गाला या कपड़े का टुकड़ा। (2) मुस्क : कस्तूरी। (3) आसारहम : खून के असरात मतलब शर्मगाह है कि कस्तूरी से मुअत्तर रूई का गाला या कपड़ा से मखसूस जगह को मुअत्तर कर ले। (4) मुमस्सकह : कस्तूरी से मुअत्तर। (5) शुऊन रअसिहा : सर के बालों को जड़ें।

फ़ायदा : जब औरत हैज़ से फ़रागत के बाद गुस्ल करे तो पूरी तरह निज़ाफ़्त और पाकीज़गी के लिये खून की बू को ख़त्म करने के लिये कस्तूरी इस्तेमाल करे या जो खुशबू भी मुयस्सर हो उसको इस्तेमाल कर ले और जुम्हूर के नज़दीक निफ़ास का हुक्म भी हैज़ वाला है। नीज़ खुशबू का इस्तेमाल बेहतर और पसन्दीदा अमल है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं।

बाब 14 : मुस्तहाज़ा का गुस्ल और उसकी नमाज़

باب الْمُسْتَحَاضَةِ وَعُغْسِهَا وَصَلَاتِهَا

(753) हजरत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश नबी (ﷺ) की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तहाज़ा आता है। इसलिये मैं पाक नहीं हो सकती तो क्या मैं नमाज़ छोड़ सकती हूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं! ये तो बस एक रग का खून है, हैज़ नहीं है। लिहाज़ा जब हैज़ शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो और जब बंद हो जाये तो अपने से खून धोकर नमाज़ पढ़ लो।'

(सहीह बुखारी : 228, तिर्मिज़ी : 125, नसाई : 1/184, इब्ने माजह : 621)

(754) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) हदीस बयान करते हैं जिसमें है, फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद आई जो हमारे ख़ानदान से है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने कहा, हम्माद बिन ज़ैद की हदीस में एक कलिमा ज़ाइद है, जो हमने छोड़ दिया है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ " لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَائِسْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكَيْعٍ وَإِسْنَادِهِ . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا . قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ .

नोट : सनद में अबू हुबैश का बाप अब्दुल मुत्तलिब बयान किया गया है जबकि वो मुत्तलिब है और जो लफ़्ज़ इमाम मुस्लिम (रह.) ने छोड़ दिया है वो है इग़सिली अन्कदम के बाद तवज़्ज़ई और इस

लफ़्ज़ में इमाम मुस्लिम (रह.) के ख़्याल में हम्माद मुन्फ़रिद है। इसलिये इमाम साहब ने उसे छोड़ दिया है। हालांकि हम्माद के अलावा दूसरे रावियों ने भी ये लफ़्ज़ हिशाम से बयान किया है इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सहीह में ये लफ़्ज़ हम्माद के अलावा रावी से रिवायत किये हैं।

(755) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तहाज़ा आता रहता है तो आपने फ़रमाया, 'ये तो एक रग का खून है, लिहाज़ा (हैज से) नहाकर नमाज़ पढ़।' तो वो हर नमाज़ के लिये गुस्ल करती थीं। लैस बिन सअद ने कहा, इब्ने शिहाब ने ये बयान नहीं किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्मे हबीबा बिन्ते जहश को हर नमाज़ के लिये नहाने का हुक्म दिया था। ये काम वो अपने तौर पर करती थीं। इब्ने रुमह की रिवायत में उम्मे हबीबा बिन्ते जहश की जगह सिर्फ़ इब्नतु जहश आया है।

(अबू दाऊद : 290, तिर्मिज़ी : 129, नसाई : 1/116, 1/181)

(756) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की साली और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि. की बीवी है) को सात साल इस्तहाज़ा आता रहा। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसके बारे में पूछा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये हैज नहीं है, ये तो एक रग का खून है, लिहाज़ा गुस्ल कर और नमाज़ पढ़।' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, वो अपनी

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضُ . فَقَالَ " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَاءَ فَعَلَتْهُ هِيَ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - حَتَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَّتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ

बहन ज़ैनब बन्ते जहश के कमरे में एक टब में गुस्ल करतीं तो खून की सुर्खी पानी के ऊपर आ जाती। इब्ने शिहाब कहते हैं, मैंने ये हदीस अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम को सुनाई तो उसने कहा, अल्लाह तआला हिन्दा पर रहम फ़रमाये, काश वो ये फ़रमान सुन लेती, अल्लाह की क़सम! वो रोया करती थी, क्योंकि वो इस हालत में नमाज़ नहीं पढ़ती थी।

(सहीह बुखारी : 327, अबू दाऊद : 285, नसाई : 1/117-118, इब्ने माजह : 262)

(757) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बन्ते जहश (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और उसे सात साल इस्तहाज़ा आता रहा है। ये रिवायत मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत की तरह है और सिर्फ़ खून की सुर्खी पानी के ऊपर आ जाती है तक है। उसके बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया गया।

(758) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि इब्नत जहश (जहश की बेटी) को सात साल इस्तहाज़ा आता रहा है आगे मज़कूरा रिवायत बयान की।

سِينِينَ فَاسْتَقْتَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَغْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هَذَا لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفَتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي .

وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ اسْتُحْيِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَغْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءَ . وَلَمْ يَذْكَرْ مَا بَعْدَهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(759) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से खून के बारे में सवाल किया? आइशा (रज़ि.) ने बताया, मैंने उसका टब खून से भरा देखा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'तुम्हें पहले जिस क़द्र हैज आता था, उतने दिन की रह, फिर नहा ले और नमाज़ पढ़।'

(760) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा बिनते जहश (जो अब्दुरहमान बिन औफ़ की मन्कूहा थी) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से खून (इस्तहाज़ा) की शिकायत की तो आपने उसे फ़रमाया, 'तुम जिस क़द्र हैज के दिनों में रुकती थी, इतने दिन ठहर, फिर नहा ले तो वो हर नमाज़ के लिये नहाया करती थी।'

(अबू दाऊद : 279, नसाई : 206)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ مَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اَمْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي . "

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رِبْعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بَنَتْ جَحْشَ النَّبِيِّ كَانَتْ تَحْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا " اَمْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي . " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

फ़ायदा : मुस्तहाज़ा औरत का खून चूँकि औकाते मख्सूसा (खास वक़्त) का पाबंद नहीं होता, इसलिये इसका हुक़म हैज से अलग है और मुस्तहाज़ा की अलग-अलग किस्में हैं (1) वो मुस्तहाज़ा जिसे पहले सिर्फ़ हैज आता था। कुछ अरसे के बाद इस्तहाज़ा शुरू हो गया। इसलिये उसको अपने हैज के दिनों का पता है कि मुझे इतने दिन हैज आता था, उसको मुअतादा कहते हैं। इसका हुक़म ये है कि उसे पहले जितने दिन हैज आता था, उतने दिन हैज के शुमार होंगे और बाद वाले दिन इस्तहाज़ा के होंगे।

(2) **मुब्तदात :** जिसको शुरू ही से इस्तहाज़ा आना शुरू हो गया, अगर ये हैज और इस्तहाज़ा के खून में इम्तियाज़ (फ़र्क) कर सकती है क्योंकि हैज का खून स्याह और इन्तिहाई बदबूदार होता है। इस्तहाज़ा की ये सूरत नहीं। तो फिर उसको मुमय्यज़ा करार दिया जायेगा। जितने दिन वो हैज समझे वो हैज होगा और बाकी इस्तहाज़ा। बशर्तेकि वो कम से कम मुदते हैज से कम न हो। जो शवाफ़ेअ के नज़दीक एक दिन-रात है और अहनाफ़ के यहाँ तीन दिन-रात और हैज की अक्सरे मुदत से ज़्यादा न हों। जो अइम्पए

सलासा के नज़दीक पन्द्रह दिन है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दस दिन। (3) अगर मुस्तहाज़ा की आदत भी न हो और वो मुमय्यज़ा भी न हो तो फिर उसको कम से कम मुद्ते हैज़ की पाबंदी करनी होगी। अगर एक औरत मुअतादा भी है और मुमय्यज़ा भी तो उसके बारे में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है।

अहनाफ़ के नज़दीक आदत का ऐतबार है और मालिकिया के नज़दीक तमीज़ का। शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक दोनों को मल्हूज़ रखना होगा, अगर दोनों में तज़ारूज़ (टकराव) हो तो शाफ़ेई के नज़दीक तमीज़ का ऐतबार होगा और इमाम अहमद के नज़दीक आदत का।

मुस्तहाज़ा के लिये गुस्ल : इस सिलसिले में जुम्हूर अइम्मा का मौक़िफ़ ये है कि (1) वो हैज़ के ख़ातमे पर गुस्ल करेगी और उसके बाद हर नमाज़ के लिये वुजू करेगी। शवाफ़ेअ के नज़दीक नमाज़ के लिये जो वुजू नमाज़ के वक़्त में किया गया है उससे सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकेगी वो अदा हो या क़ज़ा फ़र्ज़ के साथ नवाफ़िल पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक नमाज़ के वक़्त वुजू किया जायेगा और उसके साथ फ़र्ज़ नमाज़ के साथ फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ाई भी दी जा सकेगी। इमाम मालिक के नज़दीक वुजू करने के बाद सिर्फ़ इस्तहाज़ा के ख़ून से वुजू नहीं टूटता। जब तक कोई और सबबे हदस पैदा न हो।

(2) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) और अता बिन अबी रिबाह के नज़दीक हर नमाज़ के लिये गुस्ल ज़रूरी है। (3) हर रोज़ गुस्ल ज़रूरी है। इब्ने मुसय्यब और हसन बसरी के नज़दीक रोज़ाना जुहर के वक़्त गुस्ल करे।

(4) कुछ हज़रात के नज़दीक दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़े और उनके लिये गुस्ल करे।

जुम्हूर का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इलाज-मुआल्जे या एहतियात व इस्तिहाबाब की सूरात में अगर औरत को मशक्क़त व कुल्फ़त (पेशानी) न हो तो हर नमाज़ के लिये गुस्ल कर सकती है, हर नमाज़ के लिये गुस्ल लाज़िम नहीं है।

बाब 15 : हाइज़ा (हैज़ वाली औरत) के लिये रोज़े की क़ज़ा है, नमाज़ की नहीं

**باب وَجُوبِ قِضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى
الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ**

(761) हज़रात मुआज़ह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत ने हज़रात आइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि हमें हैज़ के दिनों की नमाज़ की क़ज़ाई देनी होगी? तो आइशा (रज़ि.) ने कहा, क्या तू हस्ूरिया से ताल्लुक़ रखती है?

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، ح وَحَدَّثَنَا
حَمَادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ
امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتُقْضَى إِحْدَانَا

हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हैज आता था, उसके बावजूद किसी को क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया गया।

(सहीह बुखारी: 321, अबू दाऊद : 262, 263, तिर्मिज़ी : 130, नसाई : 1/191-192, 4/164, इब्ने माजह : 631)

फ़ायदा : अइम्मए दीन का अहादीस की रोशनी में इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हैज वाली औरत रोज़े की क़ज़ाई देगी और यही हुक्म निफ़ास का है, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। सिर्फ़ ख़वारिज का ये नज़रिया है कि नमाज़ की भी क़ज़ाई देगी। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उस औरत से कहा, क्या तू हरूरिय्या से ताल्लुक रखती है। ख़ारजियों का जुहूर चूँकि हरूरा नामी बस्ती से हुआ था, जो कूफ़ा से दो मील के फ़ासले पर बाक़ेअ थी। इसलिये ख़ारजियों को हरूरी भी कहते हैं।

(762) मुआज़ह (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या हाइज़ा नमाज़ की क़ज़ाई देगी? तो आइशा (रज़ि.) ने पूछा, क्या तू हरूरिय्या से है? रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़्वाज को हैज आता था, क्या आपने उनको क़ज़ाई का हुक्म दिया था? मुहम्मद बिन जाफ़र ने कहा, यजज़ीन का मानी यज़ज़ीन (क़ज़ाई देना) है।

(763) मुआज़ह बयान करती हैं कि मैंने आइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि क्या वजह है हाइज़ा रोज़े की क़ज़ाई देती है और नमाज़ की क़ज़ाई नहीं देती? तो उन्होंने पूछा, क्या तू हरूरिय्या से है? मैंने कहा, मेरा हरूरिय्या से ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ़ पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, हमें भी हैज आता था तो हमें रोज़े की क़ज़ाई का हुक्म दिया जाता था, नमाज़ की क़ज़ाई का नहीं।

الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِخْدَانًا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ اتَّقِضِي الْخَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنْ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِيضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَتَّقِضِينَ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْخَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ كَانَ يُصَيِّنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

फ़ायदा : किसी मसले का हुक्म क्या है उसका असल दारोमदार कुरआन व सुन्नत की दलीलों पर है। उसकी हिक्मत और मस्लिहत या फ़िलॉसफ़ी क्या है, उसका बताना या जानना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती हैं। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब में सिर्फ़ ये कहा कि हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म मिला है, नमाज़ की क़ज़ा का हुक्म नहीं मिला। अइम्मए दीन आम तौर पर इस फ़र्क की वजह या इल्लत ये बयान करते हैं, नमाज़ें हर रोज़ पढ़नी होती हैं, इसलिये उनकी क़ज़ा व हरज और तंगी का बाइस है। जबकि रोज़े सिर्फ़ एक माह में रखने होते हैं, बाकी ग्यारह महीने रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। इसलिये उनकी क़ज़ाई किसी दिन भी दी जा सकती है। इसलिये ये मशक्कत या कुल्फ़त का बाइस नहीं है। अगरचे इस पर ये ऐतराज़ हो सकता है कि नमाज़ अपने पूरे वक़्त का इस्तीआब नहीं करती, इसलिये एक वक़्त में कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं और रोज़ा पूरे दिन का रखना होता है, इसलिये एक दिन में एक से ज़्यादा रोज़ा रखना मुम्किन नहीं है। नमाज़ के लिये तहारत ज़रूरी है और हैज व निफ़ास में औरत पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकती इसलिये उस पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है तो क़ज़ाई कैसे फ़र्ज़ हो सकती है और रोज़े के लिये तहारत शर्त नहीं है इसलिये हाइज़ा रोज़े फ़र्ज़ से कमी व आसानी के लिये उस पर अदा की बजाय क़ज़ा लाज़िम है।

बाब 16 : गुस्ल करने वाले का कपड़े वग़ैरह से पर्दा करना

باب تَسْتُرِ الْمُعْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

(764) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं फ़तहे मक्का के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गई। मैंने आपको गुस्ल करते हुए पाया और आपकी बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) आपको एक कपड़े से पर्दा किए हुए थे।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ . وَقَاطَمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ .

(सहीह बुखारी : 280, 357, 3171, 6158, तिर्मिज़ी : 2743, 1579, नसाई : 1/126, इब्ने माजह : 465)

फ़ायदा : अगर इंसान घर में कपड़ा बांधकर नहा रहा हो तो फिर भी बेहतर है कि दूसरों से औट में नहाये।

(765) हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब (रज़ि.) बयान करती हैं कि वो फ़तहे मक्का वाले साल, मक्का के बुलंद हिस्से में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। रसूलुल्लाह (ﷺ) नहाने के लिये उठे तो फ़ातिमा (रज़ि.) ने आपको पर्दे की आड़ की। फिर आपने अपना कपड़ा लेकर अपने गिर्द लपेटा, फिर चाशत के आठ नफ़ल अदा फ़रमाये, सुबहतुज्जुहा चाशत के नफ़ल, चाशत की नमाज़।

(766) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं जिसमें ये है तो आपकी बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) ने आपको कपड़े की औट मुहय्या की। गुस्ल के बाद आपने वो कपड़ा लेकर अपने गिर्द लपेट लिया। फिर नमाज़ के लिये खड़े हुए और आठ रक़अतें पढ़ीं और ये चाशत का वक़्त था।

फ़ायदा : सजदातिन सच्चा रक़अत का अहम हिस्सा और जुज़ है। इसलिये रक़अत को सच्चे से ताबीर किया गया है।

(767) हज़रत मैमूना (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) के (गुस्ल के) लिये पानी रखा और आपको पर्दा किया तो आपने गुस्ल फ़रमाया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مَرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ، لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ . قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتْ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَتْ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاعْتَسَلَ .

बाब 17 : दूसरे की शर्मगाह देखने की मुमानिअत (मनाही)

باب تحريم النظر إلى العورات

(768) अब्दुरहमान बिन अबी सईद अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मर्द किसी मर्द की शर्मगाह को न देखे और औरत किसी औरत की शर्मगाह को न देखे और न कोई मर्द बरहना होकर दूसरे बरहना मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे और न कोई नंगी औरत, दूसरी नंगी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे।

(अबू दारूद : 2793, इब्ने माजह : 661)

(769) इमाम साहब मज़कूरा रिवायत और असातिज़ा से बयान करते हैं दोनों औरत के लफ़्ज़ की जगह इरयतिरिजुलि औ इरयतिल मरअति कहा।

मुफ़रदातुल हदीस : इरयह : के ऐन पर पेश और ज़बर दोनों आ सकते हैं और रा साकिन होगी या उसको ऐन के पेश, रा की ज़बर और या मुशहद पढ़कर तसगीर बनायेंगे। मानी बरहना और नंगा होना है।

फ़ायदा : उम्मत इस्लामिया के नज़दीक बिल्इतिफ़ाक़ मर्द का मर्द या अजनबी औरत की शर्मगाह और औरत के लिये औरत और अजनबी मर्द की शर्मगाह देखना हराम है। लेकिन मियाँ-बीवी एक-दूसरे के सामने बरहना हो सकते हैं।

महरम मर्द के लिये औरत का नाफ़ से ऊपर और घुटने से नीचे वाला हिस्सा औरत नहीं और अजनबी मर्द के लिये तमाम बदन औरत है। इस तरह औरत के लिये अजनबी मर्द को देखना दुरुस्त नहीं है। किसी वाकेई हाजत व ज़रूरत के वक़्त देखना, जबकि बनज़रे शहवत न हो जाइज़ होगा। इस बिना पर मियाँ-बीवी के सिवा किसी के लिये एक-दूसरे के साथ बरहना लेटना जाइज़ नहीं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكِ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ - مَكَانَ عَوْرَةِ - عُرْيَةَ الرَّجُلِ وَعُرْيَةَ الْمَرْأَةِ .

बाब 18: तन्हाई में बरहना नहाना
जाइज़ है

باب جَوَازِ الإِغْتِسَالِ عُزْبَانًا فِي
الْخَلْوَةِ

(770) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं आपने फ़रमाया, 'बनू इस्राईल बरहना नहाते थे, एक-दूसरे की शर्मगाह को देख रहे होते और मूसा (अलै.) अकेले नहाते। इस्राईली कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मूसा (अलै.) हमारे साथ सिर्फ़ इस बिना पर नहीं नहाते कि उनको हर्निया की बीमारी है।' आपने फ़रमाया, 'मूसा (अलै.) एक बार नहाने लगे तो अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिये। पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ और मूसा (अलै.) उसके पीछे (सरपट) ज़ोर से दौड़ पड़े और फ़रमाने लगे, ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दो, ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दो। यहाँ तक कि बनू इस्राईल ने मूसा (अलै.) के क़ाबिले सतर हिस्से को देख लिया और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मूसा (अलै.) को तो कोई बीमारी लाहिक नहीं है। जब मूसा (अलै.) को सरापा देख लिया गया तो पत्थर ठहर गया। मूसा (अलै.) ने अपने कपड़े पहने और पत्थर को मारना शुरू कर दिया।' अबू हु़रैरह (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मूसा (अलै.) के पत्थर को मारने से उस पर छः या सात निशान पड़ गये।

(सहीह बुखारी : 278)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सौअह : शर्मगाह। आदर : जिसके खुस्यतेन फूले हों। (2) जमह : सरपट दौड़ा। (3) नदबुन : निशान।

फ़वाइद : (1) इंसान तन्हाई में बरहना होकर गुस्ल कर सकता है। अगरचे बेहतर यही है, कपड़ा

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُزْبَةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَاءِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ أَدُرٌ - قَالَ - فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَأَ الْحَجْرُ بِثَوْبِهِ - قَالَ - فَجَمَعَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجْرٌ ثَوْبِي حَجْرٌ . حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوَاءِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . فَقَامَ الْحَجْرُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرَبَ مُوسَى بِالْحَجَرِ .

बांधकर नहाये। क्योंकि कोई अचानक आ सकता है। अगर गुस्लखाना वगैरह हो जहाँ किसी के आने का खतरा न हो तो फिर कोई हर्ज नहीं।

(2) अम्बिया (अलै.) अपनी सीरत और सूरत दोनों ऐतबार से कामिल तरीन फ़र्द होते हैं और अल्लाह तअला उनको ऐबों और नुक़्सों से पाक रखता है और अम्बिया (अलै.) बशर होने की बिना पर इंसानी जज़्बात से मुत्सिफ़ होते हैं। इसलिये मूसा (अलै.) ने गुस्से में आकर पत्थर पर ज़रबें लगाईं और अल्लाह तअला ने अपने नबी की इज़्ज़त व आबरू की बराअत की ख़ातिर पत्थर में खुद-बख़ुद दौड़ने की ताक़त पैदा कर दी। जैसाकि उसके हुक्म से ज़मीन अपने मेहवर पर हरकत कर रही है।

बाब 19 : शर्मगाह की हिफ़ाज़त पर तवज्जह देना

باب الإعتناء بحفظ العورة

(771) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, जब कअबा तामीर किया गया तो अब्बास (रज़ि.) और रसूलुल्लाह (ﷺ) पत्थर लाने लगे तो अब्बास (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से कहा, पत्थरों से हिफ़ाज़त के लिये अपना तहबंद उठाकर कन्धे पर रख लीजिये, तो आपने ऐसा कर लिया। इस पर आप ज़मीन पर गिर गये और आपकी आँखें आसमान की तरफ़ लग गईं। फिर आप उठे और कहा, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। तो आपका तहबंद बांध दिया गया या आपने अपना तहबंद बांध लिया। इब्ने राफ़ेअ की रिवायत में अला आतिक़िक (अपने कन्धे पर) के बजाय अला रक़बतिक (अपनी गर्दन पर) के अल्फ़ाज़ हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لهُمَا - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسُ يُتَقْلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَيَّ عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ " إِزَارِي إِزَارِي". فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ. قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَيَّ رَقَبَتِكَ. وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ عَاتِقِكَ

(सहीह बुख़ारी : 1582, 3829)

फ़ायदा : इंसान को दूसरों के सामने अपना सतर नहीं खोलना चाहिये। नबी (ﷺ) ने नुबूवत से पहले ही अपनी तबई (फ़ितरी) शर्म व हया की बिना पर चाचा के हुक्म से अपना तहबंद खोल तो लिया,

लेकिन फौरन बेहोश होकर गिर पड़े और आपको उस काम से रोक दिया गया। क्योंकि अल्लाह तआला अपने अम्बिया (अलै.) को नुबूत से पहले ही ग़लत कामों से बचाता है। उस वक़्त आप बक़ौल ज़ोहरी बुलूग़त को नहीं पहुँचे थे। बक़ौल बाज़ उस वक़्त आपकी उम्र पन्द्रह साल, बक़ौल बाज़ पच्चीस और बक़ौल इब्ने इस्हाक़ पैंतीस साल थी।

(772) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कअबा की तामीर के लिये कुरैश के साथ पत्थर नक़ल कर रहे थे (ढो रहे थे) और आप तहबंद बांधे हुए थे तो आपको आपके चाचा अब्बास (रज़ि.) ने कहा, ऐ भतीजे! ऐ काश आप अपना तहबंद खोलकर पत्थरों से बचाव के लिये अपने कन्धे पर रख लें। तो आपने उसे खोलकर अपने कन्धे पर रख लिया। इस पर आप ग़शी खाकर गिर गये। उस दिन के बाद कभी आपको नंगे नहीं देखा गया।

(सहीह बुख़ारी : 364)

(773) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं भारी पत्थर उठाये हुए आगे बढ़ा और मैं हल्का सा तहबंद बांधे हुए था तो मेरा पत्थर उठाये हुए तहबंद खुल गया और मैं उसको उसकी जगह पर रखे बग़ैर बांध न सका तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने कपड़े की तरफ़ लौटकर उसको उठाओ और नंगे न चला करो।'

(अबू दाऊद : 4016)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْجِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْجِجَارَةِ - قَالَ - فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْرُوثًا عَلَيْهِ - قَالَ - فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَثْمَلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَى إِزَارٍ خَفِيفٍ - قَالَ - فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً " .

बाब 20 : क़ज़ाए हाजत के लिये कैसे पर्दा किया जायेगा?

(774) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (रज़ि.) से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे सवार कर लिया और फिर मुझे एक राज़ की बात बताई, जो मैं किसी इंसान को नहीं बताऊंगा और आपको क़ज़ाए हाजत के लिये महबूब तरीन औट टीला या खजूर का बाग़ था। इब्ने असमा ने अपनी हदीस में हाइत नख़िलन का मानी नख़िलस्तान किया। हदफ़ (टीला)।

(अबू दाऊद : 2549, इब्ने माजह : 340)

بَاب مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ حَلَفَهُ فَأَسْرَأَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَذِهِ أَوْ خَائِشُ نَخْلٍ . قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي خَائِطُ نَخْلٍ .

फ़ायदा : क़ज़ाए हाजत के लिये बापर्दा जगह का इन्तिखाब करना चाहिये, ताकि पर्दा हो सके।

بَاب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

बाब 21 : पाकिस्तानी नुस्खे की रू से तर्जुमा : आगाज़े इस्लाम में जब तक मनी न निकलती जिमाअ करने से गुस्ल लाज़िम नहीं था, इस हुक्म के नस्ख का बयान और गुस्ल जिमाअ से लाज़िम हो जाता है' अरबी नुस्खे में इन अहादीस को दो बाबों में तक़सीम कर दिया गया है, पहला बाब है बाब 21 : गुस्ल मनी के निकलने से वाजिब होता है

(775) अब्दुरहमान बिन अबी सईद खुदरी (रज़ि.) अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मैं सोमवार के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कुबा गया। जब हम बनू सालिम के मुहल्ले में पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इतबान

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ شَرِيكٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ - عَنِ

के दरवाजे पर रुक गये और उसे आवाज़ दी। वो अपना तहबंद घसीटते हुए निकले तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमने इस इंसान को जल्दबाज़ी में मुब्तला किया।' तो इतबान ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये अगर इंसान बीवी से जल्दी अलग कर दिया जाये और मनी न निकले तो उसे क्या करना चाहिये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पानी, पानी से वाजिब होता है, गुस्ल मनी निकलने से वाजिब होता है।'

(776) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'पानी, पानी से वाजिब होता है।'

(अबू दाऊद : 217)

(777) अबुल अला बिन शख़ीर बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस एक-दूसरे को मन्सूख़ करती, जिस तरह कुरआन का कुछ हिस्सा कुछ को मन्सूख़ करता है।

(778) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक अन्सारी इंसान के मकान से गुज़रे तो उसे बुलवाया। वो इस हाल में निकला कि उसके सर से पानी गिर रहा था तो आपने फ़रमाया, 'शायद हमने तुझे जल्दी करने पर मजबूर कर दिया।' उसने

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَيْتِي سَلِمَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عَيْثَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ إِزَارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَعَجَلْنَا الرَّجُلَ" . فَقَالَ عَيْثَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُعْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम्हें जल्दी करनी पड़े या इन्ज़ाल न हो सके तो तुम पर गुस्ल लाज़िम नहीं है और वुजू ज़रूरी है।'

(सहीह बुखारी : 180, इब्ने माजह : 606)

(779) हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस इंसान के बारे में पूछा, जो अपनी बीवी के पास जाता है, फिर उसे इन्ज़ाल नहीं होता? तो आपने फ़रमाया, 'बीवी से उसे जो कुछ लग जाये, उसको धो ले, फिर वुजू करके नमाज़ पढ़ ले।'

(सहीह बुखारी : 293)

मुफ़रदातुल हदीस : इक्रहात और इक्साल दोनों से मुराद अदमे इन्ज़ाल है।

(780) हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने उस इंसान के बारे में जो अपनी बीवी के पास जाता है इन्ज़ाल नहीं होता, फ़रमाया, 'वो अपने आला (अज़्व/लिंग) को धो ले और वुजू करे।' (मली का लफ़्ज़ दोनों हज़रात पर ऐतमाद और वुसूक के इज़हार के लिये इस्तेमाल किया गया है)।

عليه وسلم مرّ على رجلٍ من الأنصارِ فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرُ فقال " لعننا أعجلناك " . قال نعم يا رسول الله . قال " إذا أُعجلت أو أقطت فلا غُسل عليك وعليك الوضوء " . وقال ابنُ بشارٍ " إذا أُعجلت أو أقطت " .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، - يَغْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِيُّ عَنِ الْمَلِيِّ أَبُو أَيُّوبَ، - عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يَتْرُلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .

(781) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) जोहनी से रिवायत है कि मैंने इस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) से पूछा, बताइये जब इंसान अपनी बीवी से सोहबत करे और इन्ज़ाल न हो तो क्या करे? इस्मान ने जवाब दिया, नमाज़ के वुजू की तरह वुजू और अपने अज़ब को धो ले। इस्मान ने बताया, मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है।

(सहीह बुखारी : 179, 292)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ دَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَمْسُ قَالَ قَالَ عُمَانُ " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ " . قَالَ عُمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(782) इमाम साहब मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत (ऊपर की) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ذَلِكَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

नोट : हाफ़िज़ इब्ने हजर ने लिखा है, अख़बरनी अबू सलमा का मअतूफ़ अलैह मुक़द्दर है। यानी अख़बरनी बिकज़ा व अख़बरनी बिकज़ा, गोया ये मसला अबू अय्यूब (रज़ि.) ने हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) से सुना और रसूलुल्लाह (ﷺ) से बिल वास्ता भी सुना। तमाम रिवायते मज़कूरा बाला में अवाइले इस्लाम (शुरू इस्लाम) का हुक्म बयान किया गया है। बाद में सहूलत और तख़फ़ीफ़ ख़त्म हो गई। आइन्दा बाब में गुस्ल करने की रिवायत आ रही है। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नम्बर 485)

बाब 22 : पानी, पानी से (गुस्ल, इन्ज़ाल से) मन्सूख है और मर्द व औरत का अज़्व मिलने से गुस्ल ज़रूरी हो जाता है

باب نَسَخِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ " وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالتِّقَاءِ الْخِتَائِنِ

(783) हज़रत अबू हुऱैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मर्द औरत की चार शाखों के दरम्यान बैठे, फिर उसको थका दे या भरपूर कोशिश व मेहनत करे तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है।' मतर की हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि 'अगरचे इन्ज़ाल न हो' और जुहैर ने शुअब की जगह अश़ब कहा। (सहीह बुखारी : 291, अबू दाऊद : 216, नसाई : 1/110-112, इब्ने माजह : 610)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ " . وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ " وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ " . قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ " بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) शुअब : शुअबह की जमा है। (2) जलस बैना शुअबिहा : का मक़सद मर्द के अज़्वे तनासुल का औरत की अन्दाम नहानी (शर्मगाह) में दाख़िल हो जाना है और (3) जहदहा : का मक़सद मियाँ-बीवी का ताल्लुकात ज़न व शौहर का शुरू कर देना है।

(784) फ़र्क़ ये है कि शोबा की इस रिवायत में सुम्म जहदहा की जगह सुम्म इज्तहद मेहनत व कोशिश करता है और इल्लम युन्ज़िल (अगरचे इन्ज़ाल न हो) का लफ़ज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ " ثُمَّ اجْتَهَدَ " وَلَمْ يَقُلْ " وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ " .

(785) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि इस मसले में मुहाजिरीन और अन्सार के एक गिरोह का इख़ितलाफ़ हुआ, अन्सारियों ने कहा, गुस्ल उस सूरत में फ़र्ज़ होता है जब मनी टपक कर निकले या इन्ज़ाल हो और मुहाजिरीं ने कहा, जब मर्द, औरत से सोहबत करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अबू मूसा ने कहा, मैं इस मसले में तुम्हारी तसल्ली किये देता हूँ तो मैं उठा और हज़रत आइशा (रज़ि.) से बारयाबी की इजाज़त तलब की। मुझे इजाज़त दे दी गई तो मैंने कहा, ऐ अम्मी जान! या ऐ मोमिनों की माँ! मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ और मुझे आपसे शर्म भी आ रही है। तो उन्होंने कहा, जो बात तुम अपनी हक़ीक़ी माँ, जिसके पेट से तुम पैदा हुए हो, से पूछ सकते हो, वो मुझसे पूछने से शर्म न करो। क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मैंने पूछा, गुस्ल किस सूरत में वाजिब होता है? उन्होंने कहा, तूने वाक़िफ़कार से ही पूछा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मर्द औरत के चारों कोनों में बैठ जाये और ख़त्ने की जगह, ख़त्ने की जगह से मस कर ले (ज़कर, फ़रज में दाख़िल हो जाये) तो गुस्ल वाजिब हो गया।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، - وَهَذَا خَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمّاهُ - أَوْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ . فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدْتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمَّكَ . قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

मुफ़रदातुल हदीस : अलल ख़ैरि सक़तत : मुहावरा है, जिसका मानी होता है, मसला हक़ीक़त से जो आगाह है तूने उससे पूछा। मस्सल ख़ितानुल ख़ितान : (किनाया है मियाँ-बीबी की सोहबत और ताल्लुकात से, सिफ़ छूना मुराद नहीं)।

(786) हजरत आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की बीवी बयान करती हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसे इंसान के बारे में पूछा, जो अपनी बीवी से सोहबत करता है, फिर इन्ज़ाल नहीं होता, क्या उन पर गुस्ल है? और आइशा (रज़ि.) भी वहाँ बैठी हुई थीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं और ये (दोनों) ये काम करते हैं, फिर हम दोनों नहाते हैं।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ "

फ़वाइद : (1) शरई मस्लिहत और ज़रूरत के तहत मसले की वज़ाहत के लिये बीवी की मौजूदगी में या माँ से ऐसी बातचीत और सवाल जाइज़ है जो आम हालात में शर्म व हया और आर का बाइस बनता है। इसलिये ये नहीं कहा जा सकता कि अबू मूसा (रज़ि.) ने आइशा (रज़ि.) से ये सवाल क्यों किया या उस आदमी ने आइशा (रज़ि.) की मौजूदगी में ये सवाल क्यों किया और आपने इस अन्दाज़ से जवाब क्यों दिया। वो वक़्त शरीअते दीन के नुज़ूल और बयान व तौज़ीह का था, अगर इन मसाइल के पूछने में शर्म व हया को हाइल किया जाता तो इन मसाइल का हमें किस तरह इल्म होता? और हम दूसरों को किस तरह बता सकते? और उनकी तसल्ली व तशफ़्फ़ी कर पाते? (2) तमाम उम्मत का इज्माअ है कि मियाँ-बीवी जब आपस में सोहबत करें अगरचे इन्ज़ाल न भी हो तो गुस्ल करना लाज़िमी है। यहाँ तक कि इलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है अगर कोई इंसान नाजाइज़ हरकत का इर्तिक़ाब करते हुए, जुर्म व गुनाह का मुर्तकिब हो और किसी जानवर, मर्द, बच्चे, जिन्दा हो या मुर्दा, बालिग़ हो या नाबालिग़, अपना अज़्व उसके अज़्व में दाख़िल कर देता है, इन्ज़ाल हो या न, इंसान होने की सूरत में दोनों पर गुस्ल लाज़िम होगा। मासूम, बच्चे, बच्ची को भी नहलाया जायेगा और उसके लिये इंसान के पूरे अज़्व का दाख़िल होना भी शर्त नहीं है। बल्कि हसफ़्रा (सुपारी) का दाख़िल होना काफ़ी है। यहाँ तक कि सहीह बात ये है कि कपड़ा लपेटकर, हरकत करे तो तब भी गुस्ल लाज़िम होगा, इस हरकत का जुर्म और क़ाबिले गिरफ़्त व ताज़ीर होना अपनी जगह है।

बाब 23 : आग पर पकी चीज़ (खाने) से वुजू करना

(787) हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़रमाते हुए सुना, 'आग से पकी चीज़ (खाने के बाद) वुजू करो।'

(नसाई : 1/107)

(788) अब्दुल्लाह बिन अब्राहीम बिन कारिज़ की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को मस्जिद में वुजू करते हुए पाया तो अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया, मैं तो पनीर के टुकड़े खाने से वुजू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'आग पर पकी चीज़ से वुजू करो।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अस्वार : सौर की जमा, टुकड़े। (2) अक़ित : पनीर।

(789) इब्ने शिहाब ने कहा, मुझे सईद बिन ख़ालिद बिन अमर बिन इस्मान ने बताया जबकि मैं उसे ये हदीस सुना रहा था कि उसने उरवह बिन जुबैर से आग पर पकी चीज़ से वुजू करने के बारे में सवाल किया? तो उरवह ने कहा, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आग पर पकी चीज़ से वुजू करो।'

باب الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا اتَّوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارٍ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أَحَدْتُهُ، هَذَا الْحَدِيثُ . أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الرَّبِيعِ عَنِ الْوُضُوءِ، مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

बाब 24 : आग पर पकी चीज़ से वुजू करना मन्सूख हो चुका है (हुक्म उठ चुका है)

(790) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बकरी के शाने का गोश्त खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया।

(इब्ने माजह : 490)

(791) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हड्डी पर लगा गोश्त या सिर्फ़ गोश्त खाया फिर नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया और न पानी को हाथ लगाया।

(सहीह बुखारी : 208 675, 2933, 5408, 5422, 5462, तिर्मिज़ी : 1836, इब्ने माजह : 490)

मुफ़रदातुल हदीस : अरक़ : हड्डी जिस पर थोड़ा सा गोश्त हो।

(792) जाफ़र बिन अमर बिन उमैया ज़मरी अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दस्ती का गोश्त छुरी से काटकर खाते हुए देखा, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया।

मुफ़रदातुल हदीस : यहतज़ज़ु : वो छुरी से काट रहे थे, छुरी को सिक्कीन इसलिये कहते हैं कि वो मज़बूह चीज़ की हरकत को ख़त्म कर देती है।

باب نَسَخِ "الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَيْفَ شَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرَقًا - أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(793) जाफ़र बिन अमर बिन उमैया ज़मरी अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को छुरी से बकरी की दस्ती काटते देखा, आपने उससे खाया, फिर आपको नमाज़ के लिये बुलाया गया, आप उठे, छुरी फेंक दी, नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया।

(794) इब्ने शिहाब ने कहा, मुझे अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अपने बाप से रसूलुल्लाह (ﷺ) का यही फ़ैअल नक़ल किया।

(795) नबी (ﷺ) की जौज़ा मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने उनके यहाँ दस्ती का गोश्त खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया।

(796) अमर ने कहा, मुझे जाफ़र बिन रबीआ ने याक़ूब बिन अशज से इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मौला कुरैब से, नबी (ﷺ) की जौज़ा मैमूना (रज़ि.) से मज़क़ूरा बाला रिवायत सुनाई।

(797) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये बकरी की कलेजी वग़ैरह भूनता था (आप उसे खाते) फिर नमाज़ पढ़ते और वुजू न करते थे।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अश्वी : मैं भूनता था। (2) बतनशशात : बकरी के पेट की चीज़ (कलेजी, जिगर-ओझड़ी)

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْتَرُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السُّكَيْنَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ .

قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَّجِ، عَنْ كُرَيْبِ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَيْفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ كُرَيْبِ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ .

قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(798) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूध नौश फ़रमाया, फिर पानी तलब किया और कुल्ली की और फ़रमाया, 'इसमें चिकनाहट है।'

(सहीह बुखारी : 211, 5609, अबू दाऊद : 196, तिर्मिज़ी : 89, नसाई : 1/109, इब्ने माजह : 498)

(799) इमाम साहब मज़क़ूरा बाला रिवायत अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं।

(800) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कपड़े पहने, फिर नमाज़ के लिये निकले तो आपको रोटी और गोशत का तोहफ़ा पेश किया गया, आपने तीन लुक्ममे तनावुल फ़रमाये। फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई और पानी को हाथ नहीं लगाया।

फ़वाइद : (1) इमाम मुस्लिम पहले उन रिवायात को लाये हैं जिनसे साबित होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ के खाने से वुजू करना पड़ता है। उसके बाद वो हदीसें लाये हैं, जिनसे साबित होता है कि आग पर पकी चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता। इस उस्लूब और अन्दाज़ से मालूम होता है कि इमाम मुस्लिम के नज़दीक पहली किस्म की रिवायात मन्सूख हैं। इसलिये अरबी नुस्खे में दोनों किस्म की अहादीस पर अलग-अलग बाब कायम किये गये हैं। अगरचे बरें सगीर के नुस्खों में दोनों किस्म की अहादीस पर अल्वुजूउ मिम्मा मस्सतिन्नार का बाब कायम किया गया है और वुजू के हुकम की सराहत नहीं की गई। (2) जुम्हूर सलफ़ व ख़लफ़, सहाबा व ताबेईन और अइम्मए अरबआ का क़ौल यही है कि आग पर पके खाने के इस्तेमाल से वुजू नहीं टूटता, लेकिन कुछ ताबेईन, उमर बिन अब्दुल

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّمَصَّ وَقَالَ " إِنَّ لَهُ دَسْمًا " .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ، مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلَيْهِ نِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَى بِهَدِيَّةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقْمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً .

अज़ीज़, जोहरी, हसन बसरी और अबू क़िलाबा का नज़रिया ये है कि इससे वुजू टूट जाता है। सहीह नज़रिया जुम्हूर का है। क्योंकि खुलफ़ाए राशिदीन का अमल इसका ताईद करने वाला है और हज़रत जाबिर की हदीस नस्ख़ पर सराहतन दलालत करती है। (3) खाने के बाद नमाज़ वाले वुजू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाथ और मुँह की सफ़ाई के लिये बेहतर है कि खाने से पहले और बाद में हाथ-मुँह धो लिये जायें, क्योंकि खाना खाने के बाद हाथ-मुँह खाने से मुतास्सिर होते हैं और आपने दूध की चिकनाहट की बिना पर कुल्ली की है। आज-कल के खाने चिकनाहट से भरपूर होते हैं।

(801) मुहम्मद बिन अम्र बिन अता बयान करते हैं, मैं इब्ने अब्बास के साथ था फिर ऊपर वाली हदीस बयान की और उसमें है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) को ये काम करते देखा और कहा, आपने नमाज़ पढ़ी। ये नहीं कहा, लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
عَطَاءٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَأَلَ
الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ، شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ .

बाब 25 : ऊँट के गोश्त (खाने) से वुजू

(802) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, क्या मैं बकरी के गोश्त से वुजू करूँ? आपने फ़रमाया, 'तेरी मर्जी है, चाहो तो वुजू कर लो और चाहो तो वुजू न करो।' उसने पूछा, ऊँट के गोश्त से वुजू करूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ! ऊँट के गोश्त के खाने के बाद वुजू करा।' उसने पूछा, क्या बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ!' उसने पूछा, ऊँटों के बिठाने की जगह पढ़ लूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' (इब्ने माजह : 495)

باب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَعْفَرِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ " إِنْ
شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ " . قَالَ اتَّوَضَّأُ
مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ " نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ
الْإِبِلِ " . قَالَ أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ قَالَ " نَعَمْ " .
قَالَ أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ " لَا " .

(803) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ، ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، كُلُّهُمُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मराबिज़ : मरबज़ की जमा है, बकरियों का बाड़ा। (2) मबारिक : मबरक की जमा है ऊँटों के बैठने की जगह, ऊँटों का बाड़ा।

फ़वाइद : (1) जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अइम्माए सल्लासा के नज़दीक, ऊँट का गोशत खाने से वुजू नहीं टूटता। अहमद बिन हम्बल, इस्हाक बिन राहवे, इब्ने खुज़ैमा और मुहदिस्सीन के नज़दीक ऊँट के गोशत से वुजू टूट जाता है और यही हक़ है उसके गोशत की तासीर, दूसरे गोशतों से अलग है। (2) ऊँट एक ज़बरदस्त, ताक़तवर और शरीर जानवर है, जिसके लात मारने का खतरा लाहिक़ रहता है। इसलिये ऐसी सूत में जबकि उससे खतरा हो, उसके करीब नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये, उससे फ़ासले पर जहाँ खतरा न हो, नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जैसाकि दूसरी रिवायात से साबित है।

बाब 26 : यक़ीनी तहारत के बाद बेवुजू हो जाने के शक की सूत में पहली यक़ीनी तहारत ही से नमाज़ पढ़ ली जायेगी

(804) सईद और अब्बाद बिन तमीम अपने चाचा से रिवायत सुनाते हैं कि नबी (ﷺ) से एक इंसान की शिकायत की कि उसे नमाज़ में ये ख़याल आता है कि वुजू टूट गया है। आपने फ़रमाया, 'उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़े, जब तक उसे (हवा निकलने की) आवाज़ सुनाई

باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدت فله أن يصلي بطهارته تلك

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمّه، شَكِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

न दे या उसे बदबू महसूस न हो।' अबू बकर बिन जुहैर बिन हरब ने अपनी रिवायत में अब्बाद बिन तमीम के चाचा का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बताया।

(सहीह बुखारी : 137, 177, 256, अबू दारुद : 176, नसाई : 1/99, इब्ने माजह : 153)

(805) हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को अपने पेट में गड़बड़ी महसूस हो और उसे शक पैदा हो जाये कि उसके पेट से कुछ निकला है या नहीं तो हर्गिज़ उस वक़्त तक मस्जिद से न निकले, जब तक रीह की आवाज़ या बदबू महसूस न करे।'

फ़ायदा : इस हदीस से ये उसूल और ज़ाबता निकलता है कि ला यज़ूलुल यक़ीन बिश्शक्क कि यक़ीन, शक से ज़ाइल (ख़त्म) नहीं होता और हर चीज़ अपने असल पर क़ायम और बरक़रार रहेगी, जब तक उसके ख़िलाफ़ यक़ीन हासिल नहीं होता। इसलिये जुम्हूर अइम्मा का मौक़िफ़ यही है कि वुजू उस वक़्त तक नहीं टूटेगा, जब तक उसका यक़ीन हासिल न हो। हाँ! इमाम मालिक (रह.) से दो क़ौल मन्कूल हैं (1) शक से हर हालत में (नमाज़ के अंदर और नमाज़ से बाहर) वुजू टूट जायेगा। (2) अगर नमाज़ शुरू न की हो तो शक से वुजू टूट जायेगा, लेकिन जुम्हूर का मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक़ है।

बाब 27 : मुर्दार जानवर के चमड़े के रंगने से पाक हो जाना

(806) हमें यहया बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, अम्र नाक़िद और इब्ने अबी उमर सबने, इब्ने इय्यना से रिवायत सुनाई, यहया ने कहा, हमें सुफ़ियान बिन इय्यना ने ज़ोहरी से, अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की इब्ने अब्बास

الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ " لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رَوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

باب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ بِالذَّبَاغِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी बकरी मुर्दा पाई जो हज़रत मैमूना की आज़ाद करदा लौंडी को सदक़ा में दी गई तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुमने उसके चमड़े से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया।' उन्होंने कहा, ये मुर्दा है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बस उसका खाना हाराम है।'

अबू बकर और इब्ने अबी उमर ने अपनी रिवायत में अन इब्ने अब्बास, अन मैमूना कहा (रिवायत इब्ने अब्बास की बजाय मैमूना की तरफ़ मन्सूब की)।

(सहीह बुख़ारी : 1492, 2221, 5531, अबू दाऊद : 4120, 4121, नसाई : 7/172).

फ़ायदा: इस हदीस से मालूम हुआ, हलाल जानवर अगर मर जाये तो उसका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है।

(807) मुझे अबू ताहिर और हरमला ने इब्ने वहब के वास्ते से यूनुस की इब्ने शिहाब से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इतबा की इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि हज़रत मैमूना (रज़ि.) की आज़ाद करदा लौण्डी को एक बकरी सदक़े में मिली थी। वो मर गई, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया, 'तुमने उसका चमड़ा क्यों नहीं उतारा, तो तुम उसे रंग लेते और उससे तुम फ़ायदा उठा लेते।' उन्होंने कहा, वो मुर्दा है। तो आपने फ़रमाया, 'बस उसका खाना हाराम है।'

(808) हसन हुल्वानी और अब्द बिन हुमैद ने याकूब बिन इब्राहीम बिन सअद से, अपने बाप की सालेह से इब्ने शिहाब की मज़क़ूरा

اللّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ " . فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثَيْهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجَلْدِهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا " .

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ، وَعَبِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ،

बाला सनद से, यूनुस की हदीस के मफहूम वाली रिवायत सुनाई।

(809) हमें इब्ने अबी उमर और अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जोहरी ने (अल्फ़ाज़ इब्ने अबी उमर के हैं) सुफ़ियान के वास्ते से अमर की अता से इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुर्दा पड़ी हुई बकरी के पास से गुज़रे, जो मैमूना (रज़ि.) की बान्दी को बतौरै सदका दी गई थी। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन्होंने उसके चमड़े को क्यों नहीं उतारा? वो उसको रंग लेते और फ़ायदा उठा लेते।'

(नसाई : 7/172-173)

(810) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की किसी ज़ौजा की घर में पलने वाली बकरी मर गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुमने इसका चमड़ा उतार कर इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा लिया?'

(अबू दाऊद : 4120, नसाई, इब्ने माजह : 3610)

(811) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) मैमूना की बान्दी की (मुर्दा) बकरी के पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया, 'तुमने उसके चमड़े से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया?'

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ " .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، مُنْذُ حِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ " أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا " .

(812) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़रमाया, 'जब चमड़े को रंग लिया गया तो वो पाक हो गया।'

(अबू दाऊद : 4123, तिर्मिज़ी : 1728, नसाई : 8/173, 7/173, इब्ने माजह : 3609)

(813) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

(814) अबुल ख़ैर से रिवायत है कि मैंने अली बिन वअलह सबाई को एक पोस्तीन (चमड़े का कोट) पहने हुए देखा। मैंने उसको छूआ तो उसने कहा, इसको क्यों छूते हो मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा था, हम मग़िब में रहते हैं और हमारे साथ बरबर और मजूसी रहते हैं, हमारे पास मेण्डा लाया जाता है, जिसे उन्होंने ज़िह किया होता है और हम उनके ज़बीहा किए हुए जानवर नहीं खाते, वो हमारे पास मशक़ीज़ा लाते हैं, जिसमें वो चर्बी डालते हैं? तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, हमने

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعَلَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ ابْنَ وَعَلَةَ السَّبْيِيِّ فَرَوَا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبُرَيْرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसका रंगना, उसको पाक कर देता है।'

(815) इब्ने वअलह सबाई से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा, हम मरिब में रहते हैं तो हमारे पास मजूसी पानी और चर्बी के मशकीज़े लाते हैं तो उन्होंने कहा, पी लिया करो। मैंने पूछा, क्या आप अपनी राय से बता रहे हैं? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'उसका रंगना उसको पाक कर देता है।'

يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ " .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعَلَةَ السَّيِّئِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ . فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अस्क्रियह : सिका की जमा है। चमड़े के मशकीज़े को कहते हैं। (2) दबागत : हर उस चीज़ से जाइज़ है जो खाल की रतूबत (तरी) को खुश्क करके, उसकी बदबू को जाइल (खत्म) कर दे और खाल सड़ने-गलने से महफूज़ हो जाये।

फ़ायदा : अहादीसे मज़कूरा बाला में सिर्फ़ जाइज़ हैवानात का या मजूसियों के मशकीज़ों का तज़्किरा है। हलाल जानवर की खाल के दबागत से पाक होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। हिल्लत व हुरमत से क़तअे नज़र, उमूमी तौर पर अइम्मा के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं (1) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, सूअर और कुत्ते के सिवा हर एक मुर्दा जानवर की खाल, अंदर और बाहर से पाक हो जाती हैं, इसलिये उसमें खुश्क और तर हर किस्म की चीज़ रखी जा सकती है। (2) इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का मशहूर क़ौल ये है दबागत से किसी मुर्दा जानवर की खाल पाक नहीं होती। हज़रत उमर और हज़रत आइशा (रज़ि.) की तरफ़ यही क़ौल मन्सूब है। (3) इमाम औज़ाई, इब्नुल मुबारक और इस्हाक़ बिन राहवे का नज़रिया ये है कि सिर्फ़ हलाल जानवर की खाल रंगने से पाक हो जाती है। हराम जानवर की खाल पाक नहीं होती। (4) इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ख़िन्जीर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल रंगने से पाक हो जाती है। (5) इमाम मालिक का दूसरा क़ौल ये है, रंगने से सब खालें पाक हो जाती हैं, मगर सिर्फ़ बाहर से, अंदर से नहीं। इसलिये उनमें कोई तर चीज़ नहीं डाली जा सकती।

(6) हर जानवर की खाल, अंदर और बाहर से रंगने से पाक हो जाती है। इमाम अबू यूसुफ़ और दाऊद ज़ाहिरी का यही मौक़िफ़ है। (7) बिला रंगे हुए ही मुर्दा जानवर की खाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इमाम ज़ोहरी और कुछ शाफ़ेइयों का यही नज़रिया है।

बाब 28 : तयम्मूम का बयान

(816) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किसी सफ़र में निकले जब हम मक्कामे बैदा या ज़ातल जैश पर पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी तलाश की ख़ातिर ठहर गये और सहाबा किराम (रज़ि.) भी आपके साथ रुक गये, उस जगह पानी न था और लोगों के पास भी (पहले से) मौजूद न था। लोग अबू बकर (रज़ि.) के पास आये और कहा, क्या आपको पता नहीं, आइशा (रज़ि.) ने क्या किया? रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ लोगों को रोके रखा है, न इस जगह पानी है और न ही लोगों के पास पानी मौजूद है। अबू बकर (रज़ि.) इस हालत में तशरीफ़ लाये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी रान पर सर रखकर सो चुके थे और कहा, तूने रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथियों को रोके रखा है जबकि यहाँ पानी नहीं है और लोगों के पास भी पानी नहीं। आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, अबू बकर ने मुझे डांटा और जो कुछ अल्लाह को मन्ज़ूर था कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाने लगे और मुझे सिर्फ़ उस चीज़ ने हरकत करने से रोके रखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर मेरी

باب التيمم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَآتَى النَّاسَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ

रान पर रखा हुआ था। रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी के बगैर ही सुबह तक सोये रहे। इस पर अल्लाह तआला ने तयम्मूम की आयत उतारी तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने तयम्मूम किया। उसैद बिन हुज़ैर जो नुक़बा में से है, ने कहा, ऐ अबू बकर की औलाद! ये आप की पहली बरकत नहीं है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, हमने उस ऊँट को, जिस पर मैं सवार थी उठाया तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया।

(सहीह बुखारी : 334, 3672, 4607, 6844, 5250)

فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَخَذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيَّ غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمِيمِ فَتَيَمَّمُوا . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْخَضِيرِ - وَهُوَ أَحَدُ التُّبَّاءِ - مَا هِيَ بِأَوْلَ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبِعْتُنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नुक़बा : नकीब की जमा है, जिम्मेदार, निगरान व मुहाफ़िज़। (2) इक्द : हार।

(817) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उसने असमा (रज़ि.) से आरियतन हार लिया और वो ज़ाया हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कुछ साथियों को उसकी तलाश की खातिर भेजा। उन्हें नमाज़ के वक़्त ने आ लिया, तो उन्होंने बगैर वुजू के नमाज़ पढ़ ली और जब नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो इस बात की शिकायत की। इस पर तयम्मूम की आयत उतरी तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, (ऐ आइशा!) अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे, अल्लाह की क़सम! आप किसी परेशानी में मुब्तला होती हैं तो अल्लाह तआला आपके लिये उससे निकलने की सबील (राह) पैदा कर देता है और वो चीज़ मुसलमानों के लिये बाइसे बरकत बनती है।

(सहीह बुखारी : 5164, 3773, इब्ने माजह : 568)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أُسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَتَرَلَّتْ آيَةُ التَّيْمِيمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ خَضِيرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित हुआ अगर किसी इंसान को पानी और मिट्टी दोनों मुयस्सर न हों तो वो बिला वुजू नमाज़ पढ़ ले और इस मसले में अइम्मा का इख़ितलाफ़ है। इमाम अहमद, इमाम शाफ़ेई और अक्सर मुहद्दिसीन का ख़याल ये है कि बिला वुजू नमाज़ पढ़ ले, फिर जब पानी मिल जाये तो इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी। इमाम अहमद, मुज़नी, सहनून और इब्ने मुन्ज़िर के नज़दीक नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इमाम बुखारी का रुज़ान भी इसी तरफ़ है और हदीस का तकाज़ा भी यही है क्योंकि आपने सहाबा किराम (रज़ि.) को इआदा करने (लौटाने) का हुक्म नहीं दिया। (2) इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है (बक़ौल शौकानी) फिर इमाम मालिक के नज़दीक इआदा (लौटाना) नहीं है और अबू हनीफ़ा के नज़दीक इआदा ज़रूरी है लेकिन बक़ौल मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी इमाम मालिक के नज़दीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा और क़ज़ाई भी नहीं देगा। जैसाकि हाइज़ा का हुक्म है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा, लेकिन क़ज़ाई ज़रूरी है और साहिबैन के नज़दीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ़ नमाज़ियों की मुशाबिहत इख़ितयार करेगा, फिर क़ज़ाई ज़रूरी होगी। (3) बिला वुजू वक़्त पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है और बाद में क़ज़ाई लाज़िम भी है। सहाबा किराम (रज़ि.) को फ़ाकिदुतुहूरैन इसलिये करार दिया गया है कि पानी मौजूद नहीं था और तयम्मूम का हुक्म अभी नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिये उन्होंने बिला वुजू नमाज़ पढ़ ली और बाद में आकर आपको बता दिया। (2) आपने उसैद बिन हुज़ैर को हार की तलाश के लिये भेजा, हार न मिला तो वो वापस आ गये, जब सुबह कूच के लिये ऊँट उठाया तो उन्हें वहाँ से हार मिल गया। (3) सफ़र में पानी न मिले तो तयम्मूम करना जाइज़ है।

(818) शक़ीक़ से रिवायत है कि मैं अब्दुल्लाह और अबू मूसा की ख़िदमत में हाज़िर था। अबू मूसा (रज़ि.) ने अबू अब्दुर्रहमान से पूछा, बताइये अगर इंसान जुन्बी हो जाये और एक माह तक उसे पानी न मिले तो वो तयम्मूम न करे? तो नमाज़ का क्या करे? इस पर अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, वो तयम्मूम न करे, अगरचे उसे एक माह तक पानी न मिले तो इस पर अबू मूसा ने कहा, तो सूरह माइदा की इस आयत का क्या मतलब, 'अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मूम करो।' इस पर

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُجْتَنِبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا . فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ

अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर उन्हें इस आयत की बिना पर रुखसत दे दी जाये तो खतरा है। जब उन्हें पानी ठण्डा महसूस होगा तो वो मिट्टी से तयम्मूम कर लेंगे। तो अबू मूसा (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा, क्या आपने अम्मार (रज़ि.) की ये बात नहीं सुनी कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ज़रूरत के लिये भेजा। मैं जुन्बी हो गया और मुझे पानी न मिला तो मैं चौपाये की तरह ज़मीन पर लोट-पोट हुआ (और नमाज़ पढ़ ली) फिर मैं नबी (ﷺ) के पास आया और आपसे इसका तज़्किरा किया तो आपने फ़रमाया, 'तेरे लिये बस अपने दोनों हाथों से इस तरह करना काफी था।' फिर अपने दोनों हाथ एक ही बार ज़मीन पर मारे, फिर बायें हाथ को दायें पर और अपनी दोनों हथेलियों की पुश्त पर और अपने चेहरे पर मला। तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उमर (रज़ि.) ने अम्मार के क़ौल पर क़नाअत व इत्मीनान का इज़हार नहीं किया।

(सहीह बुखारी : 345, 346, 347, अबू दाऊद : 321, नसाई : 1/170-171)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम हुआ अगर पानी न मिले तो गुस्ले जनाबत की जगह वही तयम्मूम काफी होगा, जो वुजू के क़ायम मक़ाम होता है और वो ये है कि दोनों हाथों को एक बार मिट्टी पर मारा जायेगा और अगर उन पर तिनके लग जायें या मिट्टी ज़्यादा लग जाये तो उन पर फूंक मार कर मुँह और दोनों हाथों पर कलाई तक मसह कर लेंगे और उससे नमाज़ पढ़ लेंगे। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) के हज़रत अम्मार (रज़ि.) के क़ौल पर क़नाअत न करने की वजह ये है कि हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने कहा था, आप भी उस सफ़र में मेरे साथ थे और आपके सामने ये वाक़िया पेश आया था। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) को ये वाक़िया याद नहीं था, इसलिये उन्होंने हज़रत अम्मार (रज़ि.) को

فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - لِأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا " . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

हदीस बयान करने से नहीं रोका। सिर्फ अपनी मौजूदगी का इंकार किया। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक और मुहहिस्सीन का मौक़िफ़ इसी रिवायत के मुताबिक़ है और यही सहीह और मुख्तार है। (3) जनाबत की सूरत में अगर पानी न मिलेंगे तो तयम्मूम करके नमाज़ पढ़ने पर उम्मत का इज्माअ है। हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) इस ज़रिये को रोकने के तौर पर जनाबत की सूरत में तयम्मूम की इजाज़त नहीं देते ताकि लोग इस रुख़सत से ग़लत फ़ायदा न उठायें, वरना हज़रत उमर, हज़रत अम्मार (रज़ि.) और दूसरे सहाबा (रज़ि.) को इन अहादीस के बयान करने से रोक देते।

(819) शक़ीक़ से रिवायत है कि अबू मूसा (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह से पूछा, फिर ऊपर वाली हदीस वाक़िये समेत बयान की इतना फ़र्क़ है, उसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरे लिये इस तरह करना ही काफ़ी था और दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और अपने दोनों हाथ झाड़े और अपने चेहरे और हथेलियों पर मसह किया।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

(820) सईद बिन अब्दुरहमान बिन अबज़ा अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया और पूछा, मैं जुन्बी हो गया और पानी न मिला तो उन्होंने जवाब दिया, नमाज़ न पढ़। तो अम्मार (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं, जब मैं और आप एक जंगी लश्कर के साथ थे तो हम जुन्बी हो गये और हमें पानी न मिला तो आपने नमाज़ न पढ़ी और मैं मिट्टी में लोट-पोट हो गया और नमाज़ पढ़ ली। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरे लिये बस इतना ही काफ़ी था कि तुम अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारते, फिर उनमें फूंक मारकर

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذُرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أُجِنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . فَقَالَ لَا تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَارٌ أَمَا تَذَكَّرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجِنَّبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ

उन दोनों से अपने चेहरे और अपनी हथेलियों का मसह कर लेते।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अम्मार! अल्लाह से डर। अम्मार (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाक़िया बयान ही न करूँ। हक़म ने कहा यही रिवायत मुझे इब्ने अब्दुरहमान बिन अबज़ा ने अपने बाप से ज़र की हदीस की तरह सुनाई। रावी ने कहा और मुझे सलमा ने ज़र से हक़म वाली सनद से बताया कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, आप जिस चीज़ के वाली (ज़िम्मेदार) बनते हैं, हम उसको तेरे सुपुर्द करते हैं (तुम अपने ऐतिमाद पर ये रिवायत बयान कर सकते हो)।

(सहीह बुखारी : 338, 339, 340, 341, 342, 343, अबू दाऊद : 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, तिर्मिज़ी : 144, नसाई : 1/68, 1/169, इब्ने माजह : 569)

(821) इब्ने अब्दुरहमान बिन अबज़ा अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया और पूछा, मैं जुन्बी हो गया और मुझे पानी न मिला और मज़कूरा बाला हदीस बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, अम्मार (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अगर आप चाहें क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर आपका हक़ रखा है, मैं ये हदीस किसी को न सुनाऊँगा, लेकिन इसमें मुझे सलमा ने ज़र से सुनाया, वाला टुकड़ा नहीं बयान किया।

نَضْرَبُ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَعُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ " . فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَارُ . قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ . قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَن أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتُ .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . وَسَأَقُ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَارُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ .

(822) इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम बयान करते हैं कि मैं और अब्दुरहमान बिन यसार जो नबी (ﷺ) की जौजा मैमूना (रज़ि.) के मौला हैं, अबुल जहम बिन हारिस बिन सिम्मा अन्सारी के पास पहुँचे तो अबू जहम ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बिअरे जमल नामी जगह से तशरीफ़ लाये तो आपको एक आदमी मिला, उसने आपको सलाम कहा, तो आपने उसके सलाम का जवाब न दिया यहाँ तक कि आप एक दीवार की तरफ़ बड़े और आपने अपने चेहरे और दोनों हाथों पर मसह किया, फिर उसके सलाम का जवाब दिया।

(सहीह बुखारी : 337, अबू दाऊद : 329, नसाई : 1/164)

(823) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख्स गुजरा, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) पेशाब कर रहे थे तो उसने सलाम कहा, आपने उसे सलाम का जवाब न दिया।

(अबू दाऊद : 16, तिर्मिज़ी : 90 हसन सहीह, नसाई : 1/35-36, इब्ने माजह : 353)

फ़ायदा : दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि उसने पेशाब से फ़रागत के बाद सलाम कहा था, लेकिन आपने अदमे तहारत की बिना पर जवाब नहीं दिया, बोल व बराज़ की हालत में सलाम कहना और उसका जवाब देना, आदाब व अख़लाक़ के मुनाफ़ी है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुअज़्ज़िन, नमाज़ी, क़ारी और ख़तीब सलाम के जवाब देने का पाबंद नहीं, दिल में जवाब दे ले। इमाम मुहम्मद के नज़दीक फ़रागत के बाद जवाब दे और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक जवाब नहीं देगा।

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْهِ .

बाब 29 : मुसलमान के पलीद
(नापाक) न होने की दलील

(824) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि उसे जनाबत की हालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना के रास्तों में से किसी रास्ते पर मिले और वो खिसक कर चले गये और गुस्ल किया। तो नबी (ﷺ) ने उसे तलाश किया, जब वो आपकी खिदमत में आये तो आपने फ़रमाया, 'ऐ अबू हुरैरह! तुम कहाँ थे?' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! जब आपसे मेरी मुलाक़ात हुई तो मैं जनाबत की हालत में था, इसलिये गुस्ल किये बग़ैर आपके पास बैठना मैंने नापसंद किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! मोमिन नजिस पलीद नहीं होता।'

(सहीह बुख़ारी : 283, 285, अबू दाऊद : 231, तिरमिज़ी : 121, नसाई : 1/145, 146, इब्ने माजह : 534)

(825) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे मिले, जबकि वो जुन्बी था। वो आपसे अलग हो गया और गुस्ल किया। फिर आकर अर्ज़ किया, मैं जुन्बी था। आपने फ़रमाया, 'मुसलमान पलीद नहीं होता।'

(अबू दाऊद:230, नसाई: 1/128, इब्ने माजह : 535)

باب الدليل على أن المسلم لا
يُنَجَسُ

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مِן طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَنْسَلَ فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتَ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسَلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهِ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا . قَالَ " إِنْ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ " .

फ़ायदा : जनाबत, एक हुक्मी नजासत है, हकीकी नजासत नहीं है। इसलिये जनाबत की सूरत में इंसान का जिस्म पलीद नहीं होता। काफ़िर की नजासत भी ऐतकादी और बातिनी नजासत है, ज़ाहिरी तौर पर वो नजिस नहीं होता।

**बाब 30 : जनाबत वग़ैरह की सूरत में
अल्लाह का ज़िक्र करना**

(826) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तमाम औक्रात में अल्लाह तआला का ज़िक्र करते थे।
(अबू दारुद : 18, तिर्मिज़ी : 3384, इब्ने माजह : 302)

**باب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ
الْجَنَابَةِ وَعَیْرِهَا**

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنِ الْبُهَيْ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आप ज़िन्दगी के तमाम हालात में अल्लाह को याद फ़रमाते थे। खाते-पीते, सोते-जागते, मस्जिद में दाख़िल होते और निकलते होते, बैतुल ख़ला में दाख़िल होते और निकलते, इस तरह हर हालत में अल्लाह को याद फ़रमाते। इस हदीस से ये भी इस्तिदलाल किया गया है कि आप ज़रूरत के वक़्त बेवुजू भी अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते। लेकिन जिस तरह बैतुल ख़ला में बैठकर या जिमाअ की हालत में ज़िक्र व अज़कार दुरुस्त नहीं है या उन हालात में कुरआन मजीद की तिलावत नहीं हो सकती, उसी तरह जनाबत और हैज की हालत में कुरआन की तिलावत दुरुस्त नहीं है। जुम्हूर अइम्मा का यही मौक़िफ़ है और यही दुरुस्त है। वरना अगर कुल्ला अह्यान के इमूम की रू से हैज और जनाबत में कुरआन पढ़ना दुरुस्त है तो फिर बैतुल ख़ला और जिमाअ की हालत में भी जाइज़ होना चाहिये। वो भी कुल्ला अह्यान में दाख़िल होते हैं। जबकि हदीस का असल मक़सद ज़िन्दगी के हर मरहले और हर मौड़ पर अल्लाह तआला को याद करना मक़सूद है। हर हालत और हर वक़्त मुराद नहीं है, अगर हर हालत और हर वक़्त मुराद है तो आपने पेशाब करने के बाद सलाम का जवाब क्यों न दिया?

बाब 31 : बेवुजू खाना खाना बिला
कराहत जाइज़ है और वुजू का फ़ौरी
तौर पर करना लाज़िम नहीं है

باب جَوَازِ أَكْلِ الْمُحَدِّثِ الطَّعَامِ
وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ
الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ

(827) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से
रिवायत है कि नबी (ﷺ) बैतुल ख़ला से
निकले तो आपके सामने खाना पेश किया
गया, लोगों ने आपसे वुजू का तज़्किरा
किया। आपने फ़रमाया, 'क्या मैं नमाज़
पढ़ना चाहता हूँ कि वुजू करूँ?'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ
الرُّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ
أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتَى بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ
الْوُضُوءَ فَقَالَ "أُرِيدُ أَنْ أَصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأُ"

फ़ायदा : बिल्इत्तिफ़ाक़ वुजू के बग़ैर खाना-पीना और ज़िक्र व अज़कार करना और तिलावत करना
जाइज़ है। यही हदीस इस की दलील है।

(828) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
(रज़ि.) से रिवायत है कि हम लोग नबी (ﷺ)
के पास थे। आप क़ज़ाए हाजत के बाद आये
और आपको खाना पेश किया गया और
आपसे पूछा गया, आप वुजू नहीं फ़रमायेंगे?
तो आपने फ़रमाया, 'क्यों? क्या मैं नमाज़
पढ़ने लगा हूँ कि वुजू करूँ?'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ
وَأَتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ "لِمَ
أَصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأُ"

(829) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
(रज़ि.) से रिवायत है कि-रसूलुल्लाह (ﷺ)
क़ज़ाए हाजत के लिये तशरीफ़ ले गये तो जब
वापस आये आपके हुज़ूर खाना पेश किया
गया और कहा गया, ऐ अल्लाह के रसूल!
क्या आप वुजू नहीं फ़रमायेंगे? आपने जवाब

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا

दिया, 'किस वजह से? क्या नमाज़ के लिये?'

(830) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने बैतुल खला वाली ज़रूरत पूरी की तो आपके क़रीब खाना लाया गया। आपने खाना तनावुल फ़रमाया और पानी को हाथ तक नहीं लगाया और इब्ने जुरैह का क़ौल है कि मुझे अमर बिन दीनार ने सईद बिन हुवैरिस से ये चीज़ ज़ाइद बताई कि नबी (ﷺ) से अर्ज़ किया गया, आपने वुजू नहीं फ़रमाया? आपने जवाब दिया, 'मैंने नमाज़ पढ़ने का इरादा नहीं किया कि वुजू करूँ।' और अमर का क़ौल है उसने सईद बिन हुवैरिस से सुना है।

बाब 32 : जब बैतुल ख़ला में जाने का इरादा हो तो इंसान कौनसी दुआ पढ़ेगा?

(831) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है हम्माद के अल्फ़ाज़ हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते, और हुशैम के अल्फ़ाज़ हैं, बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते थे तो फ़रमाते, 'अल्लाहुम्-म इन्नी अज़्ज़ुबिक मिनल खुबुसि वल्ख़बाइस (ऐ अल्लाह! मैं मुज़क्कर (नर) और मुअन्नस (मादा) जिन्नत से तेरी पनाह में आता हूँ।)'

جَاءَ قَدَمٌ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضُّأُ . قَالَ " لِمَ أَلِصَّلَاةَ " .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُوَيْرِثٍ . أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرُبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . قَالَ وَزَاتِنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَوَضُّأُ قَالَ " مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضُّأُ " . وَرَعَمَ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ .

باب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَقَالَ . يَحْيَى أَيْضًا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . عَنْ أَنَسٍ . - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَيْبِفَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ " .

मुफरदातुल हदीस : (1) कनीफ़ : टॉयलेट, लेटीन। ख़ुबुस : ख़बीस को जमा है, जित्र, शैतान या गन्दी और नजिस हरकत, कौल हो या फ़ैअल। (2) ख़बाइस : ख़बीसा को जमा है, मुअन्नस शैतान, इससे मुराद मआसी और अफ़आले मज़्मूमा (बुरे काम) भी होते हैं।

फ़ायदा : पेशाब व पाख़ाना की जगहें, नापाक और नजिस होती हैं। इसलिये मुज़क्कर व मुअन्नस शयातीन उन जगहों में आते-जाते रहते हैं। इसलिये क़ज़ाए हाजत से पहले ये दुआ पढ़ लेनी चाहिये ताकि इंसान इस तकलीफ़देह मख़लूक से महफूज़ (सुरक्षित) रहे। हदीस का असल मक़सद यही है अगरचे लफ़ज़ के उमूम के ऐतबार से नजासतों और मआसी से पनाह माँगना भी ज़िमनी तौर पर उसमें दाख़िल हो सकता है।

(832) हमें अबू बकर बिन अबी शैबा और जुहैर बिन हरब दोनों ने इस्माईल (जो इल्य्या का बेटा है) के वास्ते से अब्दुल अज़ीज़ से ऊपर वाली सनद से रिवायत बयान की और दुआ के ये अल्फ़ाज़ बयान किये, 'अर्रुज़ुबिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल्ख़बाइस।' (नसाई : 1/20, इब्ने माजह : 298)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ " .

बाब 33 : बैठे-बैठे सोने वाले की नींद से वुजू नहीं टूटता

(833) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नमाज़ के लिये तकबीर कह दी गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक इंसान से सरगोशी में मसरूफ़ थे और अब्दुल वारिस की रिवायत में नजिय्युन लिरज़ुलिन की बजाए युनाजिरज़ुल है। एक इंसान से आहिस्ता-आहिस्ता बातचीत फ़रमा रहे थे तो आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ नहीं लाये यहाँ तक कि लोग सो गये। (नसाई : 2/175)

(834) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नमाज़ के लिये तकबीर कह दी गई

باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيًّا لِرَجُلٍ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا

जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी से सरगोशी फ़रमा रहे थे और आप सरगोशी फ़रमाते रहे, यहाँ तक कि आपके साथी सो गये। फिर आपने आकर नमाज़ पढ़ाई।

(सहीह बुखारी : 6192)

أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ .

फ़ायदा : नमाज़ के इन्तिज़ार में अगर इंसान बैठा-बैठा सो जाये और नींद इस क़द्र गहरी न हो कि इंसान को वुजू टूटने का पता ही न चले, उनका इद्राक बदस्तूर कायम हो, जिससे हवा ख़ारिज होने का पता चल जाये तो फिर वुजू नहीं टूटेगा, अगर हवास मुअत्तल हो जायें और गहरी नींद की बिना पर इद्राक व शरूर कायम न रहे तो नींद मुज़िन्ना (गुमान दिलाने वाला) है वुजू टूटने का, इसलिये यूँ समझा जायेगा कि वुजू टूट गया है।

(835) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा सो जाते थे। फिर वुजू किये बग़ैर नमाज़ पढ़ लेते। मैंने क़तादा से पूछा, आपने ये हदीस अनस (रज़ि.) से सुनी है? उसने कहा, हाँ अल्लाह की क़सम! (तिर्मिज़ी : 78)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ إِي وَاللَّهِ .

(836) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि इशा की नमाज़ के लिये इक्रामत कह दी गई तो एक आदमी ने (रसूलुल्लाह (ﷺ) से) कहा, मुझे एक ज़रूरत है, आप खड़े होकर उससे सरगोशी करने लगे यहाँ तक कि लोग सो गये या कुछ लोग सो गये। फिर सबने नमाज़ पढ़ी। (अबू दाऊद : 201)

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانٌ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ أَقِيمَتِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ . فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ - ثُمَّ صَلَّوْا .

फ़ायदा : अहादीस का मक़सद ये है कि नींद से वुजू नहीं टूटता, लेकिन नींद अगर गहरी हो तो हवा के ख़ारिज हो जाने का एहतिमाल है। इसलिये नींद वुजू टूटने का महल और मौक़ा है। इसलिये इसका इन्हिसार (दारोमदार) इंसान के हवास पर है। अंगर ये ख़तरा और अन्देशा हो कि हवा ख़ारिज हो गई है लेकिन गहरी नींद होने की बिना पर पता नहीं चला तो वुजू टूट जायेगा। अगर ये ख़तरा न हो, बिला सबब व क़रीना महज़ शक व शुब्हा हो तो वुजू नहीं टूटेगा।

इस किताब के कुल 52 बाब और 324 हदीसों हैं।



كتاب الصلاة

किताबुस्सलात
(नमाज़ का बयान)

हदीस नम्बर 837 से 1160 तक

नमाज़ की अहमियत, फ़ज़ीलत व फ़र्ज़ियत

इंसान अशरफ़ुल मख़्लूक़ात है, अगर अब तक मुयस्सर साइन्सी मालूमात को बुनियाद बनाया जाये तो इंसान ही सबसे अक्लमन्द मख़्लूक़ है जिसने अनासिरे कुदरत से काम लेकर अपने लिये कुव्वत व ताक़त के बहुत से इन्तिज़ामात कर लिये हैं। उसके बावजूद ये बहुत ही कमज़ोर, बार-बार मुश्किलात में घिर कर बेबस हो जाने वाली मख़्लूक़ है जो अपनी ज़िन्दगी के अक्सर मामलात में दूसरों की मदद की मोहताज है, दूसरों पर इन्हिसार करती है, अपने मुस्तक़बिल के हवाले से हर वक़्त ख़दशात का शिकार और ख़ौफ़ज़दा रहती है।

इनमें से जो इंसान एक क़ादिर मुत्लक़ पर ईमान से महरूम हैं, उन्में से अक्सर दूसरी ऐसी मख़्लूक़ात का सहारा लेते और उनको अपना मुहाफ़िज़, अपना राज़िक़ और ख़ालिक़ समझते हैं और उनसे मदद की दरख़वास्त करते हैं जो उनकी पहुँच से दूर हों या जिनकी अपनी कमज़ोरियों से इंसान बेख़बर हों। मज़ाहिरे फ़ितरत की पूजा, बुतों की पूजा, देवताओं और देवियों की परस्तिश यहाँ तक हाथियों, बन्दरों और साँपों की इबादत कमज़ोर इंसान की ख़ौफ़ज़दगी और उसकी मोहताजगी की दलील है।

अल्लाह के भेजे हुए दीन ने इंसान को ये सिखाया कि जिन्हें तुम पूजते हो वो भी तुम्हारी तरह बल्कि तुमसे बढ़कर कमज़ोर और मोहताज हैं। वो सिर्फ़ एक ही ज़ात है जिसके साथ किसी की कोई शराक़त दारी नहीं और वहाँ हर चीज़ पर क़ादिर है, हर कुव्वत उसी के पास है, हर नेमत के ख़ज़ानों का मालिक वही है, उसने सभी को पैदा किया, वो कभी पैदा होने का या किसी भी और चीज़ का मोहताज था न आइन्दा कभी होगा। वो हमारी इबादत का भी मोहताज नहीं बल्कि हम ही उसके कुर्ब, उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी और उसकी सखावत के मोहताज हैं। उसकी रज़ा और उसका कुर्ब हासिल हो जाने से हमारी कमज़ोरी ताक़त में, हमारी एहतियाज फ़रावानी में बदल सकते हैं और हमारा ख़ौफ़ मुकम्मल सलामती के एहसास में तब्दील हो जाता है।

तमाम अम्बिया का मिशन यही था कि इंसान इस अब्दी हक़ीक़त को समझ ले और उस क़ादिर मुत्लक़ का कुर्ब हासिल करने के लिये इबादत का सहीह तरीक़ा अपना ले। इस वक़्त जितने आसमानी दीन मौजूद हैं उनमें सबसे मुकम्मल, सबसे ख़ूबसूरत और सबसे आसान तरीक़ा-ए-इबादत वो है जो इस्लाम ने सिखाया है। इन इस्लामी इबादात में से अहम तरीन इबादत नमाज़ है। नमाज़ का इरादा करते ही ख़ैर, बरक़त और कसबे आमाले सालेहा का सिलसिला शुरू हो जाता है। तहारत और वुजू से इंसान ज़ाहिरी और बातिनी क़साफ़त और मैल-कुचेल्न से साफ़ हो जाता है और नमाज़ में दाख़िल होने के साथ ही वो अल्लाह के हुज़ूर बारयाब (हाज़िर) हो जाता है।

इस इबादत में बन्दा कभी अपने जैसे बहुत से इबादत गुजारों के साथ मिलकर ज़ुब व सरमस्ती में अल्लाह को पुकारता, उससे हाले दिल कहता और उसके सामने गिरया व ज़ारी करता है और कभी तन्हाई के आलम में अपने रब के सामने होता है और उसके साथ सरगोशी और मुनाजात करता है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अन्नह्यु अनिस्सब्बाक़ फिल्मस्जिद : 1230 (551))

इबादत का ये मुकम्मल और सबसे ख़ूबसूरत तरीका खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अफ़ज़ल तरीन इबादत गुज़ार (बन्दा) मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) को सिखाया और उन्होंने इंसानियत को इसकी तालीम दी।

आपकी नमाज़ की कैफ़ियतें क्या थीं? उनकी तफ़सील सहीह मुस्लिम की किताबुससलात, किताबुल मसाजिद, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन और माबअद के अबवाब में तफ़सील के साथ मज़कूर है।

जिन खुशानसीब लोगों ने इस इबादत का तरीका बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से सीखा, वो उसकी लज़ज़तों से सहीह तौर पर आशना थे, जैसे हज़रत अनस (रज़ि.) उन्हें याद करके बेइख़ितयार कहते थे, 'मैंने कभी किसी इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जिसकी नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल तरीन हो।' (सहीह मुस्लिम, किताबुससलात, बाब अम्रुल अइम्मति बितख़फ़ीफ़िस्सलात फ़ी तमाम : 1054 (469))

ये नमाज़ बाजमाअत की कैफ़ियत थी। रात की तन्हाइयों में आपकी नमाज़ कैसी थी, हज़रत आइशा (रज़ि.) बताना भी चाहती हैं और उससे ज़्यादा कह भी नहीं सकतीं, 'आप चार रकअतें पढ़ते और मत पूछो कि उनकी ख़ूबसूरती क्या थी और तवालत (लम्बाई) कितनी थी, फिर आप चार रकअतें अदा फ़रमाते, न पूछो कि उनका जमाल कैसा था, कितनी लम्बी होती थी।' (सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन व क़सरिहा, बाब सलातुल्लैल : 1723 (738))

ये लज़ज़तें महसूस की जा सकती थीं लेकिन ज़बान उनके बयान से कासिर थी। कुरआन मजीद ने इस इबादत का तज़क़िरा इस तरह किया कि उसका मुशाहिदा करने वाले उसकी तरफ़ खिंचे चले आते थे और उसमें मुस्तगरक़ हो जाते, 'और जब अल्लाह का बन्दा उसको पुकारने खड़ा हुआ, तो वो उस पर गिरोह दर गिरोह इकट्ठे होने लगे।' (सूरह जिन्न 72 : 19)

मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के हवाले से वो सारी तफ़सीलात इन्तिहाई जांफ़िशानी से जमा करके यकज़ा कर दीं जो सहाब-ए-किराम ने बयान की थीं। आज अगर ज़ौक़ व शौक़ की कैफ़ियतों में डूबकर उनका मुतालाआ किया जाये तो पूरा मन्ज़र सामने आ जाता है, जो हुस्नो-जमाल का बेमिसाल मुक़क़अ है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद फ़ित्नों का दौर आया। बेशुमार इंसानों के अकाइद और आमाल उसकी ज़द में आये, मनअे ज़कात, इर्तिदाद, ख़वारिज वगैरह के बातिल अकाइद इसी फ़ित्ने की



तबाहकारियों के चंद पहलू हैं। उस दौर का मुतालआ किया जाये तो इबादात और आमाल में सहल अंगेज़ी, गफलत और लापरवाही यहाँ तक कि जहालत की ऐसी कैफ़ियतें सामने आती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। बनू उमय्या के दौर में नमाज़ जैसे इस्लाम के बुनियादी रुकन की कैफ़ियत ऐसी हो गई थी कि हज़रत अनस (रज़ि.) इसके सबब से बाक्राइदा गिरया में मुब्तला हो जाते थे। लोगों और उनके हुक्मरानों ने उस दौर में औकाते नमाज़ तक ज़ाया कर दिये थे। इमाम ज़ोहरी कहते हैं, मैं दमिश्क में हज़रत अनस (रज़ि.) के यहाँ हाज़िर हुआ तो आप रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है जो आपको रुला रही है? फ़रमाया, मैंने अहदे रिसालत मआब (ﷺ) में जो कुछ देखा था उसमें नमाज़ ही रह गई थी, अब ये नमाज़ भी ज़ाया कर दी गई है। (सहीह बुखारी, मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ी तज़यीइस्सलात अन वक्तिहा : 530)

आपसे नमाज़ के बारे में ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में जो कुछ होता था उनमें से कोई चीज़ नहीं जो मैं पहचान सकूँ (सब कुछ बदल गया है) कहा गया, नमाज़ (तो है) फ़रमाया, क्या इसमें भी तुमने वो सब कुछ नहीं कर दिया जो कर दिया है। (सहीह बुखारी, मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ी तज़यीइस्सलात अन वक्तिहा : 529)

जामेअ तिर्मिज़ी की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं, तुमने अपनी नमाज़ों में वो सब कुछ नहीं कर डाला जिसका तुम्हीं को पता है। (जामेअ तिर्मिज़ी, सिफ़तुल क्रियामत, बाब हदीस इज़ाअतुनास अस्सलात: 2447)

एक और रिवायत में है, साबित बिनानी कहते हैं, हम हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के साथ थे कि हज्जाज ने नमाज़ में तारख़ीर कर दी, हज़रत अनस (रज़ि.) खड़े हुए, वो उससे बात करना चाहते थे, उनके साथियों ने हज्जाज से ख़तरा महसूस करते हुए उन्हें रोक दिया तो आप वहाँ से निकले, सवारी पर बैठे और रास्ते में कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने की कोई चीज़ बाक़ी नहीं रही सिवाय ला इला-ह इल्लल्लाह की शहादत के। एक आदमी ने कहा, अबू हमज़ह! नमाज़? तो फ़रमाया, तुमने जुहर की नमाज़ मरिब में पहुँचा दी। क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ यही थी। (फ़तहुल बारी, मवाक़ीतुस्सलात, बाब तज़यीइस्सलात अन वक्तिहा : 529)

हुक्मरानों की जहालत की वजह से ख़राबी का ये सिलसिला बढ़ता गया और सिवाय चंद अहले इल्म के बाक़ी लोग इसी नाक़िस और बिगाड़ी हुई नमाज़ के आदी हो गये। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इमाम अब्दुर्रज़ाक के हवाले से मशहूर ताबेई का वाक़िया नक़ल किया है। वो कहते हैं, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जुम्अे में तारख़ीर की यहाँ तक कि शाम हो गई, मैं आया और बैठने से पहले जुहर अदा कर ली, फिर उसके ख़ुत्बे के दौरान मैं बैठे हुए इशारे से असर पढ़ी। इशारे से इसलिये कि अता को ख़ौफ़ था कि अगर उन्होंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो उन्हें क़त्ल कर दिया जायेगा। (फ़तहुल बारी, मवाक़ीतुस्सलात, बाब तज़यीइस्सलात अन वक्तिहा : 529)

अक्सर लोग हुक्मरानों के इस अमल ही को इस्लाम समझते थे, उनको इस बात का एहसास

तक न था कि ये सब रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के खिलाफ़ है। आम लोगों की तो बात ही क्या है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) जैसे आलिम को भी मदीना का गवर्नर मुकर्रर होने तक असल औक़ाते नमाज़ का इल्म न था। वो मदीना के गवर्नर होकर आये तो एक दिन उन्होंने असर की नमाज़ में ताख़ीर कर दी। उरवह बिन जुबैर (रह.) उनके पास आये और उन्हें बताया कि हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) ने, जब वो इराक़ में गवर्नर थे, एक दिन नमाज़ में ताख़ीर कर दी तो हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (बद्री) (रज़ि.) आपके पास आये और फ़रमाया, मुगीरह ये क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिब्रईल (अलै.) ने नाज़िल होकर नमाज़ पढ़ाई। (पाँचों नमाज़ों, एक दिन हर नमाज़ का वक़्त शुरू होने पर और दूसरे दिन हर नमाज़ के वक़ते आख़िर में पढ़ाई) इस पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उरवह से कहा, देख लो क्या कह रहे हो? क्या वाक़ेई जिब्रईल (अलै.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये नमाज़ के वक़्त की निशानदेही की? उरवह ने जवाब दिया, बशीर बिन अबी मसऊद अपने वालिद (बद्री सहाबी अबू मसऊद अन्सारी रज़ि.) से इसी तरह बयान करते थे। (फ़तहुल बारी, मवाकीतुस्सलात व फ़जिलहा : 521) नमाज़ के तरीक़े में भी इसी तरह की तब्दीलियाँ पैदा हो गईं।

सहाब-ए-किराम (रज़ि.) और उनके शागिदों ने इस सूते हाल की इस्लाह के लिये जिहाद शुरू किया, फिर मुहद्दिस्सीन ने जो इल्मे हदीस में उन ही के जानशीन थे, इस जिहाद को पाया-ए-तक्मील तक पहुँचाया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की तमाम तफ़्सीलात पूरी तहक़ीक़ और जुस्तजू के बाद उम्मत के सामने पेश कर दीं और उम्मत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस फ़रमाने मुबारक पर कमाहक़क़ह अमल का मौक़ा फ़राहम किया कि 'तुम उसी तरह नमाज़ अदा करो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है।' (सहीह बुख़ारी, क़िताबुल अज़ान, बाब अल्लअज़ानु लिल्मुसाफ़िरीन : 631)

ये एक फ़ितरी बात है कि इंसान जिस सूत में जिस अमल का आदी होता है हमेशा उसी को दुरुस्त समझता है और हर सूत में उसके दिफ़ाअ की कोशिश करता है। मुहद्दिस्सीन के सामने बहुत बड़ा और कठिन मिशन था, उन्होंने नादान हुक्मरानों की सरपरस्ती में रासिख़शुदा आदात के खिलाफ़ इतना मुअस्सिर जिहाद किया कि अब उन लोगों के सामने, जो आदत की बिना पर इसरार और ज़िद्द का शिकार नहीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नते मुबारका और आपका मुनव्वर तरीक़-ए-अमल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है।

इमाम मुस्लिम ने क़िताबुस्सलात, क़िताबुल मसाजिद, क़िताब सलातुल मुसाफ़िरीन और बाद के अबवाब में ख़ूबसूरत तर्तीब से सहीह इस्नाद के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की मुकम्मल तफ़्सीलात जमा कर दी हैं। मुहद्दिस्सीन के अज़ीमुशान काम-के बाद उम्मत के फ़ुक़हा और उलमा के इस्तिम्बातात, चाहे वो जिस मक्तबे फ़िक़्र से तअल्लुक़ रखते हों, मुहद्दिस्सीन की बयान करदा इन्ही अहादीस के आस-पास घूमते हैं। तमाम फ़िक़्ही इख़ितलाफ़ात के हवाले से भी आख़िरी और हतमी फैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ वही हो सकता है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सादिर फ़रमा दिया और जिसे मुहद्दिस्सीन ने पूरी अमानतदारी से उम्मत तक पहुँचा दिया है।

4. किताबुस्सलात (नमाज़ का बयान)

बाब 1 : अज़ान की शुरूआत

(837) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने बताया कि जब मुसलमान मदीना आये तो वो इकट्ठे हो जाते और नमाज़ों के वक़्त का अन्दाज़ा कर लेते, उसके लिये कोई पुकारता नहीं था। एक दिन उन्होंने इसके बारे में बातचीत की तो कुछ ने कहा, ईसाईयों के नाकूस जैसा एक नाकूस बना लो और कुछ ने कहा, यहूद के कर्न जैसा कर्न बना लो। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुम एक आदमी ही क्यों मुकर्रर नहीं कर लेते जो नमाज़ के लिये मुनादी करे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ बिलाल! उठो और नमाज़ के लिये बुलाओ।'

(सहीह बुखारी : 604, तिर्मिज़ी : 190, 2/143,144)

باب بدء الأذان

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّوْنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْلَا تَتَّبِعُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا بِلَالُ قُمْ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ" .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अज़ान : आगाह करना, इतिलाअ देना। यतहय्यनून : वक़्त का अन्दाज़ा लगाते। (2) अस्सलात : (1) अक्सर अहले इल्म (अहले अरबियत हों या फ़ुक्हा) के नज़दीक इसका मानी दुआ है। क्योंकि नमाज़ दुआ पर मुश्तमिल है। (2) कलिमए शहादत के बाद दीन में नमाज़ का दूसरा दर्जा है, गोया दीन में दूसरे नम्बर पर है। इसलिये इसको सलात का नाम दिया गया है जैसाकि घोड़दौड़ में दूसरे नम्बर पर आने वाले घोड़े को मुसल्ली कहते हैं। (3) ये सलवैन से माख़ूज है, ये वो दो हड्डियाँ हैं (सुरीन में) जो रुकूअ व सुजूद में हरकत करती हैं। (4) सलात का मानी रहमत है, क्योंकि इंसान की पूरी

तवज्जह अल्लाह तआला की तरफ़ मब्ज़ूल होती है। (3) नाकूस : ईसाई बड़ी लकड़ी पर छोटी लकड़ी मारकर, नमाज़ का ऐलान करते थे। (4) कर्न : नरसिंघा, जो यहूदी बजाते थे।

फ़ायदा : इस हदीस में अज़ान की सिर्फ़ शुरूआती सूरात बयान की गई है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के मशवरे से नमाज़ के लिये अस्सलातु जामिआ के अल्फ़ाज़ से इत्तिलाअ दी जाती थी। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बा को ख़्वाब में मौजूदा अज़ान सिखाई गई। हज़रत उमर (रज़ि.) को भी इसी किस्म का ख़्वाब नज़र आया और हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किया गया। हज़रत बिलाल की आवाज़ बुलंद थी, इसलिये उनको मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर दिया गया। कुछ हज़रात ने ज़ईफ़ अहादीस के सहारे पर ये दावा किया है कि आपको आसमानों पर ले जाकर अज़ान के कलिमात सुनवाये गये या शबे मेअराज में आपको अज़ान की व्हय की गई और आपने हज़रत बिलाल को अज़ान सिखा दी। मगर सवाल ये है कि मेअराज का वाक़िया तो मक्का मुकर्रमा में पेश आ चुका था, अगर उस वक़्त आपने बिलाल (रज़ि.) को अज़ान सिखा दी थी तो फिर हिज़रत के बाद आपसी मशवरे की ज़रूरत क्यों पेश आई? और शुरूआती शक़्ल में हज़रत उमर (रज़ि.) के मशवरे से ऐलान करने पर अमल क्यों हुआ?

**बाब 2 : अज़ान के कलिमात दो-दो
मर्तबा और तकबीर इकहरी कहने का
हुक्म**

**باب الأمرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ
الإِقَامَةِ**

(838) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहें और इक्रामत (तकबीर) में एक-एक बार। यहया ने अपनी रिवायत में, इब्ने अतिथ्या से ये इज़ाफ़ा बयान किया कि मैंने ये रिवायत अथ्यूब को सुनाई तो उसने कहा, क़द क़ामतिस्सलात के सिवा (क्योंकि ये अल्फ़ाज़ दो बार कहने होते हैं)।

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَلِيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْأَخْذَاءِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ،
الْأَذَانَ وَيُوتَرَ الإِقَامَةَ . زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ
عَنْ ابْنِ عَلِيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا
الإِقَامَةَ .

(सहीह बुखारी : 603, 605-607, 3457, अबू
दारुद : 508, 509, तिर्मिज़ी : 193, नसाई : 3/2,
इब्ने माजह : 729, 730)

(839) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि जब नमाज़ियों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने आपस में इस मसले पर बातचीत की कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिये नमाज़ के वक़्त का ऐलान करें जिसको लोग पहचान लिया करें (ताकि नमाज़ के लिये बरवक़्त आ सकें) तो उन्होंने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि आग रोशन करें या नाकूस बजायें। आख़िरकार बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान में कलिमात दो-दो बार कहें और इक्रामत में एक-एक बार।

फ़ायदा : इस हदीस में इन्तिहाई इख़्तिसार से काम लिया गया है। क्योंकि मुखातब वाक़िये की पूरी तफ़्सील से आगाह थे, बिलाल को ये हुक्म अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बा के ख़्वाब के बाद दिया गया है और हज़रत अनस (रज़ि.) की तमाम रिवायात में अज़ान के कलिमात में दो-दो बार और इक्रामत में एक-एक बार कहने का हुक्म दिया गया है और अहले हदीस का इस पर अमल है।

(840) इमाम साहब और एक सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि जब नमाज़ियों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने आपसी ऐलान के बारे में बातचीत की, फ़र्क सिर्फ़ इस क़द्र है कि इस रिवायत में युनव्विरु नारा (आग रोशन करें) की जगह अय्युरु नारा (आग जलायें) है।

(841) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया गया कि अज़ान में कलिमात दो-दो बार कहे और इक्रामत में एक-एक बार।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعَلِّمُوا، وَقَتَّ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بِهِزُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعَلِّمُوا . بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يُورُوا نَارًا .

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ، الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हय्य : आओ, हाज़िर हो। (2) अल्फ़लाह : निजात व कामयाबी या बका व दवाम।

फ़ायदा : अबू महज़ूरा की रिवायत में अज़ान में तरजीअ है कि कलिमाते शहादत पहले दो-दो बार आहिस्ता कहेंगे फिर उनका इआदा करते (लौटाते) हुए बुलंद आवाज़ से कहेंगे। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहदिस्नीन (रह.) का यही मौक़िफ़ है और ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की अज़ान के बहुत बाद 3 हिजरी में सिखाई गई। इसलिये हरमैन में इस पर अमल है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) तरजीअ के क़ाइल नहीं। मुस्लिम की इस हदीस में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर दो बार आया है। इसलिये इमाम मालिक (रह.) अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दो बार कहने के ही क़ाइल हैं। लेकिन बक़ौल क़ाज़ी अयाज़ सहीह मुस्लिम के कुछ नुस्खों में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा कहना लिखा हुआ है। कुछ दूसरी किताबों में भी अबू महज़ूरा (रज़ि.) की रिवायत में अल्लाहु अकबर चार बार आया है। इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद और मुहदिस्नीन का मस्लक ये है कि अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर चार बार कहा जायेगा। अगरचे इमाम ख़त्ताबी ने ये तावील की है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर दोनों को मिलाकर एक ही साँस में कहेंगे। इसलिये ये एक कलिमा हुआ तो अल्लाहु अकबर भी इस तरह दो बार हुआ। अहनाफ़ ने अबू महज़ूरा की अज़ान की तावील की है। चूँकि वो काफ़िर थे, इसलिये उनके दिल में कलिमाते शहादत रासिख़ करने के लिये उनसे ये कलिमात तकरार के साथ कहलाये गये। लेकिन सवाल ये है कि वो मक्का मुकर्रमा में हमेशा तरजीअ के साथ अज़ान देते रहे। आपने उनको मना क्यों नहीं फ़रमाया। नीज़ किसी सहाबी को भी ये पता न चल सका कि आपने ये कलिमात, कलिमाते शहादत के रासिख़ करने के लिये दोबारा कहलवाये थे। ये अज़ान का हिस्सा नहीं हैं। वो आख़िर तक इसी तरह अज़ान कहते रहे। किसी सहाबी ने भी उनको इसकी तरफ़ तवज्जह नहीं दिलाई। बाक़ी रही ये बात कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) मदीना में बिला तरजीअ अज़ान देते थे। इसकी वजह ये है कि इस तरह अज़ान भी दुरुस्त है। इसलिये इस पर ऐतराज़ क्यों किया जाता और उनकी तकबीर भी इकहरी थी। जैसाकि सहीह रिवायत से साबित है। उनकी तकबीर को क्यों नज़र अन्दाज़ किया जाता है और हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायात में तो इकहरी तकबीर कहने का हुक्म मौजूद है और ये हुक्म रसूलुल्लाह (ﷺ) ही ने दिया था।

बाब 4 : एक मस्जिद के लिये दो मुअज़्ज़िन रखना पसन्दीदा है

(843) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो मुअज़्ज़िन थे, बिलाल और नाबीना उम्मे मक्तूम का बेटा।

(844) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं।
(सहीह बुखारी : 622,623, 1918, 1919, नसाई)

बाब 5 : अन्धे के साथ जब बीना हो तो उसका अज़ान देना जाइज़ है

(845) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उम्मे मक्तूम का बेटा रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये अज़ान देता था और वो नाबीना था।
(अबू दाऊद : 535)

(846) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

**باب استِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَدِّنِينَ
لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ**

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ .

**باب جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ
مَعَهُ بَصِيرٌ**

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَدِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़ायदा : अज़ान के लिये औक़ात मुकर्रर होते हैं और नाबीना अपने तौर पर मालूम नहीं कर सकता। इसलिये अगर उसको कोई वक़्त बताने वाला मौजूद हो या आज-कल अन्धों के लिये घड़ियाँ निकल चुकी हैं उनको वो सुन सकता हो तो वो अज़ान कह सकता है।

बाब 6 : दारुल कुफ़्र के लोगों से अज़ान सुनने की सूरत में हमला करने से रुक जाना

باب الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ، عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ

(847) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (दुश्मन पर) तुलूअे फ़ज्र के वक़्त हमला करते थे और अज़ान की आवाज़ पर कान लगाये रखते थे। अगर आप अज़ान सुन लेते तो हमला करने से रुक जाते, वरना हमला कर देते। आपने एक आदमी को कहते हुए सुना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो आपने फ़रमाया, 'चे फ़ितरते इस्लाम पर है।' फिर उसने कहा, अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू आग से आज़ाद हो गया।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने उस शख़्स को देखा तो वो बकरियों का चरवाहा था।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَدَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى الْفِطْرَةِ " . ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ " . فَتَنظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى .

(अबू दाऊद : 2634, तिर्मिज़ी : 1618)

फ़ायदा : किसी गाँव या बस्ती से अज़ान की आवाज़ आना, उसके बाशिन्दों के मुसलमान होने की दलील है। इसलिये उस बस्ती पर हमला नहीं किया जायेगा। चरवाहे का अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना, उसके मुसलमान होने की दलील है। इस गवाही पर आपने उसको आग से निजात पाने की ख़बर दी। इसका आपके आलिमुल ग़ैब होने से कोई ताल्लुक नहीं है।

बाब 7 : अज़ान सुनकर, अज़ान देने वाले के कलिमात ही कहना मुस्तहब है, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) पर दरूद पढ़ेगा, फिर आपके लिये वसीले की दरख्वास्त करेगा

باب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَدِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

(848) अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम अज़ान सुनो तो जो कलिमात मुअज़्ज़िन कहता है वही तुम कहो।'

(सहीह बुखारी : 611, अबू दाऊद : 522, तिर्मिज़ी : 208, नसाई : 2/23, इब्ने माजह : 720)

(849) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुम मुअज़्ज़िन से अज़ान सुनो तो मुअज़्ज़िन के कलिमात को तुम भी कहो। फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। फिर अल्लाह तआला से मेरे बुलंद मक़ाम की दरख्वास्त करो। क्योंकि वो जन्नत का एक ऐसा बुलंद मक़ाम है जो अल्लाह के बन्दों में से सिर्फ़ एक बन्दे को ही मिल सकेगा और मुझे उम्मीद है वो मैं हूँगा। तो जिसने मेरे लिये वसीले की दुआ की, उसको मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी।

(अबू दाऊद : 523, तिर्मिज़ी : 3614, नसाई : 3/225)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ خَيْثَوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَرْثَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सल्लू अलघ्य : मेरे लिये अल्लाह के हुज़ूर दुआ करो और उसके कलिमात वही हैं जो आपने सिखाये हैं। (2) अल्वसीलह : किसी तक पहुँचने का ज़रिया-वास्ता, जिस चीज़ से अल्लाह का तकरूब हासिल हो, उस मक़ाम तक पहुँचने वाले को अल्लाह का इन्तिहाई कुर्ब हासिल होगा, इसलिये इस आला और बुलंद मक़ाम को वसीले का नाम दिया गया है। (3) हल्लत लहुशफ़ाअह : वो सिफ़ारिश का हक़दार होगा, उसके लिये सिफ़ारिश साबित हो गई।

(850) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे तो तुममें से कोई एक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे। फिर मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह कहे तो वो भी अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन अशहदु अन्न मुहम्मदरसूलुल्लाह कहे तो वो भी अशहदु अन्न मुहम्मदरसूलुल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन हय्य अलस्सलाह कहे तो वो ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहे तो वो ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे तो वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे। फिर मुअज़्ज़िन ला इला-ह इल्लल्लाह कहे तो वो ला इला-ह इल्लल्लाह कहे। और ये कहना दिल से हो तो वो जन्नत में दाख़िल होगा।'

(अबू दाऊद : 527)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

फ़वाइद : (1) अज़ान के दो पहलू हैं। एक हैसियत से वो नमाज़ बाजमाअत का ऐलान और बुलावा है। इस हैसियत से हर मुसलमान का फ़रीज़ा है कि वो अज़ान सुनते ही नमाज़ में शिरकत की तैयारी और एहतिमाम करे और बरवक़्त मस्जिद में पहुँचकर जमाअत में शरीक हो। अज़ान की दूसरी हैसियत ये है कि वो ईमान की दावत व पुकार और दीने हक़ का मन्शूर है और इस हैसियत का तकाज़ा ये है कि हर मुसलमान अज़ान सुनते ही इस ईमानी दावत के हर जुज़ और हर बोल की और दीने हक़ की इस मन्शूर की हर बार की अपने दिल की गहराई और ज़बान से तस्दीक़ करे और मुअज़्ज़िन के साथ इन कलिमात को कहे। इस तरह मुसलमान आबादी हर अज़ान के वक़्त अपने ईमानी अहद व मीसाक़ और दीने हक़ के मन्शूर पर अमलपैरा होने के अहद की तच्चीद करे। (2) इन अहादीस से साबित होता है कि सुनने वाला, अज़ान सुनकर मुअज़्ज़िन वाले कलिमात भी दोहरा सकता है और हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह के जवाब में ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह भी कह सकता है। दोनों तरह जवाब देना दुरुस्त है और बक़ौल कुछ दोनों को जमा भी किया जा सकता है।

(851) हज़रत सअद बिन अबी वक्रकास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत सुनाई कि आपने फ़रमाया, 'जिसने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के वक़्त कहा, अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो घगाना है, उसका कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू और मैं शहादत देता हूँ कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बं-व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल्इस्लाम दीना मैं अल्लाह को रब मानकर और मुहम्मद को रसूल मानकर और इस्लाम को दस्तूरे ज़िन्दगी मानकर राज़ी और मुत्मइन हूँ। तो उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।' इब्ने रुम्ह ने अपनी रिवायत में कहा, जिसने मुअज़्ज़िन से अज़ान सुनते वक़्त कहा, व अना अशहदु मैं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ
الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْقُرَشِيِّ، ح
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ
الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا . غَفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ " . قَالَ ابْنُ
رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ
وَأَنَا أَشْهَدُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا .

भी शहादत देता हूँ और कुतैबा ने सुनने वाले के लिये व अन्ना का लफ़्ज़ बयान नहीं किया।

(अबू दाऊद : 525, तिर्मिज़ी : 210, नसाई : 3/26, इब्ने माजह : 721)

फ़ायदा : अज़ान के साथ, अज़ान के कलिमात कहे जायेंगे ये और दूसरी दुआ अज़ान के बाद पढ़ी जायेगी और इब्ने रुम्ह के अल्फ़ाज़ व अना अशहदु से मालूम होता है कि कलिमाते शहादत के साथ इसको पढ़ा जा सकता है। एक इस्तिदलाल और उसका जवाब, अहादीस में अज़ान सुनकर, मुअज़्ज़िन के कलिमात कहने का ज़िक्र है। या हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह की जगह ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह का और फिर सामेअ (सुनने वाले) का हुक्म है कि वो अज़ान के बाद नबी (ﷺ) पर दरूद भेजे। लेकिन कुछ हज़रात ने फ़िक्ही किताबों के हवाले से लिखा है कि पहली मर्तबा अशहदु अन्न मुहम्मदर्सूलुल्लाह सुनकर कुर्रत ऐनी बिक या रसूलुल्लाह कहना मुस्तहब है। अल्लामा शामी ने रदुल मुख्तार : 1/293 (मक्तबा माजिदिया कोयटा) में इसकी ताईद में एक हदीस नक़ल की है जो अल्मकासिदुल हसना लिस्सखावी के हवाले से है और फिर ज़राही के हवाले से नक़ल किया है कि जब हदीस ही सहीह नहीं तो ताईद कैसे होगी और अल्मकासिदुल हसना दारुल कुतुबिल अरबी पेज नम्बर 450 में एक और हदीस है। अल्लामा इब्ने आबिदीन वाली रिवायत मौजूद ही नहीं है और मुल्ला अली क़ारी ने जो बात सखावी की इबारत के बाद कही है वो दुरुस्त नहीं है।

एक असबियत रखने वाला हन्फ़ी फ़ाज़िल अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़दा मुल्ला अली क़ारी (रह.) की एक दूसरी किताब अल्मस्नूअ फ़ी मअरिफ़तिल हदीसिल मौज़ूअ मक्तबा अल्मत्बूआतुल इस्लामिया बहल्ब पेज नम्बर 169 हाशिया नम्बर 2 पर अल्लामा क़ारी की इबारत पर इन्तिहाई तअज्जुब करते हुए लिखते हैं कि इस तआकुब की ग़लती के सिवा कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि अबू बकर की तरफ़ उसकी निस्बत ही सहीह नहीं है और अबू ग़दा ने तहावी के इस्तिदलाल के बारे में लिखा है, हुवा कलामुन मरदूद बिमा क़ालहुल हुफ़फ़ाज़ और मुल्ला अली क़ारी के बारे में लिखा है, यतीबु लहु फ़ी क़सीरिम्पिनत्तअक्कुबाति हुब्बु इस्तिदराक व लौ बितअवीलिन बईदिन ला यकूमु अलैहि दलील कि वो सिर्फ़ इस्तिदराक के शौक़ में बिला दलील, तावीले बईद से काम लेते हैं। (पेज नम्बर 170) और अल्लामा सुबाग़ ने अल्मौज़ूआतुल कुबरा के हाशिये 316 पर लिखा है, मुअल्लिफ़ ने जबकि साबित है कैसे कह दिया, हालांकि वो थोड़ा सा पहले खुद कह चुके हैं ये सहीह नहीं है और बकौल इमाम इब्ने तैमिया (रह.) किताबुल फ़िरदौस में, अहादीसे मौज़ूआत यानी मनघदत अहादीस बहुत हैं। (मिन्हाजुस्सुन्नह : 3/17)

और हदीस में सुनने वाले को दरूद पढ़ने का हुक्म है और वो भी अज्ञान के जवाब के बाद और ज़ाहिर है सुनने वाला अज्ञान का जवाब आहिस्ता देता है और दरूद भी आहिस्ता पढ़ता है। लेकिन कुछ हज़रत ने इस हुक्म में मुअज़्ज़िन को भी शामिल कर लिया है और फिर मुअज़्ज़िन के लिये अज्ञान से पहले और अज्ञान के बाद बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ना साबित किया है।

और तरफ़ा तमाशा ये है कि इस हकीकत का ऐतराफ़ किया है अल्लामा सखावी और अल्लामा अलाई की इबारत से ये वाज़ेह हो गया कि अज्ञान के बाद सलात व सलाम आठवीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र के हुक्म से पढ़ना शुरू किया गया और चौधवीं सदी के आख़िर से पाँचों नमाज़ों की अज्ञान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ा जाता है। (शरह सहीह मुस्लिम उर्दू : 1/1093, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी)

सवाल ये है कि अगर ये ख़ैर का काम है जैसाकि अल्लाह के कलाम वफ़्दुल ख़ैर से इसको साबित किया गया है तो इस ख़ैर का पता 781 हिजरी तक किसी सहाबी, ताबेई या मुहद्दिस व इمام को क्यों न चल सका और फिर इसका इल्म भी हुआ तो एक बादशाह को। दरूद व सलाम एक अमले मत्लूब है और रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुहब्बत व अकीदत का एक तकाज़ा और अलामत है। सवाल उस मख़सूस कैफ़ियत व हैयत का है, जिसका सुबूत दीन में नहीं और इसके बारे में क़ौले फ़ैसल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का फ़रमान है, जिसको खुद अल्लामा सईद ने नक़ल किया है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पहलू में बैठे हुए आदमी को छींक आई तो उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, मैं भी कहता हूँ, शुक्र का हक़दार अल्लाह है और सलामती रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये है। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने छींक के जवाब में इस तरह तालीम नहीं दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें तालीम दी है कि हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल।

उसके बाद अल्लामा सईदी लिखते हैं, उस शख़्स ने जो छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुहब्बत करता था और न ये बात थी कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बुज़्र की बिना पर उसको छींक के बाद दरूद शरीफ़ पढ़ने से मना कर रहे थे। उनका मतलब सिर्फ़ इतना था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो इबादात जिस तरह मशरूअ और मुकर्रर फ़रमाई हैं उनको किसी तरमीम और इज़ाफ़े के बग़ैर अदा करना इतिबाअे रसूल और जमाअते सहाबा (रज़ि.) के साथ वाबस्तगी है और अपनी राय से उनमें किसी साबिका और लाहिका का इज़ाफ़ा करना बहरहाइल लायक़े सताइश नहीं। (शरह सहीह मुस्लिम उर्दू : 1/1095)

और इससे पहले ये तस्लीम कर चुके हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने मदीना मुनव्वरा में दस साल अज़ान दी जाती रही। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में तीस साल अज़ान दी जाती रही और सौ साल तक अहदे सहाबा व ताबेईन में अज़ान दी जाती रही और किसी दौर में भी अज़ान से पहले या बाद फ़सल करके जहरन दरूद शरीफ़ नहीं पढ़ा गया और आठ सदियों तक मुसलमान इस तरीके से अज़ान देते रहे। (1/1094)

सवाल ये है कि अब इसमें तरमीम व इज़ाफ़े की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है अगर इसी तरह नेकी के नाम से दीन में इज़ाफ़े की इजाज़त दे दी जाये तो ये काम कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा और कुल्लु बिदअतिन ज़लालह का मानी मतलब ही ख़त्म हो जायेगा। क्योंकि हर बिदअत नेकी के नाम से ईजाद की जाती है कोई कह सकता है अज़ान कहना दीन का शिआर है और दीन के मन्शूर का ऐलान है। नमाज़े जुम्आ के लिये इज्तिमाअ की खातिर अज़ान दी जाती है और ईदैन में उससे बड़ा इज्तिमाअ होता है। लिहाज़ा उसके लिये अज़ान कहने में क्या हर्ज है? कुरआन पढ़ना नेकी का अमल है, लिहाज़ा सिरी नमाज़ों में बुलंद क़िरअत करने में क्या हर्ज है? दरूद शरीफ़ पढ़ना पसन्दीदा काम है तो इसको नमाज़ के क्रियाम या रूकूअ या सज्दे में पढ़ने में क्या हर्ज है? नमाज़ दीन का सुतून है और बहुत अफ़ज़ल अमल है, लिहाज़ा शाम की रकआत चार और फ़ज़र की भी चार करने में क्या हर्ज है? आपने कब कहा, मरिब की चार रकआत न बनाना या फ़ज़र में इज़ाफ़ा न करना। इस तरह नेकी के नाम से जो चाहो इज़ाफ़ा करते जाओ और बतौर दलील कह दो अल्लाह का फ़रमान है, वफ़अलुल ख़ैर नेकी के काम करो। खुलासए कलाम ये है कि दीन इसका नाम है जो काम आपने जैसे किया है उसको वैसे ही किया जाये उसमें अपनी तरफ़ से कमी व बेशी न की जाये या किसी अमल के लिये अपनी तरफ़ से कोई मख़सूस कैफ़ियत व शक़्ल ईजाद न की जाये।

बाब 8 : अज़ान की फ़ज़ीलत और शैतान का अज़ान सुनकर भाग खड़े होना

**باب فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ
عِنْدَ سَمَاعِهِ**

(852) तलहा बिन यहया अपने चाचा से नक़ल करते हैं कि मैं मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) के पास था। उनके पास मुअज़्ज़िन आया और उनको नमाज़ के लिये बुलाया तो मुआविया (रज़ि.) ने कहा, मैंने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدَهُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ
الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ

रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'क़यामत के दिन मुअज़्ज़िनों की गर्दनें सब लोगों से लम्बी होंगी।'

(इब्ने माजह : 725)

फ़ायदा : मुअज़्ज़िन को अज़ान के लिये बहुत मुस्तज़्द और चौकस होना पड़ता है और सब लोग अज़ान सुनकर ही नमाज़ का एहतिमाम करते हैं, इसलिये क़यामत को उसे ये शर्फ़ और ऐज़ाज़ हासिल होगा कि वो सबसे मुम्ताज़ और मुन्फ़रिद नज़र आयेगा या क़सरते अजर व स़वाब की बिना पर उसकी गर्दन बुलंद होगी, ताकि मैदाने हश्र के पसीने से उसका चेहरा महफूज़ रहे।

(853) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(854) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'शैतान जब नमाज़ के लिये अज़ान सुनता है तो मक़ामे रौहा तक भाग जाता है।' सुलैमान (आमश) कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद से रौहा के बारे में पूछा? तो उन्होंने बताया, ये मदीना से छत्तीस मील के फ़ास्ले पर है।

(855) हमें यही रिवायत अबू बकर बिन अबी शैबा और अबू कुरैब दोनों ने अबू मुआविया के वास्ते से आमश की मज़कूरा बाला सनद से सुनाई।

(856) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرُّوحَاءِ . فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةً وَثَلَاثُونَ مَيْلًا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،

है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शैतान जब नमाज़ के लिये पुकार सुनता है तो जोर से हवा ख़ारिज करता हुआ भागता है, ताकि मुअज़्ज़िन की आवाज़ न सुनाई दे। जब मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है तो वापस आ जाता है और (नमाज़ियों के दिलों में) वस्वसा पैदा करता है। तो जब तकबीर सुनता है तो फिर भागता है ताकि उसकी आवाज़ सुनाई न दे। जब वो ख़ामोश हो जाता है वापस आ जाता है और लोगों के दिलों में वस्वसा पैदा करता है।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अहाल : भाग खड़ा होता है। (2) ज़ुरातन : गोज़, बुलंद आवाज़ से दुबुर से हवा ख़ारिज करना है।

फ़ायदा : अज़ान चूँकि दीने हक़ का खुलासा और निचोड़ है। इसलिये इसको आपने दावत नामा (मुकम्मल दावत) का नाम दिया है और शैतान को दीने हक़ से चिड़ और दुश्मनी है। इसलिये इसका सुनना नागवारी का बाइस है इसलिये वो तकबीर और अज़ान दोनों के सुनने का ख़ादा नहीँ और उसके लिये उनका सुनना इन्तिहाई परेशानी और इज़्तिराब का बाइस है। इस परेशानी के आलम में भाग खड़ा होता है और दूर तक चला जाता है।

(857) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, शैतान पीठ फेरकर सरपट दौड़ता है या गोज़ मारता हुआ जाता है।'
मुफ़रदातुल हदीस : हुसासुन : गोज़ मारना या तेज़ भागना।

(858) हज़रत सुहैल से रिवायत है कि मुझे मेरे बाप ने बनू हारि़सा की तरफ़ भेजा और मेरे साथ हमारा एक लड़का भी था या हमारा दोस्त था। उसको किसी आवाज़ देने वाले ने बाग़ के एहाते से उसका नाम लेकर आवाज़

وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِتُتَيَّبَةٍ - قَالَ
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ
الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ
صُرَاطَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ
فَوْسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا
يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوْسُوسَ " .

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا
خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدَّنُ أُذُنَ
الشَّيْطَانِ وَلَهُ حُصَاصٌ " .

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي
ابْنَ زُرَيْعَ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ
أُرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَيْتِي حَارِثَةَ - قَالَ - وَمَعِيَ
غُلَامٌ لَنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَنَا - فَتَادَاهُ مَنَادٍ مِنْ

दी और मेरे साथी ने एहाते के अंदर झांका तो उसे कुछ नज़र न आया। मैंने ये वाक़िया अपने वालिद को बताया तो उसने कहा, अगर मुझे मालूम होता तुम इस वाक़िये से दोचार होगे तो मैं तुम्हें न भेजता। लेकिन आइन्दा तुम अगर ऐसी आवाज़ सुनो तो नमाज़ वाली अज़ान देना क्योंकि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस सुनी है, आपने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये पुकारा जाता है तो शैतान गोज़ मारता हुआ, पीठ फेरकर भाग खड़ा होता है।'

फ़ायदा : अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये इस्तिदलाल किया है कि अगर किसी को जिन्न की आवाज़ सुनाई दे तो वो अज़ान दे। इससे कुछ हज़रत ने ये निकाला है, अगर किसी घर वाले को जिन्न तंग करें तो वो अज़ान दें, बहरहाल ये इस्तिम्बात है कोई मसनून चीज़ नहीं है।

(859) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है शैतान गोज़ मारता हुआ, पीठ फेरकर भाग खड़ा होता है, ताकि अज़ान सुनाई न दे तो जब अज़ान पूरी हो जाती है, आ जाता है। यहाँ तक कि जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाती है भाग जाता है, फिर जब तकबीर ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाता है। यहाँ तक कि इंसान और उसके दिल के दरम्यान गुज़रता है और उसे कहता है फ़लाँ चीज़ याद कर, फ़लाँ चीज़ याद कर। हालांकि वो चीज़ें उसे पहले याद नहीं होतीं, यहाँ तक कि आदमी की ये हालत हो जाती है उसको पता नहीं चलता उसने कितनी रकअतें पढ़ीं?'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सुव्विब : तस्वीब का मक़सद इक़ामत है, क्योंकि साब का मानी लौटना

حَائِطٍ بِاسْمِهِ - قَالَ - وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِيَ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسَلْكَ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَتَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ "

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحَزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْدِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْدِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبِ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَادْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى "

होता है। (2) मुअज़्ज़िन : अज़ान के बाद दोबारा नमाज़ की तरफ बुलाता है। इसलिये तकबीर को तस्वीब कहते हैं। (3) यख्तुरु : अगर ता पर ज़ेर पढ़ें तो मानी होगा वस्वसा डालना अगर ता पर पेश पढ़ें तो मानी होगा, गुज़रना। यानी इंसान और उसके दिल के दरम्यान हाइल होता है। ताकि उसको असल मकसूद से दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे।

(860) इमाम साहब ने एक और सनद से अबू हुरैरह (रज़ि.) की नबी (ﷺ) से मज़कूरा बाला रिवायत नक़ल की है। सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि उसमें मा यदरी कम सल्ला? की बजाए इय्यदरी कैफ़ा सल्ला है कि वो नहीं जानता कैसे नमाज़ पढ़े।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ " حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى "

फ़ायदा : जब इमाम नमाज़ के लिये आ जाये तो उसको देखकर खड़े होना चाहिये ताकि तकबीर की तकमील तक सफ़ेद दुरुस्त हो जायें।

बाब 9 : तकबीरे तहरीमा, रुकूअ में जाते और रुकूअ से उठते वक़्त कन्धों के बराबर हाथ उठाना मुस्तहब है और सज्दा से उठते वक़्त हाथ नहीं उठाये जायेंगे

باب اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

(861) हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप नमाज़ की शुरूआत फ़रमाते अपने दोनों हाथ कन्धों के बराबर तक और रुकूअ से पहले भी और जब रुकूअ से सर उठाते और सज्दों के दरम्यान हाथ नहीं उठाते थे। (अबू दाऊद : 721, तिर्मिज़ी : 255, नसाई : 2/1:182, इब्ने माजह : 858)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

اَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَادِيَ مَنْكِبَيْهِ
وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا
يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

(862) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते, अपने दोनों हाथों को अपने कन्धों के बराबर तक उठाते, फिर अल्लाहु अकबर कहते, तो जब रुकूअ करना चाहते फिर ऐसा ही करते और जब रुकूअ से सर उठाते तो ऐसा ही करते और सज्दे से अपना सर उठाते वक़्त ऐसा नहीं करते।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ
لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ خَدْوُ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ
كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ
مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَقَعْلُهُ حِينَ
يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

(863) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों कन्धों के बराबर उठाते और फिर तकबीर कहते।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، - وَهُوَ
ابْنُ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ح
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازَادَ، حَدَّثَنَا
سَلْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، كِلَاهُمَا عَنِ
الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ خَدْوُ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ .

(सहीह बुखारी : 736, नसाई : 1/121-122)

(864) अबू क़िलाबा से रिवायत है कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस (रज़ि.) को देखा, जब वो नमाज़ शुरू करते, अल्लाहु अकबर कहते फिर अपने दोनों हाथ उठाते

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى

और जब रुकूअ करना चाहते, अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकूअ से अपना सर उठाते अपने दोनों हाथ उठाते और बताते रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसा ही किया करते थे।
(सहीह बुखारी : 737)

(865) हजरत मालिक बिन हुवैरिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अल्लाहु अकबर कहते अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाते और जब रुकूअ करते अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों के बराबर तक उठाते और जब रुकूअ से अपना सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते और ऐसा ही करते।

(अबूदारूद:745, नसाई:2/123,2/182, 2/194 2/205-206, 1142, इब्ने माजह : 809)

(866) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा और बताया यहाँ तक कि दोनों हाथ अपने दोनों कानों की लौ तक उठाते।

फ़वाइद : (1) तकबीरे तहरीमा के साथ रफ़अ यदैन की तीनों सूरतें जाइज़ हैं, पहले उठाये, बाद में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पहले कहे फिर रफ़अ यदैन करे, दोनों काम इकट्ठे करे। (2) जुम्हूर अइम्मा इमाम शाफ़ेई, इमाम मुहम्मद और एक क़ौल की रू से इमाम मालिक और तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक इन तीन मक़ामात पर रफ़अ यदैन सुन्नत है।

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا .

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

बाब 10 : नमाज़ में झुकते और उठते वक़्त हर जगह तकबीर कही जायेगी, मगर रुकूअ से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा जायेगा

باب إثبات التكبير في كل خفض
ورفع في الصلاة إلا رفعه من
الركوع فيقول فيه سمع الله لمن
حمده

(867) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हमें नमाज़ पढ़ाते, हर बार जब झुकते और उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने नमाज़ से फ़रागत हासिल की तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! मेरी नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से मुशाबिहत रखती है।

(सहीह बुख़ारी : 785, नसाई : 2/235)

(868) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो खड़े होते वक़्त तकबीर कहते। फिर रुकूअ करते वक़्त तकबीर कहते। फिर जब रुकूअ से पुश्त उठाते तो उस वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते। फिर खड़े होने की हालत में रबबना व लकल हम्द कहते। फिर जब सज्दे के लिये झुकते तो तकबीर कहते। फिर जब (सज्दे) से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते। फिर दूसरा सज्दा करते वक़्त तकबीर कहते। फिर जब सज्दे से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते। फिर पूरी नमाज़ में इसी तरह करते, यहाँ तक कि उसको अदा कर लेते। फिर जब दूसरी रकअत के

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، كان يصلي لهم فيكبر كلنا خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا محمد بن زافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول "سمع الله لمن حمده" . حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم "ربنا ولك الحمد" . ثم يكبر حين يهوي ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها

लिये बैठने के बाद उठते तो तकबीर कहते। फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते, मेरी नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुशाबेह है।

(सहीह बुखारी : 789, अबू दाऊद : 738, नसाई : 2/233)

(869) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते तकबीर कहते। इब्ने जुरैज की हदीस की तरह बयान किया और अबू हुरैरह (रज़ि.) का ये क़ौल कि मेरी नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुशाबेह है, बयान नहीं किया।

(870) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) को जब मरवान अपना जॉनशीन बनाकर जाता तो जब वो फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते तकबीर कहते, जब वो नमाज़ अदा कर लेते और सलाम फेरते तो अहले मस्जिद की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाते, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुशाबेह नमाज़ पढ़ता हूँ।

(नसाई : 2/181-182)

(871) अबू सलमा से रिवायत है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) नमाज़ में जब भी उठते और

وَكَبَّرَ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكْبُرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ . إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ - حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

झुकते तकबीर कहते। हमने अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा, ये तकबीर कैसी है? उन्होंने जवाब दिया, ये यक़ीनन रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ है।

(872) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) जब भी (नमाज़ में) झुकते और उठते तकबीर कहते और बताते रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसा ही करते थे।

(873) हज़रत मुतरिफ़ बयान करते हैं कि मैंने और इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। जब वो सज्दा करते अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर उठाते अल्लाहु अकबर कहते और जब दूसरी रकअत से खड़े होते तकबीर कहते, जब हम नमाज़ से फ़ारिग हुए तो इमरान (रज़ि.) ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, इन्होंने हमें मुहम्मद (ﷺ) वाली नमाज़ पढ़ाई है या ये कहा उन्होंने मुझे मुहम्मद (ﷺ) वाली नमाज़ याद करा दी है।

(सहीह बुख़ारी : 786, 826, अबू दाऊद : 835, नसाई : 2/204-205, 3/12)

फ़वाइद : (1) इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक तकबीरे तहरीमा वाजिब, फ़र्ज़ है और बाक़ी तकबीरें भी उनके नज़दीक वाजिब (फ़र्ज़) हैं और बाक़ी के नज़दीक सुन्नत और इमाम औज़ाई और हसन बसरी (रह.) के नज़दीक सब तकबीर सुन्नत हैं। सहीह अहादीस का तकाज़ा तो यही है कि सब तकबीरात को वाजिब कहा जाये। (2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ . فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلْفَ بْنِ هِشَامٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ - قَالَ - أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

हदीस 28 से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) समिअल्लाहु लिमन हमिदह के बाद कोमा में दुआ पढ़ते थे और उसको मुन्फ़रिदन (तन्हा) नमाज़ पढ़ने पर महमूल करना, तावीले बड़द है। इसलिये इमाम शाफ़ेई का मौक़िफ़ सहीह है कि इमाम हो या मुन्फ़रिद या मुक्त्तदी, तस्मीअ के बाद दुआइया कलिमात पढ़ेगा, ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि इमाम सिर्फ़ समिअल्लाह कहेगा और मुक्त्तदी सिर्फ़ दुआइया कलिमात कहेगा और उसके लिये इज़ा क़ालल इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह फ़कूलू रब्बना लकल हम्द से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। इसका मक़सद तो ये है कि दुआइया कलिमात, तस्मीअ के बाद कहे जायेंगे। इस्तिदलाल की ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ सराहत न हो। अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में सराहत है, ये तो ऐसे ही है कोई कहे इज़ा क़ालल इमाम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ज़ॉल्लीन फ़कूलू आमीन कि इमाम आमीन नहीं कहेगा।

बाब 11 : हर रक़अत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर सूरह फ़ातिहा अच्छी तरह न पढ़ सकता हो और न ही उसके लिये उसका सीखना मुम्किन हो तो सूरह फ़ातिहा के सिवा जो पढ़ना मुम्किन हो, पढ़ ले

باب وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمَكَّنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

(874) हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस शख़्स की कोई नमाज़ नहीं होती, जिसने फ़ातिहतुल किताब न पढ़ी।'

(सहीह बुख़ारी : 756, अबू दाऊद : 822, तिर्मिज़ी : 247, नसाई : 2/138, इब्ने माजह : 837)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَتَلَعُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .

फ़ायदा : ये रिवायत इस बात की सरीह दलील है कि फ़ातिहा के बग़ैर किसी की इमाम हो या मुन्फ़रिद या मुक्त्तदी की कोई नमाज़ सिरी हो या जहरी, फ़र्ज़ हो या नफ़ल, नहीं होती और हर रक़अत नमाज़ है। इसलिये नमाज़ की तमाम रक़आत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है।

(875) इबादा बिन सामित (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने उम्मुल कुरआन न पढ़ी उसकी कोई नमाज़ नहीं।'

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ . "

(876) हज़रत महमूद बिन रबीअ (रज़ि.) जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके कुएँ से कुल्ली की थी, ने इसे इबादा बिन सामित (रज़ि.) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने उम्मुल कुरआन न पढ़ी उसकी कोई नमाज़ नहीं।'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي، مَتَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بَثْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ بَنِي الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ . "

(877) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान की और उसमें इतना इज़ाफ़ा किया, पस इससे ज़ाइद।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا .

फ़ायदा : मुक्तदी जहरी क़िरअत के वक़्त सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ेगा और इमाम व मुत्फ़रिद ज़ाइद पढ़ेंगे और जिन रकअतों में क़िरअत बुलंद नहीं और सिरी नमाज़ें, उनमें मुक्तदी भी ज़ाइद क़िरअत कर सकेगा।

(878) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने कोई नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरआन न पढ़ी तो वो अधूरी और नाक़िस है कामिल नहीं है।' तीन

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

मर्तबा फ़रमाया। अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, उसको आहिस्ता पढ़ लो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये फ़रमाते हुए सुना, अल्लाह का फ़रमान है, 'मैंने नमाज़ अपने और अपने बन्दे के दरम्यान आधी-आधी तक्रसीम की है और मेरा बन्दा जो माँगेगा उसको मिलेगा। जब इंसान अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन (शुक्र व सना का हक़दार कायनात का आक्रा है) कहता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है, 'मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ और शुक्रिया अदा किया। और जब वो अर्रहमानिर्रहीम (इन्तिहाई मेहरबान, बार-बार रहम करने वाला) कहता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है, 'मेरे बन्दे ने मेरी सना बयान की।' जब वो मालिकि यौमिदीन (हिसाबो-किताब का मालिक) कहता है, अल्लाह फ़रमाता है, 'मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी बयान की।' और कुछ बार (रावी ने कहा,) 'बन्दे ने मामलात मेरे सुपुर्द कर दिये या अपने आपको मेरे हवाले किया।' जब इंसान कहता है, इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नस्तईन (हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं) अल्लाह तआला फ़रमाता है, 'ये मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान है और मेरे बन्दे को जो उसने माँगा, मिलेगा।' और जब वो कहता है, इह्दिनस्सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल्लज़ी-न अन्अम्ता अलैहिम, ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ज़ाल्लीन (हमें राहे रास्त पर चलाये रख, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फ़रमाया,

عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ " . فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ . فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِيدِي عَبْدِي وَإِذَا قَلَّمَ { الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ } . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتَيْتَنِي عَلَى عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ { مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } . قَالَ مَجْدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً قَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ { إِنَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } . قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } . قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ .

जो उनमें से नहीं जिन पर ग़ज़ब हुआ और न वो गुमराह हैं) अल्लाह फ़रमाता है, 'ये मेरे बन्दे के लिये है और मेरे बन्दे को मिलेगा, जो उसने माँगा।' सुफ़ियान कहते हैं, मुझे ये रिवायत अला बिन अब्दुर्हमान बिन याक़ूब ने सुनाई। वो अपने घर में बीमार थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे इस हदीस के बारे में दरख़्वास्त की।

फ़ायदा : सूरह फ़ातिहा पूरे कुरआन मजीद का निचोड़ और खुलासा है। बल्कि इसकी असल और बुनियाद है। इस बिना पर इसको नमाज़ की हर रकअत में मुक़रर किया गया है और इसको सलात (नमाज़) के नाम से ताबीर किया गया है। इसके बग़ैर नमाज़ अधूरी और नाक़िस है और उस बच्चे की तरह है जो अपने असल वक़्त से पहले ही पैदा हो जाये कहते हैं, ख़दजलतिद्दाब्बह ख़िदाजा, जानवर ने अधूरा बच्चा गिरा दिया और अक्सर अइम्मए लुगत ने ख़िदाज का मानी नुक़सान किया है।

(879) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने कोई नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरआन न पढ़ी.....।' आगे मज़क़ूरा वाला रिवायत बयान की। दोनों की रिवायत में है, अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'मैंने नमाज़ अपने और अपने बन्दे के दरम्यान आधी-आधी तक्सीम कर ली है, इसका आधा हिस्सा मेरे लिये है और आधा मेरे बन्दे के लिये।'

(अबू दाऊद : 821, तिर्मिज़ी : 2953, नसाई : 2/135-136, इब्ने माजह : 2/103)

(880) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरआन न पढ़ी..।' आगे सुफ़ियान की हदीस की तरह है। और दोनों की हदीस में है,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى
بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ،

अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'मैंने नमाज़ अपने और बन्दे के दरम्यान आधी-आधी तक़सीम कर दी है। इसका आधा हिस्सा मेरे लिये और आधा हिस्सा मेरे बन्दे के लिये।'

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَتَقَرَّ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ " .
بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ فَانصُفْهَا لِي وَانصُفْهَا لِعَبْدِي " .

(881) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने कोई नमाज़ फ़ातिहतुल किताब के बग़ैर पढ़ी तो वो नामुकम्मल है।' आपने तीन बार ये जुम्ला फ़रमाया। (फ़हिया ख़िदाजुन) मज़कूरा बाला हदीस की तरह है।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُعَقَّرِيِّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا، جَالِسَيْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَتَقَرَّ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ " . يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

(882) अला और अबू साइब जो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के हमनशीन थे अबू हुरैरह से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्रिअत के बग़ैर कोई नमाज़ नहीं है।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, जिस नमाज़ को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बुलंद क्रिअत से पढ़ा हम ने भी इसमें क्रिअत बुलंद पढ़ी और जो नमाज़ आपने आहिस्ता क्रिअत से पढ़ी, हमने भी तुम्हारे लिये उसकी क्रिअत आहिस्ता की (क्रिअत को मख़फ़ी रखा)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ أَحْقَيْنَاهُ لَكُمْ .

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के क़ौल से मालूम होता है, फ़ातिहा पढ़े बग़ैर चारा नहीं है और इससे ज़्यादा पढ़ना अज़र व स़वाब और फ़ज़ीलत का बाइस है, अगरचे नमाज़ सिर्फ़ फ़ातिहा ही से हो जायेगी।

(883) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हर नमाज़ में क़िरअत है तो जो क़िरअत नबी (ﷺ) ने हमें सुनाई, हम तुम्हें सुनाते हैं और जो हमसे पोशीदा रखी, हम उसे तुमसे छिपाते हैं। एक आदमी ने सवाल किया, अगर मैं उम्मुल किताब से ज़्यादा न पढ़ूँ तो उन्होंने जवाब दिया, (यानी आहिस्ता पढ़ते हैं) और जिसने उम्मुल किताब पढ़ ली तो वो उसके लिये काफ़ी है और जिसने उससे ज़्यादा पढ़ा तो वो बेहतर है।

(सहीह बुख़ारी : 772, नसाई : 2/163)

(884) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हर नमाज़ के लिये क़िरअत है जो नबी (ﷺ) ने हमको सुनाया हमने तुमको सुनाया जो हमसे पोशीदा रखा हमने उसको तुमसे छिपाया और जिसने उम्मुल किताब पढ़ ली तो वो उसके लिये काफ़ी होगी और जिसने इज़ाफ़ा किया तो वो बेहतर है।

(885) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये, तो एक आदमी दाख़िल हुआ और नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आपको सलाम अज़्र किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया, 'वापस जाकर नमाज़ पढ़, क्योंकि तेरी नमाज़ नहीं हुई।' उस आदमी ने वापस जाकर नमाज़ पढ़ी जैसे पहले पढ़ी थी। फिर नबी (ﷺ) के पास आकर सलाम अज़्र किया तो आपने फ़रमाया, 'व

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أَمِّ الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْرَاتُ عَنْكَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً فَمَا أَسْمَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْرَاتُ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ

अलैकस्सलाम' फिर फ़रमाया, 'वापस जाकर नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। इस तरह आपने तीन बार किया, तो उस आदमी ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! मैं इससे बेहतर नहीं पढ़ सकता, आप सिखा दीजिये। आपने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो, फिर जो कुरआन आसानी से पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, फिर अच्छी तरह इत्मीनान के साथ रुकूअ करो, फिर रुकूअ से सीधे अच्छी तरह उठो, फिर अच्छी तरह इत्मीनान से सज्दा करो, फिर सज्दे से उठकर इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर अपनी पूरी नमाज़ में इसी तरह करो।'

(सहीह बुखारी : 757, 6252, 793, अबू दाऊद : 856, तिर्मिज़ी:303, नसाई : 2/124-125, 883)

फ़वाइद : (1) आपने नमाज़ में कोताही करने वाले को फ़रमाया, कुरआन का जो हिस्सा तुम आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लो और सूरह फ़ातिहा कुरआन मजीद का सबसे आसान हिस्सा है। जो आम तौर पर हर नमाज़ी को याद होता है और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस रिवायत के तहत तसरीह की है कि इमाम अहमद और इब्ने हिब्बान ने इसकी जगह सुम्म इकरअ बिउम्मिल कुरआन सुम्म इकरअ बिमा शिअ्त (फिर उम्मुल कुरआन पढ़ फिर जो चाहे पढ़) के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। जो इस बात की सरीह दलील है कि मा तयस्सर से मुराद सूरह फ़ातिहा है। (2) इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज़ के तमाम अरकान, ठहर-ठहरकर, इत्मीनान के साथ अदा करना लाज़िम है। इसको तअदीले अरकान कहते हैं जो तमाम अइम्मा के नज़दीक फ़र्ज़ है। इमाम अबू यूसुफ़ भी इसके काइल हैं।

लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक तअदीले अरकान वाजिब है। जो फ़र्ज़ से कम दर्जा है। लेकिन ये बात हदीस के खिलाफ़ है।

असल बात ये है कि आप (ﷺ) के हुक्म को फ़र्ज़ या वाजिब का इस्तिलाही नाम जो भी दें, वो ऐसा लाज़िम है कि उसकी मुख़ालिफ़त या उसका वज़न कम करने के लिये हल्की इस्तिलाह घड़ने

الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " . ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَيَّ . قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا " .

से उसकी हैसियत देने इस्लाम में कम नहीं हो सकती। बल्कि उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के कुरआन का हुक्म ज़रूरी होता है। क्योंकि कुरआन और हदीस का हुक्म वही इलाही है।

(886) हज़रत अबू हुसैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने मस्जिद में दाखिल होकर नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक गोशे में तशरीफ़ फ़रमा थे। फिर ऊपर वाले वाकिये के साथ हदीस बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो मुकम्मल वुजू करो फिर क़िब्ला रुख़ होकर तकबीर कहो।'

(सहीह बुख़ारी : 6251, 6667, अबू दाऊद : 865, तिर्मिज़ी : 2692, इब्ने माजह : 1060, 2692, 3695)

बाब 12 : मुक्तदी को इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से क़िरअत करने की मुमानिअत

(887) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर या असर की नमाज़ पढ़ाई और पूछा, 'तुममें से किसने मेरे पीछे सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल अज़ला पढ़ी?' तो एक आदमी ने जवाब दिया, 'मैंने! और इससे मेरा मक़सद सिर्फ़ ख़ैर ही था। आपने फ़रमाया, 'मैंने जाना, तुममें से कोई मेरे साथ क़िरअत में उलझ रहा है।'

(अबू दाऊद : 828-829, नसाई : 2/140)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَا فِيهِ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ " .

باب نهى المأموم عن جهره،
بالقراءة خلف إمامه

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوْ الْعَصْرِ - فَقَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجِيهَا " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से क़िरअत नहीं करनी चाहिये। क्योंकि इस तरह इमाम के लिये क़िरअत करने में दिक्कत पैदा होती है और कुछ सिरी नमाज़ों (जुहर, असर) में भी आपके पीछे फ़ातिहा के बाद कोई सूरत बुलंद आवाज़ में पढ़ लेते थे। इसलिये आपने फ़ातिहा के बाद वाली क़िरअत पर ऐतराज़ किया और आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दिया। जिससे मालूम हुआ सिरी नमाज़ों में फ़ातिहा के बाद भी कोई सूरत आहिस्ता पढ़ी जायेगी। जहरी नमाज़ों की (रकअतों) में फ़ातिहा के सिवा कोई क़िरअत नहीं है। इल्ला ये कि मुक्तदी, इमाम से इस क़द्र फ़ासले पर हो कि वहाँ तक क़िरअत की आवाज़ न पहुँच रही हो तो फिर वो फ़ातिहा के बाद भी क़िरअत करेगा, लेकिन ये क़िरअत आहिस्ता होगी।

(888) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी ने आपके पीछे सब्बिहिस्म रब्बिकल अज़्ला पढ़नी शुरू कर दी। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया, 'तुममें से किसी ने पढ़ा?' या 'तुममें से क़िरअत करने वाला कौन है?' एक आदमी ने कहा, मैं हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं समझ रहा था तुममें से कोई मेरे साथ उलझ रहा है।'

(889) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर की नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया, 'मैंने जान लिया तुममें से कोई मेरे साथ क़िरअत में उलझ रहा है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
فَلَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى، يُحَدِّثُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمِ
رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ "
أَوْ " أَيُّكُمْ الْقَارِئُ " فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا . فَقَالَ " قَدْ
ظَنَنْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَ نِيهَا " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
ابْنُ عَلِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ " قَدْ
عَلِمْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَ نِيهَا " .

फ़ायदा : इमाम के पीछे अगर क़िरअत बुलंद आवाज़ से की जाये तो क़िरअतों का आपस में टकराव होगा और इमाम की क़िरअत में खलल पैदा होगा। अगर क़िरअत आहिस्ता हो तो उलझाव और टकराव की सूरत पैदा नहीं होती। इसलिये मुक्तदी तमाम नमाज़ों में क़िरअत आहिस्ता करेगा। इमाम

की जहरी क़िरअत के वक़्त सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ेगा और जब इमाम बुलंद क़िरअत न कर रहा हो तो जितना कुरआन पढ़ना मुम्किन हो पढ़ लेगा।

बाब 13 : उन लोगों की दलील जो कहते हैं बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ी जायेगी

**باب حُجَّةٍ مَنْ قَالَ لَا يَجْهَرُ
بِالْبِسْمَلَةِ**

(890) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) अबू बकर, उमर और इस्मान (रज़ि.) के साथ नमाज़ पढ़ी, मैंने उनमें से किसी से बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क़िरअत नहीं सुनी।

(सहीह बुखारी : 473, नसाई : 2/135)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और खुलफ़ाए राशिदीन, आम तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते थे। शवाफ़िअ ने इस हदीस के अलग-अलग मआनी बयान किये हैं। इसलिये इमाम नववी ने लिखा है कि इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। इसलिये जब सूरह फ़ातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है तो इसको भी बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिये और सुनन दारे कुतनी और सुनन बैहक़ी की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा करअतुम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़करऊ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम (अल्हदीस) लेकिन इस रिवायत में बिस्मिल्लाह का फ़ातिहा का जुज़ होना साबित होता है और बुलंद आवाज़ से क़िरअत करना साबित नहीं होता। इसलिये सहीह बात यही है कि इसको दोनों तरह पढ़ना सहीह है। (इस मुख्तसर में दलाइल देने की गुंजाइश नहीं है) तफ़सील के लिये मौलाना मीर सियालकोटी की वाज़ेहुल बयान देखिये।

(891) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें ये इज़ाफ़ा है कि शोबा ने कहा, मैंने क़तादा से पूछा, क्या आपने ये रिवायत अनस (रज़ि.) से सुनी है? उसने कहा, हाँ! हमने उनसे इसके बारे में पूछा था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ .

फ़ायदा : क़तादा चूँकि मुदल्लिस रावी है। इसलिये शुब्हा पैदा हुआ कि शायद उसने हज़रत अनस (रज़ि.) से बराहे रास्त ये रिवायत न सुनी हो। सिमाज़ की तसरीह के बाद ये शुब्हा दूर हो गया।

(892) हज़रत अब्ददा से रिवायत है कि इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ये कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। सुब्हान-कल्लाहुम्म वबिहम्दि-क व तबारकस्मु-क व तअाला जहु-क वला इला-ह ग़ैरुक (ऐ अल्लाह! तू अपनी हम्द व तौसीफ़ के साथ, पाकीज़गी व तक्रदीस से मुत्तसिफ़ है, तेरा नाम ही बाबरकत है और तेरी अज़मत व बुजुर्गी बुलंद व बाला है, तेरे सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं)।

हज़रत अनस (रज़ि.) ने क़तादा को बताया कि मैंने नबी (ﷺ), अबू बकर, इमर और उस्मान (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी है। वो नमाज़ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते थे। वो क़िरअत के शुरू में और न ही आख़िर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे।

फ़ायदा : अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फ़ातिहा का नाम है तो मक़सद ये हुआ कि वो क़िरअत का आगाज़ सूरह फ़ातिहा से करते थे और बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। रावी ने चूँकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सूरह का नाम की बजाए आयत समझ लिया। इसलिये ये कह दिया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते थे (तप़सील के लिये मौलाना मीर सियालकोटी (रह.) की वाज़ेहल बयान देखिये)।

(893) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूर बाला हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذْكُرُ ذَلِكَ .

बाब 14 : उन लोगों की दलील जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरह बराअत के सिवा हर सूरह का जुज़ (हिस्सा) है

(894) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि इस बीच में कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान थे। आप पर अचानक एक झपकी तारी हुई। फिर आपने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया तो हमने अज़्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपने फ़रमाया, 'अभी मुझ पर एक सूरत नाज़िल की गई है।' और आपने पढ़ा, 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअ्तैना-कल्कौसर, फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअ-क हुवल अब्तर (अल्लाह के नाम से जो इन्तिहाई मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है, बिला शुब्हा हमने आपको कौसर अता किया, लिहाज़ा अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी कीजिये, यक़ीनन आपका दुश्मन ही दुम बुरीदा (नामुराद) है।' फिर आपने पूछा, 'क्या तुम जानते हो कौसर क्या है?' तो हमने अज़्र किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो एक नहर है जिसका मेरे रब्ब अज़ज़ व जल्ल ने मुझसे वादा फ़रमाया है, उसमें बहुत ही ख़ैर है और वो एक हौज़ है, जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पानी पीने के लिये आयेगी, उसके

باب حُجَّةٍ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةَ آيَةً
مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلَيْلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَعْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَصْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَنْزِلْتَ عَلَيَّ آيَةً سُورَةٌ " . فَقَرَأَ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ * إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْإِبْتَرُ] " . ثُمَّ قَالَ " أَتَذَرُونَ مَا الْكَوْثَرُ " . فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرْدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي . فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحَدَّثْتُ بِعَدَاكَ " . زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ " مَا أَحَدَّثْتُ بِعَدَاكَ " .

बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। तो उनमें से एक शख्स को उचक लिया जायेगा। तो मैं अर्ज करूँगा, ऐ मेरे आक्रा! ये मेरी उम्मत का फ़र्द है। तो मुझे जवाब दिया जायेगा, आप नहीं जानते इन लोगों ने आपके बाद क्या नये काम निकाले थे।' इब्ने हुज्र (रह.) ने अपनी हदीस में इतना इजाफ़ा किया, आप मस्जिद में हमारे दरम्यान थे और अहदसू बअदक की जगह अहदस बअदक कहा।

(अबू दाऊद : 784, 4747, नसाई : 2/133-134)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बैन अज़्हरिना : हमारे अंदर, हममें। (2) अग़फ़ा इग़फ़ाअह : झपकी और ऊँघ का तारी होना। (3) शानिअक : तेरा दुश्मन, तुझसे बुग़ज व इनाद रखने वाला। (4) अल्अबतर : दुप कटा, जिसकी नसल न चले। हर ख़ैर व बरकत से महरूम। (5) युख़्तलज : छीना जायेगा, अलग किया जायेगा। (6) अहदस : दीन में नई बात निकालना, कोई वाक़िया या जुर्म कर गुज़रना।

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है कि बिस्मिल्लाह हर सूरात का हिस्सा और जुज है। जिसे आप हर सूरात से पहले पढ़ते थे और सूराह बराअत का इस्तिस्ना एक अलग दलील की बिना पर है और इसी बिना पर हर सूरात के शुरू में इसको मुस्हफ़ में लिखा गया है और सूराह इकरअ की शुरू की आयतें जो सबसे पहली वदथ हैं, उनमें यही तालीम दी गई कि इकरअ बिस्मि रब्बिक अपने रब के नाम से क़िरअत का आगाज़ कीजिये और उसके शुरू में बिस्मिल्लाह मौजूद है। इसलिये ये कहना कि अगर बिस्मिल्लाह हर सूरात का जुज होती तो इकरअ के शुरू में नाज़िल होती, दुरुस्त नहीं है क्योंकि अगर ये इससे पहले नाज़िल नहीं हुई थी तो इससे पहले लिख कैसे दी गई? (2) इस हदीस से इल्मे ग़ैब का रसूलुल्लाह के लिये इस्बात (साबित करना), बिला महल है। नीज़ एक हकीक़त को तस्लीम करके हेर-फेर से दूसरी बात कहना, इल्म के मुनाफ़ी बात है। जब ये तस्लीम है कि मुतलक़न आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात है। हर चंद कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को अताए इलाही से इल्मे ग़ैब हासिल है लेकिन मुतलक़न ये नहीं कहना चाहिये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ग़ैब का इल्म है। बल्कि यूँ कहना चाहिये कि आप ग़ैब पर मुत्तलअ हैं या आप पर ग़ैब ज़ाहिर किया गया है या आपको इल्मे ग़ैब अता किया गया है। (शरह सहीह मुस्लिम, सईदी साहब : 1/1160) बल्कि इससे ऊपर यहाँ तक लिखा गया है आम मुसलमानों, औलियाअल्लाह, सहाबा किराम (रज़ि.) में से हर शख्स को उसके

ज़र्फ़ (हैसियत) के मुताबिक़ ग़ैब का इल्म है और रसूलुल्लाह (ﷺ) को तमाम मख़लूक़ात से ज़्यादा ग़ैब का इल्म है तो उम्मत को इस बहस व मसले में क्यों उलझाया जाता है कि आपको आलिमुल ग़ैब न मानने वाला गुस्ताख़ व बेअदब है और काफ़िर है। उम्मत का कौनसा फ़र्द है, जो इसका इन्कार करता है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को जिस चीज़ का इल्म दिया वो आपको हासिल हो गया। जिस चीज़ से आगाह न किया, आप खुद आगाह न हो सके। जिसकी सरीह दलील इस हदीस के अंदर इन्नक ला तदरी मा अहदसू बअदक की सूरत में मौजूद है।

(895) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर कुछ ऊँघ तारी हुई। जैसाकि इब्ने मुस्हिर की रिवायत में गुज़र चुका है और उसमें ये भी है एक नहर है जिसका मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है। ये जन्नत में है और इस पर हौज़ है, उसमें बर्तनों के सितारों की तादाद में होने का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ أَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً . بَنَحُو حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ " . وَلَمْ يَذْكُرْ " .
أَبِيْنَهُ عَدَدُ النُّجُومِ " .

बाब 15 : तकबीरे तहरीमा के बाद दायाँ हाथ बायें पर सीने के नीचे और नाफ़ के ऊपर रखा जायेगा और (सज्दे में) दोनों हाथ ज़मीन पर कन्धों के बराबर होंगे

باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرْتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَدْوً مِنْكِبَيْهِ

(896) हज़रत वाइल बिन हुज़ (रज़ि.) से रिवायत है कि उसने नबी (ﷺ) को देखा, आपने नमाज़ में दाखिल होते वक़्त अपने दोनों हाथ बुलंद किये तकबीर कही (हम्माम ने बयान किया, कानों के बराबर तक बुलंद किये) फिर अपना कपड़ा ओढ़ लिया फिर

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَوَاثِلِ بْنِ

अपना दायाँ हाथ बायें पर रखा तो जब रुकूअ करना चाहा, अपने दोनों हाथ कपड़े से निकाले फिर उनको बुलंद किया, फिर तकबीर कही और रुकूअ किया, जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा, अपने हाथ बुलंद किये और जब सज्दा किया, अपनी दोनों हथेलियों के दरम्यान सज्दा किया।

حُجْرًا، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَامٌ حِينَ أَدْنَيْهِ - ثُمَّ التَّحَفَ بِتَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثُّوبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से दायें हाथ का बायें पर रखना, यानी हाथ बांधना साबित होता है और हाथ कहाँ रखे, ये सराहतन साबित नहीं होता। अगर हाथ कोहनियों के बराबर बांधे जायें तो फिर सीने के नीचे और नाफ़ से बहुत ऊपर आते हैं और ये गोया एक तबई और फितरी तरीका है और इमाम नववी ने इसके मुताबिक़ बाब बांधा है। शवाफ़िअ का यही मौक़िफ़ है, मालिकी आम तौर पर मोत्ता की रिवायत के बरअक्स हाथ नहीं बांधते और अहनाफ़ हज़रत अली (रज़ि.) की जिस रिवायत से ज़ेरे नाफ़ हाथ बांधने का इस्तिदलाल करते हैं वो मुहद्दीसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है और हज़रत अली (रज़ि.) फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर की जो तफ़्सीर की है, इसके ख़िलाफ़ है। अगरचे ये कौल भी ज़ईफ़ है। हज़रत वाइल बिन हुज़र (रज़ि.) और हज़रत ताऊस की मुसल रिवायत और मुख्तलिफ़ सहाबा के तफ़्सीरी अक्वाल को सामने रखा जाये तो सहीह बात ये है कि हाथ सीने के ऊपर बांधे जायेंगे। हज़रत वाइल बिन हुज़र की इब्ने खुज़ैमा से वज़अ यदहुल युम्ना अला यदिहिल युस्रा अला सदरिही और मुस्नद अहमद में हज़रत क़बीसा बिन हलब की रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) यज़उ यदहू अला सदरिही और वाइल बिन हुज़र आप (ﷺ) की ज़िंदगी के आख़िरी दौर में मुसलमान हुए हैं।

बाब 16 : नमाज़ में तशहहूद

(897) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम नमाज़ में नबी (ﷺ) के पीछे ये कहते थे, अस्सलामु अलल्लाह अल्लाह पर सलामती हो। अस्सलामु अला फ़ुलानिन, फ़लाँ पर सलामती हो तो हमें

باب التَّشَهُدِ فِي الصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَثُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन फ़रमाया, 'अल्लाह खुद सलामती है। (हर ऐब व कमज़ोरी से पाक) लिहाज़ा जब तुममें से कोई नमाज़ में तशहहद के लिये बैठे तो यूँ कहे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन जब ये कलिमात कहेगा तो हर नेक बन्दे को ये दुआ पहुँचेगी, आसमान में हो या ज़मीन में (फिर कहे) अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फिर जो चाहे दुआ करे।'

(सहीह बुखारी : 6338, नसाई : 2/240, 3/40, इब्ने माजह : 899)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अत्तहिय्यात : तहिय्या की जमा है, इसके मुख्तलिफ़ मआनी आते हैं, बादशाही, बका व दवाम, ज़िंदगी और अज़मत व बुजुर्गी। (2) सलवात : नमाज़ें, दुआयें, रहमत। (3) तय्यिबात : पाकीज़ा बोल, गोया इन तमाम चीज़ों का हक़दार और सज़ावार अल्लाह तआला है और इसके लायक़ हैं। इस तरह तशहहद के कलिमात का मानी ये होगा, हर किस्म की कौली, बदनी और माली इबादतें, अल्लाह के लिये मख़सूस हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह की तरफ़ से सलामती, रहमत और बरकात नाज़िल हों, हमें और अल्लाह के नेक बन्दों को सलामती हासिल हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बन्दगी के लायक़ नहीं और मैं शहादत देता हूँ कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं।

(898) इमाम साहब ने एक और सनद, ऊपर वाली रिवायत की बयान की और आखिरी कलिमात, 'उसके बाद जो चाहे दुआ माँगे' बयान नहीं किये।

خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ السَّلَامَ عَلَى فُلَانٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَنَمْ يَذْكُرُ " ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ " .

(899) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़कूरा रिवायत बयान की और आख़िरी कलाम में मा शाअ की जगह मा शाअ मा अहब्ब बयान किया।

(900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि जब हम नमाज़ में नबी (ﷺ) के साथ बैठते, आगे मन्सूर की रिवायत की तरह बयान किया और आख़िर में कहा, सुम्म यतख्दय्यरु बअदु मिनहुआइ बाद में दुआ का इन्तिख़ाब कर ले।

(सहीह बुखारी : 831, 853, 6230, 6328, 7381, अबू दाऊद : 968, नसाई : 2/239, 3/40, 3/41, 3/150-151, इब्ने माजह : 899)

(901) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे तशहहुद इस सूरात में सिखाया कि मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के दरम्यान थी। जैसाकि आप मुझे कुरआनी सूरात की तालीम देते थे और तशहहुद मज़कूरा रावियों की तरह बयान किया।

(सहीह बुखारी : 6265, नसाई : 2/241)

(902) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशहहुद इस तरह सिखाते थे जैसे हमें कुरआन की कोई सूरात सिखाते थे। आप फ़रमाते थे, अत्तहिय्यातुल मुबारकातुस्सलवातुत्-तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैक

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ " ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ " ثُمَّ يَتَخَيَّرَ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصَّوْا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ

अय्युहन्नबिद्यु व रहमतुल्लाहि व बरकатуह
अस्सलामु अलैना व अला
इबादिल्लाहिस्सालिहीन अशहदु अल्ला
इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न
मुहम्मदर्सूलुल्लाह अदब व तअज़ीम के सारे
खैर व बरकत वाले कलिमात अल्लाह के
लिये मखसूस हैं या वही इनका हक़दार है
तमाम इबादात, तमाम सदक्रात अल्लाह ही
के वास्ते हैं, तुम पर सलामती हो ऐ नबी! और
अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें,
सलाम हो हम पर और अल्लाह के सब नेक
बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा
कोई इबादत और बन्दगी के लायक़ नहीं और
मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद उसके रसूल हैं और
इब्ने रुम्ह की हदीस में युअल्लिमुना सूरतम
मिनल कुरआन की बजाए कमा
युअल्लिमुनल कुरआन है।

(अबू दाऊद : 974, तिर्मिज़ी : 290, नसाई :
2/242, इब्ने माजह : 900)

(903) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशहहद
कुरआन की सूरत की तरह ही सिखाते थे।

(904) हित्तान बिन अब्दुल्लाह रकाशी
बयान करते हैं कि मैंने एक नमाज़ अबू मूसा
अशअरी (रज़ि.) के साथ पढ़ी। तो जब बैठने

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا
" يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ "
التَّحِيّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللّٰهِ " . وَفِي رَوَايَةٍ ابْنِ رُمَحٍ كَمَا
يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
الرُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا
التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

का वक़्त आया, एक शख़्स ने कहा, नमाज़ नेकी और ज़कात के साथ मिलाई गई है। जब अबू मूसा (रज़ि.) ने नमाज़ पूरी कर ली और सलाम फेरकर मुँह मोड़ा तो पूछा, ये ये कलिमा तुममें किसने कहा? सब लोग चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, तुममें से किसने ये ये बात कही? तो लोग फिर चुप रहे। तो उन्होंने कहा, ऐ हित्तान! शायद तूने ये कलिमा कहा है? मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। मुझे ख़ौफ़ था कि आप मुझे इसके सबब सरज़निश करेंगे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, मैंने ये कलिमा कहा है और मैंने इससे सिर्फ़ ख़ैर का ही इरादा किया है। तो अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम जानते नहीं हो, तुम्हें अपनी नमाज़ में क्या कहना चाहिये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें खुत्बा दिया और हमारे, हमारा तरीक़ा वाज़ेह किया और हमें हमारी नमाज़ सिखाई। आपने फ़रमाया, 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी सफ़ों को सीधा करो, फिर तुममें से एक तुम्हारी इमामत कराये, जब वो तकबीर कह चुके तो तुम तकबीर कहो और जब वो ग़ैरिल मज़बूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कुबूल फ़रमायेगा, वो तुम्हें शफ़े़ कुबूलियत बख़शेगा और जब वो तकबीर कहे और रुकूअ करे तो तुम तकबीर कहकर रुकूअ करो और इमाम तुमसे पहले रुकूअ में जाता है और तुमसे पहले उठता है।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये तकदीम व ताख़ीर से बराबर हो गया और

الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ - قَالَ - فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتَهَا وَلَقَدْ رَهَيْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتَهَا وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ . يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرُكِعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द कहो, ऐ अल्लाह! हमारे रब तू ही हम्द का हकदार है। अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की ज़बान से फ़रमाया है, 'अल्लाह तआला ने जिसने उसकी हम्द व तारीफ़ की सुन ली और जब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा करे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो और सज्दा करो। क्योंकि इमाम तुमसे पहले सज्दे में जाता है और तुमसे पहले सज्दे से उठता है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ब्ल व बाद (तक़दीम व ताख़ीर) से काम बराबर हो गया (इमाम ने सज्दा पहले किया, पहले उठा, तुमने सज्दा बाद में किया, बाद में उठे) और जब बैठने का वक़्त आये तो तुम इससे आगाज़ करो।' क़ौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिये हैं, सलामती हो ऐ नबी! आप पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें, सलाम हो हम पर और अल्लाह के सब नेक बन्दों पर, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बन्दगी के लायक़ नहीं और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मुहम्मद उसके बन्दे और पैग़म्बर (फ़रिस्तादह) हैं।'

(अबू दाऊद : 972, 973, नसाई : 2/197, 2/242, 3/42, 2/96-97, इब्ने माजह : 901, 847)

وسلم " فِتْلِكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِتْلِكَ بِتِلْكَ . وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتِ الطُّيْبَاتِ الصَّلَوَاتِ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(905) इमाम साहब ने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा बयान किया कि जब इमाम पढ़े तो तुम ख़ामोश रहो और उनमें से किसी की हदीस में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की ज़बान से कहलवाया है समिअल्लाहु लिमन हमिदह सिर्फ़ अबू कामिल अकेला ही अबू उवाना से ये अल्फ़ाज़ नक़ल करता है। अबू इस्हाक़ कहते हैं, अबू नज़र के भान्जे अबू बकर ने इस हदीस पर बहस की तो इमाम मुस्लिम ने जवाब दिया आपको सुलैमान से ज़्यादा हाफ़िज़ मतलूब है (यानी सुलैमान हिफ़ज़ व ज़ब्त में पुख़ता है इसलिये इसका इज़ाफ़ा मक्बूल है) तो अबू बकर ने इमाम मुस्लिम से पूछा, अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस इज़ा करअ फ़अन्सितू जब इमाम किरअत करे तुम ख़ामोश रहो, कैसी है? इमाम साहब ने जवाब दिया, वो सहीह है और मैं इसको सहीह समझता हूँ तो अबू बकर ने पूछा, तो आपने उसे अपनी किताब में क्यों नहीं बयान किया? इमाम साहब ने जवाब दिया, हर वो हदीस जो मेरे नज़दीक सहीह है, मैंने उसको यहाँ नक़ल नहीं किया, यहाँ तो मैंने उन ही अहादीस को बयान किया है, जिनकी सेहत पर सब का इत्तिफ़ाक़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمُسَمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الثَّمِيّیِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ . وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ " فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تَرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا . فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا . إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ .

फ़वाइद : (1) इज़ा करअ फ़अन्सितू जब इमाम पढ़े तुम ख़ामोश रहो, का ताल्लुक़ सूरह फ़ातिहा के बाद वाली किरअत से है क्योंकि सूरह फ़ातिहा के बग़ैर तो नमाज़ नहीं होती, इस तरह दोनों हदीसों पर

अमल हो जाता है कि मुक्तदी जहरी नमाज़ों में जब इमाम क़िरअत करता है तो उसके पीछे सिर्फ़ फ़ातिहा चुपके-चुपके पढ़ेगा और बाद वाली क़िरअत पूरी तवज्जह से सुनेगा, खुद नहीं पढ़ेगा और सिरी नमाज़ों में चूंकि क़िरअत बुलंद नहीं होती, इसलिये इमाम की क़िरअत सुनने का एहतियाल नहीं होता, इसलिये वहाँ मुक्तदी अपनी क़िरअत करेगा। (2) इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस इज़ा करअ फ़अन्सितू को सहीह तस्लीम किया है, लेकिन चूंकि इसकी सेहत पर इतिफ़ाक़ नहीं। इसलिये इसको सहीह मुस्लिम में दर्ज नहीं किया। जिससे मालूम हुआ, इमाम मुस्लिम अपनी सहीह में सिर्फ़ उन रिवायात को बयान करते हैं जो तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन के मुसल्लमा क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक़ सहीह हैं और इस लिहाज़ से उन सब की सेहत पर सबका इतिफ़ाक़ होना चाहिये। (3) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ इज़ा करअ फ़अन्सितू और इसी तरह सुलैमान की हदीस के इन अल्फ़ाज़ की सेहत के बारे में अइम्माए हदीस में इख़ितलाफ़ है। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी, यहया बिन मईन, अबू हातिम राज़ी, दारे कुतनी और अबू अली नीशापूरी इन अल्फ़ाज़ को दुरुस्त करार नहीं देते। इनके नज़दीक (हाज़िही लफ़्ज़तु ग़ैरि मत्फूज़ह) क़तादा के तमाम शागिर्द इन अल्फ़ाज़ में, सुलैमान तैमी की मुख़ालिफ़त करते हैं। (4) तशह्हुद के कलिमात अलग-अलग सहाबा किराम (रज़ि.) ने मामूली से लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ के साथ बयान किये हैं। इमाम मुस्लिम ने इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास और अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से तशह्हुद नक़ल किया है, हज़रत आइशा (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ नक़ल नहीं किये। अपनी जगह तमाम ही सहीह हैं और किसी को भी पढ़ा जा सकता है। अफ़ज़ल के बारे में अइम्मा में इख़ितलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और अहले हदीस और जुम्हूर फ़ुक्हहा के नज़दीक इब्ने मसऊद वाला तशह्हुद अफ़ज़ल है क्योंकि सबसे ज़्यादा सहीह है। इमाम शाफ़ेई (रह.) और कुछ मालिकियों के नज़दीक, इब्ने अब्बास (रज़ि.) वाला तशह्हुद अफ़ज़ल है और इमाम मालिक के नज़दीक हज़रत उमर (रज़ि.) पर मौकूफ़ तशह्हुद अफ़ज़ल है क्योंकि उन्होंने ये तशह्हुद मिम्बर पर सिखाया था। लेकिन ज़ाहिर है मौकूफ़ को मरफूअ पर तरजीह नहीं दी जा सकती।

इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक पहले क़अदे में तशह्हुद पढ़ना सुन्नत है और सलाम वाला तशह्हुद वाजिब है। जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक दोनों ही वाजिब हैं। इमाम अहमद पहले को वाजिब और दूसरे को फ़र्ज़ करार देते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक और जुम्हूर फ़ुक्हहा (रह.) के नज़दीक दोनों सुन्नत हैं।

(906) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की है और उसके ये अल्फ़ाज़ बयान किये हैं,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا

फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ज़ा अला
 लिसानि नबिद्यिही (ऊपर की रिवायत में
 क़ज़ा की बजाए क़ाल का लफ़्ज़ गुज़रा है)।
 الإسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "

तम्बीह : कुछ हज़रात ने अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु से ये साबित करने की कोशिश की है कि आप सलात व सलाम दूर व नज़दीक से सुनते हैं और उसके लिये अलग-अलग उलमा व फ़ुक्हा के अक़वाल नक़ल किये हैं। जिनसे ये साबित नहीं होता कि आप ये कलिमात सुनते हैं, उनका सिर्फ़ ये मक़सद है कि इंसान को पूरी तरह हुज़ूरे क़ल्ब और तवज्जह से ये कलिमात कहने चाहिये, कअन्नहु यहयल्लाहु व युसल्लिमु अलन्नबिय्यि गोया कि वो अल्लाह तआला की बारगाह में इबादत का हदिया पेश कर रहा है और नबी (ﷺ) के हुज़ूर सलाम अर्ज़ कर रहा है। इस्तिदलाल करते वक़्त फ़ुक्हा के क़ौल कअन्न (गोया कि) को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है और न ही किसी ने ये कहा है कि आप इन कलिमात को सुनते हैं। इसलिये ये कहना रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह कहना जाइज़ है रसूलुल्लाह (ﷺ) दूर व नज़दीक से सलाम पढ़ने वालों का सलाम बराबर सुनते हैं। नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह लगाना जाइज़ है, महज़ सीना ज़ोरी है जिसकी कोई असास व बुनियाद या दलील नहीं है।

यहाँ ये बात भी क़ाबिले ज़िक्र है खुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) जिनको आपने तशहहुद के ये कलिमात सिखाये थे, वो फ़रमाते हैं तशहहुद में अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु हम नबी (ﷺ) की हयाते तय्यिबा में उस वक़्त कहा करते थे, जब आप बैना अज़्हुरिना हमारे दरम्यान होते थे, फ़लम्मा कुबिज़ा जब आप क़ब्ज़ कर लिये गये (हमसे जुदा हो गये) अगर आपकी ज़िन्दगी और वफ़ात के बाद कोई फ़र्क नहीं था तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने 'या' को क्यों हज़फ़ कर दिया था। इसके अलमवा ये तो दुआइया कलिमात हैं जो हम आपके लिये, अपने लिये और अल्लाह के सब नेक बन्दों के लिये अल्लाह के हुज़ूर दरख्वास्त पेश करते हैं। क्या सब बन्दे हमारी ये दुआ सुनते हैं? और आपने चूँकि ये कलिमात खुद सिखाये हैं और बड़े एहतिमाम से सिखाये हैं, इसलिये हम आपके सिखाये हुए कलिमात की पाबंदी करते हैं क्योंकि आपके दुआइया कलिमात में जो तासीर और बरकत है, उसका तकाज़ा यही है कि आपके कलिमात को जूँ का तूँ ही रखा जाये। इसलिये हम 'या' को हज़फ़ नहीं करते, अगरचे इब्ने मसऊद की हदीस की रोशनी में हज़फ़ करना जाइज़ है।

बाब 17 : तशहहद के बाद नबी (ﷺ)
पर दरूद भेजना

(907) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी (रज़ि.) (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी वही हैं जिनको नमाज़ के लिये अज़ान ख़्वाब में दिखाई गई) अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये, जबकि हम सअद बिन इबादा (रज़ि.) की मज्लिस में बैठे हुए थे। आपसे बशीर बिन सअद (रज़ि.) ने पूछा, अल्लाह तआला ने हमें आप पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है, ऐ अल्लाह के रसूल! तो हम आप पर कैसे दरूद भेजें? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ामोशी इख़्तियार की यहाँ तक कि हमने तमन्ना की, ऐ काश! इसने आपसे ये सवाल न किया होता। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'यूँ कहो, अल्लाहुम्-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व अला आलि मुहम्मदिन् कमा सल्लै-त अला आलि इब्राही-म व बारिक अला मुहम्मदिंव-व अला आलि मुहम्मदिन् कमा बारक्-त अला आलि इब्राही-म फ़िल्आलमीन इन्न-क हमीदुम्-मजीद। (ऐ अल्लाह! अपनी रहमत और इनायत फ़रमा, मुहम्मद और आप के घर वालों पर जैसे कि तूने इनायत और रहमत फ़रमाई इब्राहीम के घर वालों पर और मुहम्मद और मुहम्मद के घर वालों पर बरकत नाज़िल फ़रमा

باب الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم بعد التشهد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ،
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ،
- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِي
النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ
عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشَيْرِ بْنِ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهَ
تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ
نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُولُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

जैसाकि तूने इब्राहीम के घर वालों पर, तमाम जहानों में बरकत नाज़िल फ़रमाई, बेशक तू हम्द व सताइश के लायक और अज़मत व बुजुर्गी वाला है।) और सलाम को तो तुम जान ही चुके हो।'

(अबू दाऊद: 980-981, तिर्मिज़ी: 3220, नसाई: 3/45 (908) इब्ने अबी लैला से रिवायत है कि मुझे हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) मिले और कहने लगे, क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हमने अर्ज़ किया, ये तो हमने जान लिया, हम आप पर सलाम कैसे भेजें तो हम आप पर दरूद कैसे भेजें? आपने फ़रमाया, 'यूँ कहा करो, 'अल्लाहुम्-म सल्लि अला मुहम्मदिव्-व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्-मजीद अल्लाहुम्-म बारिक अला मुहम्मदिव्-व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्-मजीद (ऐ अल्लाह! अपनी ख़ास इनायत और रहमत फ़रमा, मुहम्मद पर मुहम्मद के घर वालों पर जैसे कि तूने इनायत व रहमत फ़रमाई इब्राहीम के घर वालों पर तू हम्द व सताइश के सज़ावार और अज़मत व बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! ख़ास बरकतें नाज़िल फ़रमा, हज़रत मुहम्मद पर और आपके घर वालों पर जैसे कि तूने बरकतें नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम के घर वालों पर, तू हम्द व सताइश के लायक और बुजुर्गी वाला है।'

(सहीह बुखारी: 3370, 4797, 6357, अबू दाऊद: 976-977, तिर्मिज़ी: 483, नसाई: 3/47-48, इब्ने माजह: 904)

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ . وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى،
قَالَ لَقَيْتَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا
أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا
كَيْفَ تُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ
قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

(909) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें एक रावी की हदीस में ये जुम्ला नहीं है, क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ।

(910) इमाम साहब ने एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है, उसमें बारिक अला मुहम्मद है अल्लाहुम्-म नहीं है।

(911) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर सलात कैसे भेजें? आपने फ़रमाया, 'यूँ कहो, अल्लाहुम्-म सल्लि अला मुहम्मदिन्-व अला अज़्वाजिही व जुरिद्यतिही कमा सल्लै-त अला आलि इब्राही-म व बारिक अला मुहम्मदिन्-व अला अज़्वाजिही व जुरिद्यतिही कमा बारक-त अला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्-मजीद। (ऐ अल्लाह! रहमत व इनायत फ़रमा मुहम्मद, आपकी बीवियों और आपकी औलाद पर जैसे कि तूने रहमत व इनायत फ़रमाई, इब्राहीम के घराने पर और बरकतें नाज़िल फ़रमा मुहम्मद पर और आपकी बीवियों और आपकी औलाद पर जैसे कि तूने बरकतें

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ إِلَّا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ " . وَلَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

नाज़िल फ़रमाई हैं इब्राहीम के घर वालों पर,
बेशक तू हम्द के लायक और बुजुर्ग है।'

(सहीह बुखारी : 3369, 6360, अबू दाऊद :
979, नसाई : 2/135)

(912) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमायेगा।'

(अबू दाऊद : 1530, तिर्मिज़ी : 485, नसाई :
3/50)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَتُثَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ
الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ صَلَّى
عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) के ज़रिये उम्मत मुहम्मदिया को ईमान की दौलत मिली और कामिल ज़ाब्तए हयात नसीब हुआ तो जिस तरह अल्लाह तआला खालिक व मालिक और कायनात का मुदब्बिर व मुन्तज़िम होने की बिना पर, इबादत और हम्द व तस्बीह का हक़दार है। उसी तरह आपका हम पर हक़ है कि हम आप पर दरूद व सलाम भेजकर, आपके लिये अल्लाह तआला की मज़ीद रहमत व राफ़्त और रफ़अे दर्जात (दर्जात की बुलन्दी) की दुआयें करें और ये दरहक़ीक़त आपकी बारगाह में अक़ीदत व मुहब्बत का हदिया, वफ़ादारी व नियाज़ कीशिका नज़राना और मम्नूनियत व सिपास गुजारी का ऐतराफ़ है। वरना ज़ाहिर है, आपको हमारी उन दुआओं की क्या ज़रूरत है और हम जैसे फ़कीरों और मिस्कीनों के हदियों और तोहफ़ों की क्या ज़रूरत है बल्कि इस दुआगोई और इज़्हारे इताअत का सबसे बड़ा फ़ायदा तो खुद हमको पहुँचता है। एक तरफ़ हमारा ईमानी राबता मुस्तहक़म होता है तो दूसरी तरफ़ हमें एक बार के मुख़्लिसाना दरूद के सिले में, अल्लाह तआला की कम से कम दस रहमतें हासिल होती हैं और हमें अपनी औकात मालूम होती है कि अगर आप जैसी मोहतरम हस्ती अल्लाह की रहमत की मोहताज है और आपका हक़ और मक़ामे आली बस यही है कि आपके वास्ते रहमत व सलामती की दुआयें की जायें, रहमत व सलामती आपके हाथ में नहीं है और जब आपके हाथ में नहीं, तो फिर किसी और मख़लूक या इंसान के हाथ में भी नहीं है। क्योंकि सारी मख़लूक में आपका मक़ाम सबसे बाला और बरतर है, हर इंसान अल्लाह की रहमत व सलामती का मोहताज है और उसके बग़ैर किसी हस्ती और मख़लूक से ये हासिल नहीं हो सकती, इसलिये कोई उसका शरीक व सहीम भी नहीं है। (2) आल का मफ़हूम : अरबी ज़बान और कुरआन व हदीस के मुहावरे की रू से किसी शख्स के आल उनको कहा जाता है, जो उसके साथ खुसूसी ताल्लुक व रब्त रखते हों। चाहे ये ताल्लुक नसब और रिश्ते का हो या रिफ़ाक़त,

मईयत और अक़ीदत व मुहब्बत का या उसकी इतिबाअ व इताअत का, कुरआन मजीद में आले इब्राहीम, आले इमरान और आले फ़िरऔन से इसका इज़हार होता है। (3) कुरआन मजीद में हमें आप (ﷺ) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। लेकिन इसमें नमाज़ या ग़ैर नमाज़ का तज़िकरा नहीं है। जैसाकि कुरआन मजीद में अल्लाह की हम्द व तस्बीह का हुक्म है, लेकिन नमाज़ या ग़ैर नमाज़ का तज़िकरा नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नूरु नुबूवत की रोशनी में हम्द व तस्बीह का ख़ास महल नमाज़ में बयान फ़रमाया है। इस तरह सलात व सलाम के हुक्म की तामील का ख़ास महल व मौक़ा नमाज़ के तशहहूद व कुअ़द को फ़रार दिया है। लेकिन जैसाकि तस्बीह व तहमीद, नमाज़ के साथ ख़ास नहीं है, उसी तरह दरूद व सलाम भी नमाज़ के साथ ख़ास नहीं है आगे-पीछे भी मत्लूब है। (4) आख़िरी क़अदे में दरूद शरीफ़ के पढ़ने के बारे में अइम्मा का इख़ितलाफ़ है। हज़रत उमर, इब्ने उमर, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होगी। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और जुम्हूर उलमा के नज़दीक दरूद पढ़ना सुन्नत है, अगर किसी ने न पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी चूँकि सूरह अहज़ाब में आपके लिये सलात व सलाम भेजने का हुक्म है और उसका ख़ास मौक़ा व महल नमाज़ है, इसलिये कम से कम नमाज़ में तो फ़र्ज़ होना चाहिये। (5) आप पर दरूद को हज़रत इब्राहीम (अलै.) पर दरूद भेजने से तशबीह दी गई है। इस पर ऐतराज़ किया जाता है कि अदना को आला से तशबीह दी जाती है। इससे मालूम हुआ कि इब्राहीम (अलै.) और आले इब्राहीम पर दरूद, आप और आपकी आल पर दरूद से क़वी है। उलमा ने इसके अलग-अलग जवाब दिये हैं। आसान जवाब ये है कि तशबीह सिर्फ़ नुजूले रहमत में है, इसकी कैफ़ियत का लिहाज़ नहीं है। एक चीज़ में एक सिफ़त मअरूफ़ और मशहूर होती है तो दूसरी चीज़ को अरगचे, उसमें ये सिफ़त ज़ाइद और क़वी हो, पहली चीज़ से तशबीह दे दी जाती है। हालांकि उस पर ये सिफ़त कम होती है, जैसाकि कोई इंसान सिफ़ते जूदो-सख़ा में किसी क़द्र बढ़ जाये, उसको तशबीह हातिम के साथ ही देंगे। इस तरह अल्लाह के नूर को कुरआन मजीद में एक खुसूसी किस्म के चिराग़ के साथ दी गई है। हालांकि चे निस्बत ख़ाक़ रा बआलमे पाक, लेकिन चूँकि इंसानों में इस किस्म के चिराग़ की रोशनी मअरूफ़ व मशहूर थी। इसलिये उसके साथ तशबीह दे दी गई और कमा में कैफ़ियत का लिहाज़ नहीं होता है जैसाकि कुरआन मजीद में है कुति-ब अलैकुमुस्सियामु कमा कुति-ब अलल्लज़ीन मिन क़बलिकुम तो क्या हमारे रोज़ों और पहली उम्मतों के रोज़ों की कैफ़ियत में एकसानियत है? (6) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर फ़ुक्हा (रह.) का क़ौल ये है कि ग़ैर अम्बिया (अलै.) पर इस्तिक़लालन दरूद भेजना दुरुस्त नहीं है। जैसे अबू बकर (अलै.) या उमर (अलै.) कहना दुरुस्त नहीं और इमाम जुवेनी का ख़याल है, सलाम का भी यही हुक्म है और उसके जवाज़ के लिये सूरह तौबा की आयत सल्लु अलैहिम् इन्ना सलात-क सकनुल्लहुम, या हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतिही से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इन आयतों में ये लफ़ज़ लुग्वी मअना में इस्तेमाल हुआ है और किसी के नाम के साथ इस्तेमाल

की सूरेत में, ये इस्तिलाही मानी में होगा और इस्तिलाही रू से ये अम्बिया के साथ खास है। इस तरह मुलाक़ात के सलाम से (अलै.) के जवाज़ के लिये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वरना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन के तहत और हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम की रू से सलात व सलाम हर इंसान के लिये आम अल्फ़ाज़ को हासिल है। इसलिये सलात व सलाम का लफ़्ज़ अम्बिया के लिये (रज़ि.) का लफ़्ज़ सहाबा किराम (रज़ि.) के लिये इस्तेमाल करना चाहिये। अगर लुम्बी मानी को मल्हूज़ रखें तो फिर उनका इस्तेमाल हर नेक इंसान के लिये आम हो जायेगा और उनकी मअन्वियत ही ख़त्म हो जायेगी। हाँ बित्तबअ उनका इस्तेमाल जाइज़ होगा। जैसे अल्लाहुम्-म सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिंव-व आलि मुहम्मदिंव-व अस्हाबिही व अज्वाजिही व जुर्रिय्यातिही इन्न-क हमीदुम्-मजीद।

**बाब 18 : समिअल्लाहु लिमन हमिदह
रब्बना लकल हम्द और
आमीन कहना**

باب التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

(913) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल् हम्द (ऐ अल्लाह, हमारे आक्रा! तू ही हम्द व तौसीफ़ का हक़दार है) कहो, क्योंकि जिसका क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . "

(सहीह बुख़ारी : 796, 3228, अबू दाऊद : 848, तिर्मिज़ी : 267, नसाई : 2/196)

फ़ायदा : नमाज़ बाजमाअत की सूरेत में रुकूअ से उठते वक़्त, जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह (अल्लाह ने सुनी उस बन्दे की जिसने उसकी हम्द की) कहता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द फ़रिश्ते भी ये कलिमात कहते हैं। इसलिये मुक़्तदियों को भी इस मौक़े पर यही कलिमा कहने का हुक्म दिया है और फ़रमाया है कि जिन लोगों का ये कलिमा फ़रिश्तों के कलिमे के मुताबिक़ होगा, इस कलिमे की बरकत से उसके पिछले छोटे गुनाह माफ़ हो जायेंगे। मुवाफ़िक़ और मुताबिक़ होने का मक़सद ये मालूम होता है रुकूअ से उठने के फ़ौरन बाद ये कलिमात कहे जायेंगे, ताकि फ़रिश्तों के बिल्कुल साथ हों, आगे पीछे न हों।

(914) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَى .

(915) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस वक़्त इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ होगी उसके पिछले कुसूर माफ़ कर दिये जायेंगे।' इब्ने शिहाब ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) भी आमीन कहते थे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَّقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " آمِينَ " .

फ़ायदा : जब इमाम सूरह फ़ातिहा ख़त्म करके आमीन कहे तो मुक्तदियों को भी उस वक़्त आमीन कहनी चाहिये, क्योंकि अल्लाह के फ़रिश्ते भी उस वक़्त आमीन कहते हैं और अल्लाह तआला का फ़ैसला ये है कि जो बन्दे आमीन में फ़रिश्ते की मुवाफ़िक़त करेंगे उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

(916) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, मालिक की रिवायत की तरह हदीस बयान की और इब्ने शिहाब का क़ौल बयान नहीं किया।

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ .

(917) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुमसे कोई नमाज़ में आमीन कहता है तो

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي

फ़रिशते आसमान पर आमीन कहते हैं और अगर एक दूसरे के आमीन मुवाफ़िक़ होती है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' (सहीह बुख़ारी : 780, अबू दाऊद : 936, तिर्मिज़ी : 250, नसाई : 1/144)

(918) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम में से कोई आमीन कहता है और फ़रिशते आसमान में आमीन कहते हैं और एक आमीन दूसरी के मुवाफ़िक़ होती है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(919) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

(920) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब क़ारी (पढ़ने वाला, इमाम) ग़ैरिल मज़़ूबि अलैहिम वलज़ज़ॉल्लीन पढ़ता है और मुक्त्तदी आमीन कहता है और उसका कहना आसमान वालों के कहने के मुवाफ़िक़ होता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

फ़ायदा : इमाम जब सूरह फ़ातिहा ख़त्म करता है, यानी ग़ैरिल मज़़ूबि अलैहिम वलज़ज़ॉल्लीन कह लेता है तो उस वक़्त इमाम और फ़रिशते आमीन कहते हैं और मुक्त्तदी को भी बग़ैर रुके उस वक़्त आमीन कहनी चाहिये। सिरी नमाज़ में बिल्इतिफ़ाक़ इमाम, मुक्त्तदी और मुन्फ़रिद को आहिस्ता आमीन कहना चाहिये और जहरी नमाज़ों में आमीन इमाम और मुक्त्तदी दोनों को बुलंद आवाज़ से

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ . وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ . فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ . وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ . فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ . فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

कहना चाहिये। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहदिस्सीन का यही मौक़िफ़ है और यही हक़ है। इमाम मालिक के नज़दीक इमाम जहरी नमाज़ में आमीन नहीं कहेगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इमाम और मुक़्तदी दोनों आमीन आहिस्ता कहेंगे, इमाम मालिक का एक कौल यही है।

बाब 19 : मुक़्तदी का इमाम की इक़्तिदा करना

(921) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) घोड़े से गिर गये तो आपका दायाँ पहलू छिल गया। हम आपकी इयादत के लिये आपके पास हाज़िर हुए तो नमाज़ का वक़्त हो गया। आपने हमें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ अदा की। जब आपने नमाज़ पूरी पढ़ा दी तो फ़रमाया, 'इमाम इसलिये मुक़रर किया गया है ताकि उसकी इक़्तिदा (पैरवी) की जाये तो जब वो तकबीर कह ले तो तुम तकबीर कहो और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो उठे तो तुम भी उठो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदहू कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम सब बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

(सहीह बुख़ारी : 805, नसाई : 2/82-83, इब्ने माजह : 1238)

(922) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर गये तो छिल गये और हमें बैठकर नमाज़ पढ़ाई। आगे पिछली हदीस है।

باب ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ فَعُوذًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَتَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُوذًا أَجْمَعُونَ " .

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حَرَّرَ رَسُولُ

(सहीह बुखारी : 733, तिर्मिज़ी : 361)

(923) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर पड़े तो आपका दायाँ पहलू छिल गया। आगे मज़कूरा बाला रिवायत है और उसमें इतना इज़ाफ़ा है, 'जब इमाम खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो।'

(सहीह बुखारी : 1114)

(924) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े पर सवार हुए और उससे गिर पड़े, उससे आपका दायाँ पहलू छिल गया। आगे मज़कूरा बाला रिवायत है और ये भी है, 'जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो।'

(सहीह बुखारी : 689, अबू दाऊद : 601, नसाई : 2/98)

(925) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपने घोड़े से गिर पड़े, जिससे आपकी दायाँ जानिब छिल गई। आगे पिछली हदीस बयान की। उसमें यूनुस और मालिक वाला इज़ाफ़ा नहीं है।

(926) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार पड़ गये। आपके कुछ साथी आपकी बीमारपुसी के लिये

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحَشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَزَادَ " فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا " .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ " إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا " .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجَحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ शुरू की और उन्होंने आपकी इक़्तिदा में खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू की। आपने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गये। जब आप नमाज़ से फ़ारिग हो गये तो आपने फ़रमाया, 'इमाम इसीलिये बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा (पैरवी) की जाये, जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो रुकूअ से उठे तो तुम भी उठो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

(इब्ने माजह : 1237)

(927) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला हदीस बयान करते हैं।

(928) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार पड़ गये और हमने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी और आप बैठे हुए थे और अबू बकर (रज़ि.) आपकी तकबीर लोगों को सुना रहे थे। आपने हमारी तरफ़ तवज्जह फ़रमाई और हमें खड़े हुए देखा तो आपने हमें इशारा फ़रमाया। जिससे हम बैठ गये और हमने आपकी इक़्तिदा में बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आपने सलाम फ़ेरा फ़रमाया, 'तुम अभी वो काम

قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا . فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " إِنْ كِدْتُمْ أَنْفِيَا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَيَّ

करना चाहते थे जो फ़ारसी और रोमी करते हैं, वो अपने बादशाहों के हुज़ूर उनके बैठे होने की सूरत में खड़े होते हैं। ऐसा न किया करो, अपने अइम्मा की इक्तिदा करो, अगर वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ायें तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और अगर वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

(अबू दाऊद : 606, नसाई : 3/9, इब्ने माजह : 1240)

(929) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें जमाअत करवाई और अबू बकर आपके पीछे थे, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) तकबीर कहते अबू बकर भी (बतौर मुकब्बिर) तकबीर कहते। ताकि हमें सुनायें। आगे मज़कूरा बाला रिवायत बयान की।

(सहीह बुखारी : 797)

(930) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इमाम तो इक्तिदा के लिये है, इसलिये उसकी मुखालिफ़त न करो, लिहाज़ा जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो फिर तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द कहो और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَقْعَلُوا ائْتَمُوا بِأَمْرِكُمْ
إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا
فَصَلُّوا قُعُودًا " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا .
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي
الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا
عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى
جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ " .

(931) इमाम एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुखारी : 722)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِهِ .

फ़वाइद : (1) रूकूअ के बाद क़ौमा में रब्बना लकल हम्द और रब्बना व लकल हम्द दोनों तरह कहना सहीह है। क्योंकि आपसे दोनों तरह साबित है। (2) इमाम की इक्तिदा (पैरवी) मुक्तदी के लिये लाज़िम है। नमाज़ के तमाम अरकान अजज़ा, तकबीर, रूकूअ, क़ौमा, सज्दा, क़अदा और सलाम में मुक्तदियों को इमाम के पीछे रहना चाहिये। किसी चीज़ में भी सबक़त करना जाइज़ नहीं है, अगर इमाम से सलाम में सबक़त (पहल) करेगा (जान-बूझकर) तो नमाज़ नहीं होगी। (3) इमाम की पैरवी या इक्तिदा का ताल्लुक ज़ाहिरी अरकान से है। जैसाकि आपने ला तख़तलिफू (उसकी मुखालिफ़त न करो) की वज़ाहत करते हुए फ़रमाया, 'जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो रूकूअ करे तो तुम भी रूकूअ करो।' नियत के इख़ितलाफ़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो महसूस होने वाली चीज़ नहीं है। इसलिये फ़र्ज़ नमाज़, नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे जाइज़ है। जैसे नफ़ल, फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे जाइज़ है। इस तरह असर पढ़ने वाले के पीछे जुहर पढ़ना जाइज़ है। (4) बीमार और उज़र की सूरत में बैठकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और किसी ज़रूरत के तहत नमाज़ में इशारा करना भी दुरुस्त है। (5) इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो मुक्तदियों को क्या करना चाहिये, इसके बारे में इख़ितलाफ़ है। इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद के नज़दीक जालिस को इमाम नहीं बनाया जा सकता। ये नबी (ﷺ) के साथ ख़ास है कि आप बैठकर भी इमाम बन सकते थे। बाकी अइम्मा के नज़दीक बैठने वाला इमाम बन सकता है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और औज़ाई के नज़दीक मुक्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि आपका आख़िरी तर्ज़े अमल यही था। सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपकी इक्तिदा में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी जबकि आप बैठे थे। इमाम अहमद के नज़दीक इमाम अगर नमाज़ की शुरूआत बैठकर करे तो मुक्तदी भी बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे और अगर वो नमाज़ की शुरूआत खड़े होकर करे तो नमाज़ खड़े होकर पढ़ी जायेगी। अगरचे बाद में इमाम बैठ ही जाये। मर्जुल मौत की नमाज़ का आगाज़, अबू बकर ने किया था और वो खड़े थे, बाद में आप तशरीफ़ लाये इसलिये मुक्तदी खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ते रहे। इब्नुल मुन्ज़िर, इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान का मौक़िफ़ भी यही है।

बाब 20 : तकबीर वगैरह में इमाम से सबक़त ले जाना नाजाइज़ है

باب النهي عن مُبادَرة الإمام،
بالتكبيرِ وغيره

(932) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तालीम देते थे कि 'इमाम से सबक़त (जल्दी) न करो, जब वो वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम तकबीर कहो और जब वो वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो और जब वो रुकूअ करे तो तुम रुकूअ करो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द कहो।'

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَابْنُ، حَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ " لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ . وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " .

(933) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं मगर ये क़ौल कि 'जब वो वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो' बयान नहीं किया और इतना इज़ाफ़ा किया, 'और उससे पहले सर न उठाओ।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلَهُ " وَلَا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ " . وَزَادَ " وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ " .

फ़ायदा : चारों इमामों के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ तकबीर तहरीमा में अगर मुक्तदी, इमाम से सबक़त करेगा तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। नीज़ अइम्मए सल्लासा और साहिबैन के नज़दीक मुकारिनत भी दुरुस्त नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुकारिनत जाइज़ है। इमाम की इक्तिदा का तक्राज़ा ये है कि मुक्तदी तमाम हालाते नमाज़ में इमाम की मुताबिअत करे, उसके पीछे-पीछे रहे। किसी हालत और काम में भी इमाम के साथ मुकारिनत (साथ-साथ रहना) या उससे मुबादरत व मुसाबिक़त (सबक़त और जल्दी करना) और उसकी मुखालिफ़त न करे।

(934) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इमाम

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

तो बस ढाल है, लिहाज़ा जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो, और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द कहो। क्योंकि जब ज़मीन वालों का बोल, आसमान वालों के बोल के मुवाफ़िक़ होगा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(935) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इमाम सिर्फ़ इसलिये मुक़रर किया गया है कि उसकी इक़्तिदा (पैरवी) की जाये तो जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्द कहो और जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى، - وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ - سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَبِيبَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ " .

बाब 21 : जब मर्ज़, सफ़र या किसी और वजह से इमाम को इज़्ज पेश आ जाये तो उसका लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिये किसी को अपना जॉनशीन (खलीफ़ा) बनाना और जो इमाम के क़ियाम से आजिज़ होने की बिना पर उसकी बैठने की सूरत में उसकी इक़्तिदा करेगा, वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा, और बैठकर नमाज़ पढ़ाने वाले के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त रखने वाले के लिये बैठकर नमाज़ पढ़ना मन्सूख है

باب اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ
لَهُ عُدْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا
مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى
خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ
الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
وَتَسْخِيقِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي
حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

(936) अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं आइशा (रज़ि.) की खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, क्या आप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीमारी के बारे में नहीं बतायेंगी? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं। नबी (ﷺ) बीमार हो गये तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया, नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! वो आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं। आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये लगन (टब) में पानी रखो।' हमने पानी रखा तो आपने गुस्ल फ़रमा लिया। फिर उठने लगे, तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। फिर आप होश में आये तो आपने पूछा, 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली?' हमने कहा, नहीं, ऐ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ " . قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتَوَّأَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ " أَصَلَّى

अल्लाह के रसूल! वो आपके मुन्तज़िर हैं। तो आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये पानी का टब रखो।' हमने पानी रखा तो आपने गुस्ल फ़रमाया। फिर आप उठने लगे तो आप पर ग़शी तारी हो गई। फिर होश में आये तो पूछा, 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है?' हमने कहा, नहीं। वो आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं। तो आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये पानी का टब रखो।' हमने ऐसा किया तो आपने गुस्ल फ़रमाया। फिर उठने लगे तो बेहोश हो गये। फिर होश में आये तो पूछा, 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली?' तो हमने कहा, नहीं, वो ऐ अल्लाह के रसूल! आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं। आइशा (रज़ि.) ने बताया, लोग मस्जिद में बैठे हुए इशा की नमाज़ के लिये आपका इन्तिज़ार कर रहे थे। आइशा (रज़ि.) ने बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बकर (रज़ि.) की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ायें। पैग़ाम्बर (ख़बर देने वाला) उनके पास आकर कहने लगा, रसूलुल्लाह (ﷺ) आपको हुक्म दे रहे हैं, आप लोगों को नमाज़ पढ़ायें। तो अबू बकर ने कहा क्योंकि वो बहुत नर्म दिल थे, ऐ उमर! लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। तो उमर ने जवाब दिया, आप ही इसके ज़्यादा हक़दार हैं। आइशा (रज़ि.) ने बताया, इस पर अबू बकर ने उन दिनों जमाअत कराई। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ इफ़ाका महसूस किया (मिज़ाज में आसानी पाई) तो दो मर्दों का सहारा लेकर

النَّاسُ " . قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتَوَّأَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ " . قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتَوَّأَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ " . فَقَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ - قَالَتْ - فَأُرْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو

जिनमें एक अब्बास (रज़ि.) थे, नमाज़े जुहर के लिये निकले और अबू बकर (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो जब अबू बकर (रज़ि.) ने आपको देखा, पीछे हटने लगे तो उन्हें नबी (ﷺ) ने इशारा किया कि पीछे न हटो। आपने उन दोनों से फ़रमाया, 'मुझे इनके पहलू में बिठा दो।' तो उन दोनों ने आपको अबू बकर (रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया। रावी ने कहा, अबू बकर (रज़ि.) नबी की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने लगे और लोग अबू बकर की इक़्तिदा कर रहे थे और नबी (ﷺ) बैठे हुए थे। अब्दुल्लाह ने बताया, फिर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे अज़्र किया, क्या मैं आपको वो हदीस न सुनाऊँ जो मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) की बीमारी के बारे में सुनाई है? उन्होंने कहा, सुनाओ! तो मैंने उन पर आइशा (रज़ि.) की हदीस पेश की। उन्होंने उसमें किसी चीज़ पर ऐतराज़ नहीं किया या किसी बात का इंकार नहीं किया। हौं! इतना कहा, क्या आइशा (रज़ि.) ने तुम्हें उस आदमी का नाम बताया जो अब्बास (रज़ि.) के साथ थे? मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, वो अली (रज़ि.) थे।
(सहीह बुखारी : 687, नसाई : 2/101)

بَكَرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا " أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ " . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرَضَ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ . فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا . قَالَ هُوَ عَلِيٌّ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मिःख़ज़ब : लगन, टबा। (2) लियनूअ : ताकि उठें, खड़े हों। (3) उग़मिया अलैहि : आप पर ग़शी तारी हो गई। (4) इकूफ़ : आकिफ़ की जमा है, उहरे हुए, रुके हुए। यानी बैठे हुए थे।

(937) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीमारी का आगाज़ मैमूना (रज़ि.) के घर से हुआ और आपने अपनी अज़्वाजे मुतहहरात से मेरे घर में तीमारदारी करवाने की इजाज़त तलब की (मेरे घर में अच्यामे मर्ज़ गुज़ारने की इजाज़त चाही) और अज़्वाज ने इजाज़त दे दी। हज़रत आइशा (रज़ि.) बताती हैं, आप इस हाल में घर से निकले कि आपका एक हाथ फ़ज़ल बिन अब्बास पर और दूसरा एक दूसरे आदमी पर था और आपके पाँव ज़मीन पर ख़त (लकीर) खींच रहे थे (पैर ज़मीन पर घसीट रहे थे) इब्बदुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) को सुनाई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो वो आदमी जिसका आइशा (रज़ि.) ने नाम नहीं लिया, कौन था? वो अली (रज़ि.) थे।

(सहीह बुखारी : 198, 665, 2588, 3099, 4442, 22, 5714, इब्ने माजह : 1618)

(938) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की बीवी से रिवायत है कि जब नबी (ﷺ) बीमार हो गये और आपकी बीमारी शिद्दत इख़्तियार कर गई तो आपने अपनी बीवियों से मेरे घर में बीमारी के दिन गुज़ारने की इजाज़त तलब की। उन्होंने इजाज़त दे दी तो आप दो आदमियों के सहारे इस हाल में निकले कि आपके दोनों पैर ज़मीन से रगड़ खा रहे थे। आप (ﷺ) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और एक दूसरे आदमी के दरम्यान थे। हदीस के

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأِذْنٌ لَهُ - قَالَتْ - فَخَرَجَ وَبَدَأَ لَهُ عَلَى الْفُضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَيَدُّ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ . فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةَ هُوَ عَلِيُّ .

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأِذْنٌ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ

रावी अबैदुल्लाह कहते हैं, आइशा (रज़ि.) ने जो कुछ बताया था, मैंने उसका तज़्किरा इब्ने अब्बास (रज़ि.) से किया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानते हो, जिसका नाम आइशा (रज़ि.) ने नहीं लिया? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने बताया, वो अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) थे।

رَجُلَيْنِ تَخَطَّ رَجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ عَبَّاسَ هَلْ تَذَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ .

फ़वाइद : (1) हदीस में आपके पे-दरपे बेहोश हो जाने का तज़्किरा है। जिसका सबब दर्द व मर्ज़ की शिद्दत था। जैसाकि पिछली हदीस में है कि इश्तदा बिही वज्ज़हू आपका दर्द शदीद हो गया और बीमारी नुबूवत के मुनाफ़ी नहीं है। हाँ अम्बिया (अलै.) को ऐसे मर्ज़ लाहिक़ नहीं होते जो उनकी शान के मुनाफ़ी हों। जैसे जुनून व दिवानगी, आप अख़ीर उग्र में दर्दे सर और बेहोशी के मर्ज़ में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के दौरान अपने ख़ालिक़ व मालिक से जा मिले। जिसका मक़सद आपके अज़र व स़वाब और दर्जा व मर्तबा को बढ़ाना था और ये बताना था कि सेहत व तन्दुरुस्ती और शिफ़ायाबी अल्लाह तआला के इख़्तियार में है, रसूल के क़ब्ज़े में नहीं है। जिसकी दुआ और लुआबे दहन से हज़रत अबू बकर की ज़हर आलूद ऐड़ी को शिफ़ा मिली। हज़रत अली (रज़ि.) का आशोबे चश्म (आँख का दर्द) ठीक हुआ। हज़रत क़तादा बिन नोमान की आँख का डीला रोशन हुआ। अल्लाह तआला की रज़ा और मशिय्यत के बग़ैर अपना मर्ज़ दूर न कर सका, क्योंकि आपके इख़्तियार में न थी। (2) सहाबा किराम (रज़ि.) ने बीमारी की शिद्दत के बावजूद आपका इन्तिज़ार किया और आपने बार-बार गुस्ल करके मस्जिद में जाने की ख़्वाहिश का इज़हार फ़रमाया जिससे साबित हुआ अगर मरीज़ मस्जिद में आ सकता हो तो उसे जमाअत में शरीक होना चाहिये और इमाम के आने की उम्मीद हो तो उसका इन्तिज़ार करना चाहिये और उज़र की सूरत में किसी दूसरे को इमाम बनाया जा सकता है। (3) हज़रत अबू बकर (रज़ि.) ने रक़ीकुल क़ल्ब होने की बिना पर हज़रत उमर को इमामत के लिये कहा, लेकिन हज़रत उमर ने कहा, आप ही इमामत के ज़्यादा हक़दार हैं। आपकी फ़ज़ीलत व बरतरी की बिना पर ही नबी (ﷺ) ने अबू बकर का इन्तिखाब किया था। जिससे मालूम हुआ आप (रज़ि.) तमाम सहाबा से अफ़ज़ल हैं। उमर (रज़ि.) ने इस वजह से इमामत नहीं कराई और इस बिना पर अबू बकर (रज़ि.) नबी (ﷺ) के बाद ख़लीफ़ा चुन लिये गये। (4) नबी (ﷺ) की आमद पर हज़रत अबू बकर आपके एहतिराम व तौकीर की ख़ातिर पीछे हटने लगे तो आपने इशारे से रोक दिया। जिससे मालूम हुआ अगर असल इमाम आ जाये तो तकबीरे तहरीमा से पहले दूसरा इमाम मुसल्ले से पीछे हट सकता है। लेकिन इस हदीस से ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है कि नमाज़ में आपके ख़याल में मुस्तग़रक़

हो जाना दुरुस्त है। इमामत के लिये आपको आगे करना और चीज़ है और आपका तसव्वुर व ख्याल नमाज़ में बांधना अलग चीज़ है। (5) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत अली का नाम इसलिये नहीं लिया कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ वाला आदमी बदलता रहा है कभी फ़ज़ल बिन अब्बास ने सहारा दिया। कभी उसामा बिन ज़ैद ने और कभी ज़ैद ने और कभी हज़रत अली ने। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) हज़रत अली का नाम लेना नहीं चाहती थी या उनका ज़िक्र ख़ैर करने से बचना चाहती थीं। पीछे ये बात गुज़र चुकी है कि एक साइल को मसला पूछने के लिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत अली (रज़ि.) के पास अली का नाम लेकर भेजा था कि वो ये मसला बेहतर बता सकते हैं। मसला बताने की अहलियत रखना ख़ैर नहीं है? (6) आपके लिये बारी के मुताबिक़ हर बीवी के पास रहना लाज़िम नहीं था। उसके बावजूद आपने बारी का ख्याल रखा और उसकी पाबंदी की यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी एक जगह रहने के लिये उनसे इजाज़त चाही।

(939) नबी (ﷺ) की जौजा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने इस मामले (बीमारी के दिनों में अबू बकर को इमाम बनाने के मामले) में रसूलुल्लाह (ﷺ) से (बार-बार पूछा) और मैं बार-बार आपसे सिर्फ़ इस बिना पर पूछ रही थी क्योंकि मेरा दिल ये नहीं मानता था कि लोग कभी उस शख़्स से मुहब्बत करेंगे जो आपका क़ायम मक़ाम होगा, आपकी जगह पर खड़ा होगा। क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि जो शख़्स आपकी जगह पर खड़ा होगा लोग उससे बदशगूनी लेंगे। इसलिये मैं चाहती थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इमामत को अबू बकर से फेर दें (किसी और को इमाम मुक़रर करें)।

(सहीह बुख़ारी : 4445)

(940) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ ले आये। आपने फ़रमाया, 'अबू बकर से कहो

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَغْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ

कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू बकर नर्म दिल हैं। जब वो कुरआन पढ़ते हैं तो अपने आँसूओं पर क़ाबू नहीं पा सकते। ऐ काश! आप अबू बकर के सिवा किसी और को हुक्म फ़रमायें। आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, अल्लाह की क़सम! मेरा इससे सिर्फ़ ये मक़सद था कि लोग जो शख़्स सबसे पहले आपकी जगह खड़ा होगा उससे बदफ़ाली पकड़ते हुए उसको नापसंद करेंगे। (इसलिये अबू बकर इससे बच जायें) इसलिये मैंने दो या तीन बार अपनी बात पेश की तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर ही लोगों को नमाज़ पढ़ायें, तुम तो यूसुफ़ (अलै.) के साथ मामला करने वाली औरतें हो।'

(941) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की तबीअत बोझल हो गई (आप बीमार हो गये) तो बिलाल (रज़ि.) आपको नमाज़ की इत्तिलाअ देने के लिये हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर को कहो वो नमाज़ पढ़ायें।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू बकर ग़मगीन इंसान हैं और वो जब आपकी जगह पर खड़े होंगे, लोगों को क़िरअत नहीं सुना सकेंगे, ऐ काश! आप इमर को हुक्म दें। तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर को कहो लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' तो मैंने हफ़्सा (रज़ि.) से कहा, तुम नबी (ﷺ) को कहो,

الرُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَنْزَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَشَاءَ النَّاسُ بِأَوْلٍ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَرَأَجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ " لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكَ صَوَابٌ يُوسَفُ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمَعُ النَّاسُ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ . فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ

अबू बकर ग़मगीन इंसान है और जब वो आपकी जगह पर खड़ा होंगे, लोगों को क़िरअत नहीं सुना सकेंगे। तो अगर आप इमर को हुक्म दें तो बेहतर होगा? आपने फ़रमाया, 'तुम यूसुफ़ (अलै.) से मामला करने वाली औरतों की तरह हो। अबू बकर को कहो लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' जब अबू बकर नमाज़ पढ़ाने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्ज़ में कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस की तो आप उठे, दो आदमी आपको सहारा दे रहे थे और आपके पांव ज़मीन पर निशान बना रहे थे। इसी तरह आप मस्जिद में दाख़िल हो गये। जब अबू बकर ने आपकी आहट महसूस की, अबू बकर पीछे हटने लगे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारे से रोका। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़े और अबू बकर की बायें जानिब बैठ गये। तो अबू बकर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ाते रहे। अबू बकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर (रज़ि.) के मुक़्तदी थे।

(सहीह बुखारी : 664, 712-713, इब्ने माजह : 1232)

फ़वाइद : (1) अबू बकर (रज़ि.) ने आपकी बीमारी के दिनों में 17 नमाज़ों में इमामत की है और बक़ौल अल्लामा अैनी, आपने तीन बार अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी है और सुनन व मसानीद की रिवायत के मुताबिक़ आपने आख़िरी नमाज़ (सोमवार की फ़ज्र) अबू बकर की इक़्तिदा में अदा की। आप दूसरी रक़अत में शरीक हुए और एक रक़अत बाद में अदा की। लेकिन ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत के मुनाफ़ी हैं। हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत जो आगे आ रही है वो इस बात की

أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ . فَقَالَتْ لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّكَ لَأَتَنَّ صَوَابُ يُوسُفَ . مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ فَأَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - قَالَتْ - فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاةٍ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ - قَالَتْ - فَلَمَّا وَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَانَكَ . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

सरीह दलील है कि नबी (ﷺ) ने आखिरी नमाज़ अबू बकर की इक्तिदा में अदा नहीं की। (2) आप (ﷺ) का अबू बकर (रज़ि.) की बायें जानिब बैठना इस बात की दलील है कि आप इमाम थे। ये हफ़ता या इतवार की जुहर की नमाज़ थी। इससे मालूम होता है नमाज़ में मुकब्बिर बनाना जाइज़ है। (3) अन्तुन्न सवाहिबे यूसुफ़ : अन्तुन्न से अगर सिर्फ़ आइशा (रज़ि.) मुराद हों तो फिर सवाहिब से मुराद मशहूर कौल के मुताबिक़ जुलैखा होगी और मक़सद ये होगा, जिस तरह जुलैखा ने बज़ाहिर औरतों की दावत, उनके इक्राम व तौक़ीर के लिये की थी और असल मक़सद ये था कि वो यूसुफ़ (अलै.) का नज़ारा कर लें और इश्क़ व मुहब्बत में उसे मअज़ूर समझें। इसी तरह आइशा (रज़ि.) ने इज़हार तो इस बात का किया कि अबू बकर रन्जीदा व ग़मगीन और नर्म दिल हैं। कसरते बुका की बिना पर मुक़्तदियों को किरअत नहीं सुना सकेंगे और असल मक़सद ये था कि वो आपकी जगह खड़े होकर बदशगूनी और नहूसत का निशाना बनकर लोगों की नज़रों से गिर न जायें।

और अगर अन्तुन्न से मुराद हफ़सा (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) हों तो सवाहिब से मुराद वो औरतें होंगी जिनको जुलैखा ने दावत पर बुलाया था, जिनके बारे में हज़रत यूसुफ़ ने फ़रमाया था, 'अगर तू उनके चरित्र को मुझसे दूर न कर देगा तो मैं उनकी बात की तरफ़ माइल हो जाऊँगा।'

कि बकौल इब्ने अब्दुस्सलाम, औरतें बज़ाहिर इम्अतुल अज़ीज़ को ज़जरो-तौबीख़ कर रही थी और दरहक़ीक़त वो खुद उन पर फ़रेफ़ता हो चुकी थीं और उनको अपनी तरफ़ माइल करना चाहती थीं। गोया ज़ाहिर व बातिन में फ़र्क़ था। क्योंकि हज़रत हफ़सा (रज़ि.) ने भी बज़ाहिर हज़रत आइशा (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ दोहराये थे लेकिन उनका असली मक़सद ये था कि इसी तरह मेरे बाप को आपकी जाँनशीनी का शफ़ व इम्तियाज़ हासिल होगा और वो इस तक़दुम व फ़ज़ीलत की बिना पर, इमामे कुबरा के भी हक़दार ठहरेंगे। जो आपका इमामते नमाज़ में जाँनशीन होगा, वही इमामते हुक्मरानी में भी आपकी जगह लेगा और ये मक़सद भी हो सकता है कि तुम उन औरतों की तरह इसरार कर रही हो और मुझे मेरे इस इरादे से हटाना चाहती हो कि इमाम अबू बकर बनें।

(942) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मौत की बीमारी में मुब्तला हुए। इब्ने मुस्तिर कहते हैं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को लाया गया यहाँ तक कि अबू बकर (रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को जमाअत कराने लगे और अबू बकर (रज़ि.) उनको तकबीर

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْعَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ مُسَهَّرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ،
أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ
الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا
لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ

सुनाने लगे और ईसा की रिवायत में है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ाने लगे और अबू बकर आपके पहलू में थे और लोगों को तकबीर सुना रहे थे।

(943) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीमारी में अबू बकर (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ायें तो वो उनको जमाअत कराने लगे। उरवह बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने आपको आराम में महसूस किया तो आप बाहर तशरीफ़ लाये। अबू बकर उस वक़्त जमाअत करवा रहे थे। अबू बकर ने आपको देखा तो पीछे हटने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारा फ़रमाया। अपनी हालत पर रहो। रसूलुल्लाह (ﷺ) अबू बकर के बराबर उनके पहलू में बैठ गये तो अबू बकर नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा करने लगे और लोग अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे।

(सहीह बुखारी : 683, इब्ने माजह : 1233)

(944) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीमारी में जिसमें आपने वफ़ात पाई, अबू बकर जमाअत कराते थे। यहाँ तक कि जब

مُسْهَرٍ فَأَتَيْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَجْلَسَ إِلَيَّ جَنْبِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ . وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ إِلَيَّ جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَالْفَاظُهُمْ مُتَّعَارِفَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمُ النَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ جِدَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَيَّ جَنْبِهِ . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَحَسَنُ الْخُلَوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ عَبْدُ أَحْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -

सोमवार का दिन आ पहुँचा और सहाबा किराम (रज़ि.) सफ़ों में नमाज़ पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुज़े का पर्दा उठाया। फिर खड़े होकर हमारी तरफ़ देखा गया कि आपका रुख़े अनवर (हुस्नो-जमाल और सफ़ाई में) मुस्हफ़ का वरक़ था। फिर आप मुस्कुरा कर हँसने लगे। हम नबी (ﷺ) के निकलने की खुशी में मबहूत हो गये, हालांकि हम नमाज़ में थे। अबू बकर (रज़ि.) उलटे पाँव लौटकर सफ़ में शरीक होना चाहते थे, उन्होंने इख़्याल किया कि नबी (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ ला रहे हैं तो नबी (ﷺ) ने अपने हाथ के इशारे से, सहाबा किराम को अपनी नमाज़ मुकम्मल करने के लिये कहा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) वापस हुज़े में दाख़िल हो गये और पर्दा लटका दिया और उसी दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) वफ़ात पा गये।

(945) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि आख़िरी बार जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ देखा, सोमवार के दिन आपने हुज़े का पर्दा उठाया ऊपर वाला वाक़िया बयान किया। सालेह की हदीस़ कामिल और सिघर हासिल है।

(नसाई : 3/1830, इब्ने माजह : 1624)

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) की तरफ़ नमाज़ में तवज्जह और मशग़ूलियत को बुहिल्ना से ताबीर किया है और बुख़ारी शरीफ़ में इसकी जगह फ़हिम्ना अन नफ़तिन्ना मिनल फ़रहि बिरुयतिन्नी (ﷺ) के अल्फ़ाज़ हैं कि हमें इतनी खुशी हुई कि ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं हम सब

وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ - وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ - كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَّةٌ مُصْحَفٍ . ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا - قَالَ - فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحِ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَكْصِ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارَجَ لِلصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنَّ أَيْمُوا صَلَاتِكُمْ - قَالَ - ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْخَى السِّتْرَ - قَالَ - فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِحٍ أُمَّ وَأَشْبَعُ .

आपको देखते ही मशगूल न हो जायें और नमाज़ की तरफ़ तवज्जह न रहे। आपके दीदार और रूयत में मशगूल होकर नमाज़ की तरफ़ तवज्जह के हट जाने को फ़ितने से ताबीर किया है। तो अगर सिराते मुस्तकीम जो शाह इस्माईल शहीद की नहीं है बल्कि इमाम अहमद शहीद के मल्फूज़ात हैं, में अगर आपके तसव्वुर को या किसी शैख़ के तसव्वुर को लाने से, इस बिना पर रोका गया है कि उससे नमाज़ से तवज्जह हट जाती है और गावख़र से कोई अक़ीदत व मुहब्बत का रिश्ता नहीं होता कि इंसान उनमें महव होकर नमाज़ से गाफ़िल हो जाये। इसलिये ये क्योंकि क़ाबिले ऐतराज़ हो सकता है। हालांकि उन हज़रात का अपना मौक़िफ़ ये है, अगर नमाज़ में कुरआन देख कर पढ़े तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी, लेकिन अगर औरत की शर्मगाह जिन्सी जज़्बे के साथ देखे तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। (अल्इश्बाह वन्नज़ाइर इब्ने नजीम)

अगर कुरआन देखने से ख़ुशूअ व ख़ुजूअ मुतास्सिर होता है और नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो क्या आपके तसव्वुर से नमाज़ पर असर नहीं पड़ेगा? और शायद औरत की शर्मगाह जिन्सी जज़्बे से देखना, उन हज़रात के नज़दीक इंसान को मुतास्सिर करता और अगर गावख़र के साथ आपका तज़्किरा नामुनासिब है तो कुरआन के साथ फ़र्जे मिरअत (औरत की शर्मगाह) का तज़्किरा तौहीन आमेज़ क्यों नहीं?

(946) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ . بَنَحُو حَدِيثَهُمَا .

(947) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) (बीमारी के दिनों में) तीन दिन हमारे पास तशरीफ़ नहीं लाये (उन ही दिनों में) एक दिन नमाज़ खड़ी की गई, अबू बकर (रज़ि.) आगे बढ़ने लगे, नबी (ﷺ) ने (हुजे मुबारक का) पर्दा उठाया। जब हमारे सामने नबी (ﷺ) का रुख़े अनवर ज़ाहिर हुआ। आपके रूए (चेहरे) मुबारक से ज़्यादा हसीन व पसन्दीदा मन्ज़र हमने कभी नहीं देखा था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ

फिर आपने अबू बकर (रज़ि.) को हाथ के इशारे से आगे बढ़ने के लिये फ़रमाया और आपने पर्दा गिरा दिया। फिर आपकी वफ़ात तक हम आपको न देख सके।

(सहीह बुख़ारी : 681)

صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا - قال - فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخصي نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم تقدر عليه حتى مات .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपने सोमवार की सुबह की नमाज़ अबू बकर के पीछे नहीं पढ़ी। अगर आप दूसरी रक़अत बाद में अदा फ़रमाते तो यकीनन हज़रत अनस (रज़ि.) आपको देख लेते और ये न कहते, लम नक्रिदर अलैहि हत्ता मात, हम आपको मौत तक न देख सके और इससे ये भी साबित हुआ आप वफ़ात पा चुके हैं।

(948) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार पड़ गये और आपकी बीमारी ने शिद्दत इख़्तियार कर ली तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाये।' इस पर आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, वो नर्म दिल हैं। जब आपकी जगह खड़े होंगे तो वो लोगों को नमाज़ नहीं पढ़ा सकेंगे। आपने फ़रमाया, 'अबू बकर को कहो, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाये। तुम तो यूसुफ़ (अलै.) के साथ मामला करने वालियों की तरह हो।' तो अबू बकर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में लोगों को नमाज़ पढ़ाते रहे।

(सहीह बुख़ारी : 3385,678)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَمُتْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ " مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكَ صَوَابٌ يُوسَفُ " . قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

बाब 22 : जब इमाम की आमद में ताखीर हो जाये और किसी को आगे करने में फ़िल्ता व फ़साद का ख़ौफ़ न हो तो लोगों का किसी को जमाअत के लिये आगे कर देना जाइज़ है

باب تقدیم الجماعة من يصلي
بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا
مفسدة بالتقديم

(949) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बनू अम्म बिन औफ़ के यहाँ उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले गये। तो नमाज़ का वक़्त हो गया। इस पर मुअज़्ज़िन अबू बकर (रज़ि.) के पास आया और कहा, क्या आप जमाअत करवायेंगे, तो मैं तकबीर कहूँ? अबू बकर ने कहा, हाँ! चुनाँचे अबू बकर (रज़ि.) ने नमाज़ शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सफ़ों से गुज़र कर पहली सफ़ में पहुँचे। इस पर लोगों ने एक हाथ दूसरे पर मारना शुरू किया और अबू बकर अपनी नमाज़ में किसी तरफ़ तवज्जह नहीं देते थे। जब लोगों ने मुसलसल ताली बजाई तो वो मुतवज्जह हुए और रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारे से अपनी जगह खड़ा रहने के लिये कहा। इस पर अबू बकर (रज़ि.) ने अपने दोनों हाथ उठाकर इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इमामत का

حدّثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيبي عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقفت في الصف فصفق الناس - وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة - فلما أكثر الناس التصفيق ألتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم

ऐजाज़ बरबशा। फिर पीछे हटकर सफ़ में सीधे खड़े हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया, 'ऐ अबू बकर! मेरे हुक्म देने के बाद अपनी जगह टिके रहने से किस चीज़ ने रोक दिया तुम्हें?' अबू बकर (रज़ि.) ने जवाब दिया, 'अबू क़हाफ़ा के बेटे के लिये ज़ेबा न था कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने (मौजूदगी में) जमाअत कराये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, 'अजीब बात हैं! मैंने देखा कि तुम लोग बक़्सरत तालियाँ बजा रहे थे (याद रखो!) जब नमाज़ में कोई बात पेश आ जाये तो सुब्हानअल्लाह कहो। जब वो सुब्हानअल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जह की जायेगी और हाथ पर हाथ मारना तो औरतों के लिये है।'

(सहीह बुख़ारी : 684)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) तख़ल्लस : निजात पाना, मुन्तक़िल होना, यहाँ मुराद है गुज़रकर आगे पहुँचना।

(2) सफ़फ़क़ तस्फ़ीक़ा : एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारना, ताली बजाना, औरतें एक हाथ दूसरे हाथ की पुश्त पर मारेंगी। (3) नाबहू : नाब यनूब नौबन पेश आना। (4) नाबहू अम्फ़न : कोई अम्र पेश आ गया। (6) अत्तस्फ़ीह : ये तस्फ़ीक़ ताली बजाना के हम मानी है।

फ़वाइद : (1) अगर किसी वजह से इमाम न आ सके तो उसकी जगह किसी और क़ाबिले एहतिराम शख़िसयत को इमाम बनाया जा सकता है। (2) नमाज़ में अगर कोई क़ाबिले तवज्जह या लायक़े इल्तिफ़ात बात पेश आ जाये तो इमाम को मुतवज्जह करने के लिये सुब्हानअल्लाह कहा जायेगा। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) की आमद पर सहाबा किराम (रज़ि.) ने हज़रत अबू बकर (रज़ि.) को मुतवज्जह किया और आपके एहतिराम व तौक़ीर की ख़ातिर, अबू बकर (रज़ि.) पीछे हट गये तो

انصرفت فقال " يا ابا بكر ما منعك ان تثبت
اذا امرتك " . قال ابو بكر ما كان لابن ابي
قحافة ان يضلني بين يدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " ما لي رايتكم اكثرتم التصفيق
من نابه شيء في صلاته فليسيخ فانه اذا
سيخ التفت اليه وانما التصفيق للنساء " .

इससे ये इस्तिदलाल करना कि जब नमाज़ में आपका ज़िक्र या नाम आये तो आपका तसव्वुर तौकीर से करना लाज़िम है। क़ियास मज़ल फ़ारिक है अगर आपका नमाज़ में तसव्वुर तौकीर के लिये लाज़िम होता तो हज़रत अनस (रज़ि.) नमाज़ में आपकी तरफ़ तवज्जह और इस्तिग़ाल को इफ़्तिनान से ताबीर न करते और सहाबा किराम (रज़ि.) इसका एहतिमाम फ़रमाते।

(950) अब्दुल अज़ीज़ और याक़ूब दोनों अबू हाज़िम की सहल बिन सईद (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं और उनकी हदीस में ये है कि अबू बकर ने अपने दोनों हाथ बुलंद किये। अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और वापस उलटे पाँव लौटकर सफ़ में खड़े हो गये।

(सहीह बुखारी : 1234, नसाई : 2/78-79)

(951) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) बनू अम्र बिन औफ़ के दरम्यान सुलह करवाने तशरीफ़ ले गये जबकि मज़क़ूर बाला रावियों ने बयान किया है और उसमें ये इजाफ़ा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) आये और सफ़ों को चीरकर पहली सफ़ में शरीक हो गये और अबू बकर (रज़ि.) उलटे पाँव पीछे लौट आये।

(नसाई : 3/3-4)

(952) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़व तबूक में शरीक हुए और रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाज़त के लिये बाहर निकले और मैं सुबह की नमाज़ से पहले आपके साथ पानी का बर्तन उठाकर चला। जब रसूलुल्लाह

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، -
يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ -
كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ . وَفِي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو
بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ
حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ ذَهَبَ نَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فُجَاءَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَقَ
الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ . وَفِيهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْحُلَوَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ
رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ، عَبَادِ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغْبِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ

(ﷺ) मेरे पास लौटे तो मैं बर्तन (लोटा) से आपके हाथों पर पानी डालने लगा। आपने अपने दोनों हाथ तीन बार धोये। फिर अपना चेहरा धोया। उसके बाद अपने बाजूओं से जुब्बा उतारने लगे, आस्तीनें तंग निकलीं तो आपने अपने हाथ जुब्बे के अंदर कर लिये यहाँ तक कि अपने बाजू जुब्बे के नीचे से निकाल लिये और उनको कोहनियों समेत धोया। फिर मोर्जों के ऊपर मसह किया। फिर आप चल पड़े और मैं भी आपके साथ चल पड़ा। (हमने पहुँचकर) लोगों को इस हाल में पाया कि वो अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) को आगे कर चुके थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और आपको एक रकअत मिली। आपने दूसरी रकअत लोगों के साथ अदा की। तो जब अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने सलाम फेरा, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ मुकम्मल करने के लिये खड़े हो गये। मुसलमान इससे घबरा गये (परेशान हो गये) और उन्होंने कसरत से सुबहानअल्लाह कहना शुरू कर दिया। जब नबी (ﷺ) ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो उनकी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, 'तुमने अच्छा किया।' या फ़रमाया, 'तुमने ठीक किया।' आपने उनके वक्रत पर नमाज़ पढ़ने को क़ाबिले रक़ करार दिया।

(953) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं उसमें है

الْمُعِيرَةَ بِنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ - قَالَ الْمُعِيرَةُ - فَتَبَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِذَاوَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أَهْرِيْقَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِذَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جَبْتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كَمَا جَبْتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجَبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجَبَّةِ . وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ - قَالَ الْمُعِيرَةُ - فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبِيئُ صَلَاتَهُ فَأَفْرَعُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْتَرُوا التَّسْبِيْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ " أَحْسَنْتُمْ " . أَوْ قَالَ " قَدْ أَصَبْتُمْ " . يَنْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَبِيهَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْحُلْوَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ

कि हज़रत मुगीरह (रज़ि.) ने कहा, मैंने अब्दुर्रहमान को पीछे हटाना चाहा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे छोड़ो।' (नमाज़ पढ़ाने दो)।

شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ حَنْزَلَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ
الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَعُهُ "

मुफ़रदातुल हदीस : य़बितुहुम : अगर सलासी मुजर्रद से हो तो मानी होगा आपने वक़्त पर नमाज़ पढ़ने को अच्छा जाना और अगर सलासी मज़ीद फ़ीह से हो तो मानी होगा, उनके काम को काबिले रशक करार दिया।

फ़ायदा : अगर इमामे रातिब (प्रमानेन्ट इमाम) किसी वजह से लेट हो जाये और उसकी आमद का पता न हो तो फिर उसकी जगह दूसरे आदमी को इमामत के लिये खड़ा किया जा सकता है। नमाज़े फ़ज्र की चूँकि एक रक़अत हो चुकी थी, इसलिये आप नमाज़ के लिये आगे नहीं बढ़े और हज़रत मुगीरह को अब्दुर्रहमान के पीछे हटाने से मना कर दिया और अबू बकर ने चूँकि अभी नमाज़ की शुरूआत की थी, इसलिये आप सफ़ों को चीर कर आगे तशरीफ़ ले गये और अबू बकर (रज़ि.) के पीछे हट जाने पर नमाज़ पढ़ाई।

बाब 23 : नमाज़ में अगर कोई बात पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानअल्लाह कहें और औरत हाथ की पुशत पर हाथ मारे

بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَضْفِيقِ الْمَرْأَةِ
إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

(954) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मर्दों को सुब्हान अल्लाह कहना चाहिये और औरतों को हाथ पर हाथ मार कर इमाम को मुतनब्बह करना चाहिये।' हरमलह ने अपनी रिवायत में ये इज़ाफ़ा किया कि इब्ने शिहाब ने कहा, मैंने अहले इल्म को देखा, वो तस्बीह कहते थे और इशारा करते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عِيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ، وَأَبُو

(सहीह बुखारी : 1203, अबू दाऊद : 939, इब्ने
माजह : 1034, नसाई : 3/11)

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ،
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . زَادَ
حَزْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ
رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُتَشِيرُونَ .

(955) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों
से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान
करते हैं।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ يَعْنِي ابْنَ
عِيَّاضٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ
يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(956) हम्माम से अबू हुरैरह (रज़ि.) की
नबी (ﷺ) से मज़कूरा बाला रिवायत बयान
की है और उसमें फ़िस्सलात (नमाज़ में) का
इज़ाफ़ा किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ وَزَادَ " فِي الصَّلَاةِ " .

फ़ायदा : अगर नमाज़ में इमाम से कहीं भूल-चूक हो जाये तो उसको आगाह करने के लिये मर्द
सुब्हानअल्लाह कहेंगे और अगर औरत को ये काम करना पड़े तो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती।
इसलिये दायें हाथ की हथेली को बायें हाथ की पुश्त पर मारकर इशारा करेगी।

बाब 24 : नमाज़ को अच्छी तरह
मुकम्मल और ख़ुशूअ (आजिजी)
से पढ़ने का हुक्म

باب الأمر بتحصين الصلاة
وإتمامها والخشوع فيها

(957) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत
है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई।
फिर सलाम फेरकर फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! तुम

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ
كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُّ،

नमाज़ अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ते? क्या नमाज़ी नमाज़ पढ़ते वक़्त ये नहीं देखता कि वो नमाज़ कैसे पढ़ता है? वो अपने लिये ही नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह की क़सम! मैं पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं अपने आगे से देखता हूँ।'

(नसाई : 2/118)

(958) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हारा ख़याल है, मेरा रुख़ इधर ही है? अल्लाह की क़सम! मुझ पर न तुम्हारा रुकूअ मख़फ़ी है और न तुम्हारा सज्दा। यक़ीनन मैं तुम्हें अपने पीछे (पुश्त) से भी देखता हूँ।'

(सहीह बुखारी : 418,741)

(959) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रुकूअ और सज्दा पूरी तरह किया करो। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ।' और कई बार ये कहा, 'जब तुम रुकूअ और सज्दा करते हो मैं तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से देखता हूँ।'

(सहीह बुखारी : 742)

(960) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रुकूअ और सुजूद कामिल तरीक़े से किया करो, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से देखता हूँ। जब तुम रुकूअ करते हो

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ " يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مَنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَيَّ " .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " هَلْ تَرَوْنَ قِبَلْتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعَكُمْ وَلَا سُجُودَكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي " .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرَبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " .

حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ

और जब तुम सज्दा करते हो।' और सईद की हदीस में इज़ा के बाद दोनों जगह 'मा' का लफ़्ज़ नहीं है।

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أْتَمُّوا الرُّكُوعَ
وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي
إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ " . وَفِي حَدِيثِ
سَعِيدٍ " إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ पढ़ाते वक़्त पीछे से देखने की ताक़त इस तरह इनायत फ़रमाई थी जिस तरह आ़म इंसानों को सामने से देखने की कुव्वत बख़्शी है और ये देखना हक़ीक़तन था। इसमें किसी तावील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रिवायत से ये इस्तिदलाल करना कि आप हर वक़्त हर छः जानिब में देखते थे और अब भी देख रहे हैं, ग़लत है। क्योंकि इन अहादीस का तअल्लुक सिर्फ़ नमाज़ से है। आगे-पीछे से नहीं और जमाअत आप दुनियावी ज़िन्दगी में करवाते थे, अब आपका इस दुनिया से तअल्लुक ख़त्म हो चुका है। बरज़ख़ी ज़िन्दगी हासिल है कि उसके लिये आपके 'शहीद' होने की दलील बनाना कि आप क़यामत के दिन उम्मत के बारे में गवाही देंगे, सहीह नहीं है। क्योंकि गवाही तो आपकी उम्मत भी देगी, तो क्या वो भी देख रही है? 'रसूल तुम पर गवाह होंगे' से पहले फ़रमाया, 'ताकि तुम लोगों पर गवाह हो' और मुनाफ़िक़ों को ख़िताब करके फ़रमाया, 'और फ़रमा दीजिये! तुम अमल करो, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिन तुम्हारा अमल देख लेंगे।' (सूरह तौबा) तो क्या मोमिन भी मुनाफ़िक़ों के ज़ाहिर व बातिन को देख रहे हैं? और अल्लाह ने मोमिनों को देखने की ये नेमत दी है और वो नेमत देकर छीनता नहीं है। उसकी नेमत दाइमी होती है तो फिर मोमिन भी हर जगह देख रहे हैं। सूरह हज में फ़रमाया, 'ताकि रसूल तुम पर गवाह बने और तुम सब लोगों पर गवाह बनो।' आपकी गवाही तो आपकी उम्मत के लिये है और उम्मत की गवाही सबके लिये है तो क्या उम्मत सब लोगों के आ़माल को देख रही है।

असल हक़ीक़त वही है जिसको अल्लामा सईदी ने बिला वजह फ़ल्सफ़ा बघारने के बाद, शैख़ अब्दुल हक़ से नक़ल किया है, जिसका आख़िरी जुम्ला ये है कि पस आँहज़रत (ﷺ) 'नमी या बद मगर आँचे दरिया बान्द वीरा परवरदिगार तबारक व तआला ख़वाह दर नमाज़ बाशद या दर ग़ैर आँ' पस हालत नमाज़ हो या ग़ैर नमाज़ अल्लाह तआला के बतलाये बग़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। (शरह सहीह मुस्लिम, उर्दू अल्लामा सईदी : 1/1226)

फिर ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम का जवाब भी अजीबो-ग़रीब दिया है कि इस हदीस में दिरायत की नफ़ी है। इल्म और बसर की नफ़ी नहीं है दिरायत का मानी है, अपनी अक़्ल से अज़ ख़ुद जानना। रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूरे ग़ैबिया को अल्लाह तआला की तालीम से जानते हैं, अज़ ख़ुद नहीं जानते। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/1225)

जो चीज़ अल्लाह तआला ने आपको बता दी उसके जानने का कौनसा इंसान जो आप पर ईमान रखता है, इंकार कर सकता है। असल चीज़ तो ये साबित करना है कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह तआला ने आपको दे दिया है और उसके लिये हन्फी उसूले फ़िक्ह के मुताबिक़ क़तई दलील की ज़रूरत है। कुरआन मजीद में मुश्रिकों को ख़िताब करके फ़रमाया, 'अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें न सुनाता और न वो तुम्हें उससे आगाह करता।' तो क्या मुश्रिक अपनी अक्लों से खुद जान लेते?

बाब 25 : इमाम से पहले रुकूअ और सज्दा वग़ैरह करना मना है

**باب النهي عن سبق الإمام،
بركوع أو سجود ونحوهما**

(961) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ से फ़रागत के बाद हमारी तरफ़ मुँह करके फ़रमाया, 'ऐ लोगो! मैं तुम्हारा इमाम हूँ। तुम रुकूअ-सुजूद, क्रियाम और सलाम फेरने में मुझसे सबक़त (पहल) न किया करो। क्योंकि मैं अपने सामने और अपने पीछे से देखता हूँ।' फिर आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है! अगर तुम उन तमाम हक्काइक़ का मुशाहिदा कर लो जिनको मैं देखता हूँ, तो तुम हँसो कम और रोओ ज्यादा।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क्या देखा? आपने फ़रमाया, 'मैंने जन्नत और दोज़ख़ को देखा।'

(नसाई : 3/83)

(962) जरीर, इब्ने फुज़ैल दोनों ने मुख़्तार से अनस (रज़ि.) की मज़क़ूरा बाला मरफूअ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ، لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي - ثُمَّ قَالَ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " . قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ " .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ فَضِيلٍ، جَمِيعًا

रिवायत सुनाई। जर्री की हदीस में सलाम फेरने का तज़क़िरा नहीं है।

(963) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मुहम्मद (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या वो इंसान जो इमाम से पहले रुकूअ से सर उठाता है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसके सर को गधे के सर की तरह बना दे।'

(तिर्मिज़ी : 582, नसाई : 2/94, इब्ने माजह : 961)

(964) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान अपनी नमाज़ में अपना सर इमाम से पहले उठाता है, वो इस बात से बेख़ौफ़ नहीं हो सकता कि अल्लाह तआला उसकी सूत (शक़्ल) गधे की सूत में बदल दे।'

(965) इमाम साहब अलग-अलग रावियों से मज़क़ूरा वाला हदीस नक़ल करते हैं।

इनमें रबीअ बिन मुस्लिम की हदीस में है, यह ख़िल्लुल्लाहु सूतहू के बजाय अंध्यज्जलल्लाहु वजहहू वजह हिमार अल्लाह तआला उसके चेहरे को गधे के चेहरे सा बना दे, क़ अल्फ़ाज़ हैं।

عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ" حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَادٍ، - قَالَ خَلْفُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" .

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ" .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ " أَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ" .

फ़ायदा : इमाम से किसी रुकन में पहल करना, बेवकूफी और हिमाक़त की दलील और अलामत है और इस वस्फ़ में गधा मज़रूफ़ है और सज़ा जिन्से फ़ैअल के मुताबिक़ हो, के उसूल के मुताबिक़ ऐसे इंसान की शक़्ल व सूत बिगाड़कर अल्लाह गधे की सूत की सी बना सकता है और ये काम उसके

लिये कोई मुश्किल नहीं है। इसलिये नमाज़ी को किसी रुकन में इमाम से पहल नहीं करना चाहिये। क्या मालूम अल्लाह तआला का ग़ज़ब जोश में हो और ऐसे इंसान की सूत मसख़ हो जाये। ये एक वईद और उसका वकूअ अल्लाह तआला की मशिय्यत पर मौकूफ़ है। इसलिये वकूअ लाज़िमी नहीं है और मुल्ला अली क़ारी ने एक मुहद्दिस का वाक़िया नक़ल किया है कि उसने इस वईद के वकूअ को बईद अज़ अक़ल समझा और नमाज़ में इमाम से सबक़त ले जाने की हरकत कर डाली। तो अल्लाह तआला ने उसके चेहरे को गधे के चेहरे की तरह कर दिया। इसलिये वो लोगों को पर्दे की ओट से अहादीस सुनाता था। (फ़तहुल मुल्हिम : 2/64)

बाब 26 : नमाज़ में आसमान की तरफ़ देखने की मुमानिअत (मनाही)

(966) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाते हैं, वो अपनी इस हरकत से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़र (बीनाई) उनकी तरफ़ नहीं लौटेगी (बीनाई सलब/छीन ली जायेगी)।

(इब्ने माजह : 1045)

(967) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग नमाज़ में दुआ के वक़्त अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ बुलंद करने से बाज़ आ जायें, वरना उनकी नज़रें उचक ली जायेंगी (नज़रें छीन ली जायेंगी)।'

(नसाई : 3/39-40)

باب التّهّي عن رّفْع البصر، إلى السّماء في الصّلاة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ " .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَيْبَعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) लयन्तहियन्ना : वो ज़रूर बाज़ आ जायें, या रुक जायें। यानी नमाज़ में

आसमान की तरफ हर्गिज़ नज़र न उठाये। (2) इन्तहा : रोकना, बाज़ रहना से माखूज़ है। (3) ला तरजिज़ इलैहिम : उनकी तरफ (उनकी नज़रें) वापस नहीं लौटेंगी, बीनाई सल्ब (छीन) कर ली जायेगी। रूजूअ : लौटना, वापस आना से माखूज़ है। (4) लतुख़तफ़न्न : ख़तफ़ से माखूज़ है, जल्दी से सल्ब कर लेना, उचक लेना।

फ़ायदा : नमाज़ की हालत में अगरचे इंसान दुआइया कलिमात पढ़ रहा हो, फिर भी आसमान की तरफ़ देखना नाजाइज़ है और उस पर ये वईद सुनाई गई है कि अल्लाह तआला उनकी बीनाई सल्ब कर सकता है। हाँ नमाज़ के अलावा दुआ के दौरान क़ल्बी तवज्जह के साथ-साथ, आसमान की तरफ़ नज़र उठाना जाइज़ है। क्योंकि अल्लाह मुस्तविए अर्श है। इसलिये जिस तरह नमाज़ के लिये क़िब्ला कअबा मुअज़्ज़मा है, उसी तरह दुआ के लिये क़िब्ला ऊपर है। इसलिये हाथ आसमान की तरफ़ उठाकर दुआ माँगी जाती है। जुम्हूर इलमा का यही मौक़िफ़ है अगरचे क़ाज़ी शुरैह क़ौरह ने इसको भी मक्रूह करार दिया है।

बाब 27 : नमाज़ में सुकून इख़ितयार करने का हुक्म और सलाम के वक़्त हाथ से इशारा करने और उसके उठाने की मुमानिअत और पहली सफ़ों को मुकम्मल करना और उनमें आपस में मिलकर खड़े होने और इकट्ठे खड़े होने का हुक्म

باب الأمر بالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ
وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا
عِنْدَ السَّلَامِ وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ
الْأُولَى وَالْتِرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرُ
بِالْإِجْتِمَاعِ

(968) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'क्या वजह है मैं तुम्हें नमाज़ में इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया कि वो सरकश घोड़ों की दुमें हैं? नमाज़ में सुकून इख़ितयार किया करो (नमाज़ सुकून के साथ पढ़ा करो) फिर एक और मर्तबा तशरीफ़ लाये और हमें अलग-अलग हल्क़ों

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْقَةَ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ
رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ

में बैठे देखा तो फ़रमाया, 'क्या वजह है मैं तुम्हें अलग-अलग हल्कों में बैठा देख रहा हूँ?' फिर एक और मर्तबा तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया, 'तुम इस तरह सफ़ बन्दी क्यों नहीं करते, जिस तरह बारगाहे इलाही में फ़रिश्ते सफ़बस्ता होते हैं?' हमने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते अल्लाह तआला की बारगाह में किस तरह सफ़ बन्दी करते हैं? आपने फ़रमाया, 'पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ में एक-दूसरे के साथ जुड़कर खड़े होते हैं।'

(अबू दाऊद : 661, नसाई : 1/815, इब्ने माजह : 992)

(969) इमाम साहब एक और सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ " . قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا
فَرَأَانَا حَلَقًا فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ " . قَالَ
ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ " أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ
الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ " يُمُونُ
الْصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ " .

وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ
يُونُسَ، قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) शुम्सुन : शमूस की जमा है जो छोड़े जो टिककर, सुकून के साथ खड़े नहीं होते बल्कि अपनी दुमों और पाँव को हिलाते रहते हैं। (2) हलक़ा : हलक़ह की जमा है, गिरोह, टोली, लोगों का दायरा हा पर ज़ेर और ज़बर दोनों आ सकते हैं। (3) इज़ीन : इज़ह की जमा है अलग-अलग या मुतफ़रि़क़ गिरोह या मुतफ़रि़क़ जमाअतें। (4) यतरासौन : आपस में मिलकर और जुड़कर खड़े हों। अरसुशशैइ का मानी होता है एक को दूसरे से मिलाना, चिमटाना।

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है पहले अगली सफ़ों को पूरा करना ज़रूरी है, जब तक अगली सफ़ मुकम्मल न हो दूसरी में खड़ा होना दुरुस्त नहीं, गोया खाली जगह आख़िरी सफ़ में होगी। (2) सफ़ों में सीसा पिलाई इमारत की तरह जुड़कर खड़ा होना चाहिये, दो आदमियों के दरम्यान कोई जगह खाली न रहे। (3) नमाज़ में घोड़ों की दुमों की तरह हाथ को दायें-बायें नहीं उठाना चाहिये। इससे मुराद, रुकूअ में जाते और रुकूअ से उठते वक़्त रफ़अ यदैन से रोकना मक़सूद नहीं है। क्योंकि रफ़अ

यदैन में घोड़ों की दुमों की तरह हाथ दायें-बायें की तरफ नहीं उठाये जाते, अगर बिल्फर्ज इससे रफ़डल यदैन मुराद है तो फिर नमाज़ के शुरू में तकबीरे तहरीमा के साथ रफ़अ यदैन करना क्योंकर जाइज़ हो सकता है। नीज़ अल्हदीसु युफ़स्सिरू बअज़ुहू बअज़ा एक हदीस दूसरी हदीस की वज़ाहत करती है के उसूल की रू से अगली हदीस जो जाबिर (रज़ि.) की ही है। इस जुम्ले की वज़ाहत व तफ़सीर कर रही है, उसको छोड़कर इससे रफ़अ यदैन मुराद लेना महज़ सीना ज़ोरी और हटधर्मी है। जो जाइज़ नहीं है और न इसको तस्लीम किया जा सकता है। (4) मस्जिद में अज़ान के बाद नमाज़ से पहले अलग-अलग हल्कों में बैठना सहीह नहीं है बल्कि सफ़े बनाकर बैठना चाहिये और पहली सफ़ मुकम्मल होने पर दूसरी सफ़ बनानी चाहिये। हाँ नमाज़ के अलावा अलग-अलग इल्मी हल्के बनाकर बैठना दुरुस्त है।

(970) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते (तो हम सलाम फेरते वक़्त) अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह कहते और दोनों जानिब हाथ से इशारा करते। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने हाथों से इस तरह इशारा क्यों करते गोया कि वो सरकश घोड़ों की दुमें हैं तुम्हारे लिये यही काफ़ी है कि अपना हाथ अपनी रान पर रखो। फिर अपने दायें और बायें वाले भाई को सलाम कहो।'

(अबू दाऊद : 998-999, नसाई : 3/5,3/61,3/64)

(971) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते, हाथों के इशारों से अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहते। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी तरफ़ देखकर फ़रमाया, 'क्या वजह है कि तुम

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ الْقَيْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَامَ تَوْمِنُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أُخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ " .

وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتٍ، - يَعْنِي الْقَرَّازَ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ

सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथों से इशारा करते हो? जब तुम सलाम फेरो तो अपने साथी की तरफ़ मुतवज्जह हो और हाथ से इशारा न करो।'

عَلَيْكُمْ فَتَطَّرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَقِئْتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُؤْمِئْ بِيَدِهِ "

फ़ायदा : ये आख़िरी रिवायत इस बात की सरीह दलील है कि हाथों के जिस इशारे को सरकश घोड़ों की दुमों से तशबीह दी गई है, उससे मुराद वो इशारा है जो सलाम फेरते वक़्त करते थे। उसका रूकूअ के रफ़अ यदैन से कोई तअल्लुक नहीं है। सईद साइब ने खुद तर्जुमा ये किया है, जब हम सलाम फेरते तो हाथों के इशारे से अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहते। (शरह मुस्लिम : 1/1229) जब तुममें से किसी शख्स को सलाम फेरना हो तो अपने साथी की तरफ़ मुतवज्जह हो और हाथ से इशारा न करे। ये फ़यन्जुरु इलैना रसूलुल्लाह (ﷺ) नतीजा और तफ़सील है। उसके बावजूद बड़ी जुरअत से ये कह दिया है कि इस हदीस में अहनाफ़ के मस्लक पर वाज़ेह दलील है कि नमाज़ में रूकूअ से पहले और उसके बाद रफ़अ यदैन का हुक़्म शुरूआती अम्र था। बाद में इसको रसूलुल्लाह ने मन्सूख़ कर दिया। (शरह सहीह मुस्लिम : 1/1230, तकबीरे तहरीमा के साथ रफ़अ यदैन मन्सूख़ होने से क्यों बच रहा?)

बाब 28 : सफ़ों को बराबर और सीधा करना और सफ़ों को बतर्तीब पहली फिर उसके बाद वाली की फ़ज़ीलत और पहली सफ़ में शिरकत के लिये मुसाबिक़त करना, अस्हाबे फ़ज़ल को मुक़द्दम करके उनको इमाम के क़रीब करना

باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا
وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا
وَالْإِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ
وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أَوْلِي
الْفَضْلِ وَتَقْرِيْبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ

(972) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में (जमाअत के खड़े होने के वक़्त) हमें बराबर करने के लिये हमारे कन्धों पर हाथ फेरते और फ़रमाते, 'बराबर-बराबर हो जाओ और

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،

अलग-अलग (आगे-पीछे) न हो (वरना उसकी सज़ा में) तुम्हारे दिल आपस में अलग-अलग हो जायेंगे। तुममें से जो दानिशमन्द और समझदार हैं, वो मेरे करीब हों, उनके बाद वो लोग हों जिनका नम्बर इस सिफ़्त में उनके करीब हो और उनके बाद वो लोग जिनका दर्जा उनसे करीब हो।' अबू मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया, आज तो तुम लोगों में बहुत इख़िलाफ़ हो गया है।

(अबू दाऊद : 674, नसाई : 2/87, 1/8000, इब्ने माजह : 976)

मुफ़दातुल हदीस : अल्अहलाम : हिल्म की जमा है, सब्र, आहिस्तगी, बुर्दबारी, कभी जहालत व बेवकूफी के मुकाबले में आ जाता है, इस सूत में मानी अक्ल व दानिश होता है। कुरआन मजीद में है। अम तअमुरुहुम अह्लामुहुम बिहाज़ा। क्या उनकी अक्लें उन्हें ये हुक्म देती है? (तूर) अगर इसको हुल्म की जमा बनायें तो फिर बुलूग़त के मानी में होगा। इस सूत में मानी में एक नया मफ़हूम पैदा हो जायेगा क्योंकि नुहा भी नह्यह की जमा है इसका मानी भी अक्ल है क्योंकि वो बुराइयों से रोकती है।

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित है कि इमाम के करीब वो लोग खड़े हों जिनको अल्लाह तआला ने फ़हम व दानिश से नवाज़ा है। उनके बाद इस सिफ़्त में दूसरे दर्जा वाले। उनके बाद तीसरे दर्जा वाले। ये तर्तीब बिल्कुल फ़ितरी भी है और तालीम व तर्बियत की मस्लिहत का तकाज़ा भी यही है ताकि इमाम से अगर भूल-चूक हो जाये तो उसकी इस्लाह कर सकें और वक़ते ज़रूरत इमाम की नियाबत भी कर सकें। इसलिये हज़रत उमर, ज़र बिन हुबैश और अबू वाइल (रज़ि.) बच्चे को सफ़ से निकाल देते थे। (2) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) के क़ौल का मुखातब वो लोग थे जो फ़ितना व फ़साद बर्पा कर रहे थे और उसका सबब यही था कि वो सफ़बन्दी में ऐतदाल और तस्विया (बराबरी) की पाबंदी नहीं करते।

(973) इमाम साहब एक और सनद से मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ " اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْبِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(974) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से मेरे करीब बालिग़ और अक़्लमन्द खड़े हों, फिर जो इस सिफ़त में उनके करीब हों (इस तरह तीन बार फ़रमाया) और तुम बाज़ारों के इख़ितलात और शोर व शग़ब से बचो।'

(अबू दाऊद : 674, तिर्मिज़ी : 228)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَا حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِيَلْبَنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِنَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : हैशातिल अस्वाक़ : बाज़ारों का जैसा इख़ितलाफ़ और झगड़ा और शोर व शग़ब क्योंकि हशूशह फ़िल्ना व इख़ितलात को कहते हैं। लियलिनी : करीब होना, मिला हुआ होना।

(975) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ में अपनी सफ़ों को बराबर करो क्योंकि सफ़ों का सीधा और बराबर करना नमाज़ की तक्मील में से है।'

(सहीह बुख़ारी : 723, अबू दाऊद : 668, इब्ने माजह : 993)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ نَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ " .

फ़ायदा : कुरआन मजीद में जगह-जगह अक़ीमुस्सलात की सूत में इक़ामते सलात का हुक़म दिया है जो मुसलमानों का फ़र्ज़े अब्वलीन है और इसकी कामिल और सहीह अदायगी के लिये ये शर्त है कि जमाअत की सफ़ें बिल्कुल सीधी और बराबर हों। सहीह बुख़ारी के अल्फ़ाज़ मिन इक़ामतिससलाह हैं।

(976) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सफ़ों को पूरा करो, मैं तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से देख रहा हूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 718)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اْتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي " .

फ़ायदा : मालूम होता है इत्मांम, इक़ामत के मानी में है क्योंकि सहीह बुख़ारी में अतिम्मू की जगह अक़ीमु है।

(977) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़रमाया, 'नमाज़ में सफ़ को सीधा और बराबर करो क्योंकि सफ़ की दुरुस्तगी नमाज़ के हुस्न का हिस्सा है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ " أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ " .

(978) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर और सीधा करो वरना अल्लाह तआला तुम्हारे रुख़ एक-दूसरे के मुख़ालिफ़ कर देगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَتُسَوِّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " .

(979) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी सफ़ों को इस क़द्र सीधा और बराबर कराते थे गोया कि आप उनके ज़रिये तीरों को सीधा करेंगे। यहाँ तक कि आपको ख़याल हो गया कि हमने आपसे समझ लिया है (कि हम को किस तरह सीधा खड़ा होना चाहिये) उसके बाद एक दिन आप तशरीफ़ लाये और नमाज़ पढ़ाने की जगह खड़े हो गये, यहाँ तक कि करीब था आप तकबीर कह कर नमाज़ शुरू फ़रमा दें तो आपने एक आदमी को देखा उसका सीना सफ़

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْفِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ " عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّنَّ

से कुछ आगे निकला हुआ था। इस पर आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के बन्दों! अपनी सफ़ों को सीधा और बराबर रखा करो, वरना अल्लाह तुम्हारे दरम्यान फूट डाल देगा।'

صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ "

(अबू दाऊद : 663,665, तिर्मिज़ी : 227, नसाई : 2/89, इब्ने माजह : 994)

मुफ़रदातुल हदीस : क़िदाह : क़िदाह की जमा है, अहले अरब शिकार या जंग में इस्तेमाल के लिये जो तीर लकड़ी से तराशते थे उनको बिल्कुल सीधा और बराबर रखने का बड़ा एहतिमाम और कोशिश करते थे। इसलिये किसी चीज़ की बराबरी और सीधेपन की तारीफ़ में मुबाल्गे के लिये कहते हैं, वो चीज़ ऐसी बराबर और इस क़द्र सीधी है कि वो तीरों के सीधा करने के लिये मैयार और पैमाना का काम दे सकती है।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़ों को इस क़द्र सीधा और बराबर फ़रमाते थे कि कोई आदमी बिल्कुल आगे या पीछे न होता। तवील मुदत की मुसलसल कोशिश और तर्बियत के बाद जब आपको इत्मीनान हो गया कि अब लोगों को सफ़ों के सीधा करने की अहमियत और तरीक़ा समझ आ गया है तो आपने उस एहतिमाम को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक दिन आपने इस मामले में एक आदमी की कोताही देखी तो बड़े जलाल के अन्दाज़ में फ़रमाया, 'अल्लाह के बन्दों! मैं तुमको आगाह करता हूँ, अगर तुम सफ़ों को बराबर और सीधा करने में बेपरवाही और कोताही रवा रखोगे तो अल्लाह तआला उसकी सज़ा में तुम्हारे चेहरे मसख़ कर देगा और तुम्हारी सूरतें बदल जायेंगी। या तुम्हारी वहदत और इज्तिमाइयत पारा-पारा कर दी जायेगी और तुममें फूट और इख़ितलाफ़ पैदा हो जायेगा। जो उम्मतों और क़ौमों के लिये इस दुनिया में सौ अज़ाबों का एक अज़ाब है। सफ़ों को बराबर और सीधा करने में कोताही और ग़फ़लत इस वक़्त आम हो चुकी है और सज़ा के तौर पर उम्मत में इन्तिशार व इख़ितलाफ़ और फूट भी उरूज पर है।

(980) इमाम साहब और उस्तादों से मज़क़ूरा वाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(981) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर लोगों को मालूम हो जाये कि अज़ान देने और

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने में (किस क़द्र ख़ैर व बरकत और अज़्र व स़वाब है) फिर उनके लिये उसकी ख़ातिर कुरआ अन्दाज़ी करने के सिवा कोई चारह बाक़ी न रहे, तो वो उसके लिये कुरआ अन्दाज़ी करें और अगर वो जान लें नमाज़ के लिये जल्दी आने में कितना अज़्र व स़वाब मिलता है तो उसके लिये एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें और अगर उन्हें मालूम हो जाये कि इशा और सुबह की नमाज़ का कितना स़वाब मिलता है तो उन्हें घुटनों और हाथों के बल भी आना पड़े तो आयें।'

(सहीह बुखारी : 615, 654, 721, 2689, तिरमिज़ी : 225, नसाई : 2/23)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इस्तहमू अलैह : (इस अज़्र व स़वाब के हुसूल के लिये) कुरआ अन्दाज़ी करें। यानी सब लोग ये काम करने की कोशिश करें और सब एक ही वक़्त में पहुँचने की बिना पर बराबर के हक़दार ठहरें और सबके लिये गुंजाइश न होने की बिना पर तरजीह के लिये कुरआ अन्दाज़ी की ज़रूरत पेश आये। (2) अत्तहज़ीर : सख़्त दोपहर के वक़्त आना या जल्दी से काम लेना और हर नमाज़ के लिये पहले आना। (3) इस्तबकू इलैहि : एक-दूसरे से सबक़त ले जाने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। (4) अलअतमह : रात की शुरुआती तारीकी या देर और ताख़ीर करना। यहाँ मुराद इशा की नमाज़ है। (5) हबवन : हबवन हाथों और घुटनों के बल चलना या सुरीन के बल घिसटना।

फ़ायदा : इस हदीस में इशा और सुबह की नमाज़ को खुसूसी अहमियत दी गई है और उनके अज़ीम अज़्र व स़वाब और ख़ैर व बरकत को बयान किया गया है। क्योंकि इन नमाज़ों के लिये नींद और आराम को छोड़ना पड़ता है। जो ख़ास तौर पर मुश्किल और वक़्त तलब काम है और इस वजह से ये दोनों नमाज़ें मुनाफ़िकों के लिये दुश्वार थीं।

(982) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने साथियों

صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَوْ يَعْلَمُ
النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا وَلَوْ
يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ
يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ
حَبِوًا "

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ،
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

को पीछे रहते महसूस किया तो आपने उन्हें फ़रमाया, 'आगे बढ़ो और मेरी इक़्तिदा करो और तुम्हारे पिछले तुम्हारी इक़्तिदा करें, कुछ लोग पीछे रहते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआला उनको (अपने फ़ज़ल व रहमत से) मुअख़्खर (पीछे) कर देगा।'

(अबू दाऊद : 680, नसाई : 2/83, इब्ने माजह : 978)

फ़ायदा : इअत्म्मू बी : मेरी पैरवी और इक़्तिदा करो। पहली सफ़ वाले, इमाम के अफ़आल की इक़्तिदा करेंगे और दूसरी सफ़ वाले पहली सफ़ वालों के अफ़आल से इमाम के अफ़आल को मालूम करेंगे। इसलिये हर बाद वाली सफ़ अपने से अगली सफ़ की पैरवी करेगी और ये मानी भी हो सकता है कि सहाबा (रज़ि.) से बाद आने वाले रसूलुल्लाह (ﷺ) का तरीका तर्जें अमल और खैया सहाबा किराम (रज़ि.) से सीखेंगे। इस तरह अमली तसलसुल कायम रहेगा।

(983) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को मस्जिद के पिछले हिस्से में देखा, आगे मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान की।

(नसाई : 2/83)

(984) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुम या लोग पहली सफ़ की ख़ैर व बरकत को जान लें तो उस पर कुरआ अन्दाज़ी हो।' इब्ने हरब ने मा फ़िस्सफ़िफ़ल मुक़हम लकानत कुरअह की बजाय मा फ़िस्सफ़िफ़ल अठवल मा कानत इल्ला कुरअह कहा। मानी एक ही है।

(इब्ने माजह : 998)

الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ " تَقَدَّمُوا فَاتَّبِعُوا بِي وَلِيَأْتَكُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ " .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً " . وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ " الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَ إِلَّا قُرْعَةً " .

(985) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मर्दों की बेहतरीन सफ़ पहली है और बदतरीन आख़िरी है और औरतों की बेहतरीन सफ़ आख़िरी है और बदतरीन सफ़ पहली है।'

(नसाई : 1/819)

(986) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं। (तिर्मिज़ी : 224, इब्ने माजह : 1000)

फ़ायदा : इस हदीस का तअल्लुक उस जमाअत से है जो औरतों मर्दों के साथ पढ़ती हैं और उनकी नज़र मर्दों पर पड़ती है और उनकी तवज्जह मर्दों की हरकात व सकनात की तरफ़ मब्ज़ूल हो जाती है क्योंकि दरम्यान में पर्दा नहीं होता था।

बाब 29 : मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ने वाली औरतों को हुक्म है कि वो सज्दे से उस वक़्त तक अपना सर न उठायें, जब तक मर्द सर न उठा लें

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَاهَا " .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَزِيَّ - عَنْ سَهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

(987) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने मर्दों को बच्चों की तरह अपनी गर्दनो में अपनी चादरें तंग होने की बिना पर बान्धे हुए देखा। वो नबी (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे तो इस पर किसी शख्स ने कहा, ऐ औरतों की जमाअत! तुम मर्दों के उठने तक अपने सरों को (सज्दे से) न उठाना। (सहीह बुखारी : 362, 814, 1215, अबू दारूद : 630, नसाई : 2/71)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أَرْهَمَ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصُّبْيَانِ مِنْ ضَيْقِ الْأُزْرِ خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ .

फ़ायदा : इंसान के लिये सतरे औरत (छिपाने की जगह का छिपाना) ज़रूरी है। कपड़ों की तंगी की वजह से औरतों को मर्दों से पहले सज्दे से सर उठाने से मना कर दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि सज्दे में मर्द का सतर खुला हो और उस पर औरत की नज़र पड़ जाये।

बाब 30 : अगर फ़ितने का अन्देशा या ख़तरा न हो तो औरतें मसाजिद में जा सकती हैं लेकिन वो खुशबू लगाकर न निकलेंगी

باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
إِذَا لَمْ يَتَرْتَبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا
تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً

(988) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से मरफूअ रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद में (नमाज़ पढ़ने के लिये) जाने की इजाज़त माँगे तो वो उसे न रोके।'

(सहीह बुखारी : 5238, नसाई : 2/42)

(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे, 'अपनी औरतों को मसाजिद में जाने से न रोको, जब वो तुमसे उनमें जाने की इजाज़त तलब करें।' इस पर बिलाल बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह की क़सम! हम तो उनको ज़रूर रोकेंगे। तो अब्दुल्लाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और उसे सख़्त बुरा-भला कहा, इतना मैंने कभी किसी और को नहीं बुरा-भला कहते सुना और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान बताता हूँ और तू कहता है, अल्लाह की क़सम! हम उन्हें रोकेंगे।'

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، يَتَلَعُّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا اسْتَأْذَنْتَ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا " .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَكُمْ إِلَيْهَا " . قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبَرَكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ .

फ़ायदा : हज़रत बिलाल बिन अब्दुल्लाह ने फ़रमाने नबवी के मुकाबले में अपनी ज़ाती राय को पेश किया तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे सख़्त सरज़निश व तादीब की और बुरा-भला कहा। बल्कि कुछ रिवायात में आया है, मौत तक उससे बातचीत नहीं की। इससे साबित होता है जो इंसान हदीसे नबवी के मुकाबले में अपनी या किसी की राय और क़ियास पेश करे वो सरज़निश व तादीब का मुस्तहिक्क है अगरचे कितना ही बड़ा क्यों न हो।

(990) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की बान्दियों को अल्लाह की मसाजिद से न रोको।'

(991) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुम्हारी बीवियाँ तुमसे मसाजिद में (नमाज़ के लिये) जाने की इजाज़त माँगें तो उन्हें इजाज़त दे दो।'

(992) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रात को औरतों को मस्जिदों में जाने से न रोको।' तो उनके एक बेटे ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कहा, हम उनको जाने नहीं देंगे कि वो उसको ख़राबी और बिगाड़ का ज़रिया बना लें। रावी ने कहा, इब्ने उमर (रज़ि.) ने उसे ख़ूब डांटा और कहा, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान बताता हूँ और तू कहता है हम उन्हें जाने नहीं देंगे।

(सहीह बुखारी : 899, अबू दाऊद : 568, तिर्मिज़ी : 571)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي
وَابْنُ، إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا
تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ،
قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ،
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ " إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ
فَأَذِنُوا لَهُنَّ " .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَمْنَعُوا
النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " .
فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ
فَيَتَخَذْنَهُ دَغْلًا . قَالَ فَزَجَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ
أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَقُولُ لَا نَدْعُهُنَّ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) दग़ल : फ़साद, व बिगाड़, ख़यानत, धोखा। (2) ज़जरह : झिड़का, डांट पिलाई।

फ़ायदा : उस दौर में रात का वक़्त तारीकी और जुल्मत का मौक़ा व महल था, जिसमें ख़राबी और बिगाड़ का अन्देशा ज़्यादा होता है तो अगर रात को जाने की इजाज़त दी जायेगी तो दिन को तो बिल औला जाने की इजाज़त होगी।

(993) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(994) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरतों को रात को मस्जिदों की तरफ़ निकलने की इजाज़त दो।' तो उनके बेटे ने कहा, जिसको वाकिद कहा जाता है, तब वो इसको ख़यानत व फ़साद का ज़रिया बना लेंगी। राबी ने बताया ये सुनकर इब्ने उमर (रज़ि.) ने उसके सीने पर मारा और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान बता रहा हूँ और तू कहता है नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ، رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ائْتَدُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ " . فَقَالَ ابْنُ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَا يَتَّخِذُهُ دَغْلًا . قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أَحَدُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلٌ لَا .

फ़ायदा : इंकार का आगाज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के बेटे बिलाल ने किया और वाकिद ने उसकी ताईद की और दलील के तौर पर अपनी बात को पुख़्ता करने के लिये कहा, इस इजाज़त को वो ख़राबी और फ़साद का ज़रिया बना लेंगी।

(995) हज़रत बिलाल बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम औरतों को जब वो तुमसे इजाज़त तलब करें तो उनको मस्जिद के हिस्से से महरूम न करो।' तो बिलाल ने कहा, अल्लाह की क़सम! हम तो उनको ज़रूर रोकेंगे। तो अब्दुल्लाह बिन

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُطُوظَهُنَّ مِنْ

उमर (रज़ि.) ने उसे कहा, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान बयान कर रहा हूँ और तू कहता है हम ज़रूर रोकेंगे।

الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ " فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَنْتَعِمَنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَنْتَعِمَنَّ .

(996) हज़रत ज़ैनब सक्कफ़िय्या (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को इशा की नमाज़ के लिये (मस्जिद) जाना हो तो वो उस रात ख़ुशबू न लगाये।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْنَبَ التُّخَيْفِيَّةَ، كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيِّبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " .

(नसाई : 8/154-155)

(997) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, 'तुम में से जिनको मस्जिद जाना हो वो ख़ुशबू इस्तेमाल न करे।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا " .

(998) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस औरत ने ख़ुशबू लगाई हो वो हमारे साथ इशा की नमाज़ में शरीक न हो।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ " .

(अबू दाऊद : 4175, नसाई : 8/154)

फ़ायदा : औरत चिरागे ख़ाना है, शम्अे महफ़िल नहीं है। इसलिये वो इजाज़त के बग़ैर अपने घर से नहीं निकल सकती और उसको मस्जिद में भी जाना हो तो इजाज़त से जायेगी और कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जिससे महक फूटती हो, लेकिन अफ़सोस का मक़ाम है कि आज औरत

ख़ूब मेकअप करके या ब्यूटीपार्लरों से करवा के हर जगह बेपर्दा हो कर आ जा रही है और उसको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है लेकिन मसाजिद से रोकने वाले मौजूद हैं।

(999) नबी (ﷺ) की बीवी आइशा (रज़ि.) फ़रमाती थीं, आज औरतों ने जो नये अन्दाज़ (बनाव-श्रृंगार के लिये) निकाल लिये हैं, अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) इन्हें देख लेते तो इन्हें मस्जिद में आने से रोक देते। जैसाकि बनू इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। तो मैंने अम्रह से पूछा, क्या बनू इस्राईल की औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया था? उसने कहा, हाँ!

(सहीह बुखारी : 869, अबू दाऊद : 569)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَغْنِي ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أُحْدِثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنْسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنَعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ .

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने औरतों के चाल-चलन, उनके ज़ैबो-जीनत और बनाव-सिंघार को देख कर फ़रमाया था, अगर नबी (ﷺ) औरतों की इस हालत को देख लेते तो औरतों को मस्जिदों में हाज़िर होने से रोक देते। ये बात ख़ैरुल कुरून के दौर की है। अगर आज के हालात आइशा (रज़ि.) देख लेतीं तो उन पर क्या गुज़रती। अगर ऐसी सूते हाल में मस्जिदों में जाना दुस्त नहीं है तो क्या क्लबों, शॉपिंग सेंट्रों, हवाईजहाज़ों, टेनों, मख़लूत तालीम की क्लासों, होटलों, बैंकों, अस्पतालों, ऑफिसों और तफ़रीहगार्हों में जाना जाइज़ होगा? लेकिन अफ़सोस हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये क़ौल सिर्फ़ मस्जिदों में हाज़िरी के वक़्त याद आता है और किसी जगह इसको याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। जबकि असल सूते हाल ये है कि अगरचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये हालात नहीं देखे लेकिन अल्लाह तआला जो अल्लामुल गुयूब है उसको तो इन हालात का पता था, उसने अपने रसूल को क्यों ये हुक़म न दिया कि इस किस्म के हालात पैदा हो जायेंगे, इसलिये तुम औरतों को मस्जिदों से रोक दो।

इसके अलावा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ख़ुद भी नहीं रोका। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये ज़माना न पाया और न मना फ़रमाया और शरीअत के अहकाम किसी की राय और क्रियास से नहीं बदल सकते। इसलिये औरतों को मस्जिदों से रोकने की बजाय, दूसरी फ़साद की जगहों से रोका जाये और मस्जिदों में आने के लिये शरई आदाब की तल्कीन की जाये। इसके अलावा बनाव-सिंघार और मेकअप, सब औरतें तो नहीं करतीं, सबको क्यों रोका जाता है और इस्राईली औरतों को शरीअत के ज़रिये रोका गया था न कि किसी शख़्स की राय और क्रियास से। नीज़ इस हदीस से साबित हुआ हज़रत आइशा (रज़ि.) आपको आलिमुल ग़ैब नहीं समझती थीं, वरना ये न फ़रमातीं, अगर देख लेते।

(1000) हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने अब्दुल वहहाब (सक्रफ़ी) से नीज़ हमें अमर नाक्रिद ने सुफ़ियान बिन उययना से नीज़ हमें अबू बकर बिन शैबा ने अबू ख़ालिद अहमर से नीज़ हमें इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने ईसा बिन यूनुस से और उन सबने यहया बिन सईद की इसी सनद से यही हदीस सुनाई।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
بِعْنِي الثَّقَفِيُّ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ح
قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

बाब 31 : जहरी नमाज़ों में जब बुलंद
क्रिरअत से फ़साद का अन्देशा हो
तो क्रिरअत जहरन और आहिस्ता के
दरम्यान यानी दरम्यानी आवाज़
से की जायेगी

باب التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي
الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ
وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ
مَفْسَدَةً

(1001) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से अल्लाह तआला के फ़रमान, ला तज़हर बिसलातिक वला तुखाफ़ित बिहा (सूरह बनी इस्राईल : 110) के बारे में रिवायत है कि ये आयत उस वक़्त उतरी जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में छिपकर इबादत करते थे। जब आप अपने साथियों को जमाअत कराते तो क्रिरअत बुलंद आवाज़ से करते थे। मुश्रिक जब ये क्रिरअत सुनते तो कुरआन को, कुरआन मजीद नाज़िल करने वाले को और उसको लाने वाले को बुरा-भला कहते। इस पर अल्लाह तआला ने अपने नबी को हिदायत की कि अपनी नमाज़ में क्रिरअत को

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو
النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، - أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ
وَجَلَّ { وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا }
قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ
رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ
الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أُنزِلَهُ وَمَنْ جَاءَ

न इस क़द्र बुलंद करो कि आपकी क़िरअत मुश्रिकों को सुनाई दे और न इतना आहिस्ता पढ़ें कि आपके साथी भी न सुन सकें। उन्हें क़िरअत सुनाओ लेकिन इस क़द्र बुलंद न करो (कि मुश्रिक सुनें) और उनके दरम्यान की राह इख़्तियार करो। मक़सद ये है कि बुलंद और आहिस्ता के दरम्यान रहो।

(सहीह बुखारी : 4722, 7490, 7725, 7547, तिमिज़ी : 3145, 3146, नसाई : 2/178, 1/320)

(1002) हज़रत आइशा (रज़ि.) से अल्लाह तआला के फ़रमान, 'न अपनी क़िरअत को बुलंद कर और न आहिस्ता' के बारे में रिवायत है कि ये आयत दुआ के बारे में उतरी है।

फ़ायदा : नमाज़ में क़िरअत और दुआ, नमाज़ में हो या नमाज़ से बाहर उनको मौक़ा और महल के मुताबिक़ बुलंद किया जायेगा। जहरी नमाज़ों में क़िरअत और दुआए कुनूत बुलंद आवाज़ से होगी। ताकि मुक्तदियों तक आवाज़ पहुँच सके। इसी तरह ज़रूरत के मौक़े पर इज्तिमाई दुआ में इमाम आवाज़ कुछ न कुछ बुलंद करेगा। लेकिन कहीं भी ऐतदाल व तवस्सुत (दरम्याना पन) को नज़र अन्दाज़ नहीं करेगा।

(1003) इमाम साहब अपने और उस्तादों से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ } فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ { وَلَا تُخَافِتْ بِهَا } عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعَهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا } قَالَتْ أَنْزَلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكَيْعٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

बाब 32 : किरअत को बगौर सुनना

(1004) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से अल्लाह तआला के फ़रमान, 'ला तुहरिक बिही लिसानक' (सूरह क्रियामह 16) के बारे में रिवायत है कि जब जिब्रईल (अलै.) नबी (ﷺ) के पास व्ह्य लेकर आते तो आप अपनी ज़बान और होंटों को हिलया करते थे और आप पर ये बहुत सख़्त गुज़रता और ये आप के चेहरे से मालूम हो जाता। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयतें उतारीं, 'आप इसको जल्दी-जल्दी लेने के लिये अपनी ज़बान को न हिलायें, बेशक इसका जमा कर देना और इसका पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है।' यानी कुरआन आपके सीने में जमा कर देना और इसको पढ़वाना कि आप पढ़ सकें हमारे ज़िम्मे हैं। पस जब हम इसको पढ़ें तो आप उसके पीछे पढ़ें। यानी जब हम इसको नाज़िल करें तो आप इसको गौर से सुनें फिर उसका बयान कर देना भी हमारे ज़िम्मे है। यानी ये भी हमारे ज़िम्मे है कि हम उसे आपकी ज़बान से (लोगों के सामने) बयान करा दें। इसलिये जब जिब्रईल (अलै.) व्ह्य लेकर आते तो आप गर्दन झुका कर बैठ जाते और जब वो चले जाते तो आप अल्लाह के वादे के मुताबिक़ पढ़ना शुरू कर देते।

(सहीह बुखारी : 4,5,4927, 4928, 4929, 5044, 7524, तिर्मिज़ी : 3329)

باب الاستماع للقراءة

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، - عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ } قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَسْتَنْدُ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ } أَخَذَهُ { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ . وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَأُهُ { فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ { إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ .

(1005) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की अल्लाह के फ़रमान, 'इसको जल्दी-जल्दी लेने के लिये अपनी ज़बान न हिलायें' के बारे में रिवायत है कि नबी (ﷺ) व्ह्य के नुज़ूल से बहुत मशक्कत बर्दाश्त करते थे। आप (व्ह्य के लेने के लिये) अपने होंट हिलाते थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने मुझे कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह होंट हिलाकर दिखाता हूँ और सईद ने अपने शागिर्द को कहा, मैं अपने होंटों को इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तरह तुम्हें हिलाकर दिखाता हूँ। फिर अपने होंट हिलाये। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'इसको जल्दी-जल्दी लेने के लिये अपनी ज़बान न हिलायें, बेशक इसको जमा कर देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है।' यानी इसको आपके सीने में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है।' फिर जब हम इसको (जिब्रईल की ज़बान से) पढ़ें तो आप इसको उसके पीछे पढ़ें' यानी उसको गौर से सुनें और ख़ामोश रहें। फिर उसको आपको पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। (उसके बाद) जब आपके पास जिब्रईल (अलै.) व्ह्य लेकर आते आप गौर से सुनते और जब जिब्रईल (अलै.) चले जाते तो आप उसकी क़िरात के मुताबिक़ पढ़ते।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मिम्मा युहरिक़ बिही : मिम्मा क़सीरुम्मा, बहुत के मानी में है या ये मक़सद है कि ज़बान को हरकत देना, आपका मामूल और आदत बन गया था। (2) युअरफ़ु ज़ालिक़ मिन्हु : व्ह्य की शिद्दत के आस़ार आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाते थे और आपकी

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،
عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ { لَا تُحْرِكْ
بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ } قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ
يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ - فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا
أُحْرِكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُهُمَا . فَقَالَ سَعِيدُ أَنَا
أُحْرِكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحْرِكُهُمَا .
فَحْرَكَ شَفْتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { لَا
تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا
جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } قَالَ جَمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ
تَقْرَأُهُ { فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } قَالَ فَاسْتَمِعَ
وَأَنْصَتَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ
جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأَهُ .

मशक़क़त महसूस हो जाती थी। (3) युआलिजु मिनत्त-ज़ीलि शिहतन : वह्य के नुज़ूल से आपको सख़्ती झेलनी पड़ती और आप उसकी मशक़क़त बर्दाश्त करते। (4) इस्तमिअ व अन्सित : कान लगाओ ग़ौर से सुनो और सुकूत (ख़ामोशी) इख़ितयार करो।

फ़ायदा : जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) को कुरआन मजीद सुनने की हिदायत व तल्कीन फ़रमाई गई है, उसी तरह आपकी उम्मत को भी यही तल्कीन की गई है कि वो कुरआन मजीद को बग़ौर सुने। इसलिये क़िरअते कुरआन की मजालिस में पूरी थकसूई से दिल लगाकर कुरआन मजीद सुनना चाहिये और जहाँ लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हों और क़िरअत की तरफ़ तवज्जह न कर सकते हों, वहाँ स्पीकर लगाकर बुलंद आवाज़ से क़िरअत करने से बचना चाहिये।

बाब 33 : सुबह की नमाज़ में बुलंद आवाज़ से क़िरअत करना और जित्नों को कुरआन सुनाना

**باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ
وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنِّ**

(1006) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने न जित्नों को कुरआन सुनाया और न उनको देखा (असल वाक़िया ये है) कि एक मर्तबा अपने कुछ साथियों के साथ इकाज़ के बाज़ार की तरफ़ गये। उन दिनों आसमानी ख़बर और शैतानों के दरम्यान रुकावट पैदा हो चुकी थी (शैतान आसमानी ख़बरें नहीं सुन सकते थे) और उन पर अंगारे (शिहाबुन स़ाक़िब) फेंके जाने लगे थे। तो शयातीन अपनी क़ौम के पास वापस आये। उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, हमें आसमान की ख़बर लेने से रोक दिया गया है और हम पर अंगारे फेंके जाते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे और आसमानी ख़बर के दरम्यान कोई नई चीज़ हाइल हुई है। इसलिये

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،
عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَأَوْهُمْ
انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ غَامِدِينَ إِلَى سُوقِ
عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ
السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ
الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا
حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ

तुम ज़मीन के मश्किक और मरिब में फैल जाओ और देखो ये हमारे और आसमानी खबर के दरम्यान हाइल होने वाली चीज़ क्या है? (किस सबब और वजह से हमें आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया है) इस पर वो निकलकर ज़मीन के मश्किक और मरिब में फैल गये। तो जिस गिरोह ने तिहामा का रुख किया था वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुजरे और आप नख़ल नामी जगह में उकाज़ के बाज़ार की तरफ़ जाते हुए अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो जब जिन्नो ने कुरआन सुना, उस पर कान लगा दिये और कहने लगे, यही वो चीज़ है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरम्यान हाइल हो चुकी है। उसके बाद वो अपनी क़ौम के पास वापस आ गये और कहने लगे, ऐ हमारी क़ौम! हमने हैरत अंगेज़ कुरआन सुना है, जो सीधी राह की तरफ़ रहनुमाई करता है। इसलिये हम उस पर ईमान ले आये हैं और हम अपने रब के साथ हर्गिज़ किसी को शरीक नहीं ठहराते। उस वक़्त अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद (ﷺ) पर ये आयत उतारी, 'फ़रमा दीजिये! मुझ पर वह्य उतारी गई है, वाक़िया ये है कि जिन्नो की एक जमाअत ने कुरआन सुना।' (सूरह जिन्न 4) (सहीह बुख़ारी : 773, 492, तिर्मिज़ी : 3323)

तम्बीह : मुस्लिम की हदीस में जगह का नाम नख़ल आया है और बुख़ारी में नख़ला और सहीह नख़ला ही है और सूके उकाज़ (उकाज़ बाज़ार), नख़ला और ताइफ़ के दरम्यान था। जो ज़िलक़अदा के आगाज़ में बीस दिन तक एक मैले की सूत में लगता था।

عَلَيْنَا الشُّهُبُ . قَالُوا مَا ذَلِكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ فَاصْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَيَبِينُ خَبَرَ السَّمَاءِ . فَانْطَلَقُوا يَصْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ الثَّقَفُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ - وَهُوَ بِنَحْلِ - عَامِدِينَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَيَبِينُ خَبَرَ السَّمَاءِ . فَارْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ } .

(1007) हजरत आमिर (रह.) से रिवायत है कि मैंने अल्क्रमा से पूछा, क्या लैलतुल जिन्न (जिन्नों से मुलाकात की रात) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे? तो अल्क्रमा ने जवाब दिया, मैंने खुद इब्ने मसऊद (रज़ि.) से पूछा कि क्या तुममें से कोई एक लैलतुल जिन्न रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हाज़िर था? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन एक रात हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे तो आप हम से गुम हो गये। तो हमने आपको पहाड़ी वादियों और दरों (घाटियों) में तलाश किया। (आप न मिले) तो हम ने समझा कि आपको जिन्न उड़ा ले गये हैं या आपको चुपके से पोशीदा तौर पर क़त्ल कर दिया गया है। तो हमने इन्तिहाई परेशानी के साथ बदतरिन रात गुज़ारी। जो कोई क़ौम बेचैनी के साथ गुज़ारती है। जब सुबह हुई तो हमने अचानक देखा कि आप ग़ारे हिरा की तरफ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आपको गुम पाया तो तलाश शुरू कर दी, लेकिन आप न मिले तो हमने रात इन्तिहाई बेचैनी और परेशानी के साथ गुज़ारी है। जो कोई क़ौम सख़्त कर्ब के साथ गुज़ारती है। इस पर आपने फ़रमाया, 'मेरे पास जिन्नों की तरफ़ से दावत देने वाला आया। तो मैं उसके साथ चला गया और मैंने उनको कुरआन सुनाया।' और आप हमें लेकर गये और हमें उनके क़दमों के निशान और उनकी आग के निशानात

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُودِيَةِ وَالشُّعَابِ فَقُلْنَا اسْتَطِيرَ أَوْ اغْتَبِيلَ - قَالَ - فَبَشَّرْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءِ - قَالَ - فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبَشَّرْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ . فَقَالَ " أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ " . قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَأَتَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الرَّادَ فَقَالَ " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ

दिखाये। जिन्नो ने आपसे ज़ाद (ख़ूराक) की दरख्वास्त की तो आपने फ़रमाया, 'हर वो जानवर जिसको अल्लाह के नाम से जिब्ह किया गया होगा उसकी जो हड्डी तुम्हें मिलेगी उस पर वाफ़िर गोश्त होगा और ऊँट की हर मींगनी तुम्हारे जानवरों का चारह यानी ख़ूराक होगी।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन दोनों चीज़ों से इस्तिन्जा न करना क्योंकि ये दोनों तुम्हारे भाइयों का खाना हैं।'

(अबू दाऊद : 85, तिर्मिज़ी : 3258)

(1008) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत एक और सनद से बयान की और कहा, शअबी ने बताया, जिन्नो ने आपसे ख़ूराक का सवाल किया और वो जज़ीरह के इलाक़े के थे। आगे हदीस के आख़िर तक शअबी का क़ौल है। जो अब्दुल्लाह (रज़ि.) की हदीस से अलग है।

(1009) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला रिवायत एक और सनद से हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरफूअन आसार नीरानिहिम तक नक़ल की और बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया।

(1010) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं लैलतुल जिन्न रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ न था और मेरी ख़्वाहिश है, ऐ काश! मैं आपके साथ होता।

(सहीह बुख़ारी : 3859)

أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلَّ بَعْرَةَ عَلَفَتْ
لِدَوَابِّكُمْ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا
طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ " .

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
إِلَى قَوْلِهِ وَأَتَارَ نِيرَانِهِمْ . قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ
الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جَنِّ الْجَزِيرَةِ . إِلَى آخِرِ
الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفْصَلًا مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى
قَوْلِهِ وَأَتَارَ نِيرَانِهِمْ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مَعَشَرَ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجَنِّ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ .

(1011) मअन से रिवायत है कि मैंने अपने बाप से सुना कि मसरूक़ से पूछा, जिस तरह जिन्नों ने कुरआन कान लगाकर सुना, उसकी इत्तिलाअ नबी (ﷺ) को किसने दी? उसने बताया कि मुझे तुम्हारे बाप (इब्ने मसरूद) ने बताया कि आपको जिन्नों (के सुनने) की इत्तिलाअ दरख्त ने दी थी।

(सहीह बुखारी : 759, 762, 776, 778, 779, अबू दाऊद : 798, 799, 800, नसाई : 2/164, 974, 975, 829)

तम्बीह : अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिन्नों को न कुरआन सुनाया और न देखा। ये तो इब्तिदाई दौर का वाक़िया है, जिसमें जिन्न खुद आकर कुरआन सुन कर चले गये और अपनी क्रौम को जा कर सूरते हाल से आगाह किया और अपने ईमान व अक़ीदे का भी इज़हार किया। जिसकी इत्तिलाअ आपको वह्य के ज़रिये दी गई और अब्दुल्लाह बिन मसरूद (रज़ि.) की हदीस का वाक़िया बाद का है। जब इस्लाम फैल गया था और जिन्न खुद आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कुरआन सुनने की ख़्वाहिश का इज़हार किया और आप साथियों को बताये बग़ैर चले गये। जिसकी वजह से सहाबा किराम (रज़ि.) सरख्त बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हो गये और लैलतुल जिन्न कुरआन के इस्तिमाअ की ख़बर दरख्त ने भी दे दी। जिससे साबित होता है कि अल्लाह तआला कभी नबातात को भी कुव्वते तमीज़ इनायत फ़रमाता है और उनको कुव्वते गोयाई देता है जिसको अल्लाह तआला जैसे चाहे समझा देता है और वो नबातात व जमादात की बात को समझ लेता है।

बाब 34 : जुहर और असर में क़िरअत

(1012) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ाते तो जुहर और असर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और हर रकअत में कोई एक सूरत पढ़ते और कभी-कभी हमें भी कोई आयत सुना देते और जुहर की पहली

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ أَدْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ لَيْلَةً اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ أَدْنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ .

باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - يَعْنِي الصَّوَّافَ - عَزَّ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

रकअत लम्बी करते और दूसरी रकअत छोटी करते और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते।

(1013) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा की अपने बाप से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुहर और असर की पहली दो रकअतों में हर रकअत में फ़ातिहा और एक सूरा पढ़ते थे और कभी-कभार बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे कि हम भी सुन लेते थे और आखिरी दो रकअतों में सूरा फ़ातिहा पढ़ा करते थे।

(अबू दाऊद : 804, नसाई : 1/237)

(1014) अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हम जुहर और असर में रसूलुल्लाह (ﷺ) के क्रियाम का अन्दाज़ा लगाते थे तो हमने जुहर की पहली दो रकअतों में क्रियाम का अन्दाज़ा अलिफ़-लाम्-मीम तन्ज़ील अस्सजदा की क़िरअत के बक़दर लगाया और उसकी आखिरी दो रकअतों के क्रियाम का अन्दाज़ा इससे आधा के बक़दर किया और हमने असर की पहली दो रकअतों के क्रियाम का अन्दाज़ा लगाया कि वो जुहर की आखिरी दो रकअतों के बराबर था और असर की आखिरी दो रकअतों का क्रियाम उससे आधा था। अबू बक़र ने अपनी रिवायत में अलिफ़-लाम्-मीम तन्ज़ील का नाम नहीं

وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَنُسَمِعُنَا الْآيَةَ أحيانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيَقْصُرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَنُسَمِعُنَا الْآيَةَ أحيانًا وَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصُّدَيْقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نَحْزَرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَثَلِ تَرْبِيلِ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ النُّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

लिया और कहा, तीस आयतों के बक्रद।

عَلَى التَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي
رَوَايَتِهِ الْم تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدَّرَ ثَلَاثِينَ آيَةً .

मुफ़रदातुल हदीस : नहरिज़ु : अन्दाज़ा या तख्मीना लगाते थे।

फ़वाइद : (1) क्रियाम और रकूअ व सुजूद की तरह कुरआन मजीद की क़िरअत भी नमाज़ का एक बुनियादी रुकन है और उसका क्रियाम का मौक़ा व महल है। क़िरअत की तर्तीब ये है कि तकबीरे तहरीमा के बाद अल्लाह तआला की हम्दो-सना और तस्बीह व तक्रदीस के ज़रिये अपनी अबदियत और बन्दगी का ऐतराफ़ व इज़हार किया जाता है। उसके बाद कुरआन मजीद की सबसे पहली सूरत जो पूरे कुरआन का खुलासा और निचोड़ है यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। जिसमें अल्लाह तआला की हम्द के साथ उसकी सिफ़ात का इन्तिहाई जामेअ और मुअस्सिर बयान भी है और हर क़िस्म के शिर्क की नफ़ी के साथ उसकी तौहीद का इस्बात और इकरार भी और अपनी अबदियत व मोहताजगी के इज़हार के साथ, उससे सिराते मुस्तक़ीम का सवाल भी और उस राह से हटने और भटकने वालों के अन्जाम से पनाह भी और अपनी इस जामिइयत और ख़ास अज़मत व अहमियत की बिना पर उसका हर रकअत में पढ़ना ज़रूरी है और इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती। इसके बाद नमाज़ी को इजाज़त है कि वो कुरआन मजीद की कोई भी बड़ी या छोटी सूरत या किसी सूरत का कोई भी हिस्सा पढ़ सकता है। (2) नबी (ﷺ) की आदते मुबारका ये थी कि पहली रकअतों में क़िरअत लम्बी करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी नमाज़ में शरीक हो सकें और आख़िरी रकअतों में क़िरअत हल्की या कम फ़रमाते थे। आख़िरी रकअतों में आपने कई बार सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पर भी इक्तिफ़ा फ़रमाया है और सूरह फ़ातिहा के साथ और क़िरअत भी फ़रमाई है। जैसाकि अबू सईद खुदरी (रज़ि.) की हदीस से साबित होता है और आपने ये बताने के लिये कि दिन की नमाज़ों में भी क़िरअत है कई बार किसी आयत को बुलंद आवाज़ से भी पढ़ा है। (3) हर रकअत में मुस्तक़िल सूरत पढ़ना बेहतर है। इससे बेहतर है कि किसी लम्बी सूरत में से कोई रकूअ पढ़ा जाये और आख़िरी रकअतों में फ़ातिहा पढ़ना लाज़िम है और किसी सूरत को मिलाना बेहतर है, मगर ये लाज़िम नहीं है।

(1015) अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुहर की नमाज़ में पहली दो रकअतों में से हर रकअत में तीस आयतों के बक्रद क़िरअत फ़रमाते थे और आख़िरी दो में पन्द्रह आयतों के बक्रद या ये कहा कि पहली दो से आधी और असर की

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي
الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي
صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ

पहली दो रकअतों में हर रकअत में पन्द्रह आयतों के बराबर और आखिरी दो में उससे आधी।

(सहीह बुखारी : 75, 758, 770, अबू दाऊद : 803, नसाई : 1001, 1002)

رَكْعَةٍ قَدَرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدَرِ
خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفِ ذَلِكَ وَفِي
الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
قَدَرِ قِرَاءَةِ خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدَرِ
نِصْفِ ذَلِكَ .

फ़ायदा : जुहर की क़िरअत फ़ज्र की क़िरअत की तरह लम्बी है और अ़सर की क़िरअत जुहर से कम है और जिन हदीसों में आया है कि आप जुहर की पहली रकअत और फ़ज्र की पहली रकअत लम्बी करते थे उसकी वजह ये है कि पहली रकअत में क़िरअत से पहले हुआ इस्तिफ़्ताह है इस वजह से वो लम्बी हो जाती है अगरचे क़िरअत दोनों में बराबर है।

(1016) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि कूफ़ा वालों ने हज़रत उमर (रज़ि.) से सअद की शिकायत की और उनकी नमाज़ पर ऐतराज़ किया। हज़रत उमर ने उन्हें बुलवाया तो वो आये। हज़रत उमर ने कूफ़ा वालों का जिन्होंने नमाज़ की शिकायत की थी, उसका तज़्किरा किया। तो उन्होंने (सअद) ने कहा, मैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाता हूँ। मैं उसमें कमी नहीं करता। मैं उन्हें पहली दो रकअतें लम्बी पढ़ाता हूँ और आखिरी दो में कमी करता हूँ। इस पर उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ अबू इस्हाक़! तुमसे यही उम्मीद थी (तुम्हारे बारे में यही गुमान था)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ
أَهْلَ الْكُوفَةِ، شَكَّوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ
فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ
الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنِّي لِأُضِلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَمَ عَنْهَا إِنِّي
لَأُرْكَدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُحْذِفُ فِي
الْأُخْرَيْنِ . فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أبا إِسْحَاقَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ज़करू मिन सलातिही : उनकी नमाज़ की शिकायत की, उस पर ऐतराज़ किया या उसमें ऐब निकाला। (2) मा अख़िरमु : ख़रम शिगाफ़ डालने या सूराख़ निकालने को कहते हैं। मुराद है मैं कमी नहीं करता। (3) अरकुदु : रूक़द, उठरने और रुकने को कहते हैं। मुराद

है पहली दो रकअतें लम्बी करता हूँ। (4) अहज़िफु : हल्की करता हूँ और उनमें क़िरअत कम करता हूँ। अबू इस्हाक़ हज़रत सअद (रज़ि.) की कुत्रियत है।

(1017) इमाम साहब मज़कूरा बाला रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ .

(1018) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद (रज़ि.) से कहा कि लोगों ने तेरी हर चीज़ यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ाने की भी शिकायत की है। हज़रत सअद (रज़ि.) ने कहा, रहा मैं तो मैं पहली दो रकअतों में क़ियाम लम्बा करता हूँ और आख़िरी दो रकअतों में थोड़ा क़ियाम करता हूँ और जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ी थी। उसमें कोताही नहीं करता। तो उमर (रज़ि.) ने कहा, आपके बारे में यही गुमान था या आपके बारे में मेरा ज़न्न यही था।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ
شَكَوَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ . قَالَ
أَمَا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأَوَّلِينَ وَأُخَذِفُ فِي
الْآخِرِينَ وَمَا أَلَوْ مَا افْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ ذَلِكَ
الظَّنُّ بِكَ . أَوْ ذَلِكَ ظَنِّي بِكَ .

मुफ़रदातुल हदीस : मा आलू : मैं कमी या कोताही नहीं करता। अला अल्वाअ उलुव्वन कमी या कोताही करना।

(1019) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) की मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें इतना इज़ाफ़ा है कि सअद (रज़ि.) ने कहा, ये बदवी मुझे नमाज़ सिखाते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ، عَنْ
مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي، عَوْنٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ
تَعَلَّمَنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ

(नसाई : 972, 21/164, इब्ने माजह : 825)

(1020) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि जुहर की नमाज़ खड़ी की जाती

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي

तो कोई जाने वाला बक़ीअ जाता और अपनी ज़रूरत से फ़ारिग होकर वुजू करता। फिर मस्जिद में आता और रसूलुल्लाह (ﷺ) पहली रकअत के क़ियाम के तवील होने की बिना पर अभी पहली रकअत में ही होते।

(1021) हज़रत क़ज़आ बयान करते हैं कि मैं अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनके पास (इस्तिफ़ादे के लिये) बहुत से लोग मौजूद थे। तो जब लोग मुन्तशिर हो गये (चले गये) मैंने अर्ज़ किया, मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करूँगा जिनके बारे में ये लोग आपसे सवाल कर रहे थे। मैंने कहा, मैं आपसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा, इस सवाल में तेरे लिये बेहतरी या भलाई नहीं है (क्योंकि तुम ऐसी नमाज़ हमेशा पढ़ नहीं सकोगे) उसने दोबारा यही सवाल किया तो उन्होंने कहा, जुहर की नमाज़ खड़ी की जाती और हममें से कोई बक़ीअ की तरफ़ जाता और अपनी ज़रूरत पूरी करता। फिर अपने घर आकर वुजू करता, फिर वापस मस्जिद में आता और रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी पहली रकअत ही में होते।

(सहीह बुखारी : 774, अबू दाऊद : 649, नसाई : 2/186, इब्ने माजह : 820)

फ़ायदा : बक़ीअ का फ़ासला आपके दौर में आपकी मस्जिद से तकरबीन एक एकड़ था।

ابن مُسْلِمٍ - عَنْ سَعِيدٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -
- عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قُرْعَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ
تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَيْعِ فَيَقْضِي
حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوُّهَا .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ،
قَالَ حَدَّثَنِي قُرْعَةُ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مَكْتُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ
عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ
عَنْهُ - قُلْتُ - أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَلِكَ
مِنْ خَيْرٍ . فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلَاةُ
الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَيْعِ فَيَقْضِي
حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى .

बाब 35 : सुबह की नमाज़ में क़िरअत

(1022) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मक्का में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और सूरह मोमिनून की क़िरअत शुरू कर दी। जब मूसा और हासून (अलै.) का ज़िक्र आया या ईसा (अलै.) का (मुहम्मद बिन अब्बाद को शक है या रावियों का इसमें इख़ितलाफ़ है) रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ाँसी आने लगी। तो आप रुकूअ में चले गये। अब्दुल्लाह बिन साइब (रज़ि.) भी उस वक़्त मौजूद थे। अब्दुरज़्जाक़ की रिवायत में है, आपने क़िरअत बंद कर दी और रुकूअ में चले गये और उसकी हदीस में रावी का नाम अब्दुल्लाह बिन अम्र है। आगे इब्ने आस नहीं है।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि ज़रूरत के तहत क़िरअत को दरम्यान में बंद करना जाइज़ है और सूरत की तक्मील ज़रूरी नहीं है। बक़ौल इमाम नववी बिला ज़रूरत सूरत को मुकम्मल न करना जुम्हूर के नज़दीक़ जाइज़ है। लेकिन ख़िलाफ़े औला है यानी बेहतर यही है कि मुकम्मल सूरत पढ़ी जाये। इमाम मालिक का मशहूर क़ौल ये है कि दरम्यान में क़िरअत मौक़ूफ़ कर देना मक्रूह है।

तम्बीह : इस रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अम्र को इब्ने आस क़रार देना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये अब्दुल्लाह बिन अम्र हिजाज़ी है और मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस और हैं।

(1023) मुझे जुहैर बिन हरब ने यहया बिन सईद से नीज़ हमें अबू बकर बिन अबी शैबा ने

باب القراءة في الصبح

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُهَيْبَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيْبِ الْعَلْبَدِيُّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشْكُ أَوْ اِخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيُّ ﷺ سَعْلَهُ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ . وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ الْعَاصِ .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

वकीअ से नीज़ मुझे अबू कुरैब ने (अल्फ़ाज़ इसके हैं) इब्ने बिशर के वास्ते से मिस्र की वलीद बिन सरीअ से हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़ज्र की नमाज़ में वल्लैलि इज़ा अस्त्रैस (यानी सूरह तकवीर) पढ़ते हुए सुना। (तिर्मिज़ी : 306, नसाई : 2/157, इब्ने माज़ह : 816)

(1024) कुतबा बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जमाअत कराई। आपने क़ॉफ़ वल्कुरआनिल मजीद शुरू की। यहाँ तक कि आपने वन्नख़ल बासिक़ातिल्लहा पढ़ा तो मैं इस आयत को बार-बार पढ़ने लगा। लेकिन इसका मतलब व मानी नहीं समझ सका।

(1025) हज़रत कुतबा बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने फ़ज्र की नमाज़ में नबी (ﷺ) को वन्नख़ल बासिक़ातिल्लहा तलउन्-नज़ीद और खज़ूर के बुलंद व बाला दरख़्त जिनके ख़ोशे तह-ब-तह (घने) हैं पढ़ते सुना।

(1026) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने चाचा से रिवायत बयान करते हैं कि उसने नबी (ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी तो आपने पहली रकअत में वन्नख़ल बासिक़ातिल्-लहा तलउन्-नज़ीद पढ़ा और कुछ बार कहा, सूरह क़ॉफ़ पढ़ी।

سَعِيدٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَسَ }

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ { ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ } حَتَّى قَرَأَ { وَالنَّحْلَ بِاسِقَاتِ } قَالَ فَجَعَلْتُ أَرَدُّهَا وَلَا أُدْرِي مَا قَالَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَابْنُ، عُمَيْرٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ { وَالنَّحْلَ بِاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ }

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رُكْعَةٍ { وَالنَّحْلَ بِاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ } وَرَمَّا قَالَ { ق } .

(1027) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ में क़ॉफ़ वल्कुरआनिल मजीद पढ़ा करते थे और बाद में आपकी नमाज़ हल्की होती थी या उसके बावजूद आपकी नमाज़ हल्की थी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفًا .

फ़ायदा : व का-न सलातुहू बअदहू तख़फ़ीफ़ा इस जुम्ले के उलमा ने अलग-अलग मानी बयान किये हैं। (1) सूरह क़ॉफ़ पढ़ने के बावजूद आपकी नमाज़ हल्की थी, इसलिये आपने इस तख़फ़ीफ़ को बरकरार रखा और हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) अगली रिवायत में सूरह क़ॉफ़ की क़िरअत को तख़फ़ीफ़ करार दे रहे हैं। (2) फ़ज्र के बाद वाली नमाज़ें, यानी जुहर, असर, मरिब और इशा ये सब फ़ज्र की बनिस्बत हल्की होती थीं और इनमें बनिस्बत फ़ज्र के आप क़िरअत कम करते थे। (3) शुरूआती दौर में जब सहाबा किराम (रज़ि.) की तादाद कम थी और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले साबिकूनल अब्वलून थे जो ईमान व अमल में बुलंद तरिन दर्जे पर फ़ाइज़ थे। आपकी नमाज़ें उमूमन लम्बी होती थीं। बाद के दौर में जब आपके साथ नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई और वो ताजिर पेशा या ज़राअत पेशा लोग थे और उनमें ऐसे लोग भी थे जो ईमान व अमल में पहलों के मुकाबले में कमतर थे और नमाज़ियों की तादाद ज़्यादा होने की बिना पर उनमें मरीज़, कमज़ोर और बूढ़ों की तादाद भी बढ़ गई थी। तो आप पहले की बनिस्बत नमाज़ हल्की पढ़ने लगे। (4) आप पहली रकअत में हमेशा सूरह क़ॉफ़ पढ़ते थे। जैसाकि ज़ियाद बिन इलाक़ा ने अपने चाचा से बयान किया है और दूसरी रकअत में आप तख़फ़ीफ़ करते थे। आपकी आदते मुबारका यही थी कि पहली रकअत लम्बी पढ़ते थे।

(1028) हज़रत सिमाक (रह.) से रिवायत है कि मैंने जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से नबी (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आप हल्की नमाज़ पढ़ाते थे और इन लोगों की तरह लम्बी-लम्बी सूरातों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ में क़ॉफ़ वल्कुरआन और इस जैसी सूरातें पढ़ा करते थे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَوْلَاءِ . قَالَ وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ { ق وَالْقُرْآنِ } وَتَحْوَهَا .

फ़ायदा : हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) कई बार बड़ी-बड़ी सूरतें पढ़ दिया करते थे क्योंकि लोग इस पर राज़ी और मुतमइन थे। इसलिये जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) क़ॉफ़ की क़िरअत को तख़फ़ीफ़ ही क़रार दे रहे हैं।

(1029) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) नबी (ﷺ) की नमाज़ के बारे में बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जुहर की नमाज़ में वल्लैलि इज़ा यग़शा पढ़ते और अ़सर में भी ऐसी ही सूरत पढ़ते और फ़ज्र की नमाज़ में इससे लम्बी क़िरअत करते थे।

(1030) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुहर की नमाज़ में सब्बिहिस्म रब्बिकल अज़्ला पढ़ते और सुबह की नमाज़ में इससे लम्बी क़िरअत करते थे।
(नसाई, इब्ने माजह : 818)

(1031) हज़रत अबू बरज़ह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ में साठ से सौ आयत तक पढ़ा करते थे।

(1032) हज़रत अबू बरज़ह अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ में साठ से सौ आयतों तक पढ़ा करते थे।
(सहीह बुखारी : 763, 4429, अबू दाऊद : 810, तिरमिज़ी : 308, नसाई : 2/168, इब्ने माजह : 838)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً .

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) सौ आयतों तक कभी एक रकअत में पढ़ते और कभी दोनों में और कई बार आपने मौक़ा व महल की मुनासिबत से इससे कम क़िरअत भी की है और ज़्यादा भी।

बाब 36 : कुछ नुस्खों में यहाँ मग़्िब की नमाज़ में क़िरअत का इन्वान मौजूद है और होना चाहिये

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

(1033) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मुल फ़ज़ल (रज़ि.) ने मुझे वल्मुसलाति इरफ़ा पढ़ते हुए सुना तो कहने लगीं, ऐ बेटे! तूने ये सूरा पढ़कर आपकी क़िरअत याद दिला दी है। मैंने आख़िरी मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) से मग़्िब की नमाज़ में ये सूरा सुनी थी।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهِيَ يَقْرَأُ [وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا] فَقَالَتْ يَا بَنِي لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لِأَخْرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

(1034) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़क़ूर बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं। सालेह की हदीस में ये इज़ाफ़ा है, फिर आपने उसके बाद वफ़ात तक नमाज़ नहीं पढ़ाई।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

(सहीह बुख़ारी : 765, 3050, 12, 4023, 4845, अबू दाऊद : 811, नसाई : 6/169, इब्ने माजह : 832)

फ़ायदा : आपकी ये आख़िरी जमाअत आपकी इक़्तिदा में आपके घर अदा की गई है। मस्जिद की आख़िरी नमाज़ जुहर थी।

(1035) मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुत्इम (रह.) से वह अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मैंने मरिब की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) से सूरह तूर सुनी।

(1036) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुखारी : 767, 769, 4952, 7546, अबू दाऊद : 1221, तिर्मिज़ी : 310, नसाई : 2/273, इब्ने माजह : 834, 835)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

बाब 37 : इशा की नमाज़ में क़िरअत

(1037) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) सफ़र में थे। आपने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो उसकी एक रक़अत में वत्तीनि वज़ज़ैतून पढ़ी।

(1038) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, आपने वत्तीनि वज़ज़ैतून की क़िरअत की।

باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ (وَالتَّيْنِ وَالرَّثْوَنِ)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتَّيْنِ وَالرَّثْوَنِ .

(1039) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इशा की नमाज़ में वक्तीनि वज़्रैतून सुनी। मैंने किसी को आपसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ में पढ़ते नहीं सुना।

(अबू दाऊद : 600, 790, नसाई : 2/102)

(1040) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ (रज़ि.) नबी (ﷺ) के साथ (इशा) की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर आकर अपने क़बीले की मस्जिद में इमामत करवाते थे। एक रात उन्होंने इशा की नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पढ़ी। फिर अपनी क़ौम के पास आये और उनकी इमामत की और (सूरह फ़ातिहा के बाद) सूरह बक्रा पढ़नी शुरू कर दी। एक शख्स नमाज़ से सलाम फेरकर अलग हो गया। फिर अकेला नमाज़ पढ़कर चला गया। (उसके बिला जमाअत, अकेले नमाज़ पढ़ने की बिना पर) लोगों ने उससे पूछा, ऐ फ़लाँ! तू मुनाफ़िक़ हो गया है? उसने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम, नहीं! और मैं ज़रूर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपको इस मामले से आगाह कर दूँगा। चुनाँचे वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अज़्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा काम ऊँटों के ज़रिये पानी सींचना है। हम लोग दिन भर मेहनत-मशक्क़त (काम-काज) करते हैं (और गुज़िश्ता रात) मुआज़ (रज़ि.) ने इशा की नमाज़ आपके साथ पढ़ी। फिर (अपने क़बीले की मस्जिद

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتَّيْنِ وَالرَّيْثُونَ . فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَأَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَنحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَأَنصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَأَفَقْتَ يَا فُلَانٌ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا تَبِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاخْبِرْتَهُ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّا مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَأَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مُعَاذٍ فَقَالَ " يَا مُعَاذُ

में) आकर सूह बक्रा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ये सुनकर) हज़रत मुआज़ की तरफ़ रुख़ फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या लोगों को फ़िल्ने में मुब्तला करना चाहते हो? ये-ये सूत पढ़ा करो।' सुफ़ियान ने कहा, मैंने अम्र से पूछा, अबू जुबैर ने हमें जाबिर (रज़ि.) से सुनाया कि आपने फ़रमाया, वश्राम्सि व जुहाहा और वज़्जुहा और वल्लैलि इज़ा यग़शा और सब्बिहिस्म रब्बिकल् अज़्ला पढ़ा करो। अम्र ने कहा, ऐसे ही है।

(नसाई : 2/173, इब्ने माजह : 986)

मुफ़रदातुल हदीस : फ़त्नान : फ़िल्नापरवर, इब्तिला व आज़माइश में डालने वाला। यानी ये चीज़ लोगों के लिये नमाज़ से पीछे रहने का सबब बन सकती है। हालांकि जमाअत का एहतिमाम ज़रूरी है (सहाबा किराम ने अलग नमाज़ पढ़ने वाले को मुनाफ़िक्क कहा)।

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है कि नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज नमाज़ हो सकती है। क्योंकि बात वाज़ेह है कि हज़रत मुआज़ मस्जिदे नबवी में जहाँ नमाज़ पढ़ने का स़वाब दूसरी मस्जिदों से ज़्यादा है और आपकी इक़्तिदा में जहाँ नमाज़ पढ़ने में खुशूअ व खुजूअ और तमानियत व तस्कीन ज़्यादा है, फ़र्ज नमाज़ ही पढ़ते थे। क्योंकि पहले उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी हुई होती कि ये नमाज़ नफ़ली हो जाती। इसके अलावा रिवायात में ये तसरीह मौजूद है कि उनकी नमाज़ क़ौम के साथ नफ़ली होती थी। हिय लहू ततव्वअ वहिय लहुम फ़रीज़ह ये नमाज़ मुआज़ की नफ़ल और क़ौम की फ़र्ज होती थी। इसलिये अहनाफ़ और इमाम मालिक का ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है कि मुतनफ़िफ़ल के पीछे मुफ़र्रिज की नमाज़ नहीं होती (नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज नमाज़ नहीं होती)। (2) इमाम को चाहिये कि वो नमाज़ इतनी लम्बी न पढ़े जो मुक्त्तदियों के लिये मशक्क़त का बाइस हो। खास कर जबकि उसके मुक्त्तदी ज़ईफ़, बूढ़े और मेहनत पेशा लोग हों। (3) एक वाज़ेह और खुली बात की मुखालिफ़त करने वालों को सख़्त अल्फ़ाज़ में तम्बीह की जा सकती है। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़कर जाते थे इस तरह उन्हें आपकी क़िरअत का पता चलता रहता था। उसके बावजूद उन्होंने इसको नज़र अन्दाज़ किया और अपने पीछे मेहनत व मशक्क़त करने वाले नमाज़ियों का ख़याल न रखा। तो आपने सख़्त अल्फ़ाज़ में तम्बीह फ़रमाई।

أَفْتَانُ أَنْتَ أَقْرَأُ بِكَذَا وَأَقْرَأُ بِكَذَا " . قَالَ
سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ
جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ " أَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا .
وَالضُّحَى . وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . وَسَبَّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى " . فَقَالَ عَمْرٍو نَحْوَ هَذَا .

(1041) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल अन्सारी (रज़ि.) ने अपने लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाई और उसमें लम्बी किरअत की। हममें से एक आदमी ने सलाम फेरकर अलग नमाज़ पढ़ ली। मुआज़ को उसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, वो मुनाफ़िक़ है। जब उस आदमी तक ये बात पहुँची तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और मुआज़ की बात बताई। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज़ (रज़ि.) से फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या तुम आजमाइश में डालने वाला बनना चाहते हो? जब लोगों की इमामत कराओ तो वशशमिस व जुहाहा, सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला, इक्ररअ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ और वल्लैलि इज़ा यग़शा पढ़ा करो।' (इन आयतों से पूरी सूरा पढ़ने की तरफ़ इशारा किया गया है)।

(1042) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर अपनी क़ौम में आकर यही नमाज़ उनको पढ़ाते थे।

(सहीह बुख़ारी : 711)

(1043) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ा करते थे फिर अपनी क़ौम की मस्जिद में आकर उनको नमाज़ पढ़ाते थे।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي
الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ
فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأَخْبَرَ مُعَاذَ عَنْهُ
فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ
مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ إِذَا
أَمَمْتَ النَّاسَ فَأَقْرَأْ بِالسَّمْسِ وَضَحَاهَا .
وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى " .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ،
قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ

(सहीह बुखारी : 90, 702, 704, 6110, 7159,
इब्ने माजह : 984)

ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ .

**बाब 38 : इमामों को नमाज़ पूरी और
हल्की पढ़ाने का हुक्म**

(1044) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और अर्ज़ किया, मैं फ़लाँ आदमी की वजह से सुबह की नमाज़ से पीछे रहता हूँ। क्योंकि वो हमें बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाता है। अबू मसऊद बयान करते हैं, मैंने आपको पन्द व नसीहत करते वक़्त उस दिन से ज़्यादा ग़ज़बनाक कभी नहीं देखा। आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! तुममें से कुछ लोग लोगों को (दीन, नमाज़) से मुतनफ़्फ़िर करने वाले (फेरने वाले) हैं। तुममें से जो भी लोगों का इमाम बने वो तख़फ़ीफ़ (कमी, हल्की) करे। क्योंकि उसके पीछे बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमन्द लोग होते हैं।'

(1045) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 236)

(1046) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये (उनका इमाम बने) तो वो हल्की नमाज़ पढ़ाये।

**باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة
في تمام**

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا . فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْتَفِرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَوَكَيْعٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

क्योंकि नमाज़ियों में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर और बीमार भी होते हैं और जब अकेला पढ़े तो जैसे चाहे पढ़े।'

(1047) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई लोगों का इमाम बने तो वो नमाज़ में तख़फ़ीफ़ करे। क्योंकि लोगों में बूढ़े और ज़ईफ़ (कमज़ोर) भी होते हैं और जब अकेला पढ़े तो अपनी नमाज़ जितनी चाहे लम्बी कर ले।'

(1048) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो वो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि लोगों में कमज़ोर, बीमार और ज़रूरतमन्द भी होते हैं।'

(1049) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हाँ इतना फ़र्क है कि यहाँ रावी ने सक्कीम (बीमार) की जगह कबीर (बूढ़ा) कहा।

(1050) हज़रत उम्रमान बिन अबी आस सक्कीम (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपनी क़ौम

عليه وسلم قال " إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ " .

وَحَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةَ " .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقِيمِ - الْكَبِيرَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى

की इमामत कराओ।' मैंने अर्ज किया, मुझे कुछ झिझक महसूस होती है। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' आपने मुझे अपने सामने बिठा लिया। फिर अपनी हथेली मेरे सीने पर मेरे पिस्तानों के दरम्यान रखी। फिर फ़रमाया, 'फिर जा।' फिरने के बाद आपने हथेली मेरी पुश्त पर मेरे कन्धों के दरम्यान रखी। फिर फ़रमाया, 'अपनी क़ौम की इमामत कराओ और जो लोगों का इमाम बने वो तड़फ़नीफ़ करे। क्योंकि उनमें बूढ़े भी होते हैं, उनमें बीमार भी होते हैं, उनमें कमज़ोर भी होते हैं और उनमें ज़रूरतमन्द भी होते हैं और जब तुममें से कोई अकेला नमाज़ पढ़े तो जैसे चाहे पढ़े।'

(इब्ने माजह : 987)

फ़वाइद : (1) इत्री अजिदु फ़ी नफ़्सी के उलमा ने अलग-अलग मफ़हूम मुराद लिये हैं। (1) मैं इमाम बनकर अज़ब और तकब्बुर में मुब्तला होने से डरता हूँ। (2) मैं शर्म व हया और इस काम की अदायगी में कमज़ोरी महसूस करता हूँ। (3) मैं नमाज़ में वस्वसे में मुब्तला हो जाता हूँ और इसकी ताईद इस्मान स़क़फ़ी (रज़ि.) की उस रिवायत से होती है जिसमें ये आया है, मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! शैतान मेरी नमाज़ में हर्ज डालता है। मुझे कुरआन पढ़ते भुला देता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक की बरकत से उनकी ये ख़राबी दूर हो गई। (2) इन अहादीस से मालूम होता है कि नमाज़ में सब लोगों को शरीक होना चाहिये। अपनी कमज़ोरी, बीमारी या ज़रूरत को जमाअत से पीछे रहने का बहाना नहीं बनाना चाहिये और इमाम को भी अपने मुक्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिये।

(1051) हज़रत इस्मान बिन अबी आस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे आख़िरी वसियत व तल्क़ीन ये फ़रमाई थी, 'जब तुम लोगों की इमामत

بُنْ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ
الثَّقَفِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهُ " أَمْ قَوْمَكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا . قَالَ "
أَذْنُهُ " . فَجَلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ
فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْي ثُمَّ قَالَ " تَحَوَّلْ " .
فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيْي ثُمَّ قَالَ " أَمْ
قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ
الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ
الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى
أَخَذَكُمْ وَحَدَهُ فَلْيُضِلَّ كَيْفَ شَاءَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ
حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ أَخْرُ مَا عَهَدَ

करो तो उसमें तख्फीफ़ का ख्याल रखना " إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخَفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ " (नमाज़ हल्की पढ़ाना)। (इब्ने माजह : 985)

मुफ़रदातुल हदीस : अहि-द इलय्य : उसको वसियत व तल्कीन की।

(1052) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) नमाज़ तख्फीफ़ से पढ़ाते और कामिल (ऐतदाल व सुकून के साथ) पढ़ाते। (सहीह बुखारी : 237, नसाई : 2/95)

وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ.

(1053) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सबसे हल्की और कामिल नमाज़ पढ़ाते थे। (सहीह बुखारी : 708)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ.

(1054) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा हल्की नमाज़ और कामिल ऐतदाल वाली नमाज़ कभी किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(1055) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) माँ के साथ वाले बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते थे, जबकि आप नमाज़ पढ़ा रहे होते थे। फिर उसके रोने की वजह से हल्की या छोटी सूरत पढ़ते।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

(सहीह बुखारी : 709, 710, इब्ने माजह : 989)

(1056) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं लम्बी नमाज़ पढ़ने के इरादे से नमाज़ शुरू करता हूँ। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो उसके रोने की वजह से माँ के शदीद ग़म में मुब्तला होने की वजह (डर) से हल्की नमाज़ पढ़ा देता हूँ।'

(सहीह बुखारी : 792, 801, 820, अबू दाऊद : 852, 854, तिर्मिज़ी : 279, 280, नसाई : 2/198, 1147, 1331)

मुफ़रदातुल हदीस : वज्द : ग़म व हुज़्न।

फ़ायदा : नमाज़ की हालत में किसी तख़फ़ीफ़ के तालिब काम के पैदा हो जाने से इमाम नमाज़ में तख़फ़ीफ़ कर सकता है। जबकि वो काम ऐसा हो जो मुक़्तदियों के लिये या उनमें से कुछ के लिये नमाज़ से मशगूलियत और ग़फलत का सबब बनता हो। आपने बच्चे के रोने को माँ के नमाज़ से मशगूल होने के सबब (कि वो उससे मुहब्बत की बिना पर उसके रोने से ग़म व हुज़्न में मुब्तला होकर नमाज़ पर तवज्जह नहीं दे सकती) नमाज़ में तख़फ़ीफ़ की है। इस पर क़यास करते हुए उलमा ने लिखा है नामालूम नमाज़ियों को रक़अत में शरीक करने के लिये क्रियाम को कुछ तवील भी किया जा सकता है।

बाब 39 : नमाज़ के अरकान में
ऐतदाल (सुकून व इत्मीनान) और
उसके कमाल के साथ नमाज़ में
तख़फ़ीफ़ करना

(1057) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने मुहम्मद (ﷺ) के साथ नमाज़ पर ग़ौर किया। तो मैंने आपके क्रियाम, रुकूअ, रुकूअ के बाद क़ौमा में ऐतदाल, आपके सज्दे, दोनों सज्दों के दरम्यान के जल्से, दूसरे सज्दे और सलाम फेरने के बाद

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَّرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ "

باب اعتدال أركان الصلاة
وتخفيفها في تمام

وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ حَامِدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَمَعْتُ

रुख फेरने के लिये बैठने को तक्ररीबन बराबर पाया।

الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَتْ قِيَامَهُ
فَرَكْعَتَهُ فَأَعْتَدَ لَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجَدَتْهُ
فَجَلَسَتْهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدَتْهُ فَجَلَسَتْهُ مَا
بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

फ़ायदा : इस हदीस में आपकी मुस्तक़िल आदते मुबारका को बयान नहीं किया गया कि आप हमेशा क्रियाम, रूकूअ, क़ौमा, सज्दा, दोनों सज्दों के दरम्यान का जल्सा और सलाम फेरने के बाद मुक़तदियों की तरफ़ रुख करने तक का वक़फ़ा बराबर रखते थे। बल्कि कई बार आपने ऐसे भी किया है जबकि आपने क़िरअत इन्तिहाई मुख़तसर की है। जैसे आपने कई बार सुबह की नमाज़ में मुअव्वज़तैन की क़िरअत भी की है। तो ऐसे औक़ात में तमाम अरकाने नमाज़ में फ़र्क़ थोड़ा रह जाता, सब बिल्कुल बराबर नहीं होते। इसलिये सहाबी ने क़रीबम् मिनस्सवाइ कहा। लेकिन जब आप क़िरअत तवील करते थे जैसे आपने सुबह की नमाज़ में सूरह वाक़िया, यासीन, क़ॉफ़ की तिलावत फ़रमाई है। जुहर में अलिफ़-लाम-मीम सज्दा, लुक़मान, ज़ारियात की तिलावत फ़रमाई है और शाम की नमाज़ में आराफ़, दुखान, तूर और मुरसलात की क़िरअत फ़रमाई है। तो ऐसे में रूकूअ, सुजूद और क़ौमा व जल्सा क्रियाम के बराबर कैसे हो सकते हैं?

या इस हदीस का मक़सद ये लेना होगा, तमाम अरकान में आप तनासुब का लिहाज़ रखते थे कि अगर क़िरअत लम्बी करते तो रूकूअ, सुजूद और क़ौमा व जल्सा भी लम्बा करते थे। ये नहीं कि क़िरअत तो तवील हो और बाक़ी अरकान बहुत मुख़तसर हों। जैसाकि हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कानत सलात रसूलिल्लाह मुतक्रारिबह कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ में तनासुब होता था (यानी तमाम अरकान मुतनासिब होते थे। इसलिये कई बार नबी (ﷺ) क़ौमा और जल्से में इतनी देर ठहरे रहते कि मुक़तदियों को ख़याल होता शायद आप भूल गये हैं)।

(1058) हज़रत हक़म से रिवायत है कि इब्ने अश़अस के ज़माने में एक शख़्स कूफ़ा पर ग़ालिब आ गया। (हक़म ने उसका नाम लिया था और वो मतर बिन नाजियह था) उसने अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह को लोगों की इमायत करवाने का हुक़म दिया तो वो नमाज़ पढ़ाते थे। जब वो रूकूअ से सर उठाते तो इतनी देर खड़े रहते कि मैं ये दुआ पढ़ लेता, अल्लाहुम्-म रब्बना लकल् हम्दु मिलअस्समावाति व

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ،
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ،
قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ
- زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّي

मिल्अलअरज़ि व मिल्अ मा शिअत्त मिन शौइम्-बअदु अह्लस्सनाइ वल्मजदि ला मानिअ लिमा अअतै-त वला मुअत्ति-य लिमा मनअ-त वला यन्फ़इ जल्जदि मिन्कल् जहु (ऐ अल्लाह! तू इस क़द्र हम्द व सताइश का हक़दार है जिससे सब आसमान, ज़मीन और उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे भर जाये। ऐ सना और मज्द (अज़मत व बुजुर्गी) के लायक़! जो तू दे उसको कोई रोक नहीं सकता और जो तू न देना चाहे (रोक ले) वो कोई भी दे नहीं सकता और न किसी मेहनत व कोशिश करने की कोशिश तेरे मुक़ाबले में उसको फ़ायदा दे सकती है या किसी बुजुर्गी वाले की बुजुर्गी व दौलत तेरे मुक़ाबले में उसको नफ़ा दे सकती है। (जद् दौलत व तवंगरी) हक़म कहते हैं, मैंने ये हदीस अब्दुरहमान बिन अबी लैला को सुनाई तो उसने कहा, मैंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ (क्रियाम) आपका रुकूअ और जब आप रुकूअ से सर उठाते, आपका सज्दा और दोनों सज्दों के दरम्यान वाला जल्सा ये सब तक्ररीबन बराबर थे। शोबा कहते हैं, मैंने ये हदीस अम्र बिन मुरह को बताई तो उसने कहा, मैंने अब्दुरहमान बिन अबी लैला को देखा है वो इस कैफ़ियत से नमाज़ नहीं पढ़ते थे।

फ़ायदा : बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) की हदीस से बज़ाहिर ये साबित होता है कि आपका क्रियाम भी नमाज़ के दूसरे अरकान व अफ़आल के तक्ररीबन बराबर था और अम्र बिन मुरह ने यही ज़ाहिरी मानी लिया। इसलिये कहा कि अब्दुरहमान बिन अबी लैला की नमाज़ इस कैफ़ियत के मुताबिक़ नहीं है। क्योंकि उनका क्रियाम और तशाहहुद के लिये कुज़ुद लम्बा होता था और आपकी नमाज़ में आम

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدَرًا مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا .

तौर पर ये दोनों रुकन लम्बे होते थे। इसलिये बराअ की कुछ रिवायात में मा खलल क्रियाम वल्कुऊद का इस्तिस्ना मौजूद है। (बुखारी शरीफ़) और मुस्लिम की इन रिवायतों में तशहहद के लिये कुऊद (बैठना) का तज़िकरा नहीं है।

(1059) हज़रत हकम (रह.) से रिवायत है कि जब मतर बिन नाजियह कूफ़ा पर ग़ालिब आया, उसने अबू इबैदा को लोगों की इमामत का हुक्म दिया और मज़कूरा हदीस बयान की।

(सहीह बुखारी : 821)

(1060) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसी नमाज़ पढ़ाने में कोताही नहीं करता, जैसी मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हमें पढ़ाते देखा। साबित ने कहा, अनस (रज़ि.) एक ऐसा काम किया करते थे जो मैं तुम्हें करते हुए नहीं देखता। जब वो रुकूअ से अपना सर उठाते, सीधे खड़े हो जाते, यहाँ तक कि गुमान करने वाला ये समझता कि वो भूल गये हैं और जब वो सज्दे से अपना सर उठाते, ठहरे रहते यहाँ तक कि कहने वाला कहता वो भूल गये हैं।

(अबू दाऊद : 853)

(1061) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने किसी के पीछे नबी (ﷺ) से ज़्यादा हल्की और कामिल नमाज़ नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ (के तमाम अरकान) मुतनासिब (क़रीब-क़रीब) होते थे और अबू बकर (रज़ि.) की नमाज़ भी मुतनासिब क़रीब-क़रीब बराबर होती थीं। जब इमर (रज़ि.) का दौर आया तो उन्होंने नमाज़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ، بِالنَّاسِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

حَدَّثَنَا خَلْفٌ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أَصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ بِنَا . قَالَ فَكَانَ أَنَسُ يَضَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَضَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزٌ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ

फ़ज्र (की किरअत) लम्बी कर दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते, ठहरे रहते यहाँ तक कि हम कहते शायद आप भूल गये हैं (बाद की नमाज़ का ख़याल ही नहीं रहा) फिर सज्दा करते और दो सज्दों के दरम्यान बैठे रहते यहाँ तक कि हम ख़याल करते शायद आप भूल गये हैं।

(सहीह बुखारी : 690, 747, 811, अबू दाऊद : 620, तिर्मिज़ी : 281, नसाई : 2/96)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ . ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ .

बाब 40 : इमाम की मुताबिअत (पैरवी) और हर काम इमाम के बाद करना

باب مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

(1062) हज़रत बराअ (रज़ि.) (वो झूठे न थे) से रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते थे। जब आप रुकूअ से अपना सर उठा लेते तो मैं किसी को उस वक़्त तक अपनी पुश्त झुकाते न देखता जब तक रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख देते। फिर आपके पीछे वाले सज्दे में जाते।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ أَرْ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سَجْدًا .

(1063) हज़रत बराअ (रज़ि.) (वो झूठे न थे) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते (रुकूअ से

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْني ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ،

सर उठाकर खड़े हो जाते) तो हममें से कोई एक भी उस वक़्त तक अपनी पुश्त न झुकाता, जब तक रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दे में न चले जाते। फिर हम आपके बाद सज्दा करते या सज्दे में गिरते।

(अबू दाऊद : 620)

(1064) हज़रत मुहारिब बिन दिसार (रह.) से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद को मिम्बर पर बयान करते हुए सुना कि हमें बराअ (रज़ि.) ने बताया कि सहाबा किराम (रज़ि.) नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। जब आप रुकूअ में चले जाते तो वो रुकूअ करते और जब आप अपना सर रुकूअ से उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते और हम खड़े रहते यहाँ तक कि हम आपको देखते कि आपने अपना माथा (पेशानी) ज़मीन पर रख दिया। फिर हम आपकी पैरवी करते (सज्दे में चले जाते)।

(अबू दाऊद : 620)

(1065) हज़रत बराअ (रज़ि.) से रिवायत है कि हम (नमाज़ में) नबी (ﷺ) के साथ होते, हममें से कोई उस वक़्त तक अपनी पुश्त न झुकाता, यहाँ तक कि हम आपको देख लेते कि आप सज्दे में जा चुके हैं। जुहैर ने कहा, हमें सुफ़ियान ने बताया कि हमें कुफ़ियून अबान वग़ैरह ने हदीस सुनाई और उसने नराहु क़द सज्द की जगह नराहु यस्जुदु कहा।

حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . لَمْ يَخْنُ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاقِيُّ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . لَمْ تَزَلْ قِيَامًا حَتَّى تَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَتَبَعَهُ .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْنُ، نُسَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى تَرَاهُ قَدْ سَجَدَ . فَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى تَرَاهُ يَسْجُدُ .

(1066) हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) के पीछे फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी तो मैंने आपको फ़ला उक्विसमु बिल्बुन्नसिल जवारिल कुन्नस (सूरह तकवीर) पढ़ते सुना और हममें से कोई आदमी अपनी पुश्त नहीं झुकाता था यहाँ तक कि आप पूरी तरह सज्दे में चले जाते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، مَوْلَى آلِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ صَلَّى خَلْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ } فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ * الْجَوَارِ الْكُنْسِ { وَكَانَ لَا يَخْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَمَّ سَاجِدًا .

बाब 41 : रुकूअ से सर उठाकर
नमाज़ी क्या कहेगा

باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ

(1067) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रुकूअ से अपनी पुश्त उठाते तो 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहुम्-म रब्बना लकल् हम्दु मिलअस्समावाति व मिलअल् अरज़ि मा शिअ्त मिन शैइम्-बअदु' कहते। ऐ अल्लाह! हमारे आका व मालिक तेरे लिये ही तारीफ़ व तौसीफ़ है। आसमानों की पूराई और ज़मीन की पूराई और जिस चीज़ की भराई तू उनके सिवा चाहे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْشَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَتْنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ " .

(1068) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्-म रब्बना लकल् हम्दु मिलअस्समावाति व मिलअल् अरज़ि व मिलअ मा शिअ्त मिन शैइम्-बअदु। ऐ अल्लाह! हमारे आका तेरी

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ " اللَّهُمَّ رَتْنَا

ही तारीफ़ आसमान भरकर और ज़मीन भरकर
और उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे वो भर कर।

(नसाई : 1/198, 19199)

(1069) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी
औफ़ा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं
कि आप फ़रमाया करते थे, अल्लाहुम्-म
लकल हम्दु मिलअस्समावाति व मिलअल
अरज़ि व मिलअ मा शिअत मिन शैडम्-बअदु
अल्लाहुम्-म तह्हिरनी बिस्सल्लिज वल्बरदि
वल्माइल बारिदि अल्लाहुम्-म तह्हिरनी
मिनज़्जुनूबि वल्ख़ताया कमा युनक्कस्सौबुल
अब्यज़ुम्-मिनल्-वसख़। ऐ अल्लाह हमारे
आक्रा! तेरे लिये वो हम्द सज़ावार है जिससे
आसमान भर जायें, ज़मीन भर जायें और
उनके सिवा जो ज़र्फ़ तू चाहे वो भर जाये। ऐ
अल्लाह! मुझे बर्फ़, औलों और ठण्डे पानी से
पाक-साफ़ कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों
और ख़ताओं से इस तरह पाक-साफ़ कर दे
जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल-कुचैल से साफ़
किया जाता है।

(1070) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों
से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।
मुआज़ की रिवायत में वसख़ की जगह दरनुन
और यज़ीद की रिवायत में दनसुन है।

(अबू दाऊद : 847, नसाई : 2/198)

(1071) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रुकूअ से

لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ
وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . "

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَارٍ
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَجْرَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاءِ
وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ
الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ
وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْوَسَخِ . "

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، قَالَ
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي
رِوَايَةِ مُعَاذٍ " كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّرَنِ . " وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ " مِنَ الدَّنَسِ . "

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

अपना सर उठाते तो फ़रमाते, रब्बना लकल हम्दु मिलअस्समावाति वलअरज़ि व मिलअ मा शिअ्त मिन शैइम्-बअदु अहलस्सनाइ वल्मजदि अहक्कु मा क़ालल् अब्दु व कुल्लुना लक अब्दुन अल्लाहुम्-म ला मानिअ लिमा अअ्तै-त वला मुअति-य लिमा मनअ-त वला यन्फ़ड़ ज़ल्जहि मिन्कल जहु। 'ऐ हमारे आक्रा! तेरे ही लिये तारीफ़ है, आसमान व ज़मीन भरकर और उनके सिवा जिस ज़फ़ की पूराई तू चाहे। ऐ सना और अज़मत के हक़दार! सहीह तरीन जो बात बन्दा कहता है और हम सब तेरे ही बन्दे हैं (वो ये है) ऐ अल्लाह! जो चीज़ तू इनायत फ़रमाना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता और जिस चीज़ से तू महरूम कर दे वो कोई दे नहीं सकता और किसी बुज़ुर्गी वाले की दौलत व तवंगरी तेरे मुक्राबले में सूदमंद नहीं है।'

(नसाई : 2/198)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सना : तारीफ़ व तौसीफ़। (2) मज्द : अज़मत व बुज़ुर्गी, शफ़ व रिफ़अत। (3) जद नसीबह : खुश किस्मती, इक्तिदार अज़मत व बुज़ुर्गी, दौलत व तवंगरी। अगर जद् जद्दा से मस्दर मुराद लें तो मानी होगा मेहनत व कोशिश करना। (4) अहलस्सनाइ वल्मज्दि : निदा या मदह की बिना पर मन्सूब है और हक़ मा क़ालल् अब्द मुब्तादा है और अल्लाहुम्-म ला मानिअ आख़िर तक ख़बर है। और कुल्लुना लक अब्दुन जुम्ला मुअतरिज़ा है।

(1072) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब रुकूअ से सर उठाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्-म रब्बना लकल हम्दु मिलअस्समावाति व मिलअल् अरज़ि वमा बैनुहुमा व मिलअ मा शिअ्त मिन

الدَّارِمِيِّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلْنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَأْتِ لِمَا أُعْطِيَْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

शैइम्-बअदु अहलसुमनाइ वल्मजदि ला
 मानिअ लिमा अअतै-त वला मुअति-य
 लिमा मनअ-त वला यन्फुड जल्जदि मिन्कल
 जहु। 'ऐ अल्लाह हमारे आक्रा! तेरे ही लिये
 तारीफ है आसमानों को भरकर, ज़मीन भरकर
 और उनके दरम्यान का खला भरकर और
 उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे वो भर कर। ऐ
 तारीफ व तौसीफ और बुजुर्गी के हक़दार जो
 चीज़ तू इनायत फ़रमाये उसको कोई छीन नहीं
 सकता और जिससे तू महरूम कर दे वो कोई
 दे नहीं सकता और किसी साहिबे इक़्तिदार
 और सल्तनत के लिये उसका इक़्तिदार तेरे
 मुक्राबले में सूदमंद नहीं है।'

तम्बीह : मिल्अस्समावाति को अगर हम्द की सिफ़त बनायें तो मरफूअ होगा। अगर हफ़े जर महजूफ़
 मानें तो मजरूर होगा और अगर मस्दर महजूफ़ की सिफ़त मानें तो मन्सूब होगा और आम तौर पर
 इसको मन्सूब ही पढ़ते हैं।

(1073) इमाम साहब इसे एक और उस्ताद
 से इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरफूअ रिवायत
 बयान करते हैं और दुआ सिर्फ़ मिल्अ मा
 शिअ्त मिन शैइम्बअदु तक नक़ल करते हैं।
 बाद वाले दुआइया कलिमात बयान नहीं
 करते।

(अबू दाऊद : 876, नसाई : 2/217, 2/189-
 190, इब्ने माजह : 3899)

फ़ायदा : अल्लाहुम्-म ला मानिअ लिमा अअतै-त वला मुअति-य लिमा मनअ-त वला यन्फुड
 जल्जदि मिन्कल जहु की सहीह तरीन बात करार दिया गया है क्योंकि इसमें इंसान अपने तमाम
 मामलात अल्लाह तआला के सुपुर्द करता है और इस बात को तस्लीम करता है कि अल्लाह तआला
 की मशिय्यत के बग़ैर इंसान को समझ नहीं हासिल हो सकता। इंसान को जो चीज़ अल्लाह तआला न

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
 الرُّكُوعِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
 مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ
 أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ
 وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
 مِنْكَ الْجَدُّ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ
 بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ " وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
 بَعْدُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

देना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको दे नहीं सकती और जो वो देना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको उससे महरूम नहीं कर सकती। इसलिये इंसान को नाजाइज़ तदाबीर और ज़राए (जरीयों) को इख़्तियार नहीं करना चाहिये और इन हदीसों से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रूकूअ के बाद दुआ पढ़ते थे, कभी छोटी और कभी बड़ी। इसलिये मुक्तदी की तरह इमाम को भी रूकूअ के बाद दुआ पढ़नी चाहिये और इन हदीसों से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला लामहदूद हम्द व सना का हक़दार है। आसमानों, ज़मीन और ख़ला की पूरई का मक़सद यही है क्योंकि इंसानी पैमानों के ऐतबार से ये चीज़ें मापनी मुम्किन नहीं हैं।

बाब 42 : रूकूअ और सज्दे में क़िरअते कुरआन (कुरआन पढ़ना) मन्ज़ूअ है

باب النَّهْيِ عَنِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(1074) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरवाज़े का पर्दा उठाया और लोग अबू बकर के पीछे सफ़ों में खड़े थे। तो आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! नुबूवत की बशारतों से अब सिर्फ़ अच्छे ख़वाब बाक़ी रह गये हैं, जो ख़ुद मुसलमान देखेगा या उसके बारे में दूसरे को दिखाया जायेगा। ख़बरदार! मुझे रूकूअ और सज्दे की हालत में कुरआन पढ़ने से रोक दिया गया है। रहा रूकूअ तो उसमें अपने रब की अज़मत व क़िब्रियाई बयान करो और रहा सज्दा तो उसमें ख़ूब दुआ करो। वो इस लायक़ है कि उसको तुम्हारे हक़ में कुबूल कर लिया जाये।' फ़कमिनुन लायक़ है काबिल है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلَفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ سُلَيْمَانَ،

फ़वाइद : (1) इस हदीस में इस बात की तरफ़ इशारा किया गया है कि आपकी वफ़ात का वक़्त करीब आ गया है और आपके बाद चूँकि कोई और नबी नहीं आना, आप पर नुबूवत व रिसालत ख़त्म हो चुकी है इसलिये वह्य की आमद का सिलसिला भी मुन्क़तअ (कट) हो जायेगा। सिर्फ़ अच्छे ख़्वाब रह जायेंगे जो किसी को अपने या दूसरे के हक़ में नज़र आ सकेंगे। (2) क़िरअत का मौक़ा और महल क़ियाम है और रुकूअ व सुजूद, जो अज़िज़ी और फ़रौतनी पर दलालत करते हैं, उनमें अल्लाह के हुज़ूर अपनी बेबसी व नियाज़ का इज़हार किया जायेगा (उनके विर्द और वज़ाइफ़ अगले बाब में आ रहे हैं) इसलिये उनमें कुरआन नहीं पढ़ा जायेगा।

(1075) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पर्दा उठाया और मर्जुल मौत में आपका सर पट्टी से बांधा हुआ था। आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! क्या मैंने तेरा पैग़ाम पहुँचा दिया।' तीन बार फ़रमाया। 'नुबूवत की बशारतों से सिर्फ़ ख़्वाब बाक़ी रह गये हैं, जिसे नेक इंसान देखेगा या उसके हक़ में दूसरे को दिखाया जायेगा।' उसके बाद सुफ़ियान की तरह हदीस बयान की।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحْتِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتْرَ وَرَأَسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تَرَى لَهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

(अबू दाऊद : 4044, 4045, 4046, तिर्मिज़ी : 264, 1737, नसाई : 2/189, 2/217, 8/167-168, 8/163, 8/169, 8/191, 8/192, 8/204, 8/168, तिर्मिज़ी : 1725, इब्ने माजह : 3602, 3642)

तम्बीह : बेरूत के नुस्खे में क़ाल अबू बकर हद़सना सुफ़ियान अन सुलैमान को हदीस 1075 की सनद में मिला दिया गया है। लेकिन ये ग़लत है। इसका तअल्लुक ऊपर वाली हदीस से है और हदीस 1075 की सनद हद़सना यह्या बिन अय्यूब से शुरू होती है। नीज़ इस नुस्खे में अरूअ्या के बाद अस्सालिहा का लफ़ज़ नहीं है और पाकिस्तानी नुस्खों में अस्सालिहा का लफ़ज़ मौजूद है।

(1076) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ और सज्दे में कुरआन पढ़ने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

(1077) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ और सज्दे की हालत में कुरआन पढ़ने से रोका।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ .

(1078) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ और सज्दे में किरअत करने से मना किया। मैं ये नहीं कहता, तुम्हें मना किया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزَمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ .

(नसाई : 2/188, 2/217, 8/167, 8/191)

फ़ायदा : हज़रत अली (रज़ि.) का मक़सद ये नहीं है कि तुम रुकूअ व सुजूद में किरअत कर सकते हो। क्योंकि ये मुमानिअत तो सबके लिये है, सिर्फ़ इतना बताना मक़सूद है, आपने मुझे खिताब करके फ़रमाया था।

(1079) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे मेरे महबूब (ﷺ) ने रुकूअ और सज्दे की हालत में किरअत करने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي جَبِي ﷺ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

(1080) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से अलग-अलग रावियों से इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन जुनैन की अपने बाप से अली (रज़ि.) की नबी (ﷺ) से रिवायत बयान करते हैं। ज़हहाक और इब्ने अजलान ने अली (रज़ि.) से पहले इब्ने अब्बास (रज़ि.) का इज़ाफ़ा किया है। सबने कहा कि आपने मुझे रुकूअ की हालत में कुरआन की क़िरअत से रोका। उनमें से किसी ने अपनी रिवायत में, जोहरी, ज़ैद बिन अस्लम, वलीद बिन क़सीर और दाऊद बिन कैस की रिवायत की तरह सज़्दे में क़िरअत करने से रोकने का तज़्किरा नहीं किया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَاتَّهَمَا زَادَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَرَزُّدٌ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ .

(1081) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं। लेकिन सज़्दे में क़िरअत का तज़्किरा नहीं किया। या फ़िस्सुजूद नहीं कहा।

(नसाई : 8/191)

وَحَدَّثَنَا هُنَيْدٌ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ .

(1082) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मुझे रुकूअ की हालत में क़िरअत करने से मना किया गया है। इस सनद में हज़रत अली (रज़ि.) का ज़िक्र नहीं है।

(नसाई : 2/226)

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ، وَأَنَا رَاكِعٌ، . لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا .

बाब 43 : रुकूअ और सज्दे में क्या कहा जायेगा

باب مَا يَقَالُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ

(1083) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बन्दा सज्दे की हालत में अपने रब की रहमत के बहुत करीब होता है लिहाज़ा उसमें ख़ूब दुआ करो।'

(अबू दाऊद : 878)

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، ذَكَرَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

फ़ायदा : सज्दा इन्तिहाई फ़रौतनी और आजिज़ी की दलील है। जिसके ज़रिये बन्दा अल्लाह के हुज़ूर अपने फ़क्सो-एहतियाज और मिस्कीनी का इज़हार करता है। इसलिये इस हालत में वो अल्लाह तआला के फ़ज़ल व करम और रहमत का महल बनता है और उसे अल्लाह तआला का इन्तिहाई कुर्ब हासिल होता है। इसलिये ये दुआ का बेहतरीन महल है और इस कुर्ब की बिना पर कुछ इलमा ने क़ियाम की तवालत (लम्बाई) पर सज्दों की कसरत को तरजीह दी है। इसके बारे में इलमा के तीन कौल हैं : (1) ज़्यादा सज्दे और रुकूअ करना यानी ज़्यादा नफ़ल पढ़ना, लम्बा क़ियाम से अफ़ज़ल है और इसमें सज्दा लम्बा किया जायेगा। (2) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तवील क़ियाम करना अफ़ज़ल है। (3) इमाम अहमद ने इस मसले में तवक्कुफ़ किया है और कुछ ने कहा है, दोनों बराबर हैं और इमाम इस्हाक के नज़दीक दिन को रुकूअ व सुजूद की कसरत अफ़ज़ल है और रात

को तवील किया अफज़ल है। आँहज़रत (ﷺ) के अमल से यही मालूम होता है कि आप रात को ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

(1084) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दे में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मग्-फ़िरली ज़न्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आख़िरहू व अलानियतहू व सिरहू 'ऐ अल्लाह! मेरे सारे गुनाह बख़्श दे, छोटे भी और बड़े भी, पहले भी और पिछले भी, खुले हुए भी और छिपे हुए भी।'

(सहीह बुख़ारी : 794, 817, 4293, 4967, 4968, अबू दाऊद : 877, नसाई : 2/190, 2/219, 27220, इब्ने माजह : 889)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) दिक्कहू : जो छोटे या थोड़े हों। (2) जिल्लहू : बड़े या ज़्यादा हों।

(1085) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकूअ और सज्दे में बक़स्रत ये कलिमात कहा करते थे, सुब्हान-कल्लाहुम्-म व बिहम्दिक् अल्लाहुम्मग्-फ़िरली। 'ऐ अल्लाह हमारे रब! हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं, ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे।' आप (ये कलिमात कहकर) कुरआन मजीद के हुक्म की तामील करते थे।

फ़ायदा : सूरह नसर में आपको ये हुक्म दिया गया है, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक् वस्तग्फ़िरहू आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करें और उससे मफ़िरत तलब करें। इस हुक्म की तामील आप रुकूअ और सज्दे में ये कलिमात कहकर किया करते थे और आपकी इक्तिदा और पैरवी में हमें भी ये कलिमात सज्दे और रुकूअ में कहने चाहिये।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،
قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَى، مَوْلَى
أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهُ دِقَّةً
وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَاتِيئَتَهُ وَسِرَّهُ "

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي
الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْتَرُ أَنْ
يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ
الْقُرْآنَ .

(1086) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी मौत से पहले बक़स्रत ये कलिमात कहते थे, सुब्हान-क व बिहम्दि-क अस्तफ़िरु-क व अतूबु इलैक 'तू अपनी हम्द के साथ पाक है, मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ और तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूँ (गुनाहों से बाज़ आता हूँ) आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये कलिमात जो मैं आपको कहते हुए देखती हूँ, अब क्यों शुरू कर दिये हैं? आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये मेरी उम्मत में एक अलामत मुकरर की गई है, जब उसे देखता हूँ तो ये कलिमात कहता हूँ। फिर आपने इज़ा जा-अ नसरुल्लाहि वल्फ़त्हु मुकम्मल सूत पढ़ी।

(1087) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब से रसूलुल्लाह (ﷺ) पर इज़ा जा-अ नसरुल्लाहि वल्फ़त्हु आयत उतरी। उस वक़्त से मैंने हर नमाज़ में आपको ये दुआइया कलिमात कहते देखा, सुब्हान-क रब्बी वबि-हम्दि-क अल्लाहुम्मग्-फ़िरली। 'ऐ मेरे रब! तू अपनी हम्द के साथ तस्बीह (पाकीज़गी) से मुत्तसिफ़ है, ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे।'

(1088) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बक़स्रत फ़रमाते, सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तफ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह 'अल्लाह! तू अपनी हम्द के

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ " سُبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَخَذْتَهَا تَقُولُهَا قَالَ " جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتَهَا قُلْتُهَا { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } " . إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَفْضَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } يُصَلِّي صَلَاةَ الْإِدْعَا أَوْ قَالَ فِيهَا " سُبْحَانَكَ رَبِّي وَيَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

साथ पाक है, मैं अल्लाह से बख़िश का तालिब हूँ और उसकी तरफ़ रुजूअ करता हूँ।' तो मैंने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपको देखती हूँ कि आप बक़स्रत कहते हैं, सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तग़्फ़िरुल्लाह व अतूब इलैह। तो आपने फ़रमाया, 'मेरे रब ने मुझे ख़बर दी है कि मैं जल्द ही अपनी उम्मत में एक निशानी देखूँगा और जब मैं उसको देख लूँ तो बक़स्रत कहूँ, सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तग़्फ़िरुल्लाह व अतूब तो मैं निशानी देख चुका हूँ। जब अल्लाह की नुसरत और फ़तह आ पहुँचे और आप लोगों को अल्लाह के दीन में जोक्र-दर-जोक्र दाख़िल होते हैं ये देख लें तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिये और उससे बख़िश तलब कीजिये, बिला शुब्हा वो तौबा कुबूल फ़रमाने वाला है।'

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने आपको इस्तिग़फ़ार बख़िश तलब करने का हुक्म दिया है। क्योंकि इससे अब्दियत का इज़हार होता है और पता चलता है कि हर इंसान बल्कि रसूलुल्लाह भी अल्लाह का मोहताज और बन्दा समझता है कि अब्दियत का हक़ ऐसा है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं हुआ और इसमें दरहकीकत उम्मत को हुक्म देना है कि वो हर वक़्त अपने आपको अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जह रखें और किसी वक़्त भी उसकी याद से ग़ाफ़िल न हों और कभी ये न समझें कि हमने अल्लाह तआला का हक़के बन्दगी अदा कर दिया है। इंसान के काम में हर सूरत में कमी और कोताही रह जाती है। इसलिये इसको बक़स्रत इस्तिग़फ़ार और तस्बीह व तहमीद करना चाहिये और फ़तहे मक्का के बाद लोगों का बक़स्रत मुसलमान होना, यही फ़तह व नुसरत की अलामत थी और आपकी मौत के कुर्ब की तरफ़ भी इशारा था। इसलिये आपको बक़स्रत तस्बीह व तहमीद और इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है और आप इस हुक्म की तामील में ये काम करने लगे, जो एक तरह

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ
" سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ
وَأَتُوبُ اِلَيْهِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ اَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ
وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ اِلَيْهِ .
فَقَالَ " خَبَرَنِي رَبِّي اَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً
فِي اُمَّتِي فَاِذَا رَأَيْتَهَا اَكْثَرْتَ مِنْ قَوْلِ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ
وَأَتُوبُ اِلَيْهِ . فَقَدْ رَأَيْتَهَا [اِذَا جَاءَ
نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ] فَتُح مَكَّةَ [وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا *
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ
تَوَّابًا] " .

से अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रीज़ए रिसालत की अदायगी की तौफ़ीक़ और आपके लाये हुए दीन की वुस्अत की नेमत का शुक्राना भी था।

(1089) इब्ने जुरैज से रिवायत है कि मैंने अता से पूछा, आप रुकूअ में क्या कहते हैं? उसने कहा, सुब्हान-क वबि-हम्दि-क ला इला-ह इल्ला अन्-त क्योंकि मुझे इब्ने अबी मुलैका ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत सुनाई। एक रात मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बिस्तर पर न पाया। मैंने ख़याल किया, शायद आप किसी बीवी के पास चले गये हैं तो मैंने आपको तलाश किया। फिर वापस आई तो आप रुकूअ या सज्दे में थे और फ़रमा रहे थे, सुब्हानक वबि-हम्दिक ला इला-ह इल्ला अन्-त तू अपनी हम्द के साथ पाक है और तेरे सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। तो मैंने कहा, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बानि में क्या समझ रही थी और आप किस हाल में हैं।

(नसाई : 2/223, 7/72)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इफ़्तक़तु : और फ़क़तु फ़क़दान से हैं और दोनों का मानी है मैंने आपको गुम पाया, आप मुझे न मिले। (2) तहस्ससत : हिस्स से है, ढूँढना, तलाश करना, तहस्ससु का मानी होता है हवास से पता लगाना। (3) शअनुन : हाल, कहते हैं मा शानिउक तुम्हारा क्या हाल है। यानी मैं ग़ैरत में मुब्तला थी और आप दुनिया से अलग-थलग होकर अल्लाह तआला के साथ राज़ व नियाज़ में मशगूल थे।

(1090) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बिस्तर पर न पाया तो मैं आपको टटोलने लगी तो मेरा हाथ आपके पाँव के तल्वों पर पड़ा। उस वक़्त आप सज्दे में थे और आपके

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلَوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " . فَقُلْتُ يَا أَيْ أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

पाँव खड़े थे और आप अल्लाह के हुज़ूर (ﷺ) अर्ज़ कर रहे थे, अल्लाहुम्-म अज़्ज़ु बिरिज़ा-क मिन सख़ति-क वबि-मुआफ़ातिक मिन इक़ूबतिक व अज़्ज़ुबि-क मिन्क ला उह्सी सनाअन अलैक अन्-त कमा असनै-त अला नफ़िसक। 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ामन्दी की पनाह लेता हूँ और तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह लेता हूँ और तेरी पकड़ से बस तेरी ही पनाह लेता हूँ, मैं तेरी सिफ़त व सना पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। (बस यही कह सकता हूँ) कि तू वैसा है जैसाकि तूने खुद अपने बारे में बतलाया है।'

(अबू दारूद : 879, नसाई : 1/102, 6099)

मुफ़रदातुल हदीस : रज़ा के मुकाबले में सख़त है और मुआफ़ह के मुकाबले में इक़ूबत है। इसलिये उनको एक दूसरे के मुकाबले रखा लेकिन बिक यानी अल्लाह उसका मुकाबिल नहीं हो सकता। इसलिये कहना मिन्क खुलासा कलाम यही है तेरी पकड़ से तेरे सिवा कोई पनाह नहीं दे सकता।
मस्जिदा : जीम पर ज़बर हो तो मस्दर मीमी या ज़फ़ होगा और अगर ज़ेर हो तो घर की नमाज़गाह मुराद होगी।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि औरत के हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। अगरचे इमाम मालिक शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक वुजू टूट जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है मगर ये कि इससे इंसान का अज़्चे मख़सूस (शर्मगाह) मुतास्सिर हो।

(1091) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकूअ और सज्दे में ये कलिमात कहते थे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह निहायत पाक और मुक़द्दस व मुनज़ज़ा है परवरदिगार, मलाइका का और रूह का।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ "

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(अबू दाऊद : 872, नसाई : 2/232-224)

﴿ ﷺ ﴾ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ .

फ़ायदा : रूह से मुराद जिब्रईल (अलै.) हैं। कुछ ने कहा, ये कोई और बड़ा फ़रिश्ता है या मुस्तक़िल मख़लूक है, जिसको फ़रिश्ते भी नहीं देख सकते।

(1092) इमाम साहब अपने और उस्ताद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ
سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ،
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) रूकूअ और सज्दे में छोटी-बड़ी अलग-अलग दुआयें पढ़ा करते थे। लेकिन मुस्लिम की रिवायात में इनके पढ़ने की तादाद की तअयीन नहीं की गई। कुछ जगह बकसूरत कहने का लफ़्ज़ आया है। सुनन की कुछ रिवायात से मालूम होता है कि रूकूअ व सुजूद में अगर तीन बार से कम भी सुबहानअल्लाह कह लिया जाये तो रूकूअ और सज्दा तो अदा हो जायेगा लेकिन उसमें एक गुना नुकसान रहेगा। कामिल अदायगी के लिये कम से कम तीन बार तस्बीह कहना ज़रूरी है। क्योंकि इसको ज़ालिक अदनाहु (ये अदना दर्जा है) कहा गया है। इसलिये इससे ज़्यादा मर्तबा कहना चाहिये और कुछ मर्तबा इन अरकान को लम्बा करना चाहिये। क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि आप बकसूरत रूकूअ व सुजूद में सुबहानक अल्लाहुम्म रब्बना वबि-हम्दिक अल्लाहुम्मग्-फ़िरली कहते थे।

बाब 44 : सज्दे की फ़ज़ीलत और उसकी तरगीब

(1093) हज़रत मअदान बिन अबी तलहा यअमर से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम सौबान (रज़ि.) से मिला तो मैंने उनसे पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जिसके करने से अल्लाह मुझे जन्नत में

باب فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ
حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعِطِيُّ،

दाखिल फ़रमा दे या मैंने पूछा, जो अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो। उन्होंने ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई (और मेरी बात का कोई जवाब न दिया) फिर मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया, उन्होंने फिर ख़ामोशी इख़्तियार कर ली। फिर मैंने उनसे तीसरी बार यही सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने यही सवाल रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया था तो आपने फ़रमाया था, 'तुम अल्लाह के हुज़ूर में सज्दे ज़्यादा किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह के लिये जो सज्दा भी करोगे अल्लाह उसके नतीजे में तुम्हारा दर्जा ज़रूर बुलंद करेगा और तुम्हारा कोई न कोई गुनाह उसकी वजह से ज़रूर माफ़ होगा।'

मअदान कहते हैं, उसके बाद मैं अबू दरदा (रज़ि.) को मिला तो उनसे भी यही सवाल किया, उन्होंने भी वही बताया जो मुझे सौबान (रज़ि.) ने बताया था।

(तिर्मिज़ी : 388, 389, नसाई : 2/228, इब्ने माजह : 1423, 2112)

(1094) हज़रत रबीआ बिन कअब अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रात गुज़ारता था। (जब आप तहज्जुद के लिये उठे) तो मैं वुजू का पानी और दूसरी ज़रूरियात लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने मुझे फ़रमाया, 'माँगो।' मैंने अर्ज़ किया, मेरी माँग ये है कि जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त नसीब हो। आपने

حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ . أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ . فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ " . قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ .

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِفْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ كُنْتُ أَيُّثَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي " سَلْ " .

फ़रमाया, 'यही या इसके सिवा कुछ और भी?' मैंने अर्ज किया, बस मैं तो यही माँगता हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'तुम अपने इस मामले में सज्दों की कसरत के ज़रिये मेरी मदद करो।'

(अबू दाऊद : 1320, तिर्मिज़ी : 3416, नसाई : 2/227, 3/20, इब्ने माजह : 3879)

فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوْغَيَّرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ . قَالَ " فَأَعْيَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " .

फ़वाइद : (1) रबीआ बिन कअब अस्लमी (रज़ि.) अस्हाबे सुफ़फ़ह में से थे और सफ़र व हज़र में आपके ख़ादिम की हैसियत से आपके साथ रहते थे तो किसी रात ये वाक़िया पेश आया। नीज़ स़ौबान और रबीआ (रज़ि.) की रिवायत में कसरते सुजूद से मुराद नफ़ल नमाज़ों की कसरत है। (2) मुकर्रबीने बारगाहे खुदावन्दी पर कभी-कभी ऐसे हालात आते हैं कि वो महसूस करते हैं, इस वक़्त अल्लाह तआला की इनायात व अफ़ज़ाल मुतवज्जह हैं। जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि इस वक़्त अल्लाह से जो कुछ माँगा जायेगा इन्शाअल्लाह मिल जायेगा। किसी रात जब हज़रत रबीआ (रज़ि.) आपकी ख़िदमत में पानी और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेकर हाज़िर हुए। तो आपने उनकी ख़िदमत से मुतास्मिर होकर मसरत व इम्बिसात के आलम में फ़रमाया। रबीआ तुम्हारे दिल में अगर किसी ख़ास चीज़ की चाहत और आरज़ू हो तो इस वक़्त माँग लो। मैं अल्लाह तआला से दुआ करूँगा और उम्मीद है वो तुम्हारी मुराद पूरी फ़रमायेगा। उन्होंने इसके जवाब में, जत्रत में आपकी रिफ़ाक़त (साथ) की ख़्वाहिश की और बार-बार दरयाफ़्त करने पर भी यही कहा, मुझे तो बस यही चाहिये। तो आपने फ़रमाया, तुम जत्रत में मेरी रिफ़ाक़त चाहते हो, ये बहुत बुलंद व बाला मक़ाम है और इस अज़ीम मर्तबे के लिये मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा। लेकिन तुम भी इसका इस्तिहक़ाक़ पैदा करने के लिये अमली कोशिश करो और वो ख़ास अमल, जो इस मंज़िल तक पहुँचाने में मददगार हो सकता है वो अल्लाह के हुज़ूर सज्दों की कसरत है। लिहाज़ा तुम इसका ख़ास एहतिमाम करके अपने इस मामले में मेरी मदद करो। हमारी इस वज़ाहत से इस ग़लत इस्तिदलाल का जवाब मिल जाता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमाना, माँग क्या माँगता है? इस पर दलालत करता है कि अल्लाह तआला ने दुनिया और आख़िरत की तमाम नेमतें आपके मिलक और इख़ितयार में दे दी थीं कि जिसको चाहें और जितना चाहें (बशर्त मुवाफ़िक़ते तक़दीर) अता कर दीं। अगर सब नेमतें आपके इख़ितयार और मिलक में दे दी थीं। तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। फ़अइन्नी अला नफ़िसक बिक्सररतिस्सुजूद और अल्लाह तआला ने ये क्यों फ़रमाया, 'इन्न-क ला तहदी मन अहबब्व और कुल्ला अम्लिकु लिनफ़सी नफ़अंव-वला ज़र्रा मैं तो अपने नफ़ा और नुक़सान का भी मालिक नहीं हूँ और आपने अपनी फूफी

और बेटी को क्यों फ़रमाया, 'ला अम्लिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ और इसके अलावा अल्लाह की इजाज़त से देने को तो इख़्तियार और मिल्लिकियत से ताबीर नहीं किया जा सकता कि जो कुछ चाहते और जिसको चाहते अपने परवरदिगार के इज़्ज़न (इजाज़त) से अता फ़रमाते जब इज़्ज़न की ज़रूरत है तो फिर हर चे और हर करा कहना कहाँ तक दुरुस्त है।

बाब 45 : सज्दे के आज़ा, कपड़ों और बालों के इकट्ठा करने और नमाज़ में सर पर जूड़ा बांधने की मुमानिअत (मनाही)

باب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ
كَفِّ الشَّعْرِ، وَالثَّوْبِ، وَعَقْصِ
الرَّأْسِ، فِي الصَّلَاةِ

(1095) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) को सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया और बालों और कपड़ों के समेटने से मना किया। ये यहया की हदीस है। और अबू रबीअ ने कहा, सात हड्डियों पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया और अपने बालों और अपने कपड़ों को इकट्ठा या जमा करने से मना किया गया। दोनों हथेलियाँ दोनों घुटने, दोनों क़दम और पेशानी पर।

(सहीह बुखारी : 809, 810, 815, 816, अबू दाऊद : 889, 890, तिर्मिज़ी : 273, नसाई : 2/208, 2/215, 2/216, इब्ने माजह : 838, 1040)

मुफ़रदातुल हदीस : अंच्यकुफ़फ़ : कफ़ रोकना या ज़मीन पर गिरने से समेटना और इकट्ठा करना और कफ़फ़त का मानी भी जमा करना और समेटना है।

(1096) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ
الزُّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ،
حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ وَنُهَيْ
أَنْ يَكْفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ . هَذَا خَلِيفَةُ يَحْيَى .
وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَنُهَيْ أَنْ
يَكْفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ
وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ

सात हड्डियों पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है और इस बात का भी कि मैं न कपड़ा ज़मीन पर गिरने से रोक्ूँ और न बाल।'

(1097) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) को सात (आज़ा) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया और बालों और कपड़ों को समेटने से रोका गया।

(सहीह बुख़ारी: 812, नसाई: 2/209, इब्नेमाजह: 884)

(1098) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे सात हड्डियों, पेशानी (और आपने अपने हाथ से अपनी नाक की तरफ़ इशारा किया) और दोनों हाथों, दोनों पाँव यानी दोनों घुटनों और दोनों क़दमों के किनारों पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है और ये कि कपड़ों और बालों को न समेटूँ।'

(1099) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे सात (आज़ा) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है और इसका कि बालों को न समेटूँ और न कपड़ों को, पेशानी और नाक दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों क़दमों पर।'

(1100) हज़रत अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जब बन्दा सज्दा करता है तो उसके साथ

ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكْفُ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا " .

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكْفِيَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّجُلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِيَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ " .

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِيَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ " .

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

सात आज़ा (अंग) उसका चेहरा (नाक समेत पेशानी) उसकी दोनों हथेलियाँ उसके दोनों घुटने और उसके दोनों क़दम सज्दा करते हैं।'

(अबू दाऊद : 891, तिर्मिज़ी : 272, नसाई : 2/208, 1098, इब्ने माजह : 885)

(1101) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को नमाज़ पढ़ते देखा और उसने सर के पीछे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) खड़े होकर उसको खोलने लगे। तो जब इब्ने हारिस ने सलाम फेरा तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ रुख़ करके पूछा, मेरे सर के साथ तुम्हारा क्या तअल्लुक़? (यानी मेरे बाल क्यों खोले?) तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'इस तरह (जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ने वाले) की मिसाल उस इंसान की तरह है जो इस हाल में नमाज़ पढ़ता है कि उसकी मशकें कसी हों।'

(अबू दाऊद : 647, नसाई : 2/215)

मुफ़रदातुल हदीस : व रअसुहु मअक़ूस : उसके सर पर बालों का जूड़ा बांधा हुआ था। अक्सुशशअरि का मानी होता है बालों की चोटी बनाना या गूंधना कहते हैं। अक़सतिल मरअतु शअरहा औरत ने अपने बालों का जूड़ा बांधा।

फ़ायदा : इन अहादीस में सज्दे के लिये सात आज़ा की तसरीह आई है। नाक पेशानी में दाख़िल है, इससे अलग नहीं है और इन सब आज़ा का ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। अहनाफ़ का पाँव के बारे में इख़ितलाफ़ है। कुछ पाँव के ज़मीन पर लगाने को फ़र्ज कहते हैं, कुछ सुन्नत और कुछ मुस्तहब। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नाक का लगाना ज़रूरी नहीं है और साहिबैन के नज़दीक ज़रूरी है। इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक पेशानी के साथ नाक का भी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होगी। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक नाक का ज़मीन पर लगाना सुन्नत या मुस्तहब है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली का तो मानी यही है कि सातों आज़ा ज़मीन पर लगाये जायें।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " .

कुछ लोग सज्दे में जाते हुए इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने कपड़ों और बालों को खाक आलूद होने से बचायें। ये बात चूंकि सज्दे की रूह और मक़सद के मुनाफ़ी है। इसलिये नमाज़ में बालों का जूड़ा बांधने और कपड़ों को समेटने से मना फ़रमाया। अब्दुल्लाह बिन हारिस सर का जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ रहे थे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने नमाज़ की हालत में उनका जूड़ा खोल दिया। जिससे साबित हुआ कि कपड़े समेटकर या जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये मानी नहीं है कि ये काम नमाज़ के दौरान में न करे अगर नमाज़ से पहले कर ले और बाद में नमाज़ शुरू कर दे तो फिर दुरुस्त है।

बाब 46 : सज्दे में ऐतदाल और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखना और सज्दे में दोनों कोहनियों को दोनों पहलूओं से दूर रखना और पेट को रानों से जुदा रखना

باب الإعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود

(1102) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सज्दा ऐतदाल के साथ करो और कोई अपनी बाहों को सज्दे में इस तरह न बिछाये जिस तरह कुत्ता बाहें ज़मीन पर बिछा देता है।'

(सहीह बुखारी : 822, अबू दाऊद : 897, तिर्मिज़ी : 276, नसाई : 2/213)

फ़ायदा : सज्दे में तमानियत और सुकून इख़्तियार करना चाहिये। यानी सज्दे में हर अंग को इत्मीनान के साथ ज़मीन पर रखना चाहिये। ऐसा न हो कि सर ज़मीन पर रखा और फोरन उठा लिया। इसी तरह सज्दे में कलाइयों को ज़मीन से ऊपर उठा रहना चाहिये और आपने कलाइयों के ज़मीन पर रखने की तश्बीह कुत्ते के फ़ैअल के साथ दी है ताकि इस फ़ैअल की क़बाहत और बुराई अच्छी तरह नमाज़ी के ज़हननशीन हो जाये।

(1103) इमाम साहब मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं। इब्ने ज़अफ़र की रिवायत में ला यब्सुत की जगह बला यतबस्सत का

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ

लफ़्ज़ है। बाकी अल्फ़ाज़ यकसौं हैं मानी एक ही है।

الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ " وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ
ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ "

(1104) हज़रत बराअ (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम सज्दा करो तो अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर रखो और अपनी कोहनियाँ ऊपर उठाओ।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي إِدْرِيسٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا سَجَدْتَ
فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ "

फ़ायदा : नमाज़ में कोहनियाँ ज़मीन से ऊपर उठाई जायेंगी और पहलूओं से भी जुदा होंगी।

बाब 47 : नमाज़ की जामेअ सिफ़त और जिससे नमाज़ का इफ़्तिताह (शुरूआत) होता है और जिससे इख़िताम (ख़त्म) होता है और रुकूअ की कैफ़ियत और उसमें ऐतदाल, सज्दा और उसमें ऐतदाल, चार रकअत वाली नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशहहुद और दो सज्दों के दरम्यान बैठने और पहले तशहहुद में बैठने का तरीक़ा व सूरात

باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا
يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةُ الرُّكُوعِ
وَالِإِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ
وَالِإِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُدِ بَعْدَ كُلِّ
رَكَعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ
الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي
التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ

(1105) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैना (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते अपने हाथों को अच्छी तरह खोल देते यानी अपने पहलूओं से अलग रखते थे। यहाँ तक कि बग़ल की सफ़ेदी नज़र आती थी।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ
مُضَرَ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى قَرَجَ بَيْنَ
يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضَ إِبْطِيئِهِ .

(सहीह बुखारी : 390, 807, नसाई : 2/212)

फ़ायदा : मालिक अब्दुल्लाह का बाप है और बुहेना माँ है।

(1106) इमाम साहब अम्र बिन हारिस और लैस बिन सअद से जअफ़र बिन रबीआ की सनद से हदीस बयान करते हैं और अम्र बिन हारिस की रिवायत के अल्फ़ाज़ ये हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा फ़रमाते, सज्दे में अपनी कोहनियों और बाजूओं को अपने पहलूओं से दूर रखते। यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी जाती और लैस के अल्फ़ाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा करते अपने हाथ बग़लों से जुदा रखते। यहाँ तक कि मैं आपकी बग़लों की सफ़ेदी देख लेता।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زَبِيْعَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَةِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضْعُ إِبْطَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَّ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़रज बैन यदैहि : हाथों को खोलना, कुशादा करना, यानी उनको पहलूओं से अलग और दूर रखना। (2) युजन्निहु : तफ़रीज, तजनीह और तख़िवयह तीनों का मानी एक ही है और उन सब का मक़सद है अपने हाथों को अपने पहलूओं से अलग और दूर रखना है। यानी दोनों बाहें इस क़द्र कुशादा हों कि अगर बदन गंगा हो तो बग़लें नज़र आ सकें।

(1107) हज़रत मैमूना (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दा करते तो अगर बकरी का बच्चा आपकी बग़लों के दरम्यान से गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता (गुज़र सकता)।

(अबू दाऊद : 898, 2/213, इब्ने माजह : 880)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بِهِمَّةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

फ़ायदा : आप अपने हाथों को बग़लों से इस क़द्र दूर रखते थे कि नीचे से बकरी का बच्चा गुज़र सकता था।

(1108) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मैमूना (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْقَزَارِيَّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

जब सज्दा करते तो अपने हाथों को कुशादा करते यानी खोलते। यहाँ तक कि पीछे से आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती और जब बैठते तो बायें रान पर बैठते।

(1109) हज़रत मैमूना बिनते हारिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा करते दोनों हाथों को पहलूओं से दूर रखते यहाँ तक कि पीछे वाला आपकी बगलों की सफ़ेदी देख सकता। वकीअ कहते हैं, वज़ह से मुराद बगलों की सफ़ेदी है।

(1110) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ का आगाज़ तकबीर से और क़िरअत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते और जब रुकूअ करते तो अपना सर न (पुश्त) से ऊँचा करते और न उसे नीचा करते, बल्कि दोनों के दरम्यान रखते और जब रुकूअ से अपना सर उठाते सज्दे में न जाते यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाते और जब सज्दे से अपना सर उठाते, सज्दा न करते यहाँ तक कि सीधे बैठ जाते और हर दो रकअतों के बाद

اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَحَ - حَتَّى يَرَى وَضَحَ إِنْطِئِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ أَطْمَأَنَّ عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِنْطِئِهِ . قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي بَيَاضَهُمَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي الْأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ بَدِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوَزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ

अत्तहिय्यात पढ़ते और अपना बायाँ पाँव बिछा लेते और दायाँ पाँव खड़ा रखते और शैतान की बैठक से मना फ़रमाते और इससे भी मना फ़रमाते कि इंसान अपनी बाहें या कलाईयाँ दरिन्दे की तरह बिछा दे और नमाज़ का इख़ितताम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह से करते। और इब्ने नुमैर की अबू ख़ालिद से रिवायत में उक्कबतिशशैतान की जगह अक्रिबिशशैतान है।

(अबू दाऊद : 783, इब्ने माजह : 812, 869, 893)

يُصَوِّئُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى
يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ
التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنِ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ
وَنَهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ
السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ . وَفِي
رَوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ
عُقْبِ الشَّيْطَانِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) लम युश़िख़स रअसहू व लम युसव्विब : इश्खास बुलंद करने और उठाने को कहते हैं और तसवीब बहुत नीचा करने को। मक़सद ये है कि इश्खास और तसवीब में ऐतदाल और तवस्सुत इख़ितयार करते (यानी कमर और सर बिल्कुल बराबर होते)। (2) उक्कबह और अक्रब का मानी है कुत्ते और दरिन्दे की तरह सुरीन ज़मीन पर रख लेना और पिण्डलियाँ खड़ी करके हाथ ज़मीन पर रख लेना।

फ़वाइद : (1) नमाज़ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करने का मक़सद ये है कि क़िरअत का आगाज़ सूरह फ़ातिहा से करते। ये मानी नहीं है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे और क़िरअत से भी पहले आप दुआए इस्तिफ़्ताह पढ़ते थे क्योंकि बिस्मिल्लाह तो पढ़नी होती है। इख़ितलाफ़ तो इसके जहर या सिर में है कि बुलंद पढ़ेंगे या आहिस्ता। (2) रुकूअ में पुशत को बिल्कुल हमवार और बराबर रखा जायेगा और सर को भी न ऊँचा किया जायेगा और न नीचा। ऐतदाल और तवस्सुत के साथ पुशत (पीठ) की सतह पर रखा जायेगा। इस तरह रुकूअ के बाद क़ौमा और दोनों सज्दों के दरम्यान जल्से में सुकून और इत्मीनान के साथ हर अंग और जोड़ को अपनी-अपनी जगह पर आने का मौक़ा दिया जायेगा। तेज़ रफ़्तारी और उज्जलत (जल्दबाज़ी) से काम नहीं लिया जायेगा। (3) हर दो रकअत के बाद अत्तहिय्यात के लिये बैठेंगे। इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक दोनों तशहहद ज़रूरी हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों वाजिब हैं। जो हनफ़ी इस्तिलाह के मुताबिक़ फ़र्ज़ से कमतर दर्जा है फ़र्ज़ नहीं हैं। मालिकिया के नज़दीक सुन्नत हैं और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक पहला तशहहद सुन्नत है और दूसरा फ़र्ज़ है। दोनों तशहहदों में दायाँ पाँव खड़ा करके बायें पाँव

को बिछाकर उस पर बैठेंगे। इमाम मालिक के नज़दीक दोनों जगह तवरूक है। यानी दायाँ पाँव खड़ा करके सुरीन पर बैठेंगे और बायें पाँव को उसके नीचे से निकाल लेंगे। इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सलाम वाले तशहहूद में तवरूक है और जिसमें सलाम न हो उसमें इफ़्तिराश (बायें पाँव पर बैठना) और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ भी यही है और हनाबिला के नज़दीक जहाँ दो तशहहूद हैं, वहाँ पहले में इफ़्तिराश और दूसरे में तवरूक और जहाँ तशहहूद एक ही है जैसे सुबह की नमाज़, जुम्आ और ईदैन वहाँ इफ़्तिराश है। खुलासा ये है कि सलाम वाले जल्से के सिवा तमाम जल्सात में इफ़्तिराश है। (4) अइम्माए सलामा मालिक, शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक सलाम फ़र्ज़ है और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। कुछ हज़रात ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सलाम की जगह कोई ऐसा काम करना जो नमाज़ के मुनाफ़ी हो, किफ़ायत कर जायेगा। लेकिन अल्लामा करखी और उनके हमनवा हज़रात के नज़दीक सलाम ही फेरा जायेगा। वो ख़ुरूज बसन्आ, नमाज़ के मुनाफ़ी हरकत की फ़र्ज़ियत को तस्लीम नहीं करते। साहिबे हिदाया और उनके हमनवा ख़ुरूज बसन्आ ही को फ़र्ज़ करार देते हैं। तर्क वाजिब से कुछ अहनाफ़ के नज़दीक गुनाह लाज़िम आता है और कुछ के नज़दीक नमाज़ का दोहराना (इआदा)।

बाब 48 : नमाज़ी के लिये सुतरह

(1111) हज़रत तलहा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख ले तो फिर नमाज़ पढ़ता रहे और उससे परे गुज़रने वाले की परवाह न करे।'

(अबू दाऊद : 685, तिर्मिज़ी : 335, इब्ने माजह : 940)

(1112) हज़रत तलहा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम नमाज़ पढ़ते रहते और चौपाये हमारे सामने से गुज़रते तो हमने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। आपने फ़रमाया, 'अगर पालान की पिछली लकड़ी के बराबर

باب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يَبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبِيدٍ الطَّنَافِيسِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

कोई चीज़ तुम्हारे सामने मौजूद हो तो फिर उसे उससे आगे गुज़रने वाली चीज़ मुज़िर (नुक़सानदेह) नहीं है। इब्ने नुमैर ने मा की जगह मन कहा।

قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابَّ تَمُرُ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مِثْلُ مُؤَخَّرَةٍ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ " فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

(1113) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'पालान की पिछली लकड़ी के बराबर हो।'

(नसाई : 2/62)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ " مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ " .

(1114) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ग़ज़्वाए तबूक के मौक़े पर नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'पालान के पिछले हिस्से की तरह या उसके बराबर हो।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ " كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ " .

(1115) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ईद के दिन बाहर निकलते तो नेज़ा अपने आगे गाड़ने का हुक्म देते और उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते और लोग आपके पीछे होते, सफ़र में भी आप ऐसा ही करते। इसी बिना पर हुक्काम नेज़ा रखते हैं।

(सहीह बुखारी : 494, अबू दाऊद : 687)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمَنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءَ .

फ़ायदा : सुतरे का मक़सद ये है कि नमाज़ी के सामने कोई चीज़ आड़ या रुकावट के लिये रखी जाये ताकि नमाज़ी की नज़र उससे पहले पड़े और उसके परे से गुज़रने वाले से उसकी नमाज़ मुतास्सिर न हो और ये तभी मुम्किन है कि नमाज़ी बिला वजह अपनी नज़र सज्दागाह से हटाये और अगर इंसान जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो तो फिर इमाम का सुतरह ही काफ़ी है। हर नमाज़ी को अलग सुतरह रखने की ज़रूरत नहीं होगी और उसकी ज़रूरत मस्जिद से बाहर खुली जगह में पेश आयेगी। जैसाकि आप ईदैन और सफ़र के मौक़े पर आगे नेज़ा नसब करवाते थे। मस्जिद में दीवार ही इमाम के लिये सुतरह है। सुतरे की शक्ल आपने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर को करार दिया है और ये एक हाथ या उससे कुछ बड़ी होती है।

(1116) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी (ﷺ) नेज़ा गाड़ते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। इब्ने नुमैर ने यरकुज़ु और अबू बकर ने यरिज़ु का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। दोनों का मानी है कि आप गाड़ते थे और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, उबैदुल्लाह ने कहा, अतरह से मुराद हरबह (बरछा) है।

(1117) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी सवारी को सामने बिठाकर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते या उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेते।

(सहीह बुखारी : 507)

(1118) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी सवारी की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ लेते थे और इब्ने नुमैर ने कहा, नबी (ﷺ) ने ऊँट या ऊँटनी की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी।

(अबू दाऊद : 692, तिर्मिज़ी : 352)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बईर : इल्लाक़, इंसान की तरह मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिये है और जमल रज़ुल की तरह मुज़क्कर के लिये है और (2) नाक़ह : मिरअत (औरत) की तरह मुअन्नस के लिये है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُكُّ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْرِزُ - الْعَنْزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا . زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْحَرْتَةُ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ .

(1119) हज़रत औन बिन अबी जुहैफ़ा अपने बाप से बयान करते हैं कि मैं मक्का में नबी (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और आप अबतह मक़ाम पर सुर्ख चमड़े के एक ख़ैमे में थे। तो बिलाल आपके वुज़ू का पानी लेकर निकले। किसी को पानी मिल गया और किसी पर दूसरे ने छिड़क दिया। फिर नबी (ﷺ) सुर्ख जोड़ा पहने हुए निकले गोया कि मैं आपकी पिण्डलियों की सफ़ेदी को देख रहा हूँ। आपने वुज़ू किया और बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान कही और मैं उनके मुँह के साथ इधर-उधर दायें-बायें मुँह फेरने लगा हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कह रहे थे। फिर आपके लिये नेज़ा गाड़ा गया और आपने आगे बढ़कर ज़ुहर की दो रकअतें पढ़ाई (आप मदीना से तशरीफ़ लाये थे इस बिना पर मुसाफ़िर थे) आपके आगे से गधे और कुत्ते गुज़रते रहे, किसी ने उन्हें रोका नहीं। फिर आपने अ़सर की दो रकअतें पढ़ीं और फिर मदीना वापसी तक दो रकअत ही पढ़ते रहे।

(अबू दाऊद : 520, तिर्मिज़ी : 197, नसाई : 8/200)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नाइलुन : अख़ज़ करना, लेना। नाल, यनाल से नाज़िहुन छिड़कना यानी कुछ तो बराहे रास्त पानी ले रहे थे और कुछ पर पानी लेने वाले छिड़क रहे थे। (2) हुल्लतुन हम्राउ : हुल्ला जोड़ा, एक बांधने के लिये तहबंद और दूसरी ओढ़ने की चादर।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि वुज़ू में इस्तेमाल होने वाला पानी नापाक नहीं है इसलिये सहाबा किराम (रज़ि.) आपके वुज़ू पर झपटते थे और एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करते। आपके वुज़ू के बचे हुए पानी से सहाबा किराम (रज़ि.) का तबरूक हासिल करना इस बात की दलील नहीं बन सकती कि बुजुर्गों के आस़ार से तबरूक हासिल करना जाइज़ है। क्योंकि सहाबा किराम

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأُطْحَحِ فِي قَبَةِ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ - فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَتَاضِحٍ - قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِ سَاقِيهِ - قَالَ - فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَاهَا هُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا - يَقُولُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ - ثُمَّ رُكِّزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

(रज़ि.) ने ये काम रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिवा किसी और बड़ी शख़िसियत के लिये नहीं किया। खुलफ़ाए राशिदीन से अफ़ज़ल और बरतर कौनसा बुजुर्ग हो सकता है। सहाबा किराम (रज़ि.) ने उनके आस्रार से तबर्कक हासिल नहीं किया और आपके फुज़लात का क्या हुक़म है। अब इस पर बहस की ज़रूरत नहीं है कि वो पाक थे या पलीद तो ये आपकी ज़िन्दगी के दौर का मसला था। आपके लुआबे दहन और वुजू के पानी पर तो सहाबा किराम झपटते थे, बोल व बराज़ और खून के सिलसिले में तो ये वाक़िया पेश नहीं आया। तप्सलील पीछे गुज़र चुकी है।

(1120) औन बिन अबी जुहैफ़ा से रिवायत है कि उसके बाप ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को चमड़े के सुर्ख़ ख़ैमे में देखा और बिलाल (रज़ि.) को देखा, उसने आपके वुजू का पानी बाहर निकाला उसने कहा, तो मैंने लोगों को देखा कि वो उस पानी को लेने के लिये एक-दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको उससे कुछ पानी मिल गया, उसने उसको बदन पर मल लिया और जिसको न मिला उसने अपने साथी के तर हाथ से हाथ तर किया। फिर मैंने बिलाल को देखा उसने एक नेज़ा निकाला और उसको गाड़ा और रसूलुल्लाह (ﷺ) सुर्ख़ जोड़े में उसको ऊपर उठाये हुए निकले या जल्दी से निकले और नेज़े की तरफ़ रुख़ करके लोगों को दो रक़अत नमाज़ पढ़ाई और मैंने लोगों और चौपायों को देखा कि वो नेज़े के सामने से गुज़र रहे थे।

(सहीह बुख़ारी : 376, 5786, 5859)

फ़ायदा : अगर इमाम के आगे सुतरह हो तो उसके सामने से गुज़रने की सूरत में नमाज़ मुतास्सिर नहीं होती।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي
جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا
أَخْرَجَ وَضُوءًا فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَلِكَ
الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ
لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ
بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةِ حَمْرَاءَ مُشَمَّرًا
فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ
النَّاسَ وَالذُّوَابَ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ .

(1121) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं और एक-दूसरे से ज़्यादा बयान करता है। मालिक बिन मिगवल की हदीस में है जब दोपहर का वक़्त हुआ, बिलाल ने निकलकर नमाज़ के लिये अज़ान दी।

(सहीह बुख़ारी : 633, 3566)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَتَأَدَّى بِالصَّلَاةِ .

(1122) हज़रत अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) बतहा की तरफ़ निकले और वुजू करके जुहर और असर की दो-दो रक़अतें पढ़ीं और आपके सामने नेज़ा था। शोबा ने कहा, औन ने अपने बाप अबू जुहैफ़ा से ये इज़ाफ़ा किया कि नेज़े के पार से औरतें और गधे गुजर रहे थे। (सहीह बुख़ारी : 187, 501, 3553, नसाई : 1/235)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهَرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ . قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि सफ़र में दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जा सकती हैं (जमा भी तकदीम है)।

(1123) इमाम साहब अपने और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा किया है लोग आपके वुजू के बच्चे हुए बाक़ी मान्दा पानी को हासिल कर रहे थे।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ .

(1124) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं गधी पर सवार होकर आगे बढ़ा, जबकि मैं बुलूगत के करीब था और आप (ﷺ) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो मैं सफ़ के आगे से गुज़रा फिर मैं गधी से उतरा सफ़ में शरीक हो गया और गधी को चरने के लिये छोड़ दिया। इस पर मुझे किसी ने ऐतराज़ नहीं किया।

(सहीह बुखारी : 76, 493, 861, 1857, 4412, अबू दाऊद : 715, तिर्मिज़ी : 337, नसाई : 2/63, इब्ने माजह : 947)

(1125) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि वो गधी पर सवार होकर आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। गधी सफ़ के कुछ हिस्से के आगे से गुज़री। फिर वो उससे उतर कर लोगों के साथ सफ़ में मिल गये।

(1126) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें ये है कि नबी (ﷺ) अरफ़ा में नमाज़ पढ़ा रहे थे।

(1127) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، قَدْ نَاهَزْتُ الإِخْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ فَتَرَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُتَكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنَى فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ - قَالَ - فَسَارَ الحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

उसमें मिना या अरफा का तज़क़िरा नहीं किया और कहा हज्जतुल विदाअ या फ़तहे मक्का के मौक़े पर।

بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ مِنِّي وَلَا عَرَفَةَ
وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمِ الْفَتْحِ .

बाब 49 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को रोकना

باب مَنَعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

(1128) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो किसी को आगे से न गुज़रने दे, जहाँ तक मुम्किन हो उसको दफ़अ करे (हटाये) अगर वो न माने (बाज़ न आये) तो उससे लड़े (ज़ोर से धक्का दे) क्योंकि वो शैतान है।' (अबू दाऊद : 697, 698, नसाई : 2/66, इब्ने माजह : 954)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلْيَنْذِرْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ
شَيْطَانٌ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) वलियदरअहु : उसको (इशारा या हाथ से) दफ़अ करे, रोके या हटाये।
(2) इन्नमा हु-व शैतान : वो सरकश और बागी है और शैतान के पीछे लगकर अच्छी बात को कुबूल नहीं कर रहा।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर कोई इंसान नमाज़ी के आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसको रोका जायेगा। अगर वो नमी से बाज़ न आये तो फिर ज़ोर और ताक़त से रोका जायेगा। लेकिन ये तभी जाइज़ है जब नमाज़ी ने अपने आगे सुतरह रखा हो और उसके बावजूद वो बिला वजह नमाज़ी के आगे से गुज़रे।

(1129) हज़रत इब्ने हिलाल (रह.) (यानी हुमैद) बयान करते हैं कि इसी दौरान मैं और मेरा साथी एक हदीस के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अबू सालेह सम्मान ने कहा, मैं तुम्हें अबू सईद से सुनी हुई हदीस और उनका

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالٍ، - يَغْنِي حُمَيْدًا
- قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ، لِي نَتَذَكَّرُ حَدِيثًا

अमल बताता हूँ। मैं अबू सईद के साथ था और वो जुम्आ के दिन लोगों से किसी चीज़ की आड़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। इतने में अबू मुएत के खानदान का एक नौजवान आया और उसने उनके आगे से गुज़रना चाहा तो उन्होंने उसके सीने पर मारा। उसने नज़र दौड़ाई तो उसे अबू सईद के सामने के सिवा कोई रास्ता न मिला तो उसने दोबारा गुज़रना चाहा तो उन्होंने पहली बार से ज़्यादा शिद्दत से उसके सीने पर हाथ मारा। यानी ज़ोर से धक्का दिया तो वो सीधा खड़ा हो गया और अबू सईद पर तअनो-तशनीअ करने लगा। फिर लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया और निकलकर मरवान के पास गया और अपनी तकलीफ़ की उससे शिकायत की और अबू सईद भी मरवान के पास पहुँच गये। तो उसने उनसे कहा, आपका अपने भतीजे के साथ क्या मामला है? वो आकर आपकी शिकायत कर रहा है तो अबू सईद (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुममें से कोई लोगों से किसी चीज़ की आड़ में नमाज़ पढ़े और कोई उसके आगे से गुज़रना चाहे तो वो उसके सीने पर मारे (धक्का दे) अगर वो न माने (गुज़रने से बाज़ न आये) तो उससे लड़े (ज़ोर और ताक़त इस्तेमाल करे) क्योंकि वो तो शैतान है (यानी सरक़श और शरीर है)।'

(सहीह बुख़ारी : 509, 3274, अबू दाऊद : 700)

إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَانُ أَنَا أَخَذْتُكَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ، مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَمَثَلَ قَائِمًا فَتَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ رَاحَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي - قَالَ - وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नताज़करु : किसी मसले पर बातचीत और गुफ्तगू करना। (2) मसाग़ : गुज़रगाह, रास्ता। (3) मसल : सा पर ज़बर और पेश दोनों आ सकते हैं, सीधा खड़ा हो गया। (4) नाला मिन अबी सईद : अबू सईद को बुरा-भला कहा, उनको इज़्जत व आबरू पर हमला किया।

(1130) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से न गुज़रने दे, अगर वो न माने तो उससे लड़े (ज़ोर आज़माई करे) क्योंकि उसके साथ हमज़ाद है।'

(इब्ने माजह : 955)

(1131) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(1132) हज़रत बुसर बिन सईद (रह.) बयान करते हैं कि ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने उसे अबू जुहैम की खिदमत में भेजा कि उनसे पूछूँ कि उसने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से क्या सुना है? अबू जुहैम ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जान ले (इस्तिहज़ार कर ले) कि उस पर (इस अमल का गुनाह) किस क़द्र है तो उसके लिये चालीस तक ठहरे रहना उसके आगे से गुज़रने से बेहतर हो।'

حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " .

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ . بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

अबू नज़्र कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने चालीस दिन कहा या माह या साल कहा।

(सहीह बुखारी : 510, अबू दाऊद : 701, तिर्मिज़ी : 336, नसाई : 1/755, इब्ने माजह : 945)

(1133) हमें अब्दुल्लाह बिन हाशिम बिन हय्यान अबदी ने वकीअ के वास्ते से सुफ़ियान की अबू नज़्र से सालिम से बुस्र बिन सईद की रिवायत सुनाई कि ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने उसे अबू जुहैम (रज़ि.) के पास भेजा आपने नबी (ﷺ) को क्या फ़रमाते सुना? फिर मालिक की रिवायत की तरह हदीस बयान की।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ी के आगे से गुज़रना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इंसान इस गुनाह का तसव्वुर कर ले तो फिर वो किसी नमाज़ी के आगे से गुज़रने की ज़सारात न करे। अगरचे उसे काफ़ी देर तक ही क्यों न रुकना पड़े। अगरचे कुछ रिवायात में चालीस साल और कुछ सौ साल की गिनती आई है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أُرْسِلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

बाब 50 : नमाज़ी के सुतरह के करीब खड़ा होना

(1134) हज़रत सहल बिन साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सज्दे की जगह और दीवार के दरम्यान बकरी गुज़रने के बराबर फ़ासला था।

(सहीह बुखारी : 496, अबू दाऊद : 696)

باب دُنُو الْمُصَلِّي مِنَ الشُّرَّةِ

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ी को सुतरह के करीब खड़ा होना चाहिये। सुतरह और नमाज़ी के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला नहीं होना चाहिये।

(1135) हज़रत सलमा (रज़ि.) (जो अक्वअ का बेटा है) के बारे में रिवायत है कि वो कोशिश करके (मस्जिदे नबवी में) उस जगह नफ़ली नमाज़ पढ़ते जहाँ मुस्हफ़ रखा हुआ था और उन्होंने बताया रसूलुल्लाह (ﷺ) उस जगह को पसंद फ़रमाते थे और मिम्बर और क़िब्ले की दीवार के दरम्यान बकरी गुज़रने के बराबर फ़ासला था।

(सहीह बुखारी : 497, अबू दाऊद : 1082)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، - عَنْ يَزِيدَ، - يَعْني ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ سَلَمَةَ، - وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَيْلَةِ قَدْرُ مَمَرٍ الشَّاةِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यतहरा : कोशिश करते, उसका इन्तिखाब करते। यानी उस जगह को तरजीह देते। (2) मकानल मुस्हफ़ : वो जगह जहाँ मस्जिदे नबवी में हज़रत इस्मान (रज़ि.) ने मुस्हफ़ इमाम के लिये सन्दूक में रखवाया था। जहाँ मुहाजिरों के बैठने का सुतून था।

फ़ायदा : दौरे नबवी (ﷺ) से मेहराब न था इसलिये मिम्बर दीवार के करीब रखा गया था। मिम्बर और दीवार का फ़ासला बकरी गुज़रने के बक़दर था और आप मिम्बर के पास खड़े होते थे इसलिये आपकी सच्चागाह और दीवार का फ़ासला बक़दर ममरुशशाह (बकरी गुज़रने के बराबर) था।

(1136) हज़रत यज़ीद बयान करते हैं कि हज़रत सलमा (रज़ि.) मुस्हफ़ के करीब वाले सुतून के पास नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते। मैंने उनसे पूछा, ऐ अबू मुस्लिम! मैं आपको इस सुतून के पास नमाज़ पढ़ने का क़सद करते देखता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, मैंने नबी (ﷺ) को इसके करीब नमाज़ पढ़ने का क़सद करते देखा है (अबू मुस्लिम हज़रत सलमा (रज़ि.) की कुन्नियत है)।

(सहीह बुखारी : 502, इब्ने माजह : 1430)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ . قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

बाब 51 : नमाज़ी के सुतरह की
मिक्दार

(1137) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ के लिये खड़ा हो तो उसके लिये सुतरह (आड़) बनेगा, जब उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ हो। अगर उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ न हो तो गधा, औरत और काला कुत्ता उसकी नमाज़ (के ख़ुशूअ) को मुन्क़तअ कर देता है।' मैंने पूछा, ऐ अबू ज़र! काले कुत्ते की तख़सीस क्यों? अगर कुत्ता लाल या ज़र्द हो फिर? उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे! मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही सवाल किया था जो तूने मुझसे किया है तो आपने फ़रमाया, 'काला कुत्ता शरीर (शैतान) होता है।'

(अबू दाऊद : 702, तिर्मिज़ी : 338, नसाई : 2/63, इब्ने माजह : 952, 3210)

(1138) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

باب قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " . قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي
 ح، قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَيْضًا أَخْبَرَنَا
 الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ
 أَبِي الدِّيَالِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ
 حَمَّادِ الْمُعْنِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ
 عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
 هِلَالٍ، بِإِسْنَادِ يُوسُفَ كَتَبُو حَدِيثَهُ .

(1139) हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत, गधा और (काला) कुत्ता नमाज़ तोड़ देते हैं और पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ उसकी हिफ़ाज़त करती है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
 الْمَعْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - وَهُوَ ابْنُ
 زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
 وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ " .

फ़ायदा : गधा, काला कुत्ता और औरत की तरफ़ देखने से इंसान की सोच व फ़िक्र या ज़हन मुतास्सिर होता है। गधे और कुत्ते से शर और नुक़सान पहुँचने का ख़तरा होता है और औरत जिन्सी कशिश रखती है। इसलिये नमाज़ी का खुशूअ व खुजूअ और तवज्जह बरकरार नहीं रहती और नमाज़ में यही चीज़ें मतलूब हैं। इसलिये इसको नमाज़ के टूटने से ताबीर कर दिया गया है। अगर ये चीज़ें सुतरह से परे या दूर हों तो उनकी तरफ़ तवज्जह नहीं होती इसलिये नमाज़ मुतास्सिर नहीं होती। बहरहाल जुम्हूर के नज़दीक नमाज़ बातिल नहीं होती, उसमें नुक़्स पैदा हो जाता है और अरबी मुहावरे के मुताबिक़ इसको टूटने से ताबीर किया गया है।

बाब 52 : नमाज़ी के सामने लेटना

(1140) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते थे और मैं आपके और क़िबले के दरम्यान जनाज़े की तरह चौड़ाई में लेटी होती थी।

(इब्ने माजह : 956)

(1141) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपनी पूरी नमाज़ पढ़ते और मैं आपके और आपके क़िबले के दरम्यान लेटी होती और जब आप वित्र पढ़ना चाहते तो मुझे जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती।

(1142) हज़रत इरवह बिन जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पूछा, मैंने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने जनाज़े की तरह ज़मीन में लेटे हुए देखा जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे।

باب الإغتراض بين يدي المصلي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيَقْظَنِي فَأَوْتِرْتُ .

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لِدَابَّةٌ سَوْءٌ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي .

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की अहादीस से ये साबित होता है कि अगर नमाज़ी के सामने औरत इस अन्दाज़ से लेटी हो कि उससे नमाज़ी की तवज्जह न बटे और वो उससे मुतास्सिर न हो तो उसकी

नमाज़ पर असर नहीं पड़ता। हज़रत आइशा (रज़ि.) रात को आपके सामने लेटी होती थीं और रात की तारीकी और अन्धेरे की बिना पर क्योंकि उन दिनों जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत में आ रहा है घरों में चिराग़ नहीं होते थे, आपकी नज़र आइशा (रज़ि.) पर नहीं पड़ती थी। इसलिये आप उनके सामने होने के बावजूद नमाज़ पढ़ते रहते थे।

(1143) हज़रत मसरूक़ बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने उन चीज़ों का तज़्किरा किया गया जिनके सामने गुज़रने से नमाज़ टूटती है यानी कुत्ता, गधा और औरत। तो आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबेह बना दिया है। अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस हाल में नमाज़ पढ़ते देखा कि मैं चारपाई पर आपके क़िबले के दरम्यान लेटी होती थी, मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो बैठकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को तकलीफ़ देना पसंद न करती, इसलिये (चारपाई) के पायों की तरफ़ से खिसक जाती।

(सहीह बुख़ारी : 514, 511, 6276)

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، . قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهُتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكَلابِ . وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّوا لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأَوْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के क़ौल 'तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबेह कर दिया' से इस्तिदलाल करते हुए सिराते मुसतक़ीम की इबारत को निशाना बनाया है हालांकि इससे इस्तिदलाल बेमहल है क्योंकि ये बात हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ज़ब्बाती अन्दाज़ में फ़रमाई है। वरना यहाँ मुशाबिहत है ही नहीं। हदीस का मक़सद तो सिर्फ़ उन चीज़ों का तज़्किरा करना है जिनसे नमाज़ी का ज़हन और दिलो-दिमाग़ मुतास्सिर हो सकते हैं और अगर बिल्फ़र्ज़ यहाँ मुशाबिहत है तो उसमें बयान करने वालों का क्या कुसूर ये बात तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है और आपकी फ़रमाई हुई बात कैसे क़ाबिले ऐतराज़ हो सकती है। जिस चीज़ को आप (ﷺ) बुरा ख़याल नहीं करते या उसको तौहीन आमेज़ नहीं समझते, हम उसको बुरा ख़याल क्यों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर औरत के

सामने आने से इंसान मुतास्सिर नहीं होता तो फिर हज़रत आइशा (रज़ि.) आपके सामने बैठने को आपके लिये अज़ियत का बाइस क्यों समझती थीं? और चारपाई के पायों से खिसक कर क्यों निकलती थीं?

(1144) हज़रत अस्वद बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया है हालांकि मैंने अपने आपको इस हालत में पाया है कि मैं चारपाई पर लेटी होती थी, रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाते और चारपाई के दरम्यान नमाज़ पढ़ते। मैं आपके सामने ज़ाहिर होना नापसंद करती तो मैं चारपाई के पायों से खिसक कर अपने लिहाफ़ से निकल जाती।

(सहीह बुखारी : 508, नसाई : 2/65)

(1145) हमें यहया बिन यहया ने बताया कि मैंने इमाम मालिक को अबू नज़र की अबू सलाम बिन अब्दुर्रहमान से आइशा (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सो जाती और मेरे पाँव आपके क़िबले में होते जब आप सज्दा करते तो मेरा पाँव दबा देते। तो मैं अपने पाँव सुकेड़ लेती और जब आप खड़े हो जाते तो मैं उनको फैला लेती। उन्होंने (आइशा ने) बताया उन दिनों घरों के अंदर चिराग़ नहीं होते थे।

(सहीह बुखारी : 382, 513, 1209, अबू दाऊद : 713, नसाई : 1/101)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपके घर में रात को चिराग़ नहीं जलता था। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) को देखकर ये पता नहीं चल सकता कि आप सज्दा करना चाहते हैं इसलिये वो अपने तौर पर पाँव नहीं सुकेड़ सकती थीं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلابِ وَالْحُمْرِ لَقَدْ رَأَيْتِنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ فَيُصَلِّي فَأُكْرَهُ أَنْ أَسْتَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أُنْسَلَ مِنْ لِحَافِي .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبَلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَفَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا - قَالَتْ - وَالْبَيْوتُ يَوْمَئِذٍ نَيْسٌ فِيهَا مَصَابِيحُ .

(1146) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मैमूना (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और मैं हैज़ की हालत में आपके मुतवाज़ी (बराबर) होती। कई बार जब आप सज्दा करते तो आपका कपड़ा मुझसे लग जाता।

(सहीह बुखारी : 333, 379, 517, 518, अबू दाऊद : 656, इब्ने माजह : 1028)

(1147) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते और मैं हैज़ की हालत में आपके पहलू में होती। मुझ पर चादर होती और आपके पहलू में होने से उसका कुछ हिस्सा आप पर भी होता।

(अबू दाऊद : 370, नसाई : 2/67, इब्ने माजह : 652)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है कि अगर औरत नमाज़ी के पहलू में खड़ी हो तो उससे नमाज़ बातिल नहीं होती। जुम्हूर का मौक़िफ़ यही है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ बातिल हो जायेगी। (2) औरत अगर हैज़ की हालत में हो तो उसने जो कपड़ा ओढ़ा हो वो पलीद नहीं होता। इसलिये एक ही कपड़ा अगर उसका कुछ हिस्सा हाइज़ा पर हो और कुछ नमाज़ी पर, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है।

तम्बीह : (1) जब नमाज़ी सुतरह के बग़ैर नमाज़ पढ़ रहा हो तो गुज़रने वाला इतने फ़ासले से गुज़र सकता है जितने फ़ासले से खुशूअ व खुजूअ के साथ नमाज़ पढ़ने वाले को वो नज़र न आये और नमाज़ी को नज़र आम तौर पर अपनी सज्दागाह तक महदूद रखनी चाहिये और बैठा हुआ हैवान भी सुतरह का काम देता है। जैसाकि आप ऊँट आगे बिठा लेते थे। (2) पाकिस्तानी नुस्खों में सुतरह के तमाम मबाहि़स को एक बाब के तहत दर्ज कर दिया गया है जबकि अरबी नुस्खों में सुतरह के मबाहि़स को आठ अबवाब के तहत बयान किया गया है और हर बाब में अलग-अलग बातों की निशानदेही की गई है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرَمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٍ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ .

**बाब 53 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना
और उसके पहनने का तरीका**

(1148) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक साइल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुममें से हर एक के पास दो कपड़े हैं?'

(सहीहबुखारी: 358, अबू दारुद: 625, नसाई: 2/762)

(1149) इमाम साहब अपने और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(1150) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पुकार कर पूछा, क्या हममें से कोई एक कपड़े में नमाज़ पढ़ सकता है? तो आपने जवाब दिया, 'क्या तुममें से हर एक के पास दो कपड़े हैं?'

फ़ायदा : अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस से साबित होता है कि जिस दौर में साइल ने आपसे एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया था, वो इन्तिहाई फ़क्रो-एहतियाज (ग़रीबी) का दौर था और हर इंसान के पास इतनी सक्त न थी कि वो दो कपड़े पहने। इसलिये शरीअत ने नमाज़ के लिये कपड़ों की तहदीद नहीं की। इंसान के पास जिस क़द्र वुस्अत व गुंजाइश हो या जितने कपड़े वो पहनता हो उन्हीं में नमाज़ पढ़ ले, सतर को छिपाना ज़रूरी है।

**باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ وصفه
لنبيه**

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ " أَوْلَاكُمْ ثَوْبَانِ " .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّصَلِّي أَحَدَنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ " أَوْلَاكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ " .

(1151) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ इस तरह न पढ़े कि उसके कन्धों पर कुछ न हो।' (अबू दाऊद : 626, नसाई : 1/768)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ " .

(1152) हज़रत उमर बिन सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारे आप कन्धों पर रखे हुए थे। (सहीह बुखारी : 354, 355, 356, तिर्मिज़ी : 339, नसाई : 2/70, इब्ने माजह : 1049)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاحِدًا طَرْفِيهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

मुफ़रदातुल हदीस : मुश्तमिल, मुतवश्शिह और (मुखालिफ़ बै-न तरफ़ैहि) तीनों हम मानी हैं। जिसका मक़सद ये है कि कपड़े का जो किनारा दायें कन्धे पर डाला है, उसको बायें हाथ के नीचे से ले जाये और जो किनारा बायें कन्धे पर रखना है उसको दायें हाथ के नीचे से ले जाये। फिर दोनों किनारों को सीने पर बांध ले।

(1153) हमें यही रिवायत अबू बकर बिन अबी शैबा और इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने वकीअ के वास्ते से हिशाम बिन उरवह की मज़कूरा बाला सनद से सुनाई। हाँ ये फ़र्क़ है कि उसने मुश्तमिलन की जगह मुतवश्शिहन कहा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا . وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا .

(1154) हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

आपने उसको लपेटा हुआ था और उसके दोनों किनारों में मुखालिफ़त की हुई थी।

(1155) अबू सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप एक कपड़े को लपेटकर किनारों को उलटा करके नमाज़ पढ़ रहे थे। ईसा बिन हम्माद ने अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि अपने कन्धों पर डाले हुए थे।

(अबू दारुद : 628)

(1156) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, आपने उसको लपेटा हुआ था।

(1157) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूर बाला (पिछली) रिवायत नक़ल करते हैं।

(1158) हज़रत अबू जुबैर मक्की (रह.) से रिवायत है कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, वो उसको लपेटे हुए थे और उनके पास उनके कपड़े मौजूद थे और जाबिर (रज़ि.) ने बताया कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

عليه وسلم يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعِيسَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالَفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ . زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَادٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ . وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ .

(1159) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो नबी (ﷺ) के पास गये वो कहते हैं कि मैंने आपको एक चटाई पर नमाज़ पढ़ते देखा। उस पर आप सज्दा करते थे और मैंने आपको एक कपड़े में, उसको लपेट कर नमाज़ पढ़ते देखा।

(तिर्मिज़ी : 332, इब्ने माजह : 1029, 1048)

(1160) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं, अबू कुरैब की रिवायत में है आपने उसके दोनों किनारे अपने कन्धों पर रखे हुए थे और अबू बकर और सुवैद की रिवायत में है आप उसको लपेटे हुए थे।

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى خَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ - قَالَ - وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُؤَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

फ़वाइद : (1) इन तमाम रिवायतों से साबित होता है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना बिला शक व शुब्हा दुरुस्त है लेकिन इसका कुछ हिस्सा कन्धों पर होना चाहिये। अगर गुंजाइश और मक्दरत के बावजूद कपड़ा कन्धों पर न डाला तो जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक नमाज़ मक्दरत होगी। इमाम अहमद (रह.) का एक क़ौल है, ऐसी सूरत में नमाज़ सहीह नहीं होगी अगर कपड़ा तंग हो और कन्धों पर न डाला जा सकता हो तो फिर उसको तहबंद बना लिया जायेगा। अगरचे कन्धे नंगे होंगे नमाज़ में कोई खलल पैदा नहीं होगा। (2) नमाज़ के लिये सिर्फ़ सतर फ़र्ज़ है। इसलिये एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कपड़े ज़्यादा हों और इंसान आम तौर पर सर ढाँपे रखता हो तो फिर बिला वजह नंगे सर नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं है। बुखारी (रह.) ने हसन बसरी (रह.) का क़ौल नक़ल किया है कि (गर्मी की बिना पर) लोग (सहाबा रज़ि.) पगड़ी और टोपी पर सज्दा करते थे (यानी पगड़ी और टोपी का कुछ हिस्सा पेशानी पर होता) और उनके हाथ आस्तीनों में होते थे और कलीब ने अपने मामू से नक़ल किया है, मैं सर्दियों में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो वो बरानस (लम्बी टोपी या वो लिबास जो सर को ढांप ले) और चादरों में नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके हाथ उनकी चादरों में थे। (मज्मउज़्ज़वाइद)

इस किताब के कुल 55 बाब और 409 हदीसों हैं।



کتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

किताबुल मसाजिदि व मवाज़िइस्सलात
(किताब मस्जिदों और नमाज़ की जगहों
का बयान)

हदीस नम्बर 1161 से 1569 तक

किताबुल मसाजिद का तआरुफ़

इमाम मुस्लिम (रह.) किताबुस्सलात में अज़ान, इक़ामत और बुनियादी अरकाने सलात के हवाले से रिवायात लाये हैं। मसाजिद और नमाज़ से मुताल्लिक़ ऐसे मसाइल जो बराहे रास्त अरकाने नमाज़ की अदायगी का हिस्सा नहीं लेकिन नमाज़ से मुताल्लिक़ हैं, उन्हें इमाम मुस्लिम ने किताबुल मसाजिद में ज़िक्र किया है जैसे किब्लए अव्वल और उसकी तब्दीली, नमाज़ के दौरान में बच्चों को उठाना, ज़रूरी हरकात जिनकी इजाज़त है, नमाज़ में सज्दे की जगह को साफ़ या बराबर करना, खाने की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ना, बदबूदार चीज़ें खाकर आना, वक़ार से चलते हुए नमाज़ के लिये आना, कुछ दुआयें जो मुस्तहब हैं यहाँ तक कि औक़ाते नमाज़ को भी इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल मसाजिद में सहीह अहादीस के ज़रिये से वाज़ेह किया है। ये एक मुफ़स्सल और जामेअ हिस्सा है जो इन्तिहाई ज़रूरी इन्वानात पर मुश्तमिल है और किताबुस्सलात से ज़्यादा लम्बा है।

5. किताब मस्जिदों और नमाज़ की जगहों का बयान

बाब 1 : मस्जिदें और नमाज़ की जगहें

(1161) हज़रत अबू (ؓ) ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! सबसे पहले रूए ज़मीन पर कौनसी मस्जिद बनाई गई? आपने फ़रमाया, 'मस्जिदे हराम।' मैंने पूछा, फिर कौनसी? फ़रमाया, 'मस्जिदे अक्रसा।' मैंने पूछा, दोनों की तामीर में कितने अरसे का फ़ासला है? आपने फ़रमाया, 'चालीस साल।' फिर फ़रमाया, 'अब जहाँ भी तुझे नमाज़ का वक़्त आये, नमाज़ पढ़ ले वही जगह मस्जिद है।' अबू कामिल की रिवायत में है, 'फिर जहाँ तुम्हें नमाज़ आ ले, उसको पढ़ लो क्योंकि वही जगह मस्जिद है।' (सहीह बुखारी : 3366, 3425, नसाई : 2/32, 89, इब्ने माजह : 753)

(1162) हज़रत इब्राहीम बिन यज़ीद तैमी (रह.) से रिवायत है कि मैं सुदह में (मस्जिद के बाहर सायबान में) अपने बाप को कुरआन मजीद सुनाया करता था। तो जब मैं सज्दे वाली आयत सुनाता तो वो सज्दा कर लेते तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा जान! क्या आप रास्ते में ही सज्दा कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैंने अबू ज़र (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, रूए

كتاب المساجد ومَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " . قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ " ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ " .

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنِ فِي السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ "

जमीन पर सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई? आपने फ़रमाया, 'मस्जिदे हुराम।' मैंने अर्ज़ किया, फिर कौनसी? आपने फ़रमाया, 'मस्जिदे अक़सा।' मैंने पूछा, दोनों की तामीर के दरम्यान कितना अरसा है? आपने फ़रमाया, 'चालीस साल।' फिर फ़रमाया, 'सारी ज़मीन तुम्हारे लिये मस्जिद है, जहाँ नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ पढ़ लो।'

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ "
 الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " . قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ "
 أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا
 أَدْرَكَكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ " .

फ़वाइद : (1) कअबा और मस्जिदे अक़सा (बैतुल मक्दि़स) की तामीर का दरम्यानी अरसा ये कअबा और बैतुल मक्दि़स की तामीर के बारे में मशहूर बात ये है कि बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने की और बैतुल मक्दि़स हज़रत सुलैमान (अलै.) ने बनवाया और इनके दरम्यान हज़ार साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। जबकि हदीस में फ़ासला चालीस साल बयान किया गया है। असल बात ये है कि इब्राहीम (अलै.) और सुलैमान (अलै.) ने इन मस्जिदों की तासीस (बुनियाद रखना) नहीं की, बल्कि तजदीद (नये सिरे से बनाना) की है। असल तामीर तख़लीक़े आदम (अलै.) से पहले फ़रिशतों ने की है और इस तामीर व तश्कील का दरम्यानी अरसा चालीस है या मुराद आदम (अलै.) की तामीर है। दोनों मस्जिदों की बुनियाद आदम (अलै.) ने रखी और दरम्यानी फ़ासला चालीस साल था और अगर इब्राहीमी तामीर मुराद लेना हो तो ज़ाहिर है जिस तरह एक बेटे इस्माईल और उनकी औलाद के लिये एक इबादतगाह बनाई गई तो दूसरे बेटे इस्हाक़ की औलाद के लिये भी एक इबादतगाह तामीर की होगी। इसलिये बैतुल मक्दि़स की तामीर से यहाँ मुराद हज़रत याक़ूब इब्ने इस्हाक़ (रज़ि.) वाली तामीर है और दोनों की तामीर में चालीस साल का फ़ासला है। (2) जिस जगह नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ पढ़ लो से गर्ज़ ये है कि जिस जगह शरीअत ने नमाज़ पढ़ने से रोका नहीं है वहाँ नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि नमाज़ के लिये लिबास और बदन की पाकीज़गी और तहारत की तरह जगह का पाक-साफ़ होना भी ज़रूरी है। शरीअत ने क़ब्रिस्तान, हम्माम, मज़बह (ज़िब्ह करने की जगह) आम रास्ता और नजासत गाह में नमाज़ पढ़ने से मना किया है।

(1163) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ
 سَيَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفُقَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

हर नबी खास तौर पर अपनी क़ौम ही की तरफ़ भेजा जाता था और मुझे हर सुख व स्याह (गोरे व काले) की तरफ़ भेजा गया है। मेरे लिये माले ग़नीमत हलाल करार दिया गया है, मुझसे पहले किसी के लिये वो हलाल करार नहीं दिया गया। मेरे लिये रूए ज़मीन को पाक, पाक करने वाली और मस्जिद बनाया गया है, लिहाज़ा जिस शख्स को जहाँ नमाज़ का वक़्त पा ले, वहीं नमाज़ पढ़ ले और मुझे ऐसे राँब के ज़रिये मदद दी गई जो एक माह की मसाफ़त से ही लोगों (दुश्मनों) पर तारी हो जाता है (यानी मेरी धाक व दबदबा एक माह की मसाफ़त पर पड़ जाता है) और मुझे शफ़ाअत दी गई है।'

(सहीह बुखारी : 335, 438, 3122, नसाई : 1/209, 2/56)

(1164) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

عليه وسلم " أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبِعَثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحْلَتُ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَتُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

फ़ायदा : इस हदीस में आपकी पाँच इम्तियाज़ी खुसूसियात का तज़क़िरा किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सिर्फ़ यही पाँच इम्तियाज़ी औसाफ़ हैं क्योंकि मक़सूद हसर नहीं है और जिस शफ़ाअत को आपका खास्सत करार दिया गया है उससे मुराद शफ़ाअते कुबरा है। यानी जिसके नतीजे में इंसानों का महशर में हिसाब-किताब शुरू होगा और उस शफ़ाअत के बाद और अम्बिया (अलै.), मलाइका, अल्लाह तआला के नेक बन्दे, उलमा, शुहदा, अपने से तअल्लुक रखने वाले अहले इमान के हक़ में सिफ़ारिश करेंगे। यहाँ तक कि छोटी उम्र में फ़ौत हो जाने वाले बच्चे भी अपने वालिदैन के लिये सिफ़ारिश करेंगे। इस तरह कुछ आमाले सालेहा भी अपने आमिलों के हक़ में सिफ़ारिश करेंगे और उन

सिफ़ारिशों का तअल्लुक आख़िरत से है। बाकी रहा दुनिया में सिफ़ारिश, तो इसका इस हदीस से कोई तअल्लुक नहीं है।

आख़िरत में सिफ़ारिश अल्लाह की इजाज़त और मर्ज़ी से होगी। वही सिफ़ारिश कर सकेगा जिसको सिफ़ारिश करने की इजाज़त मिलेगी। इसलिये फ़रमाया, 'कौन है जो उसकी बारगाह में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश कर सके।' मन का लफ़ज़ आम है इसलिये किसी नबी और फ़रिश्ते को भी ये मजाल नहीं होगा कि वो अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश कर सके। दूसरी जगह फ़रमाया, मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिम्बअदि इज़्निही (सूरह यूनुस) 'कोई एक भी उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश नहीं करेगा।'

सिफ़ारिश भी उसी के बारे में हो सकेगी जिसके बारे में इजाज़त मिल जाये। फ़रमाया, ला तन्फ़उशशफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुरहमानु व रज़ि-य लहू क़ौला (सूरह ताहा) 'सिफ़ारिश सिर्फ़ उस शख्स को नफ़ा देगी जिसके हक़ में रहमान ने इजाज़त दी और उसके लिये कोई बात कहने को पसंद किया।' सूरह अम्बिया में फ़रिश्तों के बारे में फ़रमाया, वला यश्फ़ऊन इल्ला लिमनिर तज़ा 'वो सिर्फ़ उसी के लिये सिफ़ारिश करेंगे जिसके लिये वो पसंद फ़रमायेगा और सिफ़ारिश उतनी ही करेंगे जितनी की इजाज़त हो। जैसाकि व रज़ि-य लहू क़ौला से साबित होता है।

इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है 'हम हर किस्म की शफ़ाअत के काइल हैं ख़वाह ये शफ़ाअत बिल्इज़्नि हो या लिल वजाहत हो या बिल्मुहब्बत हो' क्योंकि शफ़ाअत की इजाज़त ही उन्हें मिलेगी जिनको अल्लाह के यहाँ वजाहत हासिल होगी या वो अल्लाह की मुहब्बत के मुस्तहिक़ होंगे। फिर इसके लिये बिला ज़रूरत तूल बयानी से काम लिया गया है और अजीब बात शुरू में ये तस्लीम कर लिया गया है कि उस बख़्शिश में उस पर किसी का इज़ारह नहीं, किसी का ज़ोर नहीं, वही तन्हा उस मफ़िरत और करमगिरी का मालिक है। लेकिन अल्लाह तआला अपने मक्बूल और मुकर्रब बन्दों की इज़ज़त और वजाहत दिखलाने के लिये अपने महबूब और पसन्दीदा बन्दों की शान ज़ाहिर करने के लिये, अपने अब्बाद व ख़वास की ख़ुसूसियत जतलाने के लिये, उनको महशर के दिन ये ऐजाज़ बख़शेगा। ये मक़ाम अता फ़रमायेगा, उन्हें इजाज़त देगा, इज़्न मरहमत फ़रमायेगा कि वो उसके गुनाहगार बन्दों की शफ़ाअत करें और अल्लाह तआला सिर्फ़ अपने फ़ज़्ल व करम से उनकी शफ़ाअत कुबूल फ़रमा कर बेहिसाब गुनाहगारों को बख़श देगा। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/38) अज़ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी

अब इसके बाद ये कहना सिर्फ़ एक ज़सarat है कि दुनिया में (वहाबिया) तलबे शफ़ाअत के काइल नहीं। (क्या हर वहाबी अल्लाह तआला से मफ़िरत तलब नहीं करता और दूसरों से बख़्शिश की दुआ नहीं कराता?) फिर कहना, वहाबिया आख़िरत में शफ़ाअत बिल्इज़्नि के काइल हैं, शफ़ाअत बिल्वजाहत और शफ़ाअत बिल्मुहब्बत के काइल नहीं।

(1165) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमें लोगों पर तीन वजह से फ़ज़ीलत दी गई है : हमारी सफ़ें फ़रिशतों की सफ़ों की तरह क़रार दी गई हैं, हमारे लिये तमाम रूए ज़मीन सज्दागाह बना दी गई है और इसकी मिट्टी जब हमें पानी न मिले हमारे लिये पाकीज़गी का ज़रिया (पाक करने वाली) बना दी गई है।' और एक और ख़ुसूसियत भी बयान की (सूरह बक्रह की आख़िरी आयतों का नुज़ूल मुराद है)।

फ़वाइद : (1) पहली उम्मतें सफ़बन्दी नहीं करती थीं और मुसलमानों को फ़रिशतों की तरह सफ़बन्दी का हुक़्म दिया गया है। (2) इस हदीस से साबित होता है कि तयम्मूम के लिये सिर्फ़ मिट्टी ही इस्तेमाल हो सकती है और अरज़ से मुराद तुराब ही है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ज़मीन की जिन्स से जो चीज़ भी हो, ढेला, पत्थर, ईंट, चूना वग़ैरह से तयम्मूम हो सकता है।

(1166) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(1167) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे दूसरे अम्बिया पर छः चीज़ों से फ़ज़ीलत दी गई है : मुझे ज़ामेअ कलिमात अता किये गये हैं, मेरी रौब व दबदबे के ज़रिये मदद की गई है और मेरे लिये ग़नीमतें हलाल कर दी गई हैं और मेरे लिये ज़मीन पाकीज़गी का बाइस

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ " . وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعٌ بْنُ جِرَاشٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أُعْطِيتُ

बनाई गई है और मस्जिद करार दी गई है और मुझे तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया है और मुझ पर नबियों को खत्म कर दिया गया, मुझे आखिरी नबी बनाया गया है।'

(सहीह बुखारी : 1553, इब्ने माजह : 567)

جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَحَلَّتْ لِي
الْغَنَائِمَ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهْرًا وَمَسْجِدًا
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي
النَّبِيُّونَ "

फ़वाइद : (1) जवामिडल कलिम : इससे मुराद ऐसे कलिमात और इबारात हैं जो इन्तिहाई मुख्तसर और फ़सीह व बलीग हैं लेकिन उनमें मअानी की एक दुनिया पोशीदा है गोया कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। इससे कुरआन मजीद मुराद है। (2) नुसितु बिर्कुअब : आप अभी दुश्मन से बहुत दूर के फ़ासले पर होते हैं और उसको आपके हमला करने के इरादे और तैयारी का पता चलता है तो उस पर अल्लाह के फ़ज़ल से दूर ही से आपका रौब तारी हो जाता था और आपके ख़ौफ़ व ख़तरे से उसका दिल दहल जाता था। (3) उहिल्लत लिग़ानाइम : पहली उम्मतें और अम्बिया जब अल्लाह तअाला की राह में जिहाद के लिये निकलते और दुश्मन पर ग़लबा के बाद उसके माल व मताअ पर काबिज़ होते तो उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे बल्कि आसमान से आग उतरकर उसको खा जाती थी और अगर उसमें किसी ने ख़यानत की होती तो आग ग़नीमत के माल को नहीं खाती थी। (4) आपकी नुबूत व रिसालत हमेशा और क़यामत तक के लिये है। इसलिये और किसी रसूल की ज़रूरत बाक़ी नहीं रही और आप पर नुबूत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है और आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी नबी के आने का इम्कान ही बाक़ी नहीं है। हज़रत ईसा (अलै.) क़यामत के कुर्ब की अलामत व निशानी के तौर पर आयेंगे, लेकिन वो लोगों को अपनी नुबूत की दावत नहीं देंगे और न ही अपना प्रचार करेंगे। बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नुबूत और आपकी शरीअत का ही ऐलान करेंगे।

(1168) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे जामेअ कलाम देकर भेजा गया है और रौब के ज़रिये मेरी नुसरत (मदद) की गई है। मैं सोया हुआ था कि इस अज्ञाना (बीच) में ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियाँ मेरे हवाले की गईं और मेरे हाथों में रख दी गईं।' हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) तो

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُعِثْتُ
بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ
أَتَيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِي

अपने रब के पास जा चुके हैं और (उन खज़ानों को) अब तुम निकाल रहे हो।
 صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَنْتَلُونَهَا .

(नसाई : 4/6)

मुफ़रदातुल हदीस : तन्तसिलूनहा : वो खज़ाने तुम निकाल रहे हो।

फ़ायदा : उतीतु बि-मफ़ातीहि खज़ाइनिल अरज़ इस ख़वाब के ज़रिये रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये बशारत (खुश ख़बरी) दी गई थी कि आपकी उम्मत के हाथों दुनिया की बड़ी-बड़ी सल्तनतें ज़मीन बोज़ होंगी और इनके ख़ज़ाने उनके हाथ लगेंगे और इस ख़वाब की ताबीर ख़ुलफ़ाए राशिदीन के हाथों मुकम्मल हुई। मुसलमानों ने देखा कि उस दौर की दोनों सुपर पावर मुसलमानों के सामने सर नगूँ हुई और रोम व ईरान के ख़ज़ाने मुसलमानों के इस्तेमाल में आये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने इस तरफ़ इशारा किया है।

(1169) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(नसाई : 4/6)

وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ .

(1170) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़कूरा रिवायत बयान करते हैं।

(नसाई : 4/6)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

(1171) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दुश्मन पर रौब तारी करके मेरी मदद की गई है

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي

और मुझे जामेअ कलाम से नवाजा गया है। मेरे सोये हुए के दौरान मुझे ज़मीन के खज़ानों की कुन्जियाँ दी गईं और उन्हें मेरे हाथों में रख दिया गया।'

هُرَيْرَةٌ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي يَدَيَّ " .

(1172) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी रौब के ज़रिये मदद की गई है और मुझे जामेअ कलाम इनायत फ़रमाई गई है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " .

बाब 2 : मस्जिदे नबवी की तामीर

باب ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1173) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो मदीना के बुलंद हिस्से में बनू अमर बिन औफ़ नामी क़बीले में फ़रोकश हुए और यहाँ चौदह रातें क्रियाम फ़रमाया। फिर आपने बनू नज्जार के सरदारों को बुलवाया तो वो लोग तलवारें लटकाये हुए आये। गोया मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपकी सवारी पर देख रहा हूँ। अबू बकर (रज़ि.) आपके पीछे सवार हैं और बनू नज्जार के लोग आपके चारों तरफ़ हैं। यहाँ तक कि आप अबू अय्यूब के आँगन

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَتَزَلَّ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ . فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ إِلَى مَلَائِكَةِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ

(सामने का सहन) में उतरे। (आपने सवारी का पालान अबू अय्यूब के आँगन में डाल दिया) और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये नमाज़ पढ़ लें और आप बकरियों के बाड़े में भी नमाज़ पढ़ लेते और आपने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। चुनाँचे आपने बनू नज्जार के लोगों को बुलवाया और फ़रमाया, 'अपने इस बाग़ की क़ीमत मुझसे ले लो।' उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की क़सम! हम इसकी क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह तआला से माँगते हैं।' अनस (रज़ि.) ने बयान किया, उस जगह में जो कुछ था मैं तुम्हें बताता हूँ, उसमें खजूरों के दरख़्त, मुशिकों की क़ब्रें और वीरान जगह थी। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से खजूर के दरख़्तों को काट दिया गया। मुशिकों की क़ब्रों को उखेड़ दिया गया और वीराना (खण्डरात) को हमवार और बराबर कर दिया गया और खजूर को मस्जिद के सामने की जानिब गाड़ दिया गया और दरवाज़े के दोनों जानिब पत्थर लगाये गये और सहाबाँ रजज़ पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उनके सामने थे। वो कहते थे, ऐ अल्लाह! बेहतरी और भलाई तो आख़िरत की भलाई और बेहतरी ही है। तू अन्सार और मुहाजिरों की नुसरत फ़रमा।

(सहीह बुख़ारी : 428, 1868, 3932, 2106, 277, 2774, 2779, अबू दाऊद : 453, नसाई : 1/392, इब्ने माजह : 742)

بِسُيُوفِهِمْ - قَالَ - فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدَفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أُذِرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَلَائِكَةُ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِخَائِطِكُمْ هَذَا " . قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . قَالَ أَنَسُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخَرْبٌ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقَطَعَ وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتَبِثَتْ وَبِالْخَرْبِ فَسَوَّيْتُ - قَالَ - فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبَلَهُ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً - قَالَ - فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرِ الْأَجْرَةِ فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

मुफ़रदातुल हदीस : (1) उलू : ऐन पर पेश और ज़ेर दोनों आ सकते हैं, बुलंदी, ऊँचाई, बनू अम्र बिन औफ़ के लोग कुबा में रहते थे, जो मदीना के बुलंद हिस्से में वाक़ेअ है। मलउन : सरदार व अशराफ़ (रईस लोग), इसका इत्लाक़ जमाअत पर भी होता है। बनू नज्जार, ये ख़ानदान रसूलुल्लाह (ﷺ) के दादा का ननिहाल था। इसलिये उनको अख़्वाल (मामू) समझते थे। **मुतक़ल्लिदी सुयूफ़िहिम :** अपनी तलवारों को हमाइल किये हुए ताकि यहूद को पता चल सके कि वो आपकी हिफ़्ज़त में हर कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं। **फ़िना :** घर के सामने का मैदान या खुली जगह। **मराबिज़ :** मरबज़ की जमा है बाड़ा, जहाँ बकरियाँ बैठकर रात गुज़ारती हैं। **अमर :** मअरूफ़ और मज्हूल दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। (2) **साग़िनूनी :** मेरे साथ स़मन (क़ीमत) तय कर लो। आपने ये क़तआ दस दीनार में ख़रीदा था। क्योंकि यतीम बच्चों का था और क़ीमत अबू बकर (रज़ि.) ने अदा की थी और बक़ौल कुछ अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने। (3) **ख़रिबुन या ख़िरबुन :** वीराना, खण्डरात। (4) **नुबिशत :** उनको उखाड़ दिया गया। (5) **इज़ादतैहि :** अज़ादह दरवाज़ों के पट या एक जानिब को कहते हैं। **यरतजिज़ून :** वो रजज़ पढ़ते थे। रजज़ ये शेअर की एक क़िस्म है जिसका हर फ़िक़रा अलग होता है। ये क़लाम मौज़ूँ होता है या शेअर के वज़न पर होता है। लेकिन कहने वाले की निच्यत शेअर की नहीं होती और इंसान के मुँह से कभी-कभार कलामे मौज़ू सादिर हो जाये तो वो शेअर नहीं होगा और न उसको शाइर कहा जायेगा।

(1174) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ लेते थे। जबकि अभी मस्जिद तामीर नहीं की गई थी।

(सहीह बुखारी : 234, 429, तिर्मिज़ी : 350)

(1175) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) हिज़रत करके 8 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार कुबा में तशरीफ़ फ़रमा हुए थे। (2) मस्जिद बनाना, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इसमें तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पर तआवुन करेंगे। (3) ज़रूरत के तहत फलदार दरख़त काटना जाइज़ है। (4) जगह ख़रीदकर अगर उसमें मुशिकों की क़ब्रें हों तो उनको उखेड़ना जाइज़ है और वहाँ मस्जिद बनाई जा सकती है।

अहनाफ और शवाफ़िअ का मौक़िफ़ भी यही है। इमाम औज़ाई (रह.) इसको जाइज़ नहीं समझते। कुछ हज़रात ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस इन मुअज़्ज़बीन पर रोये बग़ैर न गुजरो और हज़रत अली (रज़ि.) के क़ौल कि वो अरज़े बाबिल में नमाज़ पढ़ने को मक्क़रूह जानते थे। इस्तिदलाल करते हुए इमाम औज़ाई (रह.) की ताईद की है। क्योंकि मुश्रिकों की क़ब्रों पर अज़ाबे इलाही नाज़िल होता है। ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है और न ही रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल और फ़ैअल में तज़ाद है। क्योंकि मुअज़्ज़बीन से वो लोग मुराद हैं जो अज़ाबे इलाही के नतीजे में हलाक हुए और अरज़े बाबिल का ख़सफ़ भी अज़ाबे इलाही के नतीजे में हुआ था।

अगर मुश्रिकों की क़ब्रें उखाड़ कर मस्जिद बनाना जाइज़ है तो मुसलमानों का क़ब्रिस्तान अगर उसके आस़ार मिट जायें या किसी ने अपने घर में क़ब्र बनाई हो और वो उसको फ़रोख़्त कर दे या मस्जिद के लिये वक़फ़ कर दे तो फिर क़ब्र को उखेड़कर मस्जिद बनाना जाइज़ होना चाहिये। मालिकिया, शाफ़ेइया और हन्फ़िया इसको तौहीने मुस्लिम क़रार देकर नाजाइज़ क़रार देते हैं। हालांकि जब आस़ार मिट गये हैं या एहतियात से उसकी हड्डियाँ निकालकर क़ब्रिस्तान में दफ़न कर दी गई हैं तो इसमें तौहीन का पहलू कौनसा है?

अल्लामा अ़ैनी ने और कुछ दूसरे इलमा ने एक मालिकी इमाम का क़ौल नक़ल किया है कि मुसलमानों के पुराने क़ब्रिस्तान की जगह मस्जिद बनाई जा सकती है और इस क़ौल पर नक़द व तबसरा नहीं किया जिससे मालूम हुआ वो इसको जाइज़ समझते हैं।

बाब 3 : क़िब्ले का बैतुल मक़्दिस की बजाय बैतुल्लाह (क़अबा) की तरफ़ फिरना

باب تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

(1176) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ 16 माह तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। यहाँ तक कि सूरह बक़रह की ये आयत उतरी, 'और तुम जहाँ कहीं भी हो, अपने रुख़ (नमाज़ में) क़अबा की तरफ़ करो।' (सूरह बक़रह : 144) ये आयत उस वक़्त उतरी जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ चुके थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ { وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } فَتَزَلْتُ بَعْدَ مَا صَلَّى

लोगों में से एक आदमी (ये हुक्म सुनकर) चला और अन्सार के कुछ लोगों के पास से गुजरा वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने उन्हें ये हदीस सुनाई तो उन्होंने अपने चेहरे बैतुल्लाह की तरफ़ कर लिये।

(1177) हज़रत बराअ (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ 16 या 17 माह नमाज़ बैतुल मक्दि़स की तरफ़ रुख़ करके पढ़ी। फिर हमें क़अबा की तरफ़ फेर दिया गया।

(सहीह बुख़ारी : 4492, नसाई : 1/242)

(1178) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि लोग मस्जिदे कुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि इसी अज़ना (बीच) में उनके पास एक आने वाला आया और उनको बताया कि रात रसूलुल्लाह (ﷺ) पर कुरआन उतर चुका है और आपको क़अबा की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया जा चुका है। लिहाज़ा तुम भी उसकी तरफ़ रुख़ कर लो, उनके रुख़ शाम की तरफ़ थे तो वो क़अबा की तरफ़ घूम गये।

(सहीह बुख़ारी : 403, 4491, 7251, नसाई : 1/244, 2/61, 24)

(1179) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि इसी अज़ना (बीच) में कि

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثْتَهُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ . وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ

लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि उनके पास एक आदमी आया। आगे मज़कूरा बाला रिवायत बयान की।

(1180) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल मक्दि़स की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर ये आयत उतरी, 'हम आपका चेहरा आसमान की तरफ़ फिरता हुआ देख रहे हैं तो हम ज़रूर आपका रुख़ उस क़िब्ले की तरफ़ फेर देंगे, जिसे आप पसंद करते हैं (या वो क़िब्ला आपकी तौलियत में दे देंगे) आप अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लीजिये।' (सूरह बक्रा : 144) बनू सलमा का एक आदमी गुज़रा और लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे और वो एक रक़अत पढ़ चुके थे तो उसने आवाज़ दी, ख़बरदार! क़िब्ला तब्दील किया जा चुका है। तो वो जिस हालत में थे उसी हालत में क़िब्ले की तरफ़ फिर गये।

(अबू दाऊद : 1045)

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) हिज़रत से पहले मक्का मुकर्रमा में इस तरह पढ़ा करते थे कि आप का रुख़ बैतुल्लाह और बैतुल मक्दि़स दोनों की तरफ़ होता था। हिज़रत के बाद ये सूत मुम्किन न रही क्योंकि मदीना मुनव्वरा से बैतुल मक्दि़स शिमाल (उत्तर) की तरफ़ है और मक्का मुकर्रमा जुनूब (दक्षिण) की तरफ़। इसलिये अगर बैतुल मक्दि़स की तरफ़ रुख़ करें तो बैतुल्लाह की तरफ़ पुशत होगी। यहूद को मानूस और क़रीब करने के लिये रुख़ बैतुल मक्दि़स की तरफ़ रखा गया। लेकिन उन्होंने उसको क़रीब आने के बजाय उल्टा मुखालिफ़त का ज़रिया बना लिया कि मुहम्मद हमारी मुखालिफ़त करता है। लेकिन नमाज़ में रुख़ हमारे क़िब्ले की तरफ़ करता है और मुश्रिकीने मक्का भी ऐतराज़ करते थे कि मुहम्मद (ﷺ) मिल्लते इब्राहीमी का दावेदार है लेकिन नमाज़ में रुख़ उनके तामीर करदा घर और क़िब्ले की तरफ़ नहीं करता। इसलिये आपकी दिली आरजू और ख़्वाहिश यही थी कि आप बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ें। हिज़रत के 16 या 17 माह बाद 15 रजब 2 हिज़री को आपको बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करने

ابنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَزَلَّتْ { قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلتَوَلَّيْتُكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَتَادَى الْأَإِنِّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوْلَتْ . فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ .

का हुक्म दिया गया। रबीउल अव्वल 1 और रजब 2 हिजरी को एक शुमार कर लें तो मुद्दत 16 माह होगी। अगर अलग-अलग शुमार कर लें तो मुद्दत 17 माह होगी। (2) आप (ﷺ) बिशर बिन बराअ बिन मअरूर (रज़ि.) की वफ़ात के मौक़े पर उनकी वालिदा के पास तअज़ियत के लिये तशरीफ़ लाये थे। उनका घर बनू सलमा में था। जुहर का वक़्त वहीं हो गया तो आपने बनू सलमा की मस्जिद में जुहर की नमाज़ अदा की। जब आप दो रकअतें अदा कर चुके तो क़िब्ला नमाज़ ही में तब्दील हो गया और आप आगे से सफ़ों के पीछे आ गये और नमाज़ मुकम्मल की। इसलिये बनू सलमा की मस्जिद को मस्जिदे जुल क़िब्लतैन का नाम दिया जाता है क्योंकि उसमें एक ही नमाज़ दो क़िब्लों की तरफ़ रख करके पढ़ी गई है और सबसे पहले मुकम्मल नमाज़ बैतुल्लाह की तरफ़ रख करके मस्जिदे नबवी में असर की नमाज़ पढ़ी गई है। (3) हज़रत अब्बाद बिन बिशर (रज़ि.) असर की नमाज़ आपके साथ बैतुल्लाह की तरफ़ रख करके पढ़कर गये तो रास्ते में बनू हारिसा की मस्जिद से गुज़रे। वो बैतुल मक्दिस की तरफ़ रख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत अब्बाद (रज़ि.) के बताने पर वो नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये और हज़रत अब्बाद (रज़ि.) या कोई और सहाबी, कुबा में अम्र बिन औफ़ की मस्जिद में सुबह की नमाज़ में एक रकअत हो जाने के बाद पहुँचे और उनको क़िब्ले की तब्दीली से आगाह किया तो उन्होंने भी नमाज़ ही में अपना रख तब्दील कर लिया। (4) जब तक इंसान को किसी शरई हुक्म का इल्म न हो, वो उसका मुकल्लफ़ नहीं होगा। अहले कुबा को क़िब्ले की तब्दीली का इल्म सुबह की नमाज़ में हुआ, इसलिये असर, मस्बि और इशा की नमाज़ उन्होंने बैतुल मक्दिस की तरफ़ रख करके पढ़ी और आपने उनको कुछ नहीं कहा। (5) एक आदमी अगर क़ाबिले ऐतमाद हो तो उसकी बात पर अमल किया जायेगा। बनू हारिसा और बनू अम्र बिन औफ़ ने सिर्फ़ एक आदमी की ख़बर पर क़तई और यक़ीनी क़िब्ले की तरफ़ से रख दूसरे क़िब्ले की तरफ़ कर लिया। क्योंकि क़िब्ले की तब्दीली की आपकी ख़्वाहिश से वो आगाह थे। इसलिये इस क़रीने की बिना पर एक आदमी की ख़बर ने यक़ीन का फ़ायदा दिया।

बाब 4 : क़ब्रों पर मस्जिदें बनाने और उनमें तस्वीरें रखने और क़ब्रों को सज्दा करने की मुमानिअत

باب التّهي عن بناء المساجد على
القُبُورِ واتّخاذِ الصُّورِ فيها والتّهي
عن اتّخاذِ القُبُورِ مساجد

(1181) हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) और उम्मे सलमा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास उस गिर्जे का तज़्किरा किया जो उन्होंने हब्शा

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كُنَيْسَةَ

में देखा था, जिसमें तस्वीरें आवेज़ाँ थीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो लोग जब उनमें कोई नेक आदमी फ़ौत हो जाता तो वो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। ये लोग अल्लाह अज़्ज व जल्ल के नज़दीक क़यामत के दिन बदतरीन लोग होंगे।'

(सहीह बुखारी : 427, 3873, नसाई : 2/40)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) कनीसा : गिर्जा, ईसाइयों की इबादतगाह। (2) तसावीर : तस्वीर की जमा है और सुवर सूरतुन की जमा है।

(1182) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि लोगों ने नबी (ﷺ) की बीमारी में आपसी बातचीत की तो उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने एक गिर्जे का तज़्किरा किया आगे ऊपर वाली रिवायत की तरह है।

(1183) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की अज़्वाज ने उस गिर्जे का तज़्किरा किया जो उन्होंने हब्शा की सरज़मीन में देखा था जिसको मारिया कहा जाता था। फिर मज़कूरा हदीस बयान की।

(1184) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी उस बीमारी में जिससे आप उठ नहीं सके फ़रमाया, 'अल्लाह तआला यहूद और नसारा पर लानत बरसाये, उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।' आइशा (रज़ि.) ने

رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ - فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَيْسَةَ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ ذَكَرَنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَيْسَةَ رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدِ، قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ "

बताया, अगर आपकी क़ब्र के बारे में इस बात का अन्देशा न होता तो आपकी क़ब्र को ज़ाहिर किया जाता। अगर उसके मस्जिद बनाने का डर पैदा हुआ या आपको उसके क़ब्र बनाने का डर लगा। इन्हे अबी शैबा की रिवायत में फ़लौला की जगह वलौला है और क़ालत का लफ़्ज़ नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 1330, 1390, 4441)

मुफ़रदातुल हदीस : खुशि-य : इसको मजहूल और मअरूफ़ दोनों तरह पढ़ा गया है। मजहूल की सूत में नाइब सहाबा होंगे और मअरूफ़ की सूत में फ़ाइल आप होंगे, आपके हुक्म से क़ब्र खुली जगह पर नहीं बनाई गई।

(1185) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत भेजे उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।'

(सहीह बुख़ारी : 437, अबू दाऊद : 3227)

(1186) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला यहूदो-नसारा पर लानत भेजे उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।'

(1187) हज़रत आइशा (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मलकुल मौत आया तो आप अपनी मुनक्क़श चादर अपने चेहरे पर डालने लगे

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " . قَالَتْ فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حُشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكَرْ قَالَتْ .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَخَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ خَرَّمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ،

तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) जब आप घुटन महसूस फ़रमाते तो उसे चेहरे से हटा देते तो आपने इस हालत में फ़रमाया, 'यहूदो-नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।' आप उनकी हरकत व करतूत से डराते थे (कि कहीं आपकी उम्मत इस काम में मुब्तला न हो जाये)।

(सहीह बुख़ारी : 436, 3454, 4444, 5816, नसाई : 2/40)

(1188) हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) से आपकी वफ़ात से पाँच दिन पहले ये कहते हुए सुना, 'मैं अल्लाह तआला के हुज़ूर इस चीज़ से बराअत का इज़हार करता हूँ कि तुममें से कोई मेरा ख़लील हो, क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे अपना ख़लील बना लिया है। जैसाकि उसने इब्राहीम (अलै.) को अपना ख़लील बनाया है। अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को अपना ख़लील बनाता तो अबू बकर को ख़लील बनाता। ख़बरदार! तुमसे पहले लोग अपने अम्बिया और नेक लोगों की क़ब्रों को मस्जिदें या सज्दागाह बना लिया करते थे। ख़बरदार! तुम क़ब्रों को मस्जिद न बनाना, बेशक मैं तुमको इससे रोकता हूँ।'

وَعَبَدَ اللَّهُ بِنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرُحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَبْدِ عَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُتَيْسَةَ، عَنَ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ، عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ " إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَّا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ .

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) ने अहले हब्शा के बारे में फ़रमाया, 'जब उनका कोई नेक आदमी फ़ौत होता, वो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें उन लोगों की तस्वीरें बना देते।' और ज़ाहिर है उन नेक लोगों की तस्वीरें बनाने से उनका मक़सद ये था कि लोग उन तस्वीरों को देखकर उन नेक लोगों से मानूस हों और उनके अच्छे और पसन्दीदा हालात को याद करें ताकि फिर वो भी उनकी तरह अच्छे कामों को शौक़ व रग़बत और मेहनत व कोशिश से सर अन्जाम दें। लेकिन अन्जामकार उन्हीं तस्वीरों की इबादत और तअज़ीम होने लगी। यानी जो कुछ काम अच्छे और नेक जज़्बे के तहत किया गया था वही गुमराही और शिर्क का बाइस बन गया और ये लोग नबी (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ 'सब मख़्लूक से बदतर और शरीर' ठहरे। आइशा (रज़ि.) ने बयान फ़रमाया कि आपने मर्जुल मौत में फ़रमाया कि यहूदो-नसारा पर अल्लाह लानत बरसाये। उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया। यानी जिस तरह इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, ज़िक्र व अज़्कार और दुआ करता है, उनको पाक-साफ़ और मुअत्तर करता है, वहाँ रोशनी का इन्तिज़ाम करता है ये सब काम उन्होंने अम्बिया की क़ब्रों पर शुरू कर दिये। आपको अपने बारे में भी ये ख़तरा और अन्देशा महसूस हुआ तो आपने इस हरकत व फ़ैअल से सराहतन रोक दिया। फ़रमाया, 'बेशक मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ।' और हज़रत आइशा (रज़ि.) के बक़ौल इसी ख़तरे के पेशे नज़र आपकी क़ब्र खुली जगह नहीं बनाई गई। चूँकि पहली उम्मत में ये काम शिर्क के लिये दरवाज़ा साबित हो चुका था। इसलिये आपने उस दरवाज़े को हमेशा के लिये बंद फ़रमा दिया। अब आपकी सरीह मुमानिअत के बावजूद कुछ इलमा की इबारतों से किसी सालेह और नेक इंसान की क़ब्र के जवार में, मस्जिद बनाने की गुंजाइश निकालना, उस शिर्क के दरवाज़े को खोलना है, जिसको आप बंद करने का हुकम फ़रमा चुके हैं। जब ये बात मुसल्लमा है कि क़ब्रों को इबादतन सज्दा करना शिर्क और तअज़ीमन सज्दा करना हराम है और क़ब्र का तवाफ़ करना हराम है। उसके सामने झुकना हराम है। तो फिर इस काम को ही क्यों न बंद किया जाये जो उनका मौजिब और पेश ख़ैमा बनता है? और नेक लोगों की क़ब्रों पर उन चीज़ों का खुले बंद मुशाहिदा किया जा सकता है। सहाबा व ताबेईन के दौर में जब मस्जिदे नबवी को वसीअ करने की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज़रे (जिसमें हुज़ूर (ﷺ) अबू बकर और उमर (रज़ि.) की क़ब्रें हैं) उसको इस अन्दाज़ से मस्जिद में दाख़िल किया गया कि लोगों की उन तक रसाई न हो सके। वो न उनको नज़र आयें और न उनके पास या उनकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ सकें और अब तक ये सूरते हाल बरकरार है। अगर नेक लोगों की क़ब्रों के जवार में नमाज़ पढ़ना ख़ैर व बरकत का बाइस है। तो सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन (रह.) ने हुज़रे आइशा (रज़ि.) को क्यों मस्तूर किया और उनकी क़ब्रों को क्यों छिपाया? आपने अपनी वफ़ात से पाँच दिन पहले फ़रमाया था कि तुमसे पहले लोग अपने पैग़म्बरों और नेक लोगों की क़ब्रों को सज्दागाह बना लेते, 'ख़बरदार! तुम उन लोगों की क़ब्रों को सज्दागाह न बनाना।' आपके सरीह फ़रमान के बावजूद लोगों के लिये इसका रास्ता

खोलने पर इसरार क्यों है? और ये कहने का क्या मकसद है कि कअबा से बड़ी दुनिया में कोई मस्जिद नहीं है? और उसके जवार में हज़रत इस्माईल (अलै.) और हज़रत हाजरा (अलै.) की कब्रें हैं। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/84) क्या उन कब्रों का कोई निशान बाकी है या लोगों को इसका एहसास है?

(2) सब अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है इसलिये ईसाईयों की तरफ़ अगरचे बराहे रास्त तो ईसा (अलै.) ही आये थे लेकिन पहले अम्बिया को भी तो वो तस्लीम करते थे। इसलिये आपने यहूद के साथ नसारा और के लिये अम्बिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया या मज्मूई ऐतबार से दोनों के लिये कहा।

(3) ख़लील को अगर ख़ुल्लह (खा के पेश के साथ) से लें तो इससे मुराद ऐसी गहरी और सच्ची दोस्ती है जो दिल में सिरायत कर जाये और ये सिर्फ़ किसी एक के साथ हो सकती है दूसरे के लिये गुंजाइश नहीं रहती और अगर इसको ख़ल्लह (खा के ज़बर के साथ) से लें तो इससे मुराद फ़क्रो-एहतियाज है। यानी मैं अल्लाह तआला के सिवा किसी पर ऐतमाद व भरोसा नहीं करता और मैं अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं हूँ, अगर मैं मख़लूक में से किसी के साथ ऐसी दोस्ती और मुहब्बत कर सकता जिसने मेरे दिल पर क़ब्ज़ा जमा लिया है या किसी पर ऐतमाद व भरोसा करता और उसका मोहताज होता तो उसका अहल और हक़दार अबू बकर होते।

बाब 5 : मस्जिद बनाने की फ़ज़ीलत और उसकी तरगीब व तश्वीक़

(1189) हज़रत इब्नेदुल्लाह ख़ोलानी (रह.) से रिवायत है कि उसने हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) से उस वक़्त सुना जब उन्होंने मस्जिदे नबवी को नये सिरे से तामीर किया और लोगों ने उन पर तब्सरा किया कि तुम बहुत बातें बनाते हो, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने किसी क्रिस्म की मस्जिद अल्लाह के लिये बनाई' बुक़ैर कहते हैं मेरा ख़याल है उन्होंने ये कहा, 'इससे ख़ो अल्लाह की रज़ा व ख़ुशनुदी चाहता है तो अल्लाह उसके लिये जन्नत में इस क्रिस्म का घर बनायेगा।' इब्ने

باب فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ جِئْنَا بَنِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى - قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَتَّبِعِي بِهِ وَجْهَ

ईसा ने अपनी रिवायत में बैतन फ़िल्जन्नत की जगह मिस्लहू फ़िल्जन्नत कहा।

(सहीह बुखारी : 450)

(1190) हज़रत महमूद बिन लबीद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) ने मस्जिदे नबवी को नये से तामीर करना चाहा तो लोगों ने इसको पसंद न किया। उनकी ख़्वाहिश थी कि वो उसे उसकी हालत पर रहने दें तो उन्होंने फ़रमाया, 'मैंने मुल्लुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने अल्लाह की ख़ातिर कोई मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिये जन्नत में इस क्रिस्म का घर तामीर करेगा।'

(तिर्मिज़ी : 318, इब्ने माजह : 736)

फ़ायदा : दौरै नबवी में आपकी मस्जिद इन्तिहाई सादा थी। दीवारों को कच्ची ईंटों से बनाकर उस पर खजूर की छड़ियों की छत डाल दी गई थी और उसके सुतून खजूर की लकड़ी के थे। हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उसको वसीअ किया तो उसमें मटेरियल को बदल दिया। दीवारें तराशीदा पत्थरों से चूनागज करके बनाई और सुतून भी तराशीदा पत्थरों से इस्तवार किये और छत सागवान की उम्दा लकड़ी की डाली। सहाबा किराम (रज़ि.) ने सामान की उम्दगी और तब्दीली पर ऐतराज़ किया। उनका ख़याल था कि मस्जिद पहले दौर की तरह सादा ही तामीर की जाये। लेकिन हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने नये तामीर शुदा मकानात का लिहाज़ रखते हुए आला और उम्दा मवाद इस्तेमाल किया और फ़रमाया, मैंने इसलिये इसको इतना आला व उम्दा और हसीनो-जमील बनाया है ताकि अल्लाह मुझे क़यामत में मेरे इस ज़ौक व शौक के मुताबिक़ आला और उम्दा घर दे।

اللّٰهُ - بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . وَقَالَ ابْنُ عِيْسَى فِي رَوَايَتِهِ " مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ " .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَّرَهُ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحْبَبُوا أَنْ يَدْعُهُ عَلَى هَيْبَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ " .

बाब 6 : रुकूअ में हाथ घुटनों पर रखना पसन्दीदा है और जोड़कर दोनों घुटनों के दरम्यान रखना मन्सूख है

باب التَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي
عَلَى الرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ
التَّطْبِيقِ

(1191) हज़रत अस्वद और अल्क्रमा (रह.) से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के घर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने पूछा, क्या उन लोगों ने जिनको तुम पीछे छोड़ आये हो (हुक्मरान और उनकी इत्तिबाअ करने वाले) नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने कहा, उठो और नमाज़ पढ़ो। तो उन्होंने हमें अज़ान और इक्रामत कहने का हुक्म न दिया और हम उनके पीछे खड़े होने लगे तो उन्होंने हमारे हाथ पकड़कर एक को अपने दायें और दूसरे को अपने बायें कर दिया। जब उन्होंने रुकूअ किया तो हमने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे। उन्होंने हमारे हाथों पर मारा और अपनी हथेलियों को जोड़ा फिर उनको अपनी दोनों रानों के दरम्यान रख लिया। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो कहा, अन्करीब तुम्हारे अमीर ऐसे होंगे जो नमाज़ को इस वक़्त से मुअख़्खर करेंगे और उनके वक़्त को बहुत तंग कर देंगे। जब तुम उनको देखो कि उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो तुम नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ लेना और उनके साथ अपनी नमाज़ को नफ़ली बना लेना और जब तुम तीन

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا . قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِفَامَةٍ - قَالَ - وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ - قَالَ - فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكْبِنَا - قَالَ - فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخَذَيْهِ - قَالَ - فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْتَفُونَهَا إِلَى شَرْقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤَمِّمُكُمْ أَحَدُكُمْ

आदमी हो तो इकट्ठे खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब तुम तीन से ज़्यादा हो तो तुममें से एक इमाम बन जाये और जब तुममें से कोई रुकूअ करे तो अपने बाजूओं को अपनी रानों पर फैला दे और झुके और अपनी हथेलियाँ जोड़ ले गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की उंगलियों के इख़ितलाफ़ को देख रहा हूँ और उनको दिखाया।

(नसाई : 2/49, 1028)

وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْدَيْهِ وَلْيَجُنَأْ وَلْيَطْبُقْ بَيْنَ كَفَيْهِ فَلْيَكُنِّي أَنْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرَاهُمْ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यख़नुकूनहा : उसके वक़्त को तंग करेंगे, नमाज़ को ताख़ीर से अदा करेंगे। (2) इला शरक़िल मौता : अगर इसको शरक़िलशाम्स से लें तो मानी होगा, उस वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे जब सूरज डूबने के करीब होगा और अगर उसको शरक़िल मय्यित बिरीक़िही से लें तो मानी होगा मय्यित का थूक से गला घुट गया, इसलिये वो जल्द ही मर गई। मक़सद दोनों सूरतों में ये होगा कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे जब सूरज के गुरुब होने में थोड़ा सा वक़्त रहता होगा। (3) सुब्हा : नफ़ल, यानी जो नमाज़ तुमने अलग अपने वक़्त पर पढ़ी है वो फ़र्ज़ होगी और अमीरों और हाकिमों से बचने के लिये जो आख़िर वक़्त में उनके साथ नमाज़ पढ़ेंगे वो नफ़ल होगी। (4) वल्यज्ना : झुक जाये, एक नुस्खे में लियुहनि है इसका मानी भी अन्हना और झुकना है। यहनु हो तो फिर भी यही मानी होगा। (5) लियुब्बिक़ बैन कफ़फ़ैहि : दोनों हथेलियों को मिला ले और दोनों घुटनों के दरम्यान कर ले।

फ़वाइद : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) एक जलीलुल क़द्र और आम औक़ात में बतौर ख़िदमत गुज़ार आपके साथ रहने वाले सहाबी हैं। लेकिन उसके बावजूद रुकूअ के वक़्त तल्बीक़ के क़ाइल थे। हमेशा आपके साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये पता न चल सका कि नबी (ﷺ) हाथ जोड़कर घुटनों के दरम्यान नहीं रखते बल्कि हाथों को घुटनों पर रखते हैं। इसलिये उम्मत में से किसी सहाबी, ताबेई या इमाम ने उनके मौक़िफ़ को इख़ितयार नहीं किया तो अगर उन्हें रुकूअ में जाते और रुकूअ से उठते वक़्त रफ़अ यदैन का पता न चल सका हो तो इसमें अचम्भे की बात क्या है। (2) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अगर इमाम के साथ दो आदमी हों तो एक को दायें तरफ़ और दूसरे को बायें तरफ़ खड़ा करने के क़ाइल हैं। इसको भी किसी इमाम ने इख़ितयार नहीं किया। क्योंकि नबी (ﷺ) दो आदमियों को पीछे खड़ा करते थे, बराबर नहीं। (3) अगर इमामे रातिब (नमाज़ों के लिये मुकरर इमाम) ताख़ीर से जमाअत कराता हो तो घर में बाजमाअत नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये और अज़ान कहने की सूरत में इन्तिशार व इफ़तिराक़ का ख़तरा हो तो अज़ान नहीं कही जायेगी।

इकामत बहरहाल कहनी होगी लेकिन हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) अज़ान और इकामत किसी के भी काइल नहीं है। अहनाफ़ ने उनके इस मौक़िफ़ को भी कुबूल नहीं किया। (4) अगर मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत न पढ़ने से किसी किस्म का अन्देशा या ख़तरा लाहिक़ हो तो नमाज़ दोबारा बतौर नफ़ल पढ़ ली जायेगी और हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम यही है कि ये नमाज़ असर की थी। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ज़रूरत के तहत असर के बाद नफ़ल पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का ये दावा है कि हमारी फ़िक़ह का मदार हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के अक्वाल पर है वो इसके भी काइल नहीं हैं। अजीब बात है अगर किसी इमाम के क़ौल को छोड़ दिया जाये तो उसकी गुस्ताख़ी और तौहान करार पाती है लेकिन एक जलीलुल क़द्र सहाबी के क़ौल को छोड़ दिया जाये तो ये तौहीन और गुस्ताख़ी नहीं है? अगर हदीस के ख़िलाफ़ जलीलुल क़द्र सहाबी का क़ौल व फ़ैअल तर्क करना रवा है तो अइम्मा के साथ ये रवैया इख़ितयार करना क्यों जाइज़ नहीं है? (5) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के क़ौल से साबित हुआ नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ना चाहिये। नीज़ जो नमाज़ दोबारा पढ़ी जायेगी तो पहली नमाज़ बतौर फ़र्ज़ होगी और दूसरी बार नफ़ल। इसलिये हज़रत मुआज़ (रज़ि.) जो नमाज़ पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पढ़ते थे वो फ़र्ज़ होती थी और जो दोबारा पढ़ते थे वो नफ़ल थी। इसलिये नफ़ल नमाज़ के पीछे फ़र्ज़ पढ़ना दुरुस्त है।

(1192) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं हज़रत अलक़मा और अस्वद से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आगे मज़क़ूरा बाला रिवायत है। इब्ने मुस्हिह और जरीर की रिवायत में है गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की उंगलियों के इख़ितलाफ़ (उंगलियों को एक दूसरे में दाख़िल करना) को देख रहा हूँ और आप रुकूअ में हैं।

(1193) हज़रत अलक़मा और अस्वद से रिवायत है कि वो दोनों अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पीछे लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? दोनों ने कहा, हाँ। तो वो उनके दरम्यान खड़े हो गये।

وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ الشَّيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهْرٍ، قَالَ وَحَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُقْطَلٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسَهْرٍ وَجَرِيرٍ فَلَمَّا نَظَرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ

एक को अपने दायें कर लिया और दूसरे को बायें। फिर हमने रुकूअ किया और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे तो उन्होंने हमारे हाथों पर मारा और फिर अपने हाथों को जोड़ लिया। फिर उनको अपनी रानों के दरम्यार कर लिया। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसी तरह किया है।

(1194) हज़रत मुस्अब बिन सअद (रह.) से रिवायत है कि मैंने अपने बाप के पहलू में नमाज़ पढ़ी और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के दरम्यान रखे तो मुझे मेरे बाप ने कहा, अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रख। वो (मुस्अब) कहते हैं, मैंने दोबारा यही काम किया तो उन्होंने मेरे हाथों पर मारा और कहा, हमें इससे रोक दिया गया है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम हथेलियाँ घुटनों पर रखें।

(सहीह बुखारी: 790, अबू दाऊद: 867, नसाई: 2/185, 2/85, तिर्मिज़ी: 259, इब्ने माजह: 783)

(1195) इमाम साहब ने अपने दो उस्तादों से मज़कूरा बाला सनद से हमें रोक दिया गया है तक रिवायत बयान की और दोनों ने बाद वाला जुम्ला बयान नहीं किया।

(1196) हमें अबू बक्क बिन अबी शौबा ने वकीअ के वास्ते से इस्माईल बिन अबी खालिद की ज़ुबैर बिन अदी से हज़रत मुस्अब बिन सअद (रह.) से रिवायत बयान की कि मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की और अपने हाथों को

أَصَلَى مَنْ خَلْفَكُمْ فَلَا نَعَمْ . فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكْبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْقُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْ فَقَالَ لِي أَبِي اضْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا نُهِنَا عَنْ هَذَا وَأَمَرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ .

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْقُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَتُهِنَا عَنْهُ . وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَكَعْتُ فَقَلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ

इस तरह कर लिया (यानी उनको जोड़कर अपनी रानों के दरम्यान रख लिया) तो मुझे मेरे बाप ने बताया, हम भी ऐसे किया करते थे। फिर हमें घुटनों पर रखने का हुक्म दिया गया।

(1197) हज़रत मुस्अब बिन सअद बिन अबी वक्रकास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने अपने बाप के पहलू में नमाज़ पढ़ी। जब मैंने रुकूअ किया तो अपनी उंगलियों को एक-दूसरे में डालकर अपने हाथों को अपने घुटनों के दरम्यान रख लिया तो उन्होंने मेरे हाथों पर मारा। जब वो नमाज़ से फ़ारिग हुए तो कहा, हम भी ऐसे ही किया करते थे, फिर हमें घुटनों की तरफ उठाने (यानी घुटनों पर रखने) का हुक्म दिया गया।

فَخَذِيهِ - فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا بِالرُّكْبِ .

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكَتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْ فَضْرَبَ يَدِي فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا أَنْ تَرَفَعَ إِلَى الرُّكْبِ .

बाब 7 : ऐड़ियों पर सुरीन रखकर बैठना जाइज़ है

(1198) हज़रत ताऊस (रह.) बयान करते हैं, हमने इब्ने अब्बास से क्रदमों पर बैठने के बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया, ये सुन्नत है। तो हमने उनसे अर्ज किया, हमारा ख्याल है कि ये पाँव पर ज़्यादती है। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, बल्कि ये तो तेरे नबी (ﷺ) की सुन्नत है।

(अबू दाऊद : 845, तिर्मिज़ी : 283)

باب جَوَازِ الإِفْعَاءِ عَلَى الْعَقَبَيْنِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - وَتَقَارَرَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرُّجْلِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल्इक़आअ : इक़आ की दो सूरतें हैं (1) अपनी सुरीन को ज़मीन पर रखकर पिण्डलियों को खड़ा करके हाथों को कुत्ते की तरह ज़मीन पर बिछा देना, ये बिल्इतिफ़ाक़ मन्नुअ है और दूसरी हदीस में इससे रोका गया है। (2) दोनों सज्दों के दरम्यान अपनी सुरीन क़दमों (ऐड़ियों) पर रखकर बैठना इसको इब्ने अब्बास (रज़ि.) सुन्नत करार दे रहे हैं। सहाबा, मुहदिसीन और इमाम शाफ़ेई इसको जाइज़ करार देते हैं। (2) ज़फ़ाअ : गिरानी और मशक्कत, बदसुलूकी। अर्जुल : अगर इसको रिज़्ल पढ़ें तो पाँव मुराद होगा और रजुल करार दें तो इंसान मुराद होगा कि इस तरह बैठना इंसान के लिये गिरानी और मशक्कत का बाइस है।

फ़ायदा : मर्द और औरत की नमाज़ में किसी हैयत और कैफ़ियत में इख़िलाफ़ किसी सहीह हदीस से साबित नहीं है और इक़आ की सूरत उस इंसान के लिये है जिसके लिये इस अन्दाज़ में बैठने में सहूलत और आसानी हो।

बाब 8 : नमाज़ में बातचीत करना
हराम है और इसकी एबाहत व जवाज़
मन्सूख है

باب تحريم الكلام في الصلاة
ونسخ ما كان من اباحتها

(1199) हज़रत मुआविया बिन हक़म सुलमी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था। इसी दौरान मैं लोगों में से एक आदमी को छींक आई तो मैंने कहा, यह मुक़ल्लाह 'अल्लाह तुझे रहमत से नवाज़े।' तो लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया तो मैंने कहा, काश! मेरी माँ मुझे गुप्त पाती (मैं मर चुका होता) तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे गहरी नज़रों से देख रहे हो। तो वो अपने हाथ अपनी रानों पर मारने लगे। जब मैंने उनको जाना कि वो मुझे चुप करा रहे हैं तो मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं ख़ामोश हो गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَبَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ

नमाज़ से फ़ारिग हुए तो मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान! मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर तालीम वाला नहीं देखा, अल्लाह की क़सम! न तो आपने मुझे डांटा, न मुझे मारा और न मुझे बुरा-भला कहा। बल्कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये नमाज़ है, इसमें किसी क्रिस्म की इंसानी बातचीत रवा नहीं है। ये तो बस तस्बीह व तकबीर और कुरआन की तिलावत है।' या जैसा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जाहिलिय्यत से नया-नया निकला हूँ और अब अल्लाह ने इस्लाम भेज दिया है (मुझे इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ दी है) हममें से कुछ लोग काहिनों (पेशीनगोई करने वाले पण्डित व नुजूमी) के पास जाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू उनके पास न जा।' मैंने अज़्र किया, हममें से कुछ लोग बदशागूनी लेते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये एक चीज़ है जिसे वो अपने दिलों में पाते हैं, ये उनको किसी काम से न रोके।' इब्ने सब्बाह ने कहा, तुम्हें बिल्कुल न रोके। मैंने अज़्र किया, हममें से कुछ लोग लकीर खींचते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अम्बिया में से एक नबी लकीरें खींचा करते थे तो जिसकी लकीरें उसके मुवाफ़िक़ होंगी तो ठीक है।' उस (मुआविया रज़ि.) ने बताया, मेरी एक लौण्डी थी जो उहुद और जवानिय्यह के पास मेरी बकरियाँ चराती थी एक दिन मैं उस तरफ़ आ निकला तो भेड़िया उसकी बकरियों से एक बकरी ले

. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَائْكُلْ أُمِّيَا مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ . فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَصْمُتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّتِي وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ . قَالَ " فَلَا تَأْتِيهِمْ " . قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ " ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَّهُمْ " . قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ " فَلَا يَصُدُّكُمْ " . قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ " . قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرَعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أُخْدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ فَاطْلَعَتْ

जा चुका था। तो मैं भी औलादे आदम से एक आदमी हूँ, मुझे भी इस तरह गुस्सा आता है जिस तरह उनको गुस्सा आता है (मुझे सब्र करना चाहिये था) लेकिन मैंने उसको ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। इस पर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने मेरी इस हरकत को बहुत नागवार करार दिया। मैंने अज़्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उसको आज़ाद न कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे मेरे पास लाओ।' मैं उसे लेकर आपके पास हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने उससे पूछा, 'अल्लाह कहाँ है?' उसने कहा, आसमान पर। आप (ﷺ) ने पूछा, 'मैं कौन हूँ?' उसने कहा, अल्लाह के रसूल हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे आज़ाद कर दो ये मोमिना है।'

(अबू दाऊद : 930, 3282, 3909)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अतस : उसने छींक मारी। (2) रमानिल क्रौमु बिअबसारिहिम : तो लोगों ने मुझ पर आँख के तीर बरसाये। यानी ग़ज़बनाक निगाहों से देखा। (3) सुक्ल : गुम पाना। वस्कुल उम्मियाह हाय मेरी माँ मुझे गुम पाती, मैं मर चुका होता। अस्कुल उम्मी था। मन्दूब होने की वजह से आवाज़ को खींचने (लम्बा करना) के लिये आख़िर में अलिफ़ और हा का इज़ाफ़ा कर दिया। (4) युसम्पितूननी : मुझे चुप करा रहे थे। खर, क़हर नहर, तीनों क़रीबुल मानी लफ़ज़ हैं। सरज़निश व तौबीख़ करना, डांट-डपट करना, जाहिलिय्यत इस्लाम की आमद से पहले का दौर। हदीसे अहद किसी दौर से नया-नया निकलना। (5) ला यसुइन्नहुम : उनको न रोके। वो अपने काम और इशारे से बाज़ न आये। (6) यख़ुत्तु : वो ज़ायचा तैयार करते थे। (7) जवानिय्यह : उहुद पहाड़ के क़रीब एक जगह का नाम है। (8) आसफ़ु : मैं ग़म व हुज़्न और ग़ज़ब व गुस्से में मुब्तला होता हूँ। (9) सकवतुहा सककह : मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया। (10) अज़्ज़म ज़ालिक अलय्य : आपने उसे मेरे लिये बहुत बुरा करार दिया।

ذَاتِ يَوْمٍ فَإِذَا الدَّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ
غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفٌ كَمَا
يَأْسَفُونَ لِكُنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمُ
ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقْتُهَا
قَالَ " ائْتِنِي بِهَا " . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا
" أَيَّنَ اللَّهُ " . قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ "
مَنْ أَنَا " . قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ "
أُعْتِقْتُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

फ़वाइद : (1) नमाज़ के अंदर अगर किसी को छींक आ जाये तो उसको दुआ देना जाइज़ नहीं है, लेकिन जिसको छींक आये वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है। हज़रत मुआविया बिन हकम (रज़ि.) ने छींकने वाले को दुआ नावाकिफ़ियत और जहालत की बिना पर दी थी। इसलिये आपने उसको नमाज़ लौटाने का हुकम नहीं दिया। इस बिना पर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर इलमा का नज़रिया है कि एक नमाज़ी भूलकर या जहालत की बिना पर एक आधा कलिमा कह बैठे तो उसकी नमाज़ हो जायेगी लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी, लेकिन ये बात बेदलील है। (2) नमाज़ में ज़रूरत की सूत में मामूली इशारे से काम लेना जाइज़ है। सहाबा किराम (रज़ि.) ने साथी को चुप कराने के लिये अपनी रानों पर हाथ मारे तो आपने उनको मना नहीं फ़रमाया। (3) काहिन : उन लोगों को कहते हैं जो मुस्तक़बिल के बारे में पेशीनगोई (भविष्यवाणी) करते हैं, उनके पास जाना जाइज़ नहीं बल्कि हराम है। (4) बदशगूनी और नहूसत पकड़ना भी जाइज़ नहीं है। अगर किसी के दिल में बदशगूनी का ख़याल पैदा हो जाये तो उसे उस पर अमल नहीं करना चाहिये और उसकी बिना पर अपने इरादे और काम से रुकना नहीं चाहिये। (5) लकीरें खींचना। जिसको इल्मे रमल का नाम दिया जाता है और उसके ज़रिये ज़ायचा तैयार किया जाता है ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि पैग़म्बर को इसका जो इल्म हासिल था उस इल्म को हम नहीं जानते। इसलिये उसकी मुवाफ़िक़त हमारे लिये मुम्किन नहीं है। (6) इंसान को अपने मातहतों से नर्म रवैया रखना चाहिये। उन पर जुल्म व ज़्यादती रवा रखना जाइज़ नहीं है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो जाये तो उसकी तलाफ़ी करनी चाहिये। (7) फ़िस्समाअ का मानी अलस्समाअ है। फ़ी अला के मानी में है जैसाकि सीरू फ़िलअरज़ि और लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन्नख़ल में है और इससे साबित हुआ अल्लाह तआला ऊपर है। (8) इंसान के हुस्ने सुलूक का ज़्यादा हक़दार मुसलमान मर्द और औरत है।

(1200) हमें इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने ईसा बिन यूनस के वास्ते से औज़ाई की यहया बिन अबी कसीर की सनद से इस क्रिस्म की रिवायत सुनाई।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(1201) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) को सलाम कहा करते थे जबकि आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते थे और आप (ﷺ) हमारे सलाम का जवाब दे देते थे। जब हम नजाशी

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ - وَالْفَاطِمَةُ مُتَقَارِبَةً - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

के यहाँ से वापस आये, हमने आप (ﷺ) को (नमाज़ में) सलाम कहा तो आप (ﷺ) ने हमें जवाब न दिया। तो हमने आप (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम नमाज़ में आपको सलाम कहा करते थे और आप हमें जवाब दिया करते थे तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ खुद एक मशगूलियत रखती है।'

(तिर्मिज़ी : 1199, 3875, अबू दाऊद : 923)

اللَّهُ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا . فَقَالَ " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا " .

फ़वाइद : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) हब्शा से मक्का वापस आ गये थे और फिर दोबारा हब्शा चले गये थे। फिर हिज़रते नबवी के बाद मुस्तक़िल तौर पर मदीना वापस आ गये थे और यहाँ ये मदीना वाली वापसी मुराद है। क्योंकि नमाज़ में कलाम की हुस्मत मदीना में नाज़िल हुई है। (2) इन्-न फ़िस्सलाति शुगुलन : अगर शुगुलन की तन्वीन को तन्कीर के लिये बनायें तो मानी होगा कि एक क्रिस्म की मसरूफ़ियत है। यानी तिलावते कुरआन, तस्बीह व तहमीद और तकबीर के सिवा इंसानी कलाम दुरुस्त नहीं है और अगर तन्वीन को तअज़ीम के लिये मानें तो मानी होगा कि नमाज़ में एक बहुत बड़ी मसरूफ़ियत है कि इंसान अल्लाह तआला के साथ मुनाजात (सरगोशी) कर रहा होता है इसलिये किसी और तरफ़ तवज्जह या ध्यान करना मुम्किन नहीं है या इंसान जो कुछ कह रहा होता है उसमें ग़ौर व तदब्बुर में मुत्तला होता है, इसलिये कोई और काम नहीं कर सकता। (3) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहदिस्सीन (रह.) के नज़दीक सलाम का जवाब इशारे से देना चाहिये और अहनाफ़ के नज़दीक इशारे से जवाब देना भी जाइज़ नहीं है। सलाम फेरने के बाद जवाब देगा और उज़्र भी बयान कर देगा कि मैं नमाज़ की बिना पर जवाब नहीं दे सकता था। हालांकि आप को उज़्र का बयान करने की ज़रूरत इसलिये पेश आई थी कि वो ज़बान से सलाम का जवाब लेने के आदी थे इशारे को समझ न सके थे।

(1202) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ بْنُ سَفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(1203) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से रिवायत है कि हम नमाज़ में बातचीत कर

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ

लिया करते थे। इंसान नमाज़ में अपने साथ खड़े होने वाले साथी से बातचीत कर लेता था यहाँ तक कि ये आयत उतरी, क्रूमू लिल्लाहि क़ानितीन 'अल्लाह के हुज़ूर इज़्जो नियाज़ (मुकम्मल दिल लगाकर) से खड़े हो।' (सूरह बक्ररह : 238) तो हमें ख़ामोश रहने का हुक़्म दिया गया और बातचीत करने से रोक दिया गया।

(सहीह बुख़ारी : 1200, 4534, अबू दाऊद : 949, तिर्मिज़ी : 405, 2986, नसाई : 3/18)

(1204) इमाम साहब तीन और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(1205) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे किसी ज़रूरत के लिये भेजा, फिर मैं आप (ﷺ) को चलते हुए आकर मिला। कुतैबा ने कहा, आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने मुझे इशारा फ़रमाया (इशारे से जवाब दिया)। जब आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो मुझे बुलवाया और फ़रमाया, 'अभी तुमने सलाम कहा जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' और उस वक़्त (नमाज़ में) आप (ﷺ) का रुख़ मश्कि़क़ की तरफ़ था (नफ़ली नमाज़ सवारी पर ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके पढ़ी जा सकती है)।

(नसाई : 3/6, इब्ने माज़ह : 1018)

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْخَارِثِ بْنِ شَيْبَلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَاتِبِينَ } فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكَيْعٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ " إِنَّكَ سَلَّمْتَ آتِفًا وَأَنَا أُصَلِّي " . وَهُوَ مُوَجَّهٌ حَيْثُ يُدِيرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

(1206) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे आपने जबकि आप (ﷺ) बनू मुस्तलिक्क की तरफ जा रहे थे (काम के लिये) भेजा। मैं वापस आपके पास आया तो आप (ﷺ) अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आप (ﷺ) से बातचीत करना चाही तो आप (ﷺ) ने मुझे हाथ से इस तरह इशारा किया (जुहैर ने अपने हाथ से ज़मीन की तरफ इशारा किया) और मैं आप (ﷺ) की क़िरअत सुन रहा था। (रुकूअ व सुजूद के लिये) सर से इशारा फ़रमाते थे। आप (ﷺ) ने फ़ारिग़ होकर पूछा, 'जिस काम के लिये मैंने भेजा था उसके बारे में क्या किया? मुझे तेरे साथ बातचीत करने से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' जुहैर ने कहा, अबू जुबैर (रज़ि.) कअबा की तरफ़ रुख़ करके बैठे हुए थे तो अबू जुबैर (रज़ि.) ने बनू मुस्तलिक्क की तरफ़ इशारा किया और उन्होंने हाथ से ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ इशारा किया (यानी नमाज़ में आप (ﷺ) का रुख़ कअबा की तरफ़ नहीं था)।

(अबू दाऊद : 926)

फ़ायदा : बनू मुस्तलिक्क के साथ जंग 5 या 6 हिजरी में हुई।

(1207) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ थे। आप (ﷺ) ने मुझे किसी काम के लिये भेजा, मैं वापस आया तो आप (ﷺ) सवारी पर नमाज़ पढ़ रहे थे और आप (ﷺ) का रुख़ ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ था। मैंने आप (ﷺ) को सलाम कहा। तो

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أُرْسِلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيَّ بِعَيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا - فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يَوْمَئِذٍ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أُرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلِمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصْلِي " . قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِعَثْنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ

आप (ﷺ) ने मुझे सलाम का जवाब न दिया। जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो फ़रमाया, 'मुझे तुझे सलाम का जवाब देने से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।'

(सहीह बुखारी : 1217)

(1208) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

عَلَى غَيْرِ الْبَيْتَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ
فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدُّ
عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي " .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ
مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
كَثِيرُ بْنُ شَيْطَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ
بِعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَاجَةٍ . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَادٍ .

फ़वाइद : (1) इन अहादीस से साबित हुआ कि इज़ा कुरिअल् कुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू का तअल्लुक नमाज़ से नहीं है। क्योंकि अगर इस आयत का तअल्लुक नमाज़ से होता तो जो आयत इमाम के पीछे क़िरअत से रोकती है उसने बातचीत से क्यों न रोका? और इस आयत के नुज़ूल के बावजूद सहाबा किराम (रज़ि.) नमाज़ में बातचीत करते रहे? (2) इज़ा कुरिअल कुरआन सूरह आराफ़ की आयत है और बिल्इत्तिफ़ाक़ मक्की आयत है और सहाबा किराम (रज़ि.) मदीना में मस्जिदे नबवी में आपके पीछे बातचीत कर लेते थे, आप (ﷺ) नमाज़ में सलाम का जवाब भी दे देते थे। जंगे बनू मुस्तलिक्क़ जो 5 या 6 हिजरी में हुई है, उससे कुछ पहले कलाम मन्सूख़ हुआ और आप (ﷺ) ने सलाम का जवाब भी ज़बान से देना बंद कर दिया। इससे साबित हुआ इस आयत का तअल्लुक नमाज़ की क़िरअत से नहीं। वरना सहाबा किराम (रज़ि.) मदीना मुनव्वरा में नमाज़ में आपस में बातचीत न करते और न ही आप (ﷺ) से सलाम का जवाब बोल कर देते।

बाब 9 : नमाज़ में शैतान पर लानत भेजना और उससे पनाह जाइज़ है और नमाज़ में अमले क़लील (छोटा मोटा काम) भी जाइज़ है

باب جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

(1209) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन्न मेरी तरफ़ बढ़ा ताकि मेरी नमाज़ तोड़ दे और अल्लाह तआला ने उसे मेरे क़ाबू में दे दिया तो मैंने उसका गला घोंट दिया और मैंने ये इरादा भी कर लिया था कि उसे मस्जिद के सुतनों में से किसी सुतून के साथ बांध दूँ ताकि तुम सब सुबह उसको देख सको। फिर मुझे अपने भाई सुलैमान (अलै) का ये क़ौल याद आ गया, 'और ऐ मेरे रब! मुझे बख़्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे सिवा किसी के लिये मुष्किन न हो।' इस तरह अल्लाह ने उस जिन्न को नाकाम व नामुराद लौटा दिया।' इब्ने मन्सूर ने शोबा से हद्दिसना मुहम्मद की बजाय शोबा अन मुहम्मद बिन ज़ियाद कहा है।

(सहीह बुखारी : 461, 1210, 3284, 3423, 4808)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने नमाज़ के दौरान सरकश जिन्न का गला घोंट दिया और उसको मस्जिद के सुतून के साथ बांधने का इरादा फ़रमाया। इससे साबित हुआ कि नमाज़ के अंदर ज़रूरत के तहत कुछ अमल व हरकत जाइज़ है। नीज़ नमाज़ के दौरान ही आपका ध्यान हज़रत सुलैमान (अलै.) की दुआ की तरफ़ चला गया, इससे मालूम हुआ अगर नमाज़ में ध्यान किसी चीज़ की तरफ़ अचानक चला जाये तो नमाज़ नहीं टूटती।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ عَفَرَيْتَا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ اللَّهُ أَمَكَّنِي مِنْهُ فَدَعْتُهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي . فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِتًا " . وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ .

(1210) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। इब्ने जअफ़र की रिवायत में गला घोटने का ज़िक्र नहीं है और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि 'मैंने उसको ज़ोर से धक्का दिया।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَدَعْتُهُ . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ فَدَعْتُهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इफ़रीत : सरकश, मुतमरिद। (2) यफ़्तिक : उसने अचानक हमला करना चाहा। (3) ज़अतुहू : मैंने उसका गला घोट दिया। (4) दअचुहू : मैंने उसको ज़ोर से धक्का दिया।

(1211) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हमने आप को ये कहते हुए सुना, 'मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आता हूँ।' फिर आपने फ़रमाया, 'मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ।' तीन बार और आपने अपना हाथ बढ़ाया गोया आप किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए, हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आपको नमाज़ में कुछ कहते सुना है। हमने इससे पहले आपको ये कलिमात कहते नहीं सुना और हमने आपको अपना हाथ बढ़ाते देखा। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का एक अंगारा लेकर आया ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे। तो मैंने तीन बार अज़ज़ुबिल्लाह मिन्क कहा। फिर मैंने तीन बार कहा, मैं तुझ पर अल्लाह की कामिल लानत भेजता हूँ।' वो पीछे न हटा,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ " . ثَلَاثًا . وَسَطَ يَدُهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ " إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ الثَّامَةَ

फिर मैंने उसको पकड़ने का इरादा कर लिया। अल्लाह की क़सम! अगर हमारे भाई सुलैमान (अलै.) की दुआ न होती तो वो सुबह तक बांध दिया जाता और अहले मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते।'

(नसाई : 3/13)

فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ
لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَوْثِقًا يَلْعَبُ
بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

फ़वाइद : (1) इन दोनों हदीसों से साबित होता है कि जिन्न एक मुस्तक़िल और इंसानों से अलग मख़लूक है। जैसाकि जिन्नों का वजूद कुरआन मजीद से भी साबित है। चूंकि जिन्न आम लोगों की निगाहों से मस्तूर और मख़फ़ी (छिपे) रहते हैं इसलिये उनको ये नाम मिला। (2) जिन्नों को आम लोग नहीं देख सकते और न आम तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कभी-कभार उनको देखना मुम्किन है जैसाकि आपने जिन्न को देखा, उसका गला घोंटा, धक्का दिया और उसको बांधने का इरादा फ़रमाया। (3) जिन्नत हज़रत सुलैमान (अलै.) की फ़ौज में दाख़िल थे और उनके बड़े-बड़े मुश्किल और ज़ोर तलब (भारी) काम अल्लाह के हुक्म से करते थे। अगर आप जिन्न को पकड़कर सुतून के साथ बांध देते तो ये इश्तिबाह पैदा हो सकता था कि जिन्नों पर आपको भी कुदरत व इक्त्तदार हासिल है। इसलिये आपने इरादे को अमली जामा नहीं पहनाया। (4) किसी को जिन्न अगर तंग करें तो वो उन पर लानत भेज सकता है और नमाज़ में भी तअव्वुज़ (अल्लाह की पनाह) लेना जाइज़ है। जिन्नों के हमले से महफूज़ रहने का बेहतरीन तरीक़ा अल्लाह तआला से पनाह चाहना है।

बाब 10 : नमाज़ में बच्चों को उठाना
जाइज़ है

باب جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي
الصَّلَاةِ

हिन्दो-पाक का नुस्खा, नमाज़ में बच्चों का उठा लेना जाइज़ है और उनके कपड़े जब तक नजासत साबित न हो, पाक समझे जायेंगे और अमले क़लील (मामूली काम) से नमाज़ बातिल नहीं होती और इस तरह जब काम अलग-अलग तौर पर किये जायें नमाज़ बातिल नहीं होगी।

(1212) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बेटी ज़ैनब (रज़ि.) की बेटी उमामा (रज़ि.) को उठाकर नमाज़ पढ़ लेते थे, जो अबुल आस

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَتَيْبَةَ
بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

बिन रबीअ (रज़ि.) की बेटी थीं। जब आप क़ियाम में होते तो उसे उठा लेते और जब सज्दा फ़रमाते तो उसे ज़मीन पर बिठा देते। यहया ने कहा, इमाम मालिक ने जवाब दिया, हाँ (ये रिवायत मुझे सुनाई है)।

(सहीह बुखारी : 5996, 516, अबू दाऊद : 918, 919, 920, 917, नसाई : 2/95, 2/45-46, 3/10)

(1213) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा, लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हैं और अबुल आस (रज़ि.) की बेटी उमामा (रज़ि.) जो नबी (ﷺ) की बेटी ज़ैनब (रज़ि.) की बेटी है, वो आपके कन्धे पर है। जब आप रुकूअ में जाते तो उसे ज़मीन पर उतार देते और जब सज्दे से उठते तो उसे फिर कन्धे पर बिठा लेते।

(1214) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप लोगों को इमामत करा रहे हैं और अबुल आस (रज़ि.) की बेटी उमामा (रज़ि.) पर है। जब आप सज्दा करते तो उसको बिठा देते (गर्दन से उतार देते)।

يَحْيَى، قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ، عَجَلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ مَحْمُودَةٌ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

फ़वाइद : (1) बच्चों के कपड़े और बदन को पाक समझा जायेगा, जब तक उनकी नजासत का यक़ीन न हो या उन पर नजासत न लगी हो। (2) ज़रूरत के तहत बच्चे को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ना (फ़र्ज़ हो या नफ़ल) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक जाइज़ है जैसाकि इस हदीस से साबित हो रहा है लेकिन मालिकिया ने बिला दलील इसको नफ़ल नमाज़ से ख़ास करार दिया है। (3) नमाज़ में बच्चे को गोद में लेना और फिर रूकूअ और सज्दे के वक़्त उतार देना और फिर दूसरी रक़अत के शुरू में दोबारा उठा लेना ये अमले क़सीर नहीं है, अमले क़लील है इसलिये इससे नमाज़ नहीं टूटती।

(1215) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं, 'हम मस्जिद में बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। फिर मज़क़ूरा बाला रावियों की हम मानी रिवायत सुनाई। फ़र्क़ ये है उसने ये बयान नहीं किया कि उस नमाज़ में आपने लोगों की इमामत फ़रमाई थी।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا
عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ
الرُّزْقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي
الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بَنَحُو حَدِيثَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ
يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ .

बाब 11 : नमाज़ में एक-दो क़दम
चलना दुरुस्त है

باب جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي
الصَّلَاةِ

हिन्दो-पाक का नुस्खा है नमाज़ में एक-दो क़दम चलना जाइज़ है और इसमें कोई कराहत नहीं है बशर्तेकि ज़रूरत की बिना पर हो और इमाम का नमाज़ की तालीम देने या किसी और ज़रूरत के तहत मुक़्तदियों से बुलंद जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना रवा है (जाइज़ और दुरुस्त है)।

(1216) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम (रह.) अपने बाप के वास्ते से बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और वो मिम्बरे नबवी के बारे में झगड़ रहे थे कि वो

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

किस लकड़ी से बना है? तो उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह की क़सम! मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो किस लकड़ी का है और उसे किसने बनाया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) जब पहले दिन उस पर बैठे थे, मैंने आपको देखा था। मैंने (अबू हाज़िम) कहा ऐ अबू अब्बास! तो हमें बताइये? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक औरत की तरफ़ पैग़ाम भेजा (अबू हाज़िम ने कहा, वो उस दिन उसका नाम भी बता रहे थे) कि अपने बड़ई गुलाम को देखो (और कहो) वो मेरे लिये लकड़ियों को जोड़ दे (मिम्बर बना दे) मैं उन पर लोगों से बातचीत करूँगा। तो उसने ये तीन सीढ़िया बनाई। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बारे में हुक्म दिया और उसे उस जगह रख दिया गया और वो मदीना के जंगल के झाव से बना था। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, उस पर खड़े हुए और तकबीर कही और लोगों ने भी आपके पीछे तकबीर कही और आप मिम्बर पर ही थे। फिर आप (रुकूअ से) उठे और उल्टे पाँव नीचे उतरे, यहाँ तक कि मिम्बर की जड़ में सज्दा किया। फिर दोबारा मिम्बर पर खड़े हो गये। यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करके फ़ारिग़ हो गये। फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, 'ऐ लोगो! मैंने ये काम इसलिये किया है ताकि तुम मेरी इक़्तिदा करो और मेरी नमाज़ सीख लो या जान लो (अगर तअल्लमू हो तो मानी सीख लो होगा और अगर तअल्लमू हो तो मानी जान लो होगा)।

تَفَرَّأ، جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَخَدُّتُنَا . قَالَ أُرْسَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ إِنَّهُ لَيْسَمِيهَا يَوْمَئِذٍ " انظري غلامك التجار يعمل لي أعوادًا أكلهم الناس عليها " . فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَأَاهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَتَزَلَّ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَعُ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي " .

(1217) हज़रत अबू हाज़िम (रह.) से रिवायत है कि कुछ लोग सहल बिन सअद (रज़ि.) के पास आये। नीज़ हमें अबू बकर बिन अबी शैबा, जुहैर बिन हरब और इब्ने अबी इमर ने सुफ़ियान बिन इययना के वास्ते से अबू हाज़िम की रिवायत सुनाई कि लोग सहल बिन सअद (रज़ि.) के पास आये और उनसे पूछा, नबी (ﷺ) का मिम्बर किस चीज़ से बनाया गया है और इब्ने अबी हाज़िम की हम मानी रिवायत बयान की।

(सहीह बुखारी : 377, इब्ने माजह : 1416, सहीह बुखारी : 917, अबू दाऊद : 1080)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ أَتَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مَبْنِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ .

फ़वाइद : (1) हज़रत सहल (रज़ि.) की हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ में मिम्बर पर चढ़ना और उतरना ज़रूरत की सूरत में जाइज़ है, अगरचे इस काम को बार-बार करना पड़े। (2) लोगों को नमाज़ की तालीम अमलन देनी चाहिये ताकि वो पढ़ते देखकर नमाज़ पढ़ना सीख सकें। (3) आपने सहाबा किराम (रज़ि.) को ऊँची जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई ताकि वो आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ना सीख लें। लिहाज़ा अब भी हमें इसी तरह नमाज़ पढ़नी चाहिये, जैसाकि आपने सहाबा किराम (रज़ि.) को सिखाई थी और उन्होंने उसे बयान किया है। (4) मसले की तहकीक के लिये ऐसे शख्स के पास जाना चाहिये जो उसे अच्छी तरह जानता हो। (5) ज़रूरत के तहत इमाम लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा हो सकता है और मुक्तदी भी दूसरी मंज़िल पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। (6) खुत्बए जुम्आ के लिये मिम्बर रखना चाहिये।

बाब 12 : नमाज़ में कमर (कोख) पर हाथ रखना नाजाइज़ है

باب كَرَاهَةِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

(1218) हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने आदमी को कोख पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया। अबू बकर की रिवायत में नबी के बजाय रसूलुल्लाह का लफ़ज़ है।

وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

(नसाई : 889, तिर्मिज़ी : 383)

صَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . وَفِي

رَوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

फवाइद : (1) अल इख़ितसारु फ़िस्सलात से क्या मुराद है? इसके बारे में उलमाए दीन में इख़ितलाफ़ है। अक्सर के नज़दीक और राजेह मानी यही है कि कोख पर हाथ रखना नमाज़ में जाइज़ नहीं है। अल्लामा हरवी ने कहा, इख़ितसार ये है कि मुकम्मल सूरात न पढ़े शुरू या आख़िर से दो चार आयतें पढ़ ले या क़िरअत जल्दी-जल्दी करे। इमाम ग़ज़ाली के बकौल क़िरअत करते वक़्त दरम्यान से सज्दा वाली आयत छोड़ दे। अल्लामा ख़ताबी के नज़दीक नमाज़ में असा (लाठी) का सहारा लेना मुराद है और कुछ के नज़दीक अरकाने नमाज़ यानी क़ियाम, रूकूअ और सज्दा में ऐतदाल न करना मुराद है। (2) इख़ितसार कोख पर हाथ रखने की हिकमत के बारे में अलग-अलग अक़वाल हैं। (1) इब्लीस को जन्नत से इस हालत में उतारा गया। (2) इब्लीस इसी हालत में चलता है। (3) ये यहूदियों का तर्ज़े अमल है। (4) दोज़ख़ी इस तरह आराम करते हैं। (5) ये फ़ख़ व धमण्ड करने वालों का रवैया है। हज़रत आइशा से तीसरी सूरात मरवी है।

बाब 13 : दौराने नमाज़ कंकरियाँ
पौछना (हटाना) और मिट्टी बराबर
करना मक्रूह है

باب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ
التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

(1219) हज़रत मुएक्कीब (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद में कंकरियाँ हमवार करने का तज़्किरा फ़रमाया 'कि अगर इसके बग़ैर चारह न हो तो एक बार कर लो।' (सहीह बुख़ारी : 1207, नसाई : 3/7, इब्ने माजह : 1026)

(1220) हज़रत मुएक्कीब (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से नमाज़ में हाथ फेरने के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'एक बार।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِبٍ، قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي الْحَصَى - قَالَ " إِنْ كُنْتَ لَا بَدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِبٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فِي
الصَّلَاةِ فَقَالَ " وَاحِدَةً "

फ़ायदा : नमाज़ में नमाज़ की जगह सज्दा करते वक़्त बार-बार साफ़ करना दुरुस्त नहीं है। ये नमाज़ के आदाब और तवाज़ोअ के मुनाफ़ी हरकत है। ज़रूरत की सूरत में सिर्फ़ एक बार करना दुरुस्त है।

(1221) मुझे यही रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर क़वारीरी ने ख़ालिद (यानी हारिस का बेटा) के वास्ते से हिशाम की मज़क़ूरा बाला सनद से सुनाई और अन मुएक्कीब की बजाय हदसनी मुएक्कीब कहा।

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا
خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ،

(1222) हज़रत मुएक्कीब (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में जो सज्दा करते वक़्त सज्दागाह से मिट्टी बराबर करता है फ़रमाया, 'अगर ऐसा करना ही है तो एक बार करा।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ
يَسْجُدُ قَالَ " إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "

बाब 14 : दौराने नमाज़ और उसके
अलावा मस्जिद में थूकना मना है

(1223) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ले वाली दीवार में थूक देखा तो आपने उसे खुरच दिया। फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ में हो तो अपने सामने न थूके, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह उसके सामने है।'

(सहीह बुखारी : 406, नसाई : 2/51)

باب التَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ، فِي
الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ
الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " إِذَا
كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ
اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى "

फ़ायदा : इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह से राज़ व नियाज़ और मुनाज़ात करता है और यूँ तसव्वुर करता है गोया कि मैं उसको देख रहा हूँ। इस लिहाज़ से गोया वो सामने मौजूद है। इसको आपने सामने होने से ताबीर फ़रमाया है। असल मक़सद ये है कि क़िब्ले का एहतिराम व ऐजाज़ होना चाहिये। हालते नमाज़ में हो या नमाज़ से ख़ारिज हो, इंसान किसी भी वक़्त क़िब्ले की तरफ़ न थूके। क्योंकि वो अल्लाह तआला का मुकरर करदा है।

(1224) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ले में बलाम देखा। सिर्फ़ ज़ह्हाक की रिवायत में नुख़ामतन फ़िल क़िब्लह है। (फ़ी क़िब्लतिल मस्जिद नहीं है) और इमाम मालिक की मज़कूरा बाला रिवायत से हम मानी रिवायत बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 753, इब्ने माजह : 763, 8271, सहीह बुख़ारी : 1213, अबू दाऊद : 479)

(1225) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ले की दीवार पर बलाम देखा तो आपने उसे कंकरी से खुरच डाला। फिर आपने इस बात से मना फ़रमाया कि आदमी अपने दायें

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُحْمَةَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَبَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ نُخَامَةَ فِي الْقِبْلَةِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

या सामने थूके, अल्बत्ता वो अपने बायें और बायें पाँव के नीचे थूक सकता है।

(सहीह बुखारी : 408, 409, 410, 411, 114, नसाई : 2/51, इब्ने माजह : 761)

الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحِصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

फ़ायदा : अगर इंसान अकेला हो तो वो मस्जिद से बाहर अपने बायें थूक सकता है। अगर उसकी बायें जानिब दूसरा आदमी मौजूद हो तो फिर बायें पाँव के नीचे थूक ले।

(1226) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बलगाम देखा। आगे मज़कूरा बाला रिवायत बयान की।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا بِشْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا، سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

(1227) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ले की दीवार पर थूक या रेंट (नाक का मवाद) या बलगाम देखा तो उसे खुरच डाला।

(सहीह बुखारी : 407)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .

(1228) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ले की दीवार पर थूक देखा तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, 'तुम्हें क्या हुआ है कि तुममें से कोई अपने रब के सामने खड़ा होता है, फिर अपने सामने (आगे) बलगाम फेंकता है? क्या तुममें से किसी को ये बात पसंद है कि उसके सामने खड़ा होकर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ

उसके चेहरे पर थूक दिया जाये? लिहाज़ा जब तुममें से किसी को खंखार आये तो वो अपने बायें क़दम के नीचे थूके, अगर उसकी गुंजाइश न हो तो ऐसे कर ले।' क़ासिम ने इसकी वज़ाहत में अपने कपड़े में थूका, फिर उसे आपस में मल दिया।

(नसाई : 1/163, इब्ने माजह : 1022)

(1229) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हुशैम की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि अबू हरैरह (रज़ि.) ने कहा, गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को कपड़े को आपस में मलते देख रहा हूँ।

(1230) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ता है तो वो अपने रब से राज़ व नियाज़ की बातचीत करता है, इसलिये वो अपने सामने या दायें तरफ़ न थूके। हाँ! बायें तरफ़ पाँव के नीचे थूक ले।'

(सहीह बुख़ारी : 412, 413, 1214)

مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَّعُ أَمَامَهُ أَيُّجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيَتَنَحَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَحَّعْ عَنِ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا " . وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَقَلَّ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ .

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَتَأَجِبُ رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ दरहकीक़त एक तरह से अल्लाह तआला से सरगोशी और राज़ व नियाज़ की बात है। इसलिये इंसान को नमाज़ पूरे दिल को हाज़िर रखकर और

खुशूअ और खुजूअ के साथ पूरी तवज्जह और एहतियाम से किरात और तस्बीहात व तम्जीदात और दूसरे अज़्कार पढ़ने चाहिये और नमाज़ में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जिससे इंसान की तवज्जह और हुजूरे दिल व दिमाग में खलल पड़े और नमाज़ में अगर थूकने की ज़रूरत पेश आ जाये तो वो बायें क़दम के नीचे थूक ले।

(1231) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मस्जिद में थूकना ग़लती है और इसका कफ़ारा उसको दफ़न कर देना है।'

(अबू दाऊद : 475, तिर्मिज़ी : 572, नसाई : 2/50)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْبِرَائِي فِي الْمَسْجِدِ حَاطِيَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

(1232) हज़रत शोबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने क़तादा (रज़ि.) से मस्जिद में थूकने के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'मस्जिद में थूक ग़लती है और इसका कफ़ारा उसको दफ़न करना है।'

(सहीह बुखारी : 415, अबू दाऊद : 474)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الثَّقَلِ، فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الثَّقَلُ فِي الْمَسْجِدِ حَاطِيَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान को मस्जिद में नहीं थूकना चाहिये। अगर ज़रूरत और मजबूरी की बिना पर थूक ले तो फिर दूसरी हदीस की रू से बायें क़दम तले थूक ले और उसको दफ़न कर दे।

इसलिये दोनों हदीसों में तआरुज़ (टकराव) नहीं है और क़ाज़ी अयाज़ और इमाम नववी का इस मसले के बारे में कुछ इख़ितलाफ़ है। इमाम नववी के नज़दीक मस्जिद में नहीं थूकना चाहिये। ज़रूरत पड़े तो अपने कपड़े में थूक ले। अगर मस्जिद में थूकेगा तो गुनाहगार होगा। क़ाज़ी अयाज़ का नज़रिया है कि अगर मस्जिद में थूक कर दफ़न कर दिया तो गुनाह नहीं होगा। अगर दफ़न नहीं किया तो गुनाहगार होगा। आज-कल मसाजिद में दफ़न करना मुम्किन नहीं है इसलिये ज़रूरत और मजबूरी की सूरत में थूकदान या कपड़े को इस्तेमाल करना चाहिये।

(1233) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे आमाल पेश किये गये तो मैंने उसके अच्छे आमाल में रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने को पाया और मैंने उसके बुरे आमाल में मस्जिद में खंखार को पाया जिसको दफ़न नहीं किया गया।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَدَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि आपको अपनी ज़िन्दगी में उम्मत के अच्छे और बुरे अमलों का मुशाहिदा करवाया गया ताकि आप उम्मत को अच्छे और बुरे अमलों से अला वजहिल बसीरह आगाह फ़रमा दें और आपने ये फ़रीज़ा सर अन्जाम दे दिया। लेकिन ये कहना (ये तसरीह है) कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर उम्मत के तमाम आमाल पेश किये जाते हैं। हदीस के मफ़हम व मानी में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा है और ये हदीस का मन्शा और मक़सद नहीं है।

(1234) हज़रत यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा की तो मैंने आपको देखा कि आपने थूका और उसे अपने जूते से मसल दिया।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنْخَعُ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ .

(अबू दाऊद : 483, 484)

(1235) हज़रत अबू अला यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ में नमाज़ पढ़ी। आपने थूका और उसे अपने बायें जूते से मसल डाला।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَنْخَعُ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ मस्जिद में थूक वगैरह के दफ़न करने का मानी है उसको अपने बायें जूते से मसल देना इस तरह उसका इज़ाला हो जायेगा ये मानी नहीं है कि ज़मीन को खोदा जाये और उसमें दफ़न किया जाये।

**बाब 15 : जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना
जाइज़ है**

(1236) अबू मस्लमा सईद बिन यज़ीद (रह.) से रिवायत है कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ।

(सहीहबुखारी:386,5850 तिर्मिज़ी:400 नसाई: 2/74)

(1237) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

باب جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا . بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर जूती साफ़ और पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ना दुस्त है। लेकिन आज-कल मसाजिद में फ़र्श और क़ालीन होते हैं और जूते की मिट्टी वगैरह उनमें ज़बब हो जाती है। इसलिये सिर्फ़ वहाँ जूते पहनकर नमाज़ पढ़नी चाहिये जहाँ मस्जिद कच्ची हो उस पर क़ालीन, दरियाँ, सफ़े न हों।

**बाब 16 : मुनक्कश बेल-बूटेदार
कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मक्रूह (ना
पसंदीदा) है**

(1238) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक मुनक्कश चादर में नमाज़ पढ़ी और फ़रमाया, 'इसके बेल-बूटों

**باب كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ
أَعْلَامٌ**

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لِرُؤْهِيرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ

ने मुझे अपने में मुन्हमिक (मशगूल) करना चाहा। इसको अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे उससे अम्बिजानी चादर ला दो।' (सहीह बुखारी : 752, अबू दाऊद : 914, 4053, नसाई : 2/72, इब्ने माजह : 3550)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) खमीसह : मुरब्बअ शकल की ऊनी चादर। (2) आलाम : अलम की जमा है, नक़शो-निगार।

(1239) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक नक़शो-निगार वाली चादर में नमाज़ पढ़ने लगे और उसके नक़शो-निगार पर नज़र डाली तो जब आप अपनी नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया, 'ये ऊनी चादर अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा के पास ले जाओ और मुझे उसकी अम्बिजानी चादर ला दो। क्योंकि इसने अभी मुझे मेरी नमाज़ से ग़ाफ़िल कर दिया था।'

(1240) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक फूलदार ऊनी चादर थी। आप नमाज़ में उसमें मशगूल हो जाते। आपने वो अबू जहम को दे दी और उसकी सादा अम्बिजानी ऊन की चादर ले ली।

फ़ायदा : आपको एक मुनक़क़श चादर हज़रत अबू जहम (रज़ि.) ने तोहफ़तन दी थी। आप जब उसमें नमाज़ पढ़ने लगे तो आपकी तवज्जह और ध्यान उसके नक़शो-निगार की तरफ़ होने लगा। आपने नमाज़ से इस ग़फ़लत को पसंद न फ़रमाया और ये चादर हज़रत अबू जहम (रज़ि.) को वापस करके उससे सादा चादर ले ली, ताकि तोहफ़े की वापसी से उसकी हौसला शिकनी और दिल आजारी न हो। इस हदीस से मालूम हुआ मसाजिद को ऐसे नक़शो-निगार और फ़र्श व फ़ुरूश से बचाना चाहिये जो नमाज़ियों की

الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ " شَعَلْتَنِي أَعْلَامٌ هَذِهِ فَأَذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَثْنُونِي بِأَنْبِجَانِيهِ " .

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَيَّ عَلِمَهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ " اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بْنِ حُدَيْفَةَ وَأَثْنُونِي بِأَنْبِجَانِيهِ فَإِنَّهَا الْهَتِّي أَنِفًا فِي صَلَاتِي " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَسَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا .

तवज्जह और दिलजमई में खलल का बाइस बने और ऐसी सजावट व आराइश जो आम मामूल बन चुकी हो जिसकी वजह से नमाज़ियों की तवज्जह में खलल न पड़ता हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है।

बाब 17 : वो खाना जिसको इंसान फ़ौरी तौर पर खाना चाहता हो, उसकी मौजूदगी में नमाज़ मक्रूह है, इसी तरह पेशाब-पाख़ाना को रोककर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है

بَاب كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثِينَ

(1241) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब शाम का खाना सामने आ जाये और नमाज़ के लिये तकबीर हो जाये तो पहले खाना खा लो।' (तिर्मिज़ी : 353, नसाई : 2/111, इब्ने माजह : 933)

أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدِءُوا بِالْعِشَاءِ " .

(1242) अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब शाम का खाना पेश कर दिया जाये और नमाज़ का वक़्त हो जाये तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ने से पहले खाना खाना शुरू करो और खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जल्दी न करो।' (इब्ने माजह : 935)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قُرِبَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدِءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ " .

(1243) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं। (इब्ने माजह : 935)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَفْصُ، وَوَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ .

(1244) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी का खाम्पा लगा दिया जाये और नमाज़ के लिये इक्रामत हो जाये तो खाने से शुरू करो और फ़रागत से पहले नमाज़ के लिये जल्दी न करो।'

(सहीह बुखारी : 673)

(1245) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुखारी : 673, तोहफ़ा : 8468, 7783)

(1246) हज़रत इब्ने अबी अतीक से रिवायत है कि मैंने और क़ासिम ने आइशा (रज़ि.) के पास एक बातचीत की और क़ासिम बातचीत में ऐराबी ग़लती बहुत करते थे क्योंकि वो लौण्डी के बेटे थे। आइशा (रज़ि.) ने उसे कहा, क्या बात है तुम मेरे इस भतीजे की तरह बातचीत नहीं करते हो? हाँ! मैं जानती हूँ तुममें ये बात कहाँ से आई है। इसको इसकी माँ ने अदब सिखाया (तालीम दी) और तुझे तेरी माँ ने अदब सिखाया। इस पर क़ासिम नाराज़ हो गया और हसद व कीना का इज़हार किया और जब उसने आइशा

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وُضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَاذْبَعُوا بِالْعِشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ "

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لِحَانَةً وَكَانَ لَأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتَيْتَ . هَذَا أُدْبِنْتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أُدْبِنْتِكَ

(रज़ि.) का दस्तरख्वान आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। आइशा (रज़ि.) ने पूछा, कहाँ जाते हो? उसने कहा, नमाज़ पढ़ने। आइशा (रज़ि.) ने कहा, बैठ जाओ। उसने कहा, नमाज़ पढ़ता हूँ। आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ बेवफ़ा! बैठ जा। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'खाना सामने आ जाये तो नमाज़ न पढ़ो। इसी तरह पेशाब-पाख़ाना रोक कर नमाज़ न पढ़ो।'

(अबू दाऊद : 89)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) लहहानह : ऐराब में बहुत ग़लती करने वाला। (2) मिन ऐ-न उतीत : तुझमें ये ऐराबी ग़लती कहाँ से आई। (3) अज़ब्ब : ज़ब्ब (हसद व कीना) से माख़ूज है तैश और गुस्सा का इज़हार किया। (4) गुदर : यानी ऐ बेवफ़ा। (5) अलअख़बमान : पेशाब व पाख़ाना। (6) युदाफ़ि़ड : हटाना, दूर करना मुराद उनको रोकना है।

(1247) इमाम साहब ने अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की और इस हदीस में क़ासिम का वाक़िया बयान नहीं किया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي أَبُو حُزْرَةَ الْقَاصُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ .

फ़वाइद : (1) अहादीसे मज़कूरा बाला (पिछली हदीसों) से ये साबित होता है कि अगर नमाज़ में हाज़िरी के वक़्त इंसान को खाना खाने की हाज़त हो और खाना सामने मौजूद हो या पेशाब व पाख़ाना की हाज़त हो तो पहले उन ज़रूरतों से फ़ारिग़ होना चाहिये ताकि दिल की पूरी तवज्जह नमाज़ की तरफ़ हो। अगर ये ज़रूरतें मामूली किस्म की हों और उनको मुअख़्ख़र करने में कोई तकलीफ़ न हो और उनका असर नमाज़ पर न पड़ता हो तो फिर उनको मुअख़्ख़र (ताख़ीर) किया जा सकता है। (2) इब्ने अबी अतीक़ से मुराद अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ है और क़ासिम से

मुराद कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक मुराद है। जो मदीना मुनव्वरा के सात फुक्हा में से एक जलीलुल क़द्र फ़कीह हैं। कासिम हज़रत आइशा का भतीजा है लेकिन उसकी माँ लौण्डी थी जो अरबी न थी और इब्ने अबी अतीक उनके भतीजे का बेटा है और उसकी माँ हुरह और अरब थी।

बाब 18 : जिसने लहसुन या प्याज या गन्दना या कोई बदबूदार चीज़ खाई उसको (मस्जिद में जाने से) रोकना (यहाँ तक कि ये बूख़त्म हो जाये और उसको मस्जिद से निकालना)

باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً
أو كراثًا أو نحوها عن حضور
المسجد

(1248) हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्वए ख़ैबर के मौक़े पर फ़रमाया, 'जिसने ये पौधा यानी लहसुन खाया वो मस्जिदों में हर्गिज़ न आये।' जुहैर ने सिर्फ़ ग़ज़्वए ख़ैबर का नाम नहीं लिया।

(सहीह बुख़ारी : 853, अबू दाऊद : 3825)

(1249) हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने ये तरकारी यानी लहसुन खाया वो उस वक़्त तक हमारी मस्जिदों के हर्गिज़ करीब न आये कि जब तक उसकी बदबू न चली जाये।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
غَزْوَةِ خَيْبَرَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -
يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ " . قَالَ
زُهَيْرٌ فِي غَزْوَةِ . وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ،
ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، -
وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ
فَلَا يَفْرَقَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا " .
يَعْنِي الثُّومَ .

(1250) हज़रत अनस (रज़ि.) से लहसुन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने इस सब्ज़ी से खाया, वो हमारे हर्गिज़ करीब न आये और हमारे साथ नमाज़ न पढ़े।'

(1251) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने इस सब्ज़ी से खाया वो हर्गिज़ हमारी मस्जिद के करीब न आये और हमें लहसुन की बू से तकलीफ़ न दे।'

(1252) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने प्याज़ और गन्दना खाने से मना फ़रमाया तो हमने ज़रूरत से मजबूर होकर उससे खा लिया। इस पर आपने फ़रमाया, 'जिसने इस बदबूदार सब्ज़ी को इस्तेमाल किया वो हमारी मस्जिद के करीब न आये, क्योंकि फ़रिश्तों को भी उस चीज़ से तकलीफ़ होती है, जिससे इंसानों को तकलीफ़ होती है।'

मुफ़रदातुल हदीस : कुरांस : एक किसम की बदबूदार तरकारी है जिसकी कुछ किसमें प्याज़ और कुछ किसमें लहसुन के मुशाबेह होती हैं और कुछ के सिरे नहीं होते, उसका मुफ़रद करासतुन है।

(1253) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने लहसुन या प्याज़ खाया वो हमसे अलग रहे या हमारी मस्जिदों से अलग

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ، فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَفْرَتْنَا وَلَا يُصَلِّيَ مَعَنَا " .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَفْرَتُنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤَدِّبُنَا بِرِيحِ الثُّومِ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكَرَاثِ . فَغَلَبَتْنا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتَنَبِّئَةَ فَلَا يَفْرَتُنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِنْهَا يَتَأْذَى مِنْهُ الْإِنْسُ " .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ

रहे और अपने घर में बैठे।' और एक बार आपके पास हाण्डी लाई गई जिसमें तरकारियाँ थीं तो आपने उनकी बदबू महसूस की और पूछा, तो आपको तरकारियों के बारे में बताया गया तो आपने फ़रमाया, 'इसको फ़लों साथी के करीब कर दो।' तो उसने उसे देखकर (आपकी कराहत की बिना पर) उसे नापसंद किया। आपने फ़रमाया, 'तुम खा लो क्योंकि मैं उससे सरगोशी करता हूँ जिससे तुम सरगोशी नहीं करते हो।' यानी मैं फ़रिश्तों से सरगोशी करता हूँ।

(सहीह बुखारी:855, 5452, 7359 अबू दाऊद:3822

(1254) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि:) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने ये तरकारी, लहसुन खाया' और एक बार फ़रमाया, 'जिसने प्याज़, लहसुन और गन्दना खाया वो हमारी मस्जिद के करीब न आये क्योंकि फ़रिश्ते उन चीज़ों से अज़ियत (तकलीफ़) महसूस करते हैं, जिनसे इंसानों को अज़ियत पहुँचती है।'

(सहीह बुखारी:854, तिर्मिज़ी : 1806, मसाई : 2/43)

(1255) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं आपने फ़रमाया, 'जिसने इस पौधे (लहसुन मुराद है) से खाया वो हमारी मस्जिद में हमारे पास न आये।' प्याज़ और गन्दना का तज़्किरा नहीं किया।

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ حَرَمَلَةَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ " . وَأَنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ حَضِرَاتٌ مِنْ بَقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ " قَرُبُوهَا " . إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ " كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تَنَاجِي " .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَاتَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنَادَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ يَبْئُؤُ آدَمَ " .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَا فِي مَسْجِدِنَا " . وَلَمْ يَذْكَرِ الْبَصَلَ وَالْكَرَاتَ .

(1256) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि हम ख़ैबर की फ़तह से आगे नहीं बढ़े थे कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी लहसुन की तरकारी पर टूट पड़े क्योंकि लोग भूखे थे और हमने उसे ख़ूब पेट भरकर खाया। फिर हम मस्जिद की तरफ़ गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बदबू महसूस फ़रमाई तो फ़रमाया, 'जिसने इस नापसन्दीदा (ख़बीस) पौधे से कुछ खाया वो हमारी मस्जिद में हमारे क़रीब न आये।' तो लोगों ने कहा, लहसुन हाराम क़रार दिया गया, हाराम हो गया? ये बात नबी (ﷺ) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अल्लाह ने जो कुछ मेरे लिये हलाल कर दिया है मैं उसको हाराम नहीं कर सकता, लेकिन ये एक पौधा है मैं इसकी बू को नापसंद करता हूँ।'

(1257) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार अपने साथियों के साथ प्याज़ के खेत से गुज़रे। उनमें कुछ लोगों ने उतरकर उससे कुछ खा लिया और दूसरों ने न खाया। हम आपके पास गये तो आपने उन लोगों को क़रीब बुला लिया जिन्होंने प्याज़ नहीं खाया था और जिन्होंने प्याज़ खाया था उनको पीछे कर दिया। यहाँ तक उसकी बदबू ख़त्म हो गई।

(1258) हज़रत मअदान बिन अबी तलहा (रज़ि.) से रिवायत है कि इमर बिन ख़त्ताब

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ لَمْ نَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ، خَيْبَرُ فَوْقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ فَقَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبُنَا فِي الْمَسْجِدِ " . فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا " .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى زُرَاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَتَزَلَّ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ فَرُحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَأَخْرَ الْأَخْرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ

(रज़ि.) ने जुम्आ के दिन खुत्बा दिया और नबी (ﷺ) और अबू बकर (रज़ि.) का तज़क़िरा किया। कहा, मैंने ख़्वाब देखा है गोया कि एक मुर्ग ने मुझे तीन ठोंगें मारी हैं और मैं समझता हूँ मेरी मौत करीब आ गई और कुछ लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं कि मैं ख़लीफ़ा नामज़द कर दूँ और अल्लाह तआला अपने दीन को ज़ाया नहीं होने देगा, न आपकी ख़िलाफ़त को और न उस शरीअत को जिसे अपने नबी (ﷺ) को देकर भेजा है। अगर मुझे जल्द मौत आ जाये तो ख़िलाफ़त उन छः हज़रात के आपसी मशवरे से तय होगी जिनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) खुश-ख़ुश फ़ौत हुए और मैं जानता हूँ कुछ लोग जिनसे मैंने इस्लाम की ख़ातिर अपने इस हाथ से जंग लड़ी है, वो इस ख़िलाफ़त पर ऐतराज़ करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अल्लाह के काफ़िर और गुमराह होंगे। फिर मैं अपने बाद अपने नज़दीक कलाला (की विरासत) का मसला सबसे अहम छोड़ रहा हूँ। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी मसले के बारे में इस क़द्र बार-बार नहीं पूछा जिस क़द्र कलाला के बारे में पूछा और आपने भी मेरे साथ किसी मसले में इस क़द्र शिद्दत नहीं बरती जितनी आपने मेरे साथ इस मसले में शिद्दत इख़्तियार फ़रमाई यहाँ तक कि आपने अपनी उंगली से मेरे सीने को ठोक कर फ़रमाया, 'ऐ इमर! क्या गर्मी के मौसम में उतरने वाली सूरह निसा की आख़िरी आयत

سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دَيْكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجْلِي وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّحْ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجَلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُوْفِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفْرَةُ الضَّلَالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكِلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكِلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ " يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ " . وَإِنِّي إِنْ أَعِشَ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ

तुम्हारे लिये तसल्ली बख्श नहीं है? और अगर मैं ज़िन्दा रहा तो मैं इसके बारे में फैसला करूँगा कि इसके मुताबिक़ हर इंसान जो कुरआन पढ़ता है या नहीं पढ़ता है फैसला कर सकेगा।' फिर फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मैं तुम्हें शहरों के गवर्नरों के बारे में गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन्हीं लोगों पर सुन्नत की तालीम दीं और उनकी ग़नीमत उनमें तक़सीम कीं और उनके मामलात में अगर उन्हें कोई मुश्किल पेश आये तो उसे मेरे सामने पेश करें, फिर तुम ऐ-सोगी! दो पौधे खाते हो, मैं उन्हें ख़बीस ही समझता हूँ ये प्याज़ और लहसुन।' मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, जब आप मस्जिद में किसी आदमी से उनकी बू महसूस करते तो आप उसे बक़ीअ की तरफ़ निकालने का हुक्म देते-लिहाज़ा जो शख्स उन्हें खाना चाहता है वो उन्हें पकाकर उनकी बू ख़त्म कर दे।

(नसाई : 2/43, इब्ने माजह : 1014, 2726, 3363)

(1259) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से मज़कूरा वाला रिवायत बयान करते हैं।

قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ عَلَى أُمَّرَاءِ الْأَمْصَارِ
وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيُعَدَّلُوا عَلَيْهِمْ
وَلِيَعْلَمُوا النَّاسَ بَيْنَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَسِّمُوا فِيهِمْ فَيَتَّهَمُوا
وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ
إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا
إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْجِصْلُ وَالثُّومُ لَقَدْ وَابَيْتُ
رَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ
رَيْحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ
فَأَخْرَجَ إِلَى الْقَيْعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلَيْمَتُهُمَا
مُطَبَّحًا
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
كِلَاهِمَا عَنْ شَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
حِينَئِذٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) ने लहसुन, प्याज़ और गन्दबा ख़ाकर मस्जिद में जाने से फ़रमा-फ़रमाया है और इसका सबब इसकी बदबू को करार दिया है, जो इंसानों की तरह फ़रिश्तों के लिये भी अज़िबत और तकलीफ़ का बाइस है। इससे साबित होता है कि कोई भी बदबूदार ख़िज़-इस्तेमाल करने के बाद मस्जिद में या लोगों के इल्मी इज्तिमाअ में जहाँ फ़रिश्ते आते हैं, नहीं जाना चाहिये और लहसुन व

प्याज़ और गन्दना ऐसी तरकारियाँ हैं जिनका खाना बिस्तिफ़ाक़ जाइज़ है। इसलिये आप ने बदवू के जाइज़ होने के बाद मस्जिद में आने की इजाज़त दी है तो वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल नाजाइज़ या कम से कम मक्रूह और नापसन्दीदा है जैसे हुक्का, सिगरेट, बीड़ी वगैरह इनको इस्तेमाल करने के बाद मस्जिद में आने की गुंजाइश कैसे निकल सकती है। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) ने अथमी जिन्दगी के आखिरी दिनों में खलीफ़ा की सिफ़ात और इस्लामी उमरा और हुक्काम की जिम्मेदारी को इन्तिहाई जामुद्दियत के साथ बयान कर दिया है। जिसकी रोशनी में हम अपनी हुक्मतों के उमरा और हुक्काम के अफ़्आल व आमाल को परख सकते हैं और ये फ़ैसला कर सकते हैं क्या ये हुक्मतों इस्लामी हैं या नहीं? (3) हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़िलाफ़त के लिये छः हज़रात को नामज़द फ़रमाया था और ये हज़रात थे जिनकी नबी (ﷺ) ने जन्नत की बशारत दी थी। यामी उसमान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, तलहा, जुबैर और सअद बिन अबी वक्कास (रज़ि.) जन्नत की बशारत पाने वाले दस सहाबा किराम (रज़ि.) में से अबू बक्र अबू उबैदा बिन जराह (रज़ि.) वफ़ात पा चुके थे और हज़रत उमर (रज़ि.) के सिवा बाक़ी सात थे लेकिन आपने कराबतदारों की बिना पर सईद बिन जैद की उनमें दाख़िल नहीं किया और उन हज़रात को पाबंद किया कि तीन दिन के अंदर-अंदर अपने में से किसी का इन्तिखाब कर लें। फिर आपसी मशवरे से तीसरे खलीफ़ा के तौर पर हज़रत उसमान (रज़ि.) को चुन लिया गया और उसके बाद तमाम लोगों ने उनकी बैअत कर ली और उनके इन्तिखाब पर इन्तिहाई मसरत और शादमानी का इज़हार किया और हज़रत उमर (रज़ि.) के इन्तिबाह (खबरदार करने) की बिना पर, उन लोगों ने ख़ामोशी इख़्तियार कर ली जो ख़िलाफ़त के लिये उन छः हज़रात की नामज़द पर कराहत महसूस करते थे। इसलिये वो खुलकर सामने नहीं आ सके, क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) के कुछ अक्वाल से महसूस होता है कि ये वो लोग थे जो ख़िलाफ़त बनू हाशिम के पास आने को नापसंद करते थे कि नुबूवत और ख़िलाफ़त एक ख़ानदान में जमा हो जायेगी और उसमान (रज़ि.) के खलीफ़ा बनने की सूरत में ख़िलाफ़त बनू हाशिम के पास नहीं आई थी। (4) कलाला की तप्सीर में इख़्तिलाफ़ है, लेकिन जुम्हूर उम्मत के नज़दीक इससे मुराद वो मय्यित है जिसने अपने पीछे औलाद और वालिदैन में से किसी को न छोड़ा हो यानी उसके वारिस उसकी औलाद या वालिदैन न हों। आपके ख़वाब की ये ताबीर जल्द ही जाहिर हो गई कि आपको नमाज़े फ़रज़ में अबू लुअलुअ फ़ीरोज़ ने तीन बार खन्जर मारा जिसके नतीजे में आप शहीद हो गये।

बाब 19 : मस्जिद में गुमशुदा चीज़ की तलाश की मुमानिअत (मनाही) और तलाश करने वाले के ऐलान को सुनकर क्या कहा जायेगा

باب النهي عن نشد الضالة، في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

(1260) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने किसी आदमी को बुलंद आवाज़ से मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करते सुना तो वो कहे, अल्लाह करे तेरी चीज़ तुझे न मिले क्योंकि मस्जिदें इस मक़सद के लिये नहीं बनाई गई।'।

(अबू दाऊद : 21, इब्ने माजह : 767)

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيَّوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "

मुफ़रदातुल हदीस : (1) यन्शुदु : वो तलाश करता है, ढूँढता है। (2) अज़्जाल्लह : ज़वाल गुमशुदा चीज़।

(1261) इमाम साहब मज़क़ूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

(1262) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी ने मस्जिद में ऐलान किया कि सुख़् कैंट के बारे में कौन बतायेगा? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे न मिले! मस्जिदें सिर्फ़ उन्हीं

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَيَّ الْجَمَلِ

कामों के लिये बनी हैं जिनके लिये बनाई जाती हैं।

(इब्ने माजह : 765)

फ़ायदा : मस्जिद बनाने का असल मक़सद नमाज़, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और दीन की तालीमात और वज़्र व नसीहत है और लोगों के इज्तिमाअ से फ़ायदा उठाकर गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना, इन मक़ासिद के मुनाफ़ी है। यहाँ तक कि इमाम मालिक इल्मी बहस और मुजाकरे को भी आवाज़ के बुलंद हो जाने की बिना पर नापसंदीदा करार देते हैं और कुछ हज़रात का ख़याल है कि इंसान अपनी ज़ात की ज़रूरत के लिये मस्जिद में सवाल भी नहीं कर सकता, सिर्फ़ दीनी ज़रूरत के लिये या मफ़ादे आममह (आम लोगों के फ़ायदे) की चीज़ का सवाल कर सकता है। इसलिये आपने अपने गुमशुदा क़ंट के बारे में ऐलान करने वाले को रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद बहुआ दी, जिससे साबित होता है मस्जिद से ख़ारिज गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद में करना दुरुस्त नहीं है। ख़ास कर नमाज़ और तालीम व तदरीस के औकात में।

(1263) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ से फ़ारिग हो गये, एक आदमी ने खड़े होकर कहा, सुख़ क़ंट के लिये किसने बुलाया है? यानी सुख़ क़ंट किसको मिला है? इसके बारे में कौन बता सकता है? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे न मिले, मसाजिद सिर्फ़ उन्हीं कामों के लिये हैं जिनके लिये इनको बनाया गया है।'

(1264) हज़रत इब्ने बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि जब नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ षढ़ चुके तो एक बदवी (देहाती) आया और मस्जिद के दरवाज़े से अपना सर अंदर किया फिर मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान की। इमाम मुस्लिम (रह.)

الأخمر . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا وَجَدْتُ . إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ أَبِي سَيَّانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَيَّ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا وَجَدْتُ . إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ . "

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ أُعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ . فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ

फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन शैबा से मुराद अबू नआमा है जिससे मिस्त्र, हुशैम, जर्री और दूसरे कूफ़ी रावी रिवायत बयान करते हैं।

بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا . قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهَشِيمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ .

बाब 20 : नमाज़ में भूल और उसके लिये सज्दा करना

باب السّهو في الصلّاة والسّجود له

(1265) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा होता है तो शैतान आकर उसे इल्तिबास (शुब्हा) में डालता है यहाँ तक कि उसे पता नहीं रहता कि उसने कितनी रकआत पढ़ी हैं, तुममें से कोई जब इस काम में मुब्तला हो जाये तो वो बैठकर यानी आखिर में दो सज्दे कर ले।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنْ أَخَذَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَخَذَكُمْ فَلَيْسَ جُزْءٌ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

(सहीहबुखारी:1232, अबूदाऊद:1030, नसाई:3/31)

(1266) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से मज़कूर बाला (ऊपर की) हदीस के हम मानी हदीस बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - - قَالَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(तिर्मिज़ी : 397)

(1267) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ, पुश्त फेर कर भागता है ताकि

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ

अज्ञान सुनाई न दे। जब अज्ञान मुकम्मल हो जाती है वापस आता है, जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाती है, फिर जाता है जब तकबीर कही जा चुकती है तो आकर इंसान और उसके दिल में हाइल होता है। यानी उसके दिल में शुक्क व शुब्हात पैदा करता है। कहता है, फ़लों बात याद करो, फ़लों चीज़ याद करो, वो चीज़ें जो उसे याद नहीं होतीं यहाँ तक कि उसे याद नहीं रहता उसने कितनी रकआत पढ़ी हैं। जब तुममें से किसी को ये याद न रहे कि उसने कितनी रकआत पढ़ी हैं तो वो बैठे-बैठे (तशहहूद में) दो सज्दे कर ले।'

(सहीह बुखारी : 1231, नसाई : 3/31)

(1268) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाती है तो शैतान हवा ख़ारिज करता हुआ पुश्त फेरकर भागता है।' ऊपर की तरह रिवायत सुनाई और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, 'उसे रग़बतें और उम्मीदें दिलाता है और उसे उसकी वो ज़रूरतें याद दिलाता है जो उसे याद न थीं।'

मुफ़रदातुल हदीस : हन्नाहु तहन्नअह : शौक व रग़बत दिलाना, हन्नाहु बिकज़ा का मानी होता है उस चीज़ की मुबारकबाद देना। मन्नाह : आरज़ू और उम्मीद दिलाना, यहाँ दोनों लफ़्ज़ों से मक़सूद दिली ख़्यालात व तसव्वुरात हैं।

फ़वाइद : (1) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस से ये साबित होता है कि अल्लाह तआला ने अज्ञान और तकबीर में ये ख़ासियत और तासीर रखी है कि उनको सुनकर शैतान भाग खड़ा होता है। यानी वो शैतान जो हर इंसान के साथ लगा हुआ है। (2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम ये है कि अगर इंसान को ये याद न रहे कि उसने नमाज़ की कितनी रकअतें पढ़ी हैं कम हैं

أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أُدْبِرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أُدْبِرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَذْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضَرَاطٌ . فَذَكَرْ نَحْوَهُ وَزَادَ " فَهَنَاءُ وَمَنَاءُ وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ "

या ज़्यादा पढ़ लीं हैं तो वो आखिर में दो सज्दे कर ले। हसन बसरी (रह.) और सलफ़ की एक जमाअत का यही मौक़िफ़ है। शअबी, औज़ाई (रह.) और बहुत से सलफ़ का नज़रिया ये है कि ऐसी सूरात में वो नमाज़ नये सिरे से पढ़ेगा। अगर फिर याद न रहा तो फिर नये सिरे से पढ़ेगा जब तक यक़ीन नहीं होगा नमाज़ नये सिरे से पढ़ता रहेगा। और कुछ का ख़याल है चौथी बार के बाद इआदा (लौटाना) नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मस्लक ये है अगर पहली बार शक हुआ है तो नमाज़ नये सिरे से पढ़े, अगर ऐसे होता रहता है तो फिर ज़न्ने ग़ालिब पर अमल करे। जैसे तीन और चार में तरहद है तो फिर ज़न्ने ग़ालिब पर अमल करके दो सज्दे कर ले और अगर ज़न्ने ग़ालिब न हो तो जितनी रकआत यक़ीनी हैं यानी तीन जिसको बिनाअलल अक़ल्ल कहते हैं। समझकर चौथी रकअत पढ़कर दो सज्दे कर ले। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक यक़ीनी रकआत पर अमल करे और आखिर में दो सज्दे कर ले। अहादीस की रोशनी में सहीह मौक़िफ़ यही है कि फ़ल्यतहिर्स्सवाब सहीह बात को पहुँचने की कोशिश करे। जैसाकि इब्ने मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है अगर ये न हो सके तो फिर वल्युब्नि अला मस्तैक़न जितनी रकआत का यक़ीन हो उसके मुताबिक़ पढ़े जैसाकि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत है क्योंकि अहादीस एक दूसरी की तफ़सीर व तौज़ीह करती हैं। रही वो हदीस जिसमें इआदे (लौटाने) का हुक्म है तो इसके बारे में मौलाना शब्बीर अहमद इस्मानी लिखते हैं, ये हदीस की किताबों में नहीं मिलती। (फ़तहल मुल्हिम : 2/156)

(1269) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैनह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी नमाज़ की दो रकअतें पढ़ाई फिर (तीसरी के लिये) खड़े हो गये, दरम्यानी तशहहद के लिये न बैठे और लोग भी आपके साथ खड़े हो गये। तो जब आपने नमाज़ अदा कर ली और हमने आपके सलाम का इन्तिज़ार किया, आपने तकबीर कही और बैठे-बैठे सलाम से पहले दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा।

(सहीह बुख़ारी : 829, 830, 1224, 1225, 1230, 6670, अबू दाऊद : 1034, 1035, तिर्मिज़ी : 391, नसाई : 2/44, 2/244, 3/19, 3/34, इब्ने माजह : 1206, 1207)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ
الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

फ़वाइद : (1) अब्दुल्लाह बिन बुहैना के बारे में बज़ाहिर ये मालूम होता है कि बुहैना अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बाप है। हालांकि हकीकत ये है कि ये उनकी वालिदा (माँ) का नाम है, बाप का नाम मालिक है। (2) अगर इंसान दरम्यानी तशह्हुद भूल जाये और क़ियाम के करीब याद आये तो वो वापस नहीं आयेगा, बल्कि उसकी जगह सलाम से पहले दो सज्दे करेगा, अगर बैठने के करीब है तो वापस आ जायेगा और सज्दए सहव नहीं करेगा।

(1270) अब्दुल्लाह बिन बुहैना असदी (रज़ि.) जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का हलीफ़ था उससे रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर की नमाज़ में (दूसरी रक़अत के बाद) बैठने की बजाए (तीसरी रक़अत के लिये) खड़े हो गये। तो जब आपने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली, आपने बैठे-बैठे सलाम से पहले हर सज्दे के लिये तकबीर कहकर दो सज्दे कर लिये और लोगों ने भी आपके साथ दो सज्दे किये, उस जुलूस (बैठने) की जगह जो आप भूल गये थे।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
الْأَسَدِيِّ، خَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ
الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ
أَنْ يُسَلَّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ
مِنَ الْجُلُوسِ .

फ़वाइद : (1) मुत्तफ़क़ अलैह (बुखारी व मुस्लिम) की रिवायत की रू से अब्दुल्लाह बिन मालिक (रज़ि.) अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के हलीफ़ थे और सीरत व तारीख़ के माहिरीन के नज़दीक मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ़ की औलाद के हलीफ़ थे। (2) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक पहला तशह्हुद, रुकूअ व सुजूद या क़ियाम की तरह नमाज़ का रुकन या फ़र्ज़ नहीं है, इसलिये इसकी जगह सुजूदे सहव क़िफ़ायत करेंगे, लेकिन रुकन की जगह ये काफ़ी नहीं होंगे। लेकिन इमाम अहमद और कुछ हज़रात के नज़दीक पहला तशह्हुद भी ज़रूरी है लेकिन इसकी जगह, इस हदीस की रू से सुजूदे सहव क़िफ़ायत करेंगे और उनके लिये तकबीर कहनी होगी।

(1271) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैना अज़दी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पहले दोगाना के बाद जिसमें आप बैठना चाहते थे खड़े हो गये और

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ

नमाज़ पढ़ते रहे। तो जब नमाज़ के आख़िर में पहुँच गये तो सलाम से पहले सज्दे किये और फिर सलाम फेरा।

(1272) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ के बारे में शक पड़ जाये और उसे मालूम न हो सके कि उसने तीन रकआत पढ़ी हैं या चार तो वो शक को फेंक दे (नज़र अन्दाज़ कर दे) और यक़ीन पर बिना करे फिर सलाम से पहले दो सज्दे करे, अगर उसने पाँच रकआत पढ़ ली हैं तो उसकी नमाज़ को जोड़ा (छः रकआत) कर देंगे और अगर उसने उस रकआत से चार की तक़मील कर ली है तो ये सज्दे शैतान की ज़िल्लत व रुस्वाई का बाइस होंगे।'

(अबू दाऊद : 1024, 1026, 1027, नसाई : 3/23, इब्ने माजह : 1210)

(1273) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ बिना अलल अक़ल्ल यानी यक़ीन के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ने की सूरत में भी सुजूदे सहव सलाम से पहले होंगे। अगरचे इस सूरत में नमाज़ में ज़्यादाती ही हो जाये यानी चार की बजाए पाँच रकआत हो जायें।

الأردوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفيع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.

وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليتن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان "

حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي عبد الله، حدثني داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد وفي معناه قال " يسجد سجدتين قبل السلام " كما قال سليمان بن بلال

(1274) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। इब्राहीम ने कहा, उसमें आपने ज़्यादाती या कमी की तो जब आपने सलाम फेरा तो आपसे अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने पूछा, वो क्या है? सहाबा ने कहा, आपने इतनी-इतनी रक़अतें पढ़ाई हैं। आपने अपने दोनों पाँव मोड़े, क़िबले की तरफ़ रुख़ किया और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा। फिर आपने हमारी तरफ़ रुख़ किया और फ़रमाया, 'अगर नमाज़ में कोई नया हुक्म नाज़िल होता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारी तरह भूल जाता हूँ, इसलिये जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो और जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ के बारे में शक पड़ जाये तो वो दुरुस्तगी या सहीह बात की तरफ़ पहुँचने की कोशिश करे और उसके मुताबिक़ नमाज़ पूरी कर ले, फिर दो सज्दे कर ले।'

(सहीह बुख़ारी : 401, 6671, अबू दाऊद : 1020, नसाई: 3/28, 3/39, इब्ने माजह : 11/12, 12/12)

(1275) इमाम साहब दो और उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं, इब्ने बिश्र की रिवायत में, 'वो ग़ौर करे, सेहत के क़रीबतर क्या है' और वकीअ की रिवायत में है, 'वो सेहत का क़सद करे यानी ज़न्ने ग़ालिब (दिल जिधर माइल हो उस) पर अमल करे।'

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، - قَالَ
عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلْخَذْتَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ " وَمَا
ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ - فَتَنَى
رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجْهِهِ فَقَالَ " إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي
الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا
شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتَمَّ
عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرِ، ح قَالَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، كِلَاهُمَا
عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي
رِوَايَةِ ابْنِ بَشْرِ " فَلْيَنْظُرْ أُخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ
" . وَفِي رِوَايَةِ وَكَيْعٍ " فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ " .

(1276) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि फ़ल्यन्ज़ुर अहरा ज़ालिक लिस्सवाब 'वो ग़ौर व फ़िक्र करे, सेहत व दुरुस्तगी के क़रीबतर सूरात कौनसी है?'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ " فَلْيَنْظُرْ أُخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ "

(1277) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि फ़ल्यहतरस्सवाब वो सहीह का क़सद करे।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَمْوِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ "

(1278) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि फ़ल्यतहरर अक्रब ज़ालिक लिस्सवाब 'उनमें से जो सूरात सहीह के क़रीबतर हो उस तक पहुँचने का इरादा करे।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ "

(1279) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि फ़ल्यतहररल्लज़ी युरा अन्नहुस्सवाब 'वो उसका क़सद करे जिसके बारे में ये समझा जाये कि वो सहीह है या दुरुस्त है।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ "

(1280) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि फ़ल्यतहररस्सवाब 'वो सहीह का क़सद करे।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هَؤُلَاءِ وَقَالَ " فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ "

(1281) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर की नमाज़ पाँच रक़आत पढ़ाई, जब आपने सलाम फेरा तो आपसे पूछा गया, क्या नमाज़

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने पूछा, वो क्या है? सहाबा ने कहा, आपने पाँच रक़आत पढ़ी हैं। तो आपने दो सज्दे कर लिये।

(सहीह बुखारी : 404, 1226, 7249, अबू दाऊद : 1019, तिर्मिज़ी : 292, नसाई : 3/31, 3/32, इब्ने माजह : 1205)

(1282) हज़रत इब्राहीम से रिवायत है कि अल्क़मा ने बयान किया आपने उन्हें पाँच रक़आत पढ़ा दीं।

(अबू दाऊद : 1022, नसाई : 3/32, 3/33)

(1283) इब्राहीम बिन सुवैद (रह.) बयान करते हैं कि अल्क़मा (रज़ि.) ने हमें जुहर की नमाज़ पाँच रक़आत पढ़ा दीं तो जब उसने सलाम फेरा लोगों ने कहा, ऐ अबू शिब्ल! आपने तो पाँच रक़आत पढ़ा दी हैं। उसने कहा, हर्गिज़ मैंने ये काम नहीं किया। लोगों ने कहा, क्यों नहीं और मैं लोगों के एक तरफ़ था और मैं नौजवान था तो मैंने कहा, क्यों नहीं! आपने वाक़ेई पाँच रक़आत पढ़ाई हैं। उसने कहा, ऐ आवर! तू भी यही कहता है? तो मैंने कहा, हाँ। इब्राहीम ने कहा, तो फिर गये और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और फिर कहा, अब्दुल्लाह ने कहा, हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पाँच रक़आत पढ़ा दीं तो जब आप फिरे लोगों में तश्वीश पैदा हुई। तो आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने फ़रमाया, नहीं।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " .
قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا شَيْبَةَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ . قَالُوا بَلَى - قَالَ - وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ لِي وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَانْقَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْقَتَلَ تَوَشَّشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ " لَا " . قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ

लोगों ने कहा, तो आपने पाँच रकआत पढ़ा दी हैं तो आप फिर और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और फिर फ़रमाया, 'नहीं! बस तुम्हारी तरह बशर हूँ मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो।' और इब्ने नुमैर ने अपनी हदीस में ये इज़ाफ़ा किया तो जब तुममें से कोई भूल जाये तो वो दो सज्दे कर ले।

(1284) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें पाँच रकआत पढ़ा दीं तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने पूछा, ये क्या? लोगों ने कहा, आपने पाँच रकआत पढ़ाई हैं। आपने फ़रमाया, 'मैं भी बस तुम्हारी तरह बशर हूँ मैं याद रखता हूँ जिस तरह तुम याद रखते हो और मैं भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूलते हो।' फिर आपने भूलने के दो सज्दे किये।

(सहीह बुखारी : 1258)

फ़वाइद (1) : इन हदीसों से साबित होता है कि आप बशर थे। बक़ौल अल्लामा सईदी कुरआन करीम से क़तइय्यत के साथ जो मालूम है वो ये है कि आप नौअे इंसान से मब्रूज़ हुए आप इंसाने कामिल और अफ़ज़लुल बशर हैं। (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 145) (2) कुरआन मजीद में रसूलुल्लाह (ﷺ) पर खुद इत्लाफ़ हुआ है और बक़ौल अल्लामा सईदी इसमें कोई शक नहीं रसूलुल्लाह (ﷺ) इल्म व हिदायत के ऐतिबार से अला वजहिल कमाल नूर थे और ये भी खुली हकीक़त है कि कुफ़्र, शिर्क और जहालत के अन्धेरो को दूर करना अम्बिया का काम है और ये कि अफ़ज़ल नूर ही है जो इल्मे हिदायत का नूर है। (जिल्द 2, पेज नं. 145) आपका इल्म व हिदायत के ऐतिबार से नूर होना, इसका तो कोई मुसलमान भी इंकार नहीं कर सकता। (3) इस हदीस से साबित होता है कि आप भी कई बार भूल जाते थे, लेकिन इस भूल का ताल्लुक बिल्इत्तिफ़ाक़ उन बातों से नहीं जो आपको उम्मत तक पहुँचाने के लिये बताई जाती थीं। रुशदो-हिदायत की तब्लीग़ के बाद भूल का इम्कान है। लेकिन आप भूल-चूक पर कायम नहीं रह सकते थे क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ़ से आगाह कर दिया जाता था।

صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَأَنْقَلْتَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " . وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ " إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَذْكَرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السُّهُوِ .

अगर आपको खुद याद नहीं आता था या किसी की तवज्जह दिलाने से याद नहीं आता था, इंसानों के साथ निस्वयान में मुशाबिहत, महज़ भूल के ऐतबार से है। जबकि आदम (अलै.) के बारे में आया, नसिय आदम व नसियत जुरिय्यतुहू भूल आदम की फ़ितरत में थी, इसलिये उनकी औलाद भी भूल जाती है। लेकिन भूल के सबब व इल्लत का यकसाँ होना लाज़िम नहीं है और न इससे ये लाज़िम आता है कि हमारी भूल और आपकी कैफ़ियत यकसाँ है। लेकिन ये बातें महज़ मुबाल्गो में हैं हम किब्ले के मोहताज, उनका खुद किब्ला मोहताज, हम किसी से नमाज़ में बात करें तो नमाज़ टूट जाये और सरकार किसी नमाज़ी से नमाज़ में बात करें तो नमाज़ कायम रहे। क्योंकि अगर ये सूते हाल होती तो जब आप बैतुल मक्दिस् की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते थे तो बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करने के लिये बेताब न होते, नमाज़ में आपके सलाम का बुलंद आवाज़ से जवाब मरहमत फ़रमाते। उनका सवाल का जवाब नमाज़ के अंदर ही देते, अगर आपके फुज़लात पाक होते तो आप लोगों को उनसे महरूम न फ़रमाते। आप सिंगी लगवाते थे तो लोगों में ये ख़ून तक़सीम फ़रमाते ताकि वो उसको पी लें, फिर पाख़ाना व पेशाब किसी बर्तन में करते और फिर उसको तक़सीम कर देते या कम से कम सहाबा किराम (रज़ि.) आप(ﷺ) के लुआब और वुजू के पानी की तरह उन पर झपटते और उनके अहकाम, आम इंसानों के अहकाम से अलग होते, आपकी तहारत उनसे मुतास्सिर न होती। (4) ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर इंसान एक रकअत भूलकर ज़्यादा पढ़ ले तो उसकी नमाज़ बातिल न होगी और नमाज़ के सलाम के बाद अगर मुक़्तदी बतायें और इस सिलसिले में कलाम हो तो फिर भी नमाज़ बातिल नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के खुसूसी शागिर्द अल्क़मा ने इस हदीस का यही मफ़हूम समझा इसलिये बातचीत के बाद सलाम से पहले दो सज्दे सह्व ही किये। नये सिरे से नमाज़ नहीं पढ़ी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ का यही क़ौल है। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक बक़दर तशहहूद बैठने के बाद उठा है तो फिर सज्दए सह्व करके सलाम फेरेंगा, बशर्तकि इस दौरान बातचीत न की। अगर चार रकआत के बाद बैठा नहीं है और पाँचवीं रकअत पढ़ ली तो फिर एक और रकअत पढ़कर सलाम फेरें और ये छः रकआत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक नफ़ल नमाज़ होगी और इमाम मुहम्मद के नज़दीक ये नमाज़ नहीं होगी। (5) अगर कोई इंसान भूलकर पाँचवीं रकअत शुरू कर दे तो दूसरे सज्दे से पहले-पहले जहाँ भी पता चल जाये तशहहूद के लिये बैठ जाये और सज्दए सह्व कर ले। (6) सज्दए सह्व का तरीक़ा : नमाज़ में सह्व की हदीस में पाँच सूतें आई हैं (1) आप दो रकअत के बाद तीसरी रकअत के लिये बैठे बग़ैर खड़े हो गये। (2) दो रकअत के बाद सलाम फेर दिया। (3) तीन रकअत के बाद सलाम फेर दिया। (4) शक की सूत में सज्दा किया। (5) पाँच रकआत पढ़ाने की सूत में सज्दा किया।

सज्दए सह्व के तरीक़े में इख़्तिलाफ़ है : (1) इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक सिर्फ़ उन सूतों में सज्दए सह्व किया जायेगा, जहाँ नबी (ﷺ) से साबित है और इस तरह पहले या बाद में किया जायेगा

जैसे आपने किया था। भूल की किसी और सूत में सज्दा नहीं किया जायेगा। (2) अहनाफ़ के नज़दीक सज्दाएँ सत्त्व हर सूत में सलाम से पहले होगा। यानी तशहहूद पढ़ने के बाद सलाम फेरकर सज्दाएँ सत्त्व करेगा, फिर नये सिरे से तशहहूद पढ़कर दरूद और दुआओं के बाद सलाम फेरा जायेगा। (3) मालिकिया के नज़दीक नमाज़ में अगर कमी वाक़ेअ हुई जैसे पहला तशहहूद रह गया है तो सज्दाएँ सत्त्व सलाम से पहले होंगे, अगर नमाज़ में इज़ाफ़ा हुआ। जैसे तीसरी रकअत के बाद बैठ गया है और फिर उठा है तो सज्दाएँ सत्त्व बाद में होंगे। (4) हनाबिला के नज़दीक नबी (ﷺ) ने जिस जगह सलाम से पहले सज्दा किया है वहाँ पहले किया जायेगा और जहाँ बाद में सज्दा किया है वहाँ बाद में किया जायेगा, अगर कोई नई सूत सामने आ जाये तो फिर सज्दाएँ सत्त्व पहले होंगे। (5) इमाम इस्हाक़ बिन राहवे का नज़रिया है आपसे साबित सूतों में इमाम अहमद वाला और नई सूत में इमाम मालिक वाला है। सबसे बेहतर तरीका यही है और अश्ममा का इख़ितलाफ़ बेहतर और औला तरीका में ही है। जवाज़ में इख़ितलाफ़ नहीं है कि सलाम से पहले कर ले या बाद में, हर सूत जाइज़ है और आम आदमी के लिये इमाम शाफ़ेई वाला तरीका ही बेहतर है। अक्सर जगह आपने पहले ही सज्दे किये हैं और बाद में सलाम फेरा है जैसाकि मज़क़ूरा बाला अहादीस में गुज़र चुका है और नमाज़ में भूल एक बार से ज्यादा बार हो तो भी सज्दे दो ही करने होंगे। (7) इब्राहीम बिन सुवैद, अल्क़मा के शागिर्द थे और इसी वजह से उन्हें या आवर से ख़िताब किया। क्योंकि शागिर्द उस्ताद की ऐसी बात को बुरा नहीं समझता, अगर किसी को इस अन्दाज़ से तकलीफ़ पहुँचती हो तो फिर ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। मगर ये कि उसके बग़ैर उसका पता न चलता हो जैसाकि कुछ रावियों के नामों के साथ आमश, अज़्रज वग़ैरह आता है।

(1285) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई, उसमें इज़ाफ़ा या कमी की (इब्राहीम का क़ौल है यहाँ वहम मुझे हुआ है) पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? तो आपने फ़रमाया, 'मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ, जैसे तुम भूलते हो, तो जब तुममें से कोई भूल जाये तो वो बैठे-बैठे दो सज्दे कर ले।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) क़िब्ला रुख़ हुए और दो सज्दे किये।

(सहीह बुख़ारी : 1021, इब्ने माजह : 1203)

وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ الشِّيمِيُّ، أَخْبَرَنَا
ابْنَ مُسَهَّرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَرَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهْمُ مِنِّي -
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِيدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ
" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا
نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(1286) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुजूदे सहव सलाम व कलाम (बातचीत) के बाद किये।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلامِ .

फ़ायदा : इस हदीस से ये साबित हो रहा है नमाज़ में भूल जाने की सूत में, नमाज़ के बारे में बातचीत से नमाज़ बातिल नहीं होती, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की हब्शा से मदीना वापसी नमाज़ में बातचीत की इजाज़त ख़त्म होने के बाद हुई और इस वाकिये में वो शरीक थे और आपने बातचीत करने के बाद सज्दए सहव किये हैं।

(1287) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने इज़ाफ़ा या कमी की। इब्राहीम कहते हैं, अल्लाह की क़सम! ये (वहम) मेरी ही तरफ़ से है। तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म नाज़िल हुआ है? आपने फ़रमाया, नहीं। तो हमने आपको आपके किये से आगाह किया तो आपने फ़रमाया, 'जब आदमी ज़्यादाती या कमी कर बैठे तो वो दो सज्दे कर ले।' उसके बाद आपने दो सज्दे किये।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ مَا جَاءَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ " لَا " . قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ " إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

(तिर्मिज़ी : 353, नसाई : 3/66)

(1288) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोपहर की एक नमाज़ जुहर या असर पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। फिर मस्जिद के सामने गड़े एक तने के साथ टेक लगाकर

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ صَلَّى

गुस्से की हालत में खड़े हो गये। लोगों में अबू बकर व उमर (रज़ि.) मौजूद थे। उन्होंने आपकी हैबत की बिना पर बातचीत न की और जल्दबाज़ लोग निकल गये (ये समझते हुए) कि नमाज़ में कमी हो गई है तो जुल्यदैन (रज़ि.) नामी शख्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम कर दी गई है या आप भूल गये हैं? तो नबी (ﷺ) ने दायें और बायें देखकर फ़रमाया, 'जुल्यदैन क्या कह रहा है?' लोगों ने कहा, सच कह रहा है। आपने दो ही रकअतें पढ़ी हैं। तो आपने दो रकअतें (और) पढ़कर सलाम फेर दिया। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा किया फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर उठाया। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा किया फिर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे से उठे। मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) की तरफ से मुझे बताया गया उसके बाद आपने सलाम फेरा।

(1289) अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोपहर की एक नमाज़ पढ़ाई। सुफ़ियान के हम मानी हदीस सुनाई।

(अबू दाऊद : 1008, 1011)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अलअशिघ्य : सूरज के ढलने से गुरूब तक के वक़्त को कहते हैं। जिसमें ऋह्र और असर की नमाज़ें आती हैं। (2) इस्तनद इलैहा : उस पर टेक लगाई, उसके सहारे पर खड़े हुए। (3) जिज़अ : दरख़्त का तना, मक़सूद दरख़्त की लकड़ी है। इसलिये ज़मीर मुअन्नस लौटाई है जबकि जिज़अ मुज़क्कर है। (4) सरआनुत्रास : जल्दबाज़, मस्जिद से जल्दी निकलने वाले लोग।

بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ " . قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكَعَتَيْنِ . فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ . قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ . بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

कुछ हज़रत ने इसको सुरआन पढ़ा है और ये सरीअ की जमा है, जल्दी करने वाला। (5) कुसिरत : कम कर दी गई है क़सुरत कम हो गई है। (6) जुल्यदैन : लम्बे हाथ वाला।

(1290) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। तो जुल्यदैन (रज़ि.) ने खड़े होकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ कम कर दी गई है या आप ही भूल गये हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दोनों काम नहीं हुए।' तो उसने अर्ज़ किया, एक काम तो हुआ है ऐ अल्लाह के रसूल! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर पूछा, 'क्या जुल्यदैन सच कह रहा है?' उन्होंने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाक़ी मान्दा नमाज़ पूरी की। फिर दो सज्दे सलाम फेरने के बाद बैठे-बैठे किये।

(नसाई : 1225)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ فَقَامَ دُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ " . فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَصَدَقَ دُو الْيَدَيْنِ " . فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने जुल्यदैन (रज़ि.) के जवाब में फ़रमाया, 'कुल्लु ज़ालिक लम यकुन दोनों काम ही नहीं हुए' और बुखारी में आया है, 'लम तक़सुर वलम अन्सा, न नमाज़ कम हुई है और न ही मैं भूला हूँ।' इसलिये जुल्यदैन ने कहा, क़द कान बअज़ु ज़ालिक कुछ तो हो चुका है। इससे इस क़ाइदे की ताईद होती है कि अगर कुल्लु का लफ़्ज़ काना मन्फ़ी से पहले आये तो हर-हर फ़र्द की नफ़ी होती है और बाद में आये (लम यकुन कुल्लु ज़ालिक) तो मज़मूआ यानी सबकी नफ़ी होती है। यानी दोनों काम नहीं हुए, एक हुआ है और आपका ये फ़रमाना कि कोई काम नहीं हुआ, न नमाज़ कम हुई और न मैं भूला हूँ, अपने नुक़्ते नज़र से है। क्योंकि आपका तसव्वुर यही था, मैंने नमाज़ चार रकअत ही पढ़ाई है। इसलिये अगर कोई इंसान अपने तसव्वुर की रू से सहीह समझते हुए वाक़िये के ख़िलाफ़ कह दे तो उसको झूठा क़रार नहीं दिया जायेगा।

(1291) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर की दो रकअतें पढ़ीं। फिर सलाम फेर दिया तो आपके पास सुलैम क़बीला का एक आदमी आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ कम कर दी गई है या आप भूल गये हैं? फिर मज़क़ूरा हदीस बयान की।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصِرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ .

(1292) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के साथ जुहर की नमाज़ पढ़ रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया तो सुलैम ख़ानदान का एक आदमी खड़ा हुआ। आगे मज़क़ूरा बाला हदीस बयान की।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرِّكَعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثِ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ इस नमाज़ में अबू हुरैरह (रज़ि.) बज़ाते खुद शरीक थे और अबू हुरैरह (रज़ि.) की आमद 7 हिजरी में है और नमाज़ में बोलने की इजाज़त बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। इसलिये साबित हुआ अगर इमाम नमाज़ में भूल जाये और मुक़्तदी इस सिलसिले में उसके साथ बातचीत करें तो इससे नमाज़ बातिल नहीं होती। बातचीत के बाद भूल कर रह जाने वाली नमाज़ पढ़ी जायेगी और सज़्दे सहव कर लिये जायेंगे। नये सिरे से नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अहनाफ़ के नज़दीक नमाज़ नये सिरे से पढ़ी जायेगी।

मुफ़रदातुल हदीस : इक़तस्सल हदीस व साक़ल हदीस : हदीस बयान की, उसको पूरा किया।

(1293) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़सर की नमाज़ पढ़ाई और तीन रकआत पर सलाम

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ

फेर दिया। फिर अपने घर जाने लगे तो आपके पास एक आदमी आया, जिसे ख़िरबाक़ कहा जाता था और उसके हाथ लम्बे थे। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! और आपको, आपका किया हुआ बताया। तो आप गुस्से की हालत में चादर खींचते हुए निकले। यहाँ तक कि लोगों के पास आ गये और पूछा, क्या ये सच कह रहा है? लोगों ने कहा, हाँ! तो आपने एक रकअत पढ़ाई और सलाम फेर दिया। फिर दो सज्दे (सह्व के लिये) किये फिर सलाम फेर दिया।

(अबू दाऊद : 1018, नसाई : 3/6, 3/26, इब्ने माजह : 1215)

फ़ायदा : हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) की रिवायत से भी ये बात साबित होती है कि नमाज़ की इस्लाह दुरुस्तगी के बारे में की गई बातचीत से पहली नमाज़ बातिल नहीं होती। सिर्फ़ रह जाने वाली नमाज़ पढ़नी पड़ती है।

(1294) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असर की तीसरी रकअत के बाद सलाम फेर दिया। फिर उठकर कमरे में दाख़िल होने लगे तो खुले हाथों वाला आदमी खड़ा हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम कर दी गई है? तो आप (ﷺ) गुस्से की हालत में निकले और वो रकअत जो छोड़ दी थी, पढ़ाई। फिर सलाम फेर दिया फिर भूल के लिये दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَائِيُّ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَخَرَجَ غَضَبَانَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَصَدَقَ هَذَا " . قَالُوا نَعَمْ . فَصَلَّى رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ الْحَدَّاءُ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

बाब 21 : तिलावत के लिये सज्दा करना या सुजूदे तिलावत (तिलावत के सज्दे)

باب سُجُودِ التَّلَاوَةِ

(1295) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुरआन मजीद की तिलावत फ़रमाया करते थे तो आप सज्दे वाली सूरा की तिलावत फ़रमाते और सज्दा करते। हम भी आपके साथ सज्दा करते, यहाँ तक कि (भीड़ की वजह से) हममें से कुछ को पेशानी रखने के लिये जगह न मिलती थी।

(सहीह बुखारी : 1075, 1079, अबू दाऊद : 1412)

(1296) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि कई बार रसूलुल्लाह (ﷺ) कुरआन की तिलावत करते। सज्दे वाली आयत से गुज़रते और हमारे साथ सज्दा करते। यहाँ तक कि आप (ﷺ) के पास हमारी भीड़ लग जाती। यहाँ तक कि नमाज़ के बग़ैर ही हममें से कुछ को सज्दा करने के लिये जगह न मिलती।

(1297) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने सूरा नज्म की तिलावत की और उसमें सज्दा किया और आप के साथ तमाम हाज़िरीन ने सज्दा किया। सिर्फ़ एक बूढ़े ने कंकरियों या मिट्टी की एक मुट्ठी

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَتَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضَنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى اِرْتَدَحْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَنَا مَكَانًا لَيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

भरकर अपनी पेशानी से लगाई और कहा, मेरे लिये यही काफ़ी है। अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने उसको (यानी उमैया बिन खल्फ़) कुफ़्र की हालत में क़त्ल होते देखा।

(सहीह बुखारी : 1067, 1070, 3853, 3972, 4863, अबू दाऊद : 1406, नसाई : 2/160)

قَرَأَ [وَالنَّجْمِ] فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرٌ أَنْ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا .

फ़वाइद : (1) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की इस रिवायत से मालूम होता है कि आगाज़ में मुश्रिकीने मक्का भी कई बार कुरआन मजीद की तिलावत सुन लेते थे। आपने जब सूरह नज्म की तिलावत की जिसमें लात व मनात और इज़्ज़ा का तज़क़िरा है तो वो इस पर बहुत शार्दों व फ़रहाँ हुए और जब आपने आख़िर में सज्दा किया तो उमैया के सिवा तमाम मौजूद मुश्रिकीने ने भी मुसलमानों के साथ सज्दा किया और लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि मुश्रिकीने मक्का मुसलमान हो गये हैं। (2) जिस वक़्त सूरह नज्म में आपने सज्दा किया तो तमाम हाज़िरीने ने आपके साथ सज्दा किया और ये ज़ाहिर बात है वो तमाम बावुजू नहीं होंगे। इसलिये सज्दे तिलावत के लिये वुजू को लाज़िम ठहराना जबकि ये सुनने वाले के ज़िम्मे भी है, दुरुस्त नहीं है। मगर ये कि ये शर्त लगाई जाये कि कुरआन मजीद की तिलावत और सिमाअ वुजू के बग़ैर नहीं हो सकता। हालांकि ज़बानी तिलावत बिल्इतिफ़ाक़ वुजू के बग़ैर जाइज़ है। इख़ितलाफ़ कुरआन मजीद को हाथ लगा कर पढ़ने की सूरत में है। (3) सूरह नज्म सुनकर मुश्रिकीने मक्का ने क्यों सज्दा किया? तो बक़ौल काज़ी अयाज़ (रह.) के इसका सबब ये है, ये कुरआन मजीद की पहली सूरत है जिसमें सज्दा आता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका मुश्रिकीने पर क्या असर पड़ा? सहीह बात यही है कि वो इस सूरत में अपने माबूदों का ज़िक्र सुनकर ख़ुश होंगे। इसके अलावा उस वक़्त शैतान ने तिल्कल ग़रानीकल उला व इन्-न शफ़ाअतहुन्न लतुरतजा के अल्फ़ाज़ भी कह डाले। ये बुलंद मर्तबा देवियाँ हैं जिनकी सिफ़ारिश की उम्मीद की जा सकती है। जैसाकि अल्लामा हैसमी ने तबरानी से रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अफ़रऐतुमुल्ला-त वलइज़्ज़ा व मनातस्सालिसतल उख़रा की तिलावत की। तो अल्क़शैतान इन्द ज़ालिक ज़करतवागीत शैतान ने उस वक़्त बुतों का तज़क़िरा कर डाला। ये एक खुली हकीक़त है कि इन कलिमात का रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बाने मुबारक पर जारी होने का इम्कान नहीं है। नक़ल व अक़ल की किसी रू से भी ये जाइज़ नहीं है। लेकिन शैतान का इन अल्फ़ाज़ को कह डालना, इसमें नामुम्किन होने वाली कोई बात नहीं है। इसकी ताईद के लिये तफ़सीरे तबरी सूरह हज की आयत 52 से 54 देखिये। जंगे बद्र में कुरआन की तसरीह के मुताबिक़ उसने मुश्रिकीने मक्का को कहा था, 'आज

तुम पर कोई लोग ग़ालिब नहीं आ सकते, मैं तुम्हारा मुआविन व मददगार हूँ।' इस तरह शैतान ने जंगे उहुद में बुखारी शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक़ आपस में टकरा दिया था और खुद कुरआन मजीद में मौजूद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तिलावत फ़रमाते कि, 'शैतान उसकी तिलावत में कुछ डालता है, अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए को ख़त्म कर डालता है और अपनी आयतों को मुहकम करता है।' आगे फ़रमाया, 'ताकि अल्लाह शैतान के डाले हुए को जिनके दिलों में रोग है आजमाइश व इब्तिला का बाइस बनाये। अगर शैतान कुछ डाल नहीं सकता तो फिर अल्लाह तआला दूर या ख़त्म किस चीज़ को करता है और अपनी आयतों को मुहकम किस चीज़ से करता है? जिनके दिलों में बीमारी (कुफ़्र व निफ़ाक़) है उनके लिये इम्तिहान किस चीज़ का होता है। लेकिन इन आयाते मुबारका से ये चीज़ भी साबित हो रही है कि शैतान के बोल से सिर्फ़ काफ़िर व मुनाफ़िक़ ही मुतास्सिर हो सकते हैं। इसलिये ये कहना कि इससे तो तमाम शरीअत से ऐतमाद उठ जायेगा क्योंकि हो सकता है कि हम तक सहाबा की रिवायत से जो अहकाम पहुँच हैं, वो आपका फ़रमान न हों बल्कि शैतान का कहा हुआ हो, बेमहल है। क्योंकि ये तो तब मुम्किन था अगर अल्लाह तआला इससे आगाह न फ़रमाता या अहले ईमान इससे मुतास्सिर होकर इसको कुबूल कर लेते। सूरह हज की आयत 52-54 तक ग़ौर से पढ़ ली जायें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इन आयतों की तफ़्सीर के लिये देखिये फ़तहुल बयान, जिल्द 4, पेज नम्बर 416-417।

अल्लामा आलूसी ने शैख़ अबू मन्सूर मातुरीदी का ये क़ौल नक़ल किया है कि सहीह बात ये है कि शैतान ने अपने ज़िन्दीक़ और बेदीन चेलों के दिलों में तिल्कल ग़रानीक़ल उला का वस्वसा डाला। ताकि वो ज़इफ़ मुसलमानों को दीन के बारे में शक व शुब्हा में मुब्तला करें। (रूहुल मआनी, जिल्द 1, पेज नम्बर : 230) इमाम अबू बकर जसास हन्फ़ी का क़ौल देखिये (अहकामुल कुरआन इमाम जसास, जिल्द 3, पेज नम्बर : 321) इमाम अबू बकर बिन अरबी मालिकी का क़ौल देखिये (अहकामुल कुरआन इमाम इब्नुल अरबी, जिल्द 3, पेज नम्बर : 303) (तफ़्सीरे तबरी, जिल्द 9, पेज नम्बर : 178) मक्तबा दारुल किताबुल इल्मिय्या बेरूत है। खुलासाए कलाम ये है कि ये कलिमात नबी (ﷺ) की ज़बान पर जारी नहीं हुए। इन्नशैतान औक़अ फ़ी मसामिइल मुशिकीन ज़ालिक़ मिन दून अय्यतकल्ल-म बिही रसूलुल्लाह मैंने जो मानी किया है उसे अल्लामा जरीर तबरी, इमाम अबू बकर जसास हन्फ़ी, इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी, हाफ़िज़ इब्ने तैमिया, इब्ने हजर व हज़म ने तस्लीम किया है। लेकिन अक्सर अइम्मा ने इस वाक़िये को तस्लीम नहीं किया। इस पर कुछ ऐतराज़ात किये हैं। लेकिन हम तफ़्सीलात में नहीं जा सकते। इसलिये उनके जवाबात नहीं लिख सकते। वो सब तब वारिद हैं अगर इस बात को तस्लीम किया जाये कि ये कलिमात आपकी

ज़बान से जारी हुए और हम बता चुके हैं, ये सूरात नामुम्किन है। (जदीद दौर के किसी मुहद्दिस या मुफ़स्सिर ने इस वाक़िये को तस्लीम नहीं किया) जिन लोगों ने तर्दीद की है इस वाक़िये की आपकी ज़बान पर जारी करते हैं। अल्लामा अल्बानी (रह.) ने इसी बुनियाद पर इसकी तर्दीद पर एक मुस्तक़िल रिसाला लिखा है।

(1298) हज़रत अता बिन यसार से रिवायत है कि मैंने ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) से इमाम के साथ क़िरअत करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, इमाम के साथ कुछ न पढ़े और कहा, उस (ज़ैद रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने वन्नज्मि इज़ा हवा पढ़ी। आप (ﷺ) ने सज्दा न किया।

(सहीह बुखारी : 1072-1073, अबू दाऊद : 1404, तिर्मिज़ी : 576, नसाई : 2/160)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ، مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ . وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ { فَلَمْ يَسْجُدْ .

फ़वाइद : (1) ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) सूराह फ़ातिहा से ज़्यादा क़िरअत का इंकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनका मक़सद हर क़िस्म की क़िरअत मुराद हो यानी फ़ातिहा हो या उसके सिवा, तो फिर ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान कि 'फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ नहीं होती' के मुनाफ़ी होगी। इसलिये सहीह अहादीस के मुकाबले में उनका क़ौल नज़र अन्दाज़ कर दिया जायेगा। (2) सज्दाए तिलावत इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक सुन्नत है। इसलिये आपने कई बार सज्दे तिलावत नहीं किया। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ये वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है और अहनाफ़ की तरफ़ से जो दलाइल दिये जाते हैं उनसे वुजूब साबित नहीं होता। फ़स्जुदू लिल्लाहि वअबुदू से जो वुजूब साबित किया जाता है वो भी सहीह नहीं। क्योंकि इसके मुखातब मुसलमान नहीं हैं। फिर अजीब बात ये है कि अहनाफ़ नमाज़ में रुकूअ को ही (अगर तीन आयतों की तिलावत के बाद कर लिया जाये) सज्दाए तिलावत की जगह काफ़ी समझते हैं और अगर नमाज़ में सज्दे तिलावत अदा करने से रह जाये तो साक़ित करार देते हैं। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/154) क्या जो चीज़ वाजिब है वो रह जाये तो साक़ित हो जाती है? अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब का दर्जा फ़र्ज़ से कम है। वो फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क करते हैं। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक फ़र्ज़ व वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है।

(1299) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उनके सामने सूरह इज़स्समाउन शक़क़त पढ़ी और उसमें सज्दा किया और सलाम फेरने के बाद उन्हें बताया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस सूरात में सज्दा किया।

(नसाई : 2/161, तोहफ़ा : 14969)

(1300) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1074)

(1301) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने नबी (ﷺ) के साथ इज़स्समाउन शक़क़त और इक़रअ बिस्मि रब्बिक में सज्दा किया।

(अबू दाऊद : 1407, तिर्मिज़ी : 573, नसाई : 2/162, इब्ने माजह : 1058)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَرَأَ لَهُمْ { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا .

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं और उन्होंने मुफ़स्सल सूरातों में से दो के सज्दे का तज़क़िरा किया है, जो इस बात की दलील है कि इन सूरातों में भी सज्दा किया जायेगा। इमाम मालिक के नज़दीक कुरआन मजीद में ग्यारह सज्दे हैं। वो सूरह साँद और सूरह नज्म, इन्शिकाक़ और इक़रअ में सज्दा नहीं मानते। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक चौदह सज्दे हैं। वो भी सूरह साँद का सज्दा नहीं मानते और सूरह हज में दो सज्दे मानते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी चौदह सज्दे हैं। वो सूरह साँद का सज्दा मानते हैं और सूरह हज में एक सज्दा समझते हैं। इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक पन्द्रह सज्दे हैं। वो सबको तस्लीम करते हैं।

(1302) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इज़स्समाउन शक़क़त और इक़रअ् बिस्मि रब्बिक में सज्दा किया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، مَوْلَى بَنِي مَخْرُومٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }

(1303) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ .

(1304) हज़रत अबू राफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी। उन्होंने इज़स्समाउन शक़क़त की तिलावत की और उसमें सज्दा किया। मैंने पूछा, ये सज्दा कैसा है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने इसमें अबुल कासिम (ﷺ) के पीछे सज्दा किया है। इसलिये मैं इसमें हमेशा सज्दा करता रहूँगा। यहाँ तक कि उनसे जा मिलूँ (फ़ौत हो जाऊँ) इब्ने अब्दुल आला ने कहा, मैं हमेशा ये सज्दा करता रहूँगा।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى، قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
بَكْرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ
صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ }
فَسَجَدَ فِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ
سَجَدْتُ بِهَا خَلَفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجَدَ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجَدَ بِهَا .

(सहीह बुख़ारी:766, 768, 1078, अबू दारुद :1408, नसाई:967)

(1305) इमाम साहब तीन और उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन उन्होंने खल्फ़ अबिल कासिम नहीं कहा।

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ،
ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي
ابْنَ زُرَيْعٍ - ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، كُلُّهُمَ عَنِ التَّيْمِيِّ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلَفَ أَبِي
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1306) हज़रत अबू राफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को इज़स्समाउन शक़क़त में सज्दा करते देखा तो मैंने पूछा, आप इसमें सज्दा करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ! मैंने अपने खलील (दोस्त) (ﷺ) को इसमें सज्दा करते देखा है। इसलिये मैं हमेशा इसमें सज्दा करता रहूँगा यहाँ तक कि उनसे जा मिलूँ। शोबा कहते हैं, मैंने उस्ताद से पूछा, इससे नबी (ﷺ) मुराद हैं? उसने कहा, हाँ!

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي زَافِعٍ، قَالَ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي { إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ } فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ
خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا
أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ نَعَمْ .

बाब 22 : नमाज़ (तशहहूद) में बैठने
की हैयत और दोनों रानों पर हाथ रखने
की कैफ़ियत

(1307) आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में बैठते तो अपने बायें पैर को अपनी रान और अपनी पिण्डली के दरम्यान कर लेते और अपने दायें पाँव को बिछा लेते और अपना बायाँ हाथ, अपने बायें घुटने पर रख लेते और अपना दायाँ हाथ अपनी दायें रान पर रख लेते और उंगली से इशारा करते।

(अबू दाऊद : 988, नसाई : 3/39)

باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى
الْفَخْذَيْنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا
أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، - وَهُوَ ابْنُ
زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ
فَخْذِهِ وَسَاقِهِ وَقَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ .

(1308) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (नमाज़ में) बैठते तो हुआ करते वक्रत अपना दायाँ हाथ अपनी दायें रान पर रखते और अपना बायाँ हाथ अपनी बायें रान पर रखते और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते और अपना अंगूठा अपनी दरम्यानी उंगली पर रखते और अपने बायें हाथ में अपने घुटने को पकड़ लेते।

(1309) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रख लेते और अंगूठे से मिलने वाली दायें उंगली (शहादत की उंगली) उठाकर उससे इशारा करते और उस वक्रत आपका बायाँ हाथ आपके बायें घुटने पर बिछा होता था।
(तिर्मिज़ी : 294, नसाई : 3/37, इब्ने माजह : 913)

(1310) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तशह्हुद के लिये बैठते तो अपना बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर रखते और अपना दायाँ हाथ अपने दायें घुटने पर रखते और तिरपन की शकल बनाते और शहादत की उंगली से इशारा करते।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ أُخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى بِاسِطِهَا عَلَيْهَا .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .

(1311) हज़रत अली बिन अब्दुर्रहमान मुआवी (रह.) बयान करते हैं कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नमाज़ में कंकरियों से खेलते हुए देखा। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मुझे रोका और कहा उस तरह करो जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) किया करते थे। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे करते थे? उन्होंने बताया, जब आप नमाज़ में बैठते, अपनी दायें हथेली अपनी दायें रान पर रखते और सब उंगलियों को बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा करते और अपनी बायें हथेली को अपनी बायें रान पर रख लेते।

(अबू दारूद : 987, नसाई : 2/195, 3/36, 3/36)

(1312) हज़रत अली बिन अब्दुर्रहमान मुआवी (रह.) से रिवायत है कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) के पहलू में नमाज़ पढ़ी फिर ऊपर के मफ़्हुम वाली हदीस बयान की, सुफ़ियान का क़ौल है। ये रिवायत मुस्लिम से यहया बिन सईद ने सुनाई थी। फिर मुझे मुस्लिम ने बराहे रास्त (बिला वास्ता) सुनाई।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبْتُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ . فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبِضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ .

फ़वाइद : (1) फ़ज्र की नमाज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ों में दो तशहहूद हैं। उनमें बैठने की कैफ़ियत की बेहतरीन सूरत में इख़्तिलाफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक दोनों सज्दों के दरम्यान और हर तशहहूद में इफ़्तिराश यानी दायें पाँव को खड़ा करके बायें पैर को बिछाकर उस पर बैठना अफ़ज़ल है। मालिकियों के नज़दीक हर जगह तवरूक यानी दायें पैर को खड़ा करके बायें को पिण्डली और रान के दरम्यान से निकालकर सुरीन पर बैठना अफ़ज़ल है। शवाफ़िअ, हनाबिला और मुहद्दिसीन के नज़दीक सज्दों के दरम्यान इफ़्तिराश है नीज़ शवाफ़िअ और मुहद्दिसीन के नज़दीक सलाम वाले तशहहूद में तवरूक है और जिस तशहहूद के बाद सलाम नहीं है उसमें इफ़्तिराश है। इमाम अहमद के नज़दीक जिन नमाज़ों में

दो तशहहुद हैं, उनमें पहले में इफ़्तिराश है और दूसरे में तवरूक है और जिन नमाज़ों में तशहहुद एक है जैसे फ़ज़्र, जुम्आ और इदैन उसमें इफ़्तिराश है। (2) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की रिवायत में तोरुक की सूत में दायें पैर को खड़ा करने की बजाय बिछाने को बयान किया गया है। हालांकि आम रिवायत में दायें पाँव को खड़ा रखना आया है। इसलिये काज़ी अयाज़ ने इसमें ये कहा है कि यहाँ बायें की जगह ग़लती से दायें का तज़्किरा हो गया है। लेकिन सहीह बात ये है कभी बायें पैर के साथ दायें को भी बिछाया जा सकता है। (3) इस बाब की तमाम अहादीस से ये साबित हो रहा है कि तशहहुद में बैठते ही दायें उंगली शहादत के साथ इशारा किया जायेगा और इसको आखिर तक किया जायेगा। इसको रखने का तज़्किरा किसी सहीह रिवायत में नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ला इला-ह पर उंगली उठाये और इल्ला पर रख दे। बाकी अइम्मा के नज़दीक अल्लाह पर उंगली उठाये। (4) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक इशारे के वक़्त तिरपन की शक़ल बनाये। यानी सारी उंगलियों को बंद करके सिर्फ़ शहादत की उंगली उठाये। लेकिन इमाम अहमद के नज़दीक अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ अंगूठे को दरम्यानी उंगली पर रखे और आखिरी दोनों उंगलियाँ (खिन्सर और बिन्सर) बंद करके शहादत की उंगली उठाये और दोनों तरीक़े ही सहीह हैं। (5) अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन का नज़रिया यही बयान किया है कि वो इन अहादीस के मुताबिक़ शहादत की उंगली उठाने के काइल हैं और मुताख़िख़रीन अहनाफ़ जो इसको मकरूह या हराम करार देते हैं या इसको तोड़ने का हुक़म देते हैं उनकी पुरज़ोर तर्दीद की है। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/166-177)

बाब 23 : नमाज़ से फ़रागत के वक़्त
उससे निकलने के लिये सलाम कहना
और उसकी कैफ़ियत

(1313) हज़रत मअमर (रह.) से रिवायत है कि मक्का मुकर्रमा का एक हाकिम दो तरफ़ सलाम फेरता था तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, उसने कहाँ से ये सुन्नत हासिल कर ली? हक़म ने अपनी हदीस में कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे।

بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ
عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا، كَانَ بِمَكَّةَ
يَسْأَلُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُنَى عَلَيْهَا قَالَ
الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : अन्ना अलिमहा : उसने ये सुन्नत कहाँ से हासिल कर ली, यानी इस हाकिम ने सुन्नते सलाम की मअरिफ़त पर तअज़्जुब का इज़हार किया।

(1314) अबू मअमर (रह.) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक अमीर या एक आदमी ने दोनों तरफ़ सलाम फेरा तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, तूने ये तरीक़ा कहाँ से सीख लिया?

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً - أَنْ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّى عَلَّقَهَا .

(1315) हज़रत आमिर बिन सअद (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने दायें और अपने बायें सलाम फेरते देखता था। यहाँ तक कि मैं आपके रुख़्सारों की सफ़ेदी देखता था।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ .

(नसाई : 1315, 1316, इब्ने माजह : 915)

फ़वाइद : (1) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक दोनों तरफ़ सलाम फेरना चाहिये। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ सामने सलाम फेरा जायेगा। कई बार ये तरीक़ा इख़्तियार करना जाइज़ है क्योंकि नमाज़ से तो इंसान एक ही सलाम से निकल जाता है। (2) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक नमाज़ से निकलने के लिये सलाम फेरना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होगी और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है अगर नमाज़ी तशहहुद की मिक्दाद बैठने के बाद, जान-बूझकर नमाज़ के मुनाफ़ी कोई भी काम करे तो नमाज़ हो जायेगी। लेकिन सज्दए सह्व करना पड़ेगा। लेकिन आख़िर में अगर बिला क़सद व इरादा अगर कोई काम नमाज़ के मुनाफ़ी हो जाये तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ बातिल होगी और साहिबैन के नज़दीक दुरुस्त होगी। लेकिन अल्लामा करख़ी ने इस क़ौल की तर्दीद की है तफ़्सील के लिये देखिये (शरह सहीह मुस्लिम अल्लामा सईदी, जिल्द 2, पेज नम्बर : 178-179) इसके लिये बिला दलील ये क़ाइदा बनाया गया है कि ख़बरे वाहिद से वुजूब साबित होता है, फ़र्ज़ियत नहीं। दूसरी दलील अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की ज़ईफ़ रिवायत पेश की

जाती है। तीसरी दलील अबू हुरैरह (रज़ि.) की नमाज़ सहीह तरीक़े से न पढ़ने वाले को नमाज़ का तरीक़ा सिखाना है कि उसमें सलाम का तज़क़िरा नहीं हालांकि उसमें सिर्फ़ उन उमूर का तज़क़िरा है जहाँ उसने ग़लती की थी, नमाज़ के तमाम उमूर का तज़क़िरा नहीं है।

बाब 24 : नमाज़ के बाद

باب الذّكر بعد الصّلاة

(1316) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का इख़िताम या नमाज़ की तक्मील अल्लाहु अकबर कहने से पहचानते थे।

(सहीह बुख़ारी : 842, अबू दाऊद : 1002, नसाई : 3/64)

फ़ायदा : अबू मअबद ने बाद में इस हदीस के सुनाने से इंकार कर दिया था कि मैंने तुम्हें ये रिवायत नहीं सुनाई। लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक अगर कोई रावी अपनी रिवायत का इंकार करे और उससे नक़ल करने वाला काबिले ऐतमाद और सिक्ह (सच्चा) हो तो वो काबिले कुबूल है। इसलिये इमाम मुस्लिम (रह.) ने इंकार नक़ल करने के बावजूद रिवायत बयान कर दी है।

(1317) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के ख़त्म होने को बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहने ही से पहचानते थे। अम्र बयान करते हैं, मैंने ये रिवायत (बाद में) अबू मअबद को सुनाई तो उसने इसका इंकार किया और कहा, मैंने तुम्हें ये हदीस नहीं सुनाई। अम्र कहते हैं, हालांकि उसने पहले मुझे ये रिवायत सुनाई।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبُدٍ، - ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ . قَالَ عَمْرٍو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبُدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أَحَدِّثْكَ بِهَذَا . قَالَ عَمْرٍو وَقَدْ أَخْبَرْتَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ .

(1318) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद लोगों के सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र नबी (ﷺ) के दौर में था और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बताया, मुझे सलाम फेरने का इल्म उसके सुनने से होता था।

(सहीह बुखारी : 841, अबू दारुद : 1003)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ
حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَنَّهُ قَالَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ
إِذَا سَمِعْتُهُ .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में पुबारक में फ़र्ज़ नमाज़ से सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र होता था और इस ज़िक्र की तौज़ीह दूसरी रिवायत में तकबीर से की गई है। जिससे मालूम हुआ कि आपकी इक़्तिदा में मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहते थे और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) से रिवायत है कि आप सलाम के बाद बुलंद आवाज़ से ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन्-निअ्मतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस्सनाउल हसनु ला इला-ह इल्लल्लाहु मुख़्लिसीन लहुदीन व लौ करिहल काफ़िरून कहते थे। इससे बुलंद आवाज़ से मुरव्वजव (प्रचलित) ज़िक्र का जवाज़ साबित नहीं होता। इससे सिर्फ़ इतना साबित होता है कि सलाम फेरने के बाद आप बुलंद आवाज़ से ताकि आपके करीब वालों को सुन जाये ये कलिमात कहते। आपकी इक़्तिदा में आपके करीब रहने वाले कहते इस तरह ये आवाज़ आखिरी सफ़ तक पहुँच जाती। जहाँ बच्चों में इब्ने अब्बास (रज़ि.) मौजूद होते थे। लेकिन आज-कल मस्नून अल्फ़ाज़ बुलंद आवाज़ से कहने की बजाय एक सुर और एक आवाज़ से अपनी तरफ़ से कुछ कलिमात कहे जाते हैं। इस हमआहंगी का सुबूत इस रिवायत से कैसे निकल आया अल्लामा सईदी ने अल्लामा शामी (रह.) से नक़ल किया है कि मसाजिद में इक़्ठे ज़िक्र करना ख़लफ़ व सलफ़ के नज़दीक पसन्दीदा है। बशर्तेकि उनके जहर (बुलंद आवाज़) से किसी की नींद, क़िरअत या नमाज़ में ख़लल पैदा न हो। क्या इस क़ौल से ज़िक्र बिल्जहर की मौजूदा कैफ़ियत पर इस्तिदलाल किया जा सकता है?

बाब 25 : अज़ाबे क़ब्र से पनाह
माँगना पसन्दीदा है

(1319) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मेरे यहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये जबकि मेरे पास एक यहूदी औरत मौजूद थी और वो कहती थी, क्या तुम्हें पता है या एहसास है कि क़ब्रों में तुम्हारी आज़माइश होगी? आइशा (रज़ि.) कहती हैं, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ौफ़ज़दा हो गये और फ़रमाया, 'बस यहूद ही की आज़माइश होगी।' आइशा (रज़ि.) ने बताया, कुछ दिन गुज़रने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें पता चला मुझे वह्य की गई है कि तुम क़ब्रों में आज़माये जाओगे?' तो बाद में मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना।

(नसाई : 4/104)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) को इस बात का इल्म न था कि आज़माइशे क़ब्र से मुसलमानों को भी गुज़रना होगा। इसलिये आप (ﷺ) ने इसकी तख़सीस (ख़ास) यहूद से कर दी। क्योंकि यहूदिया औरत ने क़ब्र में आज़माइश का ऐतराफ़ किया था। बाद में अल्लाह तआला ने वह्य के ज़रिये से बता दिया कि आपकी उम्मा भी इस आज़माइश से गुज़रेगी। इससे साबित हुआ कि आप क़ब्र और बरज़ख़ के हालात से इस क़द्र आगाह हैं जिस क़द्र आपको अल्लाह तआला की तरफ़ से आगाह किया गया है।

(1320) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने उसके बाद आपको क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगते सुना।

(नसाई : 4/103)

باب استِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودٌ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،

عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(1321) हजरत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि मेरे पास मदीना की दो बूढ़ी यहूदी औरतें आईं और उन्होंने कहा, क़ब्र वालों को क़ब्रों में अज़ाब होता है। मैंने उनको झुठलाया और उनकी तस्दीक करने को गवारा न किया। वो चली गईं और मेरे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास मदीना की यहूदी बूढ़ी औरतों में से दो औरतें आईं और कहा, क़ब्र वालों को उनकी क़ब्रों में अज़ाब होता है। आपने फ़रमाया, 'उन्होंने सच कहा। उन्हें ऐसा अज़ाब होता है कि उसे मवेशी भी सुनते हैं।' उसके बाद मैंने आपको हर नमाज़ में क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगते हुए पाया। लम उन्इम 'मैंने उसको अच्छा न समझा।'

(सहीह बुखारी : 6366, नसाई : 4/105)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ عَجُزِ
يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي
قُبُورِهِمْ . قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعَمَ أَنْ
أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجْنَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا
عَلَيَّ فَرَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي
قُبُورِهِمْ فَقَالَ " صَدَقَتَا إِنَّهُنَّ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا
تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ " . قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي
صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

फ़ायदा : मक्की सूरतों में क़ब्र के अज़ाब का ज़िक्र मौजूद है। लेकिन इन आयात का तअल्लुक काफ़िरों से है। इसलिये आप पहले यही समझते थे कि अज़ाबे क़ब्र काफ़िरों के लिये है। मदीना में आकर इस बात का इल्म हुआ कि गुनाहगार मुसलमानों को भी इस आजमाइश और अज़ाब से दोचार होना होगा। आपने हजरत आइशा (रज़ि.) को चूँकि क़ब्र के इम्तिहान के बारे में बताया था और उन्होंने इससे अज़ाबे क़ब्र न समझा। इसलिये यहूदी औरतों की तकज़ीब कर दी और आपको फ़ित्नाए क़ब्र के बाद अज़ाबे क़ब्र से भी आगाह कर दिया गया था क्योंकि फ़ित्नाए क़ब्र ही अज़ाबे क़ब्र का पेश ख़ैमा है।

(1322) मसरूक हज़रत आइशा (रज़ि.) से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें ये है कि उसके बाद आपने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी मगर इस सूरात में कि मैंने आपको अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना। आपने उसमें क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगी।

(सहीह बुखारी : 1372, नसाई : 3/56)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ،
عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتْ وَمَا صَلَّى
صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ .

बाब 26 : नमाज़ में किन चीज़ों से
पनाह माँगी जायेगी

باب مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

(पाकिस्तानी नुस्खे में ये हदीसों मज़क़ूरा बाला बाब के तहत दर्ज हैं इसलिये इन चीज़ों का तज़क़िरा पाकिस्तानी नुस्खे में ऊपर वाले बाब में किया गया है)

(1323) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपनी नमाज़ में दज्जाल के इम्तिहान से पनाह माँगते सुना।

(सहीह बुखारी : 7129)

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا
أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ .

फ़ायदा : दजल झूठ और फ़रेब को कहते हैं। चूंकि वो बहुत बड़ा झूठा होगा इसलिये उसको ये नाम दिया गया। या दजल का मानी ढांपना होता है और वो ज़मीन को अपने पैरोकारों से ढांपेगा या हक़ को बातिल से ढांपेगा। या ये दजलल असर (नक़शे क़दम मिट गये) से माख़ूज है। क्योंकि उसकी आँख मिटी हुई होगी इसलिये उसको मसीह यानी मम्सूहुल ऐन कहते हैं।

(1324) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई तशहहूद पढ़ ले तो अल्लाह तआला से चार चीज़ों से पनाह

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ
وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ،
- قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، - حَدَّثَنَا

तलब करे।' आप फ़रमाते थे, 'ऐ अल्लाह! मैं जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने के शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ।'

(अबू दाऊद : 983, नसाई : 3/58, इब्ने माजह : 909)

الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ "

फ़ायदा : ये दुआ दुनिया व आख़िरत की आफ़तों और मुसीबतों से हिफ़ाज़त के लिये बड़ी ज़ामेअ है। सबसे पहले जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगी है। जो शदीद तरीन और नाक़ाबिले तसव्वुर अज़ाब है और इंसान की सबसे बड़ी शक़ावत और बदबख़ती है। फिर क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगी है जो दरहकीकत अज़ाबे जहन्नम का ही एक रुख़ या पेश ख़ैमा है। जो अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ रहा, वो दोज़ख़ के अज़ाब से महफूज़ रहेगा। क्योंकि क़ब्र आख़िरत की मंज़िलों में सबसे पहली मंज़िल है। अगर बन्दा इससे निजात पा गया तो आगे की मंज़िलें आसान हैं और अगर इंसान क़ब्र की मंज़िल से निजात न पा सका तो उसके बाद उसकी मंज़िलें तो बहुत ज़्यादा सख़्त और कठिन हैं। उसके बाद आपने ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्नों से पनाह माँगी है। ज़िन्दगी में इंसान अपने अहलो-अयाल, अज़ीज़ो-अक़ारिब, दोस्त व अहबाब की मुहब्बत, अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात, दुनियावी अग़राज़ व मक़ासिद, नादानी व जहालत की बिना पर अल्लाह तआला के अहकाम व हिदायात को नज़र अन्दाज़ करता है या गुनाह का इर्तिक़ाब कर बैठता है और मौत का फ़ित्ना ये है कि इंसान मरते वक़्त ईमान पर क़ायम न रहे या मरते वक़्त ग़लत वसियत कर जाये। मौत की सख़ती से जज़अ व फ़ज़अ करे और ज़बान से ग़लत अल्फ़ाज़ निकाल बैठे। आख़िर में आपने दज्जाल के शर से पनाह माँगी। क्योंकि ये दुनिया में बर्पा होने वाले फ़ित्नों में से सबसे बड़ा और मुश्किल फ़ित्ना होगा। जिसमें ईमान का सलामत रखना बड़ा कठिन होगा।

(1325) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) नमाज़ में ये दुआ माँगते थे। ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ

चाहता हूँ, मैं मसीह दज्जाल के फ़िल्ने से तेरी पनाह का तालिब हूँ, मैं ज़िन्दगी और मौत के फ़िल्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ के फ़िल्ने से तेरी पनाह में आता हूँ।' किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क़र्ज़ से किस क़द्र ज़्यादा पनाह माँगते हैं? आपने फ़रमाया, 'जब आदमी मकरूज़ (क़र्जदार) हो जाता है तो जब बात करता है झूठ बोलता है और वादा करके उसके खिलाफ़वर्जी करता है।'

(सहीह बुखारी : 832, 2397, अबू दाऊद : 880, नसाई : 3/56)

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَعْرَمِ" . قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ" .

मुफ़रदातुल हदीस : मअूमम : मस्दर हो तो मानी गुनाह होगा या इससे मुराद ऐसा काम है जो गुनाह का सबब व बाइस हो। मगरम : यानी क़र्ज़ या ऐसा काम जो क़र्ज़ का बाइस बने।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के अगले-पिछले गुनाह माफ़ हो चुके हैं, उसके बावजूद आप क़ब्र और जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगते हैं। इसकी उलमा ने कई तौजीहात बयान की हैं : (1) उम्मत को दुआ की तालीम व तल्कीन के लिये। (2) ये बताने के लिये कि दुआ माँगना सुन्नत है। (3) तवाज़ोअ और उबूदियत व बन्दगी के इज़हार के लिये। (4) अल्लाह तआला की अज़मत व हैबत और ख़ौफ़ के ग़ल्बे के सबब। (5) इंसान का अल्लाह की तरफ़ एहतियात और फ़क्व के इज़हार के लिये। (6) अल्लाह के हुक्म व इस्तिग़फ़ार के इम्तिसाल (हुक्म मानना) के लिये। (7) उम्मत को इस्तिग़फ़ार की तरगीब व तशवीक़ (रग़बत व शौक़ दिलाने) के लिये कि मैं इस क़द्र बुलंद दर्जा रखने के बावजूद अगर इस्तिग़फ़ार करता हूँ तो तुम्हें इसका किस क़द्र एहतिमाम और पाबन्दी करनी चाहिये। (8) उन गुनाहों और क़ब्र व दोज़ख़ से डराने के लिये कि ये बहुत मुश्किल घाटियाँ हैं उनकी फ़िक्र करो। (9) दुआ इस्तिग़फ़ार मुस्तक़िल तौर पर अल्लाह के कुर्ब व रहमत और दर्जात के बुलन्दी का बाइस है। इसलिये ज़रूरी नहीं इंसान ज़रूरतमन्द हो या गुनाहगार हो तो ही दुआए इस्तिग़फ़ार करे। बल्कि नेकियों के हुसूल और दर्जात की बुलन्दी की ख़ातिर ये काम करने चाहिये। इसलिये आप इसके बावजूद कि मसीह दज्जाल का जुहूर आप (ﷺ) के बाद क़यामत के करीब होगा, आप उसके शर व फ़िल्ने से पनाह तलब करते थे।

(1326) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई दूसरे तशहहुद से फ़ारिग हो जाये तो अल्लाह तआला से चार चीज़ों से पनाह तलब करे, जहन्नम के अज़ाब से, क़ब्र के अज़ाब से, मौत व हयात के फ़ित्ने से और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से।'

(1327) यही रिवायत मुझे हकम बिन मूसा बिन ज़ियाद से नीज़ हम्मे अली बिन ख़शरम ने ईसा से (जो यूनस का बेटा है) दोनों ने औज़ाई की मज़कूरा सनद से सुनाई और तशहहुद के साथ अल्आख़िर (आख़िरी, दूसरा) के अल्फ़ाज़ नहीं कहे।

(1328) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दुआ की, 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह का तालिब हूँ और आग के अज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत की आज़माइश से और मसीह दज्जाल के शर से।'

(सहीह बुख़ारी : 1377)

(1329) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह की पनाह लो, क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ " .

وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِفْلُ بْنُ زِيَادٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - جَمِيعًا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ " . وَلَمْ يَذْكُرِ " الْآخِرَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

माँगो, मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह की पनाह तलब करो, जिन्दगी और मौत के फ़ित्ने से अल्लाह की पनाह लो।'

(नसाई : 8/277, 8/275, 8/277)

(1330) इमाम साहब एक और उस्ताद से अबू हुरैरह (रज़ि.) की मज़कूरा रिवायत बयान करते हैं।

(1331) इमाम साहब अपने और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(नसाई : 8/275, 8/277)

(1332) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से और दज्जाल के फ़ित्ने से पनाह माँगते थे।

(नसाई : 2/278)

(1333) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें इस दुआ की तालीम इस तरह देते थे, जिस तरह कुरआन मजीद की किसी सूरा की तालीम देते थे। इरशाद फ़रमाते थे कि कहो, 'ऐ अल्लाह! हम जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह माँगते हैं, मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी माँगता हूँ और मैं पनाह माँगता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से और मैं पनाह माँगता हूँ जिन्दगी और मौत के फ़ित्ने

عُودُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدّجَالِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدّجَالِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ " قُولُوا اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ

से।' साहिबे किताब मुस्लिम बिन हज्जाज (रह.) बयान करते हैं कि मुझे ताऊस से ये बात पहुँची है कि उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तूने ये दुआ अपनी नमाज़ में माँगी है? उसने जवाब दिया, नहीं। इस पर ताऊस ने कहा, अपनी नमाज़ दोबारा पढ़ क्योंकि ताऊस ने ये रिवायत तीन-चार सहाबा से नक़ल की है या जैसाकि उसने कहा।

(अबू दाऊद : 1542, तिर्मिज़ी : 3494, नसाई : 4/177, 8/276)

फ़वाइद : (1) इमाम ताऊस ने तअव्वुज़ के छोड़ देने पर अपने बेटे को नये सिरे से नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। जिससे मालूम होता है कि वो इस हुक्म को फ़र्ज़ियत के मानी में लेते थे। इब्ने हज़म (रह.) का भी यही नज़रिया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) से मन्कूल तअव्वुज़ नमाज़ के लिये ज़रूरी है। लेकिन जुम्हूर उलमा के नज़दीक ये इस्तिहबाब के लिये है यानी ये कलिमात नमाज़ में पढ़ने चाहिये। लेकिन इसके बग़ैर नमाज़ हो जाती है। (2) कुछ लोग दफ़न के बाद अज़ान देते हैं ताकि शैतान भाग जाये और मय्यित को फ़रिश्तों के सवालात के जवाब मुस्तहज़र हों। अल्लामा सईदी ने लिखा है, इसको तदफ़ीन का एक रुक्न करार देना बातिल और बिदअते सय्यिया है। (जिल्द 2 पेज नम्बर : 190) ज़ाहिर बात है बिदअत की शुरूआत इसी तरह होती है कि पहले एक काम अच्छा समझकर शुरू किया जाता है उसको ज़रूरी और लाज़िम नहीं समझा जाता, आहिस्ता-आहिस्ता उसको दीन का हिस्सा बना लिया जाता है और जो वो काम न करे उसको तअनो-तश्नीअ का निशाना बनाया जाता है।

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الْجَبَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ " . قَالَ مُسْلِمٌ بِنُ الْحَجَّاجِ بَلَّغَنِي أَنَّ
طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ أَدْعَوْتُ بِهَا فِي صَلَاتِكَ
فَقَالَ لَا . قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ .

**बाब 27 : नमाज़ के बाद ज़िक्र अच्छा
अमल है और उसकी कैफ़ियत व सूरत
की वज़ाहत**

(1334) हज़रत झौबान (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपनी नमाज़ से फ़ारिग होते तो तीन बार बख़िशिश तलब करते और उसके बाद कहते, ऐ अल्लाह! तू ही

**باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَبَيَانِ صِفَتِهِ**

حَدَّثَنَا ذَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، - اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ

सलाम और तेरी ही तरफ से सलामती मिलती है, तू बरकत व अज़मत वाला है ऐ बुजुर्गी और बरतरी वाले!' वलीद कहते हैं, मैंने औज़ाई से पूछा, इस्तिग़फ़ार कैसे है? उसने कहा, यूँ कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह-अस्तग़फ़िरुल्लाह।

(अबू दाऊद : 1513, तिर्मिज़ी : 300, नसाई : 3/69, इब्ने माजह : 928)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " . قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित हुआ कि नबी (ﷺ) का ये मामूल था कि आप सलाम फेरने के बाद मुत्तसिलन (अल्लाहु अकबर कहने के बाद) तीन बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते थे। क्योंकि ये अबदियत और बन्दगी की इन्तिहा है कि नमाज़ जैसी इबादत के बाद भी अपने आपको कुसूरवार और हक़के इबादत की अदायगी से कोताह और आजिज़ समझते हुए अल्लाह तआला से माफ़ी और बख़्शिश माँगी जाये और हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ का ऐतराफ़ किया। (2) हज़रत सौबान (रज़ि.) की इस मुख़्तसर दुआ जो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल की है। आज-कल आम तौर पर कुछ कलिमात 'इलैक यरजिउस्सलाम, फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदख़िल्ना दारस्सलाम का अपने तौर पर इज़ाफ़ा कर लिया जाता है। अल्लामा सईदी लिखते हैं, 'हदीस शरीफ़ में दुआ और ज़िक्र के जो अल्फ़ाज़ वारिद हों, उनमें अपनी तरफ़ से कमी-बेशी या तग़य्युर व तबहुल करना सहीह नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) को एक दुआ सिखाई जिसमें ये अल्फ़ाज़ थे व नबिय्यकल्लज़ी अर्सलत्ता हज़रत बराअ (रज़ि.) ने जब ये कलिमात दोहराकर आपको सुनाये तो यूँ पढ़ा, 'वबि-रसूलिकल्लज़ी अर्सलत्ता' आपने फ़रमाया, ला (नहीं)। व नबिय्यकल्लज़ी अर्सलत्ता वही अल्फ़ाज़ पढ़ो जो मैंने सिखाये हैं। (जिल्द 2, पेज नम्बर 192) आगे हाफ़िज़ इब्ने हज़र और अल्लामा अ़ैनी (रह.) की इबारत नक़ल की है जिसका मानी ये है, अल्फ़ाज़े ज़िक्र लफ़ज़ के तअय्युन और सवाब की मिक्दार में तौफ़ीकी होते हैं (उनमें मन्कूल की पाबंदी की जाती है) क्योंकि कई बार एक लफ़ज़ में ऐसा राज़ होता है जो उसके हम मानी दूसरे लफ़ज़ में नहीं होता।

(1335) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्-म अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु तबारक्-त या ज़ल्जलालि

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ

वलइकराम पढ़ने की मिक़दार तक बैठते थे और इब्ने नुमैर की रिवायत या ज़लज़लालि वलइकराम यानी या के इज़ाफ़े के साथ है।

(अबू दाऊद : 1512, तिर्मिज़ी : 298, नसाई : 3/69, इब्ने माजह : 924)

صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثم يقعد إلا مقدار ما يقول "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" .
رواية ابن نمير "يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" .

फ़ायदा : अन्तस्सलाम का मानी ये है कि तू हर ऐब व नुक्स, हवादिस्स व आफ़ात और हर किस्म के तग़य्युर व ज़वाल से महफूज़ और पाक है और मिन्कस्सलाम का मानी है कि सलामती तेरे हाथ में है। जिसके लिये चाहे और जब चाहे सलामती का फ़ैसला करे और जिसके न चाहे, न फ़ैसला करे और हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद ये है कि आम तौर पर आप किब्ला रुख़ बैठकर यही कलिमात पढ़ते थे और उसके बाद मुक्तदियों की तरफ़ मुँह कर लेते थे और बाकी ज़िक्र व अज़कार करते थे। जैसाकि दूसरी रिवायात से साबित होता है।

(1336) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, जिसमें है और कहा, या ज़लज़लालि वलइकराम ऐ अज़मत व एहसान के मालिक!

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي الْأَحْمَرَ - عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "

(1337) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, जिसमें है कि आप या ज़लज़लालि वलइकराम कहा करते थे।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ، وَخَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "

(1338) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) ने मुआविया (रज़ि.) को लिखा कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर सलाम फेरते तो फ़रमाते, अल्लाह के सिवा कोई इबादक के लायक़ नहीं, वो अकेला और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بِنِ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

हुकूमत और फरमांवाई है और वही शुक्र व सताइश का हकदार है और हर चीज पर उसकी कुदरत हासिल है। ऐ अल्लाह! जो कुछ तू किसी को देना चाहे उसे कोई रोक सकने वाला नहीं और जिस चीज के तू न देने का फैसला कर ले, कोई उसे दे सकने वाला नहीं और किसी सरमायेदार साहिबे जाह व माल को उसका सरमाया और जाह व माल तुझसे मुस्तगनी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा सरमायेदार और साहिबे माल व जाह हर आन तेरा मोहताज है।

(सहीह बुखारी : 844, 6330, 6472, 6615, 7292, अबू दाऊद : 1505, नसाई : 3/70, 3/71)

(1339) इमाम साहब मज़कूर बाला (ऊपर की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رَوَاتِهِمَا قَالَ فَأَمَّا مَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةَ وَكُتِبَتْ بِهَا إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ .

(1340) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) ने मुआविया (रज़ि.) को लिखवाया (ये तहरीर उनकी तरफ वर्राद ने लिखी) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सलाम के वक़्त सुना। फिर मज़कूर बाला रिवायत बयान की। मगर उसमें व-हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ وَرَادًا، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَادٌ - إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ : بِمِثْلِ خَلِيَّتَيْهِمَا إِلَّا قَوْلَهُ : وَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رَوَاتِهِمَا قَالَ فَأَمَّا مَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةَ وَكُتِبَتْ بِهَا إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رَوَاتِهِمَا قَالَ فَأَمَّا مَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةَ وَكُتِبَتْ بِهَا إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ وَرَادًا، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَادٌ - إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ : بِمِثْلِ خَلِيَّتَيْهِمَا إِلَّا قَوْلَهُ : وَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ

(1341) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، -
يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْثَى، حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ وَرَادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ . بِمِثْلِ
حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ .

(1342) हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने मुगीरह (रज़ि.) को खत लिखा कि मुझे कोई ऐसी हदीस लिख भेजो जो तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो तो उन्होंने लिख भेजा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि जब आप नमाज़ पढ़ लेते तो फ़रमाते, ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल् हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्-म ला मानि-अ लिमा अअतै-त वला मुअति-य लिमा मनअ-त वला यन्फ़उ ज़ल्जहि मिन्कल जह।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
عُمَيْرٍ، سَمِعَا وَرَادًا، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اِكْتَبَ إِلَيَّ
بِشْرٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ . قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ
" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا
مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا
يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

(1343) हज़रत अबू जुबैर (रह.) से रिवायत है कि इब्ने जुबैर (रह.) हर नमाज़ के बाद सलाम फेरते वक़्त ये कलिमात कहते थे, ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल् हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु वला

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا
أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ
يُسَلِّمُ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन्-निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस्मनाउल हसनु ला इला-ह इल्लल्लाहु मुख़िलसी-न लहुदी-न वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, उसका कोई शरीक और साझी नहीं, उसकी हुकूमत व फ़रमांरवाई है और वही शुक्र व सताइश का हक़रदार है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ और नेकी करने की कुव्वत सब अल्लाह ही के इरादे से है उसके सिवा कोई इलाह (माबूद) नहीं। हम सिर्फ़ उसकी बन्दगी करते हैं, सब नेमतें उसी की हैं और फ़ज़्ल व करम उसका है, अच्छी तारीफ़ का मुस्तहिक़ भी वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हम पूरे इख़लास के साथ उसकी बन्दगी करते हैं, अगरचे मुन्किरों को कितना ही नागवार हो।' और बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर नमाज़ के बाद इन कलिमात को बुलंद आवाज़ से कहते थे।

(अबू दाऊद : 1506, 1507, नसाई : 3/69, 3/70)

(1344) हज़रत अबू जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रह.) हर नमाज़ के बाद कलिमाते तहलील कहते थे जैसाकि इब्ने नुमैर की रिवायत में है और आख़िर में कहा, फिर इब्ने जुबैर कहते रसूलुल्लाह (ﷺ) हर नमाज़ के बाद ये कलिमात कहते थे।

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " . وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِمْ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يُهَلِّلُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِمْ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ .

(1345) हज़रत अबू जुबैर (रह.) से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) से सुना है वो इस मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सलाम फेरने के बाद नमाज़ ख़त्म करते वक़्त कहा करते थे और हिशाम इब्ने उरवह की तरह हदीस बयान की।

(1346) हज़रत जुबैर मक्की (रह.) से रिवायत है कि उसने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) से सुना, वो हर नमाज़ के बाद जब सलाम फेरते तो कलिमाते तहलील कहते थे। जैसाकि मज़कूरा बाला रिवायत है और आख़िर में कहा वो ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते थे।

फ़ायदा : हज़रत मुगीरह बिन शोबा और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की हदीस में कलिमात में कुछ फ़र्क है। जिसकी वजह ये है कि आप नमाज़ के बाद कभी मुगीरह (रज़ि.) वाले कलिमात कहते थे और कभी इब्ने जुबैर वाले। इसलिये इसमें तज़ाद (टकराव) नहीं है। नीज़ इससे ये भी साबित होता है कि आप ये दुआयें और ज़िक्र ये कलिमात और कुछ दूसरे कलिमात हम्द व तस्बीह और तौहीद व तकबीर सलाम फेरने के बाद सुन्नतों से पहले पढ़ते थे। इब्ने हम्माम और कुछ दीगर फ़ुकहो ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस से इस्तिदलाल करते हुए ये कहा है कि अल्लाहुम्-म अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु वाली दुआ के सिवा अज़कार सुन्नतें अंदा करने के बाद पढ़ीं, दुरुस्त नहीं है। अल्लामा सईदी ने तफ़सील से इसकी तर्दीद की है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की रिवायत से मुरव्वजा (प्रचलित) ज़िक्र बिल्जहस पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है।

(1347) हज़रत अबू हुसैह (रज़ि.) बयान करते हैं कि तंगदस्त मुहाजिरीन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और गुज़ारिश

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ، يَخْطُبُ عَلَى هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَاةِ فَذَكَرَ بِعَثَلٍ خَبِيثٍ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا الرُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ بِعَثَلٍ خَبِيثٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يُذَكِّرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ وَحَدَّثَنَا

की कि मालदार बुलंद दर्जात और सदाबहार नेमते ले गये। आपने पूछा, ये कैसे? उन्होंने कहा, वो हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं, जैसे हम रोजे रखते हैं और वो सद्क़ा करते हैं, हम सद्क़ा नहीं कर सकते, वो आज़ादी देते हैं, हम आज़ाद नहीं कर सकते। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न सिखाऊँ जिससे तुम अपने सबक़त ले जाने वालों को पहुँच जाओ और उसके सबब अपने बाद वालों से सबक़त ले जाओ? और तुम से कोई अफ़ज़ल न हो मगर वो जो तुम्हारी तरह अमल करे।' उन्होंने कहा, क्यों नहीं (ज़रूर बतलायें) ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'तुम तैंतीस मर्तबा हर नमाज़ के बाद सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह कहो।' अबू सालेह बयान करते हैं, मोहताज मुहाजिरीन दोबारा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहा, हमारे मालदार भाइयों ने हमारे अमल को सुनकर हमारी तरह अमल शुरू कर दिया है। (वो भी तस्बीह, तकबीर तहमीद करने लगे हैं) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे इनायत फ़रमा दे।' कुतैबा (रज़ि.) के सिवा किसी और ने लैस से इब्ने अज़्लान के वास्ते से सुमय्य से बयान किया। मैंने ये हदीस अपने घर के किसी फ़र्द को सुनाई तो उसने कहा, तुम भूल गये हो। आप (ﷺ) ने फ़रमाया था,

فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ،
كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، - وَهَذَا حَدِيثٌ فَتَيْبَةٌ أَنَّ فُقَرَاءَ
الْمُهَاجِرِينَ اتُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلِمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالذَّرَجَاتِ
الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . فَقَالَ " وَمَا ذَاكَ " .
قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا
نُصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتَفُونَ وَلَا
نُعْتَفُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلِمَ " أَفَلَا أَعَلَمْتُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ
سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ
أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ " .
قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُسَيِّحُونَ
وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَتَلَاثِينَ مَرَّةً " . قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ
الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلِمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا
فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ " . وَزَادَ غَيْرُ فَتَيْبَةٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ
بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهَمَّتْ إِنَّمَا
قَالَ " تُسَبِّحُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُ اللَّهُ

'तैंतीस मर्तबा सुब्हानअल्लाह कहो, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो और तैंतीस बार अल्लाहु अकबर कहो।' तो मैं दोबारा अबू सालेह की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसे ये बताया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अल्लाहु अकबर सुब्हानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कुल तादाद तैंतीस हो जाये। इब्ने अज्लान कहते हैं, मैंने ये हदीस रजा बिन हैवा को सुनाई तो उसने मुझे इस तरह अबू सालेह के वास्ते से अबू हुरैरह (रज़ि.) की रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीस सुनाई।

(सहीह बुखारी : 843, 6329)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अद्दूसूर : दसर की जमा है, बहुत माल, अहलुद्दूसूर, बहुत मालदार। (2) अदरजातुल उला : दर्जात, दर्जे की जमा है, मर्तबा और उला, आला का मुअन्नस है। (3) अन्नईमुल मुक्कीम : दायमी या हमेशा की नेमतें, दुबुर बाद में या आखिर में।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर इंसान के पास फुरसत कम हो या उसे किसी वजह से जल्दी हो तो वो उन कलिमात को ग्यारह ग्यारह बार भी कह सकता है।

(1348) सुहैल अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! सरमायेदार, बुलंद मरातिब और दायमी नेमतें ले गये। जैसा कि कुतैबा की लैस से वारिद है मगर उसने अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस में अबू सालेह का ये क़ौल दाख़िल कर दिया है कि फिर फ़ुक्क़राउल मुहाजिरीन लौटकर आये। आख़िर हदीस तक और हदीस में ये इज़ाफ़ा

ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَكْبِيرُ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ " .
فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةَ وَثَلَاثِينَ . قَالَ ابْنُ عَجَلَانَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بِنِ حَيَوَةِ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنُ سَيْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُرِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ .
بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ

किया, सुहैल ने कहा, हर कलिमा ग्यारह बार और ये सब मिलाकर मज्मूई तौर पर तैंतीस बार।

فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ .

(1349) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी यअला (रह.) ने कअब बिन इज़रह (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान सुना कि नमाज़ के पीछे कहे जाने वाले कलिमात ये हैं कि उनके फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कहने वाला या उनको बजा लाने वाला (हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद) नामुराद व नाकाम नहीं रहता या बुलंद दर्जात से महरूम नहीं रहता। तैंतीस बार सुब्हानअल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और चौँतीस बार अल्लाहु अकबर।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَعْقَبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً " .

(तिर्मिज़ी : 3412, नसाई : 3/75)

(1350) हज़रत कअब बिन इज़रह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ के बाद कहे जाने वाले कलिमात ये हैं, हर नमाज़ के बाद इनको कहने वाला या इनको बजा लाने वाला नामुराद नहीं रहता, तैंतीस बार तस्बीह, तैंतीस बार तहमीद और चौँतीस बार तकबीर।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا حَمْرَةُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَعْقَبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " .

(1351) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أُسَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمَلَابِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ :

(1352) हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने हर नमाज़ के बाद तैंतीस मर्तबा सुब्हानअल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और तैंतीस बार अल्लाहु अकबर कहा, ये निन्यानवे हो गये और सौ पूरा करने के लिये ला इला-ह इल्लल्लाहु वस्दहु ला शरी-क लहु लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैडन क़दीर कहा, उसकी लज़िशें और कुसूर माफ़ कर दिये जायेंगे, ख्वाह समुन्द्र के झाग के बराबर ही क्यों न हो।'

(1353) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ يَسَارِ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ
الْمُدْحِجِيِّ، - قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ
فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ سَعَةٌ
وَيَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامُ الْمَائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَيْدِ الْبَحْرِ "

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْدِهِ

फ़वाइद : (1) हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में तस्वीह, तहमीद और तकबीर तीनों कलिमत की गिनती 33-33 बतलाई गई है और सौ की गिनती पूरी करने के लिये एक मर्तबा कलिमत तौहीद व तहलील पढ़ने के लिये फ़रमाया गया है। लेकिन कअब बिन उजरह और कुछ दूसरे सहाबा (रज़ि.) की रिवायत में सौ की गिनती पूरी करने के लिये अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ने की तरगीब दी गई, दोनों तरह ही पढ़ना दुस्त है और ज़ाहिर है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) की इस रिवायत में जिस अज्र-ब-सवाब को बयान किया गया है, वो दूसरी सूत्र में बयान नहीं किया गया। (2) मौलाना मन्ज़ूर अहमद नोमानी (रह.) ने लिखा है कि (नमाज़ के ख़ातमे पर यानी सलाम के बाद ज़िक्र व दुआ रसूलुल्लाह (ﷺ) से अमलन भी साबित है और तालीमन भी और इससे इंकार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जो रिवाज है कि सलाम फेरने के बाद दुआ में भी मुक्तदी नमाज़ ही की तरह इमाम के पाबंद रहते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी को जल्दी जाने की ज़रूरत हो तब भी इमाम से पहले उठ जाना बुरा समझा जाता है। ये बिल्कुल बेअसल है बल्कि काबिले इस्लाह है। इमामत और इक्तिदा का राबता सलाम फेरने पर ख़त्म हो जाता है। इसलिये सलाम के बाद दुआ में इमाम की इक्तिदा और पाबंदी

जरूरी नहीं। चाहे तो मुख्तसरन दुआ करके इमाम से पहले उठ जाये और चाहे तो अपने जोक और कैफियत के मुताबिक देर तक करता रहे। (मआरिफुल हदीस : 3/318)

बाब 28 : तकबीरे तहरीमा और किरअत के दरम्यान कौनसी दुआ पढ़ी जायेगी

باب ما يُقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

(1354) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये तकबीर कहते तो किरअत से पहले कुछ वक्त सुकूत फ़रमाते। तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान! फ़रमाइये, आप तकबीर और किरअत के दरम्यान ख़ामोशी के दौरान क्या पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया, 'मैं कहता हूँ, अल्लाहुम्-म बाइद बैनी व बै-न ख़ताया-य कमा बअद-त बैनल् मशिकि वल्मशिबि अल्लाहुम्-म नक्किनी मिन ख़ताया-य कमा युनक्कम्-सौबुल् अबयजु मिनहनसि अल्लाहुम्मा-सिल्ली मिन ख़ताया-य बिस्सल्लिजि वल्माइ वल्बरद (ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के दरम्यान इस क़द्र फ़ासला कर दे जितना फ़ासला तूने मशिक़ और मशिब के दरम्यान रखा है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से यूँ पाक-साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल-कुचैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को बर्फ़, पानी और औलों से धो दे।'

(सहीह बुखारी : 744, अबू दाऊद : 781, नसाई : 1/50, 894, इब्ने माजह : 2/805)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّ أُمَّي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ " أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ ثَقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُثَقِّنِي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْمِصْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالرِّيدِ "

फायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) अगरचे आम गुनाहों और कोताहियों से महफूज़ थे, लेकिन करीबाँ राबीश बूद हैरानी के फ़ितरी उसूल के मुताबिक, आप उन लग्ज़िशों और कोताहियों से सख्त लरज़ा और तरसाँ रहते थे जो बशरी तकाज़ों के तहत भूल-चूक के सबब आप से सरज़द हो सकती थीं और मअसियत व नाफ़रमानी न होने के बावजूद आपकी बुलंद व बाला शान और मक़ाम तक़रीब के लिहाज़ से काबिले गिरफ़्त हो सकती थीं।

मशहूर मकूला है हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है और आपकी दुआ से मालूम होता है इंसान किसी क़द्र भी बुलंद व बाला मक़ाम पर फ़ाइज़ हो जाये वो बशरियत के तकाज़ों से नहीं निकल सकता और अल्लाह तआला की तौफ़ीक व रहनुमाई के बग़ैर ख़ताओं और लग्ज़िशों से दूर नहीं रह सकता और गुनाहे मादी मैल-कुचैल की तरह दिल और रूह की मैल-कुचैल हैं और अल्लाह के ग़ज़ब की आग और उसकी सोज़िश व जलन का सबब हैं। इसलिये इस हिद्वत व सोज़िश को अल्लाह की बख़िशिश व रहमत के पानी, बर्फ़ और औलों से ठण्डा करने की ज़रूरत है।

(1355) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ
قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَغْنِي ابْنُ زِيَادٍ - كِلَاهُمَا
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ
حَدِيثِ جَرِيرٍ .

(1356) हज़रत अबू हरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब दूसरी रकअत से उठते तो ख़ामोशी इख़्तियार किये बग़ैर क़िरअत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल् आलमीन से फ़रमाते।

قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ،
وَيُونُسَ الْمُؤَدَّبِ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ
الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ
مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ { الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَلَمْ يَسْكُتْ .

फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा के बाद क़िरअत से पहले दुआ-ए-इस्तिफ़ताह पढ़ना इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक मुस्तहब है। इमाम मालिक (रह.) तकबीरे तहरीमा के बाद दुआ-ए-इस्तिफ़ताह के क़ाइल नहीं हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) ने हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी दुआ वज्जहतु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल्लअरज़ि (हदीस) को इख़ितयार किया है और इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने सुब्हान-कल्लाहुम्-म वबि-हम्दि़क और ये दुआ आहिस्ता पढ़ी जायेगी। दूसरी रकअत के बाद तीसरी रकअत के आगाज़ पर दुआ-ए-इस्तिफ़ताह नहीं है। जैसाकि इमाम मुस्लिम की इसके बारे में रिवायत में सराहत मौजूद है।

(1357) मुझे जुहैर बिन हरब ने अफ़फ़ान के वास्ते से हम्माद की क़तादा माबित और हुमैद से हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत सुनाई है कि एक आदमी आया और सफ़ में इस हालत में शरीक हुआ कि उसका साँस फूल रहा था और उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दा यानी अल्लाह ही बहुत ज़्यादा पाक और बरकत वाली तारीफ़ व सना का हक़दार है। तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पूरी कर ली तो आपने पूछा, 'तुममें से किसने ये कलिमात कहे थे?' इस पर सब लोग ख़ामोश रहे। आपने दोबारा पूछा, 'तुममें किसने ये कलिमात कहे? उसने कोई बुरी बात नहीं कही।' तो एक शख़्स ने कहा, मैं इस हाल में आया कि मेरा साँस फूल गया था तो मैंने ये कलिमात कहे। आपने फ़रमाया, 'मैंने बारह फ़रिशतों को देखा जो इन कलिमात को ऊपर ले जाने के लिये एक-दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे थे।' क्रद हफ़जहुन्नफ़सु (उसका साँस फूला हुआ था) अरम्मल (क्रौम लोग चुप रहे)।

(अबू दाऊद : 763, नसाई : 2/132)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ،
حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ،
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ
حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ " أَيُّكُمْ
الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ " . فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ "
أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِأَسَا " .
فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ
فَقُلْتُهَا . فَقَالَ " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا
يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا " .

फाबदा : इस हदीस से हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस्तिदलाल किया है कि नमाज़ में जो अज़कार मन्कूल हैं, उनके अलावा जिक्र करना भी जाइज़ है। बशर्तेकि वो मन्कूल के खिलाफ़ न हो। इस पर अल्लामा सईदी लिखते हैं, ये सहीह नहीं हैं क्योंकि ये जिक्र आपके सामने किया गया और आपने उसको मुकरर और जाइज़ रखा, इसलिये इसका जवाज़ आपकी तकरीर और तशरीह से मालूम हुआ। अब जबकि बह्य मुन्क़तअ (कट) हो चुकी है, किसी शख्स को ये हक़ नहीं है कि वो नमाज़ या किसी मुअय्यन इबादत में अपनी तरफ़ से जिक्र व अज़कार का इज़ाफ़ा करे। यहाँ तक कि हमारे फुक़हा ने कहा है, अगर पहले तशहहूद के बाद किसी शख्स ने अल्लाहुम्-म सल्लि अला मुहम्मद भूल-चूक में या जान-बूझकर पढ़ दिया तो उस पर सज़्दए सत्व लाज़िम आयेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) की शरीअत में बाद के लोगों को किसी इज़ाफ़े का हक़ नहीं है। (शरह मुस्लिम : 2/212)

सवाल ये है कि जब ये बात तय है कि बह्य मुन्क़तअ हो गई है और शरीअत तमाम हो चुकी है और शरीअत में बाद के लोगों को किसी इज़ाफ़े का हक़ हासिल नहीं है तो फिर ईद भीलादुन्नबी, दरूद शराफ़ के नये-नये सैगे और ईसाले सवाब के लिये अन्वाअ व अक्साम की नफ़ली इबादात का बग़ैर शर्इ तअय्येन करना, क्या ये इज़ाफ़ा नहीं है? ये तमाम उमूर मुस्तहसन कैसे हो गये? पहले तशहहूद में दरूद की गुंजाइश मौजूद है बल्कि कुछ अइम्मा तो उसको लाज़िम करार देते हैं। इस पर सज़्दए सत्व डाल दिया गया है। इसी तरह नमाज़ी को अगर छींक आ जाये तो वो ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा की एक रिवायत की रू से उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। तो क्या उनके इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उन उमूर को मुस्तहसन करार दिया जा सकता है, जो उनके मुक़ल्लिदों ने उनके बाद निकाल लिये हैं।

(1358) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, इस अज़ना (बीच) में लोगों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाहु अक़बर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुक़रतव्-व असीला (अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह के लिये बहुत ज्यादा तारीफ़ है और सुबह व शाम अल्लाह ही के लिये पाकीज़गी व तस्बीह है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'ये-ये बोल किसने

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ

कहा है?' लोगों में से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कहा है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे उन पर तअज्जुब हुआ, इनके लिये आसमान के दरवाज़े खोले गये।' इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने आपसे ये बात सुनने के बाद इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा।

(तिर्मिज़ी : 3592, नसाई : 2/125)

फ़ायदा : उन दो आदमियों ने ये ज़िक्र कहाँ किया था, हदीस में इसका महल और मौका नहीं बताया गया। इसलिये कुछ हज़सत ने इनका महल अग़ाजे नमाज़ बताया है जैसाकि इमाम नववी (रह.) के तर्ज़ुमे से मालूम होता है और कुछ ने रूकूअ के बाद रबबना व लकल हम्द के बाद कहा है।

बाब 29 : नमाज़ के लिये वकार व मस्तानत और सुकून व इत्मीनान से आना मुस्तहब है और दौड़कर आना मना है

باب استحباب إتيان الصلاة بوقارٍ وسكينة والنهي عن إتيانها سفياً

(1359) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब नमाज़ खड़ी हो जाये तो उसके लिये दौड़कर न आओ, उसके लिये इत्मीनान के साथ चलते हुए आओ। जो इमाम के साथ पाओ, पढ़ो और जो रह जाये उसको पूरा कर लो।'

(इब्ने माजह : 775, तिर्मिज़ी : 329, नसाई : 2/114, अबू दाऊद : 572)

حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرُبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا شَقِيانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا إِبراهيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي

حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْتَشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا " .

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम हुआ नमाज़ के लिये भाग कर नहीं आना चाहिये। सुकून व इत्मीनान के साथ आम चाल से तेज़ रफ़्तार हो सकती है। (2) इमाम के साथ जो रक़आत या रक़अत मिल जायेगी, वो मिलने वाले की पहली रक़अत होगी और इमाम के सलाम के बाद वाली नमाज़, बाद वाली नमाज़ होगी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ का यही नज़रिया है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक इमाम के साथ मिलने वाली रक़अत या रक़आत आखिरी होंगी और जो रह गई है, वो पहली रक़आत में शुमार होगी। इसलिये वो बाद वाली रक़आत में क़िरअत करेगा। इमाम मुहम्मद के नज़दीक रह जाने वाली नमाज़ क़िरअत के ऐतबार से अव्वल है और रक़आत के ऐतबार से आखिरी है। जुम्हूर का मौक़िफ़ क़वी है और अतिम्मू का लफ़ज़ इसी पर दलालत करता है। क्योंकि इतमाम का तअल्लुक आख़िर से हुआ और जिन रिवायात में व इत्ज़िज़ मा सबक़क है कि जो नमाज़ रह गई है उसको पूरा करो तो यहाँ क़ज़ा अतम्म के मानी में है। जैसाकि कुरआन मजीद में है, इज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़न्तशिरू फ़िल्अर्ज़ जब नमाज़ पूरी हो जाये तो ज़मीन में फैल जाओ और अरबी मुहावरा है कज़ैतु हक्क़ फ़ुलानिन मैंने फ़लों का हक्क़ अदा कर दिया।

(1360) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये इक्रामत कही जाये तो उसके लिये दौड़ते हुए न आओ और उसके लिये इत्मीनान के साथ आओ। जो पा लो, पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर लो। क्योंकि जब तुममें से कोई नमाज़ का रुख़ करता है तो वो नमाज़ ही में होता है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا نُوبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ

فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ
يَعْتَمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهَوِيَ فِي صَلَاةٍ .

(1361) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये बुलाया जाये तो तुम उसके लिये चलते हुए इत्मीनान इख़्तियार करो, तुम्हें जो मिल जाये पढ़ लो और जो रह जाये उसको पूरा कर लो।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَاتُوهَا وَأَنْتُمْ
تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا
وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا " .

(1362) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये इक्रामत कही जाये तो उसके लिये तुममें से कोई भाग कर न आये, लेकिन चलकर इत्मीनान और वक्रार को इख़्तियार करे, जो मिल जाये पढ़ ले और जो गुज़र जाये उसको अदा कर ले।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ، -
يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ - عَنْ هِشَامِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا تُوِّبَ
بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ
وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلَّى مَا أَدْرَكْتَ
وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ " .

(1363) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं इस अमना (बीच) में कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि आपने शोर सुना (नमाज़ के बाद) आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लोगों ने जवाब दिया, हमने नमाज़ के लिये जल्दी की। आप (ﷺ) ने

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ

फ़रमाया, 'ऐसे न करो, जब तुम नमाज़ के लिये आओ तो इत्मीनान को लाज़िम पकड़ो, जो तुम्हें मिल जाये पढ़ लो और जो गुज़र जाये उसको पूरा कर लो।'

(सहीह बुखारी : 635)

(1364) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : शैबान, यहया बिन इब्ने कस़ीर का शागिर्द है। जैसाकि अगले बाब के तहत आ रहा है।

बाब 30 : लोग नमाज़ के लिये किस वक़्त खड़े होंगे

(1365) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाये तो उस वक़्त तक खड़े न हो जब तक मुझे न देख लो।' इब्ने हातिम ने कहा, 'जब इक्रामत कही जाये या पुकारा जाये।' (इक्रामत को नूदि-य से ताबीर किया गया है)

(सहीह बुखारी : 637, 638, 909, अबू दाऊद : 539, 540, तिर्मिज़ी : 592, नसाई : 2/31, 2/81)

(1366) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। नबी (ﷺ) की हदीस सुनाई और इस्हाक़ ने मज़मर और शैबान की रिवायत में हत्ता तरौनी के बाद कहा, क़द ख़रज्तु यहाँ तक कि मुझे देख लो, मैं निकल आया हूँ।

نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ جَلْبَنَةَ . فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قَالُوا اسْتَعَجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ " فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأْتُوا " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

باب متى يقوم الناس للصلاة

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي " . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ " إِذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ

يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ،
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ،
كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ
مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ " حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ " .

फ़ायदा : अबू क़तादा (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है जब इमाम नमाज़ के लिये आता हुआ नज़र आ जाये फिर तकबीर कहनी चाहिये और इमाम को देखकर मुक़्तदियों को सफ़बन्दी करनी चाहिये। हज़रत बिलाल (रज़ि.) आप (ﷺ) को देखकर इक़ामत शुरू कर देते थे। जब आप लोगों को नज़र आने लगते तो वो उठना शुरू कर देते और आपके मुसल्ले पर खड़े होने तक लोग (सहाबा किराम रज़ि.) सफ़बन्दी कर लेते। इमाम मालिक और आम सलफ़ का तरीक़ा यही था कि वो इक़ामत के साथ ही खड़ा होना शुरू हो जाते। इमाम अहमद के नज़दीक मुक़्तदी क़द क़ामतिस्सलात पर खड़े हो जायेंगे और इमाम शाफ़ेई और कुछ हज़रात के नज़दीक इक़ामत के ख़त्म होने पर खड़े होंगे और इन सब अइम्मा और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक तकबीर के ख़त्म होने के बाद इमाम तकबीरे तहरीमा कहेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुक़्तदी हय्य अलस्सलाह पर खड़े होंगे और जब मुअज़्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह कह लेगा तो इमाम अल्लाहु अकबर कह देगा। ज़ाहिर है अमली तौर पर सहीह और मुनासिब तरीक़ा इमाम मालिक वाला है। क्योंकि सब लोगों का एक ही वक़्त में खड़ा होना मुश्किल है और सफ़बन्दी का तकाज़ा भी यही है। नमाज़ के लिये सफ़बन्दी ज़रूरी है। इसलिये इक़ामत के साथ ही सफ़बन्दी शुरू कर देनी चाहिये।

(1367) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि इक़ामत हो गई तो हमने सफ़ों को बराबर कर लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी तक हमारे सामने नहीं आये थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाकर अपने मुसल्ले पर खड़े हो गये। अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा था कि आपको (गुस्ल करना) याद आ गया तो आप वापस पलट गये और हमें

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ
شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ
أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

फ़रमाया, 'इसी जगह पर जमे रहो।' हम आपके इन्तिज़ार में खड़े रहे, यहाँ तक कि आप तशरीफ़ ले आये। आप गुस्ल कर चुके थे और आपके सर से पानी के क़तरे गिर रहे थे। आपने अल्लाहु अकबर कहकर हमें जमाअत कराई।

(सहीह बुखारी : 275, अबू दाऊद : 235)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ज़िक्र : यहाँ तज़िक़रा के मानी में है कि आपको याद आया। (2) यन्तिफ़ : क़तरे गिर रहे थे।

फ़ायदा : अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस से मालूम हुआ जब आप हुज्जे मुबारकसे निकलने लगते, बिलाल (रज़ि.) तकबीर शुरू कर देते। कुछ लोग आप (ﷺ) को देखकर खड़ा होना शुरू कर देते। उनको देखकर दूसरे लोग भी खड़े हो जाते और आपके मुसल्ले पर आने तक तकबीर हो चुकी होती और मुक़तदी सफ़े बराबर कर लेते और ये भी मुम्किन है ये वाक़िया अबू क़तादा की रिवायत से पहले पेश आया हो और इस बिना पर आपने फ़रमाया हो। ला तकूम हत्ता तरौनी मुझे देखे बग़ैर खड़ा न हुआ करो और इससे ये भी साबित हुआ तकबीरे तहरीमा और इक़ामत के दरम्यान ज़रूरत की बातचीत हो सकती है। नीज़ तकबीर के बाद कुछ ज़रूरत के तहत ताख़ीर हो जाये तो दोबारा तकबीर की ज़रूरत नहीं है।

(1368) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नमाज़ खड़ी हो गई। लोगों ने अपनी सफ़े बांध लीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाकर अपनी जगह पर खड़े हो गये और लोगों को हाथ के इशारे से कहा, अपनी जगह ठहरे रहो। फिर आप इस हाल में वापस आये कि आप नहा चुके थे और आपके सर से पानी गिर रहा था। फिर आपने जमाअत कराई। (सहीह बुखारी : 639, 640, अबू दाऊद : 235, 541, नसाई)

فَأْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَاةٍ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَأَنْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا " مَكَانَكُمْ " . فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ وَصَفَ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ " مَكَانَكُمْ " . فَخَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ .

(1369) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये नमाज़ खड़ी की जाती और लोग सफ़ों में अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते। लेकिन अभी तक नबी (ﷺ) अपनी जगह पर खड़े नहीं होते थे।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ .

फ़ायदा : अबू हुरैरह (रज़ि.) की इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप के हुज़रे से निकलने पर, तकबीर के साथ ही लोग खड़ा होना शुरू हो जाते और आपकी मुसल्ले पर आमद तक सफ़बन्दी हो चुकी होती थीं।

(1370) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब सूरज ढल जाता तो बिलाल (रज़ि.) जुहर की अज़ान कहते और नबी (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी तक तकबीर न कहते। जब आप हुज़रे से निकलते तो आपको देखकर वो तकबीर शुरू कर देते।

وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَدُّنُ إِذَا دَخَصَتْ فَلَا يَقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : दहज़त : सूरज ढल गया।

बाब 31 : जिसने नमाज़ की एक रक़अत पा ली उसने उस नमाज़ को पा लिया

باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

(1371) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने एक रिवायत सुनाई है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ की एक रक़अत को पा लिया उसने नमाज़ पा ली।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ "

(सहीह बुख़ारी : 580, अबू दाऊद : 1121, नसाई : 1/274)

(1372) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ की एक रक़अत इमाम के साथ पा ली तो उसने नमाज़ पा ली।'

(तिर्मिज़ी : 524, नसाई : 3/112, इब्ने माजह : 1122)

(1373) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) की मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं और उनमें से किसी की हदीस में मज़ल इमाम, इमाम के साथ का लफ़ज़ नहीं है और इब्नेदुल्लाह की हदीस में 'फ़क़द अदरकस्सलात' के बाद कुल्लहा का लफ़ज़ यानी मुकम्मल नमाज़ पा ली।

(नसाई : 1/274)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَيُونُسَ، قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ " مَعَ الْإِمَامِ " . وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ " فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا " .

फ़ायदा : इन रिवायात का मक़सद ये है अगर नौ मुस्लिम ने या बालिग़ हो जाने वाले बच्चे ने या दीवानगी और बेहोशी से होश में आने वाले ने या हैज़ व निफ़ास से पाक होने वाली औरत ने किसी नमाज़ का आख़िरी वक़्त पा लिया तो उन सब को ये नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर नमाज़ का वक़्त सिर्फ़ एक रक़अत के बक़द़ बाक़ी था तो तब भी ये नमाज़ उन सब पर फ़र्ज़ हो जायेगी। इसी तरह अगर किसी ने इमाम के साथ एक रक़अत को पा लिया तो उसको जमाअत की फ़ज़ीलत हासिल हो जायेगी। इसी तरह अगर किसी ने किसी मजबूरी या ज़रूरत के सबब ऐसे वक़्त में नमाज़ शुरू की कि एक रक़अत पढ़ने के बाद उसका वक़्त निकल गया तो वो उस नमाज़ को मुकम्मल कर लेगा। इन अहादीस का ये

मतलब नहीं है कि एक रकअत पा लेने से उसने मुकम्मल नमाज़ पा ली और अब बाकी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। किसी इमाम के नज़दीक ये मानी मुराद नहीं है।

(1374) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने सूरज निकलने से पहले सुबह की एक रकअत पा ली तो उसने सुबह की नमाज़ को पा लिया और जिसने सूरज के गुरुब होने से पहले अ़सर की एक रकअत पा ली तो उसने अ़सर की नमाज़ पा ली।

(सहीह बुखारी : 579, तिर्मिज़ी : 186, नसाई : 1/257, इब्ने माजह : 699)

(1375) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

(इब्ने माजह : 700)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी ने सुबह या अ़सर की नमाज़ ऐसे वक़्त में शुरू की कि एक रकअत पढ़ने के बाद सुबह होने की सूरत में सूरज निकल आया और अ़सर की सूरत में सूरज गुरुब हो गया तो वो अपनी बाकी नमाज़ पढ़ लेगा। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और तमाम सलफ़ का मौक़िफ़ इस हदीस के मुताबिक़ है। सिर्फ़ अहनाफ़ का ये मौक़िफ़ है कि ऐसी सूरत में अ़सर की नमाज़ तो हो जायेगी। लेकिन फ़ज़र की नमाज़ नहीं होगी और उसके लिये दलील के तौर पर एक अक्ली खुदसाख़ता बात पेश की है कि अ़सर नाक़िस वक़्त में शुरू हुई और नाक़िस वक़्त में मुकम्मल हुई इसलिये वो हो गई। लेकिन सुबह की नमाज़ कामिल वक़्त में शुरू की और नाक़िस में पूरी की, इसलिये नहीं हुई। लेकिन ये बात सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर मकरूह औक़ात की बिना पर ये क़ाइदा है तो आपने जिस तरह गुरुबे शम्स के वक़्त नमाज़ का क़सद व इरादा करने से मना फ़रमाया है। सूरज के निकलते वक़्त भी मना फ़रमाया है और वहाँ मक़सद अ़मदन जान-बूझकर ऐसी हरकत करने से मना करना है। जैसाकि ला यतहरा (वो क़सद और इरादा न करे) के

अल्फ़ाज़ दलालत कर रहे हैं। अगर ग़ैर शर्क़ी तौर पर या किसी मजबूरी के सबब ऐसा हो जाये तो वो मम्नूअ नहीं है।

(1376) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने सूरज के गुरुब होने से पहले असर की नमाज़ का एक सज्दा (रक़अत) पा लिया या उसने सूरज के निकलने से पहले सुबह की नमाज़ का एक सज्दा पा लिया तो उसने उस नमाज़ को पा लिया।' सज्दे से मुराद रक़अत है।

(नसाई : 1/273, इब्ने माजह : 700)

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَزْمَلَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهَبٍ، - وَالسِّيَاقُ لِحَزْمَلَةَ - قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا . وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ .

(1377) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने सूरज के गुरुब होने से पहले असर की एक रक़अत पा ली तो उसने नमाज़ पा ली और जिसने सूरज के निकलने से पहले फ़ज्र की एक रक़अत पा ली तो उसने नमाज़ पा ली।'

(अबू दारुद : 412, नसाई : 1/257)

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

(1378) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

बाब 32 : पाँच नमाज़ों के औक़ात

باب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

(1379) इमाम इब्ने शिहाब (रह.) बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने असर की नमाज़ कुछ ताख़ीर से पढ़ी तो उरवह ने उनसे कहा, जिब्रईल ने नाज़िल होकर, इमाम बनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ पढ़ाई तो उमर ने उससे कहा, ऐ उरवह! सोच-समझकर बात करो। तो उसने कहा, मैंने बशीर बिन अबी मसऊद से सुना, उसने अबू मसऊद से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिब्रईल उतरे और मुझे नमाज़ पढ़ाई। मैंने उसके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने उसके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी, वो अपनी उंगलियों से पाँच नमाज़ें शुमार करते थे।'

(सहीह बुखारी : 521, 3221, 4007, अबू दारूद : 394, नसाई : 1/245, इब्ने माजह : 668)

(1380) इमाम इब्ने शिहाब (रह.) बयान करते हैं कि एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने नमाज़ मुअख़्खर कर दी (देर से पढ़ी) तो उनके पास उरवह बिन जुबैर हाज़िर हुए और उन्हें बताया, मुगीरह बिन शोबा ने एक दिन कूफ़ा में नमाज़ देर से पढ़ी तो उनके पास अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) तशरीफ़ लाये और पूछा, ये क्या किया? ऐ मुगीरह! क्या तुम्हें इल्म नहीं है जिब्रईल उतरे और

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ . فَقَالَ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَخْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ

होती। अभी तक उसकी जगह साया न फैला होता और अबू बकर ने लम यफ़ी अल्फ़ैउ की जगह लम यज़्हर अल्फ़ैउ कहा (दोनों का मानी एक ही है)।

(सहीह बुखारी : 546, इब्ने माजह : 683)

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجْرَتِي لَمْ يَفِيءِ الْفَيْءُ بَعْدُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ .

मुफ़रदातुल हदीस : क़ब्ल अन तज़्हर : धूप अभी कमरे में मौजूद थी। इसी मफ़हूम को लम यफ़ी अल्फ़ैउ से अदा किया गया है कि धूप की जगह साये ने नहीं ली थी। धूप उठती है तो उसकी जगह साया फैलता है। इसलिये दोनों अल्फ़ाज़ में तज़ाद (टकराव) नहीं है और लम तज़्हर अल्फ़ैउ का मानी भी यही है कि उस धूप की जगह साया ज़ाहिर नहीं हुआ था। उसकी जगह साया नहीं फैला था। इस तरह आप असर की नमाज़ वक़्त होते ही पढ़ लेते थे।

(1383) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जबकि धूप उनके हुज़े में होती, साया उनके हुज़े में न फैला होता था।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا

फ़ायदा : जब हुज़े की दीवारें छोटी हों यानी छत बुलंद न हो तो उसमें धूप इस सूत में होगी, जब सूरज बुलंद न हो। इसलिये असर का वक़्त एक मिस्ल साया के बाद शुरू होता है।

(1384) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) असर की नमाज़ पढ़ते जबकि धूप मेरे हुज़े में मौजूद होती थी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةً فِي حُجْرَتِي .

(1385) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लो तो उसका वक़्त उस वक़्त तक बाक़ी है जब तक

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ

सूरज का ऊपर का किनारा न निकले। फिर जब तुम जुहर पढ़ लो तो उसका वक़्त अ़सर तक बाक़ी है और जब तुम अ़सर पढ़ लो तो उसका वक़्त सूरज के ज़र्द होने तक बाक़ी है और जब तुम मरिब की नमाज़ पढ़ो तो उसका वक़्त शफ़क़ (सुर्खी) के गुरुब होने तक बाक़ी है और जब तुम इशा पढ़ लो तो उसका वक़्त आधी रात होने तक बाक़ी है।

(अबू दाऊद : 396, नसाई : 1/260)

फ़ायदा : जब सूरज गुरुब हो जाता है तो मरिब की तरफ़ तक़रीबन एक घण्टा तक सुर्खी रहती है, उसके बाद वो सुर्खी ख़त्म हो जाती है उसकी जगह कुछ देर तक (तक़रीबन आधा घण्टा) सफ़ेदी रहती है। फिर वो सफ़ेदी भी ग़ायब हो जाती है और उसकी जगह स्याही आ आ जाती है। साहिबैन (इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद) और इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक शफ़क़ से मुराद सुर्खी है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ इससे मुराद सुर्खी और सफ़ेदी दोनों हैं। यानी स्याही आने पर इशा का वक़्त होगा और एक क़ौल दूसरे अइम्मा के मुताबिक़ है। इसलिये आम तौर पर आज-कल अमल आम अइम्मा के क़ौल के मुताबिक़ है।

(1386) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जुहर का वक़्त, अ़सर का वक़्त शुरू होने तक है और अ़सर का वक़्त, सूरज के ज़र्द होने से पहले तक है और मरिब का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक शफ़क़ गुरुब न हो और इशा का वक़्त आधी रात है और फ़ज्र का वक़्त जब तक सूरज तुलूअ न हो।'

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . "

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْأَزْدِيِّ وَتَقَالُ الْمَرَاعِيُّ وَالْمَرَاعِيُّ حَتَّى مِنَ الْأَزْدِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . "

मुफ़रदातुल हदीस : नूरुशफ़क़ : सुर्खी का फैलाव और इन्तिशार।

(1387) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعَهُ مَرَّتَيْنِ .

फ़ायदा : इशा का वक़्त मुस्तहब आधी रात तक है। लेकिन अगर किसी वजह से (भूलकर या नींद की वजह से) ताख़ीर हो जाये तो फिर सुबह तक वक़्ते अदा रहता है।

(1388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब सूरज ढल जाये तो जुहर का वक़्त हो जाता है और आदमी के साये के उसके बराबर होने तक रहता है, जब तक असर का वक़्त न हो जाये और असर का वक़्त सूरज के ज़र्द होने तक रहता है और मरिब की नमाज़ का वक़्त सुर्खी ग़ायब होने तक रहता है और इशा की नमाज़ का वक़्त दरम्यानी रात के आधे होने तक रहता है और सुबह की नमाज़ का वक़्त तुलूअे फ़ज्र से सूरज निकलने तक रहता है, जब सूरज निकलने लगे तो नमाज़ से रुक जाओ, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरम्यान निकलता है।' करनय् शैतान से मुराद उसके सर के किनारे हैं।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .

फ़ायदा : जब सूरज तुलूअ या गुरुब होता है तो शैतान अपने सींग सूरज के करीब कर देता है ताकि उन औकात में जो लोग सूरज को सज्दा करें वो यूँ लगे कि वो उस लईन को सज्दा कर रहे हैं। असल मक़सूद काफ़िरों की मुशाबिहत से रोकना है कि वो उन औकात में सूरज की परस्तिश करते हैं, इसलिये मुसलमानों को उन औकात में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। लेकिन शैतान के दो करनों और उनके

दरम्यान सूरज के तुलूअ व गुरूब की हकीकत हमारे मालूमात के दायरे से इसी तरह बाहर है जिस तरह शैतान की पूरी हकीकत जानना बाहर है।

(1389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ों के औक़ात के बारे में दरयाफ्त किया गया? तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक सूरज का इब्तिदाई किनारा न निकले और जुहर का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज आसमान के दरम्यान से मरिब की तरफ़ ढल जाये और उस वक़्त तक रहता है जब तक असर का वक़्त नहीं होता और असर की नमाज़ का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक सूरज ज़र्द न पड़ जाये और उसका पहला किनारा डूबने लगे और मरिब की नमाज़ का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज गुरूब हो जाये और सुख़ी ग़ायब होने तक रहता है और इशा की नमाज़ का वक़्त आधी रात तक है।'

फ़ायदा : आपने सवाल करने वाले के जवाब में अक्सर नमाज़ों का आखिरी वक़्त बताया है जिससे मालूम होता है कि सवाल करने वाला यही पूछना चाहता था कि पाँचों नमाज़ों के वक़्त में कितनी वुसूअत है और हर नमाज़ किस वक़्त तक पढ़ी जा सकती है।

(1390) इमाम यहया बिन अबी कसीर (रह.) का क़ौल है कि इल्म राहत व आराम तलबी से हासिल नहीं हो सकता।

फ़ायदा : यहया बिन अबी कसीर के इस क़ौल का नमाज़ के औक़ात से कोई तअल्लुक नहीं है और क़ौल भी मुकम्मल नक़ल नहीं किया। मुकम्मल क़ौल ये है मीरासुल इल्म ख़ैरुम मिम्मिरासिज़्ज़हब

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ، - وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ - عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ " وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَضْفَرِ الشَّمْسُ وَتَسْقُطَ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . "

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ .

‘इल्मी विरासत सोने की विरासत से बेहतर है।’ वन्नफ़सुस्सालिहतु ख़ैरुम् मिनल्लुअलुअ ‘नेक और पाकीज़ा नफ़स मोतियों से बेहतर है।’ वला युस्तताज़ल इल्म बिराहतिल जसद ‘और इल्म आसाइश व राहत में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता।’ महसूस ऐसे होता है कि नमाज़ के औकात का आगाज़ और इख़िताम (शुरू और ख़त्म) करना मेहनत तलब काम है इसलिये मुसन्निफ़ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की हदीस अलग-अलग सनदों और अलग-अलग अल्फ़ाज़ से बड़ी मेहनत और कोशिश से बयान की है तो इस मुनासिबत से ये बता दिया कि इल्म का हुसूल मेहनत तलब काम है। इसलिये पढ़ने-पढ़ाने वालों को मेहनत व मशक्कत से गुरेज़ नहीं करना चाहिये।

(1391) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) से नमाज़ के वक़्त के बारे में सवाल किया तो आप (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, ‘हमारे साथ दो दिन नमाज़ पढ़ो।’ जब सूरज ढल गया तो आप (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) को अज़ान कहने का हुक्म दिया। फिर आपने उसे हुक्म दिया तो उसने जुहर के लिये तकबीर कही। फिर आपने (असर का वक़्त होने पर) बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया तो उन्होंने (पहले अज़ान दी फिर) असर के लिये इक्रामत कही। (और ये अज़ान व इक्रामत ऐसे वक़्त में हुई कि) सूरज बुलंद, रोशन और साफ़ था (यानी उसकी रोशनी में फ़र्क़ नहीं पड़ा था) फिर आपने सूरज के गुरुब होने पर बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया (उन्होंने पहले अज़ान कही और फिर) मरिब के लिये इक्रामत कही। फिर जब सूरख़ी ग़ायब हो गई तो आपने उनको हुक्म दिया और उन्होंने (इशा की अज़ान दी फिर) इशा के लिये इक्रामत कही। फिर (रात के

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِيِّ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ " صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ " . يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرْتَفِعَةٌ بِيضَاءَ نَقِيَّةٍ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَعْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمَ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ

खत्म होने पर) फ़ज्र के तुलूअ होने पर उन्हें हुक्म दिया और उन्होंने (फ़ज्र की अज़ान कहने के बाद) फ़ज्र के लिये इक्रामत कही। फिर जब दूसरा दिन आया तो आपने जुहर की नमाज़ को ठण्डे वक़्त में क़ायम करने का हुक्म दिया। तो उन्होंने उसे ठण्डा किया और ख़ूब ठण्डा किया और अ़सर की नमाज़ पढ़ी जबकि सूरज बुलंद था लेकिन पहले दिन से ज़्यादा ताख़ीर की और मग़िब की नमाज़ शफ़क़ (सुर्खी) के गुरूब होने से पहले पढ़ी और इशा की नमाज़ तिहाई रात गुज़रने के बाद पढ़ी और फ़ज्र की नमाज़ रोशनी फैलने पर पढ़ी। फिर आपने फ़रमाया, 'नमाज़ के औक़ात के बारे में सवाल करने वाला कहाँ है?' तो उस आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया, 'तुम्हारी नमाज़ों का वक़्त इसके दरम्यान है जो तुमने देखा।'

(तिर्मिज़ी : 152, नसाई : 1/258, इब्ने माजह : 667)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अबरद : ठण्डे वक़्त में दाख़िल किया। (2) अन्अम अन्युबरिद : उसको ख़ूब ठण्डा किया।

फ़ायदा : साइल को नमाज़ के वक़्तों की इब्तिदा और इन्तिहा, अब्वल व आख़िर समझाने के लिये आपने ज़बानी तालीम व तफ़हीम के बजाय अमल करके दिखाया। इसलिये आपने उसे फ़रमाया, आज और कल दो दिन हमारे साथ पाँचों नमाज़ों में शरीक हो। फिर आपने पहले दिन, हर नमाज़ अब्वल वक़्त में अदा फ़रमाई और दूसरे दिन जाइज़ हद तक मुअख़़र किया और उसके बाद उसे फ़रमाया, नमाज़ों को इन औक़ात के अंदर पढ़ो, जिनमें तुमने हमें नमाज़ पढ़ते देखा है और दूसरे दिन भी आपने नमाज़ वक़्ते मुस्तहब पर पढ़ी है।

مُرْتَفِعَةً أُخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى
 الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى
 الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى
 الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ
 وَقْتِ الصَّلَاةِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ . قَالَ " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا
 رَأَيْتُمْ " .

(1392) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे नमाज़ों के औक़ात के बारे में सवाल किया? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ों में हमारे साथ हाज़िर हो।' आपने बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया। उसने ग़लस (अन्धेरे) में अज़ान कही, जब फ़ज्र तुलूअ हुई तो आपने नमाज़ पढ़ाई। जब सूरज आसमान के दरम्यान से मरिब की तरफ़ ढल गया तो उसे जुहर के बारे में हुक्म दिया। सूरज अभी बुलंद ही था कि उसे असर के बारे में हुक्म दिया। फिर जब सूरज गुरुब हो गया तो उसे मरिब के बारे में हुक्म दिया। फिर जब शफ़क़ गुरुब हो गया तो उसे इशा के बारे में हुक्म दिया। फिर अगले दिन हुक्म दिया तो उसने सुबह को रोशन किया। फिर उसे जुहर के बारे में हुक्म दिया, उसने उसको ठण्डा किया। फिर उसे असर के बारे में हुक्म दिया जबकि सूरज अभी सफ़ेद और साफ़ था, उसमें ज़र्दी की आमेज़िश नहीं हुई थी (धूप अभी ज़र्द नहीं हुई थी) फिर उसे शफ़क़ के गुरुब से पहले मरिब के बारे में हुक्म दिया। फिर उसे तिहाई रात के गुज़रने या क़द्रे कम वक़्त पर इशा के बारे में हुक्म दिया (शक़ हरमी को है) जब सुबह हुई तो आपने पूछा, 'सवाल करने वाला कहाँ है? जो तुमने देखा, नमाज़ों का वक़्त इसके दरम्यान है।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ग़लस : रात की आखिरी तारीकी, जबकि सुबह की सफ़ेदी शुरू हो चुकी हो। (2) वजबतिशाम्स : सूरज गुरुब हो गया। (3) वक़अशशफ़क़ : शफ़क़ गुरुब हो गया। (4) नव्वरा बिस्सुब्ह : सुबह को रोशन किया, रोशनी फैलने पर नमाज़ पढ़ाई।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرَعَةَ
السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ
الصَّلَاةِ فَقَالَ " اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ " .
فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بَعَثَ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ
طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ
الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ
وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ
وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ
الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ الْعَدَّ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ
بِئِضَاءِ نَقِيَّةٍ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ
بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ -
شَكَ حَرَمِيُّ - فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " أَيُّنَ السَّائِلُ
مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتُ " .

(1393) हज़रत अबू बकर बिन अबी मूसा (रह.) अपने बाप से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक साइल नमाज़ों के औकात पूछने के लिये हाज़िर हुआ? तो आपने उसे ज़बानी कोई जवाब नहीं दिया। फ़ज्र फूटने पर आपने फ़ज्र की नमाज़ खड़ी की, जबकि लोग (तारीकी की बिना पर) एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। फिर जब सूरज ढल गया तो आपने उसे जुहर खड़ी करने का हुक्म दिया। कहने वाला कह रहा था आधा दिन गुज़र गया है और आप उसको उनसे ज़्यादा जानते थे। सूरज अभी बुलंद था कि आपने उसे असर का हुक्म दिया और असर की नमाज़ अदा की। फिर जब शफ़क़ गुरुब हो गया तो उसे हुक्म दिया और इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर अगले दिन फ़ज्र में तारख़ीर की और कहने वाला कह रहा था सूरज निकल आया या निकलने को है। फिर जुहर को मुअख़्खर (लेट) किया यहाँ तक कि गुज़िशता कल की असर के करीब वक़्त हो गया। फिर असर को मुअख़्खर किया यहाँ तक कि सलाम फेरा तो कहने वाला कह रहा था आफ़ताब सुर्ख हो गया। फिर मग़िब को मुअख़्खर किया यहाँ तक कि शफ़क़ गुरुब होने के करीब हो गया। फिर इशा को मुअख़्खर किया यहाँ तक कि रात का पहला तिहाई हो गया। फिर सुबह हुई तो आपने साइल को बुलवाया और फ़रमाया, 'नमाज़ का वक़्त इन दोनों वक़्त के दरम्यान है।'

(अबू दारूद : 396, नसाई : 1/260)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُدِّ عَلَيْهِ شَيْئًا - قَالَ - فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ " الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ "

(1394) हज़रत अबू बकर बिन अबी मूसा (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक साइल नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपसे नमाज़ों के औक़ात के बारे में सवाल किया? फिर मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान की। हौं ये कहा कि आपने दूसरे दिन मरिब की नमाज़ शफ़क़ के गुरूब होने से पहले पढ़ी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَائِلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي .

बाब 33 : शदीद गर्मी में (जबकि रास्ते में गर्मी हो, जमाअत के लिये जाने वालों के लिये) जुहर ठण्डे वक़्त में पढ़ना बेहतर है

باب استِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ

(1395) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत, दोज़ख़ की भाप या आतिशे दोज़ख़ के जोश से है।' (अबू दाऊद : 402, तिर्मिज़ी : 157, नसाई : 1/248, इब्ने माजह : 678)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

मुफ़रदातुल हदीस : फ़ैहि जहन्नम : जहन्नम की गर्मी का इन्तिशार व फेलाव और उसका जोश।

फ़ायदा : मौलाना मन्ज़ूर अहमद नोमानी (रह.) ने लिखा है, दुनिया में हम जो कुछ देखते और महसूस करते हैं उसके कुछ तो ज़ाहिरी अस्बाब होते हैं जिन्हें हम खुद भी समझते और जानते हैं और कुछ बातिनी अस्बाब होते हैं। जो हमारे एहसास व इद्राक की दस्तरस से बाहर होते हैं। अम्बिया (अलै.) कभी-कभी उनकी तरफ़ इशारे फ़रमाते हैं। इस हदीस में जो ये फ़रमाया गया है कि गर्मी की

शिद्दत आतिशे दोज़ख के जोश से है, ये इसी कबील की चीज़ है। गर्मी की शिद्दत का जाहिरी सबब तो आफ़ताब है और इस बात को हर शख्स समझता है और कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता। लेकिन आलमे बातिनी और आलमे ग़ैब में इसका तअल्लुक जहन्नम की आग से भी है और ये उन हकाइक में से है जो अम्बिया (अलै.) ही के ज़रिये मालूम हो सकते हैं।

(1396) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ .

(1397) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब गर्म दिन हो तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में ले जाओ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आतिशे दोज़ख के जोश की वजह से है।' अम्र ने कहा, मुझे अबू यनुस ने अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ को ठण्डे वक़्त तक मुअख़्खर करो क्योंकि गर्मी की सख़्ती जहन्नम की गर्मी के इन्तिशार की बिना पर है।' अम्र ने कहा, मुझे इब्ने शिहाब ने इब्ने मुसय्यब और अबू सलमा से अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत ऊपर के मफ़हूम वाली सुनाई।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ بَكْرِيًّا، حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسَلْمَانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " . قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " . قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ .

(1398) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये गर्मी आतिशे दोज़ख़ के जोश से है, इसलिये नमाज़ ठण्डे वक़्त पर पढ़ा करो।'

(1399) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ के लिये गर्मी को ठण्डे वक़्त में ले जाओ क्योंकि गर्मी की शिहत जहन्नम की आग के जोश की बिना पर है।'

(1400) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने जुहर की अज़ान देना चाही तो आपने फ़रमाया, 'ठण्डा वक़्त होने दो, ठण्डा वक़्त होने दो।' या आपने फ़रमाया, 'इन्तिज़ार करो, इन्तिज़ार करो।' और फ़रमाया, 'गर्मी की शिहत जहन्नम की भाप के सबब से है, इसलिये जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो।' अबू ज़र (रज़ि.) का क़ौल है, यहाँ तक कि हमने टीलों का साया देखा।

(सहीह बुख़ारी : 535, 539, 629, 3258, अबू दाऊद : 401, तिर्मिज़ी : 158)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ،
عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ
هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا
أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي
الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا
الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ،
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَدْنَى مُؤَدِّنِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْرِدْ أَبْرِدْ " . أَوْ
قَالَ " انْتَظِرْ انْتَظِرْ " . وَقَالَ " إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ
مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ
الصَّلَاةِ " . قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَيءَ
التُّلُولِ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़ेर : सूरज ढलने के बाद के साये को फ़ेर कहते हैं। (2) तुलूल : मिट्टी या रेत का टीला।

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस का मक़सद ये है कि जिस मौसम में जहाँ निस्फुत्रहार के वक़्त सख़्त गर्मी हो और गर्मी की शिद्दत की वजह से फ़िज़ा जहन्नम बन रही हो तो जुहर की नमाज़ ताख़ीर करके ऐसे वक़्त पढ़ी जाये जब गर्मी की शिद्दत टूट जाये और वक़्त कुछ ठण्डा हो जाये और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। इमाम शाफ़ेई इसको जमाअत के लिये दूर से आने वालों के लिये मानते हैं, इसके मुताबिक़ इमाम नववी ने बाब कायम किया है लेकिन ये तावील दुस्त नहीं है और अबू ज़र (रज़ि.) की हदीस से मालूम होता है कि इब्राद इतना होना चाहिये कि दीवारों का साया इस क़द्र हो जाये कि इसमें आना जाना मुम्किन हो ये मक़सद नहीं है गर्मी ख़त्म हो जाये और ज़मीन ठण्डी हो जाये क्योंकि अगर ये मक़सद होता तो सहाबा किराम (रज़ि.) को सज़्दा करने के लिये ज़मीन पर कपड़ा बिछाने की ज़रूरत पेश न आती और सहाबा किराम को गर्मी की शिकायत करने की ज़रूरत लाहिक़ न होती।

(1401) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आग (दोज़ख़) ने अपने आक्रा के हुज़ूर शिकायत की और कहा, ऐ मेरे रब! मेरे कुछ हिस्से ने कुछ हिस्से को खा लिया। तो उसको दो साँस लेने की इजाज़त दे दी गई या अल्लाह ने इजाज़त दे दी। एक साँस सर्दी में और एक साँस गर्मी में, गर्मी और सर्दी में जो तुम गर्मी और सर्दी की शिद्दत महसूस करते हो वो इसी का नतीजा है।'

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، -
وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " -
اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَيَّ رَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلْ
بَعْضِي بَعْضًا . فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي
الشَّيْءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهَوَّ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ
مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الرَّمْهِيرِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ज़महरीर : शदीद सर्दी। (2) नफ़स : साँस।

फ़ायदा : दोज़ख़ को कुव्वते इदराक व शऊर और कुव्वते तकल्लुम व गोयाई हासिल है और अल्लाह तआला उसकी ज़बान को समझता है। इसलिये दोज़ख़ ने शिकायत ज़बाने काल से की, महज़ ज़बाने हाल से नहीं। जहन्नम का गर्म तबक़ा गर्मी में साँस लेकर गर्मी में शिद्दत का बातिनी सबब बनता है और सर्द तबक़ा सर्दी में साँस लेकर, सर्दी बढ़ाता है और अल्लाह तआला इंसानों को सहूलत व आसानी के लिये ऐसे ज़ाहिरी अस्बाब पैदा करता रहता है कि गर्मी व सर्दी की शिद्दत में कमी व बेशी वक़तन-फ़वक़तन होती रहती है।

(1402) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब गर्मी हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से है और आपने बताया, 'आग ने अपने रब के हुज़ूर शिकायत की तो उसने उसे साल में दो साँस लेने की इजाज़त दे दी। एक साँस सर्दी में और एक साँस गर्मी में।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .
وَذَكَرَ " أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأُذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ " .

(1403) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आग ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब! मेरे कुछ ने कुछ को खा लिया तो मुझे साँस लेने की इजाज़त मरहमत फ़रमाइये। तो अल्लाह तआला ने उसे दो साँस लेने की इजाज़त दे दी। एक साँस सर्दी में और एक साँस गर्मी में तो तुम जो सर्दी या ठण्ड की शिद्दत पाते हो वो जहन्नम की साँस से है और जो तुम गर्मी या गर्मी की शिद्दत पाते हो तो वो जहन्नम की साँस से है।'

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " قَالَتِ النَّارُ رَبِّ أَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأُذِنَ لِي أَنْتَنَفَسَ . فَأُذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنَّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ خَرُورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنَّمَ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ज़महरीर : सर्दी की शिद्दत। (2) हरूर : गर्मी की तेज़ी, हिद्दत।

फ़ायदा : ये गर्म और सर्द साँस अपने इलाकों की तरफ़ फैलती है जिनका रब्बुज़ार हुक्म देता है इसलिये हर जगह और मुल्क में गर्मी व सर्दी का मौसम बराबर नहीं है।

बाब 34 : गर्मी की शिहत न हो तो जुहर अक्वले वक़्त पढ़ाना बेहतर है

باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

(1404) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे।

(अबू दाऊद : 806, नसाई : 2/166, इब्ने माजह : 673)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَخَصَتِ الشَّمْسُ .

(1405) हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गर्मी में नमाज़ अदा करने की शिकायत की तो आपने हमारी शिकायत का इज़ाला न फ़रमाया।

(नसाई : 1/247)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

मुफ़रदातुल हदीस : अरमज़ा : गर्म रेत। हरुरे रमज़ा : गर्म रेत की तपिश।

(1406) हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर गर्मी की शिहत व तेज़ी की शिकायत की तो आपने हमारी शिकायत को दूर न फ़रमाया। जुहैर कहते हैं, मैंने अबू इस्हाक़ से पूछा, क्या जुहर की

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ، - قَالَ عَوْنُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ أَتَيْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ

नमाज़ की शिकायत की थी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या जल्द नमाज़ पढ़ने की, उसने कहा, हाँ।

الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ أَبِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَبِي تَعَجَّلِيهَا قَالَ نَعَمْ .

(1407) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हम गर्मी की शिदत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। जब हममें से कोई अपनी पेशानी जमीन पर न रख सकता तो अपना कपड़ा फैला कर उस पर सज्दा कर लेता।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

(सहीह बुखारी:385, 542, 1208, अबू दाऊद : 660, तिर्मिज़ी : 584, नसाई : 2/216, इब्ने माजह : 1033)

फ़वाइद : (1) हज़रत ख़ब्बाब और हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायात से मालूम होता है कि आप गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ताखीर नहीं करते कि गर्मी ख़त्म हो जाये। इसलिये ख़ब्बाब (रज़ि.) ने कहा, आपने हमारी शिकायत का इज़ाला नहीं फ़रमाया। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, कुछ सज्दे कपड़े पर करते थे। (2) इमाम शाफ़ेई और इमाम मालिक (रह.) पहने हुए कपड़े पर सज्दा करना दुरुस्त नहीं समझते। इमाम अहमद (रह.) से जवाज़ और अदमे जवाज़ दोनों मन्कूल हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जाइज़ है। (3) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि आप जुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे। गोया आप नमाज़ अब्वले वक़्त पर पढ़ते थे। हाँ गर्मियों में जुहर मुअख़्खर कर लेते थे। इसलिये इमाम शाफ़ेई, इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक नमाज़ अब्वल वक़्त पर पढ़ना मुस्तहब है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मग़िब के सिवा, हर नमाज़ ताखीर से पढ़ना बेहतर है। (4) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और साहिबैन (इमाम अबू यूसुफ़ इमाम मुह्य नद) के नज़दीक जुहर का वक़्त ज़वाले आफ़ताब से लेकर साया बराबर होने तक है। जिसको एक मिस्ल कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दो मिस्ल तक है।

बाब 35 : असर अब्वल वक़्त में पढ़ना बेहतर है

باب استِحْبَابِ التَّبَكِيرِ بِالْعَصْرِ

(1408) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) असर की नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि सूरज बुलंद और ज़िन्दा होता था। पस अवाली की तरफ़ जाने वाला (असर पढ़कर) चलता था तो वो अवाली ऐसे वक़्त में पहुँच जाता था कि आफ़ताब अभी बुलंद होता था और कुतैबा (रज़ि.) ने अवाली पहुँचने का ज़िक्र नहीं किया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي .

(अबू दाऊद : 404, नसाई : 506, इब्ने माजह : 682)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अश्शम्सु हय्यतुन : सूरज ज़िन्दा होता था यानी उसकी रंगत ज़दी या सुखी माइल नहीं होती थी। अभी उसमें गर्मी और तपिश मौजूद होती थी। (2) अवाली : मदीना की नजद की तरफ़ वाली आबादियाँ बुलंद सतह पर वाक़ेअ थीं, इसलिये उनको अवाली कहते थे। करीब त्रीन आबादियाँ दो या तीन मील के फ़ासले पर वाक़ेअ थीं और दूर वाक़ेअ आबादियाँ छः से आठ मील के फ़ासले पर थीं।

(1409) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سِوَاءٍ .

(1410) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि हम असर की नमाज़ पढ़ते थे। फिर कुबा जाने वाला जाता और वहाँ उस वक़्त पहुँचता जबकि आफ़ताब अभी बुलंद होता था।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

(सहीह बुखारी : 548, नसाई : 1/252)

फ़ायदा : कुबा : मदीना से तीन मील के फ़ासले पर वाक़ेअ है।

(1411) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हम असर की नमाज़ पढ़ते, फिर इंसान बनू अमर बिन औफ़ के मुहल्ले की तरफ़ जाता तो वो उन्हें असर की नमाज़ पढ़ते हुए पाता।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

बनू अमर बिन औफ़ के मुहल्ले का फ़ासला तीन मील है और बनू अमर बिन औफ़ के लोग कुबा में रहते थे।

फ़ायदा : इस हदीस और मज़कूरा बाला रिवायात से साबित होता है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़े असर बहुत जल्द पढ़ी जाती थी।

(1412) हज़रत अता बिन अब्दुरहमान बयान करते हैं कि मैं हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के पास बसरा में उनके घर नमाज़े जुहर से फ़ारिग़ होकर गया और उनका घर मस्जिद के पहलू में था। जब हम उनकी खिदमत में पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने असर की नमाज़ पढ़ ली है? तो हमने उनसे अर्ज़ किया, हम तो अभी जुहर की नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, तो असर पढ़ लो। हमने उठकर असर की नमाज़ पढ़ ली। जब हम नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है कि 'ये मुनाफ़िक़ वाली नमाज़ है कि आदमी बैठा हुआ आफ़ताब का इन्तिज़ार करता रहे, यहाँ तक कि (जब वो ज़र्द पड़ जाये) शैतान के दो सींगों के दरम्यान हो जाता है तो खड़्ग होकर चार ठोंगे मारता है और अल्लाह को बहुत ही थोड़ा याद करता है।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَقَتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ . قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ . فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَفَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا " .

फ़वाइद : (1) असर की नमाज़ बिला किसी उज़र और मजबूरी के इतनी मुअख़्खर करना कि आफ़ताब गुरुब होने के करीब पहुँच जाये और उस आख़िरी और तंग वक़्त में मुर्ग की ठोंगों की तरह जल्दी-जल्दी चार रकअतें पढ़ना, जिनमें अल्लाह के ज़िक्र की मिक्दार भी बहुत कम और बराए नाम हो। एक मुनाफ़िक़ाना तर्ज़े अमल है। मोमिन को हर नमाज़ खास कर असर की नमाज़ अपने सहीह वक़्त पर इन्तिहाई तमानियत और तअदील के साथ पढ़नी चाहिये। जल्दी-जल्दी रुकूअ और सज्दा करना तो मुर्ग की ठोंगों की तरह ऊपर नीचे होना है। (2) हज़रत अनस (रज़ि.) के दौर में बनू उमय्या के कुछ गवर्नर असर की नमाज़ बहुत ताख़ीर से पढ़ते थे और हज़रत अनस (रज़ि.) उनके इस तर्ज़े अमल को ग़लत और ख़िलाफ़े सुन्नत समझते थे। इसलिये उन्होंने अपने पास आने वालों को नमाज़े असर पढ़ लेने के लिये कहा और बाद में उन्हें ये हदीस सुनाई और वो खुद भी असर की नमाज़ घर पर जल्द पढ़ लेते थे। जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है।

(1413) हज़रत अबू उमामा बिन सह्ल (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने जुहर की नमाज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ पढ़ी। फिर हम निकलकर अनस बिन मालिक (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो हमने उन्हें असर की नमाज़ पढ़ते हुए पाया। तो मैंने पूछा, ऐ चाचा! ये आपने कौनसी नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने जवाब दिया, असर की और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ है जो हम आपके साथ पढ़ा करते थे।

(सहीह बुख़ारी : 549, नसाई : 1/253)

(1414) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई तो जब आप फ़ारिग़ हुए तो आपके पास बनू सलमा का एक आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपना ऊँट नहर (कुर्बान) करना चाहते हैं और हमारी चाहत है आप इस मौक़े

وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ، بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الطُّهْرَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نَصَلِّي مَعَهُ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، - وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَابِرَةٌ - قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ

पर मौजूद हों। आपने फ़रमाया, 'अच्छा!' आप चले और हम भी साथ हो गये तो हमने देखा कि ऊँट अभी नहर नहीं किया गया था तो उसे नहर किया गया। फिर उसका गोश्त काटा गया। फिर उससे कुछ पकाया गया। हमने सूरज गुरूब होने से पहले खा लिया।

الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَهُ عَنْ حُفْصِ بْنِ عُيَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمْةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَخَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نَحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا . قَالَ " نَعَمْ " . فَأُتِلَقَ وَأُتِلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تَنْخَرْ فَتَنْخَرْتُمْ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيَبَ الشَّمْسُ . وَقَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

फ़ायदा : बन् सलमा, मस्जिदे नबवी से कुछ फ़ासले पर है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गये, आपके जाने के बाद ऊँट ज़िबह किया गया। फिर उसका गोश्त काटा गया उसके बाद उसको पकाकर मग़्िब से पहले-पहले खा लिया गया। ये इस बात की सरीह दलील है कि आप अ़सर की नमाज़ वक़्त होते ही पढ़ लेते थे और वो वक़्त मिसल अव्वल था। क्योंकि नमाज़ पढ़कर अ़वाली में ऐसे वक़्त पहुँचना कि आफ़ताब अभी बुलंद हो, इसके बग़ैर मुम्किन नहीं। इसी तरह ऊँट कुर्बान करके उसका गोश्त पकाकर शाम से पहले खाना जल्द नमाज़ पढ़े बग़ैर मुम्किन नहीं।

(1415) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े अ़सर पढ़ते, फिर ऊँट नहर करके उसके दस हिस्से बनाये जाते फिर उसे पकाया जाता और हम पकाया हुआ गोश्त सूरज के गुरूब होने से पहले खा लेते।
(सहीह बुखारी : 2485)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَنْخَرُ الْجَزُورُ فَتَقْسَمُ عَشْرَ قِسْمٍ ثُمَّ تُطْبِخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيبًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ .

(1416) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हाँ इतना फ़र्क है कि उसने कहा, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में असर के बाद ऊँट कुर्बान करते थे। ये नहीं कहा कि हम नमाज़ में आप (ﷺ) के साथ होते थे।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عيسى بْنُ يونسَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمَشْقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنَحِرُ الْجُرُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ . وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ .

बाब 36 : नमाज़े असर फ़ौत करने पर तग़लीज़ व शिद्दत

باب التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

(1417) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख्स की नमाज़े असर फ़ौत हो गई गोया उसका अहल व माल हलाक हो गया।' (सहीह बुख़ारी : 552, अबू दाऊद : 414)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **वुतिर अह्लुह व मालुह** : अहल और माल के लाम पर नसब और रफ़अ (ज़बर, पेश) दोनों आ सकते हैं। अक्सर अहल व माल को मफ़ऊले स़ानी मानते हैं क्योंकि वुतिर के दो मफ़ऊल आते हैं। कुरआन मजीद 'लंय्युतरकुम अअमालुकुम' मानी होगा सल्ब कर लेना कि उससे उसका अहल व माल छीन लिये गये और बकौल इब्ने अब्दुल बर (रह.) छीन भी इस तरह लिये गये कि उससे बदला और इन्तिक़ाम लेने की ज़रूरत है। इस तरह उसे दोहरा ग़म लाहिक है अहल और माल से महरूम और बदला और इन्तिक़ाम लेने की सूरत व हीले की फ़िक्र व तलाश और अगर अहल व माल को नाइब फ़ाइल बनाकर मरफूअ पढ़ें तो मानी होगा उसका अहल व माल तबाह हो गया। (2) **तफूतुहुल असर** : उलमा ने असर के फ़ौत हो जाने के अलग-अलग मानी मुराद लिये हैं : (1) असर का वक़्त निकल गया (2) सूरज की रंगत बदल गई। (3) वक़्ते मुख़्तार निकल गया (4) असर की जमाअत रह गई। असर की नमाज़ की तख़सीस इसलिये है कि ये कारोबार और ख़रीदो-फ़रोख़्त में मशग़ूलियत का वक़्त है और इंसान दुनियावी कारोबार को तरजीह देते हुए इस नमाज़ से सुस्ती का मुजाहि़रा करता है और ये अपने अहलो-अयाल की ख़ातिर करता है। इसलिये फ़रमाया ये हरकत जिनकी ख़ातिर कर रहा है तो ये दरहक़ीक़त इन दोनों की ख़ैर व बरक़त से महरूम हो रहा है।

(1418) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(नसाई : 1/255, इब्ने माजह : 685)

(1419) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख्स की असर की नमाज़ फ़ौत हो गई तो गोया वो अपने अहल और माल से महरूम हो गया।'

(1420) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज्व-ए-अहज़ाब के दिन फ़रमाया, 'अल्लाह तआला उनकी क़ब्रों और घरों को आग से भर दे, जिस तरह उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ से (जंग में) मशगूल करके रोका, यहाँ तक कि सूरज गुरुब हो गया।'

(सहीह बुखारी : 2931, 4111, 4533, 6396, अबू दाऊद : 409, तिर्मिज़ी : 2984, नसाई : 1/236)

(1421) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ عَمْرُو يَتْلُغُ بِهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَفَعَهُ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ هِشَامٍ، عَنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَيْدَةَ، عَنِ عَلِيِّ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَسَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

नोट : हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत का तअल्लुक आने वाले बाब से है, पाकिस्तानी नुस्खों में इसको अगले बाब के तहत ही दर्ज किया गया है। मालूम नहीं अल्लामा मुहम्मद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी के नुस्खे में ये ग़लती कैसे हो गई।

37 : इस बात की दलील कि सलाते वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मुराद असर की नमाज़ है

باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

(1422) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-अहज़ाब के वक़्त फ़रमाया, 'उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज गुरुब हो गया। अल्लाह तआला उनकी क़ब्रों को या घरों को या पेटों को आग से भर दे (घरों और पेटों के बारे में शोबा को शुब्हा लाहिक़ हुआ)।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ " شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آتَتْ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بِيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ ". شَكَ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ

मुफ़रदातुल हदीस : आयतुशशम्स : सूरज अपनी जगह लौट आया, यानी गुरुब हो गया।

(1423) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें बग़ैर शक के बुयूतहुम व कुबूरहुम (उनके घरों और क़ब्रों को) आया है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ " بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ ". وَلَمْ يَشْكُ .

(1424) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-अहज़ाब के दिन, जबकि आप ख़न्दक के दरों में से किसी दरें पर तशरीफ़ फ़रमा थे फ़रमाया, 'उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। अल्लाह तआला उनकी क़ब्रों और घरों को (या फ़रमाया, उनकी क़ब्रों और पेटों को) आग से भर दे।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْصَةٍ مِنْ

فَرَضَ الْخَنْدَقِ " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُوتَهُمْ - أَوْ قَالَ قُبُورَهُمْ وَيُطُونَهُمْ - نَارًا .

(1425) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहज़ाब के दिन फ़रमाया, 'उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ असर की नमाज़ से मशगूल रखा, अल्लाह तआला उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे।' फिर आपने उसे दोनों रात की नमाज़ों मग़िब और इशा के दरम्यान पढ़ा।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنِ شُتَيْبِ بْنِ شَكْلِ، عَنِ عَلِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ يَبُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا . ثُمَّ صَلَاةَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(1426) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि मुशिकों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को असर की नमाज़ से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज सुर्ख़ या ज़र्द हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़, असर की नमाज़ से मशगूल रखा, अल्लाह तआला उनके पेटों और क़ब्रों को आग से भरे दे।' या फ़रमाया, मल्लअल्लाह की बजाए हशल्लाहु अज्वाफ़हुम व कुबूरहुम नारा। फ़रमाया, मल्लअ और हशा दोनों का मानी भरना है, अज्वाफ़ और बुतून पेटों को कहते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ، عَنِ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اخْمَرَتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَأَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا . " أَوْ قَالَ " حَشَا اللَّهُ أَجْوَأَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا . "

फ़वाइद : (1) हज़रत अली (रज़ि.) की हदीस से नमाज़ के साथ नबी (ﷺ) के शग़फ़ और शौक़ का इज़हार होता है कि आपको इसके ताख़ीर से पढ़ने का इतना रंज और क्लक़ हुआ कि आपने उसका बाइस बनने वाले मुशिकों के ख़िलाफ़ बहुआ की। हालांकि आपने ताइफ़ की वादियों में पैग़ामे तौहीद सुनाने पर लहू-लुहान करने, दिल आज़ार बातें कहने और गुण्डों और बदमाशों के आवाज़ें कसने पर, उनके ख़िलाफ़ बहुआ नहीं की थी। इस तरह मुशिकों के हर किस्म के जुल्म व सितम रवा रखने पर उनके ख़िलाफ़ बद दुआ नहीं की। लेकिन ग़ज़व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर नमाज़ का वक़्त निकल जाने पर आपका पैमान ए सन्न लबरेज़ हो गया। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? बिला वजह और बिला उज़र नमाज़ें छोड़ देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। (2) ग़ज़व-ए-ख़न्दक़ तक नमाज़े ख़ौफ़ (जंग की नमाज़) का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिये आपने जंग वाली नमाज़ नहीं पढ़ी थी और इन अहादीस से ये भी साबित हुआ कि सलातुल वुस्ता (बीच की नमाज़) से मुराद नमाज़े असर है।

(1427) हज़रत आइशा (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम अबू यूनुस की रिवायत है कि मुझे आइशा (रज़ि.) ने अपने लिये कुरआन मजीद लिखने का हुक्म दिया और फ़रमाया, जब तुम इस आयत 'हाफ़िज़ अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता' (सूरह बकरह : 238) 'नमाज़ों की निगेहदाश्त करो, ख़ास कर दरम्यानी नमाज़ की' तो मुझे इत्तिलाअ करना। तो जब मैं इस आयत पर पहुँचा तो उन्हें आगाह किया तो उन्होंने मुझे लिखवाया, हाफ़िज़ अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ततुल असर व क़ूम लिल्लाहि क़ानितीन (नमाज़ों का एहतिमाम व हिफ़ाज़त करो, ख़ास कर दरम्यानी नमाज़ यानी नमाज़े असर का और अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ाना अन्दाज़ से खड़े हो) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, मैंने इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसे ही सुना है।

(अबू दाऊद : 410, तिर्मिज़ी : 2982, नसाई : 471)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَدْنَيْتُهَا فَأَمَلْتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ . وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1428) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि ये आयत, हाफ़िज़ अलस्सलवाति वस्सलातिल असर नाज़िल हुई। जब तक अल्लाह तआला को मन्ज़ूर हुआ, हमने इस तरह पढ़ा। फिर अल्लाह तआला ने इसको बदल दिया और आयत इस तरह उतरी, हाफ़िज़ अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता तो एक इंसान जो शक़ीक़ के पास बैठा हुआ था, उसने उनसे पूछा, तो फिर इससे मुराद असर की नमाज़ है। तो हज़रत बराअ (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आयत कैसे उतरी और अल्लाह तआला ने कैसे इसे बदल दिया। असल हकीक़त अल्लाह ही ख़ूब जानता है।

(1429) इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, यही रिवायत अश्जई ने सुफ़ियान स़ौरी के वास्ते से अस्वद बिन क़ैस की शक़ीक़ बिन इक्रबा से बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से सुनाई। उन्होंने कहा, हम एक अरसा तक नबी (ﷺ) के साथ पढ़ते रहे। जैसाकि फुज़ैल बिन मरज़ूक की हदीस है।

फ़ायदा : इस आयते मुबारका में सलातुल असर का लफ़्ज़ बतौर तफ़्सीर था। इसलिये उन्होंने (आइशा रज़ि. ने) इसको अपने मुस्हफ़ में लिखवाया और नबी (ﷺ) ने तालीम के वक़्त इसको सहाबा किराम (रज़ि.) को बताया। इसलिये जब मुस्हफ़े इमाम लिखवाया गया, जिसके मुताबिक़ दूसरे मुस्हफ़ तैयार होते थे तो ये लफ़्ज़ नहीं लिखा गया। बाक़ी रहा ये मसला कि हदीस ख़बरे वाहिद है और कुरआन मजीद तवातुर से साबित होता है तो इसका जवाब ये है कि इसका कुरआन होना जिस हदीस से मालूम होता है उसी से इसका मन्सूख़ होना साबित होता है। अब ये कुरआन है ही नहीं कि इसके लिये तवातुर शर्त हो। उस आयत के लिये मुतवातिर होना शर्त है, जो कुरआन में मौजूद हो, इसलिये जिन्होंने इसको कुरआन समझा था, उन्होंने इस तफ़्सीर को मन्सूख़ भी समझा और जिन्होंने इसको कुरआन नहीं समझा बल्कि

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ . فَقَرَأَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَتَرَلْتُ { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى } فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ هِيَ إِذَا صَلَاةُ الْعَصْرِ . فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَرَأَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا . بِمِثْلِ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ .

तफ़सीर समझा, उन्होंने अपने ज़ाती मुस्हफ़ में अपनी याद्दाश्त के लिये इसको लिखा। बहरहाल तमाम अहादीसे मज़कूर से ये बात साबित हो रही है कि सलाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज़ है। इसलिये यही सहीह और राजेह क़ौल है और इसके अलावा अक्वाल दुरुस्त नहीं हैं। अगरचे नमाज़ें पाँच हैं, इसलिये हर नमाज़ को दरम्यान में रखकर इसको दरम्यानी नमाज़ का नाम दिया जा सकता है और दिया भी गया है। यहाँ तक कि अत्फ़ को मुगायिरत के लिये मान कर पाँच नमाज़ों के सिवा जुम्आ को भी दरम्यानी नमाज़ का नाम दिया गया है और हर क़ौल के लिये कोई न कोई सबब बयान किया गया है।

(1430) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि ख़न्दक़ के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कुरैशी काफ़ि़रों को बुरा-भला कहने लगे और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैं असर की नमाज़ नहीं पढ़ सका यहाँ तक कि सूरज गुरुब होने को है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो अल्लाह की क़सम! मैंने भी नहीं पढ़ी।' फिर हम वादी बतहान में उतरे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया और हमने भी वुज़ू किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज के गुरुब हो जाने के बाद असर की नमाज़ पढ़ी फिर उसके बाद मग़ि़ब की नमाज़ अदा की।

(सहीह बुखारी : 596, 598, 641, 945, 4112, तिर्मिज़ी : 2180, नसाई : 3/84)

(1431) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، - قَالَ أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخُنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتَهَا " . فَتَرَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर उज़्र और मजबूरी की बिना पर कुछ नमाज़ें रह जायें तो उनकी क़ज़ा तर्तीब से दी जायेगी।

बाब 38 : सुबह और असर की नमाज़ की फ़ज़ीलत और उनकी निगेहदाश्त (पाबंदी)

(1432) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे पास फ़रिश्ते रात और दिन के वक़्त बारी, बारी आते हैं और फ़ज्र की नमाज़ और असर की नमाज़ के वक़्त वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जिन्होंने रात गुज़ारी होती है वो ऊपर चले जाते हैं, तो उनसे उनका रब पूछता है, हालांकि वो उनसे ज़्यादा जानता है, तुम मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़कर आये हो? तो वो जवाब देते हैं, हम उनको (सुबह) छोड़कर आये हैं जबकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे और हम उनके पास (असर के वक़्त) पहुँचे थे जबकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(सहीह बुख़ारी : 555, 7429, 7486, नसाई : 1/340)

फ़ायदा : जुम्हूर अरब और अक्सर नहवी, जिनके सरख़ेल इमामुन्नह्व सीबवे हैं का नज़रिया है कि अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो, तसनीया हो या जमा तो फ़ैअल मुफ़रद लायेंगे। इसके साथ तसनीया या जमा की ज़मीर लाना जाइज़ नहीं है लेकिन बन् हारिस बिन कअब के नज़दीक, अलामते तसनीया और जमा लाना जाइज़ है और यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकह उन्हीं के क़ौल के मुताबिक़ है। इसलिये अख़फ़श और उसके हमनवा कुरआन मजीद की आयत व असरुन्नजवल्लज़ीन ज़लमू को भी इस पर महमूल करते हैं कि अल्लज़ीन ज़लमू फ़ाइल ज़ाहिर और असरु फ़ैअल जमा है इसके साथ ज़मीर जमा मौजूद है। इस तरह मलाइका फ़ाइल ज़ाहिर है और यतआक़बून फ़ैअल जमा है। लेकिन सीबवे और उसके हमनवा अल्लज़ीन ज़लमू और मलाइकह को फ़ैअल से मुत्सिल ज़मीर जमा से बदल बनाते हैं, उनको फ़ाइल तस्लीम नहीं करते। लेकिन अगली रिवायत में अल्मलाइकतु यतआक़बून है अल्मलाइकतु

باب فَضْلِ صَلَاتِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " .

मुब्तदा और यतआक्रबू फ़ैअल फ़ाइल है मलाइकह की मुनासिबत से ज़मीरे फ़ाइल जमा लाई गई है।

मुफ़रदानुल हदीस : यतआक्रबून : एक के बाद दूसरे या बारी-बारी आते हैं, एक गिरोह की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे की ज़िम्मेदारी शुरू होती है। दूसरे गिरोह की आमद के बाद पहला गिरोह जाता है। इस तरह फ़रिशतों की ड्यूटी सुबह और असर के वक़्त बदल जाती है। ताकि सुबह के वक़्त वो अल्लाह के बन्दों को नर्म व गर्म बिस्तरों और प्यारी और मीठी नींद को अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ता देख लें और असर के वक़्त फ़िक्रे मआश (माल कमाने की फ़िक्र) और कारोबार को छोड़ता देख लें और सुबह व असर की नमाज़ की इस अहमियत की बिना पर ये बन्दे में दीदारे इलाही की सलाहियत व इस्तिअदाद पैदा करती हैं।

(1433) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिशते तुम्हारे पास एक के बाद एक आते हैं।' (यानी मलाइका का लफ़ज़ यतआक्रबून से पहले है) आगे मज़कूरा बाला रिवायत है।

(1434) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि अचानक आप (ﷺ) ने चौधवीं रात के चाँद की तरफ़ देखकर फ़रमाया, 'हाँ! तुम यकीनन अपने रब को देखोगे, जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो, इसके देखने में तुम्हारा इज़्दहाम (भीड़) नहीं होगा या किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी पस अगर तुम ये कर सको कि सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरुब से पहले की नमाज़ के सिलसिले में मग़लूब न हो (न हारो) यानी असर और फ़ज्र की नमाज़ की पाबंदी करो।' फिर जरीर ने ये आयत पढ़ी, अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकीज़गी बयान कर सूरज निकलने से पहले और उसके गुरुब होने से पहले।' (सूरह ताहा : 130)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ " . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزُّنَادِ .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقَزَّارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " . يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ

(सहीह बुखारी : 554, 573, 4851, 7434, 7435,
7436, अबू दाऊद : 4729, तिर्मिज़ी : 2551, इब्ने
माजह : 177)

جَرِيرٌ] وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .

मुफ़रदातुल हदीस : ला तुज़ाम्मून : अगर इस लफ़्ज़ को ज़म्म से माखूज मानें तो ये बाब तफ़ाड़ल से होगा और त पर ख़त्म होगा और मानी होगा जमा होना, इज़्दहाम करना और अगर इसको ज़ैम से (जुल्म व ज़्यादती) से माखूज मानें तो ये सलासी मुजरद से मुज़ारेअ मजहूल होगा। मक़सद ये है कि जिस तरह चाँद पूरे महीने का हो उसके देखने में इज़्दहाम या धक्कम-पेल नहीं होता या जुल्म व ज़्यादती करके किसी को देखने से महरूम नहीं किया जा सकता। इस तरह हर इंसान अपनी-अपनी जगह अल्लाह तआला के दीदार से मुशरफ़ होगा।

फ़ायदा : (1) इस हदीस में दीदारे इलाही की इस्तिअदाद और लियाक़त पैदा करने या दीदार से तमत्तोअ होने के लिये सिर्फ़ दो नमाज़ों का तज़क़िरा किया गया है। इससे एक तरफ़ तो इन नमाज़ों की फ़ज़ीलत व अहमियत साबित होती है तो दूसरी तरफ़ ये पता चलता है कि इन दोनों नमाज़ों पर हमेशगी और दवाम बाक़ी नमाज़ें अदा करने का बाइस और सबब है। जो उनकी पाबंदी करेगा, यक़ीनन वो बाक़ी नमाज़ों को भी पढ़ेगा। (2) इस हदीस में अल्लाह तआला के दीदार को पूरे चाँद की रूयत (देखना) से तशबीह दी गई है कि जिस तरह हम अपने सर की आँखों से अपनी-अपनी जगह बग़ैर किसी इज़्दहाम और मशक़क़त के माहे कामिल को देख लेते हैं। इसी तरह मुसलमान अपने सर की आँखों से अपनी-अपनी जगह बग़ैर किसी कुल्फ़त व दिक्क़त के अल्लाह के दीदार से लफ़ज़त व फ़रहत हासिल करेंगे। इस तरह हदीस में तशबीह का तअल्लुक सिर्फ़ देखने से है। माहे कामिल को अल्लाह तआला से तशबीह नहीं दी गई।

(1435) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें है, हाँ! तुम यक़ीनन अपने ख के सामने पेश किये जाओगे तो उसे इस तरह देखोगे, जिस तरह इस चाँद को देखते हो। फिर रावी ने क़रअ के बाद जरीर का लफ़्ज़ बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَوَكَيْعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَقَالَ " أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ
فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ " . وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ .
وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرٌ .

(1436) अबू बकर बिन उमारह बिन रुऐबा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ، - قَالَ

'जो सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब से पहले नमाज़ पढ़ता है वो हर्गिज़ आग में दाखिल नहीं होगा। यानी जो फ़ज्र और असर पढ़ता है। तो उनसे एक बसरी आदमी ने पूछा, क्या तूने ये रिवायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने कहा, हाँ! तो उस आदमी ने कहा, मैं शहादत देता हूँ मैंने भी ये रिवायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। मेरे कानों ने इसे सुना और मेरे दिल ने इसको समझ कर याद रखा।

(अबू दाऊद : 427, नसाई : 1/235, 1/241)

(1437) हज़रत अबू बकर बिन इमारह बिन रुएबा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है वो आग में दाखिल नहीं होगा।' और उनके पास एक बसरा का बाशिन्दा था। तो उसने पूछा, क्या आपने नबी (ﷺ) से बराहे रास्त ये हदीस सुनी है? तो उन्होंने कहा, हाँ! मैं इस पर शहादत देता हूँ। उसने कहा, और मैं भी शहादत देता हूँ, मैंने आपसे ऐसी जगह से सुना, जहाँ से मैं इसे सुन सकता था या उस जगह मैंने सुना, जहाँ तूने आप (ﷺ) से सुना था।

أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، - عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَمِسْعَرٍ، وَالْبَحْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " . يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي .

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

(1438) अबू बकर अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दो ठण्डे वक़्त की नमाज़ें पढ़ीं, वो जन्नत में दाख़िल होगा।'

(सहीह बुखारी : 574)

وَحَدَّثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَيْعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

मुफ़रदातुल हदीस : सल्लल बरदैन : फ़ज्र और अ़सर की नमाज़ें ठण्डे वक़्त में होती हैं, इसलिये उनको बरदैन (दो ठण्डी नमाज़ों) से ताबीर कर दिया गया है।

फ़ायदा : इन हदीसों में सिर्फ़ फ़ज्र और अ़सर की नमाज़ की पाबंदी करने पर दोज़ख़ की आग से महफूज़ रहने और जन्नत में दाख़िल होने की बशारत दी गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाक़ी नमाज़ें न भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ये मक़सद है कि इन दो नमाज़ों की पाबंदी और एहतियाम करने वाला यक़ीनन बाक़ी नमाज़ों की भी पाबंदी और हिफ़ाज़त करेगा। इसलिये इनके अलग तज़्किरे की ज़रूरत महसूस नहीं की गई या ये उन लोगों के लिये जन्नत की बशारतें हैं जो उस वक़्त ईमान लाये जबकि अभी पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं हुई थीं।

(1439) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़क़ूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ غَاصِمٍ، قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هَمَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَنَسَبًا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى .

बाब 39 : मग़िब का अव्वल वक़्त
सूरज के ग़रूब होने पर है

باب بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

(1440) हज़रत यज़ीद बिन अबी इबैद की सलमा बिन अब्बअ (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़िब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ग़रूब हो जाता और पदों की ओट में चला जाता।

(सहीह बुखारी : 561, अबू दाऊद : 417, तिर्मिज़ी : 164, इब्ने माजह : 688)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

(1441) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मस्जिद की नमाज़ पढ़कर वापस पलटते तो हममें से कोई भी अपने तीर के गिरने की जगह देख सकता था।

(सहीह बुखारी : 559, इब्ने माजह : 687)

(1442) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूर बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ . يَنْحُوهُ .

फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि नबी (ﷺ) मस्जिद की नमाज़ इमूमन अव्वल वक़्त में ही पढ़ते थे बिला किसी उज़्र और मजबूरी के इसमें ज़्यादा ताख़ीर रवा नहीं रखते थे।

बाब 40 : इशा की नमाज़ का वक़्त और उसमें ताख़ीर

(1443) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मुहतरमा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि किसी रात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़, जिसे अतमह के नाम से पुकारा जाता है, के लिये आने में ताख़ीर कर दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) घर से न निकले यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, (मस्जिद में आने वाली) औरतें और बच्चे सो गये हैं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और निकलकर मस्जिद के हाज़िरीन से फ़रमाया, 'अहले ज़मीन में से तुम्हारे सिवा

باب وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ، وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَهُ مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النُّسَاءُ وَالصَّبِيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ

इस नमाज़ का कोई भी मुन्तज़िर नहीं है।' ये उस वक़्त की बात है जबकि अभी लोगों में इस्लाम नहीं फैला था। हरमला ने अपनी रिवायत में इब्ने शिहाब से ये इज़ाफ़ा बयान किया, मुझे बताया गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे लिये रवा न था कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ के लिये इसरार करते।' ये उस वक़्त फ़रमाया जब उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बुलंद आवाज़ से पुकारा।

(1444) इमाम साहब एक और उस्ताद से रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें से ज़ोहरी का हरमला वाला हिस्सा बयान नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 566)

(1445) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक रात देर कर दी। यहाँ तक कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया। यहाँ तक कि अहले मस्जिद सो गये। आपने तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया, 'यही इसका बेहतर वक़्त है। अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक्क़त में मुब्तला होने का डर न होता।' और अब्दुरज़ज़ाक़ की हदीस में अन अशुक़क़ की बजाए अंय्यशुक़क़ है।

(नसाई : 1/263)

اللّٰهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ
الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ " مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ
مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ " . وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يَفْشُوَ الْإِسْلَامَ فِي النَّاسِ . زَادَ حُرْمَلَةُ فِي
رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ " .
وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ ،
حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ ابْنِ
شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ
الزُّهْرِيِّ وَذَكَرَ لِي . وَمَا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ،
كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ ، ح قَالَ وَحَدَّثَنِي
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، - وَالْفَاظُهُمْ
مُتَّفَاقَةٌ - قَالُوا جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ
أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومِ بِنْتِ
أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ أَعْتَمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى
ذَهَبَ غَامَةٌ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ

خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ " إِنَّهُ لَوَقَّتْهَا لَوْلَا أَنْ أُشَقُّ عَلَى أُمَّتِي " . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ " لَوْلَا أَنْ يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अन तन्ज़ुरू : ये कि तुम इसरार और इल्हाह से काम लो, आपसे तक्ज़ा करो। (2) इअतम्म : अतमह से माखूज है रात के अन्धेरे को कहते हैं। मक़सद ये है कि आम वक़्त से काफ़ी देर कर दी।

(1446) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक रात हम इशा की नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के इन्तिज़ार में रुके रहे तो रात का तिहाई (हिस्सा) गुज़रने पर आया उसके बाद आप तशरीफ़ लाये। हमें मालूम नहीं घर की कोई मशगूलियत थी या कुछ और था तो आपने निकलकर फ़रमाया, 'बेशक तुम एक ऐसी नमाज़ के इन्तिज़ार में हो कि किसी और दीन वाले इसके मुन्तज़िर नहीं और अगर मुझे ये डर न होता कि ये मेरी उम्मत के लिये गिरानी का सबब होगा तो मैं उन्हें इसी घड़ी नमाज़ पढ़ाया करता।' फिर आपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया उसने नमाज़ के लिये इक्रामत कही और आपने नमाज़ पढ़ाई।

(अबू दाऊद : 420, नसाई : 1/267)

(1447) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ से मशगूल हो गये तो आपने देर कर दी, यहाँ तक कि हम मस्जिद में सो गये। फिर बेदार हुए फिर सो गये, फिर बेदार हुए, फिर आप हमारे पास तशरीफ़ लाये और

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ مَكَّثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَتَنظَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُكُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَسْءَلُ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ " إِنَّكُمْ لَتَتَنظَرُونَ صَلَاةَ مَا يَنْتَظَرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرِكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَتَقَلَّ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَدَّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَجَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ

फ़रमाया, 'आज रात तुम्हारे सिवा अहले ज़मीन से कोई इस नमाज़ का इन्तिज़ार नहीं कर रहा।'

(सहीह बुखारी : 570, अबू दाऊद : 199)

(1448) हज़रत साबित (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुहर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ आधी रात तक मुअख़्खर कर दी या आधी रात गुज़रने को थी फिर आप तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'लोग नमाज़ पढ़कर सो चुके हैं और तुम नमाज़ ही में तसब्बुर होंगे जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठे रहोगे।' हज़रत अनस ने बताया, गोया कि अभी मैं आपकी चाँदी की अंगूठी की चमक देख रहा हूँ और उन्होंने बायें हाथ की उंगली उठाकर इशारा किया कि अंगूठी इसमें थी।

(नसाई : 8/194)

(1449) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) का इन्तिज़ार किया। यहाँ तक कि वक़्त आधी रात के करीब हो गया तो फिर आपने आकर नमाज़ पढ़ाई। फिर आपने हमारी तरफ़ तवज्जह फ़रमाई गोया कि मैं आपके हाथ में आपकी चाँदी की अंगूठी की चमक अब भी देख रहा हूँ।

(नसाई : 8/174)

ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ " .

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيِّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، . أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَتَأَمَّوْا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ " . قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَيِصِّ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصَرِ .

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ نَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنَّهَا أَنْظَرُ إِلَى وَيِصِّ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ .

(1450) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें ये नहीं बयान किया कि फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए।

(1451) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं और मेरे वो साथी जो कशती में मेरे साथ आये थे। बतहान की वसीअ जगह में उतरे हुए थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ फ़रमा थे और हर रात हमारी एक जमाअत बारी-बारी इशा की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर होती थी। अबू मूसा (रज़ि.) बताते हैं कि मैं और मेरे साथियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस हाल में पाया कि आप अपने किसी काम में मशगूल थे। यहाँ तक कि आपने नमाज़ को आधी रात तक मुअख़्ख़र (लेट) कर दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और हाज़िरीन को नमाज़ पढ़ाई तो जब आपने नमाज़ पूरी कर ली, हाज़िरीन को फ़रमाया, 'ज़रा ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ और ख़ुश हो जाओ, अल्लाह तआला का तुम पर एहसान है, लोगों में से कोई भी इस वक़्त तुम्हारे सिवा नमाज़ नहीं पढ़ता।' या आपने फ़रमाया, 'इस वक़्त तुम्हारे सिवा किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी। रावी को याद नहीं अबू मूसा ने कौनसा जुम्ला कहा था। अबू मूसा (रज़ि.) ने बताया, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात सुनकर ख़ुश-ख़ुश वापस आये। इबहारुल्लैल रात आधी गुज़र गई।

(सहीह बुखारी : 567)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ، قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَأَوَّبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى انْتَهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ خَضَرَهُ " عَلَى رِسْلِكُمْ أَغْلِمَكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرِكُمْ " . أَوْ قَالَ " مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرِكُمْ " . لَا نَذْرِي أَى الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرَجِينِ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1452) हज़रत इब्ने जुरैज (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अता (रह.) से पूछा, आपके नज़दीक इशा की नमाज़ जिसको लोग अतमह कहते हैं, मेरे लिये इमामत के तौर पर या इन्फिरादी तौर पर किस वक़्त पढ़ना महबूब है? उसने जवाब दिया, मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) को ये फ़रमाते हुए सुना कि एक रात नबी (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में देर कर दी। यहाँ तक कि लोग सो गये और बेदार हुए। फिर सो गये और बेदार हुए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, नमाज़ पढ़ाइये। अता ने बताया, इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया इस पर नबी (ﷺ) निकले गोया कि मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आपके सर से पानी गिर रहा था और आपने अपने सर की एक जानिब अपना हाथ रखा हुआ था। आपने फ़रमाया, 'अगर मुझे डर न होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में मुब्तला हो गई तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो इस नमाज़ को इस वक़्त पढ़ा करें।' इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से तहक़ीक़ की कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें नबी (ﷺ) की अपना हाथ अपने सर पर रखने की क्या कैफ़ियत बतलाई थी? तो अता ने मेरे सामने अपनी उंगलियाँ थोड़ी सी खोलीं, फिर अपनी उंगलियों के किनारे सर के एक जानिब रखे। फिर उनको नीचे किया, इस तरह उनको सर पर फेरा यहाँ तक कि उनके अंगूठे

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَى حِينَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِمَامًا وَخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ - قَالَ - حَتَّى رَفَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَفَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ . فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقَطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ " لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُصَلُّوَهَا كَذَلِكَ " . قَالَ فَاسْتَبْتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدِ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يَمِينُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ ذَكَرَ لَكَ

ने कान के चेहरे के करीब वाले किनारे को छुआ फिर कनपटी और दाढ़ी के किनारे पर पहुँचा। आपने न ताखीर की और न कुछ जल्दबाज़ी से काम लिया, इस तरह किया। मैंने अता से पूछा, आपको उस रात नबी (ﷺ) की किस क्रम ताखीर बताई? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। अता ने कहा, मुझे यही पसंद है कि मैं इमाम हूँ या अकेला, नमाज़ ताखीर से पढ़ूँ। जिस तरह नबी (ﷺ) ने उस रात पढ़ी थी। अगर तुम्हारे लिये इन्फिरादी तौर पर या लोगों के लिये जमाअत की सूरत में जबकि तुम इमाम हो या दुश्वारी का बाइस हो तो उसको दरम्याने वक़्त में पढ़ो न जल्दी करो और न ताखीर।

(सहीह बुखारी : 571, 7239, नसाई : 1/260, 531)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़िल्वन : यानी मुन्फ़रिदन, अकेले, इन्फिरादी तौर पर। (2) इस्तम्बनु : मैंने छान-बीन से काम लिया, तहकीक की। (3) सब्बहा : उसे झुकाया, नीचे किया। (4) ला युक्स्सिरु वला यब्तिशु : न देर की और न जल्दी से काम लिया, लफ़ज़ी मानी न कोताही की और न गिरफ़्त की। मक़सद ये है उंगलियों को मियाना रवी के साथ सर पर फेरा और पानी निचोड़ा।

फ़वाइद : (1) इन अहादीस से उम्मत के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की शफ़क़त और प्यार का इज़हार हो रहा है और इस ख़्वाहिश व आरज़ू का पता चलता है कि आपको अपनी उम्मत की सहूलत और आसानी अज़ीज़ थी, मशक्क़त व दुश्वारी से महफूज़ रखने की कोशिश फ़रमाते थे। उसके बावजूद उम्मत, इस्लामी अहकाम व हिदायात को दुश्वार महसूस करे या उन पर अमल करने से पहलूतही (कोताही) करे तो उस पर अफ़सोस के सिवा क्या किया जा सकता है। (2) ताखीर इशा वाली रिवायात से ये भी साबित होता है कि अगर इंसान बैठे-बैठे सो जाये तो उससे वुजू नहीं टूटता। मगर ये कि उसे ये महसूस हो कि उसकी हवा ख़ारिज हो गई है। (3) इशा की नमाज़ अइम्मए अरबआ के नज़दीक बिल्दित्फ़ाक़ ताखीर से पढ़ना बेहतर है। लेकिन उसमें नमाज़ियों का ख़याल रखना ज़रूरी है। अगर ताखीर नमाज़ियों के लिये दिक्क़त और दुश्वारी का बाइस हो तो फिर ऐतदाल और तवस्सुत की राह को इख़्तियार किया जायेगा। (4) इन अहादीस से ये इस्तिदलाल करना कि अल्लाह तआला नबी

أَخْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلْتَمِذَ
قَالَ لَا أَدْرِي . قَالَ غَطَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخَلُؤًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلْتَمِذَ فَإِنْ شَقَّ
عَلَيْكَ ذَلِكَ خَلُؤًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي
الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلَّاهَا وَسَطًا لَا
مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً .

को अहकाम की हिल्लत व हुरमत और ईजाब व तहरीम का इख्तियार देकर भेजता है और नबी का ये मन्सब है कि वो जिस चीज़ को चाहे फ़र्ज़ कर दे और जिस चीज़ को चाहे हराम कर दे दुरुस्त नहीं है रसूल जो कुछ फ़रमाता है वो अल्लाह तआला के नुमाइन्दे की हैसियत से फ़रमाता है। उसका हर हुक्म अल्लाह की रज़ा के ताबेअ होता है। जिसका उसूल खुद कुरआन मजीद में 'और ये (रसूल) अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, मगर वही जो इनकी तरफ़ वह्य किया जाता है।' (सूरह नज्म : 3) की सूत में बयान कर दिया गया है, अगर वो खुद मुख़्तार होता। तो फिर मा का-न लिनबिद्यिन अय्यकून लहू असरा (सूरह अन्फ़ाल) मा कानत्रबिय्यु वल्लज़ीन आमनू अय्यस्तग़िफ़रु लिल्मुशिकीन (सूरह तौबा) अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत (सूरह तौबा) याअय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहर्रिंमू मा अहल्लल्लाहु लक (सूरह तहरीम) इन तम्बीहात की ज़रूरत पेश न आती। फिर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अला लहुल हुक्मु वलअम्र का क्या मफ़हूम होगा? असल बात ये है कि रसूल अल्लाह तआला का पैग़ाम रसाँ (पहुँचाने वाला) होता है और उस पैग़ाम की तशरीह व तौज़ीह अपने क़ौल व अमल से अल्लाह तआला की वह्ये ख़फ़ी की रोशनी में फ़रमाता है। अगर कहीं इज्तिहादी तौर पर अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम हो जाये तो फ़ौरन उसको आगाह कर दिया जाता है। इसलिये मआल और अन्जाम के ऐतबार से उसका हर क़ौल व फ़ैअल उम्मत के लिये बिला हील व हुज्जत और बिला चूँ व चिरा वाजिबुल इत्तिबाअ होता है और उसके बारे में दिल में किसी किस्म का इन्किबाज़ (तंगी) रवा नहीं हो सकता। शारेअ (शरीअत बनाने वाला) असल में अल्लाह तआला है, बन्दों और अल्लाह तआला के दरम्यान रसूल वास्ता है। रसूल के बग़ैर अल्लाह तआला की मर्ज़ी और मन्शा को जानना मुम्किन नहीं है। इसलिये रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। रसूल की इताअत के बग़ैर अल्लाह तआला की इताअत मुम्किन नहीं है।

(1453) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ते थे।

(नसाई : 1/266)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ .

(1454) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हीं औक्रात में नमाज़ें पढ़ते थे जिन औक्रात में तुम नमाज़ पढ़ते हो। अल्बत्ता इशा की नमाज़

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

तुम्हारी नमाज़ से कुछ तारखीर से पढ़ते थे और नमाज़ में तख़फ़ीफ़ (कमी) करते थे और अबू कामिल की रिवायत में तख़फ़ीफ़ के बाद अस्सलात का लफ़्ज़ नहीं है।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ يُخَفِّفُ .

(1455) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'तुम्हारी नमाज़ के नाम पर तुम पर गंवार ग़ालिब न आ जायें। ख़बरदार! उसका नाम इशा है। वो ऊँटों का दूध दूहने की खातिर अन्धेरा कर देते हैं।' (वो अन्धेरे की बिना पर इशा को अतमह कहते हैं।)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ إِلَّا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِيلِ " .

(अबू दाऊद : 4984, नसाई : 1/270, इब्ने माजह : 704)

मुफ़रदातुल हदीस : हुम युअतिमून बिल्इबिल : वो ऊँट दूहने की खातिर अन्धेरा करते हैं। अतमा रात की तारीकी को कहते हैं।

(1456) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारी इशा की नमाज़ के नाम के सिलसिले में तुम पर बहू ग़ालिब न आ जायें। क्योंकि अल्लाह की किताब में उसका नाम इशा है और बहू ऊँटों का दूध दूहने में अन्धेरा कर लेते हैं।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْإِيلِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : हिलाब : मस्दर है और मानी थन से दूध निकालना।

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने इशा को आम तौर पर अतमा कहने से रोका है कि इसका ग़ालिब नाम अतमा हो जाये। कभी-कभार अतमा कहने से मना नहीं फ़रमाया। इसलिये कुछ मौक़ों पर आपने खुद इशा को अतमा के नाम से ताबीर फ़रमाया है और अतमा नाम रखने का आपने सबब भी बता दिया है कि गंवार

चूंकि ऊँट दूहने में देर कर देते हैं और इस काम में अन्धेरा फैल जाता है। इसलिये वो इसको अतमा के नाम से पुकारते हैं, तुम भी उनके साथ अतमा कहना न शुरू कर देना कि इशा का नाम मत रूक या मगलूब हो जाये। कुरआन मजीद में है, मिम्बअदि सलातिल इशा। (सूरह नूर : 58)

बाब 41 : नमाज़े सुबह जल्द ही उसके अव्वल वक़्त यानी ग़लस (रात की आख़िरी तारीकी) में पढ़ना और उसमें क़िरअत की मिक्दार का बयान

باب اسْتِحْبَابِ التَّبَكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

(1457) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मुसलमान औरतें सुबह की नमाज़ नबी (ﷺ) के साथ पढ़ती थीं। फिर अपनी चादरों में लिपटी हुई वापस आतीं और उन्हें (अन्धेरे की वजह से) कोई पहचान नहीं पाता था। (नसाई : 1/271, इब्ने माजह : 669)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّافِذُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) निसाअल मुअ्मिनात : में इजाफ़तुल मौसूफ़ इलस्सिफ़त है जो कुछ (कूफ़ी) नहवियों के नज़दीक जाइज़ नहीं है इसलिये उनको यहाँ तावील की ज़रूरत पेश आती है। वो यहाँ मौसूफ़ महज़ूफ़ मानते हैं। यानी निसाअल अन्फुसिल् मुअ्मिनात या निसाअल जमाआतिल मुअ्मिनात बनाते हैं या निसा को फ़ाज़िलात के मानी लेते हैं यानी फ़ाज़िलातिल मुअ्मिनात जैसे कहते हैं, रिजालुल क़ौम यानी फ़ज़लाउल क़ौम और जिनके नज़दीक अबसरी जाइज़ है उनको किसी तावील की ज़रूरत नहीं। (2) मुतलफ़िफ़आति : लिपटी हुई, पहने हुए। (3) मुरूत : मित्त की जमा है धारीदार चादर।

(1458) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ मुसलमान औरतें फ़ज्र की नमाज़ में

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ शरीक होती थीं, इस हाल में कि वो अपनी चादरों में लिपटी होती थीं, फिर वो अपने घरों को लौटतीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के अन्धेरे में नमाज़ पढ़ने की बिना पर पहचानी नहीं जाती थीं।

(1459) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि बिला शुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई घरों को लौटतीं, अन्धेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती थीं। अन्सारी की रिवायत में मुतलफ़िफ़ात की जगह मुतलफ़िफ़ात है, चादरों में मल्फ़ूफ़।

(सहीह बुखारी : 867, अबू दाऊद : 423, तिर्मिज़ी : 153, नसाई : 1/271)

फ़ायदा : (1) हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि हुज़ूर (ﷺ) इस क़द्र अन्धेरे में नमाज़ पढ़ते थे कि नमाज़ से फ़रागत के बाद वापस जाने वाली औरतों का पता नहीं चलता था कि मर्द जा रहे हैं या औरतें जा रही हैं या उनमें ये इम्तियाज़ (फ़र्क) नहीं हो सकता था कि कौनसी औरत जा रही है। हालांकि रोशनी में औरत की चाल-ढाल और हैयत क़ज़ाई से वाक़िफ़कार उसकी शख़्सियत को पहचान लेते हैं। इसलिये जुम्हूर के नज़दीक जिसमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) शामिल हैं, अन्धेरे में नमाज़ पढ़ना बेहतर है और अस्फ़िरु बिस्सुब्ह या अस्बिहू बिस्सुब्ह का मानी ये है कि क़िरअत तवील करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहली रकअत में शरीक हो सकें। हाँ कुछ मौक़ों पर आप (ﷺ) ने ज़रूरत के तहत सुबह की नमाज़ देर से भी पढ़ी है। नीज़ इस हदीस से ये भी साबित होता है कि पर्दे की पाबंदी करते हुए औरतें मस्जिद में बाजमाअत नमाज़ पढ़ सकती हैं। (2) अस्फ़िरु बिस्सुब्ह की तौज़ीह अस्बिहू बिस्सुब्ह का लफ़ज़ कर रहा है कि सुबह अच्छी तरह हो जाये। सुबह होने में कोई शक व शुब्हा न रहे। यानी अज़ान सुबह सादिक के बाद कही जाये, सुबहे काज़िब में नहीं। इस्फ़ार रोशनी को कहते हैं, सुबह रोशन उस वक़्त होगी जब अच्छी तरह सुबह

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ .

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ . وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّعَاتٍ .

हो जायेगी। इसलिये हज़रत अबू बकर (रज़ि.) सुबह की नमाज़ में सूरह बकरा पढ़ लेते थे और हज़रत उमर सूरह हूद और यूसुफ और रअद पढ़ लेते थे अगर इसका मानी अहनाफ़ वाला लिया जाये तो इस कद्र तवील क़िरअत मुम्किन नहीं है।

(1460) हज़रत मुहम्मद बिन अमर बिन हसन बिन अली (रह.) बयान करते हैं कि जब हज्जाज मदीना मुनव्वरा आया (और नमाज़ें ताख़ीर से पढ़ने लगा) तो हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर की नमाज़ निस्फुन्नहार (यानी ज़वाल होते ही) पढ़ते थे और अ़सर ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि सूरज बिल्कुल साफ़ और रोशन होता था (उसकी गर्मी और रोशनी में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था) और मरिब की नमाज़ जब सूरज गुरुब हो जाता और इशा की नमाज़ कभी ताख़ीर से पढ़ते और कभी जल्दी पढ़ लेते। जब आप देखते कि लोग जमा हो गये हैं तो जल्दी पढ़ लेते और जब उन्हें देखते कि उन्होंने देर कर दी है तो ताख़ीर कर देते और सुबह लोग या आप (ﷺ) अन्धेरे में पढ़ते थे।

(सहीह बुख़ारी : 560, 565, अबू दाऊद : 397, नसाई : 1/263)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आपका जुहर की नमाज़ के बारे में ये मामूल था कि आप ज़वाल होते ही निस्फुन्नहार में पढ़ लिया करते थे। लेकिन दूसरी हदीसों की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि आपका ये मामूल गर्मी के मौसम में नहीं था। क्योंकि सख़्त गर्मी के मौसम में आप जुहर की नमाज़ कुछ ताख़ीर से पढ़ते थे और इशा की नमाज़ में आप लोगों की सहूलत और उनकी आमद का लिहाज़ करते थे और अ़सर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ लेते थे जबकि अभी सूरज की गर्मी और रोशनी में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा होता था। यानी जल्दी पढ़ लेते थे। खुलासा-ए-कलाम ये है कि आप (ﷺ) इशा के सिवा हर नमाज़ वक़्त होते ही पढ़ लेते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُذْرٌ،
عَنْ شُعْبَةَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
وَأَبْنُ، بِشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا
قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ
وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ أحيانًا يُؤَخِّرُهَا
وَأحيانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَأَاهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَلَ
وَإِذَا رَأَاهُمْ قَدِ ابْطَأُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ -
قَالَ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ .

(1461) हज़रत मुहम्मद बिन अमर बिन हसन बिन अली (रह.) बयान करते हैं कि हज्जाज नमाज़ें ताख़ीर से पढ़ता था तो हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, आगे मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمِيعٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُندَرٍ .

(1462) सय्यार बिन सलामह (रह.) कहते हैं कि मैंने अपने बाप को हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछते हुए सुना। शोबा ने पूछा, क्या तूने खुद सुना? उसने कहा, गोया कि मैं अभी सुन रहा हूँ। उसने कहा, मैंने अपने बाप को उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में सवाल करते हुए सुना तो उन्होंने बताया कि आप इशा की नमाज़ को आधी रात तक मुअख़ख़र (लेट) करने की परवाह नहीं करते थे और नमाज़ से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को पसंद नहीं करते थे। शोबा कहते हैं बाद में मेरी उनसे फिर मुलाक़ात हुई तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने (सय्यार ने) बताया, आप जुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे और असर की नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ते कि इंसान नमाज़ पढ़कर मदीना (की आबादी) के आख़िर पर ऐसे वक़्त में पहुँच जाता जबकि सूरज अभी ज़िन्दा होता था (यानी उसमें रोशनी और हरात बाक़ी होती थी वो ज़र्द और ठण्डा नहीं होता था) और उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता उन्होंने मग़िब के लिये कौनसा वक़्त बताया

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرزَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - قُلْتُ آتَتْ سَمِيعَتُهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ - قَالَ - سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَا يَبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - قَالَ يَعْني الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - قَالَ - وَالْمَغْرِبَ لَا أَذْرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرَ . قَالَ

था। शोबा कहते हैं, मैं बाद में फिर सलामह से मिला और उससे पूछा तो उसने बताया, सुबह की नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ते कि इंसान सलाम फेरकर अपने साथी के चेहरे को देखता जो उसका आशना होता था, तो उसको पहचान लेता और आप उसमें साठ से सौ आयतों तक पढ़ते थे।

(सहीह बुखारी : 541, 547, 599, 771, अबू दाऊद : 398, 4849, नसाई : 1/246, 1/262, 1/265, इब्ने माजह : 674)

(1463) इमाम शोबा इब्ने सलामह से बयान करते हैं कि मैंने अबू बरज़ा (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाज़ दफ़ा इशा की नमाज़ आधी रात तक मुअख़्खर करने की परवाह नहीं करते थे और उससे पहले सोना और बाद में बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। शोबा कहते हैं, फिर मैं उन्हें दोबारा मिला तो उन्होंने कहा, या तिहाई रात तक मुअख़्खर करना।

(1464) हज़रत अबू मिन्हाल सय्यार बिन सलामह (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू बरज़ा अस्लमी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा को तिहाई रात तक मुअख़्खर कर देते थे और उससे पहले सोना और बाद में बातचीत करना, नापसंद करते थे और सुबह की नमाज़ में सौ से लेकर साठ आयतों तक पढ़ते थे और ऐसे वक़्त में सलाम फेरते थे कि लोग एक-दूसरे के चेहरे पहचान लेते थे।

ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي
الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ
جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ . قَالَ وَكَانَ
يَقْرَأُ فِيهَا بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
بُرْزَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى
نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا
الْحَدِيثَ بَعْدَهَا . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً
أُخْرَى فَقَالَ أَوْ ثَلَاثِ اللَّيْلِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو
الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ
سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْزَةَ
الْأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ
وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ
فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السُّتَيْنِ وَكَانَ
يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضَنَا وَجْهَ بَعْضٍ .

फ़ायदा : इशा की नमाज़ से पहले इस तरह सोना कि नमाज़ बाज़माअत निकल जाये या उसका वक़्ते मुख्तार निकल जाये, जाइज़ नहीं। लेकिन अगर इंसान बेदार होकर जमाअत के साथ मिल सके या किसी मजबूरी की बिना पर इन्फ़िरादी तौर पर पढ़नी हो तो वक़्ते मुख्तार में पढ़ ले तो फिर इसमें कोई हर्ज़ नहीं है। इसी तरह इशा के बाद किसी दीनी व दुनियावी ज़रूरत बातचीत में मशगूल हो जाये और उसके मामूलात तहज़ुद या कम से कम फ़ज़र की नमाज़ मुतास्सिर न हो तो इसमें भी कोई हर्ज़ नहीं। लेकिन फ़िज़ूल और बिला मक़सद बातचीत या नाविल और अफ़साने का मुतालाआ, टीवी देखना, जिनसे इशा की नमाज़ भी फ़ौत हो जाती है, दुरुस्त नहीं है।

बाब : 42 वक़्ते मुख्तार (मुतअय्यन वक़्त) से नमाज़ को मुअख़्खर (ताख़ीर) करना मक्रूह है और अगर इमाम नमाज़ मुअख़्खर करे तो मुक़्तदी को क्या करना चाहिये

باب كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخْرَهَا الْإِمَامُ

(1465) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम क्या करोगे जब तुम्हारे हुक्मरान ऐसे लोग होंगे जो नमाज़ को उसके वक़्ते (मुख्तार) से ताख़ीर करके पढ़ेंगे या नमाज़ को उसके वक़्त से निकालकर मार डालेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, तो आप (ﷺ) का मेरे लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ लो और अगर दोबारा उनके साथ नमाज़ पाओ तो पढ़ लो, वो तेरे लिये नफ़ल हो जायेगी।' ख़लफ़ ने अन वक्तिहा का लफ़ज़ बयान नहीं किया।

(अबूदाऊद: 431, तिर्मिज़ी: 176, इब्ने माजह: 1256)

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا " . قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرَنِي قَالَ " صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ " . وَلَمْ يَذْكُرْ خَلْفٌ عَنْ وَقْتِهَا .

फ़वाइद : (1) नमाज़ अपने वक़्ते मुख्तार में सुकून व इत्मीनान के साथ खुशूअ व ख़ुजूअ को कायम रख कर पढ़ना, नमाज़ को ज़िन्दा रखना है यानी नमाज़ की रूह और मक़सद को मल्हूज़ रखना

और नमाज़ को बिला इज़र व मजबूरी वक़्त के ख़त्म होने के बाद या वक़्ते आख़िर में पढ़ना या उसमें बेपरवाई और नीम दिली (उकताहट) का मुजाहिरा करना, जल्दी-जल्दी बिला सुकून व ऐतदाल ठोंगे लगाना नमाज़ की रूह और उसके मक़सद को ज़ाया करके उसको मार डालना है। (2) अगर किसी इमाम का ये वतीरा और आदत हो कि वो नमाज़ हमेशा वक़्ते मुख़्तार के बाद या वक़्त के आख़िर में या वक़्त निकलने के बाद पढ़ता है तो नमाज़ इन्फ़िरादी तौर पर या जमाअत जैसे मुम्किन हो पढ़ लेनी चाहिये। अगर फ़ित्ना व फ़साद का ख़तरा हो तो दोबारा जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये। ये दूसरी नमाज़ नफ़ल होगी और आम तौर पर उमरा (हुक्मरान) ये ताख़ीर, जुहर और असर की नमाज़ में रवा रखते थे। इसलिये ये कहना कि असर की नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि असर के बाद नफ़ल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अपनी खुशी से नहीं पढ़े जा रहे हैं, एक मजबूरी और ज़रूरत के तहत पढ़े जा रहे हैं। बिला सबब असर के बाद नफ़ल पढ़ना जाइज़ नहीं। (3) इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि बाद वाली नमाज़ नफ़ल होगी और पहले पढ़ी हुई नमाज़ फ़र्ज़ होगी।

(1466) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आयेंगे जो नमाज़ को मार डालेंगे तो तुम नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ लेना। पस अगर तुमने (दोबारा उनके साथ) वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली तो तुम्हारी नमाज़ नफ़ल हो जायेगी, वरना (अगर वो वक़्त पर न पढ़े) तो तुमने अपनी नमाज़ को बचा लिया।'

(1467) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे ख़लील ने मुझे सुनने और मानने की तलक़ीन की, अगरचे हुक्मरान कटे हुए आज़ा वाला हो और ये कि मैं नमाज़ वक़्त पर पढ़ूँ। फिर अगर लोगों को पाऊँ उन्होंने नमाज़ (वक़्त के बाद पढ़ी है) तो तुमने अपनी नमाज़ को बचा लिया, वरना (अगर उन्होंने वक़्त के अंदर पढ़ ली) तो तेरी ये नमाज़ नफ़ली हो जायेगी।'

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا فَإِنَّ صَلَاتِكَ لَوْ قَتَبَهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ "

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدِّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا " فَإِنْ أَدْرَكَتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً "

फ़ायदा : हुक्मरान कैसा भी हो उसकी जाइज़ बात सुननी और माननी चाहिये। अपने इरादे और इख़्तियार से किसी आज़ा बुरीदा या गुलाम को हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती इक्तितदार हासिल कर ले या खलीफ़ा ऐसा हुक्मरान मुकरर कर दे तो उसके जाइज़ अहकाम माने जायेंगे।

(1468) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी रान पर हाथ मार कर फ़रमाया, 'तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो नमाज़ को उसके वक़्त के बाद पढ़ेंगे?' तो उन्होंने पूछा, आपका क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ उसके वक़्त में पढ़ लो। फिर अपनी ज़रूरत के लिये चले जाओ, अगर तेरी मस्जिद में मौजूदगी में तकबीर शुरू हो जाये तो पढ़ लो।'

(नसाई : 2/75, 858)

(1469) हज़रत अबू आलिया बराअ (रह) से रिवायत है कि इब्ने ज़ियाद ने नमाज़ में ताख़ीर कर दी और मेरे पास अब्दुल्लाह बिन सामित तशरीफ़ लाये। मैंने उन्हें कुर्सी पेश की वो उस पर बैठ गये। मैंने उन्हें इब्ने ज़ियाद की हरकत से आगाह किया तो उन्होंने अपना हॉट काटा और मेरी रान पर हाथ मारा और कहा, जिस तरह तूने मुझसे पूछा है उस तरह मैंने अबू ज़र (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने मेरी रान पर हाथ मारा जिस तरह मैंने तेरी रान पर हाथ मारा है और कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था, जिस तरह तूने मुझसे पूछा है तो आप (ﷺ) ने मेरी रान पर हाथ मारा जिस तरह मैंने तेरी रान पर हाथ मारा है

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فِخْذِي " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا " . قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ " صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا ثُمَّ أَذْهَبَ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ " .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ أَخْرَأَ ابْنَ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفْتِهِ وَضَرَبَ فِخْذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فِخْذِي كَمَا ضَرَبْتَ فِخْذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فِخْذِي كَمَا ضَرَبْتَ فِخْذَكَ وَقَالَ "

और फ़रमाया, 'नमाज़ वक़्त पर पढ़ो, फिर अगर उनके साथ नमाज़ पढ़ने का मौक़ा मिले या उनके पास मौजूद होते हुए नमाज़ तुम्हें पा ले और ये न कहो मैंने नमाज़ पढ़ ली है इसलिये मैं नहीं पढ़ता।'

(1470) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि आपने फ़रमाया, 'तुम्हारी क्या हालत होगी।' या आपने फ़रमाया, 'तेरी क्या हालत होगी जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे, जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़्ख़र कर लेंगे। तुम नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अगर नमाज़ खड़ी कर दी जाये तो उनके साथ पढ़ लेना, क्योंकि उसमें नेकी में इज़ाफ़ा है।'

(1471) हज़रत अबू आलिया बराअ (रह.) से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन सामित से पूछा कि हम जुम्आ के दिन हुक्मरानों की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं और वो नमाज़ को मुअख़्ख़र (लेट) कर देते हैं तो उन्होंने मेरी रान पर इस ज़ोर से हाथ मारा कि मुझे तकलीफ़ महसूस हुई और कहा, मैंने इसके बारे में अबू ज़र (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने मेरी रान पर हाथ मारा और कहा, मैंने यही सवाल रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया था तो आपने फ़रमाया, 'नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ो और हुक्मरानों के साथ अपनी नमाज़ को नफ़ली करार दो।' अब्दुल्लाह ने बताया, मुझे बताया गया कि नबी (ﷺ) ने अबू ज़र (रज़ि.) की रान पर हाथ मारा था।

صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ
مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا
أُصَلِّي .

وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ السَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ
بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ
قَالَ " كَيْفَ أَنْتُمْ - أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ - إِذَا
بَقِيَتْ فِي قَوْمٍ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةٌ خَيْرٌ " .

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ -
وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أَمْرَاءَ
فَيُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ - قَالَ - فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً
أَوْجَعْتَنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ
فَخِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " صَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا
وَاجْعَلُوا صَلَاتِكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً " . قَالَ وَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ ذَكَرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ .

फ़ायदा : इन तमाम रिवायतों से ये बात साबित होती है कि नमाज़े अ़सर जल्दी पढ़नी चाहिये, अगर इमामे वक़्त ताख़ीर करे तो नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ लेनी चाहिये और जमाअत के साथ दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़े तो उसको दोबारा पढ़ लेना चाहिये। लेकिन उसकी खातिर वक़्त पर नमाज़ पढ़ने को छोड़ना नहीं चाहिये या दोबारा बाजमाअत पढ़ने से गुरेज़ के लिये, पहली नमाज़ को बहाना नहीं बनाना चाहिये, न इस बात को बहाना बनाना चाहिये कि अ़सर के बाद नफ़ल नहीं होते क्योंकि सबब और ज़रूरत की बिना पर अ़सर के बाद नफ़ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ है जैसाकि इन रिवायतों से साबित हो रहा है।

बाब 43 : नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत और उससे पीछे रहने पर शिद्दत और ये कि वो फ़र्जे किफ़ायत है

(1472) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना तुम्हारे अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना अफ़ज़ल है।'

(तिर्मिज़ी : 216, नसाई : 2/103)

(1473) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना इंसान के अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस दर्जा बेहतर है।' और फ़रमाया, 'रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते फ़ज्र की नमाज़ में जमा होते हैं।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, (इसकी ताईद में) अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, 'फ़ज्र की तिलावत, बिला शुब्हा फ़ज्र की क़िरअत हाज़िरी का वक़्त है।'

(सहीह बुखारी : 648)

باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخْلُفِ عَنْهَا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا " .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " تَفْضُلُ صَلَاةٍ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " . قَالَ " وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }

(1474) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, आगे मज़क़ूरा बाला रिवायत है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसमें दर्जे का लफ़्ज़ था और इसमें जुज़्अन का लफ़्ज़ है।

(सहीह बुख़ारी : 648)

(1475) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना, अकेले की पच्चीस नमाज़ों के बराबर है।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا " .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ خُزَمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَى " .

मुफ़रदातुल हदीस : अल्फ़ज़िज : वहदा यानी अकेले और मुन्फ़रिद के मानी में है।

(1476) हज़रत उमर बिन अता बिन अबी ख़ुवार (रह.) से रिवायत है कि मैं नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि इस अस्नना (बीच) में हमारे पास जुहैनियों के आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन ज़ब्बान का बहनोई अबू अब्दुल्लाह (रज़ि.) गुज़रा तो उसे नाफ़ेअ (रज़ि.) ने बुलाया तो उसने कहा, मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इमाम के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना अफ़ज़ल है।'

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى زَيْدُ بْنُ زَبَّانٍ مَوْلَى الْجُهَيْنِيِّينَ فَدَعَا نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ " .

(1477) हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बाजमाअत नमाज़ अदा करना अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस गुना अफ़ज़ल है।' (सहीह बुखारी : 645, नसाई : 2/103)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

फ़ायदा : जिस तरह हमारी इस मादी दुनिया में चीजों के ख़वास और अस्सरात में दर्जों का तफ़ावत है और इस फ़र्क और इम्तियाज़ की बिना पर चीजों की क़द्रो-क़ीमत और अफ़ादियत में फ़र्क पड़ता है। उसी तरह हमारे आमाल में भी दर्जों का फ़र्क है और ये इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है और अल्लाह के बताने से रसूलुल्लाह (ﷺ) पर उसका इन्किशाफ़ होता है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत अकेले नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में पच्चीस या सत्ताइस गुना ज़्यादा है। यानी कई बार पच्चीस गुना स़वाब ज़्यादा होता है और कई बार सत्ताइस गुना। इस फ़र्क की वजह नमाज़ में आने वाले ख़ुलूस, ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ या मसाफ़त की दूरी है या आने वाले की मशगूलियत और मशक़क़त है कि उसने जमाअत के हुसूल के लिये किस किस्म का काम छोड़ा है और उसके लिये किस क़द्र तकलीफ़ उठानी पड़ी है या बुलंद क़िरअत वाली नमाज़ों का स़वाब सत्ताइस गुना और आहिस्ता क़िरअत वाली का पच्चीस गुना या जिन नमाज़ों में फ़रिशतों का जमा होना होता है उनका स़वाब सत्ताइस गुना और बाक़ी का पच्चीस गुना।

(1478) हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी की जमाअत के साथ नमाज़, उसके अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस गुना बेहतर है।' (इब्ने माजह : 789)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ " .

(1479) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। इब्ने नुमैर ने अपने बाप से बिज़़अ व इशरीन कहा और अबू बक्क़र बिन अबी शैबा ने अपनी

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا

रिवायत में बिज़्अ की बजाए सब्आ कहा यानी बिज़्अ की तअयीन कर दी कि इससे मुराद सात है।

(1480) इमाम साहब मज़कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से इन अल्फ़ाज़ में नक़ल करते हैं कि नबी (ﷺ) ने बिज़्आ व इशरीन बीस से कुछ ज़्यादा फ़रमाया।

(1481) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को किसी नमाज़ में गुम पाया तो फ़रमाया, 'मैंने इरादा किया कि किसी आदमी को लोगों की इमामत करवाने का हुक्म दूँ, फिर मैं उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ से पीछे रहते हैं और उनके बारे में हुक्म दूँ कि उनको उनके घरों समेत लकड़ियों के गड्डों से जला दिया जाये और उनमें से किसी को अगर यक़ीन हो कि नमाज़ में हाज़िरी से उसे गोशत से भरपूर हड्डी मिलेगी तो वो उसमें हाज़िर हो जायेगा।' आप (ﷺ) की मुराद इश की नमाज़ है।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) उख़ालिफ़ु इला रिजाल : उन लोगों की तरफ़ जाऊँ। (2) अज़मन समीनन : मोटी-ताज़ी हड्डी।

(1482) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुनाफ़िक़ों के लिये सबसे भारी और दुश्वार नमाज़ इशा और फ़ज्र की नमाज़ है। अगर उन लोगों को इनकी ख़ैर व बरकत और सवाब

الإِسْنَادُ : قَالَ ابْنُ نُؤْمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، " بِضْعًا وَعِشْرِينَ " . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ " سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الصُّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بِضْعًا وَعِشْرِينَ " .

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأَمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحَرَمِ الْخَطَبِ بِيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهَدَهَا " . يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُؤْمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

का यकीन हो जाये तो उनके लिये ज़रूर आये अग़रचे उन्हें घुटनों के बल चलकर आना पड़े और मैंने इरादा किया, मैं नमाज़ खड़ी करने का हुक्म दूँ, फिर किसी आदमी को कहूँ वो लोगों को जमाअत कराये, फिर मैं कुछ मर्दों को साथ लेकर जाऊँ जिनके पास लकड़ियों के गट्टे हों तो उन लोगों को जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते उनके घरों समेत जला दूँ।'

(इब्ने माजह : 797)

(1483) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को हुक्म दूँ कि वो मेरे लिये लकड़ी के गट्टे तैयार करें, फिर किसी आदमी को लोगों को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ, फिर घरों को उनमें मौजूद लोगों समेत जला दूँ।'

(1484) यज़ीद बिन असम ने भी अबू हुरैरह (रज़ि.) से नबी (ﷺ) की मज़कूर बाला हदीस की हम मानी हदीस बयान की है।

(अबू दाऊद : 549, तिर्मिज़ी : 217)

(1485) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों के बारे में जो जुम्आ से पीछे रह जाते हैं फ़रमाया, 'मैंने इरादा किया कि किसी

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ أَثْقَلَ صَلَاةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ خَبَرُوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُنَاقَمَ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزْمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحْرَقُ بُيُوتُ عَلَى مَنْ فِيهَا " .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِنَحْوِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

आदमी को लोगों को जमाअत कराने का हुक्म दें, फिर उन लोगों को जो जुम्आ से पीछे रहते हैं, उनके घरों समेत जला दूँ।'

اللہ علیہ وسلم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَيَّ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوتِهِمْ "

फ़वाइद : (1) अहादीसे मज़कूरा बाला (पिछली हदीसों) से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों के बारे में जो बिला सबब और उज़्र नमाज़ में हाज़िर नहीं होते फ़रमाया, ये मफ़ाद परस्त लोग हैं। क्योंकि आप (ﷺ) के दौर में सिर्फ़ मुनाफ़िक ही इशा और फ़ज्र की नमाज़ों में खुसूसी तौर पर शरीक नहीं होते थे। क्योंकि उस दौर में नमाज़ में रोशनी का इन्तिज़ाम न होने की बिना पर अन्धेरे में होती थी और उनका पोशीदा रह जाना मुम्किन था। उनके निफ़ाक की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया, अगर उनको इन नमाज़ों की ख़ैर व बरकत और अज़्र व स़वाब का यक़ीन हो या उनको इस बात का इल्म हो कि उनको गोशत से भरपूर हड्डी मिलेगी तो ये नमाज़ में मशक्कत और दुश्वारी बर्दाशत करते हुए घुटनों के बल चलकर आयें। (2) जो लोग जमाअत में हाज़िर नहीं होते थे, आप (ﷺ) ने उनके बारे में पुख़्ता इरादा फ़रमाया कि उन लोगों समेत उनके घरों को आग से जला दें, लेकिन फिर आप (ﷺ) ने अपने इरादे पर सिर्फ़ इसलिये अमल न किया कि घरों में औरतें और बच्चे भी होते हैं और उनके लिये जमाअत ज़रूरी नहीं है और न ये मस्जिद में आने के पाबंद हैं। (3) वो रिवायात जिनसे ये बात साबित होती है कि मुन्फ़रिद को एक दर्जा स़वाब मिलता है, उनसे साबित होता है बिला उज़्र और बिला सबब जमाअत तर्क करने वाले की नमाज़ तो हो जायेगी लेकिन वो गुनाहगार होगा। उसको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। (4) जमाअत के फ़र्जे ऐन होने के बारे में इख़ितलाफ़ है। हन्फ़ियों, मालिकियों और शाफ़इयों की अक्सरियत, नमाज़ बजमाअत को सुन्नते मुअक्कदा करार देती है लेकिन इन हज़रात में से कुछ लोग जमाअत को फ़र्जे किफ़ायत करार देते हैं कि अगर कुछ लोग इस फ़र्ज को अदा कर लें तो बाक़ी के ज़िम्मे से साफ़ित हो जायेगा। इस वजह से अहनाफ़ और शवाफ़ेअ के नज़दीक अगर किसी बस्ती के सारे बाशिन्दे जमाअत से नमाज़ न पढ़ें तो उनसे जंग की जायेगी। हनाबिला और मुहद्दिसीन के नज़दीक बाजमाअत नमाज़ पढ़ना फ़र्जे ऐन है यानी हर शख़्स की इन्फ़िरादी और शख़सी ज़िम्मेदारी है कि वो जुम्आ और जमाअत में शरीक हो।

जाहिर यूँ है और इमाम इब्ने तैमिया (रह.) के नज़दीक नमाज़ की सेहत व दुरुस्तगी के लिये जमाअत शर्त है। जो जमाअत में शरीक नहीं होता उसकी नमाज़ नहीं होती। अहादीस का तक्ज़ा यही है कि इंसान को जमाअत में शरीक होना चाहिये, बिला सबब और बिला उज़्र जमाअत से महरूम होना,

निफाके अमली की निशानी है। ख़ैर व बरकत और अजर व सवाब से महरूम है और उसको आदत और वतीरा बना लेने की सूत में खतरा है कि शायद ऐसे इंसान की नमाज़ ही न हो।

**बाब 44 : अज़ान सुनने वाले के लिये
(जमाअत के लिये) मस्जिद में आना
ज़रूरी है**

**باب يَجِبُ إِتْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ
سَمِعَ النِّدَاءَ**

(1486) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) की खिदमत में एक नाबीना आदमी हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई आदमी नहीं है। तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख्वास्त की कि उसे अपने घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मरहमत फ़रमायें। तो आपने उसको इजाज़त दे दी। जब उसने पुश्त फेर ली तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया, 'क्या तुम नमाज़ के लिये बुलावा सुनते हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'तो उसे कुबूल करो (यानी नमाज़ के लिये आओ)।'

(नसाई 2/63)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَبَعْقُوبُ الدُّورِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْقُرَارِيِّ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْقُرَارِيُّ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيَصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " . فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَجِبْ " .

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की इस हदीस का तकाज़ा और मफ़ाद यही है कि उस इंसान को नमाज़ बाजमाअत का एहतिमाम करना चाहिये जो मस्जिद में आ सकता है। अगरचे उसे नाबीना आदमी की तरह मेहनत व मशक्कत बर्दाश्त करके आना पड़े, अगर जमाअत छोड़ने की रुखसत मिल सकती तो नाबीना इंसान जिसको लाने वाला भी मौजूद न हो, इसका सबसे ज़्यादा हक़दार था और आप (ﷺ) ने उसको भी इजाज़त नहीं दी।

**बाब 45 : जमाअत के लिये हाज़िर
होना ही हिदायत की राह है**

(1487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि नमाज़ से किसी ऐसे शख्स के सिवा कोई पीछे न रहता जो मुनाफ़िक़ होता था और उसके निफ़ाक़ का सब को पता था या बीमार होता था। ऐसा बीमार भी नमाज़ के लिये आता था जो दो आदमियों के सहारे चल सकता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हिदायत के तरीक़ों की तालीम दी और हिदायत के तरीक़ों में से ये भी है कि नमाज़ ऐसी मस्जिद में आकर पढ़ी जाये जिसमें अज़ान दी जाती है।

(1488) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'जिस इंसान को ये बात पसंद हो कि कल क़यामत के दिन उसकी अल्लाह तआला से मुलाक़ात मुसलमान होने की सूरत में हो, वो इन नमाज़ों की पाबंदी (एहतिमाम) उन जगहों में करे जहाँ उनके लिये बुलाया जाता है। यानी नमाज़ बाजमाअत अदा करे, क्योंकि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी के लिये हिदायत के तरीक़े मुक़र्र कर दिये हैं और नमाज़ों का एहतिमाम हिदायत के तरीक़ों में से है। यानी हिदायत का राहे अमल यही है और अगर तुम

**باب صلاة الجماعة من سنن
الهدى**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيْمَشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ - وَقَالَ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْقَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَمِيَسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ

नमाज़ घरों में पढ़ोगे जैसाकि ये जमाअत से पीछे रहने वाला अपने घर में पढ़ता है तो तुम अपने नबी की राह छोड़ दोगे और अगर तुम अपने नबी के रास्ते को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। जो आदमी भी पाकीज़गी हासिल करता है और अच्छी तरह वुजू करता है फिर उन मस्जिदों में से किसी मस्जिद का रुख करता है तो अल्लाह तआला उसके हर क़दम के बदले एक नेकी लिखता है और एक दर्जा बुलंद फ़रमाता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है और मैंने अपने साथियों को पाया कि हममें से कोई एक भी जमाअत से पीछे न रहता था सिवाय ऐसे मुनाफ़िक़ के जिसका निफ़ाक़ सबको मालूम था। एक आदमी को दो आदमियों के सहारे लाकर सफ़्र में खड़ा किया जाता था।

(अबू दाऊद : 550, नसाई : 2/108-109)

फ़वाइद : (1) नबी (ﷺ) के ख़ूबसूरत दौर में तमाम सहाबए किराम (रज़ि.) जमाअत का एहतिमाम करते थे, कोई भी सहीह मुसलमान जमाअत से पीछे रहने का तसव्वुर नहीं करता यहाँ तक कि बीमार होने की सूरत में अगर इंसान दो आदमियों के सहारे चलकर मस्जिद पहुँच सकता था तो वो इसका भी इन्तिज़ाम करते थे और बीमारी को बहाना बनाकर बीमारी की शिद्दत में भी जमाअत से पीछे नहीं रहते थे। सिर्फ़ ऐसे लोग ही पीछे रहते थे जिनका निफ़ाक़ मअरूफ़ व मशहूर था या वो ऐसे बीमार होते कि दो आदमियों के सहारे चलकर भी नहीं आ सकते थे। इसलिये आप (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रज़ि.) को नाबीना होने के बावजूद जमाअत से पीछे रहने की इजाज़त नहीं दी थी। (2) बक़ौल अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) जमाअत का एहतिमाम करना, मुसलमान की अलामत व शनाख़्त है और हिदायत का रास्ता इख़ितयार करना है। (3) जमाअत की हाज़िरी की खातिर मस्जिद में जाने वाले को हर क़दम के बदले एक नेकी मिलती है, एक बुराई मिटती है और उसका एक दर्जा बुलंद होता है और जमाअत से पीछे रहने वाला इन तीनों ख़ैरात व बरकात से महरूम रहता है।

الْهُدَىٰ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النُّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ .

(4) जमाअत से पीछे रहना मुनाफ़िक़ की अलामत है और एक मुसलमान को हर हालत में इस धब्बे से महफूज़ रहने की कोशिश करनी चाहिये अगर एक नाबीना आदमी को घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो आँखों वाला किस तरह घर में नमाज़ पढ़ सकता है।

बाब 46 : अज़ान के बाद मस्जिद से निकलकर जाना जाइज़ नहीं

باب النهي عن الخروج، من المسجد إذا أذن المؤذن

(1489) अबू शअसा बताते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ बैठे हुए थे कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी। तो एक आदमी मस्जिद से उठकर चलने लगा। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उस पर अपनी नज़रें जमा दीं यहाँ तक कि वो मस्जिद से निकल गया। तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, इस आदमी ने अबुल क़ासिम (ؓ) की नाफ़रमानी की है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَةً حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(अबू दाऊद : 536, तिर्मिज़ी : 204, नसाई : 2/29, इब्ने माजह : 733)

फ़ायदा : जब इंसान मस्जिद में मौजूद हो तो बिला किसी ज़रूरत और बग़ैर किसी इज़र के जमाअत छोड़कर नहीं जाना चाहिये। हाँ अगर किसी को दूसरी जगह जमाअत करानी है या मस्जिद में पानी नहीं है और उसे पेशाब व पाख़ाना की हाजत है या वुज़ू करके वापस आने की निय्यत है तो फिर वो मस्जिद से निकल सकता है।

(1490) अशअस बिन अबी शअसा अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना जबकि उन्होंने एक आदमी को अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर निकलते देखा तो उन्होंने ये कहा, रहा ये, तो इसने अबुल क़ासिम (ؓ) की नाफ़रमानी की है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَاؤُ

المَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَقَدْ
عَضَى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

मुफ़रदातुल हदीस : यजताज़ : वो गुज़रता है, रास्ता उबूर करता है।

**बाब 47 : इशा और सुबह की नमाज़
बाजमाअत अदा करने की फ़ज़ीलत**

(1491) अब्दुरहमान बिन अबी अमरह बयान करते हैं कि हज़रत इस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) शाम की नमाज़ के बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाये और अकेले बैठ गये, मैं भी उनके पास बैठ गया। उन्होंने फ़रमाया, ऐ भतीजे! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने इशा की नमाज़ बाजमाअत अदा की तो गोया उसने आधी रात तक क़ियाम किया और जिसने सुबह की नमाज़ भी जमाअत के साथ पढ़ी तो गोया उसने सारी रात नवाफ़िल पढ़े।'
(अबू दाऊद : 555, तिर्मिज़ी : 221)

(1492) यही रिवायत अबू सहल इस्मान बिन हकीम से एक दूसरा रावी भी इसी तरह नक़ल करता है।

फ़ायदा : इशा और सुबह की दोनों नमाज़ों को जमाअत से अदा करना, इस क़दर अज़र व सवाब और ख़ैर व बरकत का बाइज़ है कि इंसान अपना अक्सर हिस्सा आराम और नींद में गुज़ारने के बावजूद पूरी रात की इबादत का या डेढ़ रात की इबादत का सवाब पा लेता है।

**باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ
فِي جَمَاعَةٍ**

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِضُفِّ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ " .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(1493) हज़रत जुन्दब बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी, वो अल्लाह तआला की अमान या ज़िम्मेदारी में है तो अल्लाह तआला तुमसे अपनी पनाह में आने वाले के बारे में मुतालबा न करे, (अगर किसी ने उसकी पनाह में आने वाले को सताया और उसने उसका मुवाख़िज़ा किया) तो वो उसको पकड़ कर जहन्नम में ओंन्धे मुँह डाल देगा।'

وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ "

मुफ़रदातुल हदीस : (1) फ़ी ज़िम्मतिल्लाह : वो अल्लाह की अमान और पनाह में है या उसकी ज़मानत और ज़िम्मेदारी में है। (2) मंय्यत्लुबुहू मिन ज़िम्मतिही बिशौइन : अगर किसी ने उसकी पनाह और ज़िम्मेदारी को कुछ नुक़सान पहुँचाया, पनाह में आने वाले को कुछ तकलीफ़ पहुँचाकर उसकी अमान में दख़ल अन्दाज़ी की। (3) युदरिकुहू : वो उसको पकड़ लेगा, वो मुवाख़िज़े से बच नहीं सकेगा।

(1494) हज़रत जुन्दब क़सरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली तो वो अल्लाह के हिफ़ज़ व अमान में है तो अल्लाह तआला अपनी अमान व ज़िम्मेदारी में आने वाले के बारे में कुछ बिल्कुल ना करे क्योंकि वो जिससे अपनी अमान के बारे में कुछ मुतालबा करेगा वो उसे पकड़ लेगा फिर उसे ओंन्धे मुँह जहन्नम की आग में डाल देगा।'

وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقُسْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ "

फ़ायदा : जुन्दब क़सरी से मुराद जुन्दब बिन इकिमा ही है जो बजली है शायद इनका क़सरी क़बीले से ताल्लुक हो या पड़ोसी हो।

(1495) यही रिवायत हसन बसरी जुन्दब (रज़ि.) से बयान करते हैं लेकिन आख़िरी फ़िक़्रह यकुब्बहू फ़ी नारि जहन्नम 'उसको

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

जहन्नम में ओन्धे मुँह फेंक देगा' बयान नहीं करते।
 عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا
 وَلَمْ يَذْكُرْ " فَيَكْبُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ "

(तिर्मिजी : 222)

फ़वाइद : (1) जुन्दब बिन सुफ़ियान भी जुन्दब बिन अब्दुल्लाह बजली है और सुफ़ियान उसका दादा है कभी निस्वत बाप की तरफ़ की गई है और कभी दादा की। (2) सुबह की नमाज़ का एहतिमाम और पाबंदी करना तमाम नमाज़ों की पाबंदी और इंसान के इमान व इख़लास की दलील है। इसलिये सुबह की नमाज़ की पाबंदी करने वाला अल्लाह तआला के तहफ़्फ़ुज़ (पनाह) में आ जाता है और उसको किसी किस्म का नुक़सान और अज़ियत पहुँचाने वाला, उसके तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी को तोड़कर अल्लाह तआला के ग़ैज़ व ग़ज़ब का निशाना बनता है और अपने किये के वबाल से नहीं बच सकता। गोया कि नमाज़ों की हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त इंसान के तहफ़्फ़ुज़ और निगेहदाश्त की ज़मानत है और नमाज़ों का तर्क, अपने आपको तहफ़्फ़ुज़ और निगेहदाश्त से महरूम करना है और आज-कल की बदअमनी, दहशतगर्दी, गुण्डागर्दी और दंगा व फ़साद में मुसलमानों के तारिके नमाज़ होने का बहुत ज़्यादा दख़ल है कोई नमाज़ी अल्लाह तआला की अमान और पनाह को तोड़ने की ज़ुरअत नहीं कर सकता।

बाब 48 : इज़र की सूरत में नमाज़ से पीछे रह जाने की इजाज़त

باب الرُّخْصَةِ فِي التَّخْلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، بَعْدُ

(1496) हज़रत इतबान बिन मालिक (रज़ि.) जो उन सहाबा किराम में से हैं जो अन्सार से जंगे बद्र में शरीक हुए थे वो बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अज़र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है और मैं अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाता हूँ और जब बारिशें होती हैं तो मेरे और उनके दरम्यान वाला नाला बहने लगता है जिसकी वजह से मैं उनकी मस्जिद में नहीं पहुँच सकता कि मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाऊँ और मैं चाहता हूँ ऐ

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتْ

अल्लाह के रसूल! आप (मेरे घर) तशरीफ़ लायें और किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें ताकि मैं उस जगह को नमाज़गाह बना लूँ। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं इन्शाअल्लाह आऊँगा और ये काम करूँगा।' इतबान बताते हैं कि जब दिन काफ़ी बुलंद हो गया तो आप अबू बकर (रज़ि.) के साथ तशरीफ़ लाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अंदर आने की) इजाज़त तलब फ़रमाई, मैंने इजाज़त दे दी। आप घर दाख़िल होकर बैठे नहीं, तुरंत फ़रमाया, 'तुम अपने घर में किस जगह मेरे नमाज़ पढ़ने को पसंद करते हो?' मैंने घर के एक कोने की तरफ़ इशारा किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खड़े होकर तकबीरे तहरीमा कही और हम आपके पीछे खड़े हो गये तो आपने दो रकअतें अदा कीं, फिर सलाम फेर दिया। हमने आपके लिये जो क़्रीमे की आमेज़िश से मालीदा तैयार किया था उसके लिये आपको रोक लिया। इतबान बयान करते हैं (आपकी आमद का सुनकर) हमारे मुहल्ले के हमारे गर्दों-नवाह (आस-पास) के लोग जमा हो गये यहाँ तक कि हमारे घर में काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गये तो उनमें से किसी ने पूछा, मालिक बिन दुख़शुन कहाँ है? तो उनमें से किसी ने कहा, वो तो मुनाफ़िक़ है, अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसके बारे में ये बात न कहो,

الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي مُصَلًّى . فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . قَالَ عِثْبَانُ فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ اِرْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ " أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ " . قَالَ فَأَشْرَتْ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَأَاهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - قَالَ - وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ - قَالَ - فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيُّنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْسَنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَلَّا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ قَالُوا

क्या तुम्हें मालूम नहीं उसने अल्लाह के चेहरे के लिये ला इला-ह इल्लल्लाह का इकरार किया है? तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, हम तो उसका रुख और उसकी ख़ैरख़वाही मुनाफ़िकों के लिये देखते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेशक अल्लाह तआला ने ऐसे शख्स के लिये आग को हराम करार दिया है जो अल्लाह तआला की रज़ा के हुसूल की ख़ातिर ला इला-ह इल्लल्लाह का इकरार करे।' इब्ने शिहाब कहते हैं, मैंने बाद में हुसैन बिन मुहम्मद अन्सारी से जो बन् सालिम के सरदारों में से हैं, महमूद बिन रबीअ की इस हदीस के बारे में पूछा तो उसने महमूद की तस्दीक की।

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَأَيُّمَا تَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " . قَالَ ابْنُ شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ख़ज़ीर : गोशत के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको खुले पानी में पकाना और पकने के बाद चूल्हे पर ही गोशत पर आटा छिड़क देना। (2) साब रिजालुम-मिन अह्लिलद्दार : मुहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गये यहाँ दार से मुराद मुहल्ला है, अहाता या हवेली नहीं। सरातिहिम : सरात सिरा की जमा है सरदार।

फ़वाइद : (1) किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल शख्सियत को ख़ैर व बरकत के लिये घर बुलाना जाइज़ है ताकि उससे किसी नेक काम का इफ़्तिताह करवाया जाये। (2) किसी मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत से मस्जिद का इफ़्तिताह करवाना और उससे नमाज़ पढ़वाना जाइज़ है। इसी तरह ज़रूरत के लिये घर में नमाज़ के लिये जगह मख़्सूस कराना और उसमें क़ाबिले एहतिराम शख्सियत से नमाज़ पढ़ाने की अपील करना और बाद में खुद उस जगह नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (3) अगर कोई इंसान किसी बुजुर्ग और मोहतरम शख्सियत को किसी नेक मक़सद की ख़ातिर घर में बुलाये तो उसको उसकी दावत कुबूल करके उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिये और ऐसे मौक़े पर खाने का एहतिमाम करना भी दुरुस्त है। (4) वादे को पूरा करने की निय्यत से इन्शाअल्लाह कहना चाहिये, इसको फ़रार का बहाना नहीं बनाना चाहिये। (5) अगर किसी बुजुर्ग और क़ाबिले एहतिराम

शख्सियत को बुलाया जाये तो वो अपने साथ अपने रफ़ीक़ को ले जा सकता है। (6) अगर किसी शख्स को घर बुलाया जाये तो वो बिला इजाज़त घर में दाख़िल नहीं हो सकता, उसको अंदर दाख़िल होने के लिये इजाज़त लेनी होगी। (7) किसी शख्स को जिस मक़सद के लिये बुलाया जाये उसे सबसे पहले उसको पूरा करना चाहिये। (8) कभी-कभार नफ़ल बाजमाअत अदा किये जा सकते हैं और उनकी कम से कम तादाद दो है। (9) अगर किसी जगह कोई बुजुर्ग शख्सियत आये तो उसकी ख़िदमत और उससे फ़ैज़ (दीनी मसाइल) हासिल करने के लिये वहाँ के लोगों को जमा होना चाहिये। (10) अगर कोई इंसान किसी मजबूरी और इज़र की बिना पर मस्जिद में हाज़िर न हो सकता हो तो उसके लिये घर पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। (11) किसी करीना की बिना पर किसी पर नक़द व तबसरा करना ये इल्ज़ाम तराशी और जुर्म नहीं है। लेकिन अगर सुनने वाले के सामने उससे बेहतर करीना और अलामत उसके ख़िलाफ़ मौजूद हो तो उसको नक़द और तबसरा करने वाले की इस्लाह करनी चाहिये कि तुम्हारा क्रियाफ़ा (अन्दाज़ा) दुरुस्त नहीं है। (12) मुनाफ़िक़ों से मेल-जोल रखना, जबकि इंसान खुद उनसे मुतास्सिर न हो और उनकी हरकात को दुरुस्त न समझता हो जाइज़ है। (13) ला इला-ह इल्लल्ल्लाह दीन को कुबूल करने का इन्वान है और इस बात का अहद करना है कि मैं मुकम्मल दीन को कुबूल करता हूँ और उस पर अमलपैरा होने का अहद करता हूँ। (14) सिद्क़ दिल (सच्चे दिल) से दीन को कुबूल करना और उस पर अमलपैरा होने का ज़ब्बए ख़ालिस रखना, जन्नत में जाने की ज़मानत है। (15) इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि आप लोगों के दिलों के हालात से आगाह थे, क्योंकि आपने इब्ने दुख़शुन को मुनाफ़िक़ कहने वाले को मुखातब करके फ़रमाया था, क्या तुम उसको देखते नहीं हो कि उसने ला इला-ह इल्लल्ल्लाह का इकरार, अल्लाह की खुश्नूदी हासिल करने के लिये किया है तो क्या वो इंसान उसके दिल के हालात से आगाही हासिल कर सकता था, किसी के आमाल व अफ़आल और सीरत व किरदार को देख कर उसके बारे में फ़ैसला किया जा सकता है। कुरआन मजीद में आपको मुखातब करके फ़रमाया गया है, आप उनको अलामत से पहचान लेंगे और आप उनको उनके बात करने के ढंग और उस्तूब से जान लेंगे। दिलों के हालात के बारे में फ़रमाया गया, ला तअलमुहुम नह्तु नअलमुहुम (सूरह तौबा) आप उनको नहीं जानते हम ही उनको जानते हैं। (16) नाबीना इंसान इमाम बन सकता है।

(1497) एक दूसरी सनद से इमाम साहब मज़क़ूरा बाला हदीस बयान करते हैं, उसमें ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि एक आदमी ने कहा, मालिक बिन दुख़शुन या दख़ैशीन कहाँ है?

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ،
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ،

और ये इज़ाफ़ा है, महमूद कहते हैं मैंने ये हदीस कुछ लोगों को (जिनमें अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि. भी मौजूद थे) सुनाई। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि जो बात तुम बयान करते हो, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई हो। तो मैंने दिल में क़सम उठाई कि अगर मैं इतबान को दोबारा मिलूंगा तो उनसे ये हदीस पूछूंगा। मैं उनके पास दोबारा आया तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीनाई ख़त्म हो चुकी थी लेकिन वो अपनी क़ौम के इमाम थे तो मैं उनके पहलू में बैठ गया और उनसे इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे पहले की तरह सारा वाक़िया सुनाया। ज़ोहरी कहते हैं, इस वाक़िये के बाद बहुत से अहक़ाम नाज़िल हुए और बहुत सी चीज़ें फ़र्ज़ हुईं। हमारे ख़याल में उनके बाद दीन मुक़म्मल हो गया, लिहाज़ा जो इंसान इतबान (रज़ि.) की हदीस के ज़ाहिरी मफ़हूम से धोखा न खाना चाहता हो वो हमारी वज़ाहत से धोखा खाने से बच जाये।

फ़ायदा : इमाम ज़ोहरी का मक़सद ये है कि इतबान (रज़ि.) की हदीस का ताल्लुक इब्तिदाए इस्लाम से है, जबकि अभी दीन के बहुत से फ़राइज़ और अहक़ाम नाज़िल नहीं हुए थे। इसलिये कोई इंसान इस धोखे में मुब्तला न हो कि महज़ कलिमे के इकरार से इंसान आग से बच जायेगा और हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने भी यही मफ़हूम लेकर (कि महज़ कलिमा निजात का बाइस है) इसका फ़रमाने नबवी होने से इंकार किया, लेकिन हमारे बयान करदा मफ़हूम के मुताबिक़ इस हदीस में कोई इश्क़ाल (दिक्क़त) नहीं है और इसकी पूरी वज़ाहत किताबुल ईमान में गुज़र चुकी है।

(1498) हज़रत महमूद बिन रबीअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे उस कुल्ली की समझ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे घर में एक

عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ ابْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَسَنِ أَوْ الدُّخَيْشِينَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتُ - قَالَ - فَحَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عَثْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ - قَالَ - فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامٌ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضٌ وَأُمُورٌ تُرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ،

डोल से (पानी लेकर) की थी। महमूद कहते हैं कि मुझे इतबान बिन मालिक (रज़ि.) ने बताया कि मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी नज़र में ख़राबी पैदा हो गई है और दो रक़आत नमाज़ पढ़ाने तक वाक़िया सुनाया और ये कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये जो खाना तैयार किया था उसके लिये आप (ﷺ) को रोक लिया। उसके बाद यूनुस और मअमर ने जो इज़ाफ़ा किया वो बयान नहीं किया।

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ إِنِّي لِأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِنَا . قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَصْرِي قَدْ سَاءَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَشِييشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرَ .

मुफ़रदातुल हदीस : जशीशह : बारीक आटा हण्डियाँ में पकाकर उस पर गोशत या खजूरें बिखेरना।

बाब 49 : नफ़ल नमाज़ बाजमाअत पढ़ाना और पाक चटाई, बोरिये और कपड़े वगैरह पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है

باب جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ
وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ
وَتَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

(1499) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि उनकी दादी मुलैका (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके लिये तैयार करदा खाने के लिये बुलाया। आप (ﷺ) ने उससे खाया फिर फ़रमाया, 'उठो! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ।' हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, तो मैं अपनी एक चटाई की तरफ़ गया जो कसरते इस्तेमाल से स्याह हो चुकी थी, उसको पानी से धोया। फिर उस चटाई पर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गये और मैंने एक यतीम बच्चे के साथ आपके पीछे सफ़ बना ली और बुढ़िया हमारे पीछे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " قَوْمُوا فَأَصَلِّي لَكُمْ " . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لُبِسَ فَتَضَخْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّقْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَأَاهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا

खड़ी हो गई। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो रकअतें पढ़ाई, फिर तशरीफ़ ले गये।
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

(सहीह बुखारी : 380, 860, अबू दाऊद : 612,
तिर्मिज़ी : 234, नसाई : 800)

मुफ़रदातुल हदीस : मिन तूलि मा लुबिस : कसरते इस्तेमाल की बिना पर यहाँ लिबास इस्तेमाल के मानी में है, यानी काफ़ी देर से वो चटाई बिछी हुई थी इसलिये गर्दों-गुबार पड़ने से स्याह हो चुकी थी।

फ़वाइद : (1) किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल के लिये खाना तैयार करना और उसके लिये उसको अपने घर बुलाना दुरुस्त है। (2) किसी मक़सद के लिये नमाज़ के औकात के सिवा बग़ैर घर वालों के मुतालबे के उनके घर में नफ़ल नमाज़ बाजमाअत अदा करना दुरुस्त है और घर में बच्चों और औरतों को नमाज़ का तरीका सिखाने के लिये जमाअत कराना सहीह है। (3) अगर इमाम के साथ दो मुक्तदी हों तो वो पीछे खड़े होंगे और औरत बच्चों की सफ़ में भी खड़ी नहीं हो सकती। (4) ज़मीन पर कोई पाक चीज़ बिछाकर उस पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, मिट्टी पर नमाज़ पढ़ना लाज़िम नहीं है।

(1500) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सब लोगों से आला व इम्दा अख़लाक़ से मुत्तसिफ़ थे, कई बार आप हमारे घर में तशरीफ़ फ़रमा होते और (नफ़ली) नमाज़ का वक़्त हो जाता तो आप जिस चटाई पर बैठे होते उसको साफ़ करने का हुक्म देते, फिर उसको धोया जाता। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) इमामत करवाते, हम आपके पीछे खड़े हो जाते तो आप हमें नमाज़ पढ़ा देते और उनका बिछौना (चटाई) खजूर के पत्तों का था।

(सहीह बुखारी : 6129, 6203, तिर्मिज़ी :
333, 1989, इब्ने माजह : 3720)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) युक्नस : कनस से है साफ़ करना, झाड़ना। (2) युज़हु : नज़हुन से है, धोना।

फ़ायदा : आप (ﷺ) अपने साथियों के साथ घुल-मिलकर रहते थे, तकल्लुफ़ और तसन्नोअ (दिखावे) से काम नहीं लेते, घर में आम इस्तेमाल होने वाली चटाई पर बैठ जाते और नमाज़ के वक़्त

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، كِلَاهُمَا
عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرَبَّمَا تَحَضَّرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ
فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكُنْسُ
ثُمَّ يُنْضِجُ ثُمَّ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بَيْنَا وَكَانَ بَسَاطَتُهُمْ
مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ .

उसको साफ़ करवाकर उस पर नमाज़ पढ़ लेते और ये नफ़ली नमाज़ होती थी, फ़र्ज़ नमाज़ आप मस्जिद में पढ़ाते थे।

(1501) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये और (घर में) सिर्फ़ मैं, मेरी वालिदा और मेरी ख़ाला उम्मे हराम मौजूद थे। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उठो! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ।' हालांकि ये किसी (फ़र्ज़) नमाज़ का वक़्त न था। एक आदमी ने (अनस के शागिर्द) साबित से पूछा, आपने अनस को कहाँ खड़ा किया था? तो उन्होंने जवाब दिया, आपने अनस को अपनी दायें तरफ़ खड़ा किया था। अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर आपने हमारे लिये यानी हमारे घराने के लिये दुनिया और आख़िरत की हर किसम की भलाई की दुआ फ़रमाई तो मेरी माँ ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! आपका छोटा और प्यारा ख़ादिम (अनस) इसके हक़ में दुआ फ़रमायें, आपने मेरे लिये हर किसम की ख़ैर की दुआ फ़रमाई और मेरे लिये दुआ करते हुए आख़िर में दुआ की, 'ऐ अल्लाह! इसको माल और औलाद क़सरत से इनायत फ़रमा और इसके लिये बरकत वदीअत फ़रमा।'

(नसाई : 2/86)

फ़वाइद : (1) अल्लाह तआला ने हज़रत अनस (रज़ि.) के हक़ में आपकी दुआ कुबूल फ़रमाई। आपके सौ से ऊपर बच्चे (बेटे, पोते और पोतियाँ वगैरह) थे और आप (अनस) का बाग़ हर साल दो बार फल देता था और आपको हर किसम की फ़रावानी और खुशहाली मुयस्सर थी। (2) अगर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने वाला सिर्फ़ एक हो तो वो इमाम के दायें तरफ़ खड़ा होगा।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ " قَوْمُوا فَلَأُصَلِّيَ بِكُمْ " . فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّى بِنَا . فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ . قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ . ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَوِّدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ . قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ " اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالِهِ وَوَلَدُهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ " .

(1502) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उसकी वालिदा और उसकी ख़ाला को नमाज़ पढ़ाई। आपने मुझे अपने दायें तरफ़ खड़ा किया और औरतों को हमारे पीछे खड़ा किया।
(अबूदाऊद : 609, नसाई : 2/86, इब्ने माजह : 975)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَيَأْمُرُهُ أَوْ خَالَتِهِ . قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .

फ़ायदा : औरतों की सफ़ अलग होगी वो मर्दों या बच्चों की सफ़ में शरीक नहीं होंगी।

(1503) इमाम मुस्लिम ने मज़कूरा बाला रिवायत दूसरे उस्तादों के वास्ते से भी बयान की है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(1504) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते और कई बार सज्दा करते वक़्त आपका कपड़ा मुझे लग जाता था और आप बोरिये (छोटी चटाई) पर नमाज़ पढ़ते थे।
(सहीह बुखारी : 333, 379, 518, अबू दाऊद : 656, इब्ने माजह : 1028)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرَبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ حُمْرَةً .

फ़ायदा : इंसान अपनी बीवी के बराबर खड़े होकर (घर में) नमाज़ पढ़ सकता है।

(1505) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो देखा आप चटाई पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और उस पर सज्दा करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي سُؤْدَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ

(तिर्मिज़ी : 332, इब्ने माजह : 1029, 1048)

الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ .

फ़ायदा : नमाज़ में पेशानी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी नहीं है बल्कि चटाई पर भी रखी जा सकती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तवाज़ोअ और खाकसारी व फ़रौतनी के इज़हार की खातिर ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे।

बाब 50 : बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत और उसके लिये नमाज़ का इन्तिज़ार करना

باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
وَأَنْتِظَارِ الصَّلَاةِ

(1506) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'आदमी का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना उसके अकेले घर में या अकेले बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से बीस से ज़्यादा दर्जा स़वाब का बाइस है क्योंकि जब कोई नमाज़ी वुजू करता है और अच्छी तरह वुजू करता है फिर वो मस्जिद में आता है और सिर्फ़ नमाज़ ही की खातिर उठता है। सिर्फ़ नमाज़ ही का इरादा करता है तो वो जो क़दम भी उठाता है उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह उसके सबब मिटा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो इस तरह मस्जिद में दाख़िल

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَرِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بَعْضًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنْ أَخَذَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا

हो जाता है। फिर जब वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो जब तक नमाज़ उस को रोके रखती है (नमाज़ का इन्तिज़ार करता है) वो नमाज़ में समझा जाता है और तुममें से कोई एक जब तक अपने नमाज़ पढ़ने वाली जगह में रहता है फ़रिश्ते उसके हक़ में ये दुआ करते रहते हैं वो कहते हैं, ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा, ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर नज़रे रहमत फ़रमा, इसकी तौबा कुबूल फ़रमा। जब तक वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, जब तक कोई नया काम नहीं करता।'

(सहीह बुख़ारी : 477, अबू दाऊद : 559, इब्ने माजह : 786)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ला यन्हज़ुहू : उसको नमाज़ के सिवा कोई चीज़ नहीं उठाती, आगे ला युरीदु इल्लस्सलात इसकी तफ़्सीर व तौज़ीह है कि वो सिर्फ़ नमाज़ ही का इरादा करता है। (2) ख़ुतवह : पेश के साथ, क़दम। (3) ख़तवह : ज़बर के साथ, एक क़दम उठाना। (4) मा लम युअज़ि : की तफ़्सीर है मालम युह्दिस्स। यानी हवा ख़ारिज करके हाज़िरीन (फ़रिश्तों, इंसानों) को अज़ियत व तकलीफ़ पहुँचाया या उस (मस्जिद) में ख़िलाफ़े शरीअत किसी हरकत का इर्तिक़ाब करना।

फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है और वहाँ इसके फ़वाइद गुज़र चुके हैं, मक़सद ये है कि दूर की मसाफ़त से आने वाले नमाज़ी को क़दम ज़्यादा उठाने पड़ते हैं, इसलिये उसको अज़र व स़वाब भी ज़्यादा मिलता है और इंसान जब तक मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठता है वो नमाज़ के हुक़म में होता है और फ़रिश्तों की दुआओं का हक़दार ठहरता है। इसलिये उसको मस्जिद में अदब व एहतियाम और वक़ार के साथ बैठना चाहिये और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जो दूसरों के लिये तकलीफ़देह हो।

(1507) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी आमश की सनद ही से इसके हम मानी रिवायत नक़ल की है।

خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ " .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّاسٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّبَّانِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ
الْأَعْمَشِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

(1508) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई जब तक नमाज़ पढ़ने की जगह बैठा रहता है फ़रिश्ते उसके हक में यूँ दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा। जब तक वो बेवुजू नहीं होता और जब तक तुममें से कोई शख्स नमाज़ की ख़ातिर रुका हुआ है वो नमाज़ ही में होता है।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصَلِّي عَلَيَّ أَخَذَكُمْ مَا
دَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ
ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحَدِّثْ وَأَخَذَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا
كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ " .

(1509) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बन्दा नमाज़ ही में होता है जब तक वो नमाज़ के इन्तिज़ार में नमाज़गाह में रहता है और फ़रिश्ते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह! इस पर रहमत फ़रमा। यहाँ तक कि वो चला जाये या वुजू तोड़ दे।' अबू राफ़ेअ कहते हैं, मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा, युहिदिसु का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, आहिस्ता या बुलंद आवाज़ से हवा ख़ारिज कर दे। (अबू दाऊद : 471)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بِهِزٌ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ
فِي مُصَلَاةٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ
يُحَدِّثَ " . قُلْتُ مَا يُحَدِّثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ
يَضْرِبُ .

(1510) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से हर एक नमाज़ में होता है जब तक नमाज़ उसे रोके रखती है, घर की तरफ़ पलटने से नमाज़ ही रुकावट बनी है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَزَالُ أَخَذَكُمْ فِي
صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ
يَتَقَلَّبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ " .

(सहीह बुख़ारी : 659, अबू दाऊद : 470)

(1511) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठते हो नमाज़ ही में हो जब तक वुजू न टूटे, फ़रिश्ते उसके लिये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।'

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "

(1512) इमाम मुस्लिम दूसरी सनद से अबू हुरैरह (रज़ि.) से इसके हम मानी रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُبَيْهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْحُو هَذَا .

(तिर्मिज़ी : 330)

बाब 51 : मस्जिदों की तरफ़ जाने के लिये ज़्यादा क़दम उठाने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ كَثْرَةِ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

(1513) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'नमाज़ का सब लोगों से ज़्यादा स़वाब उस नमाज़ी को मिलता है जो उसके लिये सबसे दूर से चलकर आता है, उसके बाद जो, उसके बाद दूर से चलकर आता है और जो आदमी इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये नमाज़ का इन्तिज़ार करता है उसको उससे ज़्यादा स़वाब मिलता है, जो नमाज़ पढ़कर सो जाता है।' अबू कुरैब की रिवायत में मअल इमाम के बाद फ़ी जमाअतिन् के अल्फ़ाज़ हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ " حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ " .

(सहीह बुखारी : 651)

(1514) हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी था, मेरे इल्म में मस्जिद से उससे ज़्यादा किसी का फ़ासला न था और उसकी कोई नमाज़ (बाजमाअत) क़ज़ा नहीं होती थी तो उसे किसी ने कहा या मैंने कहा, ऐ काश! आप तारीकी और गर्मी में आसानी के लिये सवारी के लिये गधा ख़रीद लें तो उसने कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरा घर मस्जिद के पड़ोस में हो, मैं चाहता हूँ मेरा मस्जिद तक चलकर जाना और जब मैं घर लौटूँ तो मेरा लौटना लिखा जाये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये सब कुछ अल्लाह तआला ने तेरे लिये जमा कर दिया है।'

(अबू दाऊद : 557, इब्ने माजह : 783)

फ़ायदा : इंसान का रात की तारीकी में और गर्मियों की शिदत में घर से मस्जिद तक जाना-आना लिखा जाता है और उन चीज़ों (गर्मी, अन्धेरे, आने-जाने) का इंसान को अज़र व सवाब मिलता है इसलिये मस्जिद से मसाफ़त के बुअद और दूरी से डर कर या उसको बहाना बनाकर घर में नमाज़ पढ़ लेना दुरुस्त नहीं है। नमाज़ के लिये जिस क़द्र मशक्कत बर्दाश्त करेगा या दूर से आयेगा उतना ही अज़र व सवाब में इज़ाफ़ा होगा।

(1515) इमाम साहब एक दूसरी सनद से इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

(1516) हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) बयान करते हैं, एक अन्सारी आदमी था, उसका घर मदीना में सबसे ज़्यादा दूर था और उसकी कोई नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّزٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ صَلَاةٌ - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرَكَبَهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ . قَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ مَنَزَلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ "

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّمِيمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِنَحْوِهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

इक़्तिदा में पढ़ने से नहीं रहती थी। हमने उसके लिये दर्द महसूस किया (उसकी तकलीफ़ का हमें एहसास हुआ) तो मैंने उसे कहा, ऐ फ़लाँ! ऐ काश! आप एक गधा ख़रीद लें जो आपको गर्मी और ज़मीन के ज़हरीले कीड़ों से बचाये। उसने कहा, हाँ अल्लाह की क़सम! मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा घर तनाबों (रस्सियों) के ज़रिये मुहम्मद (ﷺ) के घर से बन्धा हुआ होता। तो मुझे उसकी ये बात बहुत नागवार महसूस हुई। यहाँ तक कि मैंने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आकर आपको उसकी ख़बर दी। आपने उसे बुलवाया, तो उसने आपको भी इस क़िस्म का जवाब दिया और आपको बताया, मैं अपने आने-जाने पर स़वाब की उम्मीद रखता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे वो अज़्र मिलेगा जिसकी तुमने निश्चय की।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हवाम्म : हाम्मह की जमा है। ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों को कहते हैं। (2) मुतन्नब : तनब से माख़ूज़ है। ख़ैमे को रस्सियों से बांधना। मक़सद है कि मेरा घर आप (ﷺ) के घर से मुत्तसिल (मिला हुआ) होता। (3) हमलतु बिही हिम्ला : मैंने सीना पर बोझ उठाया, मक़सद ये है कि उसके ये अल्फ़ाज़ मेरे लिये बहुत नागवारी का बाइस बने। (4) फ़ी अज़रिही : इस चाल और आमद व रफ़्त के सबब।

फ़ायदा : अन्सारी सहाबी का मक़सद ये था, मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे आने-जाने में मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है और मैं ये मशक्क़त सिर्फ़ इस उम्मीद पर बर्दाश्त करता हूँ कि मुझे इसका अज़्र मिलेगा। मैं अपने अज़्र व स़वाब से किसी सूत में महरूम नहीं होना चाहता। ये नहीं कि वो नबी (ﷺ) के कुर्ब व जवार को पसंद नहीं करता था।

(1517) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से भी आसिम की मज़क़ूरा सनद से इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ
 الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 قَالَ - فَتَوَجَّعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فَلَانُ لَوْ أَنَّكَ
 اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَتِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَتِيكَ مِنْ
 هَوَامِّ الْأَرْضِ . قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحِبُّ أَنْ يَبْتِي
 مُطْنَبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ - فَدَعَاهُ فَقَالَ
 لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ
 الْأَجْرَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 " إِنَّ لَكَ مَا أَحْسَنْتَ "

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
 أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

(1518) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे घर मस्जिद से दूर वाक़ेअ थे तो हमने चाहा, हम अपने घरों को फ़रोख़्त (बेच) करके मस्जिद के करीब घर ख़रीद लें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इससे रोक दिया और फ़रमाया, 'तुम्हें हर क़दम के बदले में एक दर्जा मिलेगा।'

(1519) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मस्जिद के गिर्द कुछ जगहें ख़ाली हुई तो बनू सलमा के लोगों ने चाहा मस्जिद के करीब मुन्तक़िल हो जायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी इसका पता चल गया तो आप (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'मुझे इत्तिलाअ मिली है कि तुम मस्जिद के करीब मुन्तक़िल होना चाहते हो?' उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! हमने इसका इरादा किया है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ बनू सलमा! अपने घरों में रहो, तुम्हारे नक्शे क़दम लिखे जाते हैं, अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे क़दमों के निशानात लिखे जाते हैं।'

(1520) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनू सलमा के लोगों ने मस्जिद के करीब आ जाने का इरादा किया, क्योंकि मस्जिद के करीब जगहें ख़ाली थीं। नबी (ﷺ)

سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَتَّبِعَ، بَيْوتَنَا فَتَقَرَّبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَّقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَتَّقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ " . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ : فَقَالَ " يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ " .

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ

को भी इसकी खबर मिल गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ बनू सलमा! अपने घरों में रहो, तुम्हारे नक्शे क़दम लिखे जाते हैं।' तो उन्होंने कहा, हमें पसंद नहीं है कि हम मुन्तक़िल हो चुके होते।

يَتَحَوَّلُوا، إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. - قَالَ - وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ ". فَقَالُوا مَا كَانَ يَسْرُنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बिक़ाअ : बुक़अह की जमा है, क़तअ ज़मीन, ज़मीन का टुकड़ा। (2) आस़ार : अस़र की जमा है, पाँव का निशान।

फ़ायदा : मस्जिद के करीब सिर्फ़ इस ग़र्ज़ के तहत जगह लेना कि ज़्यादा दूर से चलकर न आना पड़े, दुरुस्त नहीं है क्योंकि इंसान जिस क़द्र मस्जिद से दूर होगा उस क़द्र उसको एहतिमाम ज़्यादा करना पड़ेगा। नमाज़ के लिये ज़्यादा फ़िक्रमन्दी, ज़्यादा मशक्क़त और दूर की मसाफ़त ज़्यादा वक़्त की तालिब होगी तो ये हर चीज़ अज़र व स़वाब और फ़ज़ीलत का बाइस होगी। अगर इसका सबब कोई और चीज़ हो जैसे मस्जिद के करीब होने की वजह से बच्चे मस्जिद में पढ़ सकेंगे, बूढ़े और मरीज़ के लिये भी जमाअत के लिये मस्जिद में जाना आसान होगा। हमारे लिये तकबीरे तहरीमा में शिरकत आसान होगी तो इस निय्यत के तहत मस्जिद के करीब आना दुरुस्त है।

बाब 52 : मस्जिद में नमाज़ के लिये चलकर आने से गुनाह मिटते हैं और दरजात बुलंद होते हैं

باب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمَحَّى بِهِ الْخَطَايَا وَتَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ

(1521) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने घर में वुज़ू किया फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ़ चलकर गया, ताकि अल्लाह के फ़र्ज़ों में से किसी फ़रीज़े को अदा करे तो उसके दो क़दमों में से एक क़दम से गुनाह उतरेंगे और दूसरे से दर्जा बुलंद होगा।'

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً " .

(1522) हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुममें से किसी के घर के सामने नहर हो, जिससे वो हर रोज़ पाँच बार नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल-कुचैल रह जायेगी?' सहाबा ने अर्ज़ की, उस पर कोई मैल-कुचैल नहीं रहेगी? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच नमाज़ों की मिसाल ऐसी ही है, अल्लाह तआला इनसे गुनाहों को मिटा देता है।'

(सहीह बुखारी : 528, तिर्मिज़ी : 2868, नसाई : 1/230-231)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَغْنِي ابْنُ مَضَرَ - كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِنَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَرْبِهِ شَيْءٌ " . قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذَرْبِهِ شَيْءٌ . قَالَ " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا " .

फ़ायदा : नमाज़ पढ़ने से इंसान के सगीरा (छोटे) गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटे गुनाहों के असरात ज़ाहिर बदन पर होते हैं। इसलिये उनका इज़ाला आसान होता है, जिस तरह जिस्म की मैल अगर इंसान के मसामों में दाख़िल न हो या कपड़े में मेल ज़ब्त न हो तो उसका धोना आसान होता है लेकिन अगर जिस्म पर लगने वाली मैल, उसके अंदर सरायत कर जाये तो उसको सिर्फ़ साबुन से साफ़ करना भी आसान नहीं होता। कबीरा गुनाहों के असरात इंसान के दिल को मुतास्सिर करते हैं। इसलिये वो तौबा या अल्लाह तआला की खुसूसी रहमत के बग़ैर माफ़ नहीं होते।

(1523) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच नमाज़ों की मिसाल गहरी नहर की मानिन्द है, जो किसी इंसान के दरवाज़े पर बह रही हो, वो उससे रोज़ाना पाँच बार नहाता हो।' हसन बसरी ने कहा, ये गुस्ल उसके जिस्म पर मैल-कुचैल छोड़ेगा? (यानी नहीं छोड़ेगा)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُهَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ " . قَالَ قَالَ الْخَسَنُ وَمَا يَبْقَى ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ .

मुफ़रदातुल हदीस: (1) ग़मर: ज़्यादा पानी या गहरा पानी। (2) दरन : बदन पर लगने वाली मैल-कुचैल।

(1524) हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान (नमाज़ के लिये) मस्जिद में आता-जाता है उसके हर आने-जाने पर अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) तैयार फ़रमाता है।'
(सहीह बुख़ारी : 662)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ . "

फ़ायदा : नमाज़ की पाबंदी और एहतियाम इंसान के लिये जन्नत में ज़ियाफ़त व दावत का सबब बनता है और मेहमान वाली तकरीम का सबब बनता है। ग़दा औ राह का मानी मुत्लक़न आना-जाना है, सिर्फ़ सुबह व शाम आना-जाना मुराद नहीं है।

बाब 53 : सुबह की नमाज़ के बाद अपनी नमाज़गाह में बैठने की फ़ज़ीलत और मस्जिदों की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

(1525) सिमाक बिन हरब बयान करते हैं, मैंने जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से पूछा, क्या आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा करते थे? उसने कहा, हाँ, बक़्सरत (बहुत)। आप जिस जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते थे, सूरज निकलने तक उस जगह तशरीफ़ रखते जब सूरज निकल आता तो फिर आप उठते और सहाबा किराम (रज़ि.) आपस में बातचीत करते, जाहिलिय्यत के दौर की बातें शुरू हो जातीं तो वो लोग हँसते और आप भी मुस्कराते।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ سَمْرَةَ أَكُنْتُ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الصُّبْحُ أَوْ الْعَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ .

(अबू दाऊद : 1294, नसाई : 3/80-81)

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक मस्जिद में ज़िक्र व अज़कार और तिलावत के लिये बैठे रहना अज़र व स़वाब का बाइस है और पन्द व मौइज़त या इब्रत पज़ीरी के लिये इस्लाम से पहले के वाक़ियात या दूसरे तारीखी वाक़ियात सुनना और सुनाना जाइज़ है और मस्जिद के तक़द्दुस व एहतिराम को मल्हूज़ रखते हुए ज़रूरत के वक़्त उसमें हँसना और मुस्कराना भी जाइज़ है।

(1526) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र पढ़ने के बाद सूरज के अच्छी तरह निकलने तक अपने मुसल्ले पर ही तशरीफ़ फ़रमा रहते थे।

(अबू दाऊद : 4850)

(1527) इमाम मुस्लिम ने मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत अपने दूसरे उस्तादों से बयान की है लेकिन उसमें (हसनन) अच्छी तरह निकलने के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

(तिर्मिज़ी : 585, नसाई : 3/80)

(1528) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला को तमाम जगहों से पसंद जगह मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा नापसंद जगहें बाज़ार हैं।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَاءَ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَاةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَقُولَا حَسَنًا .

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ، - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُنَابٍ، فِي رِوَايَةٍ هَارُونَ - وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الْأَحَارِثُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला को ऐसे मकामात पसंद हैं जहाँ लोग उसकी याद में मसरूफ़ हों, जिक्र व अज़कार करें, तस्बीह व तहमीद और तहलील व तकबीर में मशगूल हों। किताबो-सुन्नत की तालीम व तदरीस या पढ़ने में लगे हों और ये काम सबसे ज़्यादा मसाजिद में होते हैं। इसलिये मसाजिद सब जगहों से पसन्दीदा हैं। इसके बरखिलाफ़ बाज़ार उमूमन जिक्रे इलाही से ख़ाली होते हैं, हर वक़्त शोर व शगब बर्पा रहता है, खुले आम झूठ, झूठी क़समें, धोखा, जअलसाज़ी, आमेज़िश (मिलावट), नाजाइज़ कारोबार उरूज पर होते हैं, अहकामे शरीअत की खुले आम मुख़ालिफ़त होती है इसलिये ये जगहें अल्लाह तआला को पसंद नहीं हैं।

बाब 54 : इमामत का हक़दार कौन है

(1529) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तीन नमाज़ी हों तो उनमें से एक इमाम बने और उनमें इमामत का हक़दार वो है जो कुरआन मजीद की ख़ूब तिलावत करता है।'

(नसाई : 2/77, 839)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि इमामत का हक़दार वो इंसान है जिसे कुरआन मजीद के साथ ख़ास शग़फ़ व ताल्लुक हो और वो इसकी क़सरत के साथ (ज़्यादा से ज़्यादा) तिलावत करता हो, लेकिन इसमें इख़ितलाफ़ है कि क्या क़िरअत से मुराद सिर्फ़ हिफ़ज़े कुरआन और उसकी क़सरत के साथ तिलावत है या इससे मुराद हिफ़ज़े कुरआन के साथ इसका इल्म व फ़हम भी है। इमाम अहमद के नज़दीक सिर्फ़ क़ारी मुक़द्दम है और बाक़ी अइम्मा के नज़दीक कुरआन का इल्म व फ़हम रखने वाला आलिम मुक़द्दम है। अगर क़ारी आलिम भी हो तो उसके मुक़द्दम होने में कोई इख़ितलाफ़ नहीं है।

(1530) इमाम मुस्लिम ने दूसरे उस्तादों से भी क़तादा की मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान की है।

باب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ،

(1531) इमाम मुस्लिम ने और उस्तादों से यही रिवायत बयान की है।

(1532) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों की इमामत वो शख्स करे जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह की किताब पढ़ने वाला हो और अगर उसमें सब एकसाँ (बराबर) हों तो उनमें जो सबसे ज़्यादा सुन्नत का इल्म रखता हो, पस अगर सुन्नत में भी सब बराबर हों तो वो जिसने सबसे पहले हिज्रत की हो और अगर हिज्रत में भी सब बराबर हों तो वो इमामत करवाये जो सबसे पहले मुसलमान हुआ और कोई आदमी दूसरे आदमी के इन्तिदार की जगह में इमामत न कराये और न ही उसके घर में उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी मखसूस जगह पर बैठे।' अशज ने अपनी रिवायत में सिल्मन् की जगह सिन्नन् कहा यानी उम्र में ज़्यादा हो।

(अबू दाऊद : 582, 583, 584, तिर्मिज़ी : 235, नसाई : 2/76, 2/77, इब्ने माजह : 980)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) सिल्मन् : इस्लाम लाना, मुसलमान होना। सुल्तान सियादत व हुकूमत।
(2) तक्निमतिही : उसकी इज़ज़त व तकरीम की जगह, किसी की मस्नद। यानी मुस्तकिल इमाम की इजाज़त के बग़ैर उसकी जगह पर इमामत नहीं करवाई जा सकती और किसी के घर उसकी मखसूस जगह पर उसकी इजाज़त के बग़ैर बैठा नहीं जा सकता।

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْخُرَيْرِيِّ، عَنِ أَبِي تَضَرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي خَالِدٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " . قَالَ الْأَشْجَعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًا .

फ़ायदा : अहदे नबवी में फ़ज़ीलत का मदार दीन व तक़्वा था। इसलिये सबसे पहला मैयार फ़ज़ीलते कुरआन मजीद के साथ शग़फ़ व ताल्लुक़ था। नमाज़ की इमामत के लिये ज़्यादा अहल और मौजूँ वो शख़्स है जो किताबुल्लाह के साथ शग़फ़ व रब्त में दूसरों से फ़ाइक़ (ऊँचा) हो। फ़ज़ीलत का दूसरा मैयार सुन्नत का इल्म है और ज़ाहिर है अगर अकरउ से मुराद किताबुल्लाह का इल्म रखने वाला हो तो फिर जो सुन्नत का ज़्यादा इल्म रखता होगा वही कुरआन का ज़्यादा इल्म रखता होगा। क्योंकि सुन्नत ही कुरआन की शारेह (तशरीह) और मुफ़स्सिर है और नबी (ﷺ) से जो कुरआन पढ़ते थे आप (ﷺ) उनको उसके हक़ाइक़ व मआरिफ़ और उस पर अमल का तरीक़ा भी बताते थे। आप (ﷺ) के दौर में तीसरा मैयारे फ़ज़ीलत हिज्रत में मुक़दम होना था, अब ये चीज़ बाक़ी नहीं रही। इसलिये इलमा ने इसकी जगह सलाह व तक़्वा में फ़ौक़ियत व बरतरी को तीसरा मैयार करार दिया है। तरज़ीह का चौथा मैयार आपने उसमें पहले इस्लाम लाने को करार दिया है और अगली हदीस में उम्र में बुजुर्गों को मैयार करार दिया है यानी उसको मुसलमान हुए ज़्यादा अरसा हो चुका हो। खुलासाए कलाम ये है कि जमाअत में जो शख़्स सबसे बेहतर और अफ़ज़ल हो उसको इमाम बनाया जाये। आज-कल इस अहम हिदायत से ग़फ़लत बरती जा रही है। इसलिये उम्मत में बहुत सी ख़राबियों ने राह बना ली है और उम्मत का शीराज़ा बिखर गया।

(1533) इमाम मुस्लिम ने अपने बहुत से दूसरे उस्तादों से भी मज़क़ूर बाला रिवायत को बयान किया है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشْجُ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(1534) अबू मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, 'लोगों की इमामत वो शख़्स कराये जो उनमें सबसे ज़्यादा किताबुल्लाह का पढ़ने वाला हो और क़िरअत में सबसे आगे हो। अगर वो क़िरअत में बराबर हों तो उनका इमाम वो शख़्स बने जो हिज्रत में सबसे आगे हो। अगर हिज्रत में बराबर हों तो उनकी इमामत वो शख़्स करे जो

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ صَمْعَجٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

उनमें उम्र में बड़ा हो और किसी आदमी की उसके घर में और उसके इज्जतदार में इमामत न करो और न उसके घर में उसकी इज्जत व तकरीम की जगह पर बैठो, मगर ये कि वो तुम्हें इजाज़त दे दे या उसकी इजाज़त से हो।’

(1535) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हम उम्र नौजवान रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और हम आप (ﷺ) के पास बीस दिन ठहरे। रसूलुल्लाह (ﷺ) बहुत मेहरबान और नर्म दिल थे तो आपने खयाल किया कि हम अपने घर वालों को चाहने लगे हैं, यानी हम घर जाना चाहते हैं तो आपने हमसे पूछा, हम किन घर वालों को छोड़कर आये हैं? तो हमने आपको बता दिया। आपने फ़रमाया, ‘अपने खानदान के पास लौट जाओ और उन्हीं में ठहरो, उन्हें तालीम दो और उन्हें हुक्म दो जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तुममें से एक अज़ान कहे। फिर तुममें से जो बड़ा हो वो तुम्हारा इमाम बने।’

(सहीह बुखारी : 630-631, 628, 658, 685, 819, 2847, 6008, 7246, अबू दाऊद : 589, तिर्मिज़ी : 205, नसाई : 2/8-9, 2/77, 2/9, 2/21, इब्ने माजह : 979)

फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) चूंकि तकरीबन हम उम्र साथियों के साथ नबी (ﷺ) की खिदमत में हुसूले तालीम के लिये हाज़िर हुए थे और सबने बराबर तालीम हासिल की। इसलिये आप (ﷺ) ने वजहे तरजीह उम्र में बुज़ुर्गी को फ़रार दिया।

وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَكْبَرَهُمْ سِنًا وَلَا تَوَمَّنَنَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَيْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبِيهَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَشَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْتَاهُ فَقَالَ " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ " .

(1536) इमाम मुस्लिम ने यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، وَخَلْفَ بْنِ هِشَامٍ،
قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(1537) हज़रत अबू सुलैमान मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं कुछ लोगों के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हम लोग तक्रिबन हम उम्र नौजवान थे। फिर मज़कूरा रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ،
عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ
بْنُ الْخُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ
شَبِيهَةٌ مُتَقَارِبُونَ . وَاقْتَصَا جَمِيعًا الْخَدِيثَ
بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

(1538) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और मेरा दोस्त नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो जब हमने आप (ﷺ) के यहाँ से वापस जाने का इरादा किया, आपने हमें फ़रमाया, 'जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो अज़ान का इन्तिज़ाम करना, फिर इक्रामत कहना और जो तुममें से बड़ा है वो इमामत कराये।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي
فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا " إِذَا
خَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَدْنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيُؤْمِكُمَا
أَكْبَرُكُمَا " .

फ़ायदा : सफ़र में भी अज़ान और जमाअत का एहतिमाम करना चाहिये। मुअज़्ज़िन के लिये बेहतर और अफ़ज़ल होना शर्त नहीं है, इमामत का हक़दार अफ़ज़ल और बेहतर ही है। आते वक़्त सब साथी इकट्ठे आये, जाते वक़्त सबसे आख़िर में आप (ﷺ) को अल्विदाअ कहने वाले ये दोनों साथी थे, इसलिये आपने इनको ख़ुसूसी हिदायत दीं।

(1539) इमाम मुस्लिम एक दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं जिसके आख़िर में है, ख़ालिद हज़ज़ा ने कहा, ये दोनों क़िरात में बराबर थे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْْنِي
ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَزَادَ قَالَ الْحَدَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ .

बाब 55 : जब मुसलमान किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो तमाम नमाज़ों में दुआए कुनूत पढ़ना बेहतर है

(1540) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस वक़्त सुबह की नमाज़ की क़िरात से फ़ारिग़ होकर अल्लाहु अक़बर कहते और (रुकूअ से) सर उठाते तो फ़रमाते, समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना व लक़ल हम्द अल्लाह तआला की जिसने हम्द की उसने उसको सुन लिया। ऐ हमारे रब! हम्द का हक़दार तू ही है। फिर खड़े-खड़े दुआ करते, ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अय्याश बिन अबी रबीआ और कमज़ोर समझे जाने वाले मोमिनों को निजात दे। ऐ अल्लाह! मुज़रियों को सख़्त तरीक़े से रौंद डाल और ये पकड़ यूसुफ़ (अलै.) के दौर की ख़ुशकसाली की सूत में हो। ऐ अल्लाह! लिहयान, रिअल, ज़क़वान और इसय्या जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, पर लानत फ़रमा। फिर हमको ख़बर पहुँची कि जब ये आयत उतरी, 'आपको इस मामले में कोई इख़्तियार नहीं है, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कुबूल कर ले, चाहे तो उनको अज़ाब दे क्योंकि वो ज़ालिम हैं।' (सूरह आले इमरान : 128) तो आप (ﷺ) ने ये दुआ छोड़ दी।

باب استِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِئِن يَقْرَأُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيْشَ بْنَ أَبِي رَيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِينِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنَ لِحِيَانَ وَرِعْلَانَ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . ثُمَّ بَلَّغْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُتِرِلَ [لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ] .

फ़ायदा : जब मुसलमान किसी मुसीबत का शिकार हों जैसे दुश्मन का ख़ौफ़ हो, खुशकसाली हो, कोई वबा फैल जाये तो तमाम नमाज़ों में कुनूते नाज़िला करना बेहतर है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन के नज़दीक, कुनूते नाज़िला नमाज़ों में मन्सूख़ है। अल्लामा इब्ने हम्माम ने कुनूते नाज़िला को शरीअते मुस्तमिरह करार दिया है। क्योंकि ये खुलफ़ाए राशिदीन से साबित है और बिअरे मऊना में शहीद होने वाले सत्तर क़ारियों के लिये आप (ﷺ) ने एक माह तक दुआ फ़रमाई और फिर छोड़ दी, क्योंकि मक़सद पूरा हो गया था। इसलिये कुनूते नाज़िला का ताल्लुक़ ज़रूरत से है, अगर मुसलमान ख़ौफ़ज़दा हों, मुसीबत से दोचार हों तो दुआ की जायेगी वरना नहीं।

नोट : लैस लक़ मिनल अम्रि शैअ आयत से साबित होता है कि आप (ﷺ) मुख्तारे कुल मुत्लक़ नहीं हैं। अल्लामा सईदी ने इसका जवाब देने की कोशिश की है लेकिन जवाब की बजाए ग़ैर शक़री तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है। अल्लामा आलूसी हनफ़ी की इबारत नक़ल करके तर्जुमा लिखते हैं, आप (ﷺ) उनको तौबा के लिये मजबूर करने पर क़ादिर नहीं, न तौबा से रोकने पर, अज़ाब देने पर क़ादिर हैं न माफ़ करने पर, ये तमाम उमूर अल्लाह तआला के इख़ितयार में है।

अल्लामा इस्माईल हनफ़ी की इबारत नक़ल करके तर्जुमा लिखते हैं, आयत का मानी ये है कि कुफ़रार के मामलात का अल्लाह तआला अलल इत्लाक़ (मुकम्मल तौर पर) मालिक है ख़वाह उन्हें हलाक़ कर दे या सज़ा दे, इस्लाम लाने पर उनकी तौबा कुबूल करे या इस्लाम न लाने पर उनको अज़ाबे उख़रवी दे। आप (ﷺ) इन मामलात के मालिक नहीं हैं। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/329)

(1541) इमाम मुस्लिम यही रिवायत दूसरी सनद से बयान करते हैं लेकिन उसमें अल्लाहुम्मल अन लिहयान व रिअ्लन से आख़िर तक का हिस्सा बयान नहीं करते। (सहीह बुख़ारी : 6200, इब्ने माजह : 1244)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ " وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِينِي يَوْمَئِذٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

(1542) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में रुकूअ के बाद एक माह तक कुनूत किया जब आप समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तो ये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،

दुआ-ए-कुनूत पढ़ते। ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को निजात दे, ऐ अल्लाह! सलमा बिन हिशाम को निजात दे, ऐ अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीआ को निजात दे। ऐ अल्लाह! कमज़ोर मुसलमानों को निजात दे, ऐ अल्लाह! मुजरियों को बड़ी शिद्दत से रौंद डाल। ऐ अल्लाह! उन पर यूसुफ के दौर का क़हत मुसल्लत कर दे।' अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, फिर मैंने बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने उन लोगों के हक़ में दुआ करना छोड़ दिया है तो मुझे बताया गया कि तुम देख नहीं रहे हो कि ये लोग आ चुके हैं।

(अबू दारुद : 1442)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) वत्अतक : वता पामाली करना, रौंदना, मक़सद ये है उनकी पकड़ फ़रमा। (2) सिनीन : सिनह की जमा है ये लफ़ज़ क़हतसाली के लिये इस्तेमाल होता है। मक़सद ये है कि उनको क़हतसाली से दोचार फ़रमा। (3) क़द क़दिमू : वो आ चुके हैं, कुछ हज़रत ने इसका तर्जुमा मातू किया है जो दुरुस्त नहीं है क्योंकि सलमा बिन हिशाम 14 हिजरी में फ़ौत हुए हैं और अय्याश बिन अबी रबीआ 15 हिजरी में। सिर्फ़ वलीद बिन वलीद आपकी ख़िदमत में पहुँचते ही वफ़ात पा गये थे।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि मुसलमान कैदियों की खुलासी और निजात के लिये नमाज़ में दुआ की जा सकती है। वलीद बिन वलीद, ख़ालिद बिन वलीद के भाई हैं। सलमा बिन हिशाम, अबू जहल का भाई है और अय्याश बिन अबी रबीआ भी अबू जहल का माँ की तरफ़ से भाई है। ये तीनों मुशिकीने मक्का की क़ैद में थे। आप (ﷺ) की दुआ के नतीजे में मुशिकों की क़ैद से छूटकर भाग आये और उनकी आमद के बाद आपने दुआ छोड़ दी। इसलिये दुआ छोड़ने से इसका मन्सूख़ होना कैसे साबित हुआ। ये तो मक़सद पूरा होने की बिना पर छोड़ दी गई थी।

(1543) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़

حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَّتْ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُونُسَ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ - قَالَ - فَقِيلَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ

पढ़ा रहे थे कि आपने समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा, फिर सज्दा करने से पहले ये दुआ की, 'ऐ अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीआ को निजात दे।' फिर मज़कूरा बाला रिवायत बयान की। लेकिन उसमें क़ाल अबू हुरैरह सुम्म रएेतु अल्लअख़ वाला हिस्सा नक़ल नहीं किया।

(सहीह बुखारी : 4598)

(1544) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के क़रीब-क़रीब नमाज़ पढ़ाऊंगा। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) जुहर, इशा और सुबह की नमाज़ में कुनूत करते थे, मोमिनों के हक़ में दुआ करते और काफ़िरों पर लानत भेजते।

(सहीह बुखारी : 797, अबू दारूद : 1440, नसाई : 2/202)

(1545) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीस दिन उन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की जिन्होंने बिअरे मरूना के लोगों को क़त्ल (शहीद) कर दिया था। आप रिअ़ल, ज़कवान, लिहयान और उसय्या के लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, के ख़िलाफ़ दुआ करते। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने बिअरे मरूना के वाक़िये में शहीद होने वाले लोगों के बारे में ये

مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَنَّاهُ هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ " اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ " كَسِنِي يُونُسَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتْرِ مَعُوْتَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيْتَةَ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ أَنَسٌ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْتَرَ

आयत उतारी, 'हमारी क़ौम तक ये पैग़ाम पहुँचा दो कि हम अपने रब से जा मिले, वो हमसे खुश हुआ और हम उससे राज़ी हैं।' हमने इस आयत की तिलावत की, बाद में ये आयत मन्सूख हो गई।

(सहीह बुखारी : 4095, 2814)

مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نَسِيخَ بَعْدُ أَنْ بَلَّغُوا
قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا
عَنَّهُ .

फ़ायदा : सफ़र 4 हिजरी में अबू बराअ आमिर बिन मालिक जो मुल्ला अबल असनह के नाम से मारूफ़ था और अपनी क़ौम का सरदार था, इलाक़े नजद से। नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने उसे इस्लाम की दावत दी। मगर उसने न उसे कुबूल किया न रद्द और आपको बड़े मुख़िलसाना अन्दाज़ में ये मशवरा दिया कि आप अपने कुछ साथियों को मेरे इलाक़े में भेजें, उम्मीद है लोग इस्लाम कुबूल कर लेंगे और आपके लोग मेरी पनाह में होंगे। आपने तालीम व तब्लीग़ के लिये सत्तर कारी भेजे ताकि वो मुअल्लिम और दाई का फ़रीज़ा सर अन्जाम दें। आपने उनका अमीर मुनज़्ज़िर बिन अम्र को मुकरर किया। आपने अबू बराअ के भतीजे आमिर बिन तुफ़ैल के नाम ख़त दिया था जब ये वफ़द बिअरे मऊना नामी जगह पर पहुँचा तो वहाँ से हराम बिन मल्हान रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़त लेकर आमिर बिन तुफ़ैल की तरफ़ रवाना हुए। उसने ख़त देखे बग़ैर ही अपने आदमी को इशारा कर के उनको क़त्ल करवा दिया। फिर अपनी क़ौम बनू आमिर को कहा कि मदीना से आने वाले लोगों पर हमला करो। लेकिन उन्होंने अपने सरदार अबू बुरदा के अहद को तोड़ना ग़वारा न किया। तब उसने बनू सुलैम की शाख़ों यानी रिअ्ल, ज़क़वान, लिहयान और उसय्या को इस काम पर आमदा किया। उन लोगों ने मुसलमान कारियों को शहीद कर दिया। सिर्फ़ दो आदमी ज़िन्दा बचे। आपको इस वाक़िये की इत्तिलाअ मिली तो आपको बेहद दुख हुआ और आपने उन क़बाइल के ख़िलाफ़ एक माह तक कुनूते नाज़िला फ़रमाई।

उन शुहदा की ख़्वाहिश पर अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस वाक़िये की इत्तिलाअ दी और उनका पैग़ाम पहुँचा दिया। जिसको वक़्ती तौर पर पढ़ा गया, फिर वो मन्सूख हो गया। मन्सूख़ शुदा आयात चूँकि अब क़ुरआन में नहीं है, इसलिये वो तवातुर से साबित नहीं है।

नोट : इस वाक़िये बिअरे मऊना से साबित होता है कि आपको इल्मे ग़ैब न था। वरना आप अबू बराअ के कहने पर सत्तर मुन्तख़ब लोगों को उसके इलाक़े में न भेजते। लेकिन अल्लामा सईदी इसका इन्तिहाई मज़हका ख़ैज़ (मज़ाक़िया अन्दाज़ में) जवाब देते हैं कि आपको उनकी शहादत का इल्म था। आपने अहले नजद के मुतालबे तब्लीग़ पर उन्हें नजद भेज दिया ताकि कल क़यामत के दिन वो ये न

कह सकें कि हमने तो कुबूले इस्लाम के लिये तेरे नबी से मुबल्लिग माँगे थे, उसने नहीं भेजा। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/332)

हालांकि ऊपर ये लिखा है कि आपने अबू बराअ के कहने पर सहाबा किराम (रज़ि.) को भेजा था और उसने उनकी हिफाज़त की ज़मानत दी, उसकी ज़मानत पर भेजा था। फिर अगर आपको मालूम था तो आपने इस कद्र रंज व मलाल का इज़हार क्यों फ़रमाया और एक माह तक उनके खिलाफ़ बहुआ क्यों फ़रमाई। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको रोक दिया और ये लोग अहले नजद तक तो पहुँचे ही नहीं। बिअरे मरूना तो मक्का और असफ़ान के दरम्यान हुज़ैल का इलाका है। आमिर बिन तुफ़ैल ने तो उनको रास्ते में ही रोक लिया था।

(1546) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में कुनूत की है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! कुछ अरसा, रुकूअ के बाद।

(सहीह बुखारी : 1001, अबू दाऊद : 1444, नसाई : 2/200-201, इब्ने माजह : 1184)

(1547) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक माह सुबह की नमाज़ में रुकूअ के बाद दुआ-ए-कुनूत की है। रिअ्ल और ज़कवान के खिलाफ़ दुआ की और फ़रमाया, 'उसय्या ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की है।'

(सहीह बुखारी : 1003, 4094, नसाई : 2/200)

(1548) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ में रुकूअ के बाद एक महीना कुनूत की, बन् उसय्या के खिलाफ़ बद दुआ।

(अबू दाऊद : 1445)

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قُلْتُ لِأَنْسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا .

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُنْبَرِيِّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجَلَزٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَيَّ رَغْلٍ وَذِكْرًا وَيَقُولُ "عُصِيَّتْ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَيَّ بِنِي عُصِيَّتْ .

(1549) आसिम बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कुनूत के बारे में सवाल किया कि वो रुकूअ से पहले है या रुकूअ के बाद है? तो उन्होंने जवाब दिया, रुकूअ से पहले है। तो मैंने कहा, कुछ लोग खयाल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुनूत रुकूअ के बाद की है? तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (रुकूअ के बाद) एक महीना कुनूत किया, उन लोगों के खिलाफ़ दुआ की जिन्होंने आप (ﷺ) के कुछ साथियों को जिन्हें कुरा कहा जाता था, क़त्ल कर दिया था।

(सहीहबुख़ारी: 1002, 1300, 3170, 4096, 6394)

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) के जवाब से मालूम होता है आप कुनूत हमेशा रुकूअ के बाद नहीं करते थे। आपने रुकूअ से पहले भी कुनूत की है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) रुकूअ के बाद दुआए कुनूत करने के क़ाइल हैं। सहीह रिवायात की रोशनी में कुनूते नाज़िला रुकूअ के बाद बुलंद आवाज़ से है। इसमें हाथ उठाये जायेंगे और मुक्तदी आमीन कहेंगे। वित्र में कुनूत इमाम अहमद के नज़दीक रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं है लेकिन नसाई और इब्ने माजह की रिवायत है कि आप वित्र में रुकूअ से पहले कुनूत करते थे। इब्ने हिब्बान की रिवायत में है कि आपने हज़रत हसन (रज़ि.) को वित्र में रुकूअ के बाद कुनूत सिखाया।

(1550) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी जमाअत (की शहादत) पर इस क़द्र ग़मज़दा नहीं देखा, जिस क़द्र आप ग़मगीन उन सत्तर आदमियों पर हुए थे जो बिअरे मक़ना के वाक़िये में शहीद हो गये। उनको कुरा के नाम से पुकारा जाता था। आप एक महीने तक उनके क़ातिलीन के खिलाफ़ दुआ करते रहे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنَسٍ قَتَلُوا أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بَيْرِ مَعُونَةَ كَانُوا يَدْعُونَ الْقُرَاءَ فَمَكَتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ .

(1551) ये रिवायत इमाम साहब दूसरे उस्तादों से भी बयान करते हैं जिसमें वो एक-दूसरे पर कुछ इज़ाफ़ा करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَابْنُ، فَضَيْلٍ
ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلُّهُمُ
عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا
الْحَدِيثِ . يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

(1552) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक माह कुनूत की, रिज़ल और ज़कवान और उसय्या जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, उन पर लानत भेजते थे। (नसाई : 2/203)

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ،
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكَوَانَ
وَعُضِيَّةَ عَصُوَا اللَّهِ وَرَسُولَهُ .

(1553) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत दूसरी सनद से बयान की है।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ،
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .

(1554) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अरब के कुछ क़बाइल के ख़िलाफ़ एक माह दुआए कुनूत की, फिर उसे छोड़ दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو
عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

(सहीह बुखारी : 4089, नसाई : 1076, 1078, इब्ने माजह : 1243)

मुफ़रदातुल हदीस : अहयाइन : हय्य की जमा है, क़बीले को कहते हैं।

(1555) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह और मग़िब की नमाज़ में दुआए कुनूत करते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرُو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ
حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

(अब्दुदरुद : 1441, तिर्मिज़ी : 401, नसाई : 2/202)

(1556) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र और मरिब में दुआ-ए-कुनूत की।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمِرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَتَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .

(1557) हज़रत खुफ़ाफ़ बिन ईमा ग़िफ़ारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में ये दुआ की, 'ऐ अल्लाह! बन् लिहयान, रिअल, ज़कवान और उसय्या जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की है लानत भेज। ग़िफ़ार को अल्लाह तआला माफ़ फ़रमाये और अस्लम को सलामत रखे।'

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرَحِ الْمِصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ خُنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ " اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذُكْوَانَ وَعُصَيْبَةَ عَصَاؤُا اللَّهُ وَرَسُولُهُ غِفَّارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ " .

(1558) खुफ़ाफ़ बिन ईमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ किया, फिर उससे अपना सर उठाया और कहा, 'ग़िफ़ार को अल्लाह माफ़ फ़रमाये, अस्लम को महफूज़ रखे। उसय्या ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की। ऐ अल्लाह! बन् लिहयान पर लानत भेज और रिअल और ज़कवान पर लानत नाज़िल कर।' फिर आपने सज्दा किया। खुफ़ाफ़ ने कहा, इस बिना पर काफ़िरों पर लानत भेजी जाती है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو - عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَزْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَّافٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَّافُ بْنُ إِيمَاءِ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " غِفَّارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ وَعُصَيْبَةُ عَصَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِعْلًا وَذُكْوَانَ " . ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا . قَالَ خُفَّافٌ فَجَعَلْتُ لَعْنَتَهُ الْكَفْرَةَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

(1559) इमाम साहब एक दूसरी सनद से खुफ़ाफ़ बिन ईमा (रज़ि.) की मज़कूरा रिवायत बयान करते हैं लेकिन खुफ़ाफ़ का ये

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَزْمَلَةَ، عَنْ خُنْظَلَةَ بْنِ

क्रौल नहीं बयान किया कि इस वजह से काफ़िरों पर लानत भेजी जाती है।
عَلِيُّ بْنُ الْأَسْقَعِ، عَنْ خُفَّابِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكُفْرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

फ़ायदा : इस बाब की रिवायात से सुबह की नमाज़ में हमेशा कुनूत करना साबित नहीं होता। लेकिन पाक व हिन्द के नुस्खों में इमाम नववी ने इस बाब में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया है। अल्लाह तआला से पनाह माँगना और सुबह की नमाज़ में कुनूत का हमेशा करना मुस्तहब होना और उसका मौक़ा व महल आख़िरी रकअत में रूकूअ के बाद सर उठाने के बाद है और उसका बुलंद पढ़ना बेहतर है। इमाम शाफ़ेई का यही मौक़िफ़ है। इमाम मालिक के नज़दीक सुबह की नमाज़ में कुनूत सुन्नत है। इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक कुनूत नहीं है। सहीह बात ये है कि कुनूत का मदार मुसलमानों की ज़रूरत व हाजत पर है। अगर मुसीबत शदीद हो या ख़तरा ज़्यादा हो अक्सर या सब नमाज़ों में कुनूते नाज़िला पढ़ी जायेगी। अगर ख़तरा और मुसीबत कम हो तो एक या दो नमाज़ों में कुनूत कर लें।

बाब 56 : फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ाई और क़ज़ाई में जल्दी करना बेहतर है

باب قِضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ
وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قِضَائِهَا

(1560) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ज्व-ए-ख़ैबर से वापस लौटे, एक रात चलते रहे यहाँ तक कि आप पर नींद ग़ालिब आ गई तो आपने पड़ाव किया और बिलाल (रज़ि.) से फ़रमाया, 'तुम आज रात हमारी हिफ़ाज़त करो।' हज़रत बिलाल (रज़ि.) जब तक अल्लाह को मन्ज़ूर रहा नफ़ल पढ़ते रहे। रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी सो गये। जब सुबह का वक़्त क़रीब आ गया तो बिलाल (रज़ि.) फ़रज के फूटने की (जगह) की तरफ़ रुख़ करके अपनी सवारी को टेक लगाकर बैठ गये। तो बिलाल (रज़ि.) पर

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التُّحَيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أُدْرِكُهُ الْكَرَى عَرَسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ " اكْلًا لَنَا اللَّيْلَ " . فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ

उसकी आँखें ग़ालिब आ गई क्योंकि वो सवारी को टेक लगाये हुए थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ), बिलाल और आपके साथियों में से कोई भी बेदार न हुआ यहाँ तक कि उन पर धूप पड़ने लगी। सबसे पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) बेदार हुए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घबराकर फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह!' बिलाल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान! मेरी रूह को उस ज़ात ने पकड़ लिया, जिसने आपकी रूह को क़ब्ज़े में कर लिया। आपने फ़रमाया, 'कूच करो।' तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने अपनी सवारियों को थोड़ा सा चलाया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया और बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया। उन्होंने नमाज़ का एहतिमाम किया (अज़ान और इक्रामत कही) आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद फ़रमाया, 'जो नमाज़ भूल जाये वो याद आते ही उसे पढ़ ले क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़िये।' (सूरह ताहा : 14) इब्ने शिहाब ज़िकरी (मेरी याद के लिये) के बजाए लिज़्ज़िकरा (याद आने पर) पढ़ते थे।

(अबू दाऊद : 435-436, इब्ने माजह : 696)

फ़ायदा : हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने बड़े पुर ऐतिमाद होकर ये दावा किया था कि आप सो जायें, मैं आपको बेदार करूँगा। मालूम होता है इन्शाअल्लाह नहीं कहा। इसलिये हुज़ूर (ﷺ) और आपके साथियों की तरह, उन पर भी नींद ने ग़ल्बा पा लिया और जब धूप से आप सबसे पहले बेदार हुए तो आपको नमाज़ के क़ज़ा होने पर अफ़सोस हुआ और आप (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) से पूछा, तुमने ये

مُؤَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَبِدٌّ إِلَى رَاجِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَهُمْ اسْتَيْقَاطًا فَفَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَيْ بِلَالُ " . فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ - بِأَيْبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ - بِنَفْسِكَ قَالَ " اقْتَادُوا " . فَاقْتَادُوا رَوَّاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } " . قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرُؤُهَا لِلذِّكْرِ .

क्या किया? उन्होंने माज़रत की कि मैंने जान-बूझकर ऐसे नहीं किया। अल्लाह तआला को ऐसे ही मन्ज़ूर था तो आपने उस ग़फ़लत का बाइस बनने वाली ज़मीन को छोड़ने का हुक्म दिया और आगे चलकर सबसे पहले नमाज़ का ही एहतिमाम फ़रमाया। इसीलिये क़ज़ाशुदा नमाज़ को जितना जल्दी मुम्किन हो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। जहाँ तक हो सके ऐसी जगहों से परहेज़ करना चाहिये जो इंसान को दीनी उमूर से ग़ाफ़िल कर देती हैं।

(1561) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रात के आख़िरी हिस्से में पड़ाव किया और हम सूरज निकलने तक बेदार न हो सके। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर इंसान अपनी सवारी का सर पकड़ ले यानी लगाम या महार पकड़कर चल पड़े। क्योंकि ये ऐसी जगह है जिसमें हमारे साथ शैतान आ गया है।' हमने आपके हुक्म पर अमल किया। फिर आपने पानी मँगवाया, फिर आपने वुजू करके दो रकअतें (सुन्नत) पढ़ीं। फिर जमाअत खड़ी की गई (इक़ामत कही गई) और आपने सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

(नसाई : 1/298)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ
الدُّورَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى، - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ
عَرَسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ
نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ
بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ
الشَّيْطَانُ " . قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأَ
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ - وَقَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ صَلَّى
سَجْدَتَيْنِ - ثُمَّ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى العَدَاةَ .

फ़वाइद : (1) अगर मुश्तरका तौर पर नमाज़ फ़ौत हो जाये तो वक़्त मिलते ही उसके लिये एहतिमाम किया जायेगा। अज़ान कहकर सुन्नतें पढ़ी जायेंगी। फिर इक़ामत कहकर जमाअत करवाई जायेगी। अगर नमाज़ें एक से ज़्यादा फ़ौत हो जायें तो पहली नमाज़ के लिये अज़ान और इक़ामत दोनों है। बाद वाली नमाज़ों के लिये इख़्तियार है। हर एक के लिये अज़ान और इक़ामत कह लें या सिर्फ़ इक़ामत पर इक्तिफ़ा कर लें। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद हर नमाज़ के लिये अज़ान के क़ाइल हैं। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई आख़िरी क़ौल में अज़ान के क़ाइल नहीं। (2) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सुन्नतों की क़ज़ाई बेहतर है। सुन्नतें नमाज़ के साथ रह गई हों या सिर्फ़ सुन्नतें बाक़ी हों और अहनाफ़ के नज़दीक अगर सिर्फ़ सुन्नतें रह गई हों तो उनकी क़ज़ा नहीं है। फ़र्जों के साथ क़ज़ा है।

(1562) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब फ़रमाया और कहा, 'तुम आज ज़वाल से लेकर रात भर चलोगे और कल सुबह इन्शाअल्लाह पानी पर पहुँचोगे।' तो लोग चल पड़े कोई किसी दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह नहीं हो रहा था। अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) चलते रहे। मैं भी साथ था कि आधी रात गुज़र गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँघ आ गई और अपनी सवारी पर एक तरफ़ झुके। मैंने आगे बढ़कर आपको जगाये बग़ैर सहारा दिया यहाँ तक कि आप अपनी सवारी पर सीधे हो गये। फिर आप चलते रहे। यहाँ तक कि रात का अक्सर हिस्सा गुज़र गया तो आप अपनी सवारी पर एक तरफ़ झुक गये। फिर मैंने आपको जगाये बग़ैर सहारा दिया। यहाँ तक कि आप सवारी पर सीधे बैठ गये। फिर चलते रहे यहाँ तक कि रात का आख़िरी हिस्सा आ पहुँचा। तो आप पहली दो बार से ज़्यादा झुक गये। क़रीब था कि आप गिर जायें तो मैंने आपके पास आकर आपको सहारा दिया। आपने सर उठाकर पूछा, 'ये कौन है?' मैंने कहा, अबू क़तादा हूँ। आपने पूछा, तुम कब से मेरे साथ इस तरह चल रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, रात भर से आपके साथ इस तरह चल रहा हूँ। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त फ़रमाये, क्योंकि तुमने उसके नबी की हिफ़ाज़त की है।' फिर आपने फ़रमाया, 'क्या तुम्हारे इख़्याल में हम लोगों से ओझल हो सकते हैं?' फिर फ़रमाया, 'क्या तुम्हें कोई

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -
 يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ رِزَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَطَبَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "
 إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ
 الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا " . فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ
 لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - قَالَ أَبُو قَتَادَةَ -
 فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسِيرُ حَتَّى ابْتَهَارَ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ - قَالَ
 - فَتَعَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
 أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ - قَالَ - ثُمَّ
 سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ
 - فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ
 عَلَى رَاحِلَتِهِ - قَالَ - ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ
 مِنْ آخِرِ السَّحْرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ
 الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ
 فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " .
 قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ . قَالَ " مَتَى كَانَ هَذَا
 مَسِيرِكَ مِنِّي " . قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي
 مِنْذُ اللَّيْلَةِ . قَالَ " حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ

नज़र आ रहा है?' मैंने कहा, ये सवार है। फिर मैंने कहा, ये दूसरा सवार है। यहाँ तक कि सात सवार जमा हो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) रास्ते से एक तरफ़ हट गये और अपना सर ज़मीन पर रख लिया। यानी सोने लगे। फिर आपने फ़रमाया, 'तुम लोग हमारी नमाज़ की हिफ़ाज़त करना।' फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) बेदार हुए जबकि सूरज आपकी पुश्त पर आ चुका था और हम भी घबराकर उठ खड़े हुए। फिर आपने फ़रमाया, 'सवार हो जाओ।' तो हम सवार होकर चल पड़े। यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो गया तो आप सवारी से उतरे। फिर आपने वुजू का बर्तन तलब किया जो मेरे पास था। उसमें थोड़ा सा पानी था तो आपने उससे तख़फ़ीफ़ के साथ वुजू किया। यानी कम मर्तबा आज़ा (वुजू के अंग) धोये कि कम पानी इस्तेमाल किया और बर्तन में थोड़ा सा पानी बच गया। फिर आप (ﷺ) ने अबू क़तादा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'हमारे लिये अपने बर्तन को महफूज़ रखना, जल्द ये कि एक बड़ी ख़ैर का सबब होगा।' फिर बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान कही। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रक़अतें अदा कीं। फिर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उसको उसी तरह पढ़ाया जिस तरह रोज़ाना पढ़ाते थे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार हो गये और हम भी आप (ﷺ) के साथ सवार हो गये और हम एक-दूसरे से सरगोशी करने लगे कि नमाज़ के बारे में जो हमने कोताही की है उसका कफ़ारा क्या है? आपने फ़रमाया, 'क्या मैं

بِهِ نَبِيَّهُ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَرَانَا نَحْفَى عَلَى النَّاسِ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ " . قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ . ثُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرٌ . حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رُكْبٍ - قَالَ - فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ " احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا " . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ - قَالَ - فَقُمْنَا فَرَعِينِ ثُمَّ قَالَ " ارْكَبُوا " . فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَاءٍ كَانَتْ مَعِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ - قَالَ - فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَضُوءًا دُونَ وَضُوءٍ - قَالَ - وَتَقِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ " احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَاتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ " . ثُمَّ أَدَنَّ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْعِدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ - وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةٌ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي

तुम्हारे लिये नमूना नहीं हूँ?' फिर आपने फ़रमाया, 'हाँ! सो जाने की सूरत में कोताही नहीं है, कोताही तो इस सूरत में है कि इंसान नमाज़ न पढ़े (हालांकि पढ़ सकता है) यहाँ तक कि दूसरी नमाज़ का वक़्त हो जाये। जिसको ये सूरत (कि सोया रहे) पेश आ जाये तो वो बेदार होने पर नमाज़ पढ़ ले और अगले दिन नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़े। (जान-बूझकर मुअख़्ख़र (ताख़ीर) न करे) फिर आपने पूछा, 'तुम्हारे ख़याल में लोगों ने क्या किया?' फिर फ़रमाया, 'लोगों ने सुबह के वक़्त अपने नबी को अपने अंदर नहीं पाया तो अबू बकर और इमर (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारे पीछे हैं वो तुम्हें अपने पीछे नहीं छोड़ सकते और दूसरे लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारे आगे हैं। पस अगर लोग अबू बकर और इमर (रज़ि.) की इताअत करेंगे तो हिदायत पायेंगे (यानी उनकी बात मान लेंगे तो मेरे इन्तिज़ार में रुके रहेंगे क्योंकि मैं तो पीछे हूँ) फिर हम लोगों के पास उस वक़्त पहुँचे जब दिन काफ़ी चढ़ आया और हर चीज़ गर्म हो गई और लोग कह रहे थे कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम प्यासे मर गये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम हलाक नहीं होगे।' फिर आपने फ़रमाया, 'मेरा छोटा प्याला लाओ।' और आपने वुज़ू का बर्तन मँगवाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी डालने लगे और अबू क़तादा (रज़ि.) पिला रहे थे जूँ ही लोगों ने बर्तन में मामूली सा पानी देखा तो उस पर टूट पड़े (हर एक की ख़्वाहिश थी कि मैं पानी से

صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ " أَمَا لَكُمْ فِي أَسْوَةٍ " . ثُمَّ قَالَ " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا " . ثُمَّ قَالَ " مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا " . قَالَ ثُمَّ قَالَ " أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّقَكُمْ . وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْتُدُّوا " . قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا . فَقَالَ " لَا هَلْكَ عَلَيْكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " أَطْلِقُوا لِي عُمْرِي " . قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَاءِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُّبُ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ رَأَى النَّاسَ مَاءً فِي الْمِيضَاءِ تَكَابَرُوا عَلَيْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيْرَوِي " .

पहरूम न रहूँ) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अच्छा अख़लाक़ इख़ितयार करो, सब सैराब हो जाओगे।' तो लोगों ने आप (ﷺ) की बात पर अमल किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी उंडेलने लगे और मैं उन्हें पिलाने लगा। यहाँ तक कि मेरे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिवा कोई बाक़ी न रहा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पानी डाला और मुझे फ़रमाया, 'पियो।' तो मैंने अज़्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल! जब तक आप नहीं पी लेंगे मैं नहीं पियूँगा। आपने फ़रमाया, 'लोगों को पिलाने वाला आख़िर में पीता है।' तो मैंने पी लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी पी लिया। फिर सब लोग सैराब होकर आराम के साथ पानी तक पहुँच गये। साबित कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन रबाह ने बताया मैं जामेअ मस्जिद में ये हदीस बयान कर रहा था कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ नौजवान! सोच लो, कैसे बयान कर रहे हो क्योंकि उस रात के सवारों में से एक मैं भी हूँ। तो मैंने कहा, तो आप (ﷺ) वाक़िया बेहतर जानते हैं। उन्होंने पूछा, तुम किस ख़ानदान से हो? मैंने कहा, अन्सार से हूँ। उन्होंने कहा, बयान करो तुम अपने वाक़ियात को बेहतर जानते हो। तो मैंने लोगों को पूरा वाक़िया सुनाया। हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कहा, मैं भी उस रात मौजूद था और मैं नहीं समझता किसी ने इस वाक़िये को इस तरह याद रखा है जैसा तूने याद रखा है।

قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي " اشْرَبْ " . فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِبًا " . قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - فَاتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِينَ رِوَاءً . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِزَاحٍ إِنِّي لِأَحَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ انظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تَحَدَّثُ فَإِنِّي أَخَذَ الرَّكْبَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ . قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ . فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْإِنصَارِ . قَالَ حَدَّثْتُ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ . قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) ला यल्बि अहद अला अहद : कोई एक-दूसरे की तरफ़ मुड़कर नहीं देखता था, सब सीधे रुख़ चल रहे थे। (2) इब्हारुल्लैल : रात का हिस्सा। रात आधी गुज़र गई। (3) नअस : आपको ऊँघ आ गई। (4) दअम्तुहू : मैंने आपको सहारा दिया ताकि आप सीधे हो जायें। (5) तहव्वरुल्लैल : रात का अक्सर हिस्सा गुज़र गया। (6) तहव्वरल बिना : से माखूज़ इमारत गिरने लगी। (7) यन्जफ़ल : गिरने लगी। बिमा हफ़िज़त में बा सबबिया है और मा मस्दरिया है, यानी बसबब। (8) हफ़िज़क : तेरे हिफ़ाज़त करने के सबब, तेरी हिफ़ाज़त की बिना पर। (9) रक्बुन, राकिब : की जमा है। सवार मौज़अतन : लौटा वुजू करने का बर्तन। (10) वुजू : दून वुजू आम वुजू से हल्का। आम वुजू से कम पानी इस्तेमाल किया। (11) यहमिसु इला बअज़िन : एक दूसरे से आहिस्तगी के साथ बातचीत करना। (12) उस्वह : नमूना, मॉडल। (13) लैस फ़िज़्म तफ़रीत : सोये-सोये ग़ैर इख़्तियारी तौर पर नमाज़ फ़ौत हो जाये तो ये तक़सीर और कोताही नहीं है। (14) मा तरौनत्रास सनऊ मुम्मा क़ाल : मक़सद ये है कि जब आपने सूरज निकलने के बाद उन पीछे रह जाने वाले साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ा दी तो उनसे पूछा, तुम्हारे ख़याल में दूसरे साथियों का हमारे बारे में क्या ख़याल है कि हम कहाँ हैं?

फ़वाइद : (1) हुज़ूर (ﷺ) ने सफ़र के सिलसिले में तमाम साथियों को ऐतिमाद में लिया और उनको सूरते हाल से पूरी तरह आगाह फ़रमाया ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जायें और उस सफ़र में बहुत से मौज़िज़ात (चमत्कार) जुहूर पज़ीर हुए और आप (ﷺ) ने आइन्दा पेश आने वाले वाक़ियात से भी आगाह फ़रमाया। लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि आपको ऐसी कुव्वत हासिल थी जिस चीज़ से आप ग़ैब को जान लेते थे। रसूल अल्लाह तआला की निगरानी और हिफ़ाज़त में होता है। इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी हिक्मत व मस्लिहत के तहत जिससे आगाह करना चाहता है आगाह फ़रमा देता है और जिसको छिपाना चाहता है अपनी हिक्मत के तहत छिपाये रखता है। आपको सुबह के वक़्त से आगाह नहीं फ़रमाया। आपने नमाज़ के एहतियाम की ख़ातिर ड्यूटी मुकरर की थी। मुह्राफ़िज़ भी सो गये, लेकिन आपने इस वाक़िये से आगाह नहीं फ़रमाया कि ये वाक़िया भी पेश आयेगा और न ही आप (ﷺ) को अपनी ऊँघ और अबू क़तादा (रज़ि.) के बार-बार सहारा देने का पता चला। (2) आप (ﷺ) नींद की मजबूरी के तहत साथियों से अलग होकर लेट गये और साथियों को नमाज़ के बारे में ताकीद फ़रमाई। लेकिन सब नींद के हाथों मजबूर होकर सो गये। सूरज के काफ़ी बुलंद होने के बाद आप बेदार हुए। लेकिन आपने साथियों को सरज़निश और तौबीख़ नहीं फ़रमाई। बल्कि साथी जब इस सिलसिले में परेशान हुए कि इस कोताही का कफ़ारा क्या होगा तो उनको हौसला दिया। (3) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) आपके साथ रहे। आपकी हिफ़ाज़त की तो आपने उसकी इस ख़िदमत का ऐतराफ़ फ़रमाया और उसको दुआए ख़ैर दी। (4) आप (ﷺ) ने फ़ौतशुदा नमाज़ को पूरे एहतियाम के साथ बाजमाअत अदा फ़रमाया और ग़फ़लत वाली जगह को छोड़कर नमाज़ अदा की और साथियों को बता दिया। अगर ग़ैर शज़री और ग़ैर इरादी तौर पर सोने की वजह से नमाज़ का वक़्त निकल जाये तो इंसान मअज़ूर तसव्वुर होगा, गुनाहगार नहीं होगा। हाँ उसको नींद

से बेदार होने के बाद नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये और आइन्दा का इआदा करे, जान-बूझकर नमाज़ में ताखीर करना दुरुस्त नहीं है। (5) आप (ﷺ) ने वुजू के बर्तन से तख्फ़ीफ़ के साथ वुजू किया और उसमें कुछ पानी रहने दिया और अबू क़तादा (रज़ि.) को बता दिया कि इस बर्तन की हिफ़ाज़त करना। ये एक अजीब ख़बर का बाइस बनेगा और ऐसे ही हुआ कि जब सहाबा किराम (रज़ि.) ने प्यास से हलाकत की शिकायत की तो आपने फ़रमाया, 'हौसला रखो। किसी किस्म की हलाकत से दोचार नहीं होंगे। इस मामूली पानी में इतनी बरकत हुई कि सब साथी इससे सैराब हो गये और जब सैंकड़ों साथी मामूली पानी देखकर एक-दूसरे से पहले पानी लेने की कोशिश करने लगे तो आपने फ़रमाया, 'आराम व सुकून से पानी लो। तुम सब सैराब और आसूदा हो जाओगे।' और ऐसा ही हुआ कि सुकून व इत्मीनान से अपनी-अपनी बारी पर पानी लेकर तमाम लोग सैराब हो गये। (6) आप (ﷺ) ने अपने साथियों से पीछे रहकर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरे साथियों में होने वाली बातचीत से आगाह फ़रमाया और ये भी बता दिया अबू बकर (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) ने सहीह बात की है अगर लोग इनकी बात मानकर हमारा इन्तिज़ार करेंगे तो यही फ़ैसला सहीह होगा और हम उन तक पहुँच जायेंगे। (7) आप (ﷺ) चूँकि लोगों को पानी पिला रहे थे इसलिये आप (ﷺ) ने सबसे आख़िर में पानी नोश फ़रमाया और इस बात की अमली तालीम दी कि साक़िल कौम आख़िरहुम शुर्बन पानी पिलाने वाला सबसे आख़िर में पीता है। (8) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) ने जिस सफ़र का वाक़िया बयान किया है, अगरचे उसमें भी इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) मौजूद थे लेकिन जो वाक़िया उन्होंने खुद बयान किया है वो उससे अलग वाक़िया है। लेकिन ये मुम्किन है दोनों वाक़ियात एक ही सफ़र में पेश आये हों। एक वाक़िया में आपके साथ सिर्फ़ सात साथी थे और दूसरे वाक़िये में सब साथी साथ थे जैसाकि अगली हदीस में आ रहा है। (9) हुज़ूर (ﷺ) ने पहले ही बता दिया था कि तुम ज़वाल के बाद से लेकर रात भर चलने के बाद पानी पर पहुँचोगे। ऐसे ही हुआ जब लोग पानी में बरकत के बाद सैराब होकर आसूदा हालत में चल पड़े तो पानी पर पहुँच गये। इसी तरह आप (ﷺ) ने सफ़र में जितनी पेशीनगोइयाँ फ़रमाई थीं पूरी हो गईं।

(1563) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक सफ़र में मैं नबी (ﷺ) के साथ था कि हम रात भर चलते रहे यहाँ तक कि सुबह का वक़्त हो गया तो हमने पड़ाव किया और हम पर नींद ने ग़ल्बा पा लिया। यहाँ तक कि सूरज निकल आया। हममें सबसे पहले अबू बकर (रज़ि.) बेदार हुए। हमारी आदत थी कि जब नबी (ﷺ) सो जाते तो हम आपको नींद से जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि आप खुद ही बेदार

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ الْعَطَّارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعَطَّارِيَّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ

हो जाते। फिर (अबू बकर (रज़ि.) के बाद) उमर (रज़ि.) बेदार हो गये तो वो नबी (ﷺ) के पास खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहने लगे और तकबीर भी बुलंद आवाज़ से कहते। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बेदार हो गये। जब आप (ﷺ) ने सर मुबारक उठाया और सूरज को देखा कि वो निकल चुका है तो फ़रमाया, 'कूच करो।' हमारे साथ आप भी चलते रहे यहाँ तक कि सूरज सफ़ेद हो गया। (यानी सुर्खी ख़त्म हो गई धूप फैल गई) आप (ﷺ) ने सवारी से उतरकर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी लोगों से अलग रहा। उसने हमारे साथ नमाज़ न पढ़ी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब सलाम फेरा तो उससे पूछा, 'ऐ फ़र्ला! तुमने हमारे साथ नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी?' उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे जनाबत लाहिक़ हो गई थी (जनाबत की बिना पर जमाअत में शरीक नहीं हुआ) आपने उसे तयम्मूम का हुक्म दिया और उसने मिट्टी से तयम्मूम किया और नमाज़ पढ़ ली। फिर आपने चंद साथियों के साथ मुझे आगे पानी की तलाश में दौड़ाया। क्योंकि हमें सख़्त प्यास लग चुकी थी। हम जा रहे थे कि अचानक हमें एक औरत मिली जो दो मशकों के दरम्यान पाँव लटकाये हुए थी तो हमने उससे पूछा, पानी कहाँ है? उसने कहा, दूर बहुत ही दूर। तुम पानी हासिल नहीं कर सकते। हमने पूछा, तेरे घर वालों से पानी कितनी दूर है? उसने कहा, एक दिन-रात का फ़ासला है। हमने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चलो। उसने कहा, रसूलुल्लाह क्या होता है? हमने उसका मामला उसके इख़्तियार में न रहने दिया और उसको

الصُّبْحِ عَرَسْنَا فَعَلَبْنَا أَعْيُنَنَا حَتَّى بَرَعَتْ
الشَّمْسُ - قَالَ - فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَّا
أَبُو بَكْرٍ وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ
اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ
حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَرَعَتْ
قَالَ " اِرْجِعُوا " . فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا أَيَّضَتِ
الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ فَأَعْتَرَلَ رَجُلٌ
مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا فَلَانُ
مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي
فِي رُكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ تَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا
عَطَشًا شَدِيدًا . فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ
بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجُلِيهَا بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا
أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ أَيُّهَا أَيُّهَا لَا مَاءَ لَكُمْ . قُلْنَا
فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ . قَالَتْ مَسِيرَةٌ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ . قُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

लेकर चल पड़े और हम उसको रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने ले आये। आपने उससे पूछा, उसने आपको वही कुछ बताया जो हमें बता चुकी थी और उसने आपको ये भी बताया वो यतीमों वाली है। उसके कई यतीम बच्चे हैं। आपने उसके पानी वाले ऊँट के बारे में हुक्म दिया। उसे बिठाया गया। आपने उसकी मशकों के ऊपर वाले दहानों में कुल्ली की फिर उसके ऊँट को बिठा दिया गया तो हमने पानी पिया जबकि हम चालीस घ्यासे आदमी थे। हम सैराब हो गये और हमारे पास जो मशकीज़ा और बर्तन था उसको हमने भर लिया और आप (ﷺ) ने साथी को गुस्ल करवाया। हाँ हमने किसी ऊँट को पानी नहीं पिलाया और उसकी मशकें फटने को थीं यानी उसकी मशकें पहले से भी ज़्यादा भर गईं। फिर आपने फ़रमाया, 'जो कुछ तुम्हारे पास है लाओ।' हमने उसके लिये रोटी के टुकड़े और खजूरें जमा कीं और आपने उन्हें एक थैली में बांध दिया और उसे फ़रमाया, 'जाओ इसे अपने बच्चे को खिलाओ और जान लो हमने तेरे पानी को कुछ कम नहीं किया।' जब वो अपने घर वालों के पास आई तो कहने लगी, आज मैं सब इंसानों से बड़े जादूगर को मिल चुकी हूँ या वो नबी है जैसाकि उसका दावा है। उसने ये काम दिखाये तो अल्लाह तआला ने उस औरत की वजह से उन बस्ती वालों को हिदायत दी। वो मुसलमान हुई और बस्ती वाले भी मुसलमान हो गये।

(सहीह बुखारी : 3571)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللّٰهِ فَلَمْ نُمْلِكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنَا وَأَخْبَرْتَهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صَيِّبَانٌ أَيْتَامٌ فَأَمَرَ بِرَأْوِيَّتِهَا فَأُيُخِثُ فَمَجَّ فِي الْعَرْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَأْوِيَّتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عَطَّاشٌ حَتَّى رَوِينَا وَمَلَأْنَا كُلَّ قَرِيْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَعَسَلْنَا صَاحِبِنَا غَيْرَ أَنَا لَمْ نَسْقِ بِعَيْرٍ وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرُجُ مِنَ الْمَاءِ - يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ - ثُمَّ قَالَ " هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ " . فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسْرٍ وَتَمْرٍ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا " اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالِكَ وَاعْلَمِي أَنَا لَمْ تَرَزُؤِي مِنْ مَائِكَ " . فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيتُ أُسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيِّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ دَيْتٌ وَدَيْتٌ . فَهَدَى اللّٰهُ ذَاكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अदलज्ना : हम तक़रीबन रात भर चलते रहे। (2) बज़ग़तिशशम्सु : सूरज निकल आया। (3) सादिलह : लटकाये हुए। (4) मज़ादतैन : मज़ादा, बड़ी मशक, मज़ादतैन दो

मश्कें जो ऊँट के ऊपर लादी जाती हैं। (5) फ़लम नुमल्लिकहा मिन अम्हिहा शैआ : हमने उसको अपनी मर्ज़ी न करने दी। (6) मूतिमह : यतीम बच्चों वाली जिनका बाप फ़ौत हो चुका है। (7) रावियति : पानी ढोने वाले ऊँट। (8) अज्जावैन : अज़ला की तसनिया है, पानी निकालने वाला मुँह कभी मश्कीज़े के निचले की बजाए ऊपर वाले मुँह को भी कह देते हैं, जिससे पानी डाला जाता है। इसलिये यहाँ इसकी सिफ़त उलथ्या लाई गई है। (9) तन्ज़रिज़ु मिनल माअ : पानी की ज़्यादाती से फटना। (10) किसर : कसरह की जमा है, टुकड़े। (11) सरा लहा सुरतन : उसके लिये थैली बांधी। (12) सुरतन : थैली (13) लम नरज़ा : हमने कुछ कम नहीं किया। (14) जैत, जैत : कैत व कैत या कज़ा व कज़ा के हम मानी है। यानी ये काम किये या इस-इस तरह किया। (15) सिर्म : घरों का इज्तिमाअ, जमाअत और गिरोह।

फ़वाइद : (1) हुज़ूर (ﷺ) बशर (इंसान) थे। बशरी तक्ज़ाज़े की बिना पर ही नींद ने आप पर ग़ल्बा पाया और आपने नींद से मजबूर होकर रात के आखिरी हिस्से में आराम के लिये पड़ाव किया और नमाज़ के लिये आपने ये इन्तिज़ाम किया कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) की झूटी लगाई कि वो जागकर सुबह का इन्तिज़ार करें और जब फ़ज़र तुलूअ हो तो साथियों को जगा दें। लेकिन सफ़र की थकावट की वजह से वो भी सो गये यहाँ तक कि सूरज निकल आया। (2) सहाबा किराम (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) को अदब व एहतियार की बिना पर जगाते नहीं थे और ये बात भी मल्हूज़ होती थी कि मुम्किन है आप पर नींद की हालत में वृह्य का नुज़ूल हो रहा हो और आपको बेदार करना उसमें खलल अन्दाज़ी का सबब बने और सूरज के बुलंद होने की सूरत में जब आपको बेदार करने की ज़रूरत लाहिक़ हुई तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस मक़सद के लिये बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया। आपको बराहरे रास्त बेदार नहीं किया। इससे मालूम हुआ किसी बुजुर्ग शख़िसयत को नमाज़ के लिये बेदार करना बेअदबी या गुस्ताख़ी नहीं है। (3) नींद की वजह से अगर नमाज़ कज़ा हो जाये तो बाइसे अफ़सोस तो है लेकिन गुनाह और जुर्म नहीं है। (4) जो शख़्स मुसलमानों के साथ जमाअत में शरीक न हो उससे उसका सबब मालूम करना चाहिये। अगर उसका उज़र शरई हो तो उसे कुबूल कर लेना चाहिये। जैसाकि जुन्बी सहाबी ने अदम वाकिफ़ियत की बिना पर तयम्मुम न किया। इसलिये नमाज़ में शरीक न हुआ तो आपने उससे उसका सबब पूछा, बताने पर उसको मसला समझा दिया जिससे साबित हुआ अगर पानी न मिले तो जुन्बी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेगा और बाद में जब पानी मिल जायेगा तो गुस्ल कर लेगा। (5) ज़रूरत के तहत अजनबी औरत से बातचीत करना जाइज़ है और काफ़िर की चीज़ से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और काफ़िर के साथ एहसान भी किया जा सकता है। (6) प्यास की ज़रूरत गुस्ले जनाबत पर मुक़द्दम है। पानी पीने की ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उससे गुस्ल किया जायेगा। (7) इस वाक़िये में भी आपके इमोजिज़े का जुहूर हुआ कि आपने मश्कीज़े का मुँह खोलकर उसमें कुल्ली फ़रमाई, उस मश्कीज़े से चालीस सहाबा किराम (रज़ि.) ने वुज़ू किया। पानी पिया और अपने पानी के तमाम बर्तन भर लिये।

सहाबी को गुस्ल करवाया, कुछ मश्कीजे के पानी में किसी किसिम की कमी न हुई बल्कि वो पहले से ज्यादा भरा मालूम होता था। (8) नींद की हालत में दिल अगरचे बेदार होता था लेकिन आँखें सो जाती थीं। इसलिये आप (ﷺ) को फ़र्ज़ के तुलूअ होने और सूरज के निकलने का पता न चल सका क्योंकि सूरज का ताल्लुक देखने से है जो आँखों का काम है, दिल का नहीं। (9) जब आप (ﷺ) की सुबह की नमाज़ फ़ौत हो गई तो आपने सुबह की नमाज़ से पहले सुबह की सुन्नतें पढ़ीं, जिससे मालूम हुआ कि क़ज़ा शुदा नमाज़ के साथ, उसकी सुन्नतें पढ़ना बेहतर है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है अहनाफ़ के नज़दीक सुन्नतों की क़ज़ाई नहीं है। कुछ अहनाफ़ का ख़याल है कि अगर नमाज़ के साथ सुन्नतें क़ज़ा हो जायें तो फिर उनकी क़ज़ाई है। अगर सिर्फ़ सुन्नतें रह जायें तो क़ज़ाई नहीं है। (10) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक क़ज़ा होने वाली नमाज़ के लिये अज़ान कही जायेगी और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के क़ौले जदीद के मुताबिक़ तकबीर कह लेना ही काफ़ी है।

(1564) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे तो हम रात भर चलते रहे, यहाँ तक कि रात का आख़िरी वक़्त यानी सुबह के करीब का वक़्त हो गया, तो हम इस तरह लेट गये कि मुसाफ़िर को उससे ज़्यादा लज़ीज़ लेटना नहीं मिलता। फिर हमें सूरज की गर्मी ही ने बेदार किया। आगे कुछ कमी व बेशी के साथ अस्लम बिन ज़रीर की मज़क़ूरा बाला रिवायत की तरह बयान किया और इस हदीस में ये भी है कि जब उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बेदार हुए और उन्होंने लोगों की परेशानकुन हालत देखी और वो बुलंद आवाज़ और ज़ोरावर थे तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया और तकबीर को बुलंद आवाज़ से कहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी बुलंद आवाज़ से बेदार हो गये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बेदार हो

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا
النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ
الأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً
حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا
بِلكِ الوُقْعَةِ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَ المُسَافِرِ أُحْلَى
مِنْهَا فَمَا أَيَقْظُنَا إِلَّا حُرَّ الشَّمْسِ . وَسَاقَ
الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ زَرِيرٍ وَزَادَ
وَنَقَصَ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عَمْرُ
بُنُ الحُطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ
أَجُوفَ جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى
اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ

गये तो लोगों ने आपसे अपनी परेशानी का तज़्किरा किया तो आपने फ़रमाया, 'कोई नुक़सान नहीं, कूच करो।' और हदीस को आख़िर तक बयान किया।

صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله ﷺ " لا ضير ارتحلوا " . واقْتَصَّ الْحَدِيثُ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अज्वफ़ : बुलंद आवाज़, आवाज़ जिसके जौफ़ (पेट) से निकले। (2) जलीद : क़वी, ताक़तवर और मज़बूत। (3) ला ज़ैर : यानी नींद के सबब नमाज़ का लेट हो जाना बाइसे नुक़सान नहीं है। इसलिये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।

(1565) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में होते और रात को पड़ाव करते तो अपने दायें पहलू पर लेटते और जब सुबह के करीब पड़ाव करते तो अपना बाज़ू ज़मीन पर रख लेते और अपना सर अपनी हथेली पर रख लेते।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِجَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ .

फ़ायदा : अगर इंसान सुबह के करीब आराम करने की ज़रूरत महसूस करे तो इस अन्दाज़ से लेटने से गुरेज़ करे कि नींद गहरी आ जाये, बल्कि इस तरह बैठकर कुछ आराम करे कि नमाज़ के लिये बेदार होना आसान हो।

(1566) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो जब याद आ जाये उस वक़्त उसे पढ़ ले। उसका यही कफ़़ारा है।' और क़तादा (रज़ि.) ने आयत पढ़ी, अक्रिमिस्सला-त लिज़िवरी (मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़ो)।' (सहीह बुख़ारी : 597)

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ " . قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .

(1567) हज़रत अनस (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) की मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान की और उसमें ये टुकड़ा नक़ल नहीं किया कि 'उसका कफ़फ़ारा यही है।'

(तिर्मिज़ी : 178, नसाई : 1/293, इब्ने माजह : 696)

(1568) अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो कोई नमाज़ पढ़ना भूल गया या उससे सोया रहा, तो उसका कफ़फ़ारा ये है कि याद आते ही पढ़ ले।'

(1569) अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ से सोया रहे या उससे ग़ाफ़िल हो जाये तो उसे याद आने पर पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़ो।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَتُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ " لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " .

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) की हदीस से मालूम होता है कि इंसान जिस वक़्त भी नींद से बेदार हो या भूल जाने की सूरत में जब नमाज़ याद आ जाये, वो नमाज़ पढ़ लेगा। हाँ बिना सबब और जान-बूझकर औक़ाते मक्रूहा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मस्लक है कि औक़ाते मक्रूहा में नमाज़ की क़ज़ाई दी जा सकती है। अहनाफ़ के नज़दीक इन औक़ात में नमाज़ की क़ज़ाई देना भी दुरुस्त नहीं है।

इस किताब के कुल 31 बाब और 267 हदीसों हैं।

किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसरिहा का तआरुफ़

सहीह मुस्लिम की किताबों और अबवाब के इन्वान इमाम मुस्लिम (रह.) के अपने नहीं हैं। उन्होंने सुनन की एक इन्दा तर्तीब से अहादीस बयान की हैं। किताबों और अबवाब की तकसीम बाद में की गई है। फ़र्ज नमाज़ों के कई सारे मसाइल पर अहादीस लाने के बाद यहाँ इमाम मुस्लिम (रह.) ने सफ़र की नमाज़ और उससे मुताल्लिक मसाइल, जैसे : कसर, सफ़र और सफ़र के अलावा नमाज़ें जमा करने, सफ़र के दौरान में नवाफ़िल और दूसरी सहूलतों के बारे में अहादीस लाये हैं। इमाम नववी (रह.) ने यहाँ इस हवाले से किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसरिहा का इन्वान बांध दिया है। इन मसाइल के बाद इमाम मुस्लिम (रह.) ने इमाम की इक्तिदा और उसके बाद नफ़ल नमाज़ों के हवाले से अहादीस बयान की हैं। आख़िर में बड़ा हिस्सा रात के नवाफ़िल (तहज्जुद) से मुताल्लिका मसाइल के लिये वक़फ़ किया है। इन सबके इन्वान अबवाब की सूरत में हैं। इससे पता चलता है कि किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसरिहा मुस्तक़िल किताब नहीं बल्कि ज़ैली किताब है। असल किताबुस्सलात ही है जो इस ज़ैली के ख़त्म होने के बाद इख़िताम पज़ीर होती है। यही वजह है कि कुछ मुताख़िबरीन ने अपनी शुरूह में इस ज़ैली किताब को असल किताबुस्सलात ही में ज़म (शामिल) कर दिया है।

किताबुस्सलात के इस हिस्से में उन सहूलतों का ज़िक्र है जो अल्लाह की तरफ़ से पहले हालते जंग में अता की गईं और बाद में उनको तमाम मुसाफिरीन के लिये कर दिया गया। तहिय्यतुल मस्जिद, चाशत की नमाज़, फ़र्ज नमाज़ों के साथ अदा किये जाने वाले नवाफ़िल के अलावा रात की नमाज़ में रब्बे तआला के साथ मुनाजात (लौ लगाने) की लज़ज़तों, उन घड़ियों में मुनाजात करने वाले बन्दों के लिये अल्लाह के कुर्ब और उसकी बेपनाह रहमत व मग्फ़िरत के दरवाज़े खुल जाने और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ूबसूरत दुआओं का रूह परवर तज़िकरा, पढ़ने वाले के ईमान में इज़ाफ़ा कर देता है।

हदीस नम्बर 1570 से 1731 तक

(बकिया अहादीस अगली जिल्द में)

کتاب صلاة المسافرين وقصرها

6. मुसाफ़िरो की नमाज़ और उसके क़स्र का बयान

बाब 1 : सफ़र पर निकलने वालों की
नमाज़ और उसका क़स्र करना

(1570) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि सफ़र और हज़र (इक्रामत) में नमाज़ दो-दो रक़अत फ़र्ज़ की गई थी, फिर सफ़र में नमाज़ पहली हालत पर बरक़रार रखी गई और हज़र की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

(सहीह बुखारी: 355 अबूदाऊद: 1198, नसाई: 1/255)

(1571) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब अल्लाह तआला ने नमाज़ फ़र्ज़ की तो उसे दो रक़अत फ़र्ज़ करार दिया। फिर हज़र की सूरत में उसे पूरा कर दिया और सफ़र में नमाज़ को पहली फ़र्ज़ियत पर क़ायम रखा गया।

(1572) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, शुरूआत में नमाज़ दो रक़अत फ़र्ज़ की गई। फिर सफ़र की नमाज़ बरक़रार रखी गई और हज़र की नमाज़ पूरी कर दी गई। इमाम ज़ोहरी कहते हैं, मैंने इरवह (रज़ि.) से

باب صلاة المسافرين وقصرها

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أْتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأَقْرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الصَّلَاةَ، أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ

पूछा, आइशा (रज़ि.) सफ़र में नमाज़ पूरी क्यों पढ़ती हैं? उसने कहा, उस्मान (रज़ि.) की तरह वो भी तावील करती हैं।

(सहीह बुखारी : 1090, नसाई : 3/78)

फ़वाइद : (1) नमाज़ हिज्रत से पहले मक्का मुकर्रमा में फ़र्ज़ हुई है। मरिब की नमाज़ के सिवा बाकी चारों नमाज़ें दो-दो रकअत थीं। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिज्रत के बाद मरिब और फ़ज्र के सिवा नमाज़ों में दो-दो रकअत का इज़ाफ़ा कर दिया गया। फ़ज्र में क़िरअत तवील होती है इसलिये इसमें इज़ाफ़ा नहीं किया गया और मरिब का अन्दाज़ पहले ही जुदागाना था। (2) हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) नमाज़ पूरी क्यों पढ़ते थे? इसके सबब और वजह या तावील में इख़्तिलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) का ख़याल है, दौराने सफ़र में नमाज़ में क़स्र करते थे और जब कहीं पड़ाव कर लेते तो नमाज़ पूरी पढ़ते थे। कुछ हज़रात का ख़याल है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौर में इस्लाम दूर तक फैल गया और कुछ ऐसे लोग भी हज़ करने के लिये आते थे जो दीनी मसाइल पूरी तरह नहीं समझते थे, इसलिये उन्होंने अपनी ख़िलाफ़त का आधा दौर गुज़रने के बाद मिना में नमाज़ पूरी पढ़नी शुरू कर दी थी ताकि लोग किसी ग़लतफ़हमी में मुब्तला न हो जायें।

कुछ हज़रात का ख़याल है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौर में जब मिना में लोगों ने रिहाइश के लिये मकानात बना लिये और उसने एक बस्ती की शक़्ल इख़्तियार कर ली तो उन्होंने नमाज़ पूरी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ हज़रात का ख़याल है उन्होंने मिना में शादी कर ली थी और इंसान जहाँ शादी कर ले वहाँ नमाज़ पूरी पढ़ेगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का नज़रिया भी यही है। इसलिये बकौल इब्ने क़य्यिम (रह.) यही जवाब बेहतर है अगरचे और भी अस्बाब बयान किये गये हैं। (3) सफ़र में नमाज़ के क़स्र और रोज़े के इफ़तार करने की रुख़सत है, इसलिये सहीह यही मालूम होता है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) क़स्र को फ़र्ज़ नहीं समझते थे, जिस तरह के सुनन दार कुतनी में रिवायत है जिसको उन्होंने सहीह क़रार दिया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने नमाज़े क़स्र पढ़ी है और मैंने नमाज़ पूरी पढ़ी है, आपने रोज़ा रखा है और मैंने इफ़तार किया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! तूने अच्छा किया है।' (4) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक नमाज़ में क़स्र करना अफ़ज़ल और पूरा पढ़ना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक क़स्र फ़र्ज़ है अकेले के लिये पूरी नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है, हाँ इमाम की इक़तिदा में जाइज़ है। हालांकि अहनाफ़ का उसूल है कि रावी के फ़हम को रिवायत पर तरजीह होगी और यहाँ हज़रत आइशा (रज़ि.) का अमल यही है कि वो नमाज़ पूरी पढ़ती थीं। इसीलिये अहनाफ़ को नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिये।

(1573) हज़रत यज़ाला बिन उमय्या बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से पूछा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'अगर तुम्हें काफ़िरो की तरफ़ से फ़िल्ने का

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

अन्देशा हो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि नमाज़ में कसर कर लो।' (सूरह निसा : 101) अब तो लोग बेखौफ हो गये हैं (फिर कसर क्यों करते हैं?) तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी इस बात पर तअज्जुब हुआ था, जिस पर तुम तअज्जुब कर रहे हो, तो मैंने इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये अल्लाह तआला का सदका है जो अल्लाह तआला ने तुम पर किया है, तो उसके सदके को कुबूल करो।' (अबू दाऊद : 1199, 1200, तिर्मिज़ी : 3034, नसाई : 3/120, इब्ने माजह : 1065)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ नमाज़े कसर का असल सबब दुश्मन से जंग का अन्देशा था, लेकिन अल्लाह तआला ने उम्मत पर एहसान करते हुए इसको आम कर दिया कि अगरचे सफ़र में किसी क़िस्म का खौफ़ व खतरा न हो तब भी कसर कर सकते हो इसलिये 'लैसा अलैकुम जुनाहुन' और सदके का लफ़्ज़ इस बात की दलील है कि ये फ़र्ज नहीं है लेकिन ये चूँकि अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है इसलिये इसका तकाज़ा यही है कि इंसान इन्फ़िरादी और शख़्सी तौर पर नमाज़ कसर पढ़े। हाँ अगर मुक़ीम इमाम (लोकल इमाम) के पीछे नमाज़ पढ़े तो पूरी पढ़ ले।

(1574) हज़रत यअला बिन उमय्या बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से सवाल किया तो उन्होंने मज़क़ूर बाला जवाब दिया।

(1575) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) के वास्ते से उसकी ज़बान से, हज़र में चार, सफ़र में दो और खौफ़ (जंग) में एक रकअत नमाज़ फ़र्ज की है।

بُنْ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ، عَنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا، مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ، عَنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

(अबू दाऊद : 1247, नसाई : 1/226, 3/118-119, इब्ने माजह : 1068)

عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

फ़ायदा : सफ़र में जुहर, असर और इशा में कसर है। यानी सिर्फ़ दो रकअत नमाज़ फ़र्ज़ है। मरिब और फ़ज्र की नमाज़ में सफ़र और हज़र में कोई फ़र्क नहीं है। जंग में अगर जंग सफ़र में हो तो अइम्मए अरबआ और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक नमाज़ कसर है। जंगी हालात की बिना पर कैफ़ियत में फ़र्क हो सकता है। तफ़सील नमाज़े ख़ौफ़ में आयेगी।

(1576) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़बान पर मुसाफ़िर पर दो रकअतें, मुक्मीम पर चार और जंग में एक रकअत फ़र्ज़ की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرْنِيُّ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدِ الطَّائِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمَقِيمِ أَرْبَعًا وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

फ़ायदा : जुम्हूर उम्मत के नज़दीक मुजाहिद, एक रकअत इमाम के साथ पढ़ेगा और एक रकअत अकेला पढ़ेगा और यहाँ मुराद इमाम के साथ वाली रकअत है। लेकिन हसन बसरी, ज़हहाक और इमाम इस्हाक (रह.) के नज़दीक ख़ौफ़ में एक ही रकअत फ़र्ज़ है।

(1577) मूसा बिन सलमा हुज़ली बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, जब मैं मक्का में हूँ और इमाम के साथ नमाज़ न पढ़ूँ तो फिर कैसे नमाज़ पढ़ूँ? तो उन्होंने जवाब दिया, अबुल कासिम (ﷺ) की सुन्नत दो रकअत है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصْلِي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ . فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

(नसाई : 3/119)

(1578) इमाम साहब ने क़तादा (रज़ि.) की मज़कूरा सनद से दूसरे उस्तादों से भी इस

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

क्रिस्म की हदीस बयान की है।

(1579) हफ्स बिन आसिम बयान करते हैं कि मैंने मक्का के रास्ते में इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ सफ़र किया। उन्होंने हमें जुहर की नमाज़ दो रकअत पढ़ाई। फिर वो और हम अपनी क्रियामगाह की तरफ बढ़े और हम उनके साथ बैठ गये। अचानक उन्होंने उस जगह की तरफ नज़र दौड़ाई जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी तो लोगों को देखा खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सुन्नतें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होतीं तो मैं नमाज़ पूरी पढ़ता (कसर न करता) ऐ मेरे भतीजे! मैं इस सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहा तो आप (ﷺ) ने दो रकअत से ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें क़ब्जे में ले लिया और मैं अबू बकर (रज़ि.) के साथ रहा तो उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें क़ब्जे में ले लिया और मैं उमर (रज़ि.) के साथ रहा तो उन्होंने दो रकअत से ज़्यादा न पढ़ी। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनको वफ़ात दी और उस्मान (रज़ि.) के साथ रहा उन्होंने भी दो से ज़्यादा रकअतें नहीं पढ़ीं। यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म से वफ़ात पा गये और अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतरीन नमूना हैं।'

(सहीह बुखारी : 1101, 1102, अबू दाऊद : 1223, नसाई : 3/123, इब्ने माजह : 1071)

مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ - قَالَ - فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْبِقَاعَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .

फ़वाइद : (1) हुज़ूर (ﷺ) और खुलफ़ाए राशिदीन नमाज़ के साथ, सफ़र में सुनने मुअक्कदा नहीं पढ़ते थे। लेकिन सुबह की सुन्नतें पढ़ते थे इसी तरह वित्र भी पढ़ते थे और आम नवाफ़िल भी सवारी पर बैठे-बैठे पढ़ते थे। इसलिये इमाम मालिक, शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सुनने मुअक्कदा का हुक्म नवाफ़िल वाला होगा। उनको नफ़ल की हैसियत से पढ़ लिया जायेगा। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने हसन बसरी से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में नफ़ल पढ़ा करते थे। (ज़ादुल मआद, तबअ अहयाउत्तुरासुल इस्लामी, पेज नम्बर 456) (2) हज़रत उस्मान (रज़ि.) मिना के सिवा तमाम मक़ामात पर सफ़र में नमाज़ क़स्र पढ़ते थे। (3) अहनाफ़ के नज़दीक मुसाफ़िर सफ़र के दौरान सुन्नतें मुअक्कदा न पढ़े और हालते क़ियाम में पढ़ ले।

(1580) हफ़्स बिन आसिम बयान करते हैं, मैं एक बीमारी में मुब्तला हुआ तो इब्ने उमर (रज़ि.) मेरी इयादत के लिये आये तो मैंने उनसे सफ़र में सुन्नतें पढ़ने के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने कहा, मैं सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहा हूँ तो मैंने आप (ﷺ) को सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा और अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होतीं तो मैं नमाज़ ही पूरी पढ़ता और अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना हैं।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُوذُنِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ، فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاتَمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का मक़सद ये है कि सफ़र की बिना पर मुसाफ़िर की सहूलत और आसानी की खातिर फ़र्ज़ नमाज़ में तख़फ़ीफ़ कर दी गई है तो सुनने रातिबा की पाबंदी क्यों ज़रूरी ठहरी? अगर मुसाफ़िर के लिये तख़फ़ीफ़ व सहूलत मतलूब न होती तो नमाज़ पूरी पढ़ना ही बेहतर ठहरता।

(1581) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में जुहर की चार रकअतें पढ़ाई और जुल हुलैफ़ा में असर की दो रकअतें पढ़ाई।

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَبَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِبَيْتِ الْخَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

(सहीह बुखारी : 1547, 1548, 1551, 1712, 1714, 1715, 2951, 2986, अबू दाऊद : 1796, 2793, नसाई : 1/237)

(1582) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना में जुहर की चार रक़आत पढ़ीं और मैंने आप (ﷺ) के साथ जुल हुलैफ़ा में असर की दो रक़अतें पढ़ीं।

(सहीह बुख़ारी : 1089, 1546, अबू दाऊद : 1202, 1773, तिर्मिज़ी : 546, नसाई : 1/235)

(1583) यहया बिन यज़ीद हुनाई बयान करते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नमाज़ क़स्र करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तीन मील या तीन फ़रसख़ की मसाफ़त पर निकलते (उसके बारे में शोबा को शक है) तो दो रक़अत नमाज़ पढ़ते।

(अबू दाऊद : 1201)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّدِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ صَلَّىتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْدَائِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّائِكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

फ़वाइद : (1) हुज़ूर (ﷺ) ने चार किस्म के सफ़र फ़रमाये हैं : (1) आम तौर पर आप (ﷺ) ने सफ़र जिहाद की खातिर किया है (2) सफ़रे हिज़रत (3) सफ़रे उमरह (4) सफ़रे हज और ये चारों सफ़र तवील थे। आप (ﷺ) का कोई सफ़र भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ़ नौ या दस मील तक का हो। (2) इमाम मालिक के नज़दीक मसाफ़ते क़स्र एक दिन की मसाफ़त है जो आम तौर पर बीस मील बनते हैं। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक मसाफ़ते क़स्र दो दिन की मसाफ़त है। जैसे इमाम नववी और इमाम इब्ने कुदामा ने चार बरद (यानी 48 मील करार दिया है) क्योंकि एक बरीद में चार फ़रसख़ होते हैं और एक फ़रसख़ में तीन मील होते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मसाफ़ते क़स्र तीन दिन की मसाफ़त है। लेकिन अहनाफ़ आम तौर पर मीलों में इसको 48 मील करार देते हैं। इस तरह इन तीनों इमामों के नज़दीक अगर 48 मील तक सफ़र करना हो तो फिर इंसान क़स्र कर सकता है लेकिन ये तहदीद और तअयीन किसी सहीह और मरफूअ हदीस से साबित नहीं है। आप (ﷺ) से मुत्लक़ सफ़र में बिला तहदीद व तअयीन क़स्र साबित है। इसलिये उफ़े आम में जितनी मसाफ़त को सफ़र समझा जाता है उसमें इंसान नमाज़ क़स्र कर सकता है। मसाफ़त की तअयीन की ज़रूरत नहीं है। इंसान जब अपने आपको मुसाफ़िर समझे और उसका दिल मुत्मइन हो कि वाक़ेई मुसाफ़िर हैं तो वो क़स्र नमाज़ पढ़े। (3) इंसान जब घर से सफ़र पर ख़ाना हो जाये और आबादी से निकल जाये तो

नमाज़ का वक़्त हो जाने पर वो क़स्स नमाज़ पढ़ेगा। हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर जो आप (ﷺ) का आख़िरी सफ़र है, आपने जुहर की नमाज़ मदीना में पूरी पढ़ी और अ़सर की नमाज़ जुल हुलैफ़ा में क़स्स की सू़रत में अदा की और जुल हुलैफ़ा मदीना मुनव्वरा से तक़्रीबन 6 मील के फ़ासले पर है। कुछ हज़रत ने हज़रत अनस (रज़ि.) के जवाब से क़स्स की मसाफ़त तीन फ़रसख़ यानी नौ मील क़रार दी है। हालांकि हुज़ूर (ﷺ) का कोई सफ़र भी इतनी कम मसाफ़त का साबित नहीं है।

(1584) जुबैर बिन नुफ़ेर बयान करते हैं कि मैं शुरहबील बिन सिम्त के साथ एक बस्ती में गया जो 17 या 18 मील के फ़ासले पर थी तो उन्होंने नमाज़ दो रक़अत अदा की। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मैंने उमर (रज़ि.) को जुल हुलैफ़ा में दो रक़अत पढ़ते देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मैं वैसे ही करता हूँ जैसाकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को करते देखा है।

(नसाई : 1436)

फ़ायदा : ये बात ऊपर गुज़र चुकी है कि जुल हुलैफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) का सफ़र का आख़िरी पड़ाव नहीं था कि आप इससे आगे न गये हों। दौराने सफ़र अलग-अलग वक़्तों में आपने वहाँ आरिज़ी तौर पर क़ियाम फ़रमाया और नमाज़ क़स्स अदा की। क्योंकि आप मुसाफ़िर थे और मुसाफ़िर आते-जाते वक़्त आबादी से बाहर क़स्स कर सकता है।

(1585) दूसरी सनद में है कि इब्ने सिम्त हिम्स की दौमीन नामी जगह पर पहुँचे जो 18 मील के फ़ासले पर थी (और वहाँ नमाज़ क़स्स पढ़ी)।

(1586) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना से मक्का जाने के लिये निकले तो आप (ﷺ) दो-दो रक़अत नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرْحَيْبِلِ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ . فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتَ عَمْرَ صَلَّى بِيَدِي الْخُلَيْفَةَ رَكَعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ عَنِ ابْنِ السَّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرْحَيْبِلَ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِينُ مِنْ حِمَصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

कि वापस मदीना पहुँच गये। रावी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, आप मक्का में कितना अरसा ठहरे? उन्होंने जवाब दिया, दस दिन।

(सहीह बुखारी : 1081, 4297, अबू दाऊद : 1233, तिरमिज़ी : 548, नसाई : 3/118, इब्ने माजह : 1077)

फ़ाघदा : इस हदीस में हज्जतुल विदाअ के सफ़र की तरफ़ इशारा है। आप चार ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। फिर आठ ज़िल्हिज्जा को सुबह के बाद मिना चले गये और नौ ज़िल्हिज्जा को सुबह की नमाज़ के बाद अरफ़ात चले गये। दस ज़िल्हिज्जा की रात मुज्दलफ़ा में गुजारी और सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ़ वापस आ गये और 13 ज़िल्हिज्जा तक मिना में रहे और 14 ज़िल्हिज्जा को फ़र्र से पहले मदीना मुनव्वरा की तरफ़ सफ़र इख़्तियार कर लिया। इस तरह आपने मक्का मुकर्रमा और उसके आस-पास में दस दिन गुजारे। ख़ास तौर पर मक्का में आपने बीस नमाज़ें अदा कीं। इसलिये इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, और इमाम अहमद के नजदीक क़स्र बीस नमाज़ तक है। अगर इससे ज़्यादा अरसा क्रियाम करना हो तो शुरू ही से नमाज़ पूरी पढ़नी होगी और अहनाफ़ ने फ़तहे मक्का के दिनों से इस्तिदलाल करते हुए मुद्ते सफ़र पन्द्रह दिन मुकर्रर की है। हालांकि ये दिन जंग के दिन थे, जिनमें इंसान इक़ामत की निव्यत नहीं करता। अल्लामा गुलाम रसूल साहब कहते हैं, ये रिवायात हमें तब मुज़िर होतीं जब उनमें ये तसरीह होती कि आपने 15, 17 या 19 दिन क्रियाम की निव्यत की होती और फिर आप क़स्र करते रहते क्योंकि अगर 15 दिन क्रियाम की निव्यत न हो। फिर क्रियाम पन्द्रह दिन से ज़्यादा हो जाये फिर भी क़स्र पढ़ी जाती है। (जिल्द 2, पेज नम्बर 378)

अहनाफ़ के पास पन्द्रह दिन के लिये बतौर दलील कोई मरफूअ हदीस नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल ने सिर्फ़ हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का अमल पेश किया है और उनसे इस सिलसिले में अलग-अलग अफ़आल मन्कूल हैं।

(1587) यही हदीस हज़रत अनस (रज़ि.) से एक दूसरी सनद से भी मरवी है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ .

(1588) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हज के लिये मदीना से चले, फिर मज़क़ूरा बाला रिवायत बयान फ़रमाई।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

(1589) यही रिवायत एक और सनद से मन्कूल है लेकिन उसमें हज का तज़िकरा नहीं है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ .

बाब 2 : मिना में नमाज़ क़स्र पढ़ना

(1590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिना और दूसरी जगह यानी उसके आस-पास में मुसाफ़िर वाली नमाज़ पढ़ी। अबू बकर व इमर (रज़ि.) ने भी और इस्मान (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के शुरूआती सालों में दो रक़अत नमाज़ पढ़ी, बाद में पूरी चार पढ़ने लगे।

(1591) एक दूसरी सनद से भी यही रिवायत मन्कूल है लेकिन उसमें मिना के साथ दूसरी जगह का ज़िक्र नहीं है।

(1592) हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिना में दो रक़अत नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) के बाद अबू बकर ने और अबू बकर के बाद इमर ने और इस्मान ने अपनी ख़िलाफ़त के शुरूआती सालों में और बाद में इस्मान (रज़ि.) चार रक़अत पढ़ने लगे। इसलिये इब्ने इमर (रज़ि.)

باب قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَى وَغَيْرِهِ رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكَعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ اتَّمَّهَا أَرْبَعًا .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنَى . وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ

जब इمام के साथ नमाज़ पढ़ते तो चार रकआत पढ़ते और जब अकेले पढ़ते तो दो रकअतें पढ़ते।

(1593) इمام साहब ने दूसरे उस्तादों से भी इस किसम की रिवायत नक़ल की है।

(1594) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), अबू बकर, उमर और उस्मान (रज़ि.) ने आठ या छः साल मीना में मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ी। हफ़्स बयान करते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) मीना में दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। फिर अपने बिस्तर पर आ जाते थे। मैंने कहा, ऐ चाचा! काश आप फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दो सुन्नतें भी पढ़ लिया करें तो उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसे करता तो नमाज़ पूरी पढ़ लेता।

फ़ायदा : इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) सिर्फ़ मीना में चार रकआत पढ़ने लगे थे। बाकी मक़ामात पर दो रकअत ही पढ़ते थे।

(1595) शोबा के शागिर्द और ऊपर वाली सनद से बयान करते हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, मीना। बल्कि दोनों ने कहा, सफ़र में नमाज़ पढ़ी।

عُثْمَانُ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنَى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتِّ سِنِينَ . قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ . فَقُلْتُ أَيُّ عَمٍّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَأَتَمَمْتُ الصَّلَاةَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ بِمِنَى . وَلَكِنْ قَالَا صَلَّى فِي السَّفَرِ .

(1596) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं कि हज़रत इस्मान (रज़ि.) ने हमें मिना में चार रकआत पढ़ाई तो इसका तज़्किरा अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास किया गया तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर बताया मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी और मैंने अबू बकर सिद्दीक (रज़ि.) के साथ मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी और मैंने इमर बिन खत्ताब (रज़ि.) के साथ मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी। काश! चार रकआत में मेरा हिस्सा अगर शफ़े कुबूलियत हासिल करने वाली रकअतें हों।

(सहीह बुखारी : 1084, अबू दाऊद : 1960, नसाई : 3/119-120)

फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ), अबू बकर और इमर (रज़ि.) मिना में नमाज़ कसर पढ़ते थे। इसलिये अब्दुल्लाह बिन इमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) यही चाहते थे कि इस्मान (रज़ि.) भी मिना में दो रकअत ही नमाज़ पढ़ें। लेकिन इस राय और फ़िक्र के बावजूद वो इस्मान (रज़ि.) की मुख़ालिफ़त करके इन्तिशार और इफ़्तिराक पैदा करने से परहेज़ करते थे और उनकी इक़्तिदा में पूरी नमाज़ पढ़ते थे और अकेले नमाज़ कसर पढ़ते थे। जिससे मालूम होता है इन्तिशार और इफ़्तिराक एक नापसन्दीदा हरकत है। इससे बचने की ख़ातिर एक ऐसी बात कुबूल की जा सकती है जो मरजूह हो। नीज़ आपके क़ौल और फ़ैअल की मौजूदगी में किसी बड़े से बड़े इंसान का क़ौल व फ़ैअल भी हुज्जत नहीं है अगरचे उस पर बेजा तन्कीद व तब्सरा नहीं किया जायेगा।

(1597) इमाम मुस्लिम ने दूसरे उस्तादों से भी इसी मफ़हूम की हामिल हदीस बयान की।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانَ بِيَمِينِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَمِينِي رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِيَمِينِي رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِيَمِينِي رَكَعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ، حَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(1598) हज़रत हारिस्मा बिन वहब (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना में इन्तिहाई पुर अमन हालात में कस्मीर तादाद के साथ दो रकअत नमाज़ पढ़ी।
(सहीह बुखारी : 1083)

(1599) हारिस्मा बिन वहब खुज़ाई (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने हज्जतुल विदाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद की मौजूदगी में मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, हारिस्मा बिन वहब खुज़ाई (रज़ि.) माँ की तरफ़ से अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) के भाई हैं।

बाब 3 : बारिश में घरों में नमाज़ पढ़ना

(1600) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक सर्द और हवादार रात में अज़ान दी और कहा, अला सल्लू फ़िरिहालि। ख़बरदार! घरों में नमाज़ पढ़ लो। फिर बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात सर्द और बारिश वाली होती तो मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि वो कह दे 'अला सल्लू फ़िरिहालि सुनो नमाज़ घरों में पढ़ लो।' (सहीह बुखारी:666, अबूदाऊद:1063 नसाई : 2/15)

(1601) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक सर्दी, हवा और बारिश वाली रात में अज़ान

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى - أَمِنْ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ - رَكَعَتَيْنِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهَبٍ الْخَزَاعِيُّ، قَالَ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ . قَالَ مُسْلِمٌ حَارِثَةُ بْنُ وَهَبٍ الْخَزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ .

باب الصَّلَاةِ فِي الرَّحَالِ فِي الْمَطَرِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَدْنَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ لَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ . ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَدَّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ " لَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ

दी और अज़ान के आख़िर में कहा, ख़बरदार! अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। सुनो! घरों में नमाज़ पढ़ो। फिर बताया कि जब सफ़र में रात सर्द होती या बारिश हो रही होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मुअज़्ज़िन को ये कहने का हुक्म देते, 'अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम।'

عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

(1602) नाफ़ेअ बयान करते हैं इब्ने उमर (रज़ि.) ने ज़ज्जान पहाड़ पर अज़ान कही फिर ऊपर वाली बात बयान की और इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, 'अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम।' इसमें इब्ने उमर (रज़ि.) के दोबारा अला सल्लू फ़िरिहाल कहने का ज़िक्र नहीं है। (अबू दाऊद : 1062)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجَّتَانِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

फ़वाइद : (1) इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है कि बारिश के उज़र और मजबूरी की बिना पर अगर मस्जिद में पहुँचना मुश्किल हो तो नमाज़ घरों में पढ़ना जाइज़ है। ऐसी सूरत में नमाज़ बाजमाअत ज़रूरी नहीं है। (2) इब्ने उमर (रज़ि.) पहले अज़ान आम दिनों के मुताबिक़ देते थे ताकि जो लोग मस्जिद में आ सकते हों आ जायें और अज़ान के आख़िर में रुख़सत के कलिमात कह देते थे ताकि जो कमज़ोर, बूढ़े और मरीज़ हैं उन्हें मस्जिद में न आने की इजाज़त मिल जाये। इसलिये कुछ उलमा का ख़याल है कि ये कलिमात अज़ान के आख़िर में कहना बेहतर है।

(1603) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक सफ़र में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और बारिश हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जिसका दिल चाहे, नमाज़ अपनी क़ियामगाह में पढ़ ले।' (अबू दाऊद : 1065, तिर्मिज़ी : 409)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمَطَرْنَا فَقَالَ " لِيُصَلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رِحَالِهِ " .

(1604) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं कि एक बारिश वाले दिन अब्दुल्लाह बिन

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا

अब्बास (रज़ि.) ने अपने मुअज़्ज़िन से फ़रमाया, जब तुम अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु अन्-न मुहम्मदरसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस्सलाह न कहना, सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहना। लोगों ने गोया कि इसको एक नया काम ख़याल किया तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम इस पर तअज्जुब कर रहे हो? ये काम उन्होंने किया जो मुझसे बेहतर थे, जुम्आ पढ़ना लाज़िम है और मुझे बुरा मालूम हुआ कि मैं तुम्हें तंगी में मुब्तला करूँ और तुम कीचड़ और फिस्लन में चलकर आओ।

सहीह बुखारी:616, अबूदाऊद:1066 इब्नेमाजह: 939

मुफ़रदातुल हदीस : दहज़ुन : ज़ललुन, ज़लकुन और रदगुन सब कलिमात हम मानी हैं। कीचड़ और गारे को कहते हैं जिसमें इंसान फिसलता है।

फ़वाइद : (1) सल्लू फ़ी बुयूतिकुम और सल्लू फ़ी रिहालिकुम या सल्लू फ़िर्हाल इन सब कलिमात का मक़सद मस्जिद में हाज़िर होने से रुख़सत देना मन्ज़ूर है। क्योंकि बकौल इब्ने अब्बास (रज़ि.) अगर ये कलिमात न कहे जायें तो मस्जिद में आना पड़ेगा और ये चीज़ कमज़ोर, बूढ़ों और मरीज़ों के लिये मशक्कत और अज़ियत का बाइस होगी। (2) कलिमाते रुख़सत हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह की जगह भी कहे जा सकते हैं, इनको अज़ान के आख़िर में कहना ज़रूरी नहीं है। (3) कीचड़ और गारे की सूरत में जब जुम्आ के लिये मस्जिद में आना किसी के लिये तकलीफ़ और मशक्कत का बाइस हो तो वो जुम्आ छोड़ सकता है और उसकी जगह नमाज़े जुहर घर में पढ़ लेगा। इस्लाम इंसानों की सहूलत और आसानी को मल्हूज़ रखता है और मशक्कत व तकलीफ़ के औकात में कमी और सहूलत पैदा करता है।

(1605) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कीचड़ और गारे वाले दिन हमें ख़िताब फ़रमाया। ऊपर वाली हदीस के हम मानी रिवायत सुनाई लेकिन जुम्आ का नाम नहीं लिया और कहा, ये काम उस शख़िसयत ने किया है जो मुझसे बेहतर है यानी नबी (ﷺ)

إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزُّبَايِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي
بَيْوتِكُمْ - قَالَ - فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ
فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ
مَنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُم
فَتَمَشُّوا فِي الطِّينِ وَالذَّحُضِ .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، -
يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخَارِثِ، قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ فِي رَدْعٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَلَمْ يَذْكَرِ الْجُمُعَةَ

ने ये काम किया है। हम्माद ने ये रिवायत अब्दुल हमीद की बजाए आसिम से भी रिवायत की है।

(1606) इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से भी बयान की है। लेकिन उसमें यानी नबी (ﷺ) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

(1607) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं कि उन्हें अब्बास (रज़ि.) के मुअज़्ज़िन (जुम्आ के दिन जब बारिश हो रही थी) अज़ान दी। आगे इब्ने उल्य्या (इस्माईल) की तरह हदीस बयान की और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैंने इस बात को नापसंद किया कि तुम कीचड़ और फिस्लन में चलकर आओ।

(1608) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया। जैसाकि मअमर की रिवायत में है, जुम्आ के दिन बारिश के रोज़ जैसाकि दूसरों की रिवायत में है और मअमर की हदीस में है ये काम उस शख्स ने किया है जो मुझसे बेहतर है यानी नबी (ﷺ) ने किया है।

(1609) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं और बक्रौल वुहैब, अय्यूब ने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन हारिस से नहीं सुनी।

وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي . يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِهِ .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، - هُوَ الزُّهْرَانِيُّ - حَدَّثَنَا حَمَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمِيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ أَدْنَى مُؤَدَّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدُّخَانِ وَالزَّلَلِ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَرَ مُؤَدَّنَهُ - فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ - فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي . يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ

(और बकौल इब्ने हजर, सुनी है) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जुम्आ के दिन बारिश के रोज़ अपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया जैसाकि दूसरे रावियों ने बयान किया है।

फ़ायदा : इमाम बुखारी (रह.) ने बारिश की अज़ान से ये मसला मुस्तम्बत किया है कि ज़रूरत के तहत अज़ान में बातचीत करना जाइज़ है।

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، - قَالَ وَهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ - قَالَ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَدَّنُهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ . بَنَحُو حَدِيثَهُمْ .

बाब 4 : सफ़र में नफ़ल नमाज़ सवारी पर पढ़ना, चाहे उसका रुख किसी भी तरफ़ हो, जाइज़ है

(1610) अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नफ़ली नमाज़ अपनी कँटनी पर पढ़ते थे। चाहे उसका रुख किसी तरफ़ होता।

(1611) इब्ने इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) नफ़ली नमाज़ अपनी सवारी पर पढ़ते थे, उसका रुख जिधर भी होता।

(1612) इब्ने इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते थे जबकि आप (ﷺ) मक्का से मदीना की तरफ़ आ रहे होते अपनी सवारी पर, जिधर भी उसका रुख होता और उसके बारे में ये आयत उतरी (तुम जिधर भी मुँह करो, अल्लाह की ज़ात उधर ही है।) (तिर्मिज़ी : 2958)

باب جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

وَحَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ - قَالَ - وَفِيهِ نَزَلَتْ { فَأَيُّمًا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }

फ़ायदा : नफ़ली नमाज़ हर किसम की सवारी पर पढ़ी जा सकती है। इसमें अइम्माए अरबआ के दरम्यान कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है और कुरआनी आयत से भी इसका सुबूत मिलता है। हाँ शुरू में अगर सवारी का रुख़ किब्ले की तरफ़ हो सके तो बेहतर है, बाद में उसका रुख़ चाहे किसी तरफ़ भी हो जाये और आयते मुबारका फ़इत्रमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाहि का ताल्लुक़ सफ़र में नफ़ली नमाज़ से है कि इंसान सफ़र में सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ सकता है। सवारी से उतरने की ज़रूरत नहीं है।

(1613) इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्तादों से अब्दुल मलिक की सनद से यही रिवायत नक़ल करते हैं और उनमें इब्ने मुबारक और इब्ने अबी ज़ाइदा की रिवायत में है कि फिर इब्ने इमर (रज़ि.) ने पढ़ा, फ़इत्रमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाहि और कहा ये इसी मसले के बारे में उतरी है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ { فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } وَقَالَ فِي هَذَا تَرَلَّتْ .

(1614) इब्ने इमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को गधे पर नमाज़ पढ़ते देखा जबकि आप (ﷺ) का रुख़ ख़ैबर की तरफ़ था।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى جِمَارٍ وَهُوَ مُوجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

(अबू दाऊद : 1226, नसाई : 2/60)

(1615) सईद बिन यसार बयान करते हैं कि मैं मक्का के रास्ते में इब्ने इमर (रज़ि.) के साथ जा रहा था। फिर जब मुझे सुबह होने का अन्देशा महसूस हुआ, मैंने सवारी से उतरकर वित्र पढ़े फिर मैं उनसे जा मिला। तो इब्ने इमर (रज़ि.) ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ रह गये थे? तो मैंने उनसे कहा, मुझे फ़ज्र हो जाने का ख़तरा पैदा हुआ इसलिये मैंने उतर कर वित्र पढ़े। तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, क्या तेरे

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ - قَالَ سَعِيدٌ - فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَتَرَلْتُ

लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का अमली नमूना नहीं है? तो मैंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह की क्रसम! उन्होंने कहा, बिला शुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ऊँट पर वित्र पढ़ते थे।

(सहीह बुखारी : 999, तिर्मिज़ी : 472, नसाई : 3/232, इब्ने माजह : 1200)

फ़ायदा : वित्र का हुक्म नफ़ल नमाज़ वाला है, इसलिये सफ़र में वित्र भी सवारी पर पढ़े जा सकते हैं, उनके लिये सवारी से उतरने की ज़रूरत नहीं है।

(1616) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ अपनी सवारी पर पढ़ते थे, उसका रुख़ जिधर भी होता। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे।

(नसाई : 1/243-244, 2/61)

फ़ायदा : इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत में जहाँ मुत्लक़ नमाज़ का तज़क़िरा है उससे मुराद नफ़ली नमाज़ है। क्योंकि उनके बेटे सालिम की रिवायत में तसरीह मौजूद है कि आप (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं पढ़ते थे।

(1617) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्र अपनी सवारी पर पढ़ते थे।

(1618) सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नफ़ल अपनी सवारी पर पढ़ते, उनका रुख़ जिधर भी होता और वित्र भी उस पर पढ़ते। हाँ इतनी बात है आप (ﷺ) फ़र्ज़ उस पर नहीं पढ़ते थे।

(सहीह बुखारी : 1098, अबू दाऊद : 1224, नसाई : 1/243-244, 2/61)

فَأَوْتَرْتُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَيَّ الْبَعِيرِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتُ بِهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ قَبْلَ أَنْ يُوْتِرَ وَجْهَهُ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

फ़ायदा : आपके दौर में सवारियाँ ऐसी थीं कि इंसान जहाँ और जब चाहता उनसे उतर सकता था। अब आम तौर पर ऐसे वाकियात आम हैं कि इंसान अपनी मर्ज़ी से सवारी को नहीं रोक सकता। जैसे बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। अगर सवारी इंसान की ज़ाती हो या उसको रोकना मुम्किन हो तो नमाज़े फ़र्ज़ सवारी से उतरकर पढ़नी चाहिये। लेकिन अगर सवारी अपनी न हो या सवारी से नमाज़ के वक़्त उतरना मुम्किन न हो, फिर अगर दो नमाज़ों में जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर मुम्किन हो तो उस पर अमल कर लेना चाहिये। लेकिन अगर रेल या हवाईजहाज़ का सफ़र हो और जमा मुम्किन न हो तो फिर चूँकि अइम्मए अरबआ के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ कश्ती पर नमाज़ जाइज़ है। इसलिये रेल और हवाई जहाज़ में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन क़िब्ला रुख़ होना ज़रूरी है। हाँ अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन न हो तो फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ होगा। अगर खड़े होना मुम्किन हो तो फिर बैठना जाइज़ नहीं है और इसके लिये इलमा ने सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत से भी इस्तिदलाल किया है कि आप (ﷺ) एक सफ़र में थे, नमाज़ का वक़्त हो गया। आसमान से बारिश हो रही थी और ज़मीन पर कीचड़ था, तो अज़ान और इक़ामत सवारी पर कही गई और आपने सवारी पर ही इमामत करवाई। इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और इमाम मालिक के एक क़ौल की रू से ज़रूरत और मजबूरी की बिना पर सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ जाइज़ है। इसी तरह जंगी ज़रूरत के तहत सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ जाइज़ है। इसलिये अगर रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ से उतरकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन न हो तो बहरी जहाज़ की तरह उन पर भी नमाज़ पढ़ ली जायेगी।

(1619) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) सफ़र में रात को सवारी पर नफ़ल पढ़ते थे उसका रुख़ जिधर भी होता।

(सहीह बुखारी : 1093)

(1620) अनस बिन सीरीन बयान करते हैं कि जब अनस बिन मालिक (रज़ि.) शाम से आये तो हमने आपका इस्तिक्रबाल किया, हम आपसे ऐनुत्तमर मक़ाम पर मिले तो मैंने उन्हें देखा, वो गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे और उनका रुख़ इस तरफ़ था (हम्माम ने क़िब्ले की बायें तरफ़ इशारा किया) तो मैंने उनसे

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَبْرِينَ، قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْنَهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهَهُ ذَلِكَ الْجَانِبِ - وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ

पूछा, मैंने आपको गैर क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा, अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसा करते न देखा होता तो मैं ये काम न करता। (सहीह बुखारी : 1100)

الْقِبْلَةَ - فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتَكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ .
قَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ .

बाब 5 : सफ़र में दो नमाज़ें जमा करना जाइज़ है

باب جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

(1621) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब तेज़ चलने की ज़रूरत होती तो मरिब और इशा की नमाज़ जमा कर लेते।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ
بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(नसाई : 597)

(1622) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) जब उन्हें तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत होती तो शफ़क़ (सूरज की सुर्खी) के गुरुब होने के बाद (इशा के वक़्त में) मरिब और इशा को जमा करके पढ़ते थे और बताते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब तेज़ चलना मतलूब होता तो मरिब और इशा की नमाज़ जमा कर लेते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ
السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(1623) सालिम अपने बाप (इब्ने उमर) से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब उनको तेज़ चलना मक़सूद होता तो मरिब और इशा को जमा कर लेते थे।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، -
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

(सहीह बुखारी : 1106, नसाई : 1/290)

(1624) सालिम बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं मुझे मेरे बाप ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप (ﷺ) को सफ़र में तेज़ चलने की ज़रूरत होती तो मरिब की नमाज़ को मुअख़्खर (लेट) कर देते यहाँ तक कि उसे और इशा की नमाज़ को जमा कर लेते।

(सहीह बुखारी : 1901)

फ़ायदा : जब इंसान सफ़र में हो और किसी ज़रूरत या सबब के तहत उसे सफ़र को जल्द से जल्द करने की ज़रूरत हो तो वो नमाज़ के लिये तीन तरीके इख़्तियार कर सकता है। (1) जमा तक्रदीम, दो नमाज़ों जुहर और असर को जुहर के वक़्त में पढ़ ले और मरिब व इशा को मरिब के वक़्त में पढ़ ले। (2) जमा ताख़ीर, दो नमाज़ों यानी जुहर और असर को असर के वक़्त में पढ़ ले और मरिब व इशा को इशा के वक़्त में पढ़ ले। (3) जुहर व असर को इस तरह पढ़े कि जुहर को उसके आखिरी वक़्त में ले जाये कि उससे फ़रागत के बाद असर का वक़्त हो जाये तो इस तरह जुहर आखिरी वक़्त में पढ़ी गई है और असर वक़्त के शुरू में पढ़ ली गई। लेकिन दोनों नमाज़ों को अपने-अपने वक़्त में पढ़ा गया। मरिब और इशा के लिये भी यही तरीका इख़्तियार किया गया है कि मरिब अपने आखिरी वक़्त में इशा अपने वक़्त के शुरू में है यानी एक नमाज़ दूसरी के वक़्त में पढ़ी गई है और अइम्माए सलासा इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम मालिक (रह.) इसके काइल हैं। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक पहला तरीका सिर्फ़ अरफ़ात में जुहर और असर के साथ ख़ास है कि असर की नमाज़ जुहर के वक़्त में पढ़ी जायेगी और दूसरा तरीका मुज्दलफ़ा में मरिब और इशा के साथ ख़ास है कि मरिब, इशा के वक़्त में पढ़ी जायेगी। इन दो मक़ामात के सिवा हकीकी जमा जाइज़ नहीं है और जमा हकीकी पर दलालत करने वाली अहादीस की वो बिला वजह तावील करते हैं।

(1625) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले कूच कर लेते तो जुहर को असर के वक़्त तक मुअख़्खर (ताख़ीर) फ़रमाते। फिर (सवारी से) उतरकर दोनों को जमा कर लेते, पस अगर सूरज आप (ﷺ) के

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَتِمُّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيحَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ

कूच करने से पहले ढल जाता तो जुहर पढ़ कर सवार हो जाते।
 نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

(सहीह बुखारी : 1111, 1112, अबू दाऊद : 1218-1219, नसाई : 1/284-287)

फ़ायदा : अगर तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत न होती तो आप (ﷺ) जुहर पढ़कर सफ़र पर रवाना हो जाते और असर अपने वक़्त में पढ़ते। अगर तेज़ी मतलूब होती तो फिर ज़वाले आफ़ताब (सूरज ढल जाने) के बाद जुहर के साथ ही असर पढ़ लेते, जैसाकि ग़ज़व-ए-तबूक के सफ़र में आप (ﷺ) ने किया था।

(1626) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में जब दो नमाज़ों को जमा करना चाहते तो जुहर को मुअ़ख़्खर करते यहाँ तक कि असर का अब्वल वक़्त हो जाता, फिर आप दोनों नमाज़ों को जमा कर लेते।

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

(1627) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) को जब सफ़र में जल्दी होती तो जुहर को असर के अब्वल वक़्त तक मुअ़ख़्खर करते और दोनों को जमा कर लेते और मरिब को मुअ़ख़्खर करते और जब शफ़क़ गुरुब हो जाता तो उसे और इशा को जमा कर लेते।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، فَلَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُوَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

बाब 6 : हज़र में दो नमाज़ें जमा करना

(1628) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ौफ़ और सफ़र के बग़ैर जुहर और असर को जमा किया और मरिब और इशा को जमा किया।

باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(अबू दारूद : 1210, नसाई : 1/290)

وسلم الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سفرٍ .

(1629) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में ख़ौफ़ और सफ़र के बग़ैर जुहर और अ़सर को जमा किया। अबू जुबैर कहते हैं, मैंने (इब्ने अब्बास रज़ि. के शागिर्द) सईद से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने ज़वाब दिया, जैसे तूने मुझसे ये सवाल किया है मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सवाल किया था। तो उन्होंने कहा, आप (ﷺ) ने चाहा कि अपनी उम्मत के किसी फ़र्द को तंगी और दुश्वारी में न डालें।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، - قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस जमा को मतर (बारिश) पर महमूल किया है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि आगे तसरीह आ रही है कि ये काम बारिश के दिन नहीं किया। यानी सफ़र, ख़ौफ़ और बारिश तीनों में से कोई एक उज़र भी न था। लेकिन नसाई की रिवायत से मालूम होता है कि ये जमा सूरी थी कि अख़रज़ुहर व अज़्जलल अ़सर अल्लामा अल्बानी ने इन अल्फ़ाज़ को मुदरज़ करार दिया है। नीज़ अख़रज़ुहर से ज़ाहिर यही होता है कि जुहर को अ़सर तक मुअख़र (लेट) किया और अ़सर में जल्दी की कि दोनों को अ़सर के अव्वल वक़्त में पढ़ लिया। अख़रज़ुहर का ये मानी करना कि जुहर अपने आखिरी वक़्त में पढ़ी उसका कोई करीना नहीं है लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) के शागिर्द अबू शअ़सा और उसके शागिर्द अ़म्र बिन दीनार ने भी यही तावील की है और उनके अन्दाज़ और उस्लूब से ये मालूम होता है कि वो इसको जमा सूरी पर महमूल करते थे। सफ़र और हज़र का इम्तियाज़ और फ़र्क़ भी यही चाहता है कि हज़र में शाज़ व नादिर तौर पर जमा सूरी जाइज़ है। जमा हक़ीकी दुरुस्त नहीं है अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने कभी-कभार किसी मक़सद के तहत हज़र में हक़ीकी की भी इजाज़त दी है। जैसे दोनों नमाज़ों के लिये अलग-अलग वुजू करने में दिक्कत है या किसी जगह वअज़ व नसीहत की मज्लिस कायम है। दरम्यान में वक़फ़ा करना दुरुस्त नहीं है, जैसाकि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने वअज़ के मौक़े पर ऐसे किया था, उसको आदत बनाना दुरुस्त नहीं है।

(1630) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सफ़र जो ग़ज्व-ए-तबूक के लिये किया था दो नमाज़ों

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا قُرَّةٌ،

को जमा किया, जुहर और असर को इकट्ठा पढ़ा और मरिब व इशा को इकट्ठा पढ़ा। (इब्ने अब्बास रज़ि. के शागिर्द) सईद कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने कहा, आपने चाहा अपनी उम्मत को हर्ज और तंगी में न डालें।

(1631) अबू तुफैल आमिर, मुआज़ (रज़ि.) से बयान करते हैं कि हम ग़ज़व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो आप जुहर और असर इकट्ठी पढ़ते थे और मरिब और इशा को जमा करते थे।

(अबू दाऊद : 1206, 1208, नसाई : 1/285, इब्ने माजह : 1070)

(1632) हजरत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़व-ए-तबूक में जुहर और असर और मरिब और इशा को जमा किया (मुआज़ बिन जबल रज़ि. के शागिर्द) कहते हैं, मैंने पूछा, आपने ऐसा किस मक़सद के लिये किया? तो उन्होंने कहा, आपने चाहा उम्मत को दुश्वारी न हो।

(1633) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में बिला ख़ौफ़ व ख़तर और बिला बारिश जुहर व असर और मरिब व इशा को जमा किया, वकीअ की रिवायत में है सईद ने इब्ने

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي

अब्बास (रज़ि.) से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, ताकि अपनी उम्मत को दुश्वारी में मुब्तला न करें और अबू मुआविया की हदीस में है, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा गया, आप (ﷺ) ने इससे क्या चाहा? उन्होंने कहा, आप (ﷺ) ने चाहा आपकी उम्मत को दुश्वारी न हो।

(अबूदाऊद : 1211, तिर्मिज़ी : 187, नसाई : 1/290)

(1634) जाबिर बिन ज़ैद इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ आठ रकआत (ज़ुहर व असर) इकट्ठी पढ़ीं और सात रकआत (मरिब व इशा) इकट्ठी पढ़ीं। अम्र कहते हैं, मैंने अबू शअसा (जाबिर बिन ज़ैद) से पूछा कि मेरा खयाल है आप (ﷺ) ने ज़ुहर में ताख़ीर की और असर जल्दी पढ़ी। मरिब को मुअख़्खर किया और इशा में तअजील (जल्दी की, उन्होंने कहा, मेरा खयाल भी यही है) इमाम बुखारी ने भी यही बाब बांधा है। अख़्खरज़्ज़ुहर व अज्जलल असर।

(सहीह बुखारी : 543, 562, 1174, अबू दाऊद : 1214, नसाई : 1/286, 1/290)

फ़ायदा : अइम्माए सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) ने इसको जमा ताख़ीर पर महमूल किया है कि आपने पहली नमाज़ को दूसरी नमाज़ के वक़्त में पढ़ा और अहनाफ़ ने इसको जमा सूरी पर महमूल किया है कि दोनों नमाज़ों को अपने-अपने वक़्त में पढ़ा है। हाँ पहली नमाज़ अपने आख़िरी वक़्त में और दूसरी अपने शुरूआती वक़्त में पढ़ी गई है। इसी तरह दोनों को जमा किया है लेकिन पढ़ा अपने-अपने वक़्त में है। ज़ाहिर बात है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जमा करने की जो इल्लत और सबब बयान किया है ये सूत उसके मुनाफ़ी है। क्योंकि बिल्कुल आख़िरी और इब्तिदाई वक़्त को

ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا . قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعَثَاءِ أَطْنُتَهُ أُخْرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخْرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ . قَالَ وَأَنَا أَطْنُتُ ذَاكَ .

मल्हूज़ रखना आसान काम नहीं है और जमा ताख़ीर की मज़कूरा बाला रिवायत के भी ये तावील मुनाफ़ी है। जबकि इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस जमा को आप (ﷺ) का तरीक़ा और आदत करार दे रहे हैं। जैसाकि आगे रिवायत में आ रहा है गोया इस तरह सफ़र और हज़र की नमाज़ों में जमा की सूरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के नज़दीक एक ही है। अगरचे आप (ﷺ) ने हज़र में ये काम सिर्फ़ एक बार ही किया है।

(1635) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में सात रकआत और आठ रकआत नमाज़ पढ़ी यानी जुहर और असर, मग्बिब और इशा इकट्टी पढ़ीं।

(1636) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि एक दिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने असर के बाद खिताब शुरू किया यहाँ तक कि सूरज गुरुब हो गया और सितारे नमूदार हो गये और लोग कहने लगे, नमाज़, नमाज़। फिर उनके पास बनू तमीम का एक आदमी आया जो न सुस्त पड़ता था और न बाज़ आ रहा था। नमाज़, नमाज़ कहे जा रहा था। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, बड़े तअज्जुब और हैरत की बात है कि ये तो मुझे सुन्नत सिखा रहा है। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) ने जुहर और असर और मग्बिब और इशा को जमा किया। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं तो इससे मेरे दिल में खलिश और खटका पैदा हुआ तो मैं अबू हुरैरह (रज़ि.) की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे पूछा, तो उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के क़ौल की तस्दीक़ की।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخُرَيْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ - قَالَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتَرُ وَلَا يَنْتَنِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَعَلَّمَنِي بِالسُّنَّةِ لَا أَمْ لَكَ . ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के इस वाक़िये से ये बात साबित हुई है कि उन्होंने दोनों नमाज़ों को एक नमाज़ के वक़्त में पढ़ा और उसको सफ़र वाली नमाज़ की तरह पढ़ा। इसलिये अगली रिवायत में ये अल्फ़ाज़ आये कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने मुबारक में दो नमाज़ों को जमा किया करते थे और मरफूअ रिवायात में जमा हकीक़ी की सराहत मौजूद है और जमा सूरी तो दरहकीक़त जमा है ही नहीं। इसमें तो नमाज़ अपने-अपने वक़्त में पढ़ी गई है। बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायात में सिर्फ़ जमा ताख़ीर का तज़िक़रा हुआ है। किसी रिवायत में जमा तकदीम का ज़िक़र मौजूद नहीं है। इसलिये जमा तकदीम की रिवायत की सेहत के बारे में इख़ितलाफ़ वाक़ेअ हुआ है। कुछ सहीह करार देते हैं और कुछ ज़ईफ़।

(1637) एक शख़्स ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा, नमाज़ पढ़ो, आप ख़ामोश रहे। उसने फिर कहा, नमाज़ पढ़ो, वो फिर भी चुप रहे। उसने फिर कहा, नमाज़ पढ़ो तो आप (रज़ि.) चुप रहे। फिर कहने लगे, तुझ पर हैरत है, तू क्या हमें नमाज़ की तालीम देता है। हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में दो नमाज़ें जमा कर लिया करते थे।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا
عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ
الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ الصَّلَاةَ
فَسَكَتَ . ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ . فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ
الصَّلَاةَ فَسَكَتَ . ثُمَّ قَالَ لَا أَمُّ لَكَ أَتَعْلَمُنَا
بِالصَّلَاةِ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

मुफ़रदातुल हदीस : ला उम्म लक : तेरी माँ नहीं है या तू अपनी माँ को नहीं जानता। ये कलिमा किसी की तर्दीद और मज़म्मत के वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि तेरा ये काम अफ़सोसनाक है।

फ़ायदा : अहनाफ़ ने एक नमाज़ के वक़्त में दूसरी नमाज़ पढ़ने के अदमे जवाज़ की दलील, आयते मुबारका इन्नस्सला-त कानत अलल मुअ्मिनी-न किताबम्-मौकूता कि नमाज़ मुसलमानों पर औकाते मुकररह में फ़र्ज़ है (सूरह निसा : 103) पेश करते हैं। इसका जवाब ये है कि इस आयत का वही मफ़हूम मोतबर है जो इसके शारेह और मुबीन ने जिस पर कुरआन उतारा गया है और वो मुअल्लिमे कुरआन है, ने भी बयान किया है। नीज़ इस आयते मुबारका का ताल्लुक़ आम हालात से है। इसलिये आयत के इस टुकड़े से पहले ये अल्फ़ाज़ हैं, फ़इज़ा अत्मअन्-तुम फ़अक़ीमुस्सलात जब तुम्हें इत्मीनान और सुकून हासिल हो तो फिर नमाज़ का एहतिमाम करो। इसके अलावा मुज्दलफ़ा और अरफ़ात में दो नमाज़ों का एक नमाज़ के वक़्त में पढ़ना तो अहनाफ़ के नज़दीक भी जाइज़ है क्या वो इस आयत के मुनाफ़ी नहीं है।

बाब 7 : नमाज़ से फ़रागत के बाद
दायें और बायें दोनों तरफ़ फिरना
जाइज़ है

باب جَوَازِ الْإِنِّصْرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ
عَنِ الْيَمِينِ، وَالشَّمَالِ

(1638) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि तुममें से कोई अपनी ज़ात से शैतान को हिस्सा न दे, ये न खयाल करे कि उस पर लाज़िम है कि वो नमाज़ से दायें तरफ़ ही मुड़े। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अक्सर देखा है कि आप (ﷺ) बायें तरफ़ फिरते थे।

(सहीह बुख़ारी : 852, अबू दाऊद : 1042, नसाई : 3/81, इब्ने माजह : 930)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ .

फ़ायदा : शरीअत जिस चीज़ को लाज़िम और वाजिब करार नहीं देती, उसको अपनी तरफ़ से वाजिब ठहराना, अपने में से शैतान को हिस्सा देना है। इसलिये इस हदीस से बक़ौल अल्लामा सईदी ये काइदा मुस्तम्बत हुआ कि शरीअत ने जिस इबादत का जो हुक्म बयान किया है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिये। जो शख्स इस हुक्म से आगे बढ़ता है वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की शरीअत बदलकर नई शरीअत बना रहा है। हमारे खयाल में उससे बढ़कर और गुमराही नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नम्बर 418)

लेकिन अब सवाल ये है कि जब नबी (ﷺ) की तरफ़ से फ़ौतशुदा मुसलमानों को ईसाले सवाब के लिये तीसरे, दसवें और चालीसवें दिन कुरआन पाक की तिलावत करना और सदका करना साबित नहीं है तो क्या इस अम्र को मुस्तहब करार देना शरीअतसाज़ी नहीं है जबकि सूरेते हाल ये है तीजा, सातवाँ और दसवाँ वग़ैरह न करने वाले को मलामत की जाती है और ये वाजिब ठहराने की अलामत है। अल्लामा सईदी लिखते हैं, वाजिब और मुस्तहब में ये फ़र्क है कि वाजिब के छोड़ने वाले को न करने पर टोका जाता है और उसे मलामत की जाती है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया और मुस्तहब के छोड़ने वाले को मलामत नहीं की जाती, न ही न करने पर टोका जाता है अगर कोई शख्स किसी मुस्तहब काम के न करने पर टोक रहा है तो दूसरे लफ़्जों में वो उस मुस्तहब को वाजिब बना रहा है, अल्इयाज़ बिल्लाह। शरह सहीह मुस्लिम : 2/418। पहले तो तीजे, सातवें वग़ैरह की अपनी तरफ़ से तअयीन कर ली जबकि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं है और फिर ये काम न करने वाले को तअनो-तश्नीअ का निशाना बनाया जाता है। तो क्या ये उसको लाज़िम और वाजिब करार देना नहीं है जो गुमराही में बिदअते सय्यिया है।

(1639) इमाम साहब आमश ही के वास्ते से दूसरे उस्तादों से भी ये रिवायत बयान करते हैं।

(1640) सुही बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि जब मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो कैसे फिरूँ? अपने दायें या अपने बायें? उन्होंने कहा, मैंने तो ज़्यादातर रसूलुल्लाह (ﷺ) को दायें तरफ़ फिरते देखा है।

(नसाई : 3/81)

(1641) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी दायें तरफ़ फिरा करते थे।

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के बकौल हुज़ूर (ﷺ) आम तौर पर बायें तरफ़ फिरा करते थे और हज़रत अनस (रज़ि.) के नज़दीक आप (ﷺ) उमूमन दायें तरफ़ मुड़ा करते थे। इस तरह हर एक ने अपना-अपना मुशाहिदा बयान किया है और आप (ﷺ) वाकिअतन दोनों तरफ़ फिरा करते थे और दोनों तरह जाइज़ और सुन्नत है इसलिये किसी एक तरफ़ को लाज़िम ठहराना और उसकी पाबंदी करना दुरुस्त नहीं है। ये अलग बात है कि दायें तरफ़ के बेहतर होने की वजह से इंसान ज़्यादा दायें तरफ़ से फिरे लेकिन चूँकि आपने इसकी तअयीन नहीं की, इसलिये इसी को मुतअय्यन कर लेना शरीअतसाज़ी है जो जाइज़ नहीं है।

बाब 8 : इमाम की दायें तरफ़ (खड़ा होना) मुस्तहब (पसन्दीदा) है

(1642) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक्रितदा में नमाज़ पढ़ते तो हम आप (ﷺ) की दायें तरफ़ होना पसंद करते। आप रुख़ हमारी तरफ़ करते थे (यानी दायें मुड़ते थे) बराअ (रज़ि.)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرَفَ إِذَا صَلَّى عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ بَيْسَارِي قَالَ أَمَا أَنَا فَأَكْثَرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ

باب اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ

ने बताया कि मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना (ऐ मेरे रब! जिस दिन तू अपने बन्दों को उठायेगा या जमा करेगा, मुझे अपने अज़ाब से बचाना।)

(अबूदाऊद:615, नसाई : 2/94, इब्ने माजह : 1006)

(1643) इमाम साहब ने यही हदीस दूसरी सनद से बयान की है, जिसमें युब्बिलु अलैना बिवजहिही (आप ﷺ) रुख हमारी तरफ़ करते) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

عَنْ يَمِينِهِ يَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ "

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

बाब 9 : मुअज़्ज़िन की इक्रामत शुरू कर लेने के बाद नफ़ल नमाज़ का आगाज़ करना दुरुस्त नहीं है वो नफ़ल सुन्नते रातिबा जैसे सुबह और जुहर दूसरी नमाज़ों की सुन्नतें और चाहे मुक्त्तदी को ये इल्म (यक़ीन) हो कि वो इमाम के साथ (पहली) रकआत पा लेगा या ये इल्म न हो

باب كَرَاهَةِ الشَّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ
بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَدِّنِ

(1644) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये इक्रामत शुरू हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा, कोई नमाज़ न पढ़ी जाये।'

(अबू दाऊद : 1266, तिर्मिज़ी : 421, नसाई : 2/116-167, इब्ने माजह : 1151)

(1645) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से भी ये रिवायत बयान की है।

(अबू दाऊद : 1266, तिर्मिज़ी : 421, नसाई : 2/116-167, इब्ने माजह : 1151)

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " .

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(1646) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये इक़ामत कही जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा कोई नमाज़ नहीं है।'

وَحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "

(1647) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से भी यही रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(1648) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद की सनद से अबू हुरैरह (रज़ि.) की ये रिवायत बयान करते हैं, हम्माद कहते हैं फिर मैं अपने उस्ताद के उस्ताद अम्र से मिला उसने मुझे ये हदीस सुनाई। लेकिन उसने इस हदीस की निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ नहीं की (यानी अबू हुरैरह रज़ि. का क़ौल करार दिया)।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ حَمَّادُ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(1649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक (रज़ि.) जो बुहेना के बेटे हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक शख्स के पास से गुज़रे जो नमाज़ पढ़ रहा था जबकि सुबह की नमाज़ के लिये इक़ामत कही जा रही थी तो आप (ﷺ) ने उससे बातचीत की, जिसको हम जान न सके। जब हम नमाज़ से फ़ारिग हुए तो हमने उसको घेर लिया, हम पूछ रहे थे कि तुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क्या कहा? उसने बताया, आपने मुझे फ़रमाया, 'अब तुममें से कोई सुबह की चार रक़आत पढ़ने लगेगा, क़अनबी ने कहा,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحْطَنَّا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي " يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ "

अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैना (रज़ि.) अपने बाप से रिवायत करते हैं। इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम कहते हैं, क़अन्बी का इस हदीस में अन अबीह (बाप के वास्ते से) कहना लज़िश है। इमाम मुस्लिम का मक़सद ये है कि मालिक, अब्दुल्लाह का बाप है और बुहैना अब्दुल्लाह की माँ है और क़अन्बी ने बुहैना को मालिक का बाप समझ लिया है।

सहीह बुखारी: 663, नसाई: 2/117, इब्नेमाजह: 1153 (1650) इब्ने बुहैना (रज़ि.) बयान करते हैं कि सुबह की नमाज़ खड़ी हो गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि मुअज़्ज़िन इक्रामत कह रहा है तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तू सुबह की चार रकआत पढ़ेगा?'

(1651) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों के वास्ते से बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) ने बताया कि एक आदमी मस्जिद में आया जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उसने मस्जिद के एक कोने में दो रकअतें पढ़ीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ में शरीक हो गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा तो फ़रमाया, 'ऐ शख्स! तूने दो नमाज़ों में कौनसी नमाज़ को फ़र्ज़ करार दिया है? क्या उस नमाज़ को जो तूने अकेले पढ़ी है या अपनी इस नमाज़ को जो हमारे साथ पढ़ी है?'

الصُّبْحُ أَرْبَعًا " . قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُوْحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ بُوْحَيْنَةَ، قَالَ أَقِيَمْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَدَّنُ يَقِيمُ فَقَالَ " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا " .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمُ عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ، قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ

(अबू दाऊद : 1265, नसाई : 2/117, इब्ने माजह : 1552)

دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا فَلَانُ يَا أَيُّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبْصَلَاتِكَ وَحَدَّكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا " .

फ़ायदा : इस बाब में आने वाली हदीसों से साबित होता है कि जब मुअज़्ज़िन नमाज़ के लिये इक़ामत शुरू कर दे तो उसके बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। सिवाय उस नमाज़ के जो इमाम की इक्तिदा में अदा करनी है, इक़ामत के शुरू होने के बाद नफ़ल या सुन्नत का आगाज़ करना जुम्हूर के नज़दीक जाइज़ नहीं है और जो नमाज़ वो पहले पढ़ रहा है तो अगर वो आखिरी रकअत के रूकूअ से गुज़र चुका है तो उसको मुकम्मल कर ले, वरना छोड़ दे। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मालिक (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है कि सुबह की सुन्नतें पढ़ने वाला, नमाज़ शुरू कर चुका था। फिर इक़ामत हो गई तो आप (ﷺ) ने उसे नमाज़ पढ़ते देखा तो फ़रमाया, क्या तुम सुबह की चार रकअत पढ़ोगे? तो गोया उसने इक़ामत के बाद अभी दोनों रकअतें पढ़नी थीं। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक चूंकि सुबह की सुन्नतों की बहुत ताकीद की गई है इसलिये अगर वो दूसरी रकअत में इमाम के साथ शामिल हो सकता हो तो वो इक़ामत के बाद फ़जर की सुन्नतें पढ़ सकता है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) की रिवायत में सराहतन इक़ामत के बाद सुबह की सुन्नतें मस्जिद में पढ़ने की मुमानिअत मौजूद है। इसलिये अल्लामा सईदी लिखते हैं, (बज़ाहिर इस हदीस से इमाम शाफ़ेई की ताईद होती है क्योंकि फ़जर की सुन्नतों की ताकीद भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने की है और खुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ही इक़ामते फ़जर के वक़्त सुन्नतें पढ़ने पर नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया है। इसलिये इत्तिबाअे हदीस का तकाज़ा ये है कि इक़ामते फ़जर के वक़्त सुन्नत पढ़ना शुरू न करे (क्योंकि जिनके हुक्म से सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो खुद मना फ़रमा रहे हैं) और अगर सुन्नतें पहले से शुरू की हुई हैं तो जल्द से जल्द ख़त्म करके जमाअत में शामिल हो जाये। अल्लामा दस्तानी लिखते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) उस शख्स को मारते थे जो इक़ामते फ़जर के वक़्त सुन्नतें पढ़ता था क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना किया है। (सहीह मुस्लिम जिल्द 2, पेज नम्बर 421)

मज़ीद लिखते हैं, ये इन्तिहाई ग़लत तरीका मुर्व्वज (चलन में) है कि मस्जिद में फ़जर की जमाअत खड़ी होती है और लोग जमाअत की सफ़ों से मुत्तसिल खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें एक ख़राबी ये है कि इमाम बआवाज़े बुलंद कुरआन पढ़ रहा है जिसका सुनना फ़र्ज़ है और सुन्नतों में मशगूल शख्स इस फ़र्ज़ को तर्क कर रहा है। दूसरी ख़राबी ये है कि सुन्नतों में मशगूल शख्स बज़ाहिर फ़र्ज़ और जमाअत से ऐराज़ कर रहा है और तीसरी ख़राबी ये है कि इसका ये अमल इस बाब की अहादीस की मुख़ालिफ़त को मुस्तल्ज़िम (लाज़िम) है। (जिल्द 2, पेज नम्बर 421)

बाब 10 : मस्जिद में दाखिल होते
वक़्त कौनसी दुआ पढ़ेगा

(1652) हज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) या अबू उसैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो कहे, अल्लाहुम्मफ़-तहली अब्बा-ब रहमतिक ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और जब मस्जिद से निकले तो कहे, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मिन फ़ज़्लिक ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ।' इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, मैंने यहया बिन यहया से सुना कि वो कह रहे थे मैंने ये हदीस सुलैमान बिन बिलाल की किताब से लिखी और मुझे ये बात पहुँची है कि यहया अल्हिम्मानी और अबू उसैद कहते थे यानी औ की बजाए व कहते थे गोया ये दोनों से मरवी है।

(अबूदाऊद : 465, नसाई : 3/53, इब्ने माजह : 772)

(1653) इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्ताद से भी यही रिवायत नक़ल करते हैं।

باب ما يقول إذا دخل المسجد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، - أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ . وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " . قَالَ مُسْلِمٌ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ يَقُولُ كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ . قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ يَحْيَى الْجِمَانِيَّ يَقُولُ وَأَبِي أُسَيْدٍ .

وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में दाखिले के वक़्त बाबे रहमत खोलने की दुआ पढ़ने की तल्कीन फ़रमाई है क्योंकि रहमत का लफ़्ज़ आम तौर पर कुरआन व हदीस में उखरवी और दीनी व रूहानी इनामात व एहसानात के लिये इस्तेमाल हुआ है और मस्जिद दीनी व रूहानी और उखरवी नेमतों के हुसूल की जगह है और मस्जिद से निकलते वक़्त अल्लाह तआला से उसका फ़ज़ल व करम यानी रिज़्क, माल व दौलत में बरकत की दरख़्वास्त करने की तालीम दी है। क्योंकि फ़ज़ल का लफ़्ज़ रिज़्क माल व दौलत की दाद व दहिश और उनमें फ़रावानी के लिये इस्तेमाल हुआ है और नमाज़े जुम्आ के पढ़ने के बाद अल्लाह तआला का हुक्म है वबतगू मिन फ़ज़िल्लहा ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह तआला का फ़ज़ल तलाश करो। तो गोया मस्जिद से बाहर की दुनिया के लिये यही मुनासिब है कि इंसान हुसूले रिज़्क की तगो-दौ में मसरूफ़ हो जाये, असल मक़सद ये है कि इंसान मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर कहीं भी और किसी वक़्त भी बन्दा अल्लाह तआला की तरफ़ से गाफ़िल न हो हर जगह उस की साइलाना तवज्जह अल्लाह तआला की तरफ़ हो।

बाब 11 : दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है और ये रकअतें पढ़े-बग़ैर बैठना मक्रूह है और ये शरअन तमाम औक़ात में पढ़ी जा सकती हैं

باب استحباب تحية المسجد
بركعتين وكراهية الجلوس قبل
صلاتيها وأنها مشروعة في
جميع الأوقات

(1654) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से अबू क़तांदा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़े।'

(सहीह बुख़ारी : 444, 1163, अबू दाऊद : 467-468, तिर्मिज़ी : 316, नसाई : 2/53, इब्ने माजह : 1013)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .

(1655) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथी अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में इस हाल में दाख़िल हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के दरम्यान तशरीफ़ फ़रमा थे तो मैं भी बैठ गया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बैठने से पहले तुम्हें दो रक़अत नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका है?' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको और लोगों को बैठते हुए देखा (इसलिये मैं भी बैठ गया)। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो दो रक़आत नमाज़ पढ़े बग़ैर न बैठे।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ - قَالَ - فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ . قَالَ " فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رُكْعَتَيْنِ " .

फ़ायदा : 1. मस्जिद को अल्लाह तआला से खुसूसी निस्बत है जिसकी बिना पर उसे बैतुल्लाह (अल्लाह का घर) का नाम दिया जाता है। इसलिये इसके हुक्क़ और इसमें दाख़िले के आदाब और इसकी ताज़ीम व तक्रीम का ये भी तक्काज़ा है कि इंसान इसमें बैठने से पहले दो रक़अत अदा करे। ये गोया बारगाहे इलाही की सलामी है। इसलिये इसको तहिय्यतुल मस्जिद का नाम दिया जाता है। जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक चूँकि ये अमल मस्जिद के अदब व ताज़ीम के तक्काज़े से है इसलिये इस्तिहबाबी अमल है। लेकिन ज़ाहिरिया के नज़दीक ये फ़र्ज़ है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद में दाख़िल होने के बाद फ़र्ज़, सुन्नत या नफ़ल नमाज़ पढ़ लेने से तहिय्यतुल मस्जिद का हक़ अदा हो जाता है। क्योंकि इससे मक़सूद मस्जिद की ताज़ीम व तक्रीम है जो हासिल हो गई है। 2. औकाते नह्य (मनाही वक़्त) में सबबी नमाज़ पढ़ने के बारे में इख़ितलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद औकाते नह्य में किसी नमाज़ को सबबी हो या ग़ैर सबबी जाइज़ नहीं समझते। लेकिन इमाम शाफ़ेई और एक क़ौल की रू से जिसे हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने इख़ितयार किया है। इमाम अहमद, सबबी नमाज़ को औकाते नह्य में जाइज़ करार देते हैं। क्योंकि इज़ा दख़ल अहदुकुमुल मस्जिद आम है और नही का ताल्लुक़ मुत्लक़ नमाज़ से है यानी जिसका सबब न हो। इसलिये सुबह और असर की

नमाज़ इमाम के साथ दोबारा पढ़ना जाइज़ है। असर के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और तवाफ़ की रकअत पढ़ना जाइज़ है। जिससे साबित होता है औकाते नह्य में सबबी नमाज़ पढ़ना सहीह है, लेकिन बिला ज़रूरत सबब पैदा नहीं करना चाहिये। 3. मस्जिद में दाखिले के आदाब व हुकूक में से ये भी है कि इंसान बावजू होकर दाखिल होता कि बैठने से पहले तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ सके और तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने से पहले अगर भूलकर बैठ जाये तो खड़ा होकर पढ़ ले। 4. जब सूरज तुलूअ हो रहा हो या ज़वाल हो रहा हो या सूरज गुरुब हो रहा हो तो फिर तुलूअ और गुरुब और इस्तवार का इन्तिज़ार करना चाहिये क्योंकि इन औकात के बारे में खुसूसी तौर पर नह्य वारिद है। 5. मस्जिदे हराम का तहिय्या तवाफ़ है, अगर किसी वजह से ये मुम्किन न हो तो फिर कम से कम दो रकअतें ही पढ़ ले।

(1656) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरा नबी (ﷺ) के जिम्मे कर्ज़ था। आप (ﷺ) ने उसे अदा किया और मुझे रकम ज़्यादा दी और मैं आप (ﷺ) के पास मस्जिद में गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो रकअत नमाज़ अदा करो।'

(सहीह बुखारी : 443, 2394, 3603, 2604, 3087, 3089, 3090, 4081, 4082, 1654, अबू दाऊद : 3347, नसाई : 7/283-284)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُوَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِثْرَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي " صَلِّ رَكَعَتَيْنِ " .

फ़ायदा : आप (ﷺ) का मुख्तलिफ़ सहाबा किराम को तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म देना इस बात की दलील है कि हत्तल वसअ (हर सम्भव) इस अमल को छोड़ना नहीं चाहिये।

बाब 12 : सफ़र से वापस आने वाले के लिये सफ़र से आते ही मस्जिद में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है

باب استحباب الرّكعتين في المسجد لمن قدّم من سفرٍ أوّل قُدومه

(1657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे एक ऊँट ख़रीदा। जब आप (ﷺ) मदीना पहुँचे तो आप (ﷺ) ने मुझे मस्जिद में

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِثْرَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

आने का हुक्म दिया और ये कि मैं दो रकअत नमाज़ पढ़ूँ।

(1658) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक ग़ज़्वे में, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकला। मेरा ऊँट आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगा और थक गया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीने में) मुझसे पहले आ गये और मैं अगले दिन सुबह आया (क्योंकि वो मदीना से बाहर अपने घर ठहर गये थे) तो मैं मस्जिद में आया और मैं आपको मस्जिद के दरवाज़े पर मिला। आप (ﷺ) ने पूछा, 'तुम अब पहुँचे हो?' मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'अपना ऊँट छोड़ो और मस्जिद में दाख़िल होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ो।' मैंने मस्जिद में दाख़िल होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और फिर वापस चला आया।

(सहीह बुखारी : 2097, 2718)

(1659) हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र से दिन को चाशत के वक़्त ही वापस लौटते थे। तो जब आप वापस आते मस्जिद से आगाज़ फ़रमाते। उसमें दो रकअत नमाज़ अदा करते फिर वहीं तशरीफ़ रखते (ताकि घर वालों को आपकी आमद का इल्म हो सके)।

(सहीह बुखारी : 3088, अबू दारूद : 2773, 2781, नसाई : 2/53)

وسلم بغيراً فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَى ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ " الْآنَ حِينِ قَدِمْتُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَدَعُ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَضَلَّ رُكْعَتَيْنِ " . قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الصَّخَّاءُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ جَمِيْعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا

يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ فَإِذَا قَدِمَ
بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ

फ़वाइद : (1) इन हदीसों से मालूम हुआ सफ़र से वापसी के बाद अपने घर जाने से पहले अल्लाह के घर में हाज़िर होना चाहिये ताकि अपने घर वालों की मुलाक़ात से पहले अल्लाह तआला के हुज़ूर हदियए इब्दियत पेश किया जा सके। (2) अगर कोई इंसान लोगों की अक़ीदत व मुहब्बत का मर्कज़ हो और लोग उसकी मुलाक़ात व ज़ियारत के मुश्ताक़ हों तो उसे चाहिये कि वो सफ़र से वापसी पर तहिय्यतुल मस्जिद अदा करने के बाद कुछ देर के लिये मस्जिद में बैठ जाये ताकि लोग आसानी के साथ उससे मुलाक़ात की सआदत हासिल कर सकें। (3) सफ़र से घर वापसी ऐसे वक़्त में होनी चाहिये जो उनके इल्म में हो और उनके लिये दिक्क़त व कुल्फ़त का बाइस न हो इसलिये आप सफ़र से वापसी में आखिरी मन्ज़िल उमूमन मदीना तय्यिबा के करीब ही करते थे जिसकी वजह से मदीना तय्यिबा में ये इत्तिलाज़ हो जाती थी कि आप कल सुबह तशरीफ़ लाने वाले हैं। फिर आप उस मन्ज़िल से सुबह जल्द ही रवाना होकर चाशत के वक़्त मदीना मुनव्वरा पहुँच जाते और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते ताकि घर वालों को आमद का इल्म हो जाये।

बाब 13 : नमाज़े चाशत पसन्दीदा अमल है जो कम से कम दो रकअत, मुकम्मल आठ रकआत और दरम्यानी सूरत चार या छः रकआत हैं और आपने इसकी मुहाफ़िज़त व पाबंदी की तरगीब दी है

باب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى
وَأَنَّ أَقْلَهَا رَكَعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانُ
رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ
سِتٌّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ
عَلَيْهَا

(1660) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी (ﷺ) चाशत की नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहा, नहीं। मगर ये कि सफ़र से वापस आये।

(अबू दाऊद : 1292, नसाई : 4/152)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْعَةَ،
عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ،
قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ
يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) से नमाज़े चाशत के बारे में अलग-अलग रिवायात हैं। मालूम होता है आप नमाज़े चाशत पर मुवाज़िबत और हमेशगी नहीं फ़रमाते थे। इसलिये आइशा (रज़ि.) ने कहा, मैंने आपको (घर में) कभी चाशत की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। दूसरों से सुनकर आपके चाशत की नमाज़ पढ़ने का तज़िक़रा फ़रमाया और सफ़र से वापसी की सूरत में पढ़ने का ऐतिराफ़ किया।

(1661) इमाम साहब दूसरे उस्ताद के वास्ते से नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं, मैंने आइशा (रज़ि.) से सवाल किया, क्या नबी (ﷺ) चाशत की नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। मगर ये कि सफ़र से वापस आयें।

(नसाई : 4/152)

(1662) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को चाशत के नफ़ल पढ़ते नहीं देखा और मैं चाशत की नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी काम को करना पसंद फ़रमाते थे लेकिन इस डर से उसे नहीं करते थे कि लोग भी (आपको देखकर) वो काम करेंगे और वो (उनकी दिलचस्पी की बिना पर) उन पर फ़र्ज़ करार दिया जायेगा।

(सहीह बुखारी : 1128, अबू दाऊद : 1293)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने मुशाहिदे और रूयत (देखने) की नफ़ी की है। मुत्लक़न चाशत पढ़ने का इन्कार नहीं किया। इसलिये आपके न पढ़ने की तरजीह ऐसी की है जिसके दवाम व हमेशगी और दूसरों के सामने पढ़ने की नफ़ी होती है। इसलिये एक गिरोह ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत की बिना पर और कुछ दूसरी रिवायतों की बिना पर चाशत की नमाज़ न पढ़ने को तरजीह दी है और दूसरे गिरोह ने आपके पढ़ने की रिवायतों की बिना पर पढ़ने को तरजीह दी है और तीसरी जमाअत ने कभी-कभार पढ़ने को तरजीह दी और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने किसी सबब की बिना पर पढ़ने को तरजीह दी है। जैसे सफ़र से वापसी, फ़तह व कामयाबी का हुसूल, किसी की ज़ियारत व

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الصُّحَى قَطُّ . وَإِنِّي لِأَسْبُحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشِيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .

मुलाकात करने की सूरत में, उस वक़्त मस्जिद में जाने की बिना पर शुक्राने के तौर पर या जो किसी दिन ज़रूरत की बिना पर रात को तहज्जुद न पढ़ सका तो वो पढ़ ले।

(1663) हज़रत आइशा (रज़ि.) से मुआज़ा ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चाशत की नमाज़ कितनी रकआत पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, चार रकआत और जिस क़द्र ज़्यादा पढ़ना चाहते पढ़ लेते।

(इब्ने माजह : 1381)

(1664) मुसन्निफ़ ने यही रिवायत दूसरी सनद से बयान की है, उसमें मा शाअ की बजाए माशाअल्लाह (जितनी अल्लाह ने चाहा) है।

(1665) एक और सनद है कि मुआज़ा अदविध्या ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चाशत की नमाज़ चार रकआत पढ़ते थे और जिस क़द्र अल्लाह तआला ज़्यादा चाहता पढ़ लेते।

(1666) एक और सनद से यही रिवायत बयान की गई है।

फ़ायदा : अपने मुशाहिदे के ऐतबार से हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) के चाशत की नमाज़ पढ़ने की नफ़ी की है कि मैंने आपको पढ़ते नहीं देखा और यहाँ दूसरों के बताने पर या सफ़र से वापसी पर पढ़ने का तज़िकरा किया है।

(1667) अब्दुरहमान बिन अबी यज़ला बयान करते हैं कि मुझे उम्मे हानी (रज़ि.) के सिवा किसी ने नहीं बताया कि उसने

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي الرَّشَكَ - حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ .

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

नबी (ﷺ) को चाशत की नमाज़ पढ़ते देखा। उम्मे हानी ने बताया कि फ़तहे मक्का के दिन नबी (ﷺ) उसके घर तशरीफ़ लाये और आपने आठ रकआत पढ़ीं। मैंने आपको कभी इससे हल्की या ख़फ़ीफ़ नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। हाँ आप रुकूअ व सुजूद मुकम्मल तरीक़े से करते थे। इब्ने बश़ार ने अपनी रिवायत में क़त्तु का लफ़्ज़ बयान नहीं किया।

(सहीह बुखारी : 1103, 1176, 4292, अबू दाऊद : 1291, तिर्मिज़ी : 474)

(1668) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं, मैंने पूछा और मेरी ये आरज़ू और ख़्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसा शख़्स मिल जाये जो मुझे बताये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाशत की नमाज़ पढ़ी है तो मुझे उम्मे हानी के सिवा कोई न मिला जो मुझे ये बताता। उम्मे हानी बिनते अबी तालिब (रज़ि.) ने मुझे ख़बर दी कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) दिन बुलंद होने के बाद आये तो कपड़ा लाकर आपको पर्दा मुहैया किया गया, तो आपने गुस्ल फ़रमाया। फिर आप उठे और आठ रकआत पढ़ीं, मैं नहीं जानती कि उनमें आपका क़ियाम तबील था या आपका रुकूअ या आपका सज्दा ये सब अरकान क़रीब-क़रीब था और उम्मे हानी ने बताया, मैंने इससे पहले और इसके बाद आपको चाशत की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा।

(इब्ने माजह : 614, 1319)

عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُبِيءُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أُجِدَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أُجِدَّ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَى بِثَوْبٍ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فَأَعْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ - قَالَتْ - فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . قَالَ الْمُرَادِيُّ عَنْ يُونُسَ . وَلَمْ يَقُلْ أَخْبَرَنِي .

फ़ायदा : ये उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि उम्मे हानी के घर आप (ﷺ) ने फ़तह के शुक़ाने के तौर पर चाशत की नमाज़ पढ़ी थी।

(1669) हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं फ़तहे मक्का के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ गई तो मैंने आपको नहाते हुए पाया और आपकी बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) आपको कपड़े से पर्दा किये हुए थी। मैंने जाकर सलाम अर्ज़ किया, आपने पूछा, ये कौन हैं? मैंने कहा, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उम्मे हानी को खुश आमदीदा' तो जब आप नहाने से फ़ारिग हुए तो उठे और आठ रकआत नमाज़ पढ़ी। आप एक कपड़े में लिपटे हुए थे जब आप नमाज़ से फ़ारिग हो गये तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माँ जाया भाई अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) एक ऐसे आदमी को क़त्ल करना चाहता है जिसे मैं पनाह दे चुकी हूँ, जो हुबैरह का बेटा है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ उम्मे हानी जिसको तूने पनाह दी हमने भी पनाह दी।' उम्मे हानी (रज़ि.) ने बताया, ये चाशत का वक़्त था।

(सहीह बुखारी : 280, 357, 3171, 6158, तिर्मिज़ी : 1579, 2734, नसाई : 1/126, इब्ने माजह : 465)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम हुआ बापदां नहाने वाले शख्स को सलाम कहना और उससे ज़रूरी बातचीत करना जाइज़ है। जबकि वो कपड़ा बांधे हुए हो, क्योंकि आप बेटी के सामने बरहना नहीं हो सकते थे। (2) अगर किसी इंसान को औरत पनाह दे दे तो वो नाफ़िज़ुल अमल होगी, उसकी पनाह को तोड़ना दुरुस्त नहीं है। इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مَرْة، مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ - قَالَتْ - فَسَلَّمْتُ فَقَالَ " مَنْ هَذِهِ " . قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ " مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِيٍّ " . فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُتَّحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ أَجْرْتُهُ فَلَانَ بْنُ هُبَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ " . قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَلِكَ ضَحَى .

इमाम मालिक के नज़दीक औरत की दी हुई पनाह इमाम (अमीर) की सवाबदीद पर मौकूफ़ है। वो बरकरार रखे या तोड़ दे उसकी मर्ज़ी है।

(1670) हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) बयान करती हैं कि फ़तहे मक्का के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके घर में एक कपड़े में, जिसके दोनों जानिब आपस में मुख़ालिफ़त जानिब डाले गये थे आठ रक़आत नमाज़ पढ़ी।

(1671) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से हर शख्स के जोड़-जोड़ (हर जोड़) पर सुबह को सदक़ा है। पस एक बार सुब्हानअल्लाह कहना सदक़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदक़ा है और ला इला-ह इल्लल्लाह कहना सदक़ा है और अल्लाहु अकबर कहना भी सदक़ा है, किसी को नेकी की तल्कीन करना सदक़ा है और किसी को बुराई से रोकना भी सदक़ा है और इन तमाम उमूर की जगह दो रक़आत नमाज़ जो इंसान चाश्त के वक़्त पढ़ता है किफ़ायत करती हैं।'

(अबू दाऊद : 1285, 5243-5244)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَرْةٍ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ هَانِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءِ الضُّبَيْعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عَيْثَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَبُحْرَى مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى " .

फ़ायदा : सुबह को इंसान जब इस हालत में उठता है कि उसका हर अंग और उसका हर जोड़ सहीह सलामत है तो उस पर अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम है जो इसका तक्राज़ा करता है कि इंसान हर जोड़ की तरफ़ से शुक्राने के तौर पर सदक़ा करे और हर नेकी अज़र व सवाब का काम सदक़ा बन सकता

है और अगर इंसान हर रोज़ सुबह को चाशत की दो रकअत नमाज़ पढ़ ले तो हर जोड़ की तरफ़ से शुक्राना अदा हो जाता है क्योंकि नमाज़ एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान का हर अंग और हर जोड़ हिस्सा लेता है। इस हदीस से साबित होता है कि हर बालिग़ इंसान को हर दिन, सुबह कम से कम दो रकअत अपनी सेहत व सलामती के शुक्राने के तौर पर पढ़ लेनी चाहिये ताकि अल्लाह तआला उसकी सेहत व सलामती को बरकरार रखे और उसका हर अंग और हर जोड़ शर व फ़साद और तोड़-फोड़ से महफूज़ रहे।

(1672) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरे खलील (ﷺ) ने तीन चीज़ों की तलक्कीन फ़रमाई, 'हर माह तीन रोज़े रखूँ, चाशत की दो रकअतें पढ़ूँ और सोने से पहले वित्र पढ़ लूँ।'

(सहीह बुखारी : 1178, 1981, नसाई : 3/229)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ
النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي
خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ بَصِيَامٍ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتِي الضُّحَى
وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ .

फ़ायदा : कुछ अहादीस से मालूम होता है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रात को अहादीस याद करने में मशगूल रहते थे दिन को भी अहादीस के सिमाज़ के सिलसिले में आप (ﷺ) के साथ रहते थे। इसलिये उनके लिये उन हालात में रात का क्रियाम मुश्किल था। इसलिये आप (ﷺ) ने उनको तीन चीज़ों की वसियत की। जिससे मालूम हुआ तालिबे इल्म का ये कम से कम तर्बियती कोर्स है कि वो इन तीन बातों की पाबंदी करें, अगर इनसे ज़्यादा चीज़ों की पाबंदी कर लें तो ये और बेहतर होगा।

(1673) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी अबू हुरैरह (रज़ि.) की ये रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بِشَّارٍ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ، وَأَبِي، شَمْرِ الضُّبَعِيِّ قَالَ
سَمِعْنَا أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ .

(1674) एक और सनद में है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरे

وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ
أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ

खलील अबुल कासिम (ؓ) ने तीन बातों की वसियत फ़रमाई।

(1675) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे हबीब (ؓ) ने मुझे तीन बातों की तल्कीन फ़रमाई है मैं ज़िन्दगी भर उनको छोड़ूँगा नहीं, 'हर माह तीन रोज़े, चाशत की नमाज़ और सोने से पहले वित्र पढ़ना।'

اللَّهُ الدَّانَاجُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ الصَّائِعُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الصَّحَّاحِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أَوْصَانِي خَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عَشْتُ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الصُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ .

नोट : जिस तरह इशा के बाद से लेकर तुलूअे फ़ज़र तक के तवील वक़फ़े में लोगों की राह व सुकून और नींद की खातिर कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं की गई लेकिन इस वक़फ़े के दौरान तहज्जुद की कुछ रकअतें पढ़ने उठने की तरगीब दी गई है। इसी तरह फ़ज़र से लेकर नमाज़े जुहर तक तवील वक़फ़े में लोगों की मआशी ज़रूरतों की रिआयत रखते हुए कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं की गई। लेकिन इस वक़फ़े में नफ़ल और इस्तिहाबाब के तौर पर सलातुज्जुहा के नाम से चंद रकअतें पढ़ने की तरगीब दी गई है अगर ये रकअतें तुलूअे आफ़ताब के थोड़ी देर बाद पढ़ी जायें तो उन्हें इशराक़ का नाम दिया जाता है और दिन अच्छी तरह चढ़ने के बाद पढ़ी जायें तो उन्हें चाशत कहा जाता है जो कम से कम दो हैं और उससे ज़्यादा सहीह अहादीस की रू से आठ रकआत तक हैं चूंकि आप (ؓ) ने इस नमाज़ पर हमेशगी और दवाम नहीं फ़रमाया। इसलिये कुछ लोगों को इसका इल्म न हो सका और उन्होंने इंकार किया। यहाँ तक कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसके मस्जिद में पढ़ने को बिदअत करार दिया। लेकिन जुम्हूर इस नमाज़ के मुस्तहब होने के काइल है।

बाब 14 : फ़ज़्र की दो सुन्नतों का मुस्तहब होना, उनकी तरगीब देना और उनको मुख्तसर पढ़ना और उनकी पाबंदी करना और उनमें क्या पढ़ना पसन्दीदा है

باب استِحْبَابِ رَكَعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهِمَا وَبَيَانَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا

(1676) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान कहकर ख़ामोश हो जाता और सुबह नमूदार हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ की इक्रामत से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते।

(सहीह बुखारी : 618, 1173, 1181, तिर्मिज़ी : 433, नसाई : 1/283, 3/252, 3/255, इब्ने माजह : 1145)

(1677) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से नाफ़ेअ की सनद से ही यही रिवायत इमाम मालिक की तरह बयान करते हैं।

(1678) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि तुलूअे फ़ज़्र के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) दो हल्की रकअतों के सिवा कोई नमाज़ नहीं पढ़ते थे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدُّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمُ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(1679) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ये रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(1680) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब फ़ज्र रोशन हो जाती तो नबी (ﷺ) दो रक़अत नमाज़ पढ़ते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

फ़ायदा : जब फ़ज्र तुलूअ हो जाये तो अज़ान के बाद नमाज़ से पहले सिर्फ़ फ़ज्र की दो सुन्नत पढ़ी जाती हैं। बिला सबब और कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ अगर किसी की इशा की नमाज़ रह गई हो या वित्र रह गये हों तो उनको पढ़ा जा सकता है।

(1681) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अज़ान सुनने के बाद फ़ज्र की दो रक़अत तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ते थे। (यानी हल्की)

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا .

(1682) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी हिशाम की सनद से यही रिवायत नक़ल की है लेकिन अबू उसामा ने इज़ा समिअल अज़ान के बजाए इज़ा तलअल फ़ज्र नक़ल किया है, जब फ़ज्र तुलूअ हो जाये।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنِي ابْنِ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

(1683) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ की

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

अज़ान और इक़ामत के दौरान दो रकअत पढ़ते थे।

(सहीह बुखारी : 619)

(1684) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की दो रकअत सुन्नत इस क्रम हल्की पढ़ते थे कि मैं दिल में कहती थी क्या आप (ﷺ) ने उनमें सूरह फ़ातिहा पढ़ी है?

(सहीह बुखारी : 1171, अबू दाऊद : 1255)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत हफ़सा (रज़ि.) की रिवायात से मालूम होता है कि हुज़ूर (ﷺ) सुबह की सुन्नतों को इख़ितसार व तख़फ़ीफ़ (हल्की) के साथ अदा करते थे और उनमें तिलावत ज़्यादा नहीं फ़रमाते ताकि सुबह की फ़र्ज़ नमाज़ में क़िरअत तवील की जा सके।

(1685) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि जब फ़ज्र तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअत अदा करते, मैं दिल में सोचती क्या आप (ﷺ) ने उनमें सूरह फ़ातिहा पढ़ी है? यानी हल्की और कम क़िरअत करते थे।

(1686) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) जिस क्रम एहतिमाम व पाबंदी सुबह की नमाज़ से पहले की दो

عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يقرأ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ

रकअत का करते थे, और किसी नफ़ल का इस क़द्र एहतिमाम नहीं फ़रमाते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1169, अबू दाऊद : 1254)

(1687) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी नफ़ल के लिये भी इस क़द्र सुअत व जल्दी करते नहीं देखा, जिस क़द्र सुअत आप फ़ज्र की नमाज़ से पहले की दो रकअतों के लिये करते थे।

عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

फ़ायदा : सुबह की सुन्नतों के लिये जल्दी करना, उनके एहतिमाम और मुहाफ़िज़त से किनाया है और इस तरफ़ इशारा है कि आप (ﷺ) इस बात का इल्तिज़ाम (पाबंदी) फ़रमाते थे कि उनको सुबह की नमाज़ से पहले ही पढ़ा जाये। नमाज़े फ़ज्र के बाद उनकी क़ज़ाई की ज़रूरत न पेश आये। लेकिन आज हम इन सुन्नतों का इस क़द्र एहतिमाम नहीं करते हैं इसलिये बहुत से लोग नमाज़े फ़ज्र के बाद उनको पढ़ते हैं जो उनका असल वक़्त नहीं है।

(1688) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़ज्र की दो रकअत (सुन्नत) दुनिया और जो कुछ इसमें है से बेहतर हैं।'

(तिर्मिज़ी : 416, नसाई : 1758)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

फ़ायदा : इससे मालूम होता है कि आख़िरत में फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत का एहतिमाम और पाबंदी इस क़द्र अज़र व स़वाब का बाइस है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, उन सबसे ज़्यादा क़ीमती और मुफ़ीद है क्योंकि दुनिया व मा फ़ीहा सब आरिज़ी और फ़ानी हैं और आख़िरत का अज़र व स़वाब बाक़ी और ग़ैर फ़ानी है।

(1689) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने तुलूअे फ़ज्र के वक़्त की दो रकअत के बारे में फ़रमाया, 'वो दोनों मुझे पूरी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा पसंद हैं।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ " لُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا " .

(1690) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत में कुल याअव्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहमद पढ़ीं।

(अबू दाऊद : 1256, नसाई : 2/156, इब्ने माजह : 1148)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

(1691) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत में पहली रकअत में क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़ि-ल इलैना (सूरह बक्रह : 136) और दूसरी रकअत में आले इमरान की आयत नम्बर 52 आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून पढ़ते थे।

(अबू दाऊद : 1259, नसाई : 943)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ، - يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا } الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

(1692) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो सुन्नतों में क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़ि-

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

ल इलैना और सूरह आले इमरान की आयत 64 तअलौ इला कलिमतिन सवाइम्-बैनना व बैनकुम पढ़ते थे।

يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا } وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ { تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ }

(1693) यही हदीस इमाम साहब ने एक दूसरे उस्ताद से बयान की है।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، أَحْبَبَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ .

फ़ायदा : इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है कि आप (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों की दूसरी रकअत में भी सूरह आले इमरान की आयत नम्बर 52 पढ़ते थे और कभी आयत नम्बर 64। लेकिन पहली रकअत में सूरह बकरह की आयत 136 पढ़ते थे और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत से कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना साबित है इस तरह ये तीन क्रिस्म की क़िरअत साबित होती है इनमें से जिसको भी पढ़ लिया जाये बेहतर है।

बाब 15 : फ़ज़ों से पहले और बाद वाली सुनने रातिबा की फ़ज़ीलत और उनकी तादाद

باب فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَتَعْدَهُنَّ وَبَيَانَ عَدَدِهِنَّ

(1694) अम्र बिन औस बयान करते हैं कि मुझे अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान ने अपनी मर्जुल मौत में हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) से एक ख़ुशकुन हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दिन-रात में बारह रकअत अदा कीं उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।' उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान सुना है मैंने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَنَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثِ يَسَارٍ إِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى

इन रकआत को नहीं छोड़ा और अम्बसा कहते हैं, जब से मैंने उम्मे हबीबा (रज़ि.) से ये हदीस सुनी है, मैंने इन रकआत को छोड़ा नहीं और अम्र बिन औस का बयान है कि जब से मैंने अम्बसा से ये रिवायत सुनी है मैंने इन रकआत को छोड़ा नहीं और नोमान बिन सालिम का क़ौल है जबसे मैंने अम्र बिन औस से ये हदीस सुनी है, मैंने इन रकआत को नहीं छोड़ा।

(अबू दाऊद : 1250)

اَتَتْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَيْنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكَتَهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ عُبَيْسَةُ فَمَا تَرَكَتَهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ مَا تَرَكَتَهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عُبَيْسَةَ . وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَا تَرَكَتَهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ .

फ़वाइद : (1) दिन-रात में पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें इस्लाम का रुकने रकीन और ईमान का लाज़िमा हैं, जिनके बग़ैर ईमान का क्रियाम व बक्का मुम्किन नहीं है। लेकिन इनके अलावा इन ही के आगे और पीछे कुछ रकआत पढ़ने की तरगीब व तालीम भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दी है उनमें से जिनके लिये आप (ﷺ) ने ताकीदी अल्फ़ाज़ फ़रमाये हैं और दूसरों को तरगीब व तशवीक़ (शौक़) दिलाने के साथ-साथ आपने अमलन उनका ख़ूब एहतिमाम फ़रमाया है तो उनको सुनने रातिबा या सुनने मुअक्कदा का नाम दिया जाता है और अगर आपने उनकी तरगीब नहीं दी या ज़्यादा एहतिमाम नहीं किया तो उनको सुनने ग़ैर मुअक्कदा या नफ़ल से ताबीर किया जाता है। (2) अइम्मए अरबआ का इस बात पर इतिफ़ाक़ है कि दिन-रात में बारह रकआत यानी दो रकअत फ़र्र से पहले, चार रकआत जुहर से पहले और दो रकअत जुहर के बाद, दो रकअत मग़िब के बाद और दो रकअत इशा के बाद सुनने मुअक्कदा हैं और इनके सिवा रकआत जिनका ज़िक्र अलग-अलग अहादीस में मौजूद है, वो सुनने ग़ैर मुअक्कदा और नवाफ़िल हैं। जो इंसान के लिये अज़र व स़वाब के हुसूल और दरजात व मरातिब में रिफ़अत व बुलंदी का बाइस हैं। (3) फ़र्ज़ों से पहले पढ़ी जाने वाली सुनने मुअक्कदा और नवाफ़िल का बज़ाहिर मक़सद या हिक्मत व मस्लिहत ये मालूम होती है कि फ़र्ज़ नमाज़ जो अल्लाह तआला के दरबारे आलिया में सरगोशी और हुजूरी है और मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है, उसमें मशगूल होने से पहले इन्फ़िरादी तौर पर चंद रकआत पढ़ कर दिल को दुनिया के मशागिल और मसरूफ़ियात से फेरकर अल्लाह के दरबार से कुछ आशना और मानूस कर लिया जाये ताकि फ़र्ज़ों की अदायगी में पूरी यकसूई और दिलजमई से अल्लाह तआला से राज़ व नियाज़ हो सके और दिल दुनिया के मशागिल (धन्धे पानी) में ही न उलझा रहे। (4) फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाने वाली सुनने रातिबा या नवाफ़िल की बज़ाहिर

यही हिक्मत और मस्लिहत मालूम होती है कि फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी में जो कमी और कोताही रह गई है उसका कुछ इज़ाला और तदारुक हो जाये। (5) हमारे अस्लाफ़े किराम की ये आदते मुबारक थी कि जब उनके सामने कोई ताकीदी या तरगीबी फ़रमाने नबवी (ﷺ) आता तो हत्तल वसअ (हर मुम्किन) उसकी पाबंदी और एहतियाम करते थे, उसके बारे में किसी किस्म के तगाफ़ुल या तसाहुल और सुस्ती का मुजाहि़रा नहीं करते थे।

(1695) इमाम मुस्लिम ने अपने दूसरे उस्ताद से नोमान बिन सालिम की सनद ही से बयान किया कि 'जिसने एक दिन में बारह रकअत नवाफ़िल पढ़े उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।'

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بَنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : यतसार इलैहि : मअरूफ़ और मजहूल दोनों तरह पढ़ा गया है और ये सुरूर से माखूज है। यानी हसरत और खुशी का सबब, बाइस बनने वाली और यहाँ सज्दह रकअत के मानी में है।

(1696) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो मुसलमान बन्दा अल्लाह तआला की रज़ा के लिये हर दिन फ़र्ज़ों के सिवा खुशी से बारह रकअत पढ़ता है अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनाता है या उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा।' उम्मे हबीबा कहती हैं, उस दिन से मैं हमेशा ये रकअत पढ़ रही हूँ। अम्र कहते हैं, उस वक़्त से मैं भी हमेशा पढ़ रहा हूँ, नोमान का भी यही क़ौल है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أَصَلِيهِنَّ بَعْدُ . وَقَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ أَصَلِيهِنَّ بَعْدُ . وَقَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ .

(1697) उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا بِهِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

मुसलमान बन्दा भी वुजू करता है और अच्छी तरह कामिल वुजू करता है, फिर हर दिन अल्लाह तआला की खुशनुदी के लिये ' आगे मजकूर हदीस बयान की।

قَالَ التُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ عَبْدٍ نَسِلَهُ تَوَضُّأً فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

(1698) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ दो रकअत जुहर से पहले दो रकअत जुहर के बाद और दो रकअत मग्निब के बाद और दो रकअत इशा के बाद पढ़ीं और दो रकअत जुम्आ के बाद पढ़ीं । रही मग्निब और इशा और जुम्आ की सुन्नतें तो ये मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपके घर में पढ़ीं।

(सहीह बुखारी : 1172, 8164)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ .

फ़वाइद : (1) जुहर से पहले आम तौर पर आप चार रकआत पढ़ते थे और कई बार आपने दो रकअत भी पढ़ी हैं।

हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि आप जुहर से पहले चार रकअत नहीं छोड़ते थे। दूसरी रिवायत में है, अगर आपकी जुहर से पहले चार रकआत रह जाती तो आप जुहर के बाद की दो रकअत के बाद चार रकआत पढ़ते थे, जिससे साबित होता है कि आप सुन्नतों की क़ज़ाई देते थे और जुहर के बाद भी आपने चार रकआत पढ़ने की तरगीब दी है। जैसाकि उम्मे हबीबा (रज़ि.) की सुनने अरबआ में सहीह रिवायात है कि जो कोई जुहर से पहले चार रकआत और जुहर के बाद चार रकआत की पाबंदी करेगा, अल्लाह तआला उसको दोज़ख की आग पर हराम कर देगा। (2) आप सुन्नत और नवाफ़िल घर में पढ़ते थे और इसकी तरगीब देते थे ख़ासकर मग्निब, इशा, फ़ज्र और जुम्आ की सुन्नतें आप घर पर अदा फ़रमाते थे।

बाब 16 : नफ़ल नमाज़ खड़े होकर और बैठकर पढ़ना और रकअत की कुछ क्रिरअत बैठकर और कुछ खड़े होकर करना जाइज़ है

باب جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
وَفِعْلِ بَعْضِ الرُّكْعَةِ قَائِمًا
وَبَعْضِهَا قَاعِدًا

(1699) अब्दुल्लाह बिन शक्रीक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नफ़ल नमाज़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे घर में जुहर से पहले चार रकआत पढ़ते, फिर घर से निकलते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते। फिर घर वापस आते और दो रकअत अदा फ़रमाते और आप लोगों को मग़िब की नमाज़ पढ़ाते, फिर घर आते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते और लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते और मेरे घर आते और दो रकअत पढ़ते और रात को वित्र समेत नौ रकआत पढ़ते और रात को काफ़ी देर तक खड़े नमाज़ पढ़ते और काफ़ी देर तक बैठे नमाज़ अदा करते और जब खड़े होकर क्रिरअत करते तो रुकूअ और सज्दा भी खड़े होकर करते और जब बैठकर क्रिरअत करते तो रुकूअ और सज्दा भी बैठे-बैठे कर लेते और तुलूअे फ़ज्र के बाद दो रकअत पढ़ते।

(अबू दारूद : 1251, तिर्मिज़ी : 275, 436)

फ़ायदा : कई बार हुज़ूर (ﷺ) रात की नमाज़ ग्यारह रकअत से कम पढ़ते थे। इसी तरह कई बार आप नमाज़ में तवील क्रिरअत खड़े होकर करते और उसके बाद रुकूअ और सज्दा करते और कई बार आप

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رُكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رُكْعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رُكْعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ .

नमाज़ में तवील क़िरअत बैठे-बैठे करते, फिर रुकूअ के लिये उठते नहीं थे बल्कि बैठे-बैठे रुकूअ और सज्दा कर लेते और कई बार आप क़िरअत का काफ़ी हिस्सा बैठे-बैठे पढ़ते और फिर आख़िर में तीस या चालीस आयात खड़े होकर पढ़ते फिर उसके बाद रुकूअ और सुजूद करते, ये आख़िरी उम्र का अमल है जैसाकि आगे आ रहा है।

(1700) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात काफ़ी देर तक नमाज़ पढ़ते रहते, जब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते तो रुकूअ भी खड़े होकर करते और जब बैठकर नमाज़ पढ़ते तो बैठकर रुकूअ करते।

(अबू दारूद : 955, नसाई : 3/219-220)

(1701) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैं फ़ारिस में बीमार था और बैठकर नमाज़ पढ़ता था, मैंने इसके बारे में हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) काफ़ी देर तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे और हदीस मुकम्मल बयान की।

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का रसूलुल्लाह (ﷺ) का अमल बयान करने से ये मक़सद था कि ज़रूरत और मजबूरी की सूरत में बैठकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अगर बैठकर नमाज़ न होती तो आप बैठकर नमाज़ न पढ़ते। जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक सुनन व नवाफ़िल बैठकर पढ़ना जाइज़ हैं, अगर कोई शख्स क़ियाम की कुदरत नहीं रखता या किसी इज़र या मजबूरी की बिना पर सुनन व नवाफ़िल बैठकर पढ़ता है तो उसके अज़र व स़वाब में कमी नहीं होगी और अगर कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ता है तो उसको आधा स़वाब मिलेगा। फ़र्ज़ नमाज़ कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ेगा तो नमाज़ नहीं होगी क्योंकि क़ियाम फ़र्ज़ है, किसी इज़र और मजबूरी के सिवा इसको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता।

(1702) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ इक़ैली बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ أَصَلِّي قَاعِدًا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

बारे में सवाल किया? तो उन्होंने जवाब दिया, आप रात काफ़ी देर तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते और रात का काफ़ी किस्सा बैठकर नमाज़ पढ़ते और जब आप खड़े होकर क़िरअत करते तो रुकूअ भी खड़े होकर करते और जब बैठकर क़िरअत करते तो रुकूअ भी बैठकर करते। (इब्ने माजह : 1228)

(1703) अब्दुल्लाह बिन शकीक़ उक़ैली बयान करते हैं कि हमने आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आप काफ़ी देर तक खड़े होकर और काफ़ी देर तक बैठकर नमाज़ पढ़ते, तो जब आप खड़े होकर नमाज़ शुरू करते तो रुकूअ खड़े होकर करते और जब बैठकर नमाज़ का आगाज़ करते तो रुकूअ बैठकर करते।

(1704) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रात की किसी नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) को बैठकर क़िरअत करते नहीं देखा, यहाँ तक कि जब उम्र रसीदा (बूढ़े) हो गये तो बैठकर क़िरअत करने लगे, यहाँ तक कि जब (तबील) सूत की तीस या चालीस आयात रह जातीं तो उन्हें खड़े होकर पढ़ते फिर रुकूअ करते।

(सहीह बुखारी : 1148)

شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرِئُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبَّرَ

قَرَأَ جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ
ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ .

(1705) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ते और बैठे-बैठे क़िरअत करते, जब आपकी क़िरअत से तीस या चालीस आयात बाक़ी रह जातीं तो आप खड़े होकर क़िरअत फ़रमाते, फिर रुकूअ करते फिर सज्दा करते, फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह करते।

(सहीह बुखारी : 1119, अबू दाऊद : 951, तिर्मिज़ी : 374, नसाई : 3/320)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي النَّضْرِ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ
قِرَاءَتِهِ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ
فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي
الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

फ़ायदा : हज़ूर (ﷺ) का मामूल था कि आप तहज्जुद में तवील (लम्बी) क़िरअत फ़रमाते थे, जब तक आप उम्र रसीदा नहीं हुए और जिस्म मुबारक भारी नहीं हुआ था तब तक आप क़िरअत खड़े होकर फ़रमाते रहे। जब तबीअत में उम्र रसीदगी के आस़ार नुमायाँ हो गये, जिस्म बोझल हो गया तो तवील क़िरअत खड़े-खड़े मुश्किल हो गई तो आपने ये तरीक़ा इख़्तियार किया कि कुछ रकआत खड़े होकर पढ़ लेते और कुछ बैठकर और कुछ बार ऐसे भी किया कि क़िरअत खड़े होकर शुरू करने की बजाए बैठकर शुरू की और आख़िर में खड़े हो गये। इसलिये ये जाइज़ है कि इंसान बैठकर नमाज़ शुरू करे और फिर खड़ा हो जाये या खड़े होकर नमाज़ शुरू करे और फिर बैठ जाये, ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत उस सू़रत में पेश आयेगी जब क़िरअत तवील करनी हो।

(1706) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर क़िरअत फ़रमाते तो जब रुकूअ करना चाहते तो इतनी देर के लिये खड़े हो जाते जिसमें इंसान चालीस आयात पढ़ लेता है।

(नसाई : 1649, इब्ने माजह : 1226)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ
عُلَيْيَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يَرَكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً .

(1707) अलक़मा बिन वक्रकास बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर दो रक़अत कैसे पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप क़िरअत करते रहते तो जब रुकूअ करने का इरादा करते खड़े हो जाते और रुकूअ करते।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ قُلْتُ
لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ
كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ .

फ़ायदा : बैठकर क़िरअत करने के बाद खड़े होकर रुकूअ करने की सूत वही है जो ऊपर गुज़र चुकी है।

(1708) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ लेते थे? उन्होंने कहा, हाँ! जब लोगों (के मामलात की फ़िक्रमन्दी और देखभाल) ने आपको कमज़ोर कर दिया।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ
قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

(नसाई : 3/223)

मुफ़रदातुल हदीस : हतमहुत्रास : अरबी मुहावरा है हतम फ़ुलानन अहलुहु घर वालों ने उसे तोड़-फोड़ डाला यानी उनके मामलात की फ़िक्र में वो कमज़ोर हो गया।

मक़सद ये है कि लोगों के उमूर व हालात के फ़िक्र व एहतिमाम ने आपको कमज़ोर कर दिया, जिस्मानी आज़ा कमज़ोर हो गये और आप बुढ़ापे से दोचार हो गये।

(1709) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से भी मज़कूरा बालो रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ
لِعَائِشَةَ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1710) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान को बताया कि नबी (ﷺ) वफ़ात से पहले नमाज़ का बहुत सा

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ

हिम्सा बैठकर पढ़ने लगे या बहुत सी नमाज़ बैठकर पढ़ते थे।

(नसाई : 3/222)

(1711) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्र दराज़ हो गये या आपका बदन भारी और बोझल हो गया तो आप ज़्यादा नमाज़ बैठकर पढ़ते थे।

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَمُتُ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ، قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا بَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَّ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا .

मुफ़रदातुल हदीस : बह-न : अगर इस लफ़्ज़ को बाबे तफ़ईल से बनायें और दाल मुशहद पढ़ें तो मानी होगा उम्र दराज़ हो गये और अगर इसको शरुफ़ के बाब से बनायें और दाल मुखफ़फ़ पर पेश पढ़ें तो मानी होगा भारी भरकम हो गये।

(1712) हज़रत हफ़सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को नफ़ली नमाज़ बैठकर पढ़ते नहीं देखा यहाँ तक कि वफ़ात से एक साल पहले तो आप नफ़ली नमाज़ बैठकर पढ़ने लगे कि आप सूरह पढ़ते और उसे ठहर-ठहर कर पढ़ते यहाँ तक कि वो अपने से तवील सूरत से भी लम्बी हो जाती।

(तिर्मिज़ी : 373, नसाई : 1657)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يقرأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

मुफ़रदातुल हदीस : युरत्तिलुहा : इसको आहिस्ता-आहिस्ता ठहर-ठहर कर पढ़ते।

(1713) इमाम साहब दूसरे उस्तादों से भी मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें ये है जब एक या दो साल रह गये।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا
عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ
أَنَّهُمَا قَالَا بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ

(1714) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) का इत्तिकाल नहीं हुआ यहाँ तक कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ने लगे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
سِمَاكِ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا .

(1715) अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) बयान करते हैं मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है, 'आदमी की बैठकर नमाज़ आधी नमाज़ है।' तो मैं आपके पास आया और मैंने आपको बैठकर नमाज़ पढ़ते पाया तो मैंने अपना हाथ आपके सर मुबारक पर रख दिया तो आपने पूछा, 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अमर! तुम्हें क्या हुआ है?' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताया गया है कि आपने फ़रमाया है, 'आदमी की बैठकर नमाज़ आधी नमाज़ के बराबर है।' यानी बैठकर नमाज़ पढ़ने की सूरत में आधा अज़ मिलता है और आपने बैठकर नमाज़ पढ़ी हैं? आपने फ़रमाया, 'हाँ! लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي
يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ " . قَالَ
فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي
عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قُلْتَ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ "
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ " .
وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ " أَجَلٌ وَلَكِنِّي
لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ " .

(अबू दाऊद : 950, नसाई : 3/223)

(1716) मुसन्निफ ने यही हदीस दूसरे उस्तादों से बयान की है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
وَأَبْنُ، بِشَارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَثُورٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، .

फ़वाइद : (1) इंसान चाहे जिस कद्र बुजुर्गी का मालिक हो और उससे लोगों को कैसी ही अक़ीदत व मुहब्बत हो अगर उसके क़ौल व अमल में तवाफुक न हो बल्कि तज़ाद हो तो देखने वाला उसकी बिना पर हैरत व तअज्जुब में मुब्तला हो जाता है और यही चाहता है कि इसके क़ौल व अमल में बराबरी होनी चाहिये तज़ाद नहीं और आज हमारे क़ौल व अमल का तज़ाद एक मामूल बन चुका है। जिसकी बिना पर हमारे क़ौल का असर खत्म हो गया है और उम्मत तबाही का शिकार हो गई है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये इम्तियाज़ और खुसूसियत हासिल है कि आप अगर कुदरत के बावजूद बैठकर नमाज़ पढ़ते तो आपको पूरा सवाब मिलता, लेकिन आपने उमूमन ज़ौफ़ और कमजोरी की बिना पर ही बैठकर नमाज़ पढ़ी है। जैसाकि हज़रत आइशा व हफ़सा (रज़ि.) की रिवायात से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है।

बाब 17 : रात की नमाज़ और रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ की रकअत की तादाद और वित्र एक रकअत है और एक रकअत नमाज़ पढ़ना सहीह है

**باب صلاة الليل وعَدَدِ رَكَعَاتِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الليْلِ وَأَنَّ الوِترَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرُّكْعَةَ
صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ**

(1717) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को ग्यारह रकअत पढ़ते थे उनमें से एक वित्र होता था, आप जब उससे फ़ारिग हो जाते तो दायें पहलू पर लेट जाते। यहाँ तक कि आपके पास मुअज़्ज़िन आ जाता तो आप दो हल्की रकअतें पढ़ते।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي
بِالليْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ
فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ
حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوَدُّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(अबू दाऊद : 1336, तिर्मिज़ी : 440-441, नसाई : 1695, 3/243)

(1718) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ जिसको लोग अतमा कहते हैं, से फ़रागत से लेकर फ़ज्र तक ग्यारह रक़आत पढ़ते थे, हर दो रक़अत पर सलाम फेरते और एक वित्र पढ़ते। जब मुअज़्ज़िन सुबह की नमाज़ की अज़ान कहकर ख़ामोश हो जाता और आपके सामने सुबह रोशन हो जाती और आपके पास मुअज़्ज़िन आ जाता तो आप उठकर दो हल्की रक़आत पढ़ते फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आपके पास इक़ामत की इत्तिलाअ के लिये आ जाता। इन तीन उमूर में वा तर्तीब के लिये नहीं है। तर्तीब इसी तरह है इज़ा तबय्यनल फ़ज्र जब फ़ज्र रोशन हो जाती व जाअहुल मुअज़्ज़िन उसके लिये मुअज़्ज़िन आ जाता व सकतल मुअज़्ज़िन और मुअज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग़ हो जाता फिर आप दो रक़अत पढ़ते।

(अबू दाऊद : 1337, नसाई : 2/30, 3/65)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि हुज़ूर (ﷺ) रात को दो-दो रक़आत पर सलाम फेरते थे और आख़िर में जाकर एक रक़अत अलग पढ़ लेते थे। इस तरह रात की नमाज़ वित्र (ताक़) हो जाती थी और वित्र से फ़रागत के बाद लेट जाते थे। कई बार वित्र से फ़रागत की बजाए सुन्नते फ़ज्र के बाद लेट जाते और मुअज़्ज़िन की इक़ामत की इत्तिलाअ तक लेटे रहते। सुन्नत अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है आपने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई फ़ज्र की दो रक़अत पढ़े तो वो अपने दायें करवट लेट जाये।'

وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَدِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ .

(1719) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से जोहरी की इस सनद से रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें सुबह के रोशन हो जाने का तज़्किरा नहीं है, इस तरह मुअज़्ज़िन की आमद का तज़्किरा नहीं है, इक्रामत का ज़िक्र नहीं है। बाक़ी हदीस ऊपर की तरह है।

(नसाई : 3/65)

(1720) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तेरह (13) रक़आत पढ़ते थे, उसमें पाँच वित्र होते थे, जिनमें आप सिर्फ़ आख़िरी रक़अत में (तशहहूद के लिये) बैठते थे।

(तिर्मिज़ी : 459)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَسَأَلَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمَوْذَنُ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ . وَسَأَلْتُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو سَوَاءً .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا .

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) से रात की नमाज़ की अलग-अलग सूरतें साबित हैं, आपका आम मामूल यही था कि आप वित्र समेत ग्यारह रक़अत पढ़ते थे, लेकिन कई मसरूफ़ियात, मर्ज़, नींद या तकलीफ़ के सबब इसमें कमी व बेशी की है। आख़िरी उम्र में उम्र दराज़ होने की बिना पर भी आपने कमी की है, इसलिये आप से सात, नौ, ग्यारह, तेरह रक़आत साबित हैं। हाफ़िज़ इब्ने क़थ्थिम (रह.) ने आपकी रात की नमाज़ की आठ शक़्लें बयान फ़रमाई हैं।

वित्र आपने कभी आख़िर में एक ही पढ़ा है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक बेहतर तरीक़ा यही है कि आख़िर में एक ही वित्र पढ़ा जाये और आपने एक सलाम से दरम्यान में बैठे बग़ैर तीन वित्र भी पढ़े हैं और पाँच भी जिनमें आप सिर्फ़ पाचवीं रक़अत पर बैठे हैं, सात वित्र भी पढ़े हैं, जिनमें आप छठी रक़अत पर बैठे लेकिन सलाम सातवें रक़अत पर बैठकर फेरते, इस तरह नौ वित्र पढ़े हैं, आठवीं रक़अत पर बैठकर सलाम नवीं रक़अत पर फेरा है। ये सारी ही सूरतें जाइज़ हैं, अहनाफ़ के नज़दीक वित्र की सिर्फ़ एक सूरत है कि वित्र तीन हैं और उनको मस्बिब की तरह दो तशहहूदों से पढ़ा जायेगा। हालांकि सहीह इब्ने हिब्बान की रिवायत में जिसको इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी और इमाम बैहकी ने सहीह क़रार दिया है इस सूरत से मना किया गया है।

(1721) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों से भी यही रिवायत बयान की है।

(इब्ने माजह : 1359, 17052)

(1722) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो रक़अत सुन्नत समेत तेरह रक़आत पढ़ा करते थे।

(अबू दारूद : 1360)

(1723) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में नमाज़ कैसे पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, रमज़ान और उसके अलावा महीनों में आप ग्यारह रक़आत से ज़्यादा नहीं पढ़ते। चार रक़आत पढ़ते, उनके हुस्न और तवालत (लम्बाई) के बारे में मत पूछिये, फिर चार रक़आत पढ़ते, उनके हुस्न और तवालत के बारे में न पूछिये, फिर तीन रक़आत पढ़ते। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मेरी आँखें सोती हैं और मेरा दिल बेदार रहता है।'

(सहीह बुखारी : 1147, 2013, 3569, अबू दारूद : 1341, तिर्मिज़ी : 439, नसाई : 3/234)

फ़ायदा : आप रात की नमाज़ में क़ियाम बहुत ही लम्बा फ़रमाते थे, इसलिये आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, उनके हुस्न और तूल के बारे में सवाल की ज़रूरत नहीं है। इस बिना पर आप चार रक़आत

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتَرَ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي " .

पढ़ने के बाद कुछ वक्फ़ा फ़रमाते, फिर चार रक़आत के बाद वक्फ़ा फ़रमाते और फिर आख़िर में तीन पढ़ते, लेकिन उनके पढ़ने की कैफ़ियत वही थी जो हज़रत आइशा (रज़ि.) की पहली रिवायत में गुज़र चुकी है आप रात की नमाज़ दो रक़अत करके पढ़ते थे और आख़िर में एक वित्र पढ़ते थे।

(1724) अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया, आप तेरह (13) रक़अत पढ़ते थे, आठ रक़आत पढ़ते, फिर वित्र अदा फ़रमाते। फिर बैठकर दो रक़अत पढ़ते और जब रुकूअ करना चाहते, उठ खड़े होते और रुकूअ करते। फिर अज़ान और सुबह की नमाज़ की इक्रामत के दरम्यान दो रक़अत पढ़ते।

(अबू दाऊद : 1340, नसाई : 3/251, 3/256)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप कई बार वित्रों से फ़राग़त के बाद भी दो रक़अत पढ़ लेते थे, जो वित्रों का तत्तिम्मा और तक्मिला थीं, मुस्तक़िल नमाज़ न थी।

(1725) अबू सलमा ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप खड़े होकर वित्र समेत नौ रक़आत पढ़ते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رُكْعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرُكِعَ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمَا تِسْعَ رُكْعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ .

(1726) अबू सलमा बयान करते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अम्मी! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में बताइये तो उन्होंने

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ،

कहा, आपकी नमाज़ रात को रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में फ़ज्र की सुन्नतों समेत तेरह (13) रकआत थीं।

قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيُّ أُمَّةٍ أَخْبَرَنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ .

(1727) हजरत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को दस रकआत पढ़ते और एक वित्र पढ़ते और दो रकआत सुन्नत फ़ज्र पढ़ते, ये तेरह (13) रकआत हुईं।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَوَيْتٌ بِسَجْدَةٍ وَبِرَكَعٍ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَبَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(सहीह बुखारी : 1140, अबू दाऊद : 1334)

फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में आपका मामूल यकसाँ (बराबर) था, जो आम तौर पर वित्र समेत ग्यारह (11) रकआत था, उनमें कमी व बेशी किसी सबब या उज़्र की बिना पर हुई है।

(1728) अबू इस्हाक़ कहते हैं, मैंने अस्वद बिन यज़ीद से उस हदीस के बारे में पूछा जो उसे हजरत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में बयान की थी आइशा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के पहले हिस्से में सो जाते और आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते, फिर अगर बीवी से कोई ज़रूरत होती तो अपनी ज़रूरत पूरी करते फिर सो जाते। जब पहली अज़ान का वक़्त होता तो (बिस्तर से) उछल पड़ते, अल्लाह की क़सम! आइशा ने वज़ब (कूदना, उछलना) कहा, क़ामा (उठना) नहीं कहा। फिर अपने ऊपर पानी बहाते, अल्लाह की

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثْتُهُ عَائِشَةُ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ - قَالَتْ - وَتَبَّ - وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ - فَأَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ .

क़सम! आइशा ने गुस्ल नहीं कहा, अफ़ाज़ अलैहिल माअ कहा। मैं आपकी मुराद को ख़ूब समझता था। अगर आप जुन्बी न होते तो इंसान के नमाज़ के लिये वुजू की तरह वुजू फ़रमाते फिर दो रकअत (सुन्नते फ़ज्र) पढ़ते।

(नसाई : 1639)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप कभी रात को जल्द उठकर, रात की नमाज़ से फ़ारिग होकर बीबी से ताल्लुकात क़ायम करने के बाद सो जाते और सुबह की अज़ान के बाद जल्दी बेदार होकर गुस्ल फ़रमाकर फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ते, सुबह की सुन्नतें हर हाल में नमाज़े फ़ज्र से पहले पढ़ते।

(1729) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते और नमाज़ के आख़िर में वित्र होता।

وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ
وَضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ رُزَيْقٍ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوَيْتَرِ .

फ़ायदा : आम तौर पर आपकी रात की नमाज़ का इख़िताम वित्र पर होता था लेकिन कभी-कभार वित्र के बाद दो रकअत बैठकर पढ़ लेते।

(1730) मसरूक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप अमल पर दवाम व हमेशगी को पसंद फ़रमाते थे। मैंने पूछा, आप किस वक़्त नमाज़ पढ़ते थे? कहा, जब मुर्ग अज़ान देता तो आप उठकर नमाज़ पढ़ते।

(सहीह बुख़ारी : 1132, 6461, अबू दाऊद : 1318, इब्ने माजह : 1197)

फ़ायदा : आप कभी आधी रात को, कभी आधी रात से कुछ पहले या कुछ वक़्त बाद में उठते और कभी मुर्ग की अज़ान पर उठते और वो मुर्ग अज़ान आधी रात के बाद देता है।

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ،
عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ . قَالَ
قُلْتُ أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ
الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى .

(1731) हजरत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने हमेशा आपको रात के आखिरी हिस्से में अपने घर में या अपने पास सोये हुए पाया (यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) को रात के आखिरी हिस्से में, मेरे घर में या मेरे पास सोये हुए पाया)।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَحْبَبَنَا ابْنُ بَشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ،
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ
مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّحْرَ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي - أَوْ عِنْدِي - إِلَّا
نَائِمًا .

(सहीह बुखारी : 1132, 6461, अबू दाऊद :
1318, इब्ने माजह : 1197)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मा अल्फ़ा : नहीं पाया। (2) सहरल अअ्ला : रात का आखिरी हिस्सा, सुबह के करीब का वक़्त।

फ़ाघदा : हुज़ूर (ﷺ) जब रात की नमाज़ से सुबह से पहले फ़ारिग हो जाते तो लेट जाते थे और कई बार सो भी जाते थे।